राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5]   ग्यारहवीं विधान सभा के पांचवें सत्र का चौथा दिवस   [संख्या : 4

गुरुवार,

02 नवम्बर, 2000

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री राधेश्याम गंगानगर।

जिला श्रीगंगानगर में कच्ची बस्तियों का नियमन

59. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्रीगंगानगर शहर में कच्ची बस्तियों को नगर विकास न्यास तथा नगर परिषद द्वारा कितने पट्टे देने का लक्ष्य रखा है तथा कितने पट्टे अब तक दिये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कई मकान सर्वे से रह गये हैं? क्या सरकार उक्त मकानों का पुनः सर्वे करवाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक?

(3) पट्टे बनवाने हेतु सरकार द्वारा प्रति वर्ग गज के हिसाब से कितनी राशि वसूली जा रही है तथा अब तक नगर विकास न्यास व नगर परिषद श्रीगंगानगर में कितनी राशि एकत्रित हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) श्रीगंगानगर में जो लोग वार्ड नं. 16 व 17 में बसे हुए हैं तथा पुराने कब्जे हैं, क्या सरकार ने इन लोगों के स्थाई पट्टे बनवाने के लिए सर्वे करवाया है? यदि हां, तो सर्वे में आये मकानों की प्रति नाम दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें। अब सरकार इन लोगों को पट्टे कब तक जारी करने का विचार रखती है?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शांतिकुमार धारीवाल) : (1) श्रीगंगानगर शहर में नगर विकास न्यास व नगर परिषद क्षेत्र में कुल 4430 पट्टे वितरण का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक कुछ 1263 पट्टे वितरित किये गये हैं।

(2) जी, हां। सचिव, नगर विकास न्यास से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह सही है कि कई मकान सर्वे से रह गये हैं। इस संबंध में सरकार पुनः सर्वे करवाने का विचार रखती है जिसके सन्दर्भ में जिला कलेक्टर्स को पुनः सर्वे करवाने के लिए नगरीय विकास विभाग के पत्र संख्या प9(1) नविआ/3/95,

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

पार्ट दिनांक 30.9.200 द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

(3) राज्य सरकार के आदेशानुसार 50 वर्ग गज तक 10 रुपये प्रति वर्ग गज, 51 से 110 वर्ग गज तक 20 रुपये और 111 से 200 वर्ग गज तक पांच गुना।

अब तक नगर परिषद, श्रीगंगानगर व नगर विकास न्यास द्वारा निम्न प्रकार राशि वसूल की गई है :—

नगर परिषद द्वारा	19,65,477
नगर विकास न्यास द्वारा	4,50,000
कुल रुपये	24,15,477

(4) जी, हां। वार्ड नं. 16 व 17 में जो लोग बसे हुए हैं तथा पुराने कब्जे हैं उनका सर्वे करवाया गया है। 15.8.98 तक के कब्जे के सर्वेधारियों की सूची संलग्न है। वार्ड नं. 16 में शिव कालोनी के नाम से कच्ची बस्ती है जिसमें 1998 की सर्वे सूची के अनुसार 65 कब्जेधारी हैं जिनको पट्टे देने के संबंध में मुख्य समस्या यह है कि ये लोग वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर द्वारा स्वीकृत योजना क्षेत्र के पार्किंग स्थान पर तथा रोड़ पर कब्जा किये हुए हैं। हालांकि इस कच्ची बस्ती में नगर परिषद्, श्रीगंगानगर ने नाली व सड़क आदि बना रखी है। राज्य सरकार के कच्ची बस्ती नियमन आदेश दिनांक 18.5.99 में सड़क व सुविधा क्षेत्र में कब्जा किये लोगों को पट्टे नहीं देने के निर्देश होने के कारण शिव कालोनी (वार्ड नं. 16) के कब्जेधारियों को पट्टे देना संभव नहीं हो सका है। इस कारण पुनर्वास हेतु योजना बनाने के लिए नगर परिषद् को निर्देश दिये जा रहे हैं।

वार्ड नं. 17 में करणपुर रोड कच्ची बस्ती आती है जिसमें 1998 की सर्वे सूची के अनुसार 215 कब्जाधारियों के नाम हैं। यह सड़क राज्य राजमार्ग घोषित है। इस मार्ग पर सड़क की चौड़ाई 82 फीट थी परन्तु अब स्वायत्त शासन विभाग के पत्र संख्या एफ. 55 (डीएलबी/अति/2000/1783 दिनांक 9.6.2000 के अनुसार सड़क की चौड़ाई 60 फीट स्वीकृत होने के कारण पट्टे वितरण का कार्य नगर परिषद् ने आरम्भ कर दिया है तथा 83 पट्टे अब तक वितरित कर दिये गये हैं। सड़क सीमा के बाहर के पट्टे जारी करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। शेष रहे सर्वेधारियों के पुनर्वास हेतु निर्देश दिये जा रहे हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड (4) में मंत्री महोदय ने फरमाया कि शिव कालोनी नाम की कच्ची बस्ती जिसमें आज से 25-30 साल पहले सड़कें बन गई, नाली बन गई, आज उनको पट्टे नहीं दिये गये हैं। इसका मतलब हमारी सरकार की जो नीति है उस नीति के विरुद्ध हमारा प्रशासन चल रहा है। प्रशासन से बार-बार निवेदन किया गया तब भी पट्टे उनको आज तक नहीं मिले। पट्टे जितने भी वितरित हुए हैं उनकी संख्या भी बहुत

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

कम है। जैसाकि आपका टारगेट है, मान लो, 4500-5000 का, उसके अगेंस्ट दोनों संस्थाओं ने 1200 पट्टे अभी तक दिये हैं, उसके क्या कारण हैं? पट्टे लेने वाले नहीं हैं या पट्टे देने में कोई कठिनाई आ रही है?

दूसरा, आपने स्वयं खण्ड (2) में स्वीकार किया है कि कुछ बस्तियां सर्वे से रह गईं। 15-20 ऐसी कच्ची बस्ती हैं जिनका सर्वे 1985-82 में हुआ, उसके बाद वह सर्वे 1998 में माना है। 1998 में भी वह सर्वे कम्प्लीट नहीं हुआ बहुत सारे घर हैं। मुझे यह भी ध्यान है कि सारे राजस्थान में कई जगह इस तरह की गलती हुई है। आपने खुद स्वीकार किया है, उस बात पर तो मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता और आप पुनः सर्वे फरमा रहे हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं लेकिन दो पाइंट खास हैं। शिव कालोनी जैसी है उसमें पट्टे नहीं देने का आप कह रहे हैं कि उनको अन्य किसी स्थान पर बसाया जाएगा, यह संभव कैसे होगा? एक तरफ आप कह रहे हैं की 40-50 साल पहले के जो लोग आबाद हैं उनको हम पट्टे वहीं देंगे। सरकारी भूमि है, किसी को भूमि नहीं है। सड़कें बन गई, नाली बन गई, लाइट लग गई, मकान बनाकर लोग बैठे हैं तो फिर उसमें कहां परेशानी आती है अपने को पट्टा देने में? केवल प्रशासन उस बात पर राजी नहीं है। इसलिए यहां से जो भी प्रश्न आता है, लाखों रुपये विधान सभा के, सरकार के खर्च होते हैं और वहां से जो जवाब अधिकारी बनाकर भेज देते हैं, आप कृपा करके इसको फील मत करना, मंत्री महोदय, आप तो बहुत समझदार हैं, बहुत अनुभवी हैं, वहीं का वहीं जवाब अपन यहां पढ़ देते हैं। तो क्या आप इसकी गम्भीरता में जाएंगे, क्या इसकी खोज करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? जब दूसरी जगह हम 40 साल पूर्व से बसे हुए लोगों को पट्टे दे रहे हैं तो शिव कालोनी में जो मजदूर लोग रहते हैं, इनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों? इसकी पूरी जांच कराए। अब आपने इसको तो नगर नियोजन को भेज दिया, वे कह देंगे कि इनको पुनः किसी स्थान पर बसा दो। मान लो, आप शहर से 15 किलोमीटर कहीं बसा दोगे तो इनके पास तो रोटी खाने के लिए नहीं है, ये कैसे जाएंगे वहां? यह बहुत गम्भीर विषय है, कृपया इस पर चिंतन करें। जैसी कि आपकी शैली है कि आपके पास फाइल आए, तुरन्त काम होता है, उसी तरह पुनः सर्वे करवाकर जो भी छोटी-मोटी अड़चनें हैं, उनको निकालकर इन लोगों को पट्टे मिलने चाहिए।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से। हमारे यहां गंगानगर "ए" माइनर है, "ए" माइनर का तीन पुली से लेकर कौड़ियों वाली पुली तक छह किलोमीटर का एरिया है। इस छह किलोमीटर

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

के एरिया में मेरे ख्याल से 1000 की तादाद में मकान बने हुए हैं, और कुछ छोटी-मोटी दुकानें भी बनी हुई हैं। पिछले दिनों में जब आपसे मिला जब यह तोड़फोड़ का मामला चल रहा था, मैंनें मुख्य मंत्रीजी से भी प्रार्थना की और कमलाजी से भी क्योंकि "ए" माइनर इर्रिगेशन विभाग के अण्डर में आती है। आपने फरमाया कि यह मेरा इश्यु नहीं है तो मैं इनसे मिला। इन्होंने वहां पर चीफ इंजीनियर और कलेक्टर को निर्देश किया कि इस कालोनी को या पूरी जगह को अपने हाथ नहीं लगाना। लेकिन उसके उपरांत क्या हुआ? करोड़ों रुपयों की बरबादी कर दी गई। कुछ जगह रख दी गई। एक ही जगह मान लो, आगे जाकर जैसे 10 घर आ गए, अगले 10 घर थे, उन्हें तो पट्टे दिए हुए हैं। एक जगह सम्पत कालोनी है उसके पूरे पट्टे हैं। एक जगह उससे आगे जाकर कालोनी शुरू होती है उसमें म्युनिसिपैलिटी ने पट्टे दे रखे हैं और दूसरी जगह फिर आगे पट्टे दे रखे हैं। बीच-बीच में सिंचाई विभाग के क्वार्टर बने हुए हैं, उसके बीच में वन विभाग का बहुत बड़ा काम्प्लैक्स बना हुआ है, उसके उपरांत आगे जाकर मंदिर, गुरुद्वारें, मस्जिद इस तरह हैं तो...

श्री सांवर लाल (भिनाय) : यह क्या हो रहा है, अध्यक्ष महोदय? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : सारी, मैंने ध्यान नहीं रखा, क्षमा चाहता हूं। उसके आगे जाकर इस तरह जब एक ही लाइन में छह किलोमीटर तक गरीब लोगों की बस्तियां चल रही हैं तो उन गरीब लोगों की बस्ती पर...

श्री सांवर लाल : यह यहां पर मोबाइल लेकर आये हैं... (व्यवधान) कोई माननीय सदस्य मोबाइल लेकर अन्दर नहीं आएगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर : गरीब लोगों की बस्ती है उस पर करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ तोड़फोड़ के कारण अभी फिर राजस्थान पत्रिका में निकला है। कल की चार तारीख को तोड़फोड़ फिर चालू हो रही है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : बार-बार यह मोबाइल लेकर यहां आ रहे हैं, कोई सदन की गरिमा भी है कि नहीं? (व्यवधान) आपकी आज्ञा का इस तरह उल्लंघन।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, आप जो फरमा रहे हैं, आपकी बात ठीक है, मेरे से गलती हुई है, मैं क्षमा चाहता हूं। (व्यवधान) मैं क्षमा मांग रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप पहले भी मोबाइल लेकर आये थे यहां पर, आज भी आप लेकर आ गये हैं। मोबाइल को सदन में नहीं लाएंगे आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ऐसा निवेदन है कि पहले मोबाइल मैं कभी नहीं लाया

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

हूं, आज जरूर गलती से। मैं जल्दी कहीं गया था जेब में रह गया मैं आगे...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अध्यक्षजी को जमा करा दें यह। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य, आपका मोबाइल आप अध्यक्षजी को जमा करा दें। (व्यवधान) आप इसको सदन पटल पर रखें। माननीय अध्यक्षजी, आपको जमा कर लेना चाहिए इस मोबाइल को।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : मदन दिलावरजी भी लेकर आये हैं, मदन दिलावरजी के पास भी है मोबाइल। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप बिलकुल सही फरमा रहे हैं...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हम भी अपना बाहर छोड़कर आते हैं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, आप सही फरमा रहे हैं, मेरे से गलती हुई है।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, मदन दिलावरजी ला सकते हैं तो यह क्यों नहीं ला सकते? मदन दिलावरजी का भी निकाला जाए।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, आप जमा करिये। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य का मोबाइल जमा कर लें विधान सभा में। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : पहले अपना निकालिये आप, यह कहिये इनसे।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ऐसा निवेदन है, मैं कहीं से आया था बहुत जल्दी में, मेरा पहला प्रश्न था, गलती से घर रखना भूल गया। मैं कमलाजी के यहां गया था, गलती से वह रह गया। मैं क्षमा चाहता हूं, आगे के लिए यह भूल नहीं होगी। आगे के लिए ऐसी भूल नहीं होगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, आप जमा कर लीजिये।

श्री रामस्वरूप : पहले आप अपना मोबाइल निकालिये, आपने छुपा रखा है।

श्री अध्यक्ष : आप जमादार को दे दीजिये। यह ले लीजिये।

श्री रामस्वरूप : आप अपना मोबाइल निकालिये पहले, फिर दूसरों को कहिये। यह क्या मतलब हुआ? आप मोबाइल लेकर खुद आये हैं और दूसरों को कहते हैं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं निवेदन कर रहा था, इस तरह का भेदभाव। यहां से मंत्री महोदया ने, कमलाजी आज यहां मौजूद नहीं है, निर्देशित चीफ इंजीनियर को, एसई. को, एक्स. ईएन. को और कलेक्टर से बात की, उसके उपरांत भी करोड़ों रुपये

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

की क्षति हुई और वह तुड़वा दिया गया 'ए' माइनर पर। अब चार तारीख को क्या आप उसको तुड़वाने का मन रखते हैं, जो आपके एरिये में नहीं आता, सड़क पर नहीं आता और कहीं उसमें दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपने यह प्रश्न पूछ लिया। यह सब पूछ लिया है आपने। मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : गंगानगर के बाबत यह सवाल है और 4403 सर्वेधारियों को पट्टे देने का सवाल है। कुलमिलाकर इसमें 3067 नियमन योग्य सर्वेधारी पाये गये हैं और करीब आधों को पट्टे मिल चुके हैं। अब आपका यह कहना कि पट्टे क्यों नहीं दिये जा रहे। मालूमात करने पर यह मालूम हुआ है कि जिला कलेक्टर ने कुलमिलाकर एक बैठक वहां पर की है जिसके नेतृत्व में एक नियमन समिति बनी हुई है। नियमन समिति की बैठकें लगातार होनी चाहिए थीं, नहीं हो पाई। उसके लिए तो सरकार कड़े निर्देश जिला कलेक्टर को जारी करेगी, 6 लेकिन माननीय सदस्य से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक बैठक हुई और उसमें भी आप नहीं गये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आदरणीय मंत्री महोदय, मैंने कल भी आपसे कहा था कि हमें बुलाया ही नहीं गया। इन्दौराजी यहां मौजूद बैठे हैं, हमें बुलाया ही नहीं गया तो जाते कहां? मैंने कल ही आपसे निवेदन कर दिया। मैंने तो उलटा आपसे शिकायत की है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं यह पत्र पढ़कर बता देता हूं विधायक महोदय का जिसमें उन्होंने जिला कलेक्टर को यह लिखा है कि कच्ची बस्तियों के नियमन समिति की बैठक 2.11.99 की सूचना मुझे समय पर मिल गई थी, मैं उक्त बैठक में आवश्यक रूप से उपस्थित होता किन्तु मुझे विशेष कारणवश अचानक जयपुर जाना पड़ रहा है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : इसका जवाब मैं दे रहा हूं, साहब। जब आपने दोबारा टेलीफोन किया तो जो मीटिंग हुई उसकी मैंने सूचना दी। वह सूचना, यह मीटिंग अलग है। मंत्री महोदय, आप मेरे को दोषी नहीं कहो, दोषी आपके अधिकारी हैं। जब आपने कड़े निर्देश दिये तब उन्होंने हमें बुलाया, फिर मैंने पूरी सूचना ली। अगर पहले भी यह बात होती तो मैं या तो जाता मीटिंग में या सूचना देता। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, यह परिपत्र जारी हुआ है कि जितनी भी जिला हैडक्वार्टर पर मीटिंग होंगी वे शनिवार को होंगी। इसलिए कलेक्टर का इनको पत्र लिखकर के बिना शनिवार के बुलाना ही गैर वाजिब था।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : शनिवार था क्या उस दिन?

श्री राजेन्द्र पारीक : जब माननीय अध्यक्ष महोदय का यह परिपत्र जिला कलेक्टर को दिया जा चुका...

श्री अध्यक्ष : राजेन्द्रजी, बैठिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, उस दिन शनिवार था कि नहीं?

श्री राजेन्द्र पारीक : आप यह साबित करें कि शनिवार था उस दिन।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (करणपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं मंत्रीजी से आपके माध्यम से।

श्री अध्यक्ष : पहले उसका जवाब आने दीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय सदस्य के सवाल में दो-तीन बातें मुख्य रूप से पूछी गई हैं। पहली बात तो यह पूछी गई है कि पट्टे सबको क्यों नहीं दिये गये, उसके लिए मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि जिला कलक्टर को सख्त आदेश दिये जाएंगे और जिस रोज आप उपलब्ध होंगे वह उसी रोज बैठक करेंगे।

दूसरी बात आपने कही कि बस्तियां सर्वे से रह गई, तो इस बाबत राज्य सरकार ने दिनांक 30 सितम्बर, 2000 को जिला कलेक्टर को यह लिख दिया है और यह न केवल गंगानगर के जिला कलेक्टर को लिखा है बल्कि हर जिला कलेक्टर को लिखा है और उसमें यह कहा है कि अगर इस प्रकार के सर्वे से वंचित कोई कच्ची बस्ती रह गई तो वहां पर पुनः सर्वे करवाया जाए, पुनः सर्वे करवाने के लिए विधायक महोदय की राय ले ली जाए। एक आखिरी बात जो आपने फरमाई...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक मिनट। आखिरी बात आपने फरमाई इरिगेशन की लैण्ड के बाबत, और आपने यह भी कहा कि यह इश्यू मेरा नहीं है। मेरा निवेदन है कि आपके माध्यम से कि दूसरे के इश्यू को मेरा इश्यू न बनाए।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपके नाम से खबर छपी राजस्थान पत्रिका में कि चार तारीख को पुनः इनको तोड़ा जा रहा है। जो आपके डिपार्टमेंट के नाम है वह पूछ रहा हूं। क्या आप विचार ऐसा रखते हैं तोड़ने का?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरे विभाग के पास कलेक्टर का कोई प्लान चार तारीख को कोई तोड़फोड़ करने के बाबत नहीं है।

—

श्री राधेश्याम गंगानगर : धन्यवाद, बड़ी मेहरबानी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा, अभी आपने कहा कि 30 सितम्बर को आपने पूरे राज्य में पत्र लिखकर सर्वे से जो वंचित हैं उनका नये सिरे से सर्वे कराने का फैसला कर लिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या यह सही है कि आपने लगभग चार-पांच महीने पहले सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि एक निश्चित समयावधि के अंदर निश्चित दरों पर कच्ची बस्तियों के पट्टे जारी करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि अब तक कितने पट्टे जारी हुए और आपके निर्देशों के अनुसार किस-किस जिला कलेक्टर ने क्या कोई कार्यवाही की या नहीं की?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : गंगानगर के बाबत मैं आपको बता चुका हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, गंगानगर का बता दें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कहां का?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने सारे जिला कलेक्टर्स के लिए यह कहा कि सारे जिला कलेक्टर्स को 30 सितम्बर को आपने पत्र लिखकर कोई आदेश जारी किए, आपके आदेश की पालना क्या-क्या हुई, जरा बता दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पालना? 30 सितम्बर को ये आदेश दे दिये गये है और जिस जगह सर्वे लोग चाहते हैं कि यहां पर पुनः सर्वे हो, वहां पर सर्वे का काम चालू है। आप तो कोई स्पेसिफिक प्लेस बताइये जहां पर कि सर्वे की डिमांड आई है और जिला कलेक्टर वहां पर सर्वे नहीं करवा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कोटा का ही ले लें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कौन-सी कच्ची बस्ती ऐसी है जिसका सर्वे नहीं हुआ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : महवीर नगर कच्ची बस्ती का ले लो आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : महावीर नगर कच्ची बस्ती नाम की कोई कच्ची बस्ती नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न गंगानगर से संबंधित है।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न गंगानगर का है, सारे राजस्थान का नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न गंगानगर का है।

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से यह कहना चाहती हूं कि मेरे यहां भी कलेक्टर द्वारा जो मीटिंग ली जाती है उसके तीन या चार दिन बाद में मेरे पास इन्फोर्मेशन आती है। मीटिंग होने के तीन-चार दिन बाद में। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह व्यथा उन्हीं की नहीं है, सारों की है।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, मीटिंग शनिवार को रखी जाए, अन्य वारों को नहीं रखी जाए। इसके सख्त निर्देश दोबारा निकाले गये हैं। अन्य वारों को हमेशा मीटिंग रखते हैं कलेक्टर लोग। यह शनिवार को रखी जाए मीटिंग, पुनः आदेश निकाले जाएं विधान सभा से।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के ये स्पष्ट निर्देश हैं कि विधान सभा का सत्र जब चल रहा हो, तो कोई भी कमेटी की मीटिंग शनिवार के अलावा नहीं बुलायी जाए। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी और पंचायत राज मंत्री जी बैठे हैं, कि 30 तारीख को ही विधान सभा सत्र प्रारम्भ हुआ और मेरे यहां 30 तारीख को ही पंचायत समिति और नगरपालिका की साधारण सभा की मीटिंग रखी गई। अब बताइये, हम विधान सभा में रहेंगे या मीटिंग रखी गई। अब बताइये, हम विधान सभा में रहेंगे या मीटिंग में जाएंगे? इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी निवेदन है कि विधायकों की भागीदारी उसमें बढ़ाने के लिए शनिवार के अलावा और जब विधान सभा का सत्र चल रहा हो तो उस दौरान ये मीटिंगें नहीं रखी जानी चाहिए। इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग और 30 अक्टूबर को रखी गई। बताइये, हम उसमें कैसे शामिल हो सकते हैं? इसलिए 30 तारीख को जो मीटिंग हुई उस मीटिंग की कार्यवाही को निरस्त कराया जाए और दुबारा इन नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए।

श्रीमती शांति पहाड़िया (वैर) : अध्यक्ष महोदय, आज दो साल होने को आ रहे हैं लेकिन दो साल में एक भी मीटिंग कलेक्टर साहब ने हमारे साथ नहीं की है। हमको लैटर हफ्ते भर बाद या 6 दिन के बाद आता है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : यह बिलकुल सच बात है सर, मेरे साथ में भी यही है, 4-5 दिन बाद में आता है लैटर। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शायद पूरे राजस्थान का यही हाल है, सब जगह यही होता है, सब जगह।

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान)... मीटिंग होने के बाद में ही मिलती है खबर।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर बात है, विधान सभा का सत्र चल रहा है और...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान)... तो उसको पूरी सुचना मिलती है वरना सूचना नहीं मिलती है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनिये। आपको ये आदेश कलेक्टरों को, पंचायत समितियों को और

(श्री अध्यक्ष)

नगरपालिकाओं को देना चाहिए कि विधान सभा सत्र चल रहा हो तो वे मीटिंग नहीं रखें।

मोहम्मद माहिर आजाद : 30 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई उसकी कार्यवाही तो निरस्त हो।

श्री रामस्वरूप : हमारे यहां भी मीटिंग बुलायी है, यह रहा परिपत्र मेरे पास। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय पंचायती राज मंत्री श्री सी. पी. जोशी जी बैठे हैं यहां पर।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : 30 अक्टूबर को विधान सभा का सत्र था और 30 अक्टूबर को पंचायत समिति, नगर और नगरपालिका दोनों की साधारण सभा की मीटिंग बुलायी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह राज्य सरकार के निर्देशों की अवहेलना है, खुला उल्लंघन हुआ है, इसलिए मेरी आपके माध्यम से यह मांग है कि विधान सभा के सत्र के दौरान सोमवार 30 तारीख को जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग की कार्यवाही को निरस्त करवाने की घोषणा माननीय पंचायती राज मंत्री जी और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी करें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह मंगलवार को मीटिंग रखी, आप उसे सख्त निर्देश दें।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व नियमों में निर्देशित किया गया है कि शनिवार के अलावा जिला स्तर पर जिला हैडक्वार्टर पर किसी भी तरह की मीटिंग नहीं रखी जाएगी। इस तरह के निर्देश पूर्व में राजस्थान सरकार द्वारा दिये जा चुके हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : पंचायती राज मंत्रीजी, कुछ कहो तो सही।

श्री रामस्वरूप : जिन्होंने रखी उनके खिलाफ कार्यवाही करें। यह रखी है उन्होंने, मैं प्रमाण देता हूं आपको। माननीय मंत्री जी, यह मीटिंग जो कलेक्टर रख रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें आप। यह मीटिंग रखी है उन्होंने निर्देश के बावजूद भी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल है, इसमें प्रश्न की चर्चा हो तो ज्यादा अच्छा हो। (व्यवधान) क्योंकि प्रश्नों को समय नहीं मिल रहा है, प्रश्नकाल में दो-तीन प्रश्न ही हो पाते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, जवाब ही नहीं आया। (व्यवधान) फिर बोलने का मतलब नहीं है।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर : अध्यक्ष महोदय, एक का तो जवाब आए। मंत्री जी ने जैसा कि अपने जवाब में कहा है, गंगानगर से

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

करणपुर रोड़ 84 फीट चौड़ी थी, अब उसको घटाकर जिला प्रशासन ने शायद 60 फीट कर दिया। क्या ऐसा जिला प्रशासन को कोई अधिकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई घटाकर कम कर दे जबकि वह इतना व्यस्त रास्ता है? बार्डर रोड है, करणपुर और केसरीसिंहपुर दो मंडियों का किसानों का आना-जाना है। पूरे गन्ना सीजन में गन्ने के ट्रक और ट्राली आते हैं। मिलिट्री बार्डर को जाती है तो उसी रास्ते से जाती है। 84 फीट को घटाकर जिला प्रशासन ने ही 60 फीट कर दिया।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।

एक माननीय सदस्य : इनके शासन में सब मंजूर है। अभी सड़कें बंद होंगी, अभी तो रास्ते सकड़े हुए हैं। सड़कें बंद होंगी अभी, चिन्ता मत करिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि कलेक्टर शनिवार के अलावा भी बैठक बुला लेते हैं। किसी भी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि कच्ची बस्ती की बैठक फलाने शहर में जिला कलेक्टर के द्वारा शनिवार के अतिरिक्त बुलायी गयी है। अगर इस प्रकार की जानकारी मुझे दे देंगे तो मैं कुछ कार्यवाही करवाऊंगा। दूसरी अर्ज यह है, अध्यक्ष महोदय...

श्री सांवर लाल : यह जवाब आपत्तिजनक है। अगर कोई सदस्य जानकारी देगा तभी कार्यवाही करोगे? फिर आप बैठे किसलिये हो?

श्री अध्यक्ष : प्रो. सांवर लाल जी, बैठिये आप।

श्री सांवर लाल : आपको जानकारी में होना चाहिए कि शनिवार को कोई मीटिंग ले रहा है या नहीं ले रहा है। जिला कलक्टर।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : विराज जाइये आप।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री सांवर लाल : ...(व्यवधान)... उसका क्या मतलब है कि हम एक-एक चीज की जानकारी देंगे ? आपका क्या नियंत्रण है फिर?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : विराज जाइये आप। जानकारी तो देनी पड़ेगी, बगैर जानकारी दिये काम नहीं चलेगा।

श्री सांवर लाल : क्यों विराज जाएं, कोई + + + है क्या? आप विराज जाएं। ये कौन हैं? किसको कह रहे हैं आप? ...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद : ये नहीं कह सकते, इनको अधिकार नहीं है। आसन कह सकता है। (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रामस्वरूप : आपको बैठने के लिए ही तो कहा है। गलत काम क्या कर दिया उन्होंने, बैठने के लिए ही तो निवेदन किया है। बैठने के लिए नहीं कहें, आप खड़े रहें। (व्यवधान) कतई मत विराजिये, आप खड़े ही रहो।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, काहे को भार बनकर बैठे हैं कुर्सी पर, जब इनको यही जानकारी नहीं है, तो?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दूसरा निवेदन यह था, अध्यक्ष महोदय, कि जी.ए.डी. ने स्पेसिफिक आदेश हर जिला कलेक्टर को दे रखें हैं कि शनिवार के अतिरिक्त बैठक नहीं बुलाएं। इस बात को और देख लिया जाएगा अगर किसी कलेक्टर ने शनिवार के अतिरिक्त...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर-आर्डर।

मोहम्मद माहिर आजाद : जब मैं कह रहा हूं कि 30 अक्टूबर को बुलायी है उस दिन विधान सभा सत्र चल रहा था, उसका क्या एक्शन लेंगे, आप तो यह बताइये। पंचायती राज मंत्री जी और आप भी दोनों बैठे हैं, जब उसने बुलायी है 30 तारीख को तो क्या उसकी कार्यवाही निरस्त करवाएंगे?

एक माननीय सदस्य : आप नोटिस की बात कर रहे हो, चार तारीख को मीटिंग बुलाई है पाली जिला कलक्टर ने।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मीटिंग बुलायी है कलक्टर ने, इसका प्रमाण मैं दे सकता हूं। माननीय मंत्री जी, आप सख्त निर्देश निकालें नहीं बुलाने के लिए।

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय आधा घंटा हो गया एक प्रश्न पर। फिर हमारे लोगों के सवाल भी हैं। कहीं तो कंट्रोल करिये इसको।

श्री सांवर लाल : ...(व्यवधान)... फिर काहे का राज कर रहे हैं आप? ...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, आप तो यह बताइये कि जिन्होंने शनिवार के अलावा और विधान सभा का सत्र चल रहा है उस दिन बुलायी है उस पर आप क्या कार्यवाही करेंगे ? क्या उस मीटिंग की कार्यवाही को निरस्त करवाएंगे, यह बताइये न आप तो। (व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है। स्वायत्त शासन मंत्री जी से जो प्रश्न पूछा गया है कलक्टर को मीटिंग बुलाने का, इससे कोई संबंध नहीं है। आप व्यर्थ में समय खराब कर रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : सम्बन्ध कैसे नहीं है? विधायक से संबंध है इसका। हमारे यहां मीटिंग बुलायी है, हम जा नहीं सकते। बड़े महत्त्वपूर्ण मसले होते हैं।

श्री हेमन्त कुमार : एक ही प्रश्न में एक घंटा ले लेते हैं, दूसरे का जवाब मिलना चाहिए।

श्री रामस्वरूप : ऐसे कैसे मीटिंग बुलाते हैं वे? कमला जी सही कहती हैं। यह मेरे पास प्रमाण है मीटिंग बुलाने का।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री राधेश्याम गंगानगर : राजमार्ग का जवाब दिलवाइये। राजमार्ग जो कम किया है..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।

श्री रामस्वरूप : ..(व्यवधान).. कलेक्टर ने मीटिंग बुलायी है, हमारे पास प्रमाण है इस बात का। माननीय मंत्री जी, जवाब दो, यह मीटिंग बुलायी है कलेक्टर ने, क्या कार्यवाही करोगे आप कलेक्टर के खिलाफ?

श्री राधेश्याम गंगानगर : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आप रोड का जवाब दे रहे थे न करणपुर-केसरीसिंहपुर रोड का। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। चौहान साहब, बैठिये आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, रोड का महत्त्वपूर्ण सवाल रह गया है, वे जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : पूछ लिये आपने। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, अध्यक्ष जी। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : जवाब दे रहे हैं मंत्री जी।

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 31 के अन्तर्गत 12 क्वेश्चन प्रतिदिन पूछे जाने चाहिए और एक प्रश्न पर पांच मिनट से ज्यादा समय सदन में नहीं दिया जाना चाहिए। बहुत से मैंबर महरूम रह जाते हैं अपना प्रश्न पूछने से। श्रीमती यासमीन अबरार।

मोहम्मद माहिर आजाद : संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, साहब। (व्यवधान)

सड़क निर्माण हेतु प्राप्त राशि का अन्यत्र उपयोग

60. श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिसंबर, 1998 के बाद सरकार ने अब तक कृषि विपणन के तहत किन-किन सड़कों के निर्माण की घोषणा की थी? उक्त पर व्यय होने वाली राशि कुल कितनी थी? गत दो वर्षों में कौन-कौन सी सड़कें क्यों नहीं बनी हैं?

(2) क्या सरकार ने विश्व बैंक या अन्य किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से सड़क निर्माण के लिये कोई ऋण ले रखा है? यदि हां, तो उसको किस प्रकार व्यय किया गया और उनमें से क्या कोई राशि किसी अन्य मद पर भी व्यय की गई है?

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत) : (1) दिसम्बर, 1998 के बाद राज्य सरकार द्वारा कृषि विपणन के तहत निम्नानुसार सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी :

1. मण्डी कोष से 275 सड़कों की 7,667.20 लाख रुपये की।

2. आर.आई.डी.एफ. V में।

1. प्रथम चरण में 275 सड़कों की 8680.22 लाख रुपये की।

2. द्वितीय चरण में 92 सड़कें 2255.60 लाख रुपये की।

3. तृतीय चरण में 31 सड़कें 991.60 लाख की।

उक्त 673 सड़कों में से 92 सड़कें नाबार्ड को ऋण के पुनर्भुगतान हेतु राशि की कमी के कारण एवं 31 सड़कें नाबार्ड द्वारा स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के कारण सड़क कार्य नहीं कराये गये हैं।

(2) कृषि विपणन के माध्यम से आर.आई.डी.एफ-V योजना के तहत सड़क निर्माण हेतु 7798.73 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत कराया गया है। इस योजना पर अभी बोर्ड के वित्तीय संसाधनों से व्यय किया गया है। अतः इसमें से कोई राशि अन्य मद में व्यय नहीं की गई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीमती यासमीन अबरार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संरक्षण के माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी...

श्री राजेन्द्र पारीक : प्रश्न पूछने मात्र से आप अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रही हैं?

श्रीमती यासमीन अबरार : नहीं, असुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूं, आपसे संरक्षण इसलिए चाह रही हूं ताकि वे मुझे संरक्षण दे सकें मंत्री जी के जवाब में। मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया है। मैंने उनसे कृषि विपणन के माध्यम से ऋण के बारे में नहीं कहा है, माननीय मंत्री जी, मैंने स्पष्ट रूप से जानना चाहा है कि क्या सरकार ने विश्व बैंक या अन्य किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से सड़क निर्माण के लिये कोई ऋण ले रखा है? इसका जवाब आप कृषि विपणन का दे रहे हैं जबकि मैंने आपसे इसमें कोई समयावधि भी नहीं कही है। आप उसका जवाब न देकर यह कह रहे हैं कि आर.आई.डी.एफ-V वित्तीय योजना के तहत ऋण लिया है। यह जो आप जवाब दे रहे हैं इसमें मुझे संदेह है कि आप तथ्यों को छिपा रहे हैं और आप इसमें स्पष्ट रूप से बता नहीं रहे हैं। मैं अपने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन से पहले यह पूछना चाहूंगी कि इसमें क्या तथ्य हैं? आप तथ्यों को उजागर कीजिए उसके बाद मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछूंगी। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : इनको धमकाओ अच्छी तरह से।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई तथ्य नहीं छिपाया है, मैंने बताया है इनको कि नाबार्ड के माध्यम से आर.आई.डी.एफ.-V योजना के तहत हमने लोन स्वीकृत कराया है और लोन की राशि 7798.73 लाख रुपये स्वीकृत है। किसी बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्था से अन्य कोई लोन नहीं लिया है, यह मैं स्पष्ट रूप से कह चुका हूं।

डा. किरोड़ी लाल : पर्ची ले लो।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : पर्ची यही है कि विश्व बैंक से कोई लोन नहीं लिया है। मैंने भी यही कहा है कि अन्य किसी संस्था या किसी बैंक से कोई लोन नहीं लिया है इस अवधि में। यह मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि नाबार्ड से हमने लोन लिया है और आर.आई.डी.एफ.-V योजना के तहत लिया है।

श्रीमती यासमीन अबरार : क्या नाबार्ड के पास ऋण देने के लिये पैसा नहीं था? आप कह रहे हैं कि ऋण नहीं लिया है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : नहीं, नाबार्ड से ऋण तो लिया है।

श्रीमती यासमीन अबरार : लिया है तो उसका विवरण दीजिए आप कि आपने कहां-कहां उसको खर्च किया है?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मैंने जवाब दिया है न।

श्रीमती यासमीन अबरार : उस जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं दुबारा पढ़ देता हूं। आर.आई.डी.एफ.-V चरण फर्स्ट में 275 सड़कों पर 8680.22 लाख रुपये का ऋण हमने स्वीकृत किया है और यह सड़कों के लिये स्वीकृति जारी होकर काम चालू हुआ है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : ये संतुष्ट नहीं है आपसे।

श्रीमती यासमीन अबरार : आपने यह कहा है कि नाबार्ड से लिया है लेकिन भुगतान के लिये उसके पास पैसा नहीं था। या तो यह माना जाए कि नाबार्ड दिवालिया हो गया था या यह माना जाए कि नाबार्ड की शर्तों को आपने पूरा नहीं किया इसलिए आपने भुगतान नहीं किया। इसका कोई तो कारण होगा, वह आपसे मुझे बताइए।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, नाबार्ड से जो पैसा हमने स्वीकृत कराया था उसके तहत हमने जो फर्स्ट फेज में सड़कें स्वीकृत की हैं, वे सब काम चालू कराने के लिये हमने सैंक्शन जारी कर दी। नाबार्ड के पास पैसे की कमी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। नाबार्ड से जितना पैसा हमने मांगा था उतने की स्वीकृति उन्होंने हमको दे दी। इसलिए यह तो प्रश्न ही

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

पैदा नहीं होता कि नाबार्ड के पास पैसे की कमी है।

श्रीमती यासमीन अबरार : आपने कहा है पुनर्भुगतान हेतु राशि की कमी के कारण, राशि की कमी आपके पास क्यों आई?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : राजस्थान सरकार ने जब नाबार्ड से लोन लिया था तो यह तय किया था कि नाबार्ड से लोन लिया जाकर उस लोन के माध्यम से सड़कों के लिये एजेंसी कृषि विपणन बोर्ड होगी। यह स्वीकृति 1.11.99 को इस लोन की हुई थी। लेकिन बाद में वित्त विभाग ने यह तय किया कि वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण उस लिये गये लोन को नाबार्ड को वापस चुकाने की व्यवस्था सरकार न करके कृषि विपणन बोर्ड करे, और कृषि विपणन बोर्ड को वह लोन हस्तान्तरित कर दिया गया। चूंकि जितना लोन हमने पहले लेने की बात कही थी वह इस विश्वास पर कही थी और हमने इसलिए वह लोन लिया था कि राजस्थान सरकार अपने संसाधनों से उसको चुकाएंगी, लेकिन राज्य सरकार संसाधनों से चुकाने की स्थिति में महसूस नहीं हुई इसलिए राज्य सरकार ने बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया। बोर्ड ने उन सड़कों को टेकअप तो किया लेकिन फिर उतनी ही सड़कें हम ले सकते थे जितनी सड़कें बोर्ड के संसाधनों में उपलब्ध थीं। राज्य सरकार यदि हमको पूरा सहयोग करती तो हम पूरी सड़कें लेते। इसलिए पुनर्भुगतान में दिक्कत आई।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि राज्य सरकार हमको पूरा सहयोग देती तब हम सैकिण्ड फेज की सड़कों को पूरा करते। ये राज्य सरकार ही, तो हैं? आप खुद राज्य सरकार हो। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मैं बोर्ड के माध्यम से कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में कोई बोर्ड नहीं बोलता है, राजस्थान विधान सभा में तो मंत्री महोदय बोलते हैं, सरकार बोलती है। (व्यवधान)

श्रीमती यासमीन अबरार : मंत्री जी, वे कौनसे कारण थे जिनके कारण आपने 31 सड़कों का निर्माण रोका? (व्यवधान) आप कारण तो बताएं।

मोहम्मद माहिर आजाद : (व्यवधान) यहां कोई बोर्ड नहीं बोलता है, राजस्थान विधान सभा में सरकार बोलती है। यहां आप सरकार की कैपेसिटी से जवाब दे रहे हैं, आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए। आप यहां सरकार की हैसियत से जवाब दे रहे हैं, आपको गंभीरता से जवाब देना चाहिये। अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिये। आपने गलत तथ्य पेश किये हैं। राज्य सरकार

(मोहम्मद माहिर आजाद)

क्या है, आप क्या हो? आप + + + हो क्या राज्य सरकार के? क्या हो आप राज्य सरकार के? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये। आसन पैरों पर।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं क्लीयर कर देना चाहता हूं, शायद माननीय सदस्य को मेरी बात समझ में नहीं आई।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या क्लीयर करेंगे, आप बोर्ड है या सरकार हैं? आप बोर्ड की कैपेसिटी से जवाब दे रहे हैं या सरकार की कैपेसिटी से? यहां तो सरकार बोलती है, यहां बोर्ड नहीं बोलता है।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार बोल रही है या बोर्ड बोल रहा है? (व्यवधान)

श्रीमती यासमीन अबरार : आप जवाब दें कि वे कौनसे कारण थे जो आपने 31 सड़कों का काम रोका? (व्यवधान) आपके जवाब से मैं एक परसेंट भी संतुष्ट नहीं हूं। आप गोल-गोल घुमाकर जवाब दिये जा रहे हैं। (व्यवधान) आप अपने जवाब को जैसे आपके अधिकारियों ने बताया वैसे घुमाये जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसको और क्लीयर कर देना चाहता हूं, शायद माननीय सदस्या को मेरी बात समझ में आ जाए।

श्रीमती यासमीन अबरार : मैंने इसीलिए शुरू में कहा था कि मैं अध्यक्ष महोदय से संरक्षण चाहूंगी कि आप गोल-गोल घुमाकर बात को कर रहे हैं। आप सीधी-सीधी बात नहीं कर रहे हैं, आप तथ्यों को छुपा रहे हैं। वे कौन-से कारण है जो आपने 31 सड़कों का निर्माण रोक दिया? आपने जो लिस्ट ऑफ सैंक्शन दी है, उसमें मेरे क्षेत्र में कोई काम नहीं हुए हैं। जो चार-पांच आपने दिये हैं यहां.. (व्यवधान) काम हुआ ही नहीं। श्रीमाधोपुर में आपने कितना पैसा खर्च किया है? (व्यवधान) हमारा तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। सवाईमाधोपुर की ही नहीं पूरे राजस्थान की यही स्थिति बना रखी है आपने। (व्यवधान)

श्रीमती कमला कुम्भलाल : मंत्री महोदय, श्रीमाधोपुर का बता दें, श्रीमाधोपुर में कितना पैसा खर्च किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती यासमीन अबरार : सवाईमाधोपुर का बताएं आपने कितना खर्च किया? अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री जी को जवाब देने के लिये कहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सिंघवी साहब, आप बैठिए। रमजान खान जी, आप बैठिए। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : आप तो यह बता दीजिए, श्रीमाधोपुर में कितना पैसा दिया आपने? सारा पैसा खा गये वहां। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : बता देते हैं।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : मंत्री महोदय, मूल भावना सिर्फ यह है कि श्रीमाधोपुर और सवाईमाधोपुर में कितना पैसा खर्च हुआ, जबकि दोनों की राशि एक ही है।

श्री राजेन्द्र पारीक : इनमें से श्रीमाधोपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी सड़कें पास हुई?

श्रीमती शांति पहाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि भरतपुर जिले में खास तौर से मेरे क्षेत्र वैर में कितनी रोड़ स्वीकृत हुई है? कौन-कौन सी पूरी हुई हैं और कौन-कौन सी अधूरी पड़ी हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, सीकर जिले में कुल कितनी सड़कें पास हुई जिनमें से श्रीमाधोपुर क्षेत्र में कितनी हैं? (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को आपके माध्यम से समझाने का प्रयास करना चाहता हूं। मेरी बात उनकी समझ में आ नहीं पाई थी।

श्रीमती यासमीन अबरार : आपकी गोल-गोल बातें किसी के समझ में नहीं आती है।

श्री जगत सिंह दायमा : सारा सदन आपसे असंतुष्ट है। आप एक प्रश्नकर्ता को संतुष्ट नहीं कर सकते, सदन को क्या संतुष्ट करेंगे आप?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आप भी हैं?

श्री यशवन्त सिंह रामू : आप तो यह बता दीजिए, श्रीमाधोपुर में कौन-कौन सी सड़कें अधूरी हैं? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ये अपने आप में क्लीयर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। माहिर साहब, बैठिए आप। हर वक्त बीच में व्यवधान नहीं करना चाहिये।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, यह पहले फैसला करना पड़ेगा कि यह बोर्ड बोल रहा है या सरकार बोल रही है। कहीं सरकार लक्ष्यद्वीप तो नहीं गई हुई है और बोर्ड-बोर्ड यहां रह गया हो। यह फैसला करना पड़ेगा। मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि सरकार ने सहयोग नहीं किया, लगता है सरकार तो लक्ष्यद्वीप गई और बोर्ड-बोर्ड रह गया। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, नाबार्ड के थ्रू आर.आई.डी.एफ.-V

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

के तहत राज्य सरकार ने लोन लिया और लेकर कृषि विपणन बोर्ड को उसकी एजेंसी बनाया। कृषि विपणन बोर्ड को एजेंसी बनाने पर हमने जो फर्स्ट फेज की सड़कें स्वीकृत कीं वे सड़कें स्वीकृत हो चुकीं। फर्स्ट फेज में हमने 275 सड़कें स्वीकृत की थीं जिन पर 8680.22 लाख रुपया खर्च करने के लिये स्वीकृति जारी कर दी। बाकी बची हुई सड़कों के लिये हमने स्वीकृति तो जारी कर दी लेकिन कार्यादेश देने से पहले वित्त विभाग ने उस पैसे को जो राज्य सरकार द्वारा बैंक को वापस चुकाया जाना था, उसकी लायबिलिटी कृषि विपणन बोर्ड को ट्रांसफर कर दी कि कृषि विपणन बोर्ड उसको वापस चुकाएगा न की सरकार। कृषि विपणन बोर्ड यदि चुकाता है तो पूरा का पूरा लोन कृषि विपणन बोर्ड चुकाने में सक्षम नहीं था इसलिए फर्स्ट फेज की जो सड़कें स्वीकृत हुई उनको तो हमने चालू कर दिया। सैकण्ड और थर्ड फेज की जो सड़कें थीं, जो हमको चालू करनी थीं, कृषि विपणन बोर्ड की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह उस भार को झेल सके इसलिए उनको हम शुरू नहीं कर पाये और वे वहीं रुकी पड़ी है। यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्रीमती यासमीन अबरार : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछूंगी कि मैंने जो मूल प्रश्न में पूछा है आप उसके जवाब से मुकर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, नाबार्ड ने सारे का सारा पैसा दे दिया, सैकण्ड फेज के टेण्डर हो गये, वर्क आर्डर रोक रखा है। (व्यवधान)

श्रीमती यासमीन अबरार : कृषि विपणन की बात ही नहीं आती है। मैंने सवाल किया है कि कोई बैंक अथवा वित्तीय संस्था से सड़क निर्माण के लिये ऋण ले रखा है? यह मेरे मानने में नहीं आता है कि आपने नहीं ले रखा है और कहां खर्च किया है। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने जानकारी दे रहा हूं कि हमने विश्व बैंक से कोई लोन नहीं लिया है इस अवधि में, केवल नाबार्ड से लोन लिया है। (व्यवधान)

श्रीमती यासमीन अबरार : विश्व बैंक के अलावा कोई भी वित्तीय संस्था से आपने नहीं लिया है? (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : दूसरी किसी वित्तीय संस्था से नहीं लिया है। माननीय सदस्या, इस तथ्य को छिपाकर मैं क्या रख लूंगा? (व्यवधान) नाबार्ड से लिया है।

श्रीमती यासमीन अबरार : नाबार्ड से जब लिया है (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : नाबार्ड से लिया है। माननीय सदस्या कह रही हैं नाबार्ड के अलावा छुपा रहे हैं, मैं कोई भी तथ्य छुपा नहीं रहा हूं। अब आपकी समझ में

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

नहीं आता तो मेरे पास उसका कोई इलाज नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती यासमीन अबरार : आप यह मान रहे हैं कि हमने नाबार्ड से लिया है तो उसको कहां पर खर्च किया? उसका ब्यौरा आप दे रहे हैं? (व्यवधान) आप मेरी बात सुनिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : नाबार्ड से जो खर्च करने की बात है उसका सारा ब्यौरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दे चुका हूं। (व्यवधान)

श्रीमती यासमीन अबरार : आपने जो ब्यौरा दिया है वह गलत दिया है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : उसके बाद भी आपके समझ में नहीं आता तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। (व्यवधान) जवाब दे दूंगा।

श्री जगत सिंह दायमा : कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जितनी भी सड़कें बनाई गई हैं उनका रख-रखाव बहुत आवश्यक है। सारी सड़कें टूटी हुई हैं।

एक माननीय सदस्य : दूसरा बामनवास से आने वाले सदस्य ने एक सवाल पूछा था..

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर (व्यवधान) नैक्स्ट क्वेश्चन।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, हम संतुष्ट नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, बहुत वक्त चला गया है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : प्रश्न संख्या 61. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दायमा जी, आप बैठिये।

श्रीमती यासमीन अबरार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में पूछना चाहूंगी। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : कृषि उपज मण्डी द्वारा जो सड़कें बनाई गई हैं उनकी मरम्मत की क्या व्यवस्था है? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : प्रश्न संख्या 61

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर आसन पैरों पर आप बैठिये। (व्यवधान) नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सड़कें कृषि मण्डी या विपणन बोर्ड बनाता है उनके रख-रखाव की, मरम्मत की क्या व्यवस्था हो रही है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। दायमा जी, आप बैठ जाइये। श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : प्रश्न संख्या 61

श्री जगत सिंह दायमा : सबसे बड़ा सवाल है कि सारी सड़कें टूट चुकी हैं, सारा पैसा खर्च हो चुका है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सड़कें तो बनें, आगे जाकर मरम्मत की बात होगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री शैलेन्द्र जोशी : प्रश्न संख्या 61.

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, जवाब पूरा नहीं आया इसको स्थगित कर दीजिए।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। किरोड़ीलाल जी, दिलावर जी, माननीय सदस्य, बैठिये। आप भी बैठिये। (व्यवधान) नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : प्रश्न संख्या 61.

श्रीमती यासमीन अबरार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी। (व्यवधान) अभी तक सड़कें नहीं बनी हैं। (व्यवधान) ग्राम डोगरी, रामसिंहपुरा में सड़कें नहीं बनीं।

श्री जगत सिंह दायमा : मंत्री महोदय, जो सड़कें टूट गई हैं और कृषि उपज मण्डी ने बनाई हैं उनकी मरम्मत कौन करेगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है शैलेन्द्र जोशी का। (व्यवधान)

श्रीमती यासमीन अबरार : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को एक सप्लीमैन्ट्री क्वेश्चन भी नहीं पूछने दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैडम, आप बैठिये।

श्रीमती यासमीन अबरार : मेरा सप्लीमैन्ट्री क्वेश्चन तो पूछूं।

श्री अध्यक्ष : आपका उत्तर आ चुका है।

श्री जगत सिंह दायमा : साहब, मेरा एक सप्लीमैन्ट्री क्वेश्चन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पौन घण्टा हो गया और दो प्रश्न ही आये हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्या को संरक्षण दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री जगत सिंह दायमा : सरकार ने सड़कों की मरम्मत की क्या व्यवस्था की है?

एक माननीय सदस्य : नाबार्ड की सड़कों का हर जगह यही हाल हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। डा. रामप्रताप जी, बैठिये। रमजान खान जी, बैठिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नाबार्ड के पैसे का पूरा घपला कर दिया, कोई जवाब ही नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती यासमीन अबरार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक भी सप्लीमैन्ट्री क्वेश्चन नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : मैडम, आ गया है।

श्रीमती यासमीन अबरार : मैंने पूछा ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : आपका उत्तर उन्होंने दे दिया है।

श्रीमती यासमीन अबरार : मैंने पूछा ही नहीं, मेरे विधान सभा क्षेत्र का क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन काल कर लिया है।

श्रीमती यासमीन अबरार : श्रीमाधोपुर में 35 सड़कें कैसे बना लीं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन काल कर लिया है। आसन पैरों पर।

श्रीमती यासमीन अबरार : मेरा सप्लीमैन्ट्री क्वेश्चन है। गत वर्ष ग्राम भूखा और ओरवाड़ा की सड़कें स्वीकृत की गयी थी जिसमें ओरवाड़ा में तो बिलकुल सड़क नहीं बनी है और भूखा में अधूरी बनी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये, आपके प्रश्न का उत्तर आ चुका है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : जो सड़कें टूट गई हैं उनकी मरम्मत का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : दायमा जी, आप बैठिये। नैक्स्ट क्वेश्चन काल कर लिया है, श्री शैलेन्द्र जोशी। आप बैठिये, कोई प्रश्न नहीं है, कोई संबंध नहीं है उससे।

श्री जगत सिंह दायमा : यह इर्रेलेवैंट क्वेश्चन तो है नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। श्री शैलेन्द्र जोशी। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : न तो पी. डब्ल्यू. डी. सड़क बना रही है, न कृषि उपज मण्डी सड़कें बना रही है, न उनकी मरम्मत होती है। कौनसा विभाग सड़कों का रख-रखाव करेगा? कोई मरम्मत नहीं कर रहा, कोई नई सड़कें बना नहीं रहा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सब बात को जानते हैं, आप सीनियर मैम्बर हैं सदन के।

श्री जगत सिंह दायमा : एक प्रश्न है जिसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कोई संबंध नहीं है इस प्रश्न से।

श्री जगत सिंह दायमा : इसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये। सारी सड़कें टूट गई हैं और उनकी मरम्मत नहीं हो रही। आम रास्ते खराब हो गये हैं। यह सवाल अलग से कहां से हो गया? यह रेलेवैंट क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : 45 मिनट में दो क्वेश्चन ही हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन मैंने काल कर लिया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक भी सड़क चलने लायक नहीं है (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : न पी. डब्ल्यू. डी. बना रही है न कृषि उपज मंडी बना रही है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सरकार की और सड़कों की हालत बिलकुल एक जैसी है। जैसी क्षतिग्रस्त सड़कें ऐसी बीमार सरकार।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक भी सड़क नहीं बन पाई। ऐसी बीमार सड़कें, ऐसी क्षतिग्रस्त सड़कें, सारी टूट गई हैं, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, कोई मरम्मत नहीं हो रही है। (व्यवधान) पैसा खा गये, कोई काम नहीं किया (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : जो सड़कें बनायी गयी थीं वे सारी टूट गयी।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, आसन पैरों पर। आप जो कह रहे हैं वह अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री अध्यक्ष : आप जो कह रहे हैं वह अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री मोहन लाल मोदी : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्रीमती शांति पहाड़िया : ×××

श्रीमती यासमीन अबरार : ×××

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री अध्यक्ष : दायमाजी, बैठिये आप। आप नहीं बैठने वाले हैं तो आपका रिकार्ड नहीं होगा। जो कुछ आप कह रहे हैं, प्रश्न से संबंधित नहीं है। श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्रीमती यासमीन अबरार : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप जो कह रहे हैं वह अंकित नहीं होगा। आसन पैरों पर। दिलावर जी, आप बैठिये। श्री शैलेन्द्र जोशी। माहिर आजाद साहब, कृपया बैठिये।

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

61. **श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में वर्तमान में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र चल रहे हैं और कितने बंद हैं तथा बंद होने के क्या कारण हैं?

(2) क्या उक्त केन्द्रों पर प्रति माह पोषाहार दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या? सूची सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती जकिया) : (1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती जकिया)

के अन्तर्गत संचालित बाल विकास परियोजना, बांदीकुई में सभी स्वीकृत 190 आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं, कोई भी केन्द्र बंद नहीं है।

(2) जी, हां। वर्तमान में विवरण किये जा रहे पोषाहार का विवरण निम्नानुसार है :—

1. राजस्थान मिक्स।

2. पंजीरी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जीतमलजी, आप नीचे बैठिये। आसन पैरों पर।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। प्रतापसिंह जी, आप बैठिये। जगत सिंहजी, आप बैठिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री अध्यक्ष : जीतमलजी, बैठिये। आसन पैरों पर। श्री शैलेन्द्र जोशी।

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री रमजान खान : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। दायमाजी, बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि मरम्मत कौन करेगा। मरम्मत पी.डब्ल्यू.डी. करता है। सड़क बनाने का काम इनका है, उसके बाद रिपेयर ये करते हैं। यह गवर्नमेंट का आर्डर है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री मोहन लाल राठौर : ×××

श्री अध्यक्ष : दायमाजी, माहिर आजाद साहब, बैठिये। अलग से प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। श्री शैलेन्द्र जोशी। मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन काल कर लिया है।

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री जगत सिंह दायमा : XXX

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था क्या हो, आप अव्यवस्था फैला रहे हैं। दायमाजी, मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन काल कर लिया है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री जगत सिंह दायमा : XXX

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है आपका। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आवर चलना देना नहीं चाहते हैं इसलिए नाम पुकार कर इनको बाहर करिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री जगत सिंह दायमा : XXX

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न सड़कों का नहीं है। कृषि विपणन बोर्ड की सड़कों का जो प्रश्न था वह माननीय सदस्यों ने पूछा है। इस प्रश्न में आप सड़कों की और दूसरी बात कर रहे हैं उससे इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है। श्री शैलेन्द्र जोशी। दायमाजी, आप बैठिये। आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री जगत सिंह दायमा : XXX

श्री अध्यक्ष : दायमाजी, आप बैठिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री जगत सिंह दायमा : XXX

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : XXX

श्री अध्यक्ष : श्री जगत सिंहजी।

श्रीमती शांति पहाड़िया : XXX

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री जगत सिंह दायमा : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : आप जो कुछ पूछ रहे हैं अंकित नहीं कर रहे हैं। अंकित नहीं होगा। दायमाजी, विराजिए।

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री हेमन्त कुमार : XXX

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री रामस्वरूप : XXX

श्रीमती शांति पहाड़िया : XXX

श्री जगत सिंह दायमा : XXX

श्री अध्यक्ष : आप जो कुछ भी कह रहे हैं अंकित नहीं हो रहा है। दायमाजी, आप बैठिये। आप बैठिये। श्री शैलेन्द्र जोशी।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरा प्रश्न संख्या 61 है। उत्तर पढ़िये।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती जकिया) : (1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के अन्तर्गत संचालित बाल विकास परियोजना, बांदीकुई में सभी स्वीकृत 190 आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं। कोई भी केन्द्र बंद नहीं है।

(2) जी, हां। वर्तमान में वितरण किये जा रहे पोषाहार का विवरण निम्नानुसार है :—

1. राजस्थान मिक्स।

2. पंजीरी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के और मेरे बांदीकुई निर्वाचन क्षेत्र के पोषाहार केन्द्रों में गरीब बच्चों के लिए, जो पोषाहार वितरित किया जाता है, यह बिलकुल सही बात है कि वह नियमित तौर पर नहीं दिया जाता है। माननीय मंत्री महोदया ने जो उत्तर दिया है उससे मैं कतई सन्तुष्ट नहीं हूं।

(12.00 बजे)

पहली बात, जो पोषाहार दिया जाता है उसमें कीड़े और इल्लियां होती हैं और ऐसी स्थिति में (व्यवधान) आप सब्र रखिए, मैं बोल रहा हूं। ऐसी स्थिति में मंत्री महोदया यह बताएं कि फारेन एड से पहले जो पोषाहार आता था, जिसमें न्यूट्रीशन, कैलोरिक वैल्यू होती थी उसको विदड्रा करके यह राजस्थानी मिक्स नाम का पोषाहार क्यों बनाया गया? इसके अतिरिक्त जो पंजीरी है इसके क्या कम्पोनैंट हैं? एक गरीब बच्चे को कुल मिलाकर कितनी कैलोरी पर-डे इस न्यूट्रीशन से मिलती है? वजन में आपने बांदीकुई में कितनी-कितनी पंजीरी और राजस्थान मिक्स नोमेन क्लेचर "अ" पर दिया है वह कितना भेजा है? कुल-मिलाकर जो मूल उद्देश्य है इसको खोलने का, उसका 10 प्रतिशत भी अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आप वास्तविकता बताइये। जिससे कि मैं दूसरा सप्लीमैंट्री क्वेश्चन कर सकूं।

श्रीमती जकिया : एम.एल.ए. साहब का यह कहना कि इसमें कीड़े लगे हुए हैं, सरासर निराधार है।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर) : नहीं, बिलकुल सही कह रहे हैं यह। बिलकुल सही कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बिलकुल सही कह रहे हैं, उसका मैं नमूना भी ला सकती हूं यहां पर। (व्यवधान)

श्रीमती जकिया : आप सवाल का जवाब सुने। (व्यवधान)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय मंत्री महोदया, आप गलतबयानी क्यों कर रही हो?

श्रीमती जकिया : आप तसल्ली रखें, मैं सबका जवाब देने जा रही हूं। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप के घर में कट्टे हैं उनको चैक करवाओ, उनमें भी कीड़े पड़े हुए हैं।

श्रीमती जकिया : आप जवाब सुनना नहीं चाहते तो सवाल क्यों करते हो? (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय मंत्री महोदया, जो आपके घर में कट्टे पड़े हुए हैं उनको चैक करवाओ, उनमें भी कीड़े पड़े हुए हैं। घर में ही चैक करवा लो, बाहर बाद में चैक करवाना। (व्यवधान)

श्रीमती जकिया : अगर ऐसा है जैसे आप कह रहे हैं तो मैं कटिबद्ध हूं, राजस्थान की गवर्नमैंट कटिबद्ध है कि आपकी शिकायत के ऊपर इमीजिएट एक्शन लेकर संबंधित अधिकारी जो दोषी है, उसको पूरी तरह सजा दी जाएगी। (व्यवधान) यह आप मुझे भिजवा दें वहां से।

श्री अमराराम (धोद) : कहां से?

श्रीमती जकिया : आप एम.एल.ए. साहब हैं वहां के। डेफिनिटली यह जो बोल रहे हैं उसमें कोई तथ्य होगा।

दूसरी बात आपने कैलोरी की पूछी। 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए हम 300 कैलोरी और 10 से 12 प्रोटीन (व्यवधान) आप लोग अगर सुनना नहीं चाहते तो फिर सवाल लगाते क्यों हैं? (व्यवधान) अगर आप सुनना नहीं चाहते हो तो सवाल लगाते क्यों हैं? जिसने सवाल लगाया है वह डेफिनिटली सुनना चाहता है। आप बीच में इन्टरफियर क्यों कर रहे हैं?

श्री सांवर लाल : सारे मंत्री एक ही जवाब दे रहे हैं, आप भिजवा दें, लिख दीजिए, यह क्या है? सरकार क्या कर रही है?

श्री अध्यक्ष : सांवर लाल जी, आप बैठिये।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय मंत्री महोदय, मैं सुबह कट्टा पटककर आया हूं आपके यहां, उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, आप उसको चैक करवा लेना। (व्यवधान)

श्रीमती जकिया : पहले जिन्होंने पूछा है उनको सुन लेने दें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : विधान सभा में प्रश्न आना सदन की प्रोपर्टी है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : मदन दिलावरजी, आपके समाज कल्याण मंत्री के काल में तो बहुत बड़ी-बड़ी लटें थीं, कीड़े थे, मकोड़े थे, बिच्छू थे, सब कुछ ही थे।

एक माननीय सदस्य : फिर आप सवाल काहे को पूछ रहे हो? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : नहीं, हमें तो मालूम हुआ, आपके कान में सुनाई नहीं देता। टैम्पनिक मैम्बरेन पर हैम्बरिंग नहीं होता है। आपने तो पूरा का पूरा पोषाहार का पोषाहार डिपार्टमैंट ही गायब कर दिया। समाज कल्याण का आपने जो भट्टा बिठाया, उसकी बात बंद कीजिएगा।

श्री मदन दिलावर : आपको पता है या नहीं, समाज कल्याण के अन्तर्गत (व्यवधान) नहीं आता यह।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके क्रिएटिव एफर्टस ही नहीं हैं सदन के लिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय दिलावरजी, महिला सदन में क्या हुआ था? (व्यवधान) आवासनियों के साथ बलात्कार हुआ था आपके टाइम में तो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके शासन काल में समाज कल्याण का जितना भट्टा बैठा, कभी किसी का नहीं बैठा होगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में चार डीलरों के यहां 13 अक्टूबर को 1800 क्विंटल गेहूं के ड्रम प्राप्त हुए हैं और चार डीलरों के खिलाफ शिकायत (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री महादेव सिंह : चार डीलरों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज की गयी है।

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं। प्रश्नकाल समाप्त।

श्री महादेव सिंह : और पोषाहार का 1800 गेहूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त, पांच मिनट ऊपर हो गये हैं।

श्री महादेव सिंह : चार डीलरों से 1800 क्विंटल प्राप्त हुए। चार डीलरों के यहां गबन पाया गया है, उनके खिलाफ थाने में शिकायत हुई है। (व्यवधान) 188 क्विंटल पोषाहार का गेहूं, बी.पी.एल. का गेहूं

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। अभी अंकित नहीं हो रहा है।

श्री महादेव सिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, सुन लिया उन्होंने।

श्री महादेव सिंह : XXX

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ है, अब प्रश्न के संबंध में कोई भी बात आप कह रहे हैं वह अंकित नहीं होगी। प्रश्नकाल समाप्त, अभी अंकित नहीं होगा। प्रश्नकाल समाप्त हुए 12 मिनट हो गये हैं।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम जी, बैठिये।

श्री महादेव सिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : वह सुन लिया मैंने, बैठ जाइये। प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नागौर में औजार बनाने के कारखानों को प्रोत्साहन

130. श्री हबीबुर्रहमान (मूंडवा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर में औजार बनाने का कार्य/कारखानें कब से हैं और उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है?

(2) क्या सरकार इन्हें राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वोच्च क्वालिटी के औजार बनाने के लिए कच्चा माल भौतिक एवं आर्थिक तथा तकनीकी सुविधाएं, प्रशिक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में विपणन/निर्यात को प्रोत्साहन करके योजना क्रियान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) उक्त प्रकरण में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? योजना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त पुश्तेनीकाल से चल रहे औजार बनाने के कार्य को आधुनिक अर्न्तराष्ट्रीय स्तर की क्वालिटी के बनाने के लिए कब तक योजना बनाकर लागू कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) नागौर में हैण्डटूल्स बनाने का कार्य लगभग 100 वर्षों से स्थापित है। परम्परागत तरीको से जो पूर्व में हैण्डटूल्स बनाये जाते थे ऐसी लगभग 500 इकाइयां स्थापित एवं पंजीकृत है। ये इकाइयां मुख्यतया छोटे-छोटे हाथ के औजार बनाती है, जिसमें सुनारी औजार, घड़ीसाजी औजार, सुथारी औजार इत्यादि मुख्य है। मैकेनाइज्ड तरीकों से हस्त औजार बनाने वाली 65 इकाइयां उत्पादन कर रही है तथा 200 ऐसी इकाइयां भी स्थापित है जो सर्विसिंग, ग्राइंडिंग एवं पोलिशिंग का कार्य करती है। उक्त इकाइयों में प्रत्येक एवं परोक्ष रूप से 4,500 से 5,000 के माध्यम रोजगार मिला हुआ है। तथा इन इकाइयों में अनुमानित प्लान्ट एवं मशीनरी हेतु 3 करोड़ रुपये का व्यय किया हुआ है। हस्त औजार उद्योगों में बाजार

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(उद्योग मंत्री)

का प्रतिस्पर्धात्मक होना, कच्चे माल की स्थानीय उपलब्धता का नहीं होना समस्या प्रमुख है। तकनीकी ज्ञान का अभाव एवं वित्तीय समस्या के कारण पूर्व की तुलना में उत्पादन एवं बिक्री पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

(2 व 3) नागौर के हस्त औजारों की क्वालिटी राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की बनाये जाने की दृष्टि से कार्य योजना के आधार पर नागौर में भारत सरकार द्वारा हस्त औजार डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना दिनांक 14.4.86 को औ. क्षेत्र नागौर में की गई। इस केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मुख्य सेवाओं में तकनीकी, आर्थिक, प्रबन्ध एवं निर्यात संबंधी, प्रशिक्षण सम्बन्धी तथा उद्यमी प्रोन्नति तथा उद्यमियों को उनकी इकाइयों को सफल संचालन में सहयोग एवं विपणन आदि परामर्शदात्री सेवायें सम्मिलित है। कुछ गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सभी सेवायें निशुल्क है। इस केन्द्र में टूल्स रूम स्थापित है, जिसमें परामर्श के साथ-साथ सामान्य सुविधायें सशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इस केन्द्र में एक प्रयोगशाला भी है जिसमें परामर्श के साथ-साथ भिन्न इकाइयों के विशेषकर हस्त औजारों की हार्डनेशन जांच करने की सुविधा सशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। केन्द्र द्वारा परामर्श भी प्रदान की जाती है, जो इस प्रकार है : — तकनीकी, नये उद्योग प्रारम्भ करने की जानकारी इकाइयां के परिसर में तकनीकी सहायता, उत्पाद चयन से लेकर उत्पादन एवं विपणन के क्षेत्र में आवश्यक तकनीकी सहायता, हस्त औजारों के गुणवत्ता में सुधार, प्रबन्धकीय सहायता, आर्थिक पहलुओं से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करना मुख्य कार्य है।

प्रशिक्षण सुविधा : हस्त औजारों के निर्माण की प्रक्रिया में वैज्ञानिक तरीकों से प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, ब्ल्यू प्रिन्ट रीडिंग, ग्राइण्डिग एवं पोलिशिंग, उत्पादन एवं प्रक्रिया, मेटल फिनिशिंग, होट ट्रीटमेन्ट फ़ोरजिंग पैकेजिंग आदि अल्पकालीन प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।

निर्यात संवर्धन : केन्द्र द्वारा देश एवं विदेश में आयोजित प्रदर्शनियों एवं व्यापार मेले में निर्यात संवर्धन के सम्बन्ध में विभिन्न सूचना प्रदान करना, संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों, प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजना करना प्रमुख है।

सामान्य सेवाएं : केन्द्र द्वारा सामान्य इंजीनियरिंग सुविधाएं प्रदान करना निर्धारित शुल्क पर हस्त औजार उद्योगों के औजार, डाइज, जिग्स एवं फिक्चर्स बनाना प्रमुख है।

(4) औजार बनाने के कार्य का आधुनिकीकरण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क्वालिटी को बनाये रखने के लिए हस्त औजार डिजाइनिंग के विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र नागौर में कार्यरत है। यह केन्द्र औज़ार

(उद्योग मंत्री)

बनाने के कार्य के आधुनिकीकरण के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है। इस केन्द्र में परामर्श के साथ-साथ औजारों के स्तर में सुधार हेतु प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है।

परसराम नगर ढहर का बालाजी जयपुर का नियमन प्रकरण

131. **श्री देवीलाल (शाहपुरा)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि परसराम नगर, ढहर का बालाजी में मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा आवंटित स्कीम नम्बर 3,4,5 एवं 5 (अ) का नियमन सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इसके लिए कब तक शिविर लगाकर नियमन की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त स्कीम में आवंटित प्लाट धारियों के नाम, उनके प्लाट की साइज व नक्शे सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना नं. 5 एवं 5 ए तकनीकी रूप से अनुमोदित है लेकिन समिति द्वारा स्वामित्व संबंधी दस्तावेजात एवं इकरारनामा/ विक्रय-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण कैम्प आयोजित नहीं किया गया है। योजना नं. 3 विचाराधीन है तथा योजना नं. 4 के दस्तावेजात समिति ने प्रस्तुत नहीं किये हैं।

(2) समिति द्वारा प्रस्तुत योजना नं. 3 एवं 5ए के प्लाटधारियों की सूची पताका "अ" व "ब" पर संलग्न है तथा योजना नं. 4 व 5 के प्लाट धारियों की सूची समिति द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। योजना नं. 3, 5 एवं 5ए के नक्शे की प्रति पताका "स", "द" एवं "य" पर संलग्न है तथा योजना नं. 4 का नक्शा समिति द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है। कैम्प आयोजित नहीं होने के कारण प्लाटों के पट्टे नहीं दिये गये हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नगरपालिका जालौर के बाल विद्यालय की अध्यापिका का वेतन निर्धारण

132. **श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती निर्मला बोहरा नगरपालिका जालौर द्वारा चलाई जा रही बाल विद्यालय में अध्यापिका हैं? यदि हां, तो उसको मासिक कितना वेतन भुगतान किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अध्यापिका का वेतन निर्धारण करने हेतु नगरपालिका बोर्ड जालौर द्वारा कोई निर्णय लिया गया है? यदि हां,

(श्री अमराराम चौधरी)

तो निर्णय कब लिया गया तथा क्या निर्णय लेने की तिथि से अब तक पूरे वेतन के एरियर सहित उसे भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापिका को वेतन निर्धारण की पत्रावली निदेशक स्थानीय निकाय एवं स्वायत्त शासन विभाग में विचाराधीन है? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी, हां। श्रीमती निर्मला बोहरा को 3280/- रुपये मासिक भुगतान किया जा रहा है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां। इस सम्बन्ध में शीघ्र ही उचित कार्यवाही की जावेगी।

स्वायत्तशासी संस्थाओं में स्वीकृत अभियन्ताओं के रिक्त पद

133. **श्री केसाराम चौधरी (खारची) :** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नगरपालिका सेवा में अधिशासी/सहायक अभियन्ता (सिविल मेकेनिक, आटोमोबाइल) के कुल कितने पद कहां-कहां पर स्वीकृत हैं तथा उक्त पदों पर कौन-कौन कब-कब से कार्यरत है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कतिपय निगमों/पालिकाओं/परिषदों में स्टाफिक पैटर्न के अनुरूप पद स्वीकृत नहीं होने के उपरान्त भी पद स्वीकृत कर रखे हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर सूची सदन की मेज पर रखें? क्या सरकार ऐसे पदों को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि पालिका/परिषदों/निगमों द्वारा उक्त पदों की स्वीकृति सरकार से ली गई है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? नियमों एवं स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) गत तीन वर्षों में जिन-जिन पालिका/परिषदों/निगमों में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद स्वीकृत हैं उनमें कितनी राशि के निर्माण कार्य कराये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि दिनांक 15-11-1997 के आदेश द्वारा कतिपय परिषदों/पालिकाओं/निगमों में सहायक अभियन्ता (सिविल) के 19 व अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के 4 पद स्वीकृत किये गये थे? यदि हां, तो क्या इनकी स्वीकृति वित्त विभाग से ली गई थी? यदि हां, तो स्वीकृति के प्रति सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेश के जारी होने के उपरान्त भी आज

(श्री केसाराम चौधरी)

तक उक्त पद रिक्त चल रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे पदों को वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(7) क्या सरकार जिन पालिका/निगमों/परिषदों में स्टाफिक पैटर्न व सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित निर्माण कार्यों के मानदण्डानुसार से अधिक पद हैं उन्हें समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(8) राज्य की विभिन्न नगरपालिका/निगम में कितने कनिष्ठ अभियन्ता एवं अभियांत्रिकी अधीनस्थ के पद स्वीकृत हैं एवं उक्त पदों पर कौन-कौन कब-कब से कार्यरत है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान नगर पालिका सेवा में अधिशाषी अभियंता (सिविल, मेकेनिकल, आटोमोबाइल) के कुल 15 पद तथा अधिशासी अभियंता (मेकेनिक) के 3 पद स्वीकृत हैं। उक्त पद कहां-कहां स्वीकृत हैं तथा कौन-कौन कार्यरत हैं, का विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

(2) जी, हां। निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न काफी पुराना होने के कारण निगम/परिषद/पालिकाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए पैटर्न के अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति राज्य सरकार की अनुमति से प्रदान की जाती है। अतः ऐसे सृजित पदों को समाप्त करने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

(3) भाग सं.2 में इसका उत्तर निहित है।

(4) गत तीन वर्षों में जिन नगर निगम/परिषद/पालिकाओं में सहायक अभियंता (सिविल) के पद स्वीकृत किये गये, उनकी सूची संलग्न है तथा विगत तीन वर्षों में निर्माण कार्यों पर व्यय की गई राशि की सूचना एकत्रित करने में समय लगेगा। फिलहाल दिया जाना सम्भव नहीं है।

(5) जी, हां। उक्त पदों की स्वीकृति वित्त विभाग से लिया जाना आवश्यक नहीं था। क्योंकि इन नगर निगम/परिषदों/पालिका में व्यय भार राज्य के वित्त कोष की अपेक्षा स्थानीय निकायों को ही वहन करना पड़ता है। इसलिये वित्त विभाग की सहमति लिया जाना आवश्यक नहीं है।

(6) जी, नहीं। उक्त समस्त पद रिक्त नहीं है, किन्तु अधिकांश पद रिक्त चल रहे हैं। जिनको नगरपालिकाओं की आवश्यकता के अनुसार सृजित किया गया था तथा इन पदों को पालिकाओं की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये समाप्त किये जाने का कोई विचार नहीं है। इन

(स्वायत्त शासन मंत्री)

पदों को शीघ्र ही भरने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(7) चूंकि विभागीय अभियंताओं पर राजस्थान नगरपालिका सेवा नियम के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्ड ही लागू हैं तथा स्टाफिंग पैटर्न के अतिरिक्त स्वीकृत किये गये पद विभिन्न नगर निगमों/परिषदों/ पालिकाओं की आवश्यकता को दृष्टिगत रखकर ही राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। अतः इन्हें समाप्त करने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

(8) राज्य की विभिन्न नगर पालिका/ परिषद/निगम में कुल 223 पद कनिष्ठ अभियंता/अभियांत्रिकी अधीनस्थ के स्वीकृत हैं, इन पदों पर कार्यरत अभियंताओं की सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

नेहरू बाजार जयपुर में नियम विरुद्ध सार्वजनिक शौचालय

134. **श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) :** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जयपुर शहर स्थित परकोटे से पांच मीटर दूरी पर निर्माण किये जाने पर रोक लगाई गई है? यदि हां, तो जयपुर के नेहरू बाजार में नगर निगम द्वारा सार्वजनिक शौचालय परकोटे से सटाकर बनाये जाने के क्या कारण है? क्या इससे नियमों की अवहेलना नहीं हो रही है? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जयपुर नगर निगम के बाइलाज के अनुसार परकोटे से 5 मीटर की दूरी तक सामान्यतः किसी भी नवीन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। नेहरू बाजार में बनी हुई सभी दुकानें परकोटे से सटकर ही बनी हुई है तथा इसी अनुरूप पूर्व में बना हुआ मूत्रालय एवं शौचालय भी परकोटे से सटकर ही बना हुआ था। जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण जनसुविधाओं को ध्यान में रखते हुये उसी स्थान पर आधुनिक शौचालय का निर्माण भवन रेखा के अनुसार करवाया गया है। इसमें नियमों की अवहेलना नहीं की गई है, न ही इसके लिये कोई दोषी है।

नगर परिषद् ब्यावर (अजमेर) में जन सुविधा हेतु आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण

135. **श्री के. सी. चौधरी (ब्यावर) :** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्षों में नगर परिषद् ब्यावर में कितने आवासीय/व्यावसायिक भवनों का वैध/अवैध निर्माण हुआ है? सूची सदन

(श्री के. सी. चौधरी)

की मेज पर रखें। क्या उक्त सभी भवनों की गृह कर की वसूली नगर परिषद् कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) गत पांच वर्षों में नगर परिषद् ब्यावर की सीमा में कितनी आवासीय कालोनियों की स्वीकृति प्रदान की गई? उक्त की संख्या मय प्रत्येक में सुविधाओं के लिये आरक्षित भूमि (फैसिलिटी) के सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त कालोनियों में सुविधा हेतु आरक्षित भूमि पर कतिपय व्यक्तियों ने नाजायज कब्जा/निर्माण कर लिया है? यदि हां, तो क्यों? क्या नगर परिषद् द्वारा उक्त भूमि को नाजायज कब्जों से मुक्त कराने हेतु कोई कार्यवाही की गई? अब उक्त अतिक्रमण कब तक हटा दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या कुछ कालोनाइजर्स ने सुविधा हेतु आरक्षित भूमि पर प्लाट काटकर बेच दिये हैं? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में नगर परिषद्, ब्यावर में हुये निर्माण कार्यों की सूची संलग्न है। उक्त भवनों के गृहकर की वसूली नगर परिषद् द्वारा नहीं की गई है। जिसके सम्बन्ध में जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(2) गत पांच वर्षों में नगर परिषद ब्यावर की सीमा में 30 (तीस) आवासीय कालोनियों की स्वीकृतियां जारी की गई हैं, जिनमें प्रत्येक में सुविधाओं के लिये आरक्षित भूमि (फैसलिटी) आदि का विवरण संलग्न है।

(3) जी, नहीं।

(4) जी, नहीं। परिषद् के रेकार्ड के अनुसार ऐसा कोई प्रकरण ध्यान में नहीं आया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सूरजपोल दरवाजा जयपुर के पास अतिक्रमण

136. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सूरजपोल दरवाजा जयपुर स्थापना के समय से ही बना हुआ है एवं दरवाजे के बाहर सूरजपोल मण्डी नागतलाई बस्ती, गोरधनपुरी, लक्ष्मीनारायणपुरी, देशभूषण नगर आदि घनी आबादी वाली बस्तियां बसी हुई हैं और विवाहस्थल, नृसिंह मंदिर, आनन्दबाड़ी, गोरधन जी का मंदिर आदि भी हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि दरवाजे के दोनों तरफ अतिक्रमण हो रहे हैं? क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है?

(3) क्या दरवाजे की दोनो मोरियां खोलकर यातायात को सुगम बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां,

(श्री भंवरू खान)

तो उक्त योजना को कब तक अमल में ला दिया जायेगा और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। अतिक्रमण हटाने हेतु कार्यवाही की जावेगी।

(3) वर्तमान में इस सम्बन्ध में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

नेमीसागर कालोनी, क्वींस रोड जयपुर का डामरीकरण

137. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जुलाई से अक्टूबर, 2000 तक जयुपर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर की विभिन्न आवासीय कालोनियों में सड़क निर्माण/डामरीकरण कार्य करवाया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन सी आवासीय योजना में सड़क निर्माण/डामरीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में नेमीसागर कालोनी, क्वींस रोड, जयपुर के कुछ हिस्से में ही सड़क निर्माण/डामरीकरण कार्य प्राधिकरण द्वारा करवाया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त कालोनी के शेष बचे हिस्से में भी सड़क निर्माण/डामरीकरण कार्य पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। जिन आवासीय कालोनियों में सड़क निर्माण/डामरीकरण कार्य कराया जा रहा है। सूची-"अ" संलग्न है। जिन कालोनियों में डामरीकरण पूर्ण हो गया है उसकी सूची-"ब" संलग्न है।

(2) जी, हां। इस योजना में उपलब्ध जमा राशि के आधार पर कार्य करवाया गया है।

(3) जी, हां। नेमीसागर कालोनी के नियमन के उपरान्त जमा नियमन राशि के आधार पर कार्य करवाया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

सीकर रोड जयपुर पर प्रस्तावित ट्रान्सपोर्ट नगर

138. श्री कालूलाल खोईवाल (गंगरार) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर रोड पर ट्रान्सपोर्ट नगर बनाने की कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो इसमें भूखण्ड आवंटन की क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है? आवंटन प्रक्रिया की प्रति सदन की मेज पर रखे।

(2) उक्त योजना के सम्बन्ध में कितनी भूमि अवाप्त की गई है? क्या सरकार का और भूमि अवाप्त करने का विचार है?

(श्री कालूलाल खोईवाल)

यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सीकर रोड पर अनाज मण्डी का निर्माण करवाया जाना भी प्रस्तावित है? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होना प्रस्तावित है और इसके लिए कितनी भूमि अधिगृहीत की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। सीकर रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की योजना विचाराधीन है। योजना बनने पर ही आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित की जावेगी।

(2) उक्त योजना संबंध में 139.77 हैक्टेयर भूमि अवाप्त करने के प्रस्ताव है। धारा 4(1) की अधिसूचना का प्रकाशन हो चुका है जो परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है। अन्य भूमि का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) अनाज मण्डी का निर्माण कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा करवाया जाना प्रस्तावित है। अतः इसकी जानकारी कृषि उपज मण्डी समिति से संबंधित है। इसके लिए ग्राम माचेड़ा तहसील आमेर में 30 बीघा 12 बिस्वा भूमि प्राधिकरण द्वारा कृषि उपज मण्डी को आवंटित की गई है। जिसका कब्जा भी संभलवा दिया गया है।

(अधिसूचना की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

परसराम नगर ढहर का बालाजी से झोटवाड़ा तक प्रस्तावित सड़क

139. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण की परसराम नगर, ढहर के बालाजी से झोटवाड़ा तक भवानी निकेतन बीड़ से नाला, सीवरेज लाइन व सड़क निर्माण करने की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो योजना का विवरण मय मानचित्र के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कथित भवानी निकेतन शिक्षा समिति द्वारा परसराम नगर ढहर का बालाजी से झोटवाड़ा निकलने वाले रास्तों पर दीवार बनाकर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है? क्या सरकार उक्त अतिक्रमण की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) भवानी निकेतन शिक्षा समिति की कितनी भूमि पट्टे में इन्द्राज है और मौके पर वर्तमान में कितनी भूमि पर अतिक्रमण है? क्या सरकार इसकी जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? मूल पट्टे की प्रति मय खसरा नम्बर व मानचित्र के विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। कोई भी योजना प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी, हां। भवानी निकेतन शिक्षा समिति द्वारा किये गये कथित अतिक्रमण

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

की शिकायत मिली है, जिस पर जांच की जा रही है।

(3) भवानी निकेतन शिक्षा समिति को पट्टे में दी गई भूमि के वास्तविक रकबे एवं कब्जे बाबत जांच चल रही है।

पुराना विद्याधर नगर में आवंटित आवासों के बेचान की प्रक्रिया

140. **श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विद्याधर नगर ए.बी.सी.डी. ब्लाक में आवास हेतु ई. डब्लू. एस. क्वार्टर किन-किन को आवंटित किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवंटित मकान किन शर्तों पर हैं और इन पर निर्माण करने के लिये क्या कोई दिशा निर्देश अथवा मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो मानदण्ड/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या प्राधिकरण की अनुमति से आवंटिति कुछ आवासों का उपयोग व्यावसायिक प्रयोजन से किया जा रहा है? यदि हां, तो ऐसे आवासों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा आवंटित आवासों के हस्तान्तरण, नाम परिवर्तन व पंजीयन करने की क्या प्रक्रिया विद्यमान है? उक्त नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार आवासन मण्डल की भांति इन मकानों का हस्तान्तरण, नाम परिवर्तन व पंजीयन करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में किन-किन आवास आवंटियों को एन.ओ.सी., लीज डीड, शहरीजमा बंदी, प्रमाण-पत्र दिये गये हैं। सूची व निर्धारित फीस का विवरण सदन व मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग (5) में दर्शाये गये प्रमाण पत्र लीज डीड इत्यादि प्राप्त करने में कार्य जटिलता एवं समय लगने के कारण आवंटियों को कठिनाइयां हो रही है? यदि हां, तो क्या इसके समाधान के लिये सरकार ने कोई नीति बनाई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। विद्याधर नगर योजना में ए.बी.सी.डी. ब्लाक में ई.डब्लू.एस. आवास गृह (क्वार्टर्स) के आवंटन की सूची परिशिष्ट-"अ" संलग्न है।

(2) आवंटित आवास गृहों में निर्माण करने के नियम, मानदण्ड आदि तय है, जिनकी प्रति परिशिष्ट-"डी" संलग्न है।

(3) जी, नहीं। प्राधिकरण ने किसी भी आवास गृह के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति नहीं दी है।

(4) 1. आवंटित आवास गृहों के नाम परिवर्तन व हस्तान्तरण की प्रक्रिया है। भूमि एवं सम्पत्ति समिति के निर्णय की प्रति परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

2. राजस्थान आवासन मण्डल की भांति नाम परिवर्तन, हस्तान्तरण व पंजीयन में सरलीकरण की कार्यवाही फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

(5) जी, हां। सूची परिशिष्ट-"ए" पर व नियमों व आदेश/निर्णय की प्रति परिशिष्ट-"सी" व "डी" पर संलग्न है।

(6) बिन्दु संख्या-5 में दर्शाये गये प्रमाण-पत्रों के जारी करने में कोई जटिलता व समय नहीं लगता है। आवंटियों के द्वारा नियमानुसार समस्त बकाया जमा कराने पर चाहे गये प्रमाण पत्र व लीजडीड जारी किये जा रहे हैं।

(सूची व प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नगर नियोजक अलवर द्वारा भूतल बनाने की स्वीकृति

141. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर विकास न्यास अलवर में नगर नियोजन द्वारा कितने प्रकरणों में भूतल बनाने की अनुमति दी गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ऐसे प्रकरण भी है जिनमें भूतल बनाने की अनुमति देने के बाद फिर अनुमति निरस्त की गई हो? यदि हां, तो उक्त संबंधी समस्त दस्तावेज की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नगर विकास न्यास अलवर भूतल एवं ऊपर के मकान एक साथ बनाने की इजाजत देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास अलवर द्वारा उसके क्षेत्राधिकार में विक्रय किये गये आवासीय एवं व्यावसायिक तथा अन्य कच्ची बस्तियों व मौहल्लों में आवासीय एवं व्यावसायिक आदि निर्माण स्वीकृतियां नियमानुसार जारी की जाती है। सूची तैयार की जा रही है।

(2) ऐसे कोई प्रकरण नहीं हैं।

(3) नगर विकास न्यास अलवर द्वारा भूतल एवं ऊपर के मकान एक साथ बनाने की इजाजत जारी की जाती हैं।

सूर्यनगर कालोनी जयपुर की सड़क पर अतिक्रमण

142. श्री रामचन्द्र सराधना (जमुवा-रामगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर के मास्टर प्लान के अनुसार सूर्य नगर कालोनी स्कीम सं. नं. 10 की प्रमुख सड़क कितनी चौड़ी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बैंक कालोनी महेश नगर विस्तार-बी के मध्य जो सड़क है वह 40 फिट चौड़ी है और यही सड़क सूर्य नगर की उक्त सड़क से मिलती है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सूर्य नगर की सड़क पर कुछ व्यक्तियों द्वारा मकान की बाउन्ड्रीवाल को आगे बढ़ाकर

(श्री रामचन्द्र सराधना)

अतिक्रमण कर सड़क के बिजली के खम्बे तक को प्लाट में मिला लिया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटवा कर सड़क को चौड़ा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति की सूर्य नगर योजना तकनीकी रूप से अनुमोदित नहीं है। सैक्टर प्लान के अनुसार सूर्य नगर कालोनी स्कीम नं. 10 की प्रमुख सड़क 60 फीट चौड़ी है।

(2) जी, हां। महेश नगर विस्तार की बैंक कालोनी की बीच की सड़क 40 फीट चौड़ी है। यह सड़क सूर्य नगर की उक्त 60 फीट चौड़ी सड़क से नहीं मिलती है।

(3) जी, नहीं। 60 फीट चौड़ी उक्त सड़क पर किसी भी भूखण्डधारी द्वारा अतिक्रमण कर बिजली के खम्भे को अपने भूखण्ड में शामिल नहीं किया गया है इस सड़क पर कुछ स्थानों पर सड़क सीमा में अतिक्रमण है जिसको विधिक प्रक्रिया अपनाकर हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

काआपरेटिव कालोनी जयपुर की सड़क पर अतिक्रमण

143. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) अजमेर रोड, जयपुर स्थित काआपरेटिव कालोनी के अन्दर राठी पैट्रोल पम्प के पास से जाने वाली सड़क की चौड़ाई कितनी प्रस्तावित है?

(2) क्या उक्त कालोनी के वासियों को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टे जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या काआपरेटिव कालोनी के अन्दर जाने वाली सड़क पर किसी व्यक्ति ने अनधिकृत अतिक्रमण कर रखा है? यदि हां, तो किसने?

(4) क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाने तथा सड़क को अनुमोदित नक्शानुसार चौड़ा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अजमेर रोड स्थित काआपरेटिव कालोनी के अन्दर राठी पैट्रोल पम्प के पास से जाने वाली सड़क काआपरेटिव कालोनी का हिस्सा नहीं है। यह निजी खातेदार की भूमि है। काआपरेटिव कालोनी के अन्दर इस सड़क से मिलने वाली सड़क की चौड़ाई तकनीकी रूप से अनुमोदित मानचित्र में 30 फुट प्रस्तावित की गई है।

(2) जी, हां। 26 व्यक्तियों को जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा पट्टे जारी किए गये हैं। शेष आवंटियों के द्वारा नियमन हेतु प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण पट्टे जारी नहीं किए गये हैं।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) जी, नहीं।

(4) बिन्दु संख्या-3 के उत्तर की रोशनी में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

चौड़ा रास्ता एवं हवामहल बाजार जयपुर के बरामदे

144. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर को हैरिटेज सिटी बनाने के उद्देश्य से किस-किस बाजार को विकसित किया गया है तथा किन-किन बाजारों के बरामदे/इकढालिये व्यापारियों के निजी माने गये हैं? जांच समिति के प्रतिवेदन सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिन-जिन बाजारों में इकढालिये/बरामदे निजी थे, उनके आगे राज्य सरकार द्वारा नये बरामदे अपने स्तर पर निर्मित किये गये हैं? यदि हां, तो इन पर राज्य सरकार एवं व्यापारियों की कितनी राशि व्यय हुई है? बाजार, दुकानों वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कुछ बाजारों के व्यापारियों को अपने निजी इकढालियों के आगे बरामदे बनाने हेतु व्यापार संघ की मार्फत ज्ञापन दिये गये हैं? यदि हां, तो उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसे बाजारों में जैसे चौड़ा रास्ता/हवामहल बाजार में भी इकढालियों के आगे बरामदे बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर को हैरिटेज सिटी बनाने के उद्देश्य से चांदपोल बाजार, किशनपोल बाजार, गणगौरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़ के खन्दों, रामगंज बाजार, जौहरी बाजार, नेहरू बाजार एवं बापू बाजार को विकसित किया गया है। निजी बरामदों के बारे में सर्वे नहीं किया गया है।

(2) जी, नहीं। किसी भी निजी बरामदे के आगे राज्य सरकार के द्वारा नया बरामदा नहीं बनाया गया है।

(3) जी, हां। ज्ञापन दिये गये हैं, उन पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

(4) जी, हां। यह प्रश्न अभी राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

तहसील सांगोद (कोटा) के ग्रामों में अवैध खनन

145. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील सांगोद (कोटा) की ग्राम पंचायत क्षेत्र लटूरी, बपावर कलां व मोइकलां क्षेत्र या इसके आस-पास विभाग द्वारा कितने किस माप के खनन पट्टे जारी किये हुए हैं? प्रत्येक पट्टाधारी के नाम व पते सहित इनके आवंटन पत्र व सहमति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खनन क्षेत्र आबादी से कितनी दूर होना चाहिए तथा क्या बारूद से ब्लास्टिंग

(श्री मदन दिलावर)

की भी छूट दी हुई है? यदि हां, तो किस-किस को अनुमति दी हुई है? अनुमति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त लीज में से कोई लीज तालाब के किनारे या उसके आंशिक भाग को छूती हुई है? यदि हां, तो क्या ऐसी लीज को जब ग्रामवासियों को आपत्ति हो तथा तालाब को खतरा हो तो लीज निरस्त की जावेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

(4) क्या पट्टाधारी जहां लीज पर हुई है उसी माप क्षेत्र में क्या कर रही हैं? यदि नहीं, तो अवैध खनन क्यों कराया जा रहा है?

(5) क्या यह सही है कि ग्रामवासी इस सम्बन्ध में शिकायतें कर रहे है यदि हो तो गत पांच वर्षों में कितनी प्राप्त हुई तथा उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने क्या कार्यवाही की। यदि नहीं, तो क्यों?

(6) वन विभाग की भूमि से कितनी दूरी पर खनन हेतु पट्टा जारी किया जा सकता है तथा क्या उक्त खनन हेतु दिये हुये पट्टों में इसकी पालना हो रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(7) क्या यह सही है कि उक्त पट्टाधारी अपने आवंटित क्षेत्र से बाहर गलत सीमांकन कर खनन कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो क्या खनिज विभाग के मौके पर जाकर पुनः सीमांकन कर इसकी पुष्टि कर ली है? यदि हां, तो कब व किसने?

उत्तर

(1) वर्णित क्षेत्र में खननपट्टे खनिज मेसेनरी स्टोन के लिए स्वीकृत किये गये हैं। पट्टों की नाप व अन्य विवरण एनेक्चर-1 पर उपलब्ध है। आवंटन पत्र की प्रतियां एनेक्चर-2 पर उपलब्ध है। प्रश्न में वांछित सहमति पत्र का आशय स्पष्ट नहीं है।

(2) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियमावली, 1986 के अन्तर्गत खनन कार्य आबादी से 45 मीटर दूर होना आवश्यक है। खान विभाग द्वारा ब्लास्टिंग के संबंध में कोई छूट नहीं दी गई है। खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग के संबंध में केन्द्र सरकार के एक्सप्लोजिव अधिनियम, माइन्स एक्ट व उसके अन्तर्गत बनने वाले नियमों की पालना की जाती है।

(3) जी, हां। एक खननपट्टा एम.एल.नं. 136/92 श्री अब्दुल रइस का तालाब की सीमा पर है। ग्रामवासियों की कोई शिकायत इस खनन पट्टे के संबंध में प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु जांच कराने से ज्ञात हुआ है कि इस खनन पट्टा क्षेत्र में पिछले चार माह से खनन कार्य बन्द है। पूर्व में खनन कार्य तालाब की पाल से 45 मीटर छोड़कर किया गया है। तालाब की पाल को किसी तरह का खतरा होना पाया जायेगा तो पट्टे के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(राज्य मंत्री, खनिज)

(4) जी, हां। अब तक विभाग में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार खनन पट्टाधारियों द्वारा जहां पर खनन पट्टे स्वीकृत किये हुए हैं उसी स्थान पर उनके द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है फिर भी क्षेत्र की पुनः जांच की जा रही है।

(5) ग्रामवासियों द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है, परन्तु ब्लाक कांग्रेस कमेटी (ई) के महामंत्री श्री रमेशचन्द्र मंगल द्वारा एक शिकायत दिनांक 10.7.2000 को की गई थी जिसकी जांच दिनांक 19.7.2000 को की गई। जांच के दौरान कोई अवैध होना नहीं पाया गया और खनन कार्य बरसात के कारण बन्द था।

(6) वन भूमि से 7.50 मीटर की दूरी पर खनन कार्य किये जाने का प्रावधान है। वर्णित क्षेत्र में स्वीकृत 4 खनन पट्टों में से 3 खनन पट्टों में वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही स्वीकृति दी गई है। एक खननपट्टा वन भूमि में स्वीकृत था जिसके डायवर्सन की कार्यवाही की जा रही थी, परन्तु पट्टाधारी ने दिनांक 17.10.2000 को पट्टे को अभ्यर्पित करने के लिए आवेदन किया है जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

(7) जी, नहीं। जैसा कि प्रश्न के भाग संख्या-4 में अंकित किया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पुलिस चौकी पचलंगी (झुंझुनूं) हेतु भवन निर्माण

146. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला झुंझुनूं में कितनी कहां-कहां पर पुलिस चौकियां स्थापित हैं और उनमें कितना-कितना पुलिस बल तैनात है तथा चौकियों के लिये भवनों की क्या व्यवस्था है?

(2) क्या सरकार के सम्मुख भवन रहित चौकियों के लिये भवन बनवाने की व्यवस्था हेतु धन उपलब्ध करवाने की कोई योजना है?

(3) क्या सरकार पुलिस चौकी पचलंगी के लिये भवन बनवाने हेतु धन उपलब्ध करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जिला झुंझुनूं के विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्रों में कुल 15 पुलिस चौकियां स्थापित है। जिनमें तैनात पुलिस बल एवं उनके लिए उपलब्ध भवनों का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वर्तमान में भवन रहित चौकियां हेतु ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। अतः भवन निर्माण सम्भव नहीं है।

(3) पुलिस चौकी पचलंगी के भवन निर्माण हेतु ग्राम पचलंगी में भूमि आवंटित

(गृह मंत्री)

हो गई है। वित्तीय संसाधनों की कमी से भवन निर्माण करवाना सम्भव नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

पुलिस थाना वैशाली नगर जयपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 137/1994

147. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना वैशाली नगर, जयपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 137/94 दर्ज हुई? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसंधान में बहुत अधिक विलम्ब हुआ? यदि हां, तो विलम्ब क्यों हुआ ? यदि हो तो विलम्ब क्यों हुआ और नहीं, तो कैसे?

(3) क्या उक्त प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट दी जा चुकी है? यदि हां, तो? अंतिम रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जून, 2000 में उक्त प्रकरण में अनुसंधान बाबत एक प्रार्थना-पत्र महानिदेशक पुलिस जयपुर को प्राप्त हुआ? यदि हां तो अब तक अनुसंधान क्यों नहीं किया गया और उक्त प्रार्थना-पत्र का जवाब प्रार्थी को क्यों नहीं दिया गया?

(5) अब उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट का अनुसंधान कब तक करवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि दिनांक 20.7.1994 को थाना वैशालीनगर पर श्री दौलतराम खत्री की रिपोर्ट पर अभियोग सं.-137/94 धारा 420, 406, 120 बी. भादस के अन्तर्गत दर्ज किया गया है।

अभियोग में बाद अन्वेषण दिनांक 23.5.1995 को अंतिम प्रतिवेदन अदम वकू सिविल नेचर में दिया गया। अभियोगी श्री खत्री के परिवाद पर इस अभियोग का पुनः अनुसंधान दि. 23.9.2000 से किया जा रहा है। अभियोग अभी अनुसंधानाधीन है।

(2) यह सही नहीं है कि अनुसंधान में विलम्ब हुआ हो। अभियोग दिनांक 20.7.1994 को पंजीबद्ध हुआ एवं बाद अनुसंधान दिनांक 23.5.1995 को अदम वकू सिविल नेचर में अंतिम प्रतिवेदन दिया गया। प्रकरण मात्र 13 माह अनुसंधानाधीन रहा है।

(3) जी, हां। प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट दी जा चुकी थी। जिसकी प्रति परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(4) श्री दौलत राम खत्री ने 5 जुलाई, 2000 को एक परिवाद जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, महानिदेशक एवं पुलिस अधीक्षक जयपुर शहर को सम्बोधित, अभियोग के अनुसंधान बाबत पुलिस अधीक्षक जयपुर शहर दक्षिण को प्रेषित किया था। जिस पर उक्त अभियोग का पुनः अनुसंधान प्रारम्भ किया

(गृह मंत्री)

गया है। अनुसंधान पूर्ण होने पर नतीजे से प्रार्थी को अवगत करा दिया जावेगा।

(5) पुनः अनुसंधानत्वरित गति से किया जा रहा है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

आर. ए. सी. टोंक का नियुक्ति प्रकरण

148. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1994-95 में 9वीं बटालियन आर. ए. सी. टोंक में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग की सूची में कई अन्य आशार्थियों को नियुक्त किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(2) वर्ष 1994-95 में उक्त वर्गों की भर्ती में नियुक्त आशार्थियों के नियुक्ति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सत्य नहीं है कि वर्ष 1994-95 में 9वीं बटालियर आरएसी. टोंक में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग की सूची में कई अन्य आशार्थियों को नियुक्त किया गया। वर्ष 1994-95 में 9वीं बटालियन में 70 कानस्टेबिल की भर्ती की गई थी, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर पद्धति के अनुसार की गई थी, जिसमें 12पद अनुसूचित जाति, 9 पद अनुसूचित जन जाति तथा 15 पद अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित थे, जो नियमानुसार भरे गये हैं। अनुसूचित जन जाति का एक पद का बैकलाग था, जो भी इस भर्ती में एक आशार्थी को अधिक लिया जाकर पूर्ण किया गया था।

(2) आशार्थियों के नियुक्ति आदेशों की सत्य प्रति परिशिष्ट-"क" से "क-4" संलग्न है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील राजगढ़ (चूरू) के सीमा क्षेत्र के पुलिस थानों में अतिरिक्त स्टाफ

149. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि तहसील राजगढ़ चूरू के तीन पुलिस स्टेशन हरियाणा की सीमा से लगते हुए हैं? क्या सिधमुख, राजगढ़, हमीरवास में हरियाणा के अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति चोरी, मारपीट, डोडा पोस्त, अफीम, एवं शराब की तस्करी करते हैं और आये दिन घटनाएं होती रहती हैं?

(2) क्या सरकार ऐसी स्थिति में सीमा से लगे थानों में पुलिस स्टाफ में वृद्धि का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि जिला चूरू के तीन पुलिस स्टेशन सिद्धमुख, राजगढ़

(गृह मंत्री)

एवं हमीरवास हरियाणा राज्य की सीमा से लगते हुए हैं। पुलिस स्टेशन सिद्धमुख राजगढ़ एवं हमीरवास क्षेत्र में हरियाणा के आपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों के विरुद्ध वर्ष 2000 में 22 आपराधिक मामले पंजीबद्ध किये गये हैं। जिनमें चोरी, मारपीट अफीम एनडीपी. एक्ट एवं शराब तस्करी आदि के अपराध सम्मिलित है।

(2) जिला चूरू के सीमावर्ती पुलिस थानों में पुलिस स्टाफ में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

औद्योगिक क्षेत्र अलवर में चोरी की वारदातों में वृद्धि

150. **श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले के औद्योगिक क्षेत्र (एम. आई. ए.) में गत दो वर्षों में चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं?

(2) उक्त क्षेत्र में उक्त अवधि में कितनी चोरियों की रिपोर्ट दर्ज हुई तथा कितने चोर पकड़े गये?

(3) उक्त चोरियों में से कितनी चोरी की बरामदगी हुई तथा कितने चालान पेश हुए?

(4) क्या सरकार उक्त चोरियों की वारदातों को रोकने हेतु कोई कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। अलवर जिले के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित थाना एम.आई.ए. में चोरी की घटनाओं के संबंध में वर्ष 1998 में 24, वर्ष 1999 में 19 एवं वर्ष 2000 के सितम्बर तक कुल 22 अभियोग पंजीबद्ध हुए हैं।

(2) औद्योगिक थाना एम.आई.ए. में वर्ष 1998 के दौरान चोरी के 24 प्रकरण, वर्ष 1999 की अवधि में 19 प्रकरण तथा वर्ष 2000 माह सितम्बर तक 22 अभियोग दर्ज हुए। इस प्रकार कुल 65 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 6 प्रकरणों में 13 जनों को गिरफ्तार किया गया।

(3) उक्त अवधि के दौरान 65 चोरियों के दर्ज प्रकरणों में से 6 प्रकरणों में चोरी गया माल 5,17,700/- रुपये में गिरफ्तार 13 अभियुक्तों से 5,12,700/- रुपये का माल बरामद किया गया है एवं 6 प्रकरणों में 13 अभियुक्तों का न्यायालय में चालान पेश किया गया है।

(4) जी, हां। औद्योगिक थाना क्षेत्र एम.आई.ए. में स्थापित अधिकांश इकाइयां लगभग बन्द है, जिनमें कोई स्टाफ या श्रमिक नहीं रहते और ना ही औद्योगिक परिसर में सुरक्षा व चौकीदार की व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में आपराधिक तत्व बिजली के उपकरण पंखा, मोटर फ्रिज, पम्प, तार, मशीन के पुर्जे आदि वस्तुएं चोरी कर ले जाते हैं। इन घटनाओं की रोकथाम हेतु दिन एवं रात्रि

(गृह मंत्री)

की गश्त तथा नाकाबन्दी थाना एम.आई.ए. के पुलिस बल एवं पुलिस लाइन के अतिरिक्त बल से कराई जा रही है। बढ़ती हुई चोरी की घटनाएं पर अंकुश लगाने के सभी आवश्यक प्रबन्ध विशेषतः गश्त नाकाबन्दी की व्यवस्था की जा रही है।

उच्च माध्यमिक भीम (राजसमन्द) के प्राचार्य के विरुद्ध शिकायतें

151. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम)** : क्या भ्रष्टाचार निरोधक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीम (राजसमन्द) की उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिन्सीपल के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग और अनियमितताओं की शिकायतें उदयपुर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग कार्यालय को की गई थी?

(2) उक्त शिकायतों के पश्चात् जांच की क्या प्रगति हुई है?

(3) क्या उक्त प्रकरण का सरकार शीघ्र निस्तारण कर उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, नहीं। एक गुमनाम शिकायत माननीय गृह मंत्री, गृह एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर को श्री मोहन सिंह चौहान, प्रधानाचार्य रा.उ.मा. विद्यालय भीम, (राजसमन्द) के विरुद्ध की गई थी।

(2) उक्त शिकायत भ्र. नि. ब्यूरो में माननीय गृह मंत्री, गृह विभाग राज. जयपुर से प्राप्त होने पर परिवाद में अंकित तथ्यों पर भ्रनि. ब्यूरो में प्रा. जो. संख्या 5/2000 पंजिबद्ध कर जांच करवाई जा रही है। जांच जांचाधीन है।

(3) जी, हां। जांच जांचाधीन है, जांच पूर्ण होने पर प्राप्त मोखिक/दस्तावेजी साक्ष्य का कानूनी दृष्टिकोण से परीक्षण करने के पश्चात् उचित कार्यवाही किये जाने बाबत निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

जिला धौलपुर में वन क्षेत्र के विकास पर व्यय

152. **श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर)** : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला धौलपुर में कितना वन क्षेत्र कहां-कहां है? सूची क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वन क्षेत्रों में वर्ष 1998-1999 व 1999-2000 में किस-किस किस्म के कितने पौधे लगाये गये? उक्त पौधों में कितने जीवित रहे तथा कितने नष्ट हुये? पौधों की किस्मवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के वन क्षेत्रों के लिये वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में क्या-क्या कार्यवाही की गई और उन पर कितनी राशि व्यय की गई? क्या व्यय

(श्री शिवराम सिंह कुशवाह)

की गई राशि के मुताबिक वन क्षेत्रों का विकास हुआ है? यदि हां, तो किस प्रकार और नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में चालू वर्ष में किस-किस वन क्षेत्र में कितने-कितने किस-किस किस्म के पौधे लगाये और कितनी राशि व्यय की गई? जीवित पौधों की किस्मवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त जिले के वन क्षेत्र में विकास के लिये इस वर्ष कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित हैं और कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हुये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि वर्ष 1998-99 से 30 सितम्बर, 2000 तक पेड़ पौधे लगाने के अलावा वन क्षेत्रों में कमी आई है और उनमें एनीकट, तालाब, तारबन्दी, पाराबन्दी का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला धौलपुर में कुल 63900 है. वन क्षेत्र है। क्षेत्रवार सूची संलग्न परिशिष्ट-"क" के अनुसार सदन के मेज पर रख दी गई है।

(2) जिला धौलपुर में वन क्षेत्रों में वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में लगाए गए किस्मवार पौधे, जीवित पौधे एवं नष्ट हुए पौधों की वृक्षारोपणवार विवरण परिशिष्ट-"ख" अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) विधान सभा धौलपुर के वन क्षेत्रों में वर्ष 1998-99 व 1999-2000 के दौरान कराए गए वृक्षारोपण एवं विकास कार्यों की सूची, उन पर हुए व्यय को दर्शाते हुए परिशिष्ट-"ग" पर संलग्न है। वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में कराए गए वृक्षारोपण कार्यों का संधारण 2002-2003 व 2003-2004 तक 5 वर्ष के लिए किया जावेगा, जिससे लगाए गए पौधों के पनपने से वन क्षेत्रों का घनत्व बढ़ेगा तथा मृदा एवं जल संरक्षण के लिए यह वृक्षारोपण उपयोगी सिद्ध होंगे। परिशिष्ट-"ग" में दर्शाए गए अर्दन डैम, हथियाखर दिवान का पुरा व शेरगढ़ किला के निर्माण से जल का भराव होने से आसपास स्थित कुओं में जलस्तर ऊंचा होगा तथा स्थानीय ग्रामीणों एवं उनके मवेशी व जंगली जानवरों को पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा।

(4) चालू वर्ष (2000-2001) के दौरान विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में कोई नवीन वृक्षारोपण कार्य नहीं करवाया गया है।

(5) धौलपुर जिले में वर्ष 2000-2001 के दौरान कोई नया विकास कार्य प्रस्तावित नहीं है। वर्ष 2000-2001 के दौरान वितरण हेतु 7 लाख पौधे पौधशालाओं में तैयार किए जाने हेतु राशि रुपये 10.98 लाख स्वीकृत है। इस वर्ष लक्ष्य अनुसार पौधे तैयार कर वर्ष 2001-2002 के दौरान वितरित किए जाएंगे।

(राज्य मंत्री, वन)

(6) जी, नहीं। यह सही नहीं है कि वर्ष 1998-99 में 30 सितम्बर 2000 तक पेड़ पौधे लगाने के बावजूद वन क्षेत्रों में कमी आई है। वन क्षेत्रों में अत्यधिक चराई, अवैध खनन, अवैध कटान के कारण वनों का विनाश/ह्रास रोकने के लिए ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों का गठन कर जन सहयोग से वनों की सुरक्षा की जा रही है। धौलपुर जिले में अब तक 28 वन सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है, वर्ष 1998-99 से 30 सितम्बर, 2000 तक विभाग द्वारा धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल 3 अर्दन डैम हथियाखार, दिवान का पुरा व शेरगढ़ किला का निर्माण कराया गया है, जिनका मुख्य उद्देश्य भू-संरक्षण एवं जल को रोककर आसपास के क्षेत्रों का जलस्तर ऊपर लाना है। उक्त अवधि के दौरान तालाब, तारबन्दी, आदि का कोई कार्य वन क्षेत्रों में नहीं करवाया गया है और ना ही इस प्रकार के कार्य कराने से वन क्षेत्रों में कमी आई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

तिजारा एवं कोटकासिम (अलवर) का पहाड़ी वन क्षेत्र

153. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति तिजारा एवं कोटकासिम (अलवर) में कौन-कौन से पहाड़ वन क्षेत्र में है? उक्त पहाड़ वन क्षेत्र में किस-किस श्रेणी में है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंचायत समितियों में कौन-कौन से पहाड़ वन क्षेत्र में नहीं हैं? सूची सदन के मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति तिजारा एवं कोटकासिम (अलवर) के वन क्षेत्रों की वन खण्डवार एवं ग्रामवार सूचि-"क" मय वैधानिक स्थिति के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समिति तिजारा एवं कोटकासिम (अलवर) में जो पहाड़ वन क्षेत्र में नहीं है की सूचि-"ख" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला जैसलमेर में कार्यरत वन कर्मी

154. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में चार जिला स्तरीय वन अधिकारी कार्यरत हैं जिनके अलग से कार्यालय तथा स्टाफ है?

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)-

(2) उक्त जिले में कुल कितना स्टाफ कार्यरत है? बेलदारों सहित सभी वन कर्मियों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कुछ स्थायी कर्मचारियों की छंटनी कर सेवानिवृत्त कर रहे हैं?

(4) क्या यह भी सही है कि एक तरफ सेवा निवृत्ति कर रहे हैं दूसरी तरफ वन कार्य ठेके पर करवा रहे हैं?

(5) क्या यह सही है कि दोहरी नीति से कर्मचारियों में असंतोष है?

(6) क्या सरकार जिले में सारी वन गतिविधियों का एकीकरण कर सुदृढ़ वन व्यवस्था बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में उप वन संरक्षक स्तर के चार कार्यालय कार्यरत है। जिनमें पृथक स्टाफ कार्यरत है।

(2) जैसलमेर जिले में वन विभाग के कार्यरत कार्यालयों में 356 नियमित कर्मचारी तथा 1443 कार्य प्रभारित कर्मचारी इस प्रकार कुल 1799 कर्मचारी कार्यरत है। कार्यरत कर्मियों की पदवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) विभाग के द्वारा क्रियान्वित की जा रही बाहरी सहायता आधारित अरावली वृक्षारोपण परियोजना पूर्ण हो जाने तथा इन्दिरा गांधी नहर वृक्षारोपण परियोजना का कार्य भी लगभग पूर्ण होने को दृष्टिगत रखते हुए विभाग में कार्यरत प्रभारित कर्मचारियों में से कुछ की छंटनी किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस छंटनी में राजस्थान सेवा नियमों की परिधि में आये कार्य प्रभारित कर्मचारी भी सम्मिलित है।

(4) विभाग द्वारा कार्यों का क्रियान्वयन राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत पीसरेट कांट्रेक्ट पद्धति एवं पीसरेट पद्धति द्वारा संपादित कराये जा रहे हैं। इन कार्यों के क्रियान्वयन हतु स्वीकृत बजट निर्धारित मजदूरी दर 60/- रुपये प्रतिदिन पर आधारित है। उक्त कार्यों को कार्य प्रभारित कर्मचारियों से कराने पर मजदूरी दर 120/- प्रतिदिन से अधिक आती है।

(5) कार्य प्रभारित कर्मचारियों की छंटनी की कार्यवाही को लेकर उनमें असंतोष होना तो स्वाभाविक है परन्तु परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने से राज्य सरकार के पास छंटनी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

(6) जिले में कार्यरत कार्यालय विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के संचालन हेतु कार्यरत है। जिन्हें कार्यरत रखा जाना उचित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

सांगोद (कोटा) में वन सुरक्षा हेतु चारदीवारी का निर्माण

155. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील सांगोद (कोटा) में वन विभाग द्वारा कितनी-कितनी लागत से कहां-कहां वन सुरक्षा हेतु चार दीवारी बनाई है?

(2) क्या उक्त चार दीवारी वर्तमान में सुरक्षित है? यदि हां, तो कहां-कहां और कहां-कहां चारदीवारी के पत्थर विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों ने बेच दिये हैं?

(3) क्या उक्त सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों/ग्राम वासियों ने गत दो वर्षों में कोई शिकायत की है? यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील सांगोद (कोटा) के अन्तर्गत गत 5 वर्षों में संलग्न सूची के अनुसार कुल 96 कार्यस्थलों पर वृक्षारोपण कार्य करवाया गया जिनमें पत्थर की दीवार बनाकर अथवा खाई फेन्सिंग कार्य करवाकर वृक्षारोपण कार्य करवाया गया है। उपरोक्त वृक्षारोपणों के व्यय की संलग्न सूचि में पत्थर की दीवार/खाई फेन्सिंग, खड्डे खुदाई, ट्रेन्च खुदाई, पौध तैयारी व पौधारोपण सहित समस्त व्यय सम्मिलित है।

(2) तहसील सांगोद के अन्तर्गत बनाए गए सभी प्लांटेशनों चार दीवारी सुरक्षित है। केवल वृक्षारोपण डूंगरपुर जो कि वर्ष 1998 में बनाया गया था, जिसकी पत्थर की दीवार में से 1900 रमी. किसी किसी स्थान पर पूर्ण रूप से तथा कहीं-कहीं पर आधी अधूरी चोरी चली गई है।

(3) इस संबंध में गत दो वर्षों में निम्नानुसार जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई है : —

1. श्री भरत सिंह, भू.पू. विधायक के पत्र संख्या निल दिनांक 6.5.2000

2. श्री मदन दिलावर, विधायक अटरू (बारां) पत्र संख्या निल दिनांक 12.9.2000

3. श्री प्रहलाद गुर्जर, भू.पू. सरपंच पत्र संख्या निल दि. 26.6.1999

उक्त शिकायतें प्राप्त होने पर क्षेत्रीय वन अधिकारी कनवास को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर जांच प्रतिवेदन भिजवाने हेतु निर्देश दिये जा चुके थे। उक्त जांच प्रगतिरत है।

श्री प्रहलाद गुर्जर भू.पू. सरपंच द्वारा की गयी शिकायत प्लान्टेशन सीमल्या "ए" की दीवार के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर उसी वक्त दीवार की मरम्मत करवा दी गयी थी, वर्तमान में भी प्लान्टेशन की दीवार सुरक्षित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में वृक्षारोपण

156. **श्री घनश्याम जैन (बेगूं)** : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं की तहसील बेगूं व रावत भाटा में वर्ष 1999-2000 में कहां-कहां प्लान्टेशन करवाया गया है और इस हेतु कितने खड्डे खोदे गये तथा कितने वृक्ष लगाये गये? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य पर कुल कितना व्यय हुआ?

(3) उक्त लगाये वृक्षों की सुरक्षा व उन्हें पानी दिलाने हेतु क्या व्यवस्था की है ?

(4) उक्त लगाये गये वृक्षों में अब तक कितने जीवित हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं व रावतभाटा में वर्ष 1999-2000 में करवाये गये वृक्षारोपण, खोदे गये खड्डों तथा लगाये गये वृक्षों की संख्या का विवरण संलग्न परिशिष्ट के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उक्त कार्यों पर वृक्षारोपण हेतु रुपये 45.57 लाख का व्यय हुआ है।

(3) उक्त लगाये गये वृक्षों की सुरक्षा हेतु मूलतः पत्थर की दीवार/खाई फैंसिंग की जाकर विभागीय कैटलगार्ड लगाये गये है। विभाग के अन्य कर्मचारियों द्वारा भी समय-समय पर गश्त कर सुरक्षा की जाती है। संबंधित वृक्षारोपणों की माम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति का भी सहयोग प्राप्त कर वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा की जाती है। सूचि में अंकित वृक्षारोपण क्षेत्रों में क्र.सं. 7 से 12 पर अंकित वृक्षारोपण क्षेत्रों में ही एक बार ही पानी पिलाने का प्रावधान हैं। शेष में पानी पिलाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) उक्त लगाये गये वृक्षों में माह मई-जून, 2000 में करवाई गई गणना के अनुसार जीवित वृक्षों का वृक्षारोपणवार प्रतिशत संलग्न परिशिष्ट अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

पार्वती नदी (मांगरोल) पर पुलिया निर्माण

157. **श्री शिवनारायण (बारां)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मध्य प्रदेश, श्योपुर, बड़ोदा से कहनजापुर पार्वती नदी तक की सड़क का डामरीकृत है?

(2) क्या राजस्थान बमौरी कलां, तहसील मांगरोल से सुरथाक पार्वती नदी तक पक्की सड़क है? यदि हां, तो पार्वती नदी पर राजस्थान, मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिये

(श्री शिवनारायण)

इस पुलिया का निर्माण कब तक करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। मध्य प्रदेश की सीमा में श्योपुर बड़ोदा से वुडजनपुर पार्वती नदी तक डामर सड़क है।

(2) राजस्थान सीमा में बमोरीकलां से सूरथाग पार्वती नदी तक वर्तमान में गिट्टी (डब्लु.बी.एम.) सड़क है। पार्वती नदी पर राजस्थान व मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिये पुलिया का निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

अन्ता से सांगोद सड़क का पुनर्निर्माण

158. श्री शिवनारायण (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अन्ता से सांगोद वाया सोरसन सड़क की मरम्मत हुये कितने वर्ष हो गये हैं तथा इस पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है।

(2) अब उक्त सड़क का पुनर्निर्माण/मरम्मत कब तक करा दी जावेगी ?

(3) क्या उक्त सड़क पर परवन नदी की पुलिया क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो सरकार इसका निर्माण कब तक कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) अंता से सांगोद वाया सोरसन सड़क की कुल लम्बाई 26.40 किमी. है जो ग्रामीण सड़क है एवं मरम्मत का कार्य प्रति वर्ष कराया जाता रहा है। पिछले पांच वर्षों में इस सड़क की मरम्मत व रख-रखाव हेतु किया गया व्यय प्रपत्र-"अ" में दर्शाया गया है।

(2) उक्त सड़क के कोई भी किमी. अभी पुनर्निर्माण (नवीनीकरण) हेतु स्वीकृत मापदण्डों की श्रेणी में नहीं आते हैं। साधारण मरम्मत कार्य वर्ष 2000-2001 में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर कराया जायेगा।

(3) जी, हां। वर्ष 1999-2000 की वर्षा में अत्यधिक बहाव होने के कारण उक्त सड़क मार्ग में परवन नदी की पुलिया का खरंजा क्षतिग्रस्त हो गया है। जिसकी मरम्मत का कार्य माह मार्च 2001 तक कराया जाना प्रस्तावित है।

(प्रपत्र के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

पचपदरा साल्ट फांटा से साजियाली पदम सिंह सड़क का डामरीकरण

159. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पचपदरा साल्ट फांटा से साजियाली पदमसिंह मेटल सड़क कितने वर्ष पूर्व बनाई गई थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अमराराम चौधरी)

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क को दो बार बनाया गया? यदि हां, तो क्यों? अब उक्त सड़क का डामरीकरण कब कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) पचपंदरा साल्ट फांटा से साजियाली पदम सिंह मेटल सड़क 12 वर्ष पूर्व अकाल राहत योजना के अन्तर्गत बनाई गई थी।

(2) जी, नहीं। उक्त सड़क का डामरीकरण करने के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकता पर निर्भर है।

कुचामन-राजलिया की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत

160. श्री हरीश चन्द्र (नावां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि कुचामन राजलिया सड़क हेतु कार्यमद योजना में 74.20 लाख रुपये स्वीकृत होने के पश्चात् भी दिसम्बर, 1999 के बाद इस सड़क का अपूर्ण कार्य चालू नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? अब उक्त कार्य कब तक शुरू हो जायेगा?

(2) क्या उक्त सड़क का जो अपूर्ण कार्य हो गया, वह क्षतिग्रस्त हो रहा है? क्या सरकार उक्त कार्य को पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि कुचामन खारिया एवं हरित नगर से हिराणी सड़क काफी क्षतिग्रस्त है? क्या सरकार इसकी मरम्मत वर्ष 2000-2001 में कराने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। इस सड़क की विभिन्न 9 टुकड़ों में एम.एन.पी. के अन्तर्गत कुल 74.23 लाख रुपये की स्वीकृति थी। इसमें 21 किमी. डामर सड़क का निर्माण होना है। 9 किमी. डामर व 12 किमी. मेटल सड़क का निर्माण 46.90 लाख रुपये व्यय कर किया जा चुका है। शेष कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

(2) जी, हां। 12 किमी. का मेटल सड़क में ही कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त है। उक्त कार्यों को पूर्ण करना उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

(3) जी, हां। इस सड़क की मरम्मत हेतु 17.00 लाख रुपयों की आवश्यकता होगी, जिसकी स्वीकृति उपलब्ध वित्तीय संसाधन एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर है।

विधान सभा क्षेत्र नावां में नाबार्ड योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़कें

161. श्री हरीश चन्द्र (नावां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र नावां में नाबार्ड योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में किन-किन सड़कों के लिये कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई ? उक्त कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण करवा दिये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि लाम्बा से जीजोठ सड़क जो नाबार्ड योजना में स्वीकृत हुई उसके अन्तर्गत जीजोठ आबादी क्षेत्र में पत्थर का खरंजा निर्माण किया जाना था, वह अभी तक नहीं किया गया है? अब कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा?

(3) खाखड़की सड़क जो नाबार्ड योजनाओं में स्वीकृत हुई थी क्या उसका कार्य निर्धारित मानदण्डों के अनुसार स्वीकृत राशि का कार्य ठेकेदारों ने पूर्ण कर दिया है? अब तक उक्त सड़क कार्य पर कितनी राशि स्वीकृत हो चुकी है?

(4) उक्त सड़क को नावां से जोड़ने के लिये अब कितनी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता रहेगी? उक्त राशि प्राप्ति हेतु किस योजनान्तर्गत कार्यवाही की जा रही है व उसकी प्रगति क्या है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नावां में नाबार्ड योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में जिन सड़कों की स्वीकृति हुई एवं जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनका विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है। वर्णित सूची के अनुसार सात कार्यों में से दो कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

(2) जी, हां। 60 मीटर लम्बाई में खरंजा निर्माण हो चुका है। शेष कार्य को इसी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट आवंटन अनुसार पूर्ण करवाया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी, नहीं। खांखड़ी सड़क नाबार्ड योजना में स्वीकृत नहीं है परन्तु उक्त खांखड़ की सड़क का कार्य आधारभूत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 42.00 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत हुआ था। स्वीकृत तखमीने अनुसार 4 किमी. डामर सड़क एवं 3 किमी. मेटल सड़क का निर्माण किया जा चुका है। सांभर साल्ट लि. सांभर लेक के पत्र क्रमांक 65/सम्पदा/93-94/3305 दिनांक 4.10.1999 द्वारा निर्धारित आठ पुलियाओं का निर्माण किया जाना था जिसकी कुल अतिरिक्त लागत 61 लाख रुपये होगी। अतिरिक्त स्वीकृति के अभाव में सड़क का अग्रिम निर्माण कार्य करवाया जाना संभव नहीं हो सका है। बजट आवंटन निम्न प्रकार है : —

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

वर्ष	बजट आवंटन (लाखों में)
1997-98	15.00
1998-99	40.00
1999-2000	25.04
2000-2001	9.62

(4) खाखड़की सड़क को नावां से जोड़ने के लिये 325 लाख रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। इस कार्य की स्वीकृत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

तहसील राजगढ़ (चूरू) के सड़क विहीन ग्राम पंचायत मुख्यालय

162. **श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील राजगढ़ (चूरू) में वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर कितने गांव एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय सड़क मार्ग से जुड़े हुए नहीं है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या सरकार उक्त सड़क विहीन ग्राम/ग्राम पंचायतों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील राजगढ़ (चूरू) में वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर कुल 7 ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं 98 गांव सड़क मार्ग से जुड़े हुये नहीं है जिसकी सूची परिशिष्ट-"अ" में संलग्न है।

(2) जी, हां। 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को डामर सड़क से जोड़ने के लिये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अनुमोदन उपरान्त 3 वर्ष में एवं 1000-501 जनसंख्या में गांवों को 7 वर्ष में जोड़ना प्रस्तावित है। शेष ग्राम एवं पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से जोड़ना राज्य की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिक पर निर्भर करेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

ग्राम फतहपुर (बारां) की सड़क का डामरीकरण

163. **श्री शिवनारायण (बारां)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) ग्राम फतहपुर, तहसील बारां की 2 किलोमीटर सड़क के डामरीकरण के लिये गत वर्ष कितनी राशि स्वीकृत हुई थी?

(2) क्या उक्त सड़क निर्माण कार्य के लिये निविदायें आमंत्रित की गई थी?

(श्री शिवनारायण)

यदि हां, तो उक्त सड़क कब तक डामरीकृत करवा दी जावेगी ?

(3) विधान सभा क्षेत्र बारां की सड़कों की मरम्मत कब तक करवाई जावेगी ? उक्त क्षेत्र की कौन-कौनसी सड़क सबसे ज्यादा खराब है ?

उत्तर

(1) ग्राम-फतहपुर, तहसील-बारां की 2 कि.मी. सड़क के स्टेथिंग व डामरीकरण हेतु वर्ष 1999-2000 में रुपये 8.00 लाख की स्वीकृति जारी की गयी थी।

(2) जी, हां। कार्यादेश जारी किया जा चुका है। कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 22.10.2000 व कार्य पूर्ण करने की तिथि 21.2.2001 है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार कार्य पूर्ण करवाया जाना सम्भव होगा।

(3) सड़कों की मरम्मत का कार्य राज्य की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। उक्त क्षेत्र की गुलाबपुरा-पलायथा सड़क सबसे ज्यादा खराब स्थिति में है।

आसीन्द से ब्यावर की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत

164. श्री रामलाल जाट (बनेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि आसीन्द से ब्यावर सड़क क्षतिग्रस्त है ?

(2) क्या सरकार इसकी मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उक्त सड़क कब तक ठीक हो जाएगी ?

(3) क्या यह सही है कि कालरिया पुलिया पर एक लम्बा स्लेब टूटा हुआ है ? यदि हां, तो इसे कब तक ठीक कर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) व (2) जी, हां। आसीन्द-ब्यावर सड़क पर मरम्मत कार्य प्रगति पर है। कुल लम्बाई 49.5 कि.मी. में से 25 कि.मी. में कोई पेच नहीं है। बाकी के 24.5 कि.मी. में से 15 कि.मी. के पेच कार्य इसी वर्ष पूर्ण करवा दिये गये हैं। शेष 9.5 कि.मी. में पेच मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।

(3) जी, हां। आवागमन सुचारू रूप से चालू है। क्षतिग्रस्त स्लेब का मरम्मत कार्य दिनांक 15.12.2000 तक पूर्ण करवा दिया जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में सड़कों के डामरीकरण हेतु स्वीकृत राशि

165. श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वर्ष 1999-2000 में विधान सभा क्षेत्र बेगूं में कितने-कितने सड़कों के

(श्री घनश्याम जैन)

सुदृढ़ीकरण व मेटल से डामरीकरण हेतु कितना-कितना बजट का प्रावधान रखा गया था? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत राशि में से किन-किन सड़कों पर कितना-कितना व्यय हुआ? यदि नहीं, तो कब तक सड़कों पर कार्य प्रारम्भ हो जाएगा?

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 में विधान सभा क्षेत्र बेगूं में सड़कों पर स्वीकृति एवं बजट प्रावधान निम्न प्रकार था :

मद	सड़कों का नाम	बजट प्रावधान (राशि लाखों में)
सुदृढ़ीकरण एवं मेटल से डामरी करण	1. कादुन्दा बड़ौदिया	2.85
	2. सरफेस रिनोवेशन बाई 20 एम.एम. कादुन्दा बड़ौदिया	10.00
	3. सरफेस रिनोवेशन आन भैंसरोडगढ़ कोटा	1.00
	4. सुदृढ़ीकरण एवं सुधार कार्य एकलिंगपुरा-चेचट सड़क	3.00
	5. स्ट्रेन्थनिंग एवं सुधार कार्य मेनाल-ठुकराई सड़क	3.05
	5 संख्या	19.90

(2)

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	बजट प्रावधान (लाखों में)	वर्ष 99-2000	कुल व्यय (लाखों में)	भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	कादुन्दा बड़ौदिया	26.00	2.85	0.20	2.45	बीटी 1.6 किमी.
2.	सरफेस रिनोवेशन बाई	24.00	10.00	9.62	9.62	कार्यपूर्ण

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

1	2	3	4	5	6	7
	20 एमएम कोटुन्दा बड़ौदिया					देनदारियां शेष
3.	सरफेस रिनोवेशन आन भैंसरोडगढ़ कोटा	2.50	1.00	—	2.18	कार्य पूर्ण
4.	सुदृढ़ीकरण एवं सुधार कार्य एकलिंगपुरा चेचट सड़क	55.00	3.00	—	7.12	6 किमी. बाइडनिंग
5.	स्ट्रेन्थनिंग एवं सुधार कार्य मेनाल ठुकराई सड़क	38.00	3.05	—	0.36	1 किमी. बाइडनिंग देनदारियां शेष।
	योग	**145.50**	**19.90**	**9.82**		
नाबार्ड						
1.	सम्पर्क सड़क गोपालपुरा	29.24	10.00	9.68	19.34	कार्य पूर्ण
एम.एन.पी.						
1.	सम्पर्क सड़क गंगापुर	9.00	1.00	0.17	7.34	कार्य पूर्ण
2.	सम्पर्क सड़क सुवानिया	15.00	1.00	0.34	8.40	कार्य वर्तमान में बंद मेटल 5 किमी.

कार्य शुरू कराना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

ग्राम-टेहला (नागौर) के स्वीकृत ग्रिड सब-स्टेशन

166. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला-नागौर में वर्तमान में 132/220 के.वी. के कितने ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत हैं और उनका स्वीकृत भार कितना-कितना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत दो-तीन महीनों से किसानों को मात्र तीन चार घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम-टेहला में 33/11 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो उसको अभी तक चालू नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला-नागौर में वर्तमान में 220 के.वी. एवं 132 के.वी. के क्रमशः 2 एवं 11 ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत हैं जिनका स्वीकृत भार का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) गत तीन माह में खरीफ की फसल की मांग को दृष्टिगत रखते हुए तकनीकी व प्राकृतिक कारणों से आये अवरोध को छोड़कर उक्त क्षेत्र में प्रतिदिन 6 घंटे तीन फेज में विद्युत आपूर्ति की गई है।

(3) जी, हां। टेहला में 33 के.वी. सब-स्टेशन का कार्य माह मार्च, 2000 में प्रारम्भ किया गया था, लेकिन सब-स्टेशन के स्थान को लेकर गांव वालों में विवाद होने के कारण निर्माण कार्य अभी रूका हुआ है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

नियामक आयोग द्वारा बनाये गये विनियम

167. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पावर सैक्टर सुधार अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार ने नियम बनाये थे? यदि हां, तो कौन-कौन से नियम बनाये जिसमें कौन-कौन से नियम कब-कब बनाये गये? बनाये गये नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिनियम के अनुसार नियामक आयोग को भी विनियम बनाने थे? यदि हां, तो कौन-कौनसे विनियम आयोग ने बनाये? उक्त विनियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पावर सैक्टर अधिनियम, 1999 की धारा 14, 15, 16, 58 तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की

(ऊर्जा मंत्री)

धारा 19 के अन्तर्गत निम्न नियम बनाये गये हैं : —

1. लाइसेन्स सम्बन्धी नियम

2. राजस्थान विनियामक आयोग के सदस्यों के सेवा नियम। इसके अतिरिक्त दिनांक 19.7.2000 को जारी अधिसूचना द्वारा राजस्थान विद्युत मण्डल का 5 कम्पनियों में विभाजन किया गया। इन नियमों की प्रतियां परिशिष्ट-"ए-1 और ए-11" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। आयोग ने निम्नलिखित विनियम बनाये हैं :

विनियम संख्या	नाम
Secty/RERC/Reg. 1	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम-2000
Secty/RERC/Reg. 2	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (सचिव की शक्तियां और कृत्य) विनियम-2000
Secty/RERC/Reg. 3	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ) विनियम-2000
Secty/RERC/Reg. 4	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (याचिकाओं के लिए फीस) विनियम-2000
Secty/RERC/Reg. 5	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम-2000
Secty/RERC/Reg. 6	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विभिन्न विनियमों और आदेशों का अनुकूलन) विनियम-200

उक्त विनियमों की प्रतियां परिशिष्ट "बी", "सी", "डी", "ई", "एफ", व "जी" पर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति-भीम व देवगढ़ के राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण

168. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजसमन्द जिले की भीम व देवगढ़ पंचायत समितियों के आज के राजस्व गांवों में से कई गांव ऊर्जा से वंचित हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से?

(2) अब सरकार उक्त ग्रामों को कब तक विद्युतीकृत करने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1998 में भीम तहसील के "बारला चौड़ा" तथा "आठोलिया" तथा देवगढ़ तहसील के "रतना का गुडा" गांवों को विद्युतीकृत घोषित किया था परन्तु उक्त गांवों को आज तक विद्युतीकृत किया जाकर कनेक्शन जारी नहीं कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो वस्तु स्थिति क्या है?

(4) पंचायत समिति-भीम व देवगढ़ में घरेलू कनेक्शन देने में अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं? क्या सरकार अब शीघ्र ही कनेक्शन देने हेतु कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(1) जिला-राजसमन्द की पंचायत समितियां-भीम व देवगढ़ शत-प्रतिशत विद्युतीकृत घोषित है। इन पंचायत समितियों के 20 राजस्व ग्रामों में विद्युत आपूर्ति नहीं है। इन गांवों की पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) विद्युतीकृत घोषित गांवों में व विद्युतीकृत गांवों से अलग होकर बने नये ग्रामों में मांग होने पर नियमानुसार विद्युत तंत्र का विस्तार कर कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है।

(3) भीम तहसील के ग्राम "बारला चौड़ा" व "आठोलिया" तथा देवगढ़ तहसील का ग्राम "रतना का गुडा" विद्युतीकृत घोषित गांवों से अलग होकर नये गांव बने हैं। अतः इनको भी विद्युतीकृत घोषित माना गया है। इन गांवों में मांग होने पर संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार कनेक्शन देने की कार्यवाही की जावेगी।

(4) पंचायत समिति-भीम व देवगढ़ में जो घरेलू कनेक्शन केवल सर्विस लाइनों से हो सकते हैं, उनको जारी करने में कोई विलम्ब नहीं किया जा रहा है। जिन कनेक्शनों के लिए लाइन का कार्य करना है, उनको सामान की उपलब्धता के अनुसार वरीयता से कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

विधान सभा क्षेत्र जालौर के प्रस्तावित ग्रिड सब स्टेशन

169. श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

(1) क्या यह सही है कि विद्युत वोल्टेज की समस्या एवं नये कृषि विद्युत कनेक्शन जोड़ने से विद्युत विसंगतियों का सामना करना पड़ता है?

(2) क्या यह भी सही है कि विद्युत विसंगतियों को दूर करने के लिये नए 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन केन्द्रों की स्थापना के लिये प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाए जाते हैं?

(3) क्या विधान सभा क्षेत्र जालौर में भी इस तरह के प्रस्ताव भिजवाएं हैं? यदि हां, तो किस-किस स्थान के लिये कब भेजे गये? यदि नहीं, तो कब तक भेजे जावेंगे और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। 11 के.वी. लाइनों का वोल्टेज रेगूलेशन निर्धारित सीमा 8 प्रतिशत से अधिक होने पर कम वोल्टेज प्राप्त होने की समस्या पैदा होती है। जिन 11 के.वी. फीडरों पर 8 प्रतिशत से अधिक वोल्टेज रेगूलेशन होता है, उन पर औद्योगिक व कृषि कनेक्शन न दिये जाने का प्रावधान है।

(2) नये 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशनों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का तकनीकी रूप से अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात् योजना को निवेश स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजा जाता है।

(3) जालौर जिले के पूनासा, भादरून, पोसाना, बागरा, आहोर, दासपान एवं रामसीन में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाने सम्बन्धी प्रस्तावों का तकनीकी अवलोकन किया जा चुका है। प्रसारण निगम में वांछित संसाधनों की कमी को देखते हुए इन योजनाओं को बिल्ड, आन, आपरेट एण्ड मेन्टेन (बूम) की अवधारणा पर बनाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु निजी कम्पनियों से प्राप्त प्रस्तावों का तकनीकी एवं आर्थिक विश्लेषण किया जा रहा है।

तहसील-नावां (नागौर) क्षेत्र में ढीली विद्युत लाइनें

170. **श्री हरीश चन्द (नावां)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम-लूणवां, तहसील-नावां, जिला-नागौर में श्योजी की ढ़ाणी, कोटकाबास एवं लूणवां की मुख्य आबादी में विद्युत लाइनें काफी ढीली हैं? क्या इनसे कभी भी गम्भीर दुर्घटनाऐं हो सकती हैं? क्या उक्त सम्बन्ध में विद्युत विभाग का ध्यान आकर्षित किया गया? यदि हां, तो अब तक इन्हें ठीक क्यों नहीं किया गया है?

(2) क्या उक्त लाइनों के सम्बन्ध में पंचायत प्रस्ताव द्वारा तथा समस्या समाधान शिविरों में आवेदन द्वारा भी इस ओर विद्युत विभाग का ध्यान आकर्षित किया गया था? यदि हां, तो अब तक ये लाइनें ठीक क्यों नहीं की गई?

(श्री हरीशचन्द)

(3) क्या ग्राम-लूणवां में आयुर्वेद चिकित्सालय के तलाई चौक तक की बस्ती में वी.आर. समस्या समाधान हेतु तलाई चौक में नया ट्रान्सफार्मर लगाने हेतु करीब 4 वर्ष पूर्व स्वीकृति हुई थी तथा बिजली के खम्भे तथा ट्रान्सफार्मर भी वहां गत 4 माह से पड़े हुए हैं? यदि हां, तो फिर वहां कार्य क्यों नहीं किया गया है? क्या दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाएगी? अब कब तक उक्त कार्य करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी, हां। तहसील नावां, जिला-नागौर के कुछ गांवों में तार ढीले होने के बारे में ग्राम विकास शिविरों के दौरान ध्यान आकर्षित किया गया था। शिकायतों पर कार्यवाही करके निम्न स्थानों पर ढीले तारों को ठीक किया जा चुका है :—

1. नावां-लूणवां रोड।

2. जैन मंदिर के पास।

3. मैन बाजार में सोहन टेलर की दुकान के पास।

4. श्योजी की ढाणी में श्रवण, हनुमान कुमावत के घर के पास (पोल लगाकर)

(2) जी, हां। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त हास्पिटल के पास व श्योजी की ढाणी में भी तार ढीले हैं, उनको ठीक करने का कार्य प्रगति पर है।

(3) जी, हां। तलाई चौक में 40 के.वी.ए. का ट्रांसफार्मर लगाकर उसे चालू किया जा चुका है, जिससे वोल्टेज की समस्या का समाधान हो गया है।

विधान सभा क्षेत्र धोद (सीकर) के स्वीकृत कृषि कनेक्शन

171. श्री अमराराम (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहायक अभियन्ता (वितरण), धोद (सीकर) ने जनवरी, 1999 से सितम्बर, 2000 तक कितनी पत्रावलियां कृषि कनेक्शनों की सिस्टम इम्प्रूवमेन्ट हेतु स्वीकृत की हैं?

(2) क्या स्वीकृतियां नियमानुसार की गई हैं? यदि नहीं, तो इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

(3) क्या सरकार ने एल.टी. लेश सिस्टम के कोई दिशा निर्देश जारी किये हैं? यदि हां, तो क्या इन दिशा-निर्देशों की पालना हुई है? दिशा-निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सहायक अभियन्ता (पवस), धोद (सीकर) के अधीन माह जनवरी, 1999 से सितम्बर, 2000 तक 86 कृषि कनेक्शनों की सिस्टम इम्प्रूवमेन्ट स्कीम स्वीकृत की गई है।

(2) जी, हां।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) जी; हां। मंडल/निगम द्वारा एल.टी. लैश स्कीम के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इन दिशा-निर्देशों में मूलतः ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपभोक्ताओं के लिए लगे 100 व 63 के.वी.ए. के ट्रांसफार्मरों के स्थान पर 40 के.वी.ए. एवं 25 के.वी.ए. के ट्रांसफार्मर लगाये जाने हैं। जिससे एल.टी. लाइनों की लम्बाई कम होगी तथा उपभोक्ताओं को सही वोल्टेज प्राप्त हो सकेंगे। इन दिशा-निर्देशों की पालना में सीकर जिले में 150 स्कीम स्वीकृत की गई है। जारी दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-"अ" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

चितावा (नागौर) में उच्च क्षमता का ट्रान्सफार्मर

172. श्री अमराराम (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला-नागौर के 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन, चितावा में ट्रान्सफार्मर कितनी क्षमता का स्वीकृत है?

(2) क्या सरकार चितावा में 25 एम.वी.ए. का ट्रांसफार्मर रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला-नागौर के 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन, चितावा में 132/33 के.वी. 1×10/12 5 एम.वी.ए. की क्षमता का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है।

(2) 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, चितावा पर एक अतिरिक्त 132/33 के.वी. 1×10/12.5 एम.वी.ए. की क्षमता का ट्रांसफार्मर वित्तीय वर्ष 2000-2001 में लगाने का प्रावधान है। ट्रांसफार्मर एवं अन्य संबंधित उपकरण/सामान उपलब्ध होने पर कार्य को प्राथमिकता से किया जायेगा।

कोटा संभाग के कृषकों को विद्युत आपूर्ति हेतु प्रस्तावित योजना

173. श्री हेमन्त कुमार (दौगोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्षा के अभाव के कारण कोटा संभाग के गांधी सागर/जवाहर सागर से विद्युत उत्पादन प्रभावित होगा? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र के कृषि कार्य हेतु चाही गई विद्युत कमी को किस प्रकार पूर्ण किया जा सकेगा?

(2) उक्त संभाग के किसानों को आठ घण्टे विद्युत मिले इस संबंध में सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) जी, हां। चंबल नदी के बांधों (गांधी सागर व राणा प्रताप सागर) में इस वर्ष पानी कम है तथा इस कारण गांधी सागर, राणा प्रताप सागर व जवाहर पन

(ऊर्जा मंत्री)

विद्युत गृहों में सामान्य से कम विद्युत उत्पादन होने की आशंका है परन्तु इस कमी से कोटा संभाग के कृषकों को कम विद्युत आपूर्ति की संभावना नहीं है क्योंकि राज्य स्तर पर इस कमी को अन्य स्रोतों से विद्युत प्राप्त कर कृषि क्षेत्र को प्रदान की जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं पर कटौती लागू करके कृषि क्षेत्र को समुचित विद्युत आपूर्ति के प्रयास किये जायेंगे।

(2) कोटा संभाग सहित राजस्थान के समस्त कृषि क्षेत्र को विद्युत सप्लाई उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार व प्रसारण निगम ने दिल्ली से अतिरिक्त बिजली क्रय करने के लिए अनुबन्ध किया है तथा पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों से बिजली खरीद करने के लिए बातचीत की जा रही है।

राज्य विद्युत मण्डल के विघटन के पश्चात् विद्युत आपूर्ति में अनियमितता

174. श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का विघटन कर पांच निजी कम्पनियों को विद्युत सप्लाई में सुधार हेतु संभलाया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कम्पनियों द्वारा व्यवस्था सम्भलाने के बाद किसानों व आम उपभोक्ताओं को सुविधा के बजाय असुविधा का भारी सामना करना पड़ रहा है? क्या मण्डल के विघटन के बाद किसानों को तीन घण्टे से ज्यादा बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है? यदि हां, तो इसमें सुधार हेतु सरकार क्या कर रही है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त किये गये निजीकरण से उत्पन्न हुई असुविधा के समाधान हेतु सरकार वापस राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का गठन करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का विभाजन पांच निजी कंपनियों में किया गया है। विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का विभाजन पांच निगमों में किया गया है जो कि वर्तमान में राज्य सरकार के स्वामित्व में कार्यरत है।

(2) जी, नहीं। निगमों द्वारा व्यवस्था संभालने से किसानों व अन्य उपभोक्ताओं को कोई असुविधा नहीं हो रही है। वर्तमान में लागू विद्युत आपूर्ति नीति भी पिछले वर्षों जैसी ही है। यांत्रिक खराबियों के कारण कुछ विद्युत उत्पादन गृहों में कभी-कभी विद्युत

(ऊर्जा मंत्री)

उत्पादन बन्द होने से विद्युत उपलब्धता में कमी हो जाती है, जिससे कुछ समय के लिए विद्युत आपूर्ति में कमी आ जाती है। फिर भी गत माहों में ग्रामीण क्षेत्रों में 6-8 घंटे तीन फेज व सांयकाल सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति की गई है।

(3) विद्युत मण्डल का पांच निगमों में विभाजन किया गया है। इसका कोई निजीकरण नहीं हुआ है। अंतः निजीकरण से उत्पन्न असुविधा का प्रश्न ही नहीं उठता है। सरकार वापस विद्युत मण्डल का गठन करने पर कोई विचार नहीं कर रही है।

राज्य विद्युत मण्डल के निजीकरण से उत्पन्न अव्यवस्था

175. **श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का विभाजन विश्व बैंक के दबाव में किया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि विश्व बैंक, मण्डल के विभाजन के पश्चात् ऋण देने में आना कानी कर रहा है?

(3) क्या यह सही है कि मण्डल के विभाजन के पश्चात् बनी कम्पनियां बिजली की दरें बढ़ाने के पश्चात् भी घाटे में चल रही है?

(4) क्या यह भी सही है कि कम्पनी बनने के पश्चात् कम्पनियों द्वारा चुपचाप से बिजली की दरें बढ़ा दी गई? क्या सरकार जनता पर पड़ रहे बोझ से उबारने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(5) क्या यह सही है कि विद्युत वितरण कम्पनियां उपभोक्ताओं से सुरक्षित राशि कनेक्शन के समय लेने के पश्चात् भी बार-बार नोटिस देती रहती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं। कम्पनी बनने के पश्चात् अभी तक किसी भी श्रेणी की विद्युत दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है।

(4) जी, नहीं। कम्पनियां बनने के पश्चात् अभी तक किसी भी श्रेणी की विद्युत दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है।

(5) जनरल कन्डीशन आफ सप्लाई के अनुसार उपभोक्ता को पूर्व वर्ष के औसत उपभोग के आधार पर 2 माह की राशि धरोहर राशि स्वरूप जमा रखनी होती है। अतः इस धरोहर राशि की आवश्यकता अनुसार ही पूर्व में जमा धरोहर राशि से अंतर की राशि जमा करवाने हेतु नोटिस दिये जाते हैं जो पूर्णतः नियमानुसार है।

हिण्डौन के कृषि कुओं पर पुनः कनेक्शन

176. **श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में वर्ष 1993 से सितम्बर, 2000 तक ऐसे कितने कुऐं थे, जिनका पानी सूख जाने के कारण उनके कनेक्शन किसानों ने कटा रखे हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में गत पांच वर्षों की अवधि में ऐसे कितने कृषक हैं, जिन्होंने सूखे हुए कुओं में पुनः कनेक्शन लेने हेतु फीस जमा करा रखी है और अभी तक कनेक्शन नहीं दिये गये हैं? किसानों के नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) गत पांच वर्षों की अवधि में रुपये जमा हुये किसानों के कनेक्शन सरकार ने अभी तक क्यों नहीं किये हैं? क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता (ग्रामीण), ओ.एण्ड.एम. हिण्डौन (करौली) ने कई किसानों को पत्र जारी कर उक्त प्रकरणों से संबंधित मामलों में लाइन चार्जेज की राशि जमा कराने हेतु लिखा है? यदि हां, तो किन-किन को नोटिस जारी किये गये?

(5) क्या यह भी सही है कि विद्युत बोर्ड के आदेश संख्या-51 दिनांक 22-6-2000 के अनुसार इसके बाद के कनेक्शनों में लाइन चार्जेज लिये जाने हैं?

(6) क्या उक्त तिथि से पूर्व के ऐसे कनेक्शनों के व्यक्तियों से लाइन चार्जेज की राशि वसूल नहीं की जानी है? क्या इस आदेश के बाद भी राशि वसूली जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(7) क्या सरकार उक्त सहायक अभियन्ता को उक्त संबंध में कोई आदेश पृथक् से जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में वर्ष 1993 से सितम्बर, 2000 तक कुओं में पानी सूख जाने के कारण 9 कृषि उपभोक्ताओं ने कनेक्शन कटा रखे हैं।

(2) उक्त क्षेत्र में केवल एक कृषि उपभोक्ता श्री भरोसी लाल पुत्र ओमप्रकाश ग्राम-मण्डावरा ने सूखे हुए कुएं में पुनः कनेक्शन हेतु फीस जमा करा रखी है।

(3) उक्त क्षेत्र में 9 किसानों ने बकाया राशि जमा करवाकर पुनः कनेक्शन चाहे हैं परन्तु नियमानुसार एल.टी.लाइन के चार्जेज जमा नहीं करवाये हैं। इसलिए पुनः कनेक्शन नहीं दिये जा सके। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ऊर्जा मंत्री)

(4) जी, हां। उक्त प्रकरणों से संबंधित जिन 9 उपभोक्ताओं को नियमानुसार आवश्यक चार्जेज जमा करवाने हेतु लिखा है, उनकी सूची परिशिष्ट-"अ" में संलग्न है।

(5) दिनांक 22.6.2000 के आदेश के बाद वास्तविक खर्चा ही लिये जाने का प्रावधान है।

(6) इस तिथि से पूर्व के ऐसे कनेक्शनों के उपभोक्ता यदि दिनांक 22.6.2000 के आदेश के बाद पुनः कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं तो उनसे वास्तविक खर्चा ही लिये जाने का प्रावधान है और प्रावधानों के अनुसार ही राशि लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(7) आदेश स्पष्ट है, अतः सहायक अभियन्ता को पृथक से आदेश देने की आवश्यकता नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

तहसील-राजगढ़ (चूरू) में विद्युतीकृत अनुसूचित जाति की बस्तियां

177. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील-राजगढ़ (चूरू) में कितनी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया?

(2) उक्त तहसील में अब किन-किन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जाएगा? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त तहसील में पूर्व में स्वीकृत कितनी बस्तियों में विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं एवं कितनी शेष हैं?

उत्तर

(1) तहसील-राजगढ़ (चुरू) में 56 बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट-"क" पर उपलब्ध है। अनुसूचित जाति की बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु निर्धारित मापदण्ड परिशिष्ट-"ख" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त तहसील में वर्ष 2000-2001 में अभी तक किसी भी हरिजन बस्ती को विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) उक्त तहसील में पूर्व में स्वीकृत परिशिष्ट-"क" में दर्शायी गयी सभी 56 हरिजन बस्तियों में विद्युत कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

प्रश्न संख्या-178

(स्थगित)

सहकारिता के आधार पर तिलम संघ द्वारा स्थापित उद्योग

179. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सहकारिता के आधार पर तिलम संघ, गंगानगर

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

काटन काम्पलेक्स एवं केशोराय सुगर मिल्स उद्योग स्थापित है? यदि हां, तो उनकी सफलता/असफलता लाभ एवं घाटे का गत दस वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त उद्योग घाटे में है तो उनके क्या कारण रहे हैं और उनके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है तथा उनके विरुद्ध क्या कदम उठाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सहकारी उद्योगों को लाभ में लाने के लिये अब तक क्या उपाय किये गये हैं और अब क्या उपाय किये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) जी, हां। संस्थाओं के 10 सालों का लाभ-हानि का विवरण इस प्रकार है :

तिलम संघ		केशोरायपाटन सह. शुगर मिल्स	गंगानगर काटन काम्पलेक्स
वर्ष	शुद्ध लाभ-हानि	शुद्ध लाभ-हानि	शुद्ध लाभ-हानि
1990-91	– 109.50	– 66.96	—
1991-92	– 530.10	+ 2.87	– 81.05
1992-93	– 1679.77	+ 16.74	– 396.98
1993-94	– 1097.81	+ 0.81	– 120.80
1994-95	– 1956.06	+ 44.69	– 169.06
1995-96	– 1760.29	+ 2.63	– 152.62
1996-97	– 1718.46	+ 3.30	+ 18.90
1997-98	– 2040.54	+ 3.36	– 323.20
1998-99	+ 196.51	– 216.18	– 535.50
1999-2000	– 1998.50	– 325.00	– 616.03

(2) उक्त तीनों उद्योगों के घाटे के कारणों का विवरण इस प्रकार है :

1. तिलम संघ में हानि के प्रमुख कारण :

(सहकारिता मंत्री)

तिलम संघ के घाटे में चलने के कारणों का पता लगाने के लिये राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक 7 मार्च, 1994 के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था। उक्त कमेटी ने तिलम संघ के घाटे के कारणों की गहराई से जांच कर संघ के घाटे के निम्न कारण बतलाये है :

(1) दीर्घावधि ऋण पर अत्यधिक ब्याज भार एवं अधिक ह्रास भार का होना। (2) कार्यशील पूंजी पर अधिक ब्याज (3) मंहगा उपार्जन होना (4) प्रक्रिया से हानि का होना (5) विपरीत बाजार रुख (6) बिक्री कर में छूट न होना (7) सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति का होना (8) कर वंचना न होना (9) कन्जूमर पैक बिक्री हेतु अपर्याप्त संसाधनों का होना (10) कार्यशील पूंजी का अभाव।

2. काटन काम्पलेक्स में हानि के कारण

1. परियोजना के लिए वित्तीय व्यवस्था में रु. 2711.26 लाख के प्रावधान में एनसीडीसी का ऋण राज्य सरकार की हिस्सा राशि सदस्यों की हिस्सा राशि को शामिल किया गया था। इस राशि में से 50% ऋण रु. 1355.63 लाख का ऋण एनसीडीसी से 10.25% ब्याज पर लिया गया था तथा राज्य सरकार की हिस्सा पूंजी 1220.60 लाख तथा सदस्यों की हिस्सा पूंजी 135.56 लाख रु. में से रु. 26.55 लाख प्राप्त हुये, जिसमें से संस्था ने वर्ष 1992-93 तक 2695.20 लाख का व्यय संस्था में भूमि, भवन तथा मशीनरी की स्थापना में होने के कारण कार्यशील पूंजी का अभाव तथा हिस्सा पूंजी के अनुपात में ऋण की मात्रा अधिक होने के कारण इसकी अदायगी एवं ब्याज के भुगतान का असहनीय भार पड़ने से संस्था को रु. 451.88 लाख असल एवं ब्याज 1271.98 लाख का कुल 1723.86 लाख रु. का भुगतान करना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप काटन काम्पलेक्स के पास कार्यशील पूंजी में और भी ज्यादा कमी हो गई।

2. संस्था के पास वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण कुल पुर्जे में आ रही कठिनाइयों के कारण मशीनों की उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है, जिससे संस्था के उत्पादन एवं उत्पाद की गुणवत्ता में कमी आने से बाजार में संस्था की साख में कमी आई है।

3. विगत 3 वर्षों में बाजार की विपरीत परिस्थितियों के कारण रुई की कीमत में काफी वृद्धि हुई है। जबकि उत्पादित माल एवं धागे की कीमतों में आयात में निरन्तर वृद्धि के कारण सस्ती दरों पर बेचने से हानि।

4. रुई धागे का अनुपात 65% से बढ़कर 77% हो गया है। जबकि संस्था के हित में रुई धागा अनुपात जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है।

(सहकारिता मंत्री)

5. संस्था में जिनिंग एवं प्रोसेसिंग इकाई जिसकी लागत लगभग 4.5 करोड़ रु. है का वर्ष 1993-94 में 29% उपयोगिता को छोड़कर कभी भी 10% से ज्यादा की उपयोगिता नहीं होने तथा वातानुकुलित प्लान्ट का बिलकुल भी उपयोग नहीं होने से हानि हुई है।

3. केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि. में हानि के कारण

1. वर्ष 1965 में मिल के पंजीयन के उपरान्त परीक्षण उत्पादन में 6 वर्ष से अधिक अवधि के अनावश्यक विलम्ब के कारण 1971-72 में उत्पादन प्रारम्भ करने के पूर्व ही संस्थापन एवं कार्यालय व्यय के प्रति 113 लाख रु. की हानि वेतन आदि पर अनुत्पादक व्यय के कारण हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त परियोजना की स्थापना में विलम्ब के कारण भी इसकी लागत में अनावश्यक वृद्धि हुई है।

2. मिल के पास स्वयं की पूंजी के अभाव में वितीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण का समय पर भुगतान नहीं होने के कारण ब्याज के भार में निरन्तर वृद्धि होती रही है।

3. वित्तीय तरलता के अभाव में मिल के प्लान्ट एंव मशीनरी की समुचित रख-रखाव नहीं होने के कारण उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

4. मिल में आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों/श्रमिकों के कारण अत्यधिक संस्थापन व्यय होता रहा है।

5. यद्यपि उद्योग विभाग द्वारा मिल के 40 कि.मी. क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, किन्तु फिर भी इस क्षेत्र में कई अनाधिकृत खाण्डसारी इकाइयों व पावर क्रेशर्स से प्रतिस्पर्धा के कारण मिल की नियमित गन्ना आपूर्ति में कमी होती रही है।

6. क्षेत्र में अपर्याप्त वर्षा तथा गन्ने की फसल को गर्मियों में अपर्याप्त सिंचाई की वजह से समय पर पानी प्राप्त नहीं होने के कारण गन्ना उत्पादन में गिरावट के फलस्वरूप चीनी उत्पादन में भी कमी आती रही है।

7. बून्दी क्षेत्र में चावल की फसल बोने में कम लागत व अधिक लाभ प्राप्ति के कारण कृषकों का रूझान चावल बोने में अधिक होने के कारण गन्ने की पैदावार में कमी आई है।

8. चीनी उत्पादन में लिये निर्धारित मानक 9-10% चीनी प्राप्ति के स्थान पर मिल द्वारा पिछले कुछ वर्षों में केवल 7-8% चीनी प्राप्ति के कारण भी हानि बढ़ी है।

9. गन्ने की क्रय कीमतों में वर्ष 1998 से लगभग 20/- रु. से अधिक प्रति क्विन्टल की वृद्धि होने के कारण मिल के व्यय बढ़े हैं।

(सहकारिता मंत्री)

उपरोक्त तीनों उद्योगों की वर्तमान वित्तीय स्थिति के लिये तात्कालिक परिस्थिति जिम्मेदार है। संस्था की असफलता के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाना सम्भव नहीं होने के कारण किसी के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया गया है।

(3) **तिलम संघ :** तिलम संघ के पुनर्वास हेतु एक योजना पर दिनांक 25.1.1995 को मुख्य सचिव महोदय के कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया था। उक्त बैठक के निर्णयों की अनुपालना में संघ को लाभ में लाने के लिए निम्न उपाय किये गये :

1. संघ को ब्याज मुक्त रु. 10.00 करोड़ की कार्यशील पूंजी प्रदान की गयी।

2. संघ के उत्पादों पर बिक्री कर पर 75% की छूट प्रदान की गयी।

3. दीर्घावधि ऋण में से रु. 22.00 करोड़ को अंशपूंजी में परिवर्तित किया गया।

4. इसके अतिरिक्त मंत्रीमण्डल आज्ञा संख्या-57/98 दिनांक 15.4.1998 द्वारा संघ की चार इकाइयों जो किसी भी तरह लाभ में लाया जाना सम्भव नहीं था। अतः उन्हें बन्द करने का निर्णय लिया गया।

5. संघ को दिनांक 13.2.1995 को "सहायता उपक्रम" घोषित किया गया।

6. अपैक्स बैंक के माध्यम से प्रदत्त ऋण को राज्य सरकार के माध्यम से प्रदत्त माना गया जिससे संघ को देय ब्याज में 3% का लाभ हुआ।

वर्तमान में भारत सरकार की उदार आयात नीति की वजह से खाद्य तेल काफी मात्रा में आयात किया जा रहा है, जिसने भारतीय खाद्य तेल उद्योग की कमर तोड़ दी है। इस विषम परिस्थितियों से उबरने के लिए संघ संघर्षरत है।

तिलम संघ के अधिशेष 176 कर्मचारियों में से 11 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृति, त्याग-पत्र के आधार पर सर्विस से हटाया गया है तथा 129 कर्मचारियों को सहकारी संस्थाओं में लगाया जा चुका है। शेष को लगाने की कार्यवाही जारी है।

काटन काम्पलेक्स को लाभ में लाने के उपाय

संस्था के संसाधनों में वृद्धि हेतु रु. 734 लाख दिलाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार की प्रतिभूति हेतु भेजे गये थे, जो विचाराधीन है। संस्था को लाभ में लाने तथा संचालन के लिए संस्था पर एनसीडीसी का ऋण बकाया 903.75 लाख एवं उस पर देय ब्याज 775.95 लाख को हिस्सा पूंजी में परिवर्तित करने हेतु तथा गंगानगर, सी.सी.बी. के बकाया 537.52 लाख का भुगतान 3-4 साल तक स्थगित करवाने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

(सहकारिता मंत्री)

केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स को लाभ में लाने के उपाय

संस्था के संचालन के लिये पूर्व में स्थापना के समय दिये गये ऋण के अतिरिक्त वर्ष 1991-92 में रु. 260 लाख की सहायता दी गई थी तथा संस्था के संसाधनों में वृद्धि हेतु 181 लाख रु. कार्यशील पूंजी के रूप में उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव प्रेषित कर दिये गये हैं। संस्था के संचालन के सम्बन्ध में गठित कमेटी की सिफारिश विचाराधीन है।

भूमि विकास बैंकों द्वारा अवधि पार ऋणों की वसूली हेतु योजना

180. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में भूमि विकास बैंकों में अवधिपार ऋणों की कितनी बकाया राशि है? विवरण बैंकानुसार सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1997-98 से 1999-2000 में इन अवधिपार ऋणों की वसूली कितनी की गई? विवरण वर्षवार बकाया एवं वसूली बैंकानुसार सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अवधिपार ऋणों को वसूल करने की कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक?

उत्तर

(1) राज्य के 36 भूमि विकास बैंकों में 30.6.2000 को 16661.74 लाख अवधिपार ऋण राशि बकाया है। बैंकानुसार विवरण संलग्न परिशिष्ट-"क" में अंकित है।

(2) वर्ष 1997-98 से 1999-2000 में अवधिपार ऋणों की क्रमशः 2392.14 लाख, 3083.78 लाख एवं 3091.03 लाख की वसूली की गई। वर्षवार बकाया एवं वसूली बैंकानुसार विवरण संलग्न परिशिष्ट-"ख" में अंकित है।

(3) जी, हां। विवरण संलग्न परिशिष्ट-"ग" में अंकित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति में अनियमितता

181. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या भूमि विकास बैंक संचालक मण्डल ने अपनी प्रथम बैठक दिनांक 3-2-1997 को एच.एम.टी. ट्रैक्टर कोटेशन पर नियम विरुद्ध स्वीकृत किया? क्या उस पर उप रजिस्ट्रार व डी.आर.डी.ए. आयोजना अधिकारी ने अपनी असहमति दर्ज कराई हैं? यदि हां, तो ऋण स्वीकृत करने के आदेश किसके द्वारा दिये गये?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(2) क्या यह सही है कि सरकार की ओर से अधिकृत राजस्थान एग्रो द्वारा एच.एम.टी. ट्रैक्टर की स्वीकृत दर अन्य डीलरों की दर से 9000/- रुपये 19000/- कम क्यों थी? यदि हां, तो इसके बाद भी अधिक दरों पर स्वीकृति जारी करने के क्या कारण रहे?

(3) क्या यह भी सही है कि एच.एम.टी. ट्रैक्टर की ऐजेन्सी को सीधा लाभ पहुंचाने की मंशा से किसानों पर अतिरिक्त बोझ डाला गया? यदि हां, तो इसके लिये दोषी व्यक्ति कौन हैं एवं उसके विरुद्ध सरकार क्या कोई कार्यवाही ही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) सहकारी भूमि विकास बैंक, उदयपुर के संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 3.2.1997 में प्रस्ताव संख्या-3 के माध्यम से ट्रैक्टरों के लिए ऋणों की स्वीकृति करते समय यह बिन्दु विचारार्थ आया कि ट्रैक्टरों में राजस्थान स्टेट एग्रो की दरें एवं प्राइवेट फर्म की दरों में अन्तर है, अतः उप पंजीयक एवं आयोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. ने ऋण स्वीकृति में अपनी असहमति दर्शाई। संचालक मण्डल ने बहुमत से ऋण की पत्रावलियां इस निर्णय के साथ स्वीकृत की, कि बैंक द्वारा ट्रैक्टर कम्पनियों एवं स्टेट एग्रो से उनकी कीमतें मंगवाई जावेगी एवं कम्परेटिव सूचना के आधार पर कम लागत के आधार पर अगली कार्यवाही की जावेगी। जो तुलनात्मक दरें प्राप्त की गई उनमें प्राइवेट डीलरों की दरें राजस्थान स्टेट एग्रो की दरों से कम पाई गई। अतः संचालक मण्डल के द्वारा स्वीकृत ऋणों का कृषकों को भुगतान किया गया।

(2) जी, नहीं।

(3) जी नहीं।

राज्य में पंजीकृत हाथकरघा सहकारी समितियां

182. श्री रामचन्द्र सराधना (जमुवा-रामगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में कुल कितनी पंजीकृत हाथकरघा सहकारी समितियां हैं? उक्त समितियों की सदस्य संख्या क्या है? उक्त समितियों में से कितनी सक्रिय हैं और कितनी निष्क्रिय हैं? क्या निष्क्रिय सहकारी समितियों को अवसायन में परिभाषित किया जाता है? यदि हां, तो ऐसी कितनी समितियां हैं व किस नियम के तहत अवसायन में हैं?

(2) क्या अवसायन में आयी समितियों को पुनर्जीवित करने का कोई प्रयास सरकार द्वारा किया जाता है? यदि हां, तो क्या? ऐसी कौन-कौन सी समिति हैं जिन्हें राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि., जयपुर द्वारा

(श्री रामचन्द्र सराधना)

सूत की आपूर्ति नहीं करने के कारण निष्क्रिय हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में ऐसी कितनी हाथकरघा सहकारी समितियां हैं जिन्हें विगत पांच वर्षों में रिबेट एवं बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के तहत धनराशि दी गई? उक्त धनराशि किस-किस समिति को कितनी-कितनी, किस-किस वर्ष में दी गई? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राजस्थान हाथकरघा विकास निगम तथा बुनकर सहकारी संघ तथा जिला सहकारी संघ भी बाजार विकास सहायता योजना के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं? यदि हां, तो यह योजना कब आरम्भ हुई और इसके अन्तर्गत सहायता लेने की क्या शर्तें व नियम हैं? नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या राज्य हाथकरघा विकास निगम राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ एवं अन्य हाथकरघा जिला सहकारी संघों ने गत दो वर्षों में इस सहायता योजना के तहत धनराशि प्राप्त की है? यदि हां, तो कब से कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त की है?

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल 709 पंजीकृत हाथकरघा सहकारी समितियां है। उक्त समितियों की सदस्य संख्या-16,207 है। उक्त समितियों में 301 समितियां सक्रिय है और 348 समितियां निष्क्रिय है। निष्क्रिय सहकारी समितियों को अवसायन में परिभाषित नहीं किया जाता है। लेकिन राज्य में 60 समितियां राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 78 के अन्तर्गत अवसायनाधीन है।

(2) जी, हां। अवसायन में आई समितियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाता है। अवसायनाधीन सहकारी समितियों के अवसायक द्वारा समय-समय पर समितियों के सदस्यों की बैठक आहूत कर पुनर्जीवित करने हेतु विचार-विमर्श किया जाता है। पुनर्जीवित की सम्भावना होने पर अवसायक द्वारा पुनर्जीवित करने हेतु जिले के उप/सहायक रजिस्ट्रार से निवेदन किया जाता है। तत्पश्चात् अधिनियम में वर्णित प्रक्रिया के तहत समिति को पुनर्जीवित किया जाता है। राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ द्वारा सूत की आपूर्ति नहीं करने के कारण समितियों के निष्क्रिय होने की जानकारी नहीं है।

(3) विगत 5 वर्षों में राज्य की 14 हाथकरघा सहकारी समितियों को रिबेट सहायता एवं 30 हाथकरघा सहकारी समितियों को बाजार विकास सहायता राशि दी गई है। जिलेवार सूची परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न है।

(उद्योग मंत्री)

(4) जी, हां। योजना वर्ष 1988-89 से प्रारम्भ हुई है। नियम की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(5) जी, हां। राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम एवं राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ को गत दो वर्षों में निम्न प्रकार बाजार विकास सहायता राशि दी गई है :—

नाम संस्था		वर्ष 1998-99	1999-2000
1.	राजस्थान हाथकरघा विकास निगम लि., जयपुर	10,43,755	—
2.	राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर सहकारी संघ लि., जयपुर	11,28,777	10,89,270

अन्य हाथकरघा जिला सहकारी संघों को उक्त वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत सहायता नहीं दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

183. श्री मोहन लाल बास्याल (जायल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में कुल कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत हैं?

(2) क्या उक्त पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समितियों में से कुछ गृह निर्माण सहकारी समितियों के विरुद्ध अनियमितता भ्रष्टाचार, रिकार्ड में हेराफेरी तथा अन्य प्रकार की गैर कानूनी कृत्य करने पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किन-किन समितियों के विरुद्ध? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त समितियों में से किसी समिति का पंजीकरण भी रद्द किया गया है? यदि हां, तो किन-किन समितियों का?

(4) उक्त समितियों के विरुद्ध क्या-क्या आरोप पाये गये और उनके विरुद्ध कार्यवाही किस तारीख को की गई?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समितियों की कुल संख्या दिनांक 20.10.2000 को 184 है।

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी, हां। समितियों की सूची व की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-"एक" पर संलग्न है।

(3) जी, नहीं।

(4) समिति के विरुद्ध पाये गये आरोपों व की गई कार्यवाही का तारीखवार विवरण प्रश्न के बिन्दु संख्या दो के संलग्न परिशिष्ट-"एक" में समाविष्ठ है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा पेंशनर्स को जारी अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र

184. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा एलोपैथिक दवाइयां उपलब्ध न होने पर पेंशनर्स को अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र जारी करने की व्यवस्था करने संबंधी आदेश सरकार द्वारा जारी किये गये थे?

(2) क्या बाद में इसे बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो अब सरकार कब तक उक्त व्यवस्था पुनः लागू करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर के स्तर से एक नवम्बर, 2000 से उक्त व्यवस्था जयपुर स्थित एलोपैथिक दुकानों (जे.के.लोन स्थित दुकानों के अलावा) पर पुनः लागू किये जाने के आदेश संघ द्वारा जारी कर दिये गये हैं।

ग्राम पंचायत-दादू बासनी (नागौर) में संचालित चारा डिपो

185. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत-दादू बासनी-पंचायत समिति-डीडवाना, जिला-नागौर में गत अकाल के समय चारा डिपो खोला गया था? यदि हां, तो कब से कब तक यह चारा डिपो पर आया था, किस स्थान पर यह चारा वितरण के लिये रखा गया और किस व्यक्ति ने इस चारा डिपो का संचालन किया है तथा कितना-कितना भुगतान किस-किस को कब-कब किया गया?

(2) क्या चारा गांव में पहुंचाने की सत्यता के लिये किसी अधिकारी द्वारा इसका सत्यापन भी किया जाता है? यदि हां, तो इस चारा डीपो पर आये चारे को किसके द्वारा कब-कब सत्यापन किया गया? सत्यापन की प्रतियां सहित विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) उक्त चारा डिपो पर आये चारे का वितरण किस-किस गांव के लिये कितने व्यक्तियों को किया गया?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत-दादू बासनी, पंचायत समिति-डीडवाना, जिला-नागौर में गत अकाल के समय जिला प्रशासन द्वारा चारा डिपो स्वीकृत किया गया था लेकिन यह चारा डिपो प्रारम्भ न ही किया गया। इसलिये चारा न तो आया न ही वितरण किया गया और न ही भुगतान किया गया।

(2) जी, हां। लेकिन इस चारा डिपो को चालू ही नहीं किया गया था, अतः इसका सत्यापन नहीं किया गया।

(3) उक्त चारा डिपो प्रारम्भ नहीं होने के कारण किसी भी गांव के लोगों को चारा वितरण नहीं किया गया।

जिला-चूरू के अभावग्रस्त ग्रामों में पेयजल वितरण पर व्यय

186. **श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) :** क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मार्च, 1999 से 31 जुलाई, 2000 तक चूरू जिले के अभावग्रस्त ग्रामों में पेयजल समस्या के निवारण हेतु किन-किन गांवों में टैंकरों द्वारा कितना-कितना पानी कब-कब पहुंचाया गया और ग्रामवार टैंकरों द्वारा प्रतिदिन कितना पानी वितरित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में समाजसेवी संस्थाओं द्वारा भी टैंकरों द्वारा पानी पहुंचाया गया है? यदि हां, तो कितना-कितना पानी किस-किस गांव में कब-कब पहुंचाया गया? चूरू जिले में लाभान्वित ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में चूरू जिले में प्राइवेट ठेके पर लिये गये टैंकरों, ट्रकों एवं ट्रैक्टरों एवं गाडों द्वारा पानी सप्लाई किया गया है? यदि हां, तो कितना-कितना भुगतान किस-किस गांव में कब-कब किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें?

(4) उक्त कार्यों का कितना-कितना भुगतान किस-किस गांव में कब-कब से बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें? अब उनका भुगतान कब तक किये जाने का विचार है?

उत्तर

(1) मार्च, 1999 से जुलाई, 2000 तक चूरू जिले के अभावग्रस्त ग्रामों में किये गये पेयजल आपूर्ति का ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-"क")

(2) जी, हां। उक्त अवधि में समाज सेवी संस्थाओं द्वारा भी पेयजल उपलब्ध कराया गया है। ग्रामवार लाभान्वित ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-"ख")

(अकाल राहत मंत्री)

(3) जी, हां। प्राइवेट ठेके पर लिये गये टैंकरों/ऊंटगाड़ी द्वारा पानी पहुंचाया गया है। किये गये भुगतान का तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-"ग")

(4) बकाया पेयजल परिवहन की राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट दिनांक 10.10.2000 द्वारा संबंधित तहसीलदार को भुगतान हेतु भिजवाई जा चुकी है। जिसका शीघ्र भुगतान कर दिया जावेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अकाल के दौरान राज कोष से व्यय

187. **श्री सांवर लाल (भिनाय)** : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार ने वर्ष 1999-2000 के अकाल के दौरान प्राकृतिक आपदा कोष, राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा कोष एवं प्रधान मंत्री सहायता कोष के अतिरिक्त अपने बजट से भी कोई राशि व्यय की है? यदि हां, तो कितनी-कितनी, किस-किस माह में किस-किस मद हेतु?

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 के अकाल के दौरान राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एन.एफ.सी.आर), आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ) एवं प्रधानमंत्री सहायता कोष से 565.94 लाख रुपये खर्च किये गये जिसमें राज्य सरकार का हिस्सा पूंजी 51.75 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने अकाल राहत गतिविधियों पर सम्वत् 2056 में 286.08 करोड़ रुपये अपने संसाधनों से खर्च किये हैं।

जिला-कोटा में स्थापित उद्योगों से प्रदूषण

188. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)** : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सी.एफ.सी.एल. (गढ़ेपान) एवं डी.सी.एम., कोटा के प्रदूषण से आस-पास के ग्रामवासियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है?

(2) क्या उक्त फैक्ट्रियों के पास प्रदूषण नियंत्रण के सभी संसाधन व उपकरण उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त क्षेत्र में प्रदूषण से संबंधित गत तीन वर्षों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या उक्त स्थानों पर प्रदूषण से संबंधित जांच समय-समय पर की जाती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो गत वर्ष में किन-किन तिथियों में की गई?

(5) उक्त क्षेत्र में गत तीन वर्षों में प्रदूषण बाबत कब-कब, किन-किन से शिकायतें

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

प्राप्त हुई व उन पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) उक्त क्षेत्र में जल अथवा वायु के कारण होने वाले रोगों की अप्रत्याशित रूप से कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, तथा न ही इससे कोई होने वाली महामारी की सूचना प्राप्त हुई है।

(2) मैसर्स सी.एफ.सी.एल. एवं डी.सी.एम. उद्योगों में जल/वायु/प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उचित उपकरण स्थापित किए हुए हैं। जल/वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु उचित प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करने तथा उन्हें समुचित रूप से संचालित कर प्रदूषण नियंत्रण करना प्रमुख उद्देश्य है।

(3) मैसर्स सी.एफ.सी.एल. एवं डी.सी.एम., कोटा के विरुद्ध माह जनवरी, 1998 से अब तक आठ शिकायतें प्राप्त हुई है। उक्त शिकायतों की प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जांच की गई जिसमें मामला मुख्यतः गैस रिसाव का होने एवं उसकी क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा मांगने से सम्बन्धित होने के कारण प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण जिला कलेक्टर को अपने स्तर एवं इन्सपेक्टर फैक्ट्रीज एवं बायलर्स के माध्यम से कार्यवाही करवाने के लिए लिखा गया है।

(4) जी, हां। उपरोक्त उद्योगों की प्रदूषण संबंधी जांच समय-समय पर की जाती है। राज्य मण्डल द्वारा इन उद्योगों का गत वर्ष से अब तक किए गए निरीक्षणों एवं नमूनों के एकत्रीकरण की तिथियां परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(5) गत तीन वर्षों में उपरोक्त उद्योगों के विरुद्ध प्राप्त आठ शिकायतों पर प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जांच की गई एवं मामला मुख्यतः गैस रिसाव का होने एवं उसकी क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा मांगने से सम्बन्धित होने के कारण प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण जिला कलेक्टर को अपने स्तर एवं इन्सपेक्टर फैक्ट्रीज एवं बायलर्स के माध्यम से कार्यवाही करवाने के लिए लिखा गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

सुभाष चौक, जयपुर में संचालित उद्योग पर रोक

189. श्री मकबूल खान (फतेहपुर) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या आवासीय कालोनियों में जहरीली गैस छोड़ने वाली एवं ध्वनी प्रदूषण करने वाली फैक्ट्रियों को संचालित करने हेतु सरकार की अनुमति आवश्यक है? यदि हां, तो किन-किन शर्तों के आधार पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भंवरू खान)

(2) क्या यह सही है कि धोबियों का मोहल्ला सम्राट सिनेमा के पास सुभाष चौक, पुराना आमेर रोड, जयपुर पर संचालित फैक्ट्री आर. के. मैटल्स फिनिशर्स सरकार की अनुमति से संचालित है? यदि हां, तो किन-किन शर्तों के आधार पर अनुमति-पत्र जारी किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसी पर्यावरण दूषित करने वाली एवं जहरीली गैस छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को तुरन्त बंद करने/अनुमति-पत्र निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत जहरीली गैस छोड़ने वाले उद्योगों को अपना उद्योग संचालित करने हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से सम्मति प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रकार के उद्योगों पर उनके उत्पाद की प्रकृति के आधार पर राज्य मण्डल द्वारा सम्मति की शर्तें तथा तत्सम्बन्धी मानक अधिरोपित किये जाते हैं जो प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक है।

(2) जी, नहीं। मैसर्स आर. के. मैटल्स फिनिशर्स, धोबियों का मोहल्ला, सुभाष चौक, जयपुर द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियमों के अन्तर्गत सम्मति प्राप्त नहीं कर रखी है।

(3) राज्य मण्डल द्वारा उपरोक्त उद्योग द्वारा प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर को भी उक्त उद्योग के सम्बन्ध में नगरपालिका अधिनियम की धारा 233/248 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने के लिए भी लिखा गया है।

जिला परिवहन अधिकारी, पाली द्वारा खारची में प्राइवेट बसों को परमिट

190. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या जिला परिवहन अधिकारी, पाली द्वारा विधान सभा क्षेत्र खारची में प्राइवेट बसों को गत दो वर्षों में परमिट जारी किये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन मार्गों पर?

(2) क्या उक्त मार्गों पर राज्य पथ परिवहन निगम ने परमिट मांगे हैं? यदि हां, तो फिर प्राइवेट बसों को परमिट जारी करने के क्या कारण हैं?

(3) क्या प्राइवेट बसें मारवाड़ से पाली चलने वाली रोडवेज बसों को प्रभावित करती है? क्या सरकार प्राइवेट बसों के परमिट रद्द कर केवल चालीस किलोमीटर पर

(श्री केसाराम चौधरी)

अप-डाउन करने वाली बसों को मारवाड़ से आगे धनला, जोजावर, नाडोल तथा फुलाद तक आगे बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) परमिट जारी करने का कार्य सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जाता है। गत दो वर्षों में सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, पाली द्वारा विधान सभा क्षेत्र खारची के निम्नांकित प्राइवेट बस मार्गों के लिए परमिट जारी किये गये हैं :

क्र.सं.	मार्ग का नाम
1.	पाली-आमेट
2.	गजनई-करेड़ा
3.	रानी-देसूरी
4.	पाली-जोजावर
5.	हरिपुर-फुलाद
6.	सोजत-फुलाद-देसूरी एकीकृत मार्ग

(2) उक्त मार्गों में से सोजत-फुलाद-देसूरी एकीकृत मार्ग पर परमिट प्राप्त करने हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर दिनांक 22.3.2000 को परमिट स्वीकृत किया जा चुका है एवं वर्तमान में निगम की बसें संचालित है। यह मार्ग राष्ट्रीयकृत नहीं है। अतः इस मार्ग पर निजी बसों को भी परमिट जारी किये जा सकते हैं।

(3) जी, नहीं। प्राइवेट बसें मारवाड़ से पाली चलने वाली रोड़वेज बसों को प्रभावित नहीं करती हैं क्योंकि निगम व प्राइवेट बसों की समय सारणी अलग-अलग है। चूंकि यह मार्ग राष्ट्रीयकृत नहीं है, अतः निजी बसों के परमिट रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला-पाली के ग्रामीण अंचलों में निगम बस सेवा

191. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा पाली आगार को कितनी बसें उपलब्ध करवा रखी हैं? उक्त बसों में से जिला पाली के ग्रामीण अंचलों में किस-किस मार्ग पर बसें संचालित की जा रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बस डिपो में अनुबन्धित बसें किस-किस बस मालिक से किस-किस तिथी से अनुबंध पर ले रखी हैं? मालिक का नाम व अनुबंध की तिथि की सूची सदन की मेज पर रखें?

(3) उक्त अनुबंधित बसें किस-किस मार्ग पर संचालित की जा रही हैं?

(4) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायपुर के ग्राम पंचायत मुख्यालय-कोट

(श्री हीरासिंह चौहान)

किराणा, वाया-रायपुर व दीपावास, वाया-रायपुर में रात्रि विश्राम के साथ बसें संचालित करने हेतु जन प्रतिनिधी काफी लम्बे समय से मांग कर रहे हैं? क्या सरकार उक्त स्थानों पर बसें संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या पाली से ब्यावर वाया-बर, गिरी, नानणा व चांग होते हुए ब्यावर तक बस संचालित करने की मांग लम्बे समय से जन प्रतिनिधिगण कर रहे हैं? यदि हां, तो उक्त सड़क मार्ग पर अब बस कब तक संचालित कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) वर्तमान में पाली आगार को 57 बसें उपलब्ध करवा रखी है। जिला पाली के ग्रामीण अंचलों में संचालित बसों की मार्गवार सूची परिशिष्ट-1 में उपलब्ध है।

(2) पाली आगार में अनुबन्धित बसों के मालिक का नाम, अनुबन्ध अवधि का विवरण मय वाहन संख्या परिशिष्ट-2 में उपलब्ध है।

(3) पाली आगार में संचालित अनुबन्धित बसों का मार्गवार विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(4) निगम की वित्तीय स्थिति खराब होने की वजह से फिलहाल बस संचालन का विचार नहीं है।

(5) वित्तीय स्थिति खराब होने की वजा से फिलहाल प्रस्तावित वायाज होकर ब्याव तक बस सेवा संचालन का कोई प्रस्ता विचाराधीन नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी

192. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या राज्य बीमा राज्य मंत्री यह बताने की कृप करेंगे : —

(1) राज्य में वर्तमान में राज्य बीम एवं प्रावधायी निधी विभाग में कुल कित अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं? संख्य विवरण पदवार सदन की मेज पर रखें;

(2) जयपुर स्थित राज्य बीमा ए प्रावधायी निधि विभाग में कुल कितनी शाखा कहां-कहां पर कार्यरत हैं एवं उनमें पृथक्-पृथ कितने-कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं संख्या सूची सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या यह सही है कि राज्य बीम विभाग में कर्मचारियों की कमी है? यदि हां, तो कुल कितने कर्मचारियों की कम है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य बीमा विभाग में ग दिनों (वर्ष 1999-2000) में कुछ कर्मचारियो को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी है? यदि हां तो कुल कितने कर्मचारियों को? नाम व

(श्री रामस्वरूप)

कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार की कर्मचारी कम किये जाने की नीति के अनुरूप राज्य बीमा विभाग भी अपने वर्तमान कर्मचारी संख्या में से कुछ कर्मचारी कम करना चाहता है? यदि हां, तो कुल कितने कर्मचारी कम किये जाने प्रस्तावित है? क्या इस संबंध में राज्य बीमा विभाग ने वित्त विभाग या अन्य किसी विभाग से कोई पत्राचार किया है? यदि हां, तो क्या?

(6) क्या राज्य बीमा विभाग में कर्मचारियों की तुलना में कार्य की अधिकता है? यदि हां, तो किस अनुपात में? क्या कार्य की अधिकता को देखते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग या राज्य सरकार को कर्मचारी भर्ती की डिमांड भेजी गई है? यदि हां, तो कब, कितनी और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में कुल 2067 कर्मचारी एवं अधिकारी कार्यरत है। कर्मचारियों की संख्या संबंधी विस्तृत परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के कुल 46 कार्यालय विभिन्न जिलों में स्थित है। विवरण और उनमें पृथक-पृथक कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) सभी संवर्गों के कुल 185 पद विभाग में रिक्त है। विवरण सूची परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(4) जी, नहीं। वर्ष 1999-2000 में किसी कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं किया गया है।

(5) जी, नहीं। राज्य बीमा विभाग में कर्मचारियों को कम किये जाने के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त विभाग या अन्य किसी विभाग से इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया गया है।

(6) दिनांक 5.11.1996 के परिपत्र के अनुसार जो नार्म्स निर्धारित किये गये हैं उनके आधार पर लिपिक संवर्ग (क. लि., व. लि. एवं कार्यालय सहायक) के कुल 89 पद वांछित संख्या से कम है। कर्मचारियों की भर्ती हेतु कोई डिमाण्ड राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों एवं राज. लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभ्यार्थियों एवं पदोन्नति से भी नियुक्ति नियमानुसार नियमित रूप से की जाती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला-गंगानगर में कृषि विपणन द्वारा निर्मित सड़कें

193. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर की कृषि उपज मंडी द्वारा कितनी नई सड़कें बनाई गई तथा कितने कार्य नवम्बर, 1998 से अगस्त, 2000 तक करवाये गये? कार्यों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र का कृषि उपज मंडी समिति (अनाज) व फल सब्जी मंडी में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? कर्मचारियों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त क्षेत्र की समितियों में कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर की कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा माह नवम्बर, 1998 से अगस्त, 2000 तक स्वीकृत कार्य का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) श्रीगंगानगर विधान सभा क्षेत्र की कृषि उपज मण्डी समिति अनाज एवं फल सब्जी, श्रीगंगानगर में कार्यरत कर्मचारियों एवं रिक्त पदों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-"ब" के अनुसार है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

जिला-जैसलमेर में निर्मित दुकानें

194. श्री अमीन खान (शिव) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) सरकार जिला जैसलमेर में कृषि मण्डियों का निर्माण कौन-कौन से स्थानों पर करना चाहती है?

(2) उक्त जिले की कौनसी कृषि मंडी में कितनी दुकानें कौनसी किस्म की आवंटित करने का विचार है?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में निम्न स्थानों पर मण्डी निर्माण कराया गया है :

1. मुख्य मण्डी जैसलमेर
2. मोहनगढ़
3. नाचना
4. रामगढ़

सुथारवाला में मण्डी बनाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) वांछित सूचना परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-22 देखें)

छबड़ा/छीपाबड़ोद (कोटा) में स्वीकृत सड़कों का निर्माण

195. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में कृषि उपज मण्डी समिति, छीपाबड़ोद द्वारा निर्माणाधीन सड़क निर्माण कार्य छीपाबड़ोद से गगचाना एवं रींझा से फूल बड़ौद बंद है? यदि हां, तो क्यों?

(2) उक्त निर्माण कार्यों को शुरू कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और अब कब तक निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया जाएगा?

उत्तर

(1) जी, हां। संवेदक द्वारा जून, 2000 से कार्य नहीं किये जाने के कारण कार्य बन्द है।

(2) संवेदक को इन कार्यों को पुनः चालू कर शीघ्र पूर्ण करने हेतु दिनांक 5.7.2000, 1.9.2000, 15.9.2000, 4.10.2000 एवं 24.10.2000 नोटिस जारी किये जा चुके हैं। परन्तु संवेदक द्वारा अभी तक कार्य चालू नहीं किया गया। यदि इस संवेदक द्वारा दिनांक 10.11.2000 तक कार्य चालू नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुबन्ध की धाराओं के तहत कार्यवाही की जाकर पुनः निविदा आमंत्रित कर अन्य संवेदक से कार्य पूर्ण कराने की कार्यवाही की जावेगी।

कोटड़ा से पाली तक सड़क निर्माण

196. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटड़ा (ब्यावर) से पाली जिला सीमा तक 3 किलोमीटर डामर सड़क बनाया जाना प्रस्तावित है?

(2) उस सड़क निर्माण कार्य का तखमीना कितनी राशि का बनाया गया और अब निर्माण कार्य कब तक चालू कर दिया जायेगा?

(3) अब उक्त सड़क कब तक पूर्ण कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी, नहीं। कोटड़ा (ब्यावर) से पाली जिला सीमा तक डामर सड़क से जुड़ा हुआ है।

(2) जी, नहीं। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) उक्तानुसार।

अनुपस्थिति-अनुमति

श्री किशन मोटवानी को 30 अक्टूबर, 2000 से सत्रान्त तक

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री किशन मोटवानी, सदस्य, विधान सभा ने स्वयं की अस्वस्थता के कारण दिनांक 30 अक्टूबर, 2000 से सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है : —

(1) डा. रतन लाल जाट एवं 12 अन्य सदस्यों की ओर से मालवीय क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जयपुर के प्राचार्य पद पर पदस्थापन में विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य की ओर से जिला पाली के रायपुर दीपावास बांध का पानी सिंचाई हेतु नहर में छोड़े जाने के संबंध में।

(3) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से इंडियन मेडिकल ट्रस्ट को बिना रजिस्ट्रेशन हुए मेडिकल कालेज हेतु कृषि भूमि की सस्ती दरों पर रजिस्ट्री कर बेचान करने के संबंध में।

उरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(4) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से कोटा संभाग में 80 अपहृत किये गये लोग अपहरणकर्ताओं के चंगुल में होने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

नियम 119 व 127 के तहत प्रस्तुत प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रस्ताव 127 के अन्तर्गत दिया हुआ है, उसके विषय में आपने व्यवस्थ नहीं दी। एक प्रस्ताव 119 के अन्तर्गत दिया हुआ है उसके बारे में आप क्य व्यवस्था देंगे ? अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष तो सुनेंगे नहीं।

(12.10 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

रोज ही होता है और आप कहते हो अब क्या बोलने देंगे? ये नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : लाखों लोग ए.एन.एम और नर्सेज का इंटरव्यू देने के लिए यहां आए हुए हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय नियम 127 के अन्तर्गत मेरा एक प्रस्ताव है जिसके विषय में व्यवस्था नहीं आयी। एक प्रस्ताव 119 के अन्तर्गत है, इसके लिए कल मुझे यह सूचित किया गया कि माननीय अध्यक्ष ने प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया और पत्रावली में जो बाते अंकित की थीं उसके आधार पर मैंने पुनः पत्र बनाकर दिया है।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

नियम 122 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि the Speasker may withhold consent to a Motion or part thereof. जिस बात के लिए उन्होंने लिखा था पार्ट देयर आफ करके विद होल्ड कर सकते थे। अब सदन का समय कम है, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस पर व्यवस्था आनी चाहिए। अब इस सदन के प्रारम्भ में ही (व्यवधान)

व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष द्वारा अग्राह्य प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति नहीं

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने दो प्रस्ताव दिये, एक 119 के तहत और दूसरा 127 के तहत। 119 का प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष ने अग्राह्य कर दिया अग्राह्य कर दिया उसको, उसको रिजैक्ट कर दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, वह तो वापास दिया है न।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट सुनो आप। बैठो, पूरी बात सुनो। इसके बाद आपने अध्यक्ष महोदय को वापास निवेदन किया कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। पुनर्विचार करने के बाद में भी संसदीय व्यवस्था में यह बात अधिस्थापित है कि अध्यक्ष के निर्णय को चाहे वह सदन में दिया गया हो या पत्रावली पर, सामान्यतः चुनौती नहीं दी जाती। इसलिए इस विषय में अब आगे किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्ताव तो आपका समाप्त हुआ। रहा सवाल आपके 127 का प्रस्ताव का, यह विचाराधीन है और उस पर विचार करके उसको लगाने की व्यवस्था करेंगे। (व्यवधान) अब क्या हुआ? हो गया न।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : मेरा भी दस्तखत है उसमें, विचाराधीन कब तक रखेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न, अब क्या चाहते हो आप? लगवाएंगे आपका 127 का, कह दिया न।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : विचाराधीन सदन की समाप्ति तक रखेंगे क्या?

श्री उपाध्यक्ष : इस सदन की समाप्ति से पहले लगवाएंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लगवाएंगे न?

श्री उपाध्यक्ष : हां, लगवाएंगे। और क्या चाहिए आपको? हो गया आपका। हो गयी न दोनों बात, अब क्या बचा है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने मुझे अभी सूचित किया, मुझे जानकारी नहीं है कि मैंने जब पुनर्विचार के लिए लिख दिया_

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी मैं दे रहा हूं आपको।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उस जानकारी में निवेदन कर रहा हूं मैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने जो जानकारी दी है, आपने यह कहा है कि माननीय अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। मैंने चुनौती नहीं दी। मैं इस नियम से अनभिज्ञ नहीं हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि माननीय अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। मैंने अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित किया है नियम 122 के अन्तर्गत, जिसके अन्तर्गत यह प्रावधान है कि माननीय अध्यक्ष प्रस्ताव या प्रस्ताव के किसी भाग को अग्राह्य कर सकते हैं। पर चूंकि मुझे पत्रावली के अवलोकन का अवसर प्रदान किया गया तो पत्रवली के, देखिये, माननीय अध्यक्ष अपने विवेक से कोई प्रस्ताव पर अनुमति दें या नहीं दें, वह तो चैलेंज नहीं कर सकता लेकिन जिस आधार पर दिया है उस पर तो मैं ध्यान आकर्षित कर सकता हूं। तो उसके अन्दर जो मैंने डाकूमेंट्स लगाये हैं, आपने यह कह दिया कि कल्पना के आधार पर आरोप लगाये गये हैं। दो पैराज मैंने निकालने के लिए दिये हैं जहां पर राशि का उल्लेख किया है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस बात को समझने की कोशिश करिये कि 119 आपका निरस्त हो गया। इस पर न तो सदन में विचार करने की अनुमति दे सकता हूं न यह प्रस्ताव वापास दोबारा आ सकता है। रहा सवाल 127 का, मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि सदन से पहले आपका प्रस्ताव लगाकर उस पर चर्चा का मौका देंगे। बात खतम। 119 का कोई प्रश्न ही नहीं है। It is out of question now.

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने जो कारण उसमें दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : कारण जो भी दिया हो, it cannot be challenged.

श्री सुरेन्द्र व्यास : It is not being challenged but what I beg to challenge is... (interruptions)...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसका क्या मतलब? ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आप समझने की चेष्टा करें।

श्री उपाध्यक्ष : समझ लिया मैंने।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं इसको चैलेंज नहीं कर रहा, आपने जिसको आधार बनाया है उसको चैलेंज कर रहा हूं। + + + अध्यक्ष का डिस्क्रिशन है कि अलाउ करे या नहीं करे।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपने उसको एग्जामिन किया, आपने जो यह कहा है...

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : अब इसको आप ज्यादा एग्जामिन कराओगे तो अभी आपको स्वयं को महसूस होगा कि आपने स्वयं ने इस प्रस्ताव में गलती की, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। आप विराजें, अब बात खतम हो गयी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, कोई गलती नहीं की मैंने, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को समाप्त करिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर आपने यह बात कही है तो मैं सदन में यह बात बता दूं कि आपने (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रस्ताव अपने आप में डिफैक्टिव है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कतई डिफैक्टिव नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री सी. पी. जोशी (पंचायती राज मंत्री) : अध्यक्ष महोदय के निर्णय पर आग्यूमैंट नहीं किया जा सकता।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कतई डिफैक्टिव नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस पर I cannot allow you. I cannot allow you on this, खतम हो गयी बात। अध्यक्ष महोदय ने जब व्यवस्था दे दी, उस पर आप चुनौती नहीं दे सकते, मैं अलाउ नहीं कर सकता।

श्री सुरेन्द्र व्यास : You may or may not allow but you cannot...

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए आपको अब आगे बोलने की परमिशन, आप विराजिये, प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप यह आब्जर्वेशन नहीं करेंगे कि डिफैक्टिव है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। एक जानकारी देना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्रीजी ने गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य को 31 तारीख के लिखित जवाब में बताया था (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : यह स्वास्थ्य मंत्रीजी ने लिखित में उत्तर दिया है, (व्यवधान) 9891 कम्पाउंडर्स के पद हैं, रिक्त 744 हैं। इन्होंने लिखित में उत्तर दिया है। आज 2.11.2000 को इन्टरव्यू का और आज उनकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्त्वपूर्ण मामला है। (व्यवधान)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

(1) डा. रतनलाल जाट, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की रायपुर तहसील के दो माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य की ओर से डूंगरपुर जिले के जल स्तर को कायम रखने के लिये नालों, नदियों में एनीकट, बांध आदि का निर्माण करने के सम्बन्ध में।.

(3) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के इटावा कस्बे की विद्युत लाइनें झूलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री भंवरू खान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के गांवों में बिजली की कमी के कारण पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में।

(5) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में 132 के.वी., जी.एस.एस. व 33 के.वी., जी.एस.एस. को तत्काल प्रारम्भ करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) डा. रघुवीर सिंह गौड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटपुतली में भू-जल स्तर में सुधार हेतु एनीकट बनाने के सम्बन्ध में।

(7) डा. करण सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम शाहजहांपुर व 16 अन्य गांवों के प्रारूप मास्टर प्लान 2011 में से शाहजहांपुर को निकालने के सम्बन्ध में।

(8) श्री दिग्विजय सिंह, सदस्य की ओर से बीसलपुर परियोजना से दायीं नहर के काश्तकारों को पानी देने के सम्बन्ध में।

(9) श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से जिला झुंझुनूं की नगरपालिका सूरजगढ़ एवं पिलानी की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री रमेश खींची, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कठूमर में बिजली की भारी किल्लत के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती कमला बृजलाल, सदस्य की ओर से अनुसूचित जाति/जनजाति के बेरोजगार अभियन्ताओं को विशेष भर्ती अभियान द्वारा नियुक्तियां देने के सम्बन्ध में।

(12) श्री ललित भाटी, सदस्य की ओर से तीर्थराज पुष्कर की पावन झील के घाटों से सटे होटलों की खिड़कियां बंद करवाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। क्या है?

सूचना प्राप्ति प्रश्न

दो नवम्बर को निश्चित नर्सेज के इन्टरव्यू का स्थगन

श्री सांवर लाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, हैल्थ मिनिस्टर ने यह कहा था सदन में (व्यवधान) यह कहा था सदन में कि दो नवम्बर को नर्सेज के इन्टरव्यू होंगे। (व्यवधान)

डा. रतन लाल जाट : उनको इन्टरव्यू के लिए बुलाया गया और उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। लाखों लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक माननीय सदस्य बोले तो कुछ समझ में आए, बाकी समझ में नहीं आता। (व्यवधान) आप में से पहले यह तय करो कौन बोलेगा। आप विराजें।

श्री सांवर लाल : स्वास्थ्य मंत्रीजी ने अपने उत्तर में यह बताया था कि नर्सेज के हजारों पद खाली पड़े हुए हैं, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, दो नवम्बर को जयुपर में साक्षात्कार होंगे। आज सारे कैंडिडेट जयपुर में साक्षात्कार के लिए आये हुए हैं और विभाग ने इन्टरव्यू स्थगित कर दिया। उनके भविष्य का क्या होगा? जो बेरोजगार खर्चा करके आ रहे हैं उनका क्या होगा? जो खाली पद पड़े हुए है उनका क्या होगा? सरकार ने यह आश्वासन दिया, पर्टीकुलर दो तारीख मंत्रीजी ने यहां घोषणा की, इसका क्या होगा? (व्यवधान)

डा. रतन लाल जाट : इसका हर्जा-खर्चा कौन देगा? लाखों लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मंत्री महोदय बताते हैं कि दो नवम्बर को इन्टरव्यू होने वाला है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, विषय इसलिए बहुत गम्भीर है कि इसी सत्र के प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह जवाब दिया कि दो नवम्बर के दिन नर्सेज के इन्टरव्यू होंगे, जितने खाली स्थान हैं वे भरे जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय जगतसिंह जी, कृपया विराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, इस सवाल की गम्भीरता इस बात से बहुत ज्यादा जुड़ी है कि इस सत्र में माननीय सदस्य के प्रश्न के जवाब में यह उत्तर आया कि दो नवम्बर के दिन नर्सेज के खाली स्थानों के इन्टरव्यू होंगे। उसी के आधार पर इन्टरव्यू घोषित थे और लड़कों को सूचना थी। वे सारे के सारे लोग यहां इन्टरव्यू देने आ गये और सरकार ने या विभाग ने इस इन्टरव्यू को कैंसिल कर दिया। दिये हुए जवाब के आधार पर, सूचना के आधार पर आज बहुत बड़ी तादाद में जयपुर में सारे छात्र आये हुए हैं, तो मैं सोचता

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हूं कि दिये हुए जवाब का इस प्रकार मखौल हो तो यह सदन की गरिमा को गिराता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी रक्षा आप ही कर सकते हैं। हमारी आप से विनम्र प्रार्थना है कि निश्चित रूप से मंत्रीजी से इसके बारे में पूछा जाए कि सदन में जब माननीय सदस्य के प्रश्न के जवाब में तारीख बतायी है, उत्तर दिया है, रिक्त स्थानों को भरने का इन्टरव्यू तय है तो आखिर क्या हुआ जिसके कारण बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी जानकारी प्राप्त कर सदन में मंत्रीजी से आपको जवाब दिलाएंगे। डा. रतन लाल जाट।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

रायपुर तहसील के दो माध्यमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन

डा. रतनलाल जाट (सहाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा की तहसील रायपुर में स्थित माध्यमिक विद्यालय मोखुन्दा तथा माध्यमिक विद्यालय नाहरी काफी पुराने स्कूल हैं। दोनों स्कूलों में छात्रों की संख्या सरकार के मापदण्डों के अनुसार पर्याप्त है। आस-पास के फीडिंग स्कूल भी पर्याप्त हैं, फिर भी लम्बे समय से मांग करते रहने के बावजूद इन स्कूलों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत नहीं किया गया है। यह पूर्ण रूप से राजनीतिक भेदभाव किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने से इस विधान सभा क्षेत्र के एक भी स्कूल को क्रमोन्नत नहीं किया गया है। इस प्रकार का राजनीतिक भेदभाव इस क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के भविष्य को देखते हुए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।

मैं शिक्षा मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि उपरोक्त दोनों माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाए ताकि छात्रों के साथ न्याय हो सके।

इसी तहसील रायपुर (भीलवाड़ा) के नाहरी पंचायत के गांव जोगरास प्राथमिक विद्यालय को भी उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए। धन्यवाद।

डूंगरपुर में जल स्तर बढ़ाने के लिए नदी-नालों पर एनीकट का निर्माण

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत डूंगरपुर जिले में जल स्तर को कायम करने के लिए ध्यानाकर्षन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर जिले में लगातार 4 वर्षों से अनावृष्टि से जिले का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। कुए, तालाब, नदी,

(श्री नाथूराम अहारी)

नालों में बिलकुल ही पानी नहीं है। हैण्डपम्प भी प्रायः समाप्त हो रहे हैं। जल स्तर कायम करने के लिए छोटे-छोटे नालों, नदियों पर एनीकट, बांध एवं तालाब की अत्यन्त आवश्यकता है। इस वर्ष भयंकर अकाल है। अकाल राहत के कार्य कराये जाने हैं तभी मजदूरी दे पाएंगे। मेरी मांग है कि आगामी अकाल की विभीषिका से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनीकट, तालाब बांधों की स्वीकृतियां दिलायी जाएं और जहां पर पक्के काम की आवश्यकता हो वहां 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत मैटीरियल स्वीकृत कराया जाए ताकि सब कार्य समय पर ही पूरे किये जा सकें। अकाल राहत कार्यों में कच्चे तालाब और एनीकट भी बनाये जाएं ताकि जब कभी बरसात हो तब पानी को ज्यादा से ज्यादा रोका जा सके और जल स्तर जो गिरता जा रहा है उसको रोका जा सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा। (अनुपस्थित), श्री भंवरू खान।

फतेहपुर के गांवों में बिजली की कमी के कारण पेयजल की समस्या

श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियम 295 के अन्तर्गत बिजली, पानी की समस्या के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के गांवों में बिजली की कमी के कारण पीने के पानी की भयंकर समस्या हो रही है। महोदय, फतेहपुर विद्युत वितरण निगम, अजमेर में आता है जबकि फतेहपुर को बिजली जोधपुर वितरण निगम के रतनगढ़ से मिल रही है। फतेहपुर को जहां 25 मेगावाट बिजली की जरूरत है, वहां मात्र 4 यूनिट बिजली दी जा रही है। 130 गांव फतेहपुर के एवं 50 गांव लक्ष्मणगढ़ को 4 यूनिट बिजली मात्र दिखावा है। अतः मैं ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि जोधपुर वितरण निगम से 25 मेगावाट बिजली नहीं दी जाती है तो 15 या 20 मेगावाट बिजली शीघ्र दिलाने की कृपा करें तो पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सकता है।

अव्यवस्था का निराकरण

गोगुन्दा थोलीघाटी 132 के.वी.ए. व मादड़ी छापर 32 के.वी.ए. जी.एस.एस. प्रारम्भ कर विद्युत अव्यवस्था निराकरण

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल गरासिया।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में 132 के.वी. जी.एस.एस. व 33 के.वी. जी.एस.एस. को तत्काल प्रारम्भ करवाये जाने के संदर्भ में

(श्री मांगीलाल गरासिया)

निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा (उदयपुर) के अन्तर्गत बिजली की भयंकर समस्या एवं डांवाडोल बिजली सप्लाई को देखते हुए लोगों में आक्रोश व्याप्त है। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री को भी इन दोनों 132 के.वी. जी.एस.एस. तथा 33 के.वी. जी.एस.एस. जो स्वीकृत शुदा हैं जल्दी प्रारम्भ करवाने हेतु व्यक्तिशः निवेदन कर चुका हूं। संभागीय स्तर पर उदयपुर जनजाति कमिश्नर सभागार में बैठक हुई उसमें भी अतिशीघ्र शुरू करवाने का आश्वासन दिया गया था परन्तु अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है। जबकि हमने आवश्यकतानुसार उपयुक्त जमीन भी अलाट करवा दी है। अतः जन समस्याओं को देखते हुए अतिशीघ्र 132 के.वी. जी.एस.एस. गोगुन्दा में घोलीघाटी एवं 33 के.वी. जी.एस.एस. गोगुन्दा में मादड़ी छापर प्रारम्भ करवाने के लिए माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिससे जल्दी कार्य शुरू हो एवं बिजली की समस्या शीघ्र समाप्त हो।

उपाध्यक्ष : डा. रघुवीर सिंह गौड़।

कोटपूतली में भू-जल स्तर सुधार हेतु एनीकट का निर्माण

डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत भू-जल स्तर सुधार हेतु एनीकट तथा बड़गांव बांध निर्माण हेतु ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में गत वर्ष भीषण अकाल था। इस वर्ष भी न्यून वर्षा के कारण अकाल की छाया गहरा रही है तथा पेयजल संकट भी दर पेश है। भू-जल स्तर काफी नीचे चला गया है। कुए तथा हैण्डपम्प सूख गये हैं। दुःख की बात यह है कि वर्ष 1998 के स्वीकृत हैण्डपम्प भी अभी तक नहीं लगाये गये हैं। ऐसी स्थिति में जनता को पेयजल के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है। जनता में बहुत आक्रोश है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि भू-जल स्तर सुधार के लिए कोटपूतली क्षेत्र में एनीकट बनाये जाएं तथा पूर्व में प्रस्तावित बड़गांव बन्ध जो पंचपहाड़ों के पास है, का निर्माण किया जाए। इससे काफी क्षेत्र में भू-जल स्तर में सुधार होगा। साथ में क्षेत्र में अधिक से अधिक हैण्डपम्प शीघ्र लगवाए जाएं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. करणसिंह यादव।

शाहजहांपुर व निकटवर्ती ग्रामों को मिलाकर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु प्रस्तावित मास्टर प्लान 2011 की निरस्ती

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र

(डा. करण सिंह यादव)

के राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 8 पर स्थित ग्राम शाहजहांपुर व अन्य 16 गांवों को शामिल कर प्रारूप मास्टर प्लान 2011 शाहजहांपुर को निरस्त करने हेतु माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के क्रम में निवेदन है कि—

(1) दिनांक 11 अगस्त, 2000 को सरकार द्वारा तहसील बहरोड़ के 13 गांव एवं तहसील मुण्डावर के तीन गांव शाहजहांपुर कस्बा सहित औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए मास्टर प्रारूप बनाया है। इस प्रकार का औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने से यहां के निवासियों, ग्रामीणों, काश्तकारों, श्रमिकों तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों को एक अपूरणीय क्षति होगी तथा आम जन लगभग बेसहारा व बेघरबार हो जाएंगे।

(2) यह सर्वविदित है कि राजस्थान प्रान्त में बहरोड़ क्षेत्र खाद्यान्नों एवं अन्य वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के मामले में अग्रणी है। यहां सरकारी सिंचाई सुविधाएं जैसे—बांध या नहर न होते हुए भी सरसों की पैदावार लगभग 18-20 क्विंटल प्रति हैक्टेयर एवं गेहूं व अन्य खाद्यान्न भी 40 क्विंटल प्रति हैक्टेयर तक पैदा होती है। साल में तीन फसलें लेने वाला एक मात्र बहरोड़ क्षेत्र है। सरकार को चाहिए तो यह था कि इस क्षेत्र को और अधिक विकसित करने के लिए यमुना नदी को पानी लिफ्ट द्वारा देकर नहरों का जाल बिछा देती जिससे आम जन की खुशहाली के साथ-साथ देश की प्रगति में भी यह क्षेत्र अधिक मददगार होता। किन्तु इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना यहां के ग्रामवासियों के जीवन से खिलवाड़ के समान है। इससे पूर्व में भी बहरोड़ व नीमराना क्षेत्र में ब्रेवरीज के कारण लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। यहां के ब्रेवरीज एवं अन्य कल-कारखाने निरन्तर जन जीवन के लिए विषवमन कर रहे हैं जिससे यहां का किसान लगातार जूझ रहा है। फसलें बरबाद हो रही हैं, पशुधन नष्ट हो रहा है। फैक्ट्रियों के दूषित जल का अन्धाधुन्ध दोहन करने से जल स्तर नीचे जा रहा है जो निकट भविष्य में पेयजल की समस्या भी पैदा कर सकता है।

(3) इस क्षेत्र में पूर्व में भी सरकार द्वारा बहरोड़ व नीमराना में कल-कारखाने लगाये गए थे जो आज लगभग 90 प्रतिशत बन्द पड़े हैं। उनका कोई उपयोग नहीं है। इसमें ली गयी भूमि यदि आज काश्तकारों के पास होती तो उसके विकास में सहायक होती। इस प्रकार ऐसा लगता है कि प्रस्तावित क्षेत्र की भी यही हालत होगी और यहां का किसान अपनी रोजी-रोटी के महरूम हो जाएगा।

(4) इस क्षेत्र की जनता इस प्रकार के औद्योगिक विकास से तंग आ चुकी

(डा. करण सिंह यादव)

है तथा किसी भी कीमत पर अपनी आजीविका का साधन कृषि भूमि देने को तैयार नहीं है। पूर्व में जिन लोगों की भूमि इस हेतु अवाप्त की गयी थी उसका परिणाम देखकर लोग आज भी भयभीत हैं।

(5) सरकार इस पर पुनः विचार करे तथा इस प्रस्तावित प्रारूप को निरस्त किया जाकर किसी ऐसे स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाए जहां भूमि बंजर हो तथा कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त हो।

अतः माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि इस क्षेत्र की ग्रामीण जनता की भावनाओं, इसकी गम्भीरता व भावी दुष्परिणामों पर विचार कर जनहित में इस निर्णय पर पुनः विचार करें। साभार।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह।

बीसलपुर बांध से दायीं नहर के काश्तकारों को जलापूर्ति

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख है कि जिला टौंक में निर्मित बहुउद्देशीय बीसलपुर योजना को पूर्ण हुए 10 वर्ष से भी अधिक हो गये हैं और नहरों का निर्माण भी हो चुका है पर आज दिन तक इस क्षेत्र के काश्तकारों को सिंचाई के लिए नहर से पानी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस योजना के निर्माण के समय यह निश्चित किया गया था कि 70 और 30 के अनुपात में पीने के लिए व सिंचाई हेतु पानी रखा जाएगा। इसकी ऊंचाई 315 मीटर रखी गयी है जिसका निर्माण पूर्ण हो चुका है, पर पानी को कभी भी पूर्ण क्षमता के अनुसार रोका नहीं गया। इस वर्ष भी केवल 309 पर ही पानी रोका गया है। इसका मूल कारण यह है कि डूब में आने वाले क्षेत्र के लोगों को आज दिन तक उनकी सम्पत्ति का मुआवजा नहीं दिया गया है और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बची हुई राशि लगभग 18 करोड़ नहीं दे रहा है जिससे मुआवजे को भुगतान संभव नहीं हो पा रहा है।

इस वर्ष भयंकर अकाल की छाया है और टौंक, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर जिले प्रभावित हैं। पीने के पानी की भी समस्या आने वाली है और चारे की समस्या भी आएगी। इन दोनों समस्यायों का सामना करने के लिए सिंचाई व पीने के पानी की समस्या का हल दोनों विभागों द्वारा खोजा जाना चाहिए। जहां तक पीने के पानी का प्रश्न है, गत वर्ष भी जल भराव क्षमता 306 ही थी। उस समय भी पीने का पानी शहरों को उपलब्ध कराने के बाद भी सिंचाई हेतु 3 मीटर दिया गया था। इस वर्ष 308.2 मीटर तक पानी पड़ा हुआ है, उसमें से अनुपात के हिसाब से सिंचाई व चारे के लिए दायीं नहर में पानी छोड़ा जाना आवश्यक है वर्ना लोगों की स्थिति गम्भीर हो जाएगी।

(श्री दिग्विजय सिंह)

जहां तक जयपुर शहर को पानी देने का प्रश्न है, अभी दो वर्ष लगेंगे। कुछ सालों बाद बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए बड़े शहरों व रास्ते के कस्बों की जनसंख्या लगभग एक करोड़ जो जाएगी जो इस योजना से पूरित होना सम्भव नहीं होगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व सिंचाई विभाग ईसरदा बांध के निर्माण को अभी से ही हाथ में लेंगे तब जयपुर के लिए रास्ते में पड़ने वाले कस्बों के लिए स्थाई योजना बनेगी। अभी हाल ही में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने भी इस बांध में पानी की उपलब्धता पर व गुणवत्ता पर अपनी सहमति प्रकट की है।

मेरा राज्य सरकार व विशेष कर सिंचाई मंत्री महोदया से अनुरोध है कि बीसलपुर परियोजना से दायीं नहर के काश्तकारों को पानी देने की कार्यवाही के आदेश प्रदान करें और जो लिफ्ट योजना विभाग द्वारा राइट कैनाल पर तैयार की गयी है उसको भी स्वीकार किया जाए। मैं नियम 295 के अन्तर्गत मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवण कुमार। श्री रमेश खींची।

कठूमर में बिजली की भारी किल्लत

श्री रमेश खींची (कठूमर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कठूमर में बिजली की भारी किल्लत है। इस क्षेत्र को 132 के.वी. जी.एस.एस. नगर से सप्लाई केवल दो मेगावाट मिलती है जबकि इस क्षेत्र की खतप 15 मेगावाट के करीब है। किसानों व अन्य उपभोक्ताओं को मात्र दो घण्टे ही बिजली मिलती है जिससे किसान भारी परेशानी में हैं। स्वीकृत तीन गांवों सेडूका नगला, श्री रामपुरा, इटोला तथा बूलाहेड़ी में भी बिजली नहीं होने के कारण पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कस्बा खेड़ली व कठूमर के भी उपभोक्ताओं को रात्रि में बिजली नहीं मिलती। यदि यही स्थिति रही तो आक्रोश के कारण कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। अतः आपसे निवेदन है कि 132 के.वी. जी.एस.एस. नगर का लोड़ बढ़ाकर समय पर खेड़ली व कठूमर को बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कमला बृजलाल।

अनुसूचित जाति/जनजाति के बेरोजगार अभियन्ताओं को नियुक्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 295 के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के युवा बेरोजगार अभियन्ताओं को विशेष भर्ती अभियान द्वारा नियुक्ति दिलाने के क्रम में निवेदन है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

(श्रीमती कमला बृजलाल)

के गरीब वर्ग के लगभग 2200 अभियांत्रिकी शिक्षा प्राप्त युवा रोजगार की तलाश में इधर-उधर भटक रहे हैं। गत तीन वर्षों से इस क्षेत्र में नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं। राज्य सरकार के विभिन्न तकनीकी विभागों, निगमों, मण्डलों एवं शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्गों के पद आरक्षण प्रावधानों द्वारा निर्धारित अनुपात 16:12 के अनुरूप नहीं होकर रिक्त पड़े हुए हैं। अतः मैं इन वर्गों के विभिन्न तकनीकी सेवाओं के रिक्त पदों को 16:12 के अनुपात में पूर्ण करने एवं आरक्षण हितों की रक्षा करने की सरकार से विनती करती हूं और इन बेरोजगार युवाओं की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित भाटी। (अनुपस्थित), श्री श्रवण कुमार।

झुंझुनूं जिले की नगरपालिका सूरजगढ़ व पिलानी के क्षेत्र में भूमि का अतिक्रमण

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत निवेदन है कि जिला झुन्झुनूं के नगरपालिका सूरजगढ़ में श्री बनवारी लाल बाबरिया एवं उनके परिवारजनों ने घोवणी जोहड़ में पिछले काफी वर्षों से अतिक्रमण कर रखा है। इस सम्बन्ध में प्रशासन को बार-बार शिकायत करने के बावजूद भी आज तक इस भूमि को खाली नहीं करवाया गया है। इस भूमि को खाली करवाने के सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जाए।

मान्यवर, इसी प्रकार नगरपालिका पिलानी में भी श्री मातुराम सैनी एवं उनके परिवारजनों ने लगभग बीस बीघा जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है. जिसके बारे में प्रशासन का ध्यान बार-बार लाया जा चुका है। परन्तु बड़े दुःख के साथ इस सदन के समक्ष जानकारी में दिया जा रहा है कि यह अति बहुमूल्य जमीन आज तक खाली नहीं करवाई गयी है।

अतः इस सदन के माध्यम से आग्रह है कि उक्त दोनों नगर-पालिकाओं की भूमियों को तुरन्त प्रभाव से खाली करवाया जाए ताकि अतिक्रमण करने को प्रोत्साहन और अधिक नहीं मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

नीमकाथाना और कोटा में जमीनों के घोटाले

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नीमकाथाना नगरपालिका में एक ट्रस्ट को जमीन आवंटित हुई थी। उसने उस जमीन के अलावा 519 वर्ग मीटर जमीन पर अतिक्रमण कर लिया था। इसकी शिकायत नगरपालिका ने स्वायत्त शासन

(श्री मदन दिलावर)

विभाग को की। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक ने इसकी जांच की। जांच पर अतिक्रमण पाया गया क्योंकि उसके ऊपर अवैध निर्माण करके अपने कब्जे में कर ली थी। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक ने आदेश दिये कि इनसे सत्तावन लाख रुपये वसूल किये जाएं। मार्केट वैल्यू के आधार पर सारा करके नगरपालिका को आदेश दिये कि इसकी वसूली की जाए। नगरपालिका ने सत्तावन लाख रुपये की वसूली के आदेश प्रसारित किये और वसूली करनी चाही। परन्तु वे अतिक्रमी मंत्रालय में गये। माननीय मंत्री महोदय ने उस आदेश को निरस्त कर दिया और कहा कि वसूली की कोई आवश्यकता नहीं। नियमों में और कानून में कहीं भी नहीं है कि निदेशक के द्वारा दिये हुए आदेश को, क्योंकि वह भी माननीय मंत्री महोदय से अनुमोदन लेकर ही करते हैं, उसके बाद निरस्त किया जाए। यह उचित नहीं था। खैर यह सत्तावन लाख रुपये की जो गड़बड़ हुई है और जो भ्रष्टाचार हुआ है वह बहुत बड़ी राशि इसलिए है कि हमने जमीन के पांच वर्ग मीटर जमीन के लिए महेन्द्र मीणा को मजबूर किया आत्महत्या करने के लिए, भैरूलाल को आत्मदाह करने के लिए मजबूर किया। अब जहां एक-एक कौड़ी के लिए हमारा राजस्थान तरस रहा है वहां सत्तावन लाख रुपये एक व्यक्ति पर इस प्रकार माफ करना काफी बड़ा स्कैण्डल है, इसकी जांच होना नितान्त आवश्यक है।

कोटा नगर विकास न्यास में किरण पारेता, पत्नी मुकुट पारेता ने बहुत बड़ी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया। अतिक्रमण करने के बाद यू.आई.टी. की एक उप समिति होती है। उसने जांच करके उसके सामने भेजकर उसको कहा कि यह चार सौ रुपये वर्ग फीट की जमीन है, चार सौ रुपये वर्ग फीट के हिसाब से इनसे पैसा लिया जाए। यदि इसमें किसी प्रकार की कमी-वेशी करनी थी तो ट्रस्ट के बीच में जाता और ट्रस्ट उस निर्णय को करता, लेकिन वहीं उस यू.आई.टी. के चेयरमैन ने एक कलम से काटकर उसको पचास रुपये वर्ग फीट कर दिया जिससे कम से कम पच्चीस लाख का घोटाला इसमें हुआ है।

माननीय मंत्री महोदय, यही नहीं, कोटा में बृज टाकीज है, उसकी जमीन है। आजादी से पहले उस जमीन के ऊपर टाकीज बनाने के लिए जमीन दी गयी थी और उसमें शर्त थी कि आप केवल टाकीज बनाएंगे और लोगों का मनोरंजन करेंगे, आपको लीज पर दी जाती है। बीस साल के बाद इसका नवीनीकरण होगा। नवीनीकरण सरकार चाहे तो करे या न करे। लेकिन उसका नवीनीकरण भी नहीं हुआ और वर्तमान स्वायत्त शासन

(श्री मदन दिलावर)

मंत्री जी ने उसे उसकी जमीन मानते हुए, पता नहीं क्या घोटाला हुआ, लेकिन जब रास्ते चौड़े किये उसके बदले में करोड़ों रुपये की जमीन कोटा में. बहुत बड़ा नया बाजार जहां बनाने जा रहे हैं वहां पर करोड़ों रुपये की जमीन उसे दे दी।

यही नहीं कोटा में चन्द्रेसर जगह है जहां चन्द्रेसर महादेव मन्दिर की 750 बीघा जमीन है। कोटा शहर में काला तालाब के नाम से एक जगह है जो कोटा शहर के बीच में आता है। +++ सत्तावन बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया। यह मेरा कथन नहीं है, यह देवस्थान विभाग का कथन है। यह देवस्थान विभाग की जांच रिपोर्ट है। देवस्थान विभाग ने कहा और उस जांच रिपोर्ट में लिखा। मेरे पास यह जाचं रिपोर्ट है कि +++ सत्तावन बीघा जमीन पर कब्जा करके करोड़ों रुपये की जमीन हथियाई है। श्रीमान् उस बेशकीमती जमीन की कीमत मैं समझता हूं 10 करोड़ से कम नहीं है। यही नहीं, कोटा शहर में दादाबाड़ी कोटा शहर की हृदयस्थली मानी जाती है, वहां जैन मन्दिर के पीछे 10 बीघा सरकारी जमीन है। वह 10 बीघा सरकारी जमीन सिवाय चक जमीन है जो आज भी राजस्व खाते में दर्ज है। 10 बीघा जमीन +++

श्री उपाध्यक्ष : सारे राजस्थान की जमीनों का अभी फैसला करा रहे हो क्या?

श्री मदन दिलावर : +++ कब्जा करके 6-6 फीट ऊंची बाउण्ड्री खींच ली है। उस जमीन की कीमत यदि आंकेंगे तो 7 करोड़ है। +++ यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसकी कीमत मैंने बताया कि आप आंकोगे तो 25 करोड़ रुपये का घोटाला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। श्री प्रताप सिंहजी सिंघवी।

श्री सी. पी. जोशी (पंचायती राज मंत्री) : उपाध्यक्ष महादेय यह नियम और कानून के (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर, विजराजिये। आर्डर। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैंने 273 में नोटिस दिया है। (व्यवधान) मैंने 273 में नोटिस दिया है।

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, ये जो भी बोलें तथ्यों के आधार पर बोलें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : भ्रष्टाचार हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उसको आने दीजिए। (व्यवधान)

+++ नाम/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं यह गलत है। (व्यवधान) माननीय सदस्य गलत आरोप नहीं लगा सकते। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री के ऊपर आरोप लगाये जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री हेमन्त कुमार : ×××

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री सोहन नायक : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रताप सिंहजी। अंकित नहीं कर रहे हैं। श्री प्रतापसिंहजी। आर्डर-आर्डर। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री हेमन्त कुमार : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। श्री प्रताप सिंहजी।

श्री हेमन्त कुमार : ×××

श्री सोहन नायक : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। मैंने व्यवस्था कर दी, आप चिंता मत करो, विराजो।

बारां जिले की क्षतिग्रस्त सड़कें

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बारां जिले की सड़कों के बारे में आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। मेरा दुर्भाग्य है कि पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री यहां मौजूद नहीं है। फिर भी काफी सीनियर मंत्री यहां मौजूद हैं, मेरी बात का नोटिस लेकर उन तक पहुंचाएंगे। बारां जिले में बारां से लेकर इकलेरा तक, छीपाबड़ौद, छबड़ा, छबड़ा कुमराज, छबड़ा करनावदा, अटरू से खानपुर, तवाई से खानपुर, सालपुरा से छीपाबड़ौद ऐसी कोई सड़क नहीं है जिसमें 2-2, 4-4 फीट के खड्डे नहीं हों। इस बाढ़ में सड़कें पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गई है। मेरे बार-बार पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर को और अधिकारियों को पत्र लिखने के बावजूद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अभी तक तीन साल हो चुके हैं, कोई खड्डे नहीं भरे गये हैं। आवागमन की स्थिति बड़ी खराब है। हाल ही में मेरे क्षेत्र में माननीय कृषि मंत्री, दीपेन्द्र सिंहजी पधारे थे सड़क की हालत यह है कि उनकी कार का चेसिस वहां टूट गया और उनको गाड़ी छोड़ कर दूसरी गाड़ी से यहां आना पड़ा।

इसी प्रकार, अभी केन्द्र सरकार से एक नेशनल हाई-वे डिक्लेयर हुआ है जो हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बारां से इकलेरा। उसकी भी फाइनेन्शियल स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष में आ सकती है परन्तु निचले लेवल पर अधिकारी जानबूझ कर कागजात जयपुर भेजने में और जयपुर से

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

दिल्ली भेजने में कोताही बरत रहे हैं। समय पर वे पहुंच गये तो इस बार इसकी स्वीकृति आ जाऐगी। सरकार तो रोड ठीक नहीं करवा सकती परन्तु हमारी आशा उस नेशनल हाईवे से जगी है। अगर समय रहते कागजात वहां पहुंच गये तो उसकी स्वीकृति आ सकती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि शीघ्र ही कागजात दिल्ली पहुंचाए, अधिकारियों को भेजें और उस रोड की स्वीकृति और फाइनेंशियल स्वीकृति जल्दी मंगवा कर कार्य चालू करवाएं।

इसी प्रकार छीपाबड़ौद की कस्बे की सड़क है। माननीय धारीवाल साहब भी यहां विराज रहे हैं, हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं, वे उस इलाके से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। छीपाबड़ौद प्रोपर की सड़क में बहुत खड्डे हो गये हैं, बरसात में वहां नाव चलाने जैसी स्थिति हो जाती है। इस सड़क के खड्डों के कारण वहां एक बहुत बड़ा हादसा भी हो चुका है। यह बात आप लोगों को थोड़ी अतिश्योक्ति लगेगी, लेकिन धारीवाल साहब को खुद को जानकारी है कि हमारे पूर्व जिला प्रमुख भरतलाल जी पटला के भतीजे, जो उनके भाई के लड़के थे, एक मात्र लड़का था। वह पत्थर से टकराकर बस की चपेट में आकर वहीं एक्सीडेंट में मर चुका है। इस प्रकार की कई घटनाएं वहां हो चुकी हैं। यह काफी गम्भीर मामला है इसलिए आप इस ओर विशेष ध्यान देकर बारां जिले की सड़कों पर तुरन्त मरम्मत का कार्य चालू करवाएं। बारिश में जो क्षतिग्रस्त हो गई हैं उनको भी जल्दी रिपेयर करवाया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंहजी। नहीं बोलना आपको? आपको ध्यान नहीं है तो कोई हर्ज नहीं। विराजो।

आबकारी ठेकेदारों से बकाया की वसूली

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, जब से यह सरकार बनी है किसी भी मंत्री से बात कर लो, किसी भी अधिकारी से बात कर लो हमेशा एक ही बात आती है कि सरकार का खाजाना खाली है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का खजाना इसलिए भी खाली है कि जब बाड़ ही खेत को खाने लग जाए, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो फिर उस खजाने में कुछ बचता ही नहीं है।

यहां आबकारी मंत्रीजी विराज रहे हैं, मैं आपके माध्यम से आबकारी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर सबसे बड़ा अगर राजस्व आय का कोई साधन है तो वह है आबकारी राजस्व। वर्ष 1999-2000 में जो आबकारी बन्दोबस्त इस सरकार ने प्रस्तुत किया उसके अनुसार 1180 करोड़ की आय होनी थी लेकिन हुई 960 की यानि 220 करोड़ कम। यह सब कुछ इसलिए हुआ, उपाध्यक्ष महोदय कि इस राज में कानून-कायदा नहीं है, इस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राज में नियम नहीं। इस राज में मंत्रीजी अपना वरदहस्त रख कर सारे कानून-कायदे ताक में रखकर शराब के किसी भी ठेकेदार को कैसे भी फायदा पहुंचा सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार ने जो निविदाएं आमंत्रित कीं उन निविदाओं में सरकार ने कुछ शर्तों का उल्लेख किया। शर्त 12.1-विशेष अधिकार राशि में 17 परसेन्ट के बराबर राशि धरोहर राशि के रूप में जमा करानी आवश्यक है। दुकान व दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व जो भी पूर्व में हो, राजकोष में जमा कराना आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय, जो सरकार ने निविदाएं आमंत्रित कीं उनकी शर्त 14.1 थी कि दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व 30 परसेंट के बराबर हैसियत व जमानती प्रमाण-पत्र, दोनों जमा कराने जरूरी हैं। अब इन्होंने किया क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, कि यह नियम है कि कोई भी ठेका राजस्थान में चल रहा है, 17 परसेंट के अनुपात में धरोहर राशि होनी आवश्यक है। यह बात पहले भी कई बार उठ चुकी है। परन्तु कर क्या रहे हैं, मंत्री जी, आप? राजस्थान के अन्दर मैं सिर्फ 9 जिलों का जिक्र करूंगा, 9 जिलों के अन्दर सरकारी खजाने में छह हजार चौदह करोड़ चौरासी लाख रुपये जमा हो जाने चाहिए थे ठेका चालू होने से पहले आपने क्या गड़बड़ की, कैसी की, क्यों की? जमा हुए हैं। तीन हजार आठ सौ सत्ताईस लाख यानि धरोहर राशि से दो हजार एक सौ सत्यासी लाख कम। शर्त आपने लिखी है कि धरोहर राशि पूरी जमा हो उसके पहले आप कोई ठेका देंगे नहीं। परन्तु आपने ठेके दे दिये। यह सवाल में इसलिए खड़ा कर रहा हूं कि जिन्होंने पहले पैसा जमा नहीं करवाया, सरकारी पैसा जिन्होंने जमा नहीं करवाया उनके ठेकों का रिन्युअल भी कर दिया। इसी तरह राजस्थान के अन्दर जो ठेकेदार हैं उनकी हैसियत और जमानत की राशि भी 4543 लाख रुपये कम है। यानि, मंत्रीजी, आप वित्त मंत्री हैं, राजस्थान सरकार के, राजस्थान की जनता का पैसा आपके पास है, राजस्थान की जनता सवाल करना चाहती है कि 6730 लाख रुपये क्यों छोड़ रखा है। कर क्या रखा है? मेरा सवाल भी आपसे यही है कि यह कौनसा नियम है और क्यों आप लाभ देना चाहते हो? राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जयपुर के अंदर धरोहर राशि 2095 लाख होनी चाहिये और जमा है 617 लाख, यानि 19 महीने हो गये, 1478 लाख रुपये कम हैं। इसके ब्याज की बात तो दूसरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि जब ये सवाल बार-बार आते हैं तब डिस्ट्रिक्ट एक्साइज आफिसर कमिश्नर को कहता है कि नोटिस जारी करो, पैसा ब्याज का वसूलना है। जब कमिश्नर के आदेश के खिलाफ डिवीजनल कमिश्नर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के पास ठेकेदार चला जाता है तो डिवीजनल कमिश्नर यह देता है कि इसको एक बार पुनर्विचार कर लिया जाए। मेरे पास आदेश की प्रति भी है। डिवीजनल कमिश्नर के आदेश के खिलाफ, सरकार अपने आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में चली जाती है, सारा मामला पैंडिंग कर देती है। क्यों बचाना चाहते हो, मैं पूछना चाहता हूं? यह यहीं की बात नहीं है, इसी तरह से उदयपुर में 184 लाख रुपये की राशि छोड़ रखी है। इसी तरह से आपने अलवर में 140 लाख रुपये की राशि छोड़ रखी है। यह सारी राशि आपने क्यों छोड़ रखी है? क्या कारण है? ये शक की सुइयां कहा जा रही हैं? वित्त मंत्री जी, पाक साफ हैं, आपका दामन साफ है तो आप खड़े होकर कह दीजिये कि आपने नियमों के विरुद्ध अपने चहेतों को, अपने मिलने वालों को जो ठेके आवंटित कर रखे हैं सरकार के नियमों की अवहेलना करके सरकार के राजस्व की हानि करके, आप उनसे पूरा पैसा वसूलेंगे।

मेरी समझ में नहीं आता, अकाल के नाम पर बात करें तो सरकार के पास पैसा नहीं, और उपाध्यक्ष महोदय, एक-दो नहीं 6 हजार लाख से ज्यादा रुपये इन मंत्री जी की छत्रछाया में शराब माफियाओं के पास पहुंच रहे हैं। इसके अलावा, मंत्री जी, तीन हजार-साढ़े तीन हजार लाख रुपये पुराने आप ठेकेदारों से मांगते हैं। उन पर आप कार्यवाही करो या नहीं करो, मैं यह पूछना चाहता हूं कि नियमों के विरुद्ध जो ठेकेदार चल रहे हैं आप उनसे ब्याज के साथ पैसा वसूल करेंगे या नहीं करेंगे? और आप नहीं करेंगे तो उसके पीछे क्या कारण है, आप हमें समझा दें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह मामला छोटा-मोटा मामला नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह हुआ था, गत विधान सभा में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आप इनको बोल लेने दो।

डा. किरोड़ी लाल : गत विधान सभा में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था...

श्री उपाध्यक्ष : ये बोल रहे हैं न।

डा. किरोड़ी लाल : जो पैसा ठेकेदार नहीं जमा कराएगा उसका परमिट जारी नहीं किया जाएगा। उसके बाद भी उनको परमिट जारी हो रहे हैं। यह सरकार पर भार बढ़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : ये बोल रहे हैं न। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक-दो जगह नहीं, इसी तरह सीकर में हो रहा है। सारे राजस्थान के अंदर बड़ी संख्या में ठेकेदारों

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में पैसा बकाया इसलिए रह जाता है क्योंकि उनकी न तो जमानत और हैसियत प्रमाणित होती है, न ही वे धरोहर राशि जमा करवाते हैं। एक तरह से यह राजस्थान की गरीब जनता के साथ अन्याय हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो ठेकेदार डिफाल्टर हो गया, जिसने एक-दो नहीं लगभग 16-17 माह से राजस्थान की सरकार का पैसा रोक रखा है, आप उनको लाइसेन्स किस कानून के आधार पर जारी कर रहे हैं और क्यों? कानून यह कहता है कि जब कभी कोई डिफाल्टर होगा, सबसे पहले उससे ब्याज की राशि वसूल की जाएगी। मंत्री महोदय, आप तो बड़ी पारदर्शी सरकार के अंग हैं...

श्री सी. पी. जोशी (पंचायती राज मंत्री) : यह कितने सालों से हो रहा है? यह आज जो आप बता रहे हैं यह कितने सालों से हो रहा है? ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : जबसे कांग्रेस की सरकार आयी है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जबसे कांग्रेस की, सी. पी. जोशी जी...(व्यवधान) + + + जबसे यह सारा हो रहा है। ...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : अपने अनुभव हैं क्या? ...(व्यवधान) अपने निजी अनुभव हैं...(व्यवधान) अपने निजी अनुभव हैं क्या? ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : निजी अनुभव मानकर चलिये।

श्री सी. पी. जोशी : यह पूछ रहा हूं कि यह कितने सालों से हो रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह मेरी निजी जानकारी है।...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : कितने सालों से हो रहा है, यह पूछ रहा हूं मैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप मेरे अनुभव की क्या बात करेंगे। ज्यादा मत बोलो, जोशीजी। मेरी मांग है, यह जो 6 हजार लाख रुपये का घोटाला है इसकी जांच हो। मंत्रीजी, आपका दामन साफ है तो आप खड़े होकर कहिये कि राजस्थान में जो ठेकेदार डिफाल्टर हैं, जिन्होंने राजस्थान की सरकार का पैसा रोक रखा है उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, ठेकों को निरस्त करेंगे।

कोटड़ी पंचायत समिति, जहाजपुर जिला भीलवाड़ा में भूमि का गलत आवंटन

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

आर्डर, आर्डर, एक मिनट। आपने 273 के तहत माननीय सदस्य के खिलाफ बोलने की इजाजत चाही है। आम तौर से पर्ची के माध्यम से 273 के तहत इजाजत नहीं देते हैं, उसके लिये भी 273 यह कहता है कि आप जो नोटिस देते हैं वह नोटिस माननीय सदस्य जिस पर आरोप लगा रहे हैं, उसके पास पहुंचना चाहिये ताकि वह तैयार होकर आए, उसका जवाब दे सके। क्योंकि आपने नोटिस नहीं दिया है और यह केवल पर्ची है इसलिए आप बोल लें लेकिन किसी माननीय सदस्य का नाम लेकर नहीं बोलेंगे, यह आपको कहना चाहता हूं।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। आपने रूल 273 कोट किया है, आप यह डायरेक्शन दे रहे हैं कि उसका नाम नहीं लें, बाकी बोलें, आई थिंक यह इसमें नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने इजाजत ही यही मांगी है।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, either you reject Rule 273 or you accept it. If you are rejecting Rule 273, then there is no doubt.....

श्री उपाध्यक्ष : यह 273 का नोटिस नहीं है। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दैन पर्ची के जो नियम बना रखे हैं, विधान सभा में कोई रीसेंट अकरेंस का मामला हो, उस संबंध में आप यह डायरेक्शन दीजिये। आप आधा तो 273 कर रहे हैं, आधा यह कर रहे हैं, दो चीजें नहीं हो सकती। If you are giving latitude to the member, please give full latitude of 'parchi'. We endorse it. Or reject 'parchi' and come to Rule 273. यह बार-बार सदन की परम्परा हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : 273 में इन्होंने नोटिस नहीं दिया, इन्होंने पहले पर्ची दी जिसको माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार कर लिया। अभी हाउस में इन्होंने इजाजत चाही है कि 273 में मुझे इजाजत दीजिये। I am rejecting the permission for Rule 273.

श्री सी. पी. जोशी : ओ. के. दैन पर्ची की तो कोई बात ही नहीं है। आपने जब 273 डिसअलाउ (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : Minus any allegation against a person or persons, he can speak.

श्री सी. पी. जोशी : दैन आप 273 में अलाउ कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : 273 में नहीं कर रहा हूं।

श्री सी. पी. जोशी : तो बात पर्ची पर आ गयी फिर पर्ची का रूल फालो होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : पर्ची पर अलाउ कर रहे हैं न।

श्री सी. पी. जोशी : पर्ची का जो रूल है उसमें रीसेंट अकरेंस की कोई बात हो। फिर दो चीजें नहीं हो सकती। आपने जब 273 डिसअलाउ कर दिया और आप पर्ची पर अलाउ कर रहे हैं तो पर्ची के जो नियम और कानून हैं उनके अन्तर्गत ही ये बातें होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : उसी की बात होगी।

श्री सी. पी. जोशी : पर्ची में यह नहीं है। पर्ची में सिम्पल है, रीसेंट अकरेंस वाली बात है_(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पर्ची में उन्होंने कोई व्यक्तिगत ऐलीगेशन लगाया नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : व्यक्तिगत का सवाल नहीं है। पर्ची में जो प्रोविजन लिखा हुआ है वह बहुत सिम्पल है। पर्ची के अन्दर प्रोविजन में बिलकुल क्लीयर है कि कोई रीसेन्ट घटना आए उसके संबंध में ही चर्चा करने लिये पर्ची का प्रोविजन होता है, नॉट 273।

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो उसी की करेंगे न।

श्री सी. पी. जोशी : तो व्हाट इज रीसेंट घटना?

श्री उपाध्यक्ष : क्या?

श्री सी. पी. जोशी : रीसेंट घटना के संबंध में होगा। आप थोड़े बैकलाग की बात कर सकते हैं_(व्यवधान) दो चीजें नहीं कर सकते, माननीय उपाध्यक्ष माहेदय।

डा. किरोड़ी लाल : आसन को चुनौती दी जा रही है। _(व्यवधान) आसन को चुनौती दी जा रही है। _(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, माननीय सदस्य, आप विराजें।_(व्यवधान) व्यवस्था की बात है_(व्यवधान) आप विराजिये। आप बैठिये ना।_(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी व्यवस्था देने के बाद मंत्री महोदय आसन को डाइरेक्शन देना चाहते हैं।_(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये ना। मैं खड़ा हूं, आप बैठिये।_(व्यवधान) आप उनको बोलने नहीं देते उससे पहले ही how can you contemplate that ये क्या बोलेंगे? Let him speak. बैठें तो सही आप।_(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मैं यह नहीं कर रहा हूं। जब आपने रूलिंग दी 273 की उस संबंध में मैंने पाइंट आफ आर्डर उठाया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 273 की जो रूलिंग है आपने यदि इसको रिजेक्ट

(श्री सी. पी. जोशी)

कर दिया 273 में जो माननीय सदस्य मांग रहे थे...

श्री उपाध्यक्ष : पर्ची को रिजैक्ट नहीं किया है।

श्री सी. पी. जोशी : आपकी जो अभी रूलिंग दी थी। I am not asking.

श्री उपाध्यक्ष : पर्ची को रिजैक्ट नहीं किया है। पर्ची के अगेंस्ट ये किसी पर एलीगेशन लगाना चाहते हैं, Through that 'parchi', by name, that I have rejected because कन्सर्ड पर्सन को उसका नोटिस नहीं गया है, वह जवाब देने की स्थिति में नहीं है। जब तक उनके पास नोटिस नहीं जाए, ये किसी व्यक्ति पर एलीगेशन नहीं लगा सकते।...(व्यवधान) पर्ची तो एक्सैप्ट हुई है।

श्री सी. पी. जोशी : सर मेरा पाइंट यह है कि जब...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप समझने की कोशिश करो। होता यह है कि ये बोलते और मैं फिर आब्जैक्ट करता कि आप नहीं बोल सकते। मैं पहले ही इनको आगाह कर रहा हूं कि आप इस पर नहीं बोलेंगे। या तो ये पहले बोलते फिर मैं आब्जैक्ट करता कि 273 में मैं अलाउ नहीं करता हूं To avoid that situation, पहले इनको आगाह कर रहा हूं कि आप 273 पर किसी का नाम लेकर नहीं बोलेंगे, बाकी जो आप बोलना चाहें।

श्री सी. पी. जोशी : Sir, my point of order is this, एक सदस्य दो नियमों के अन्तर्गत अपनी बात कहने का शैल्टर नहीं ले सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : दो नियम हैं ही नहीं।

श्री सी. पी. जोशी : आपने रूलिंग दी है कि माननीय सदस्य 273 में बोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं।

श्री सी. पी. जोशी : He sought the permission.

श्री उपाध्यक्ष : 273 पर नहीं बोलना चाहते।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने परमिशन 273 में मांगी है।

श्री उपाध्यक्ष : 273 पर नहीं बोलना चाहते।

मोहम्मद माहिर आजाद : आसन ने तो यह कहा है कि 273...(व्यवधान) पर्ची पर बोलने की बात कही है...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माहिर आजादजी, मेरे को अपनी बात कहने दीजिये, आप अपनी बात कहिये।...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि मानीय सदस्य ने 273 में अपनी

(श्री सी. पी. जोशी)

बात कहने की परमीशन मांगी है, 273 में जब आपने रिजैक्ट कर दिया तो फिर पर्ची का सवाल कहां आता है? आइदर आप 273 में उनको एंटरटेन ही नहीं करते।

श्री उपाध्यक्ष : आप समझ नहीं रहे हो।

श्री सी. पी. जोशी : आप मना कर दीजिये बात खतम हुई। पर्ची पर वे बोल सकते थे। आपने जब उसका एरिया ले लिया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : You are trying to mix up. (व्यवधान) आप दोनों को मिक्स अप कर रहे हो। ऐसा है, पर्ची इन्होंने दी...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : Then why did he seek Rule 273 ?

श्री उपाध्यक्ष : How do you know? He has not even come before the House? How do you know, what is the matter?

श्री सी. पी. जोशी : When he wants to avail Rule 273, how can he come through Rule 273 ? मेरी बात तो सुन लें...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अगर यह बोलते हैं और इसमें कोई डिफेमेटरी बात होगी तो आप...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : सर, आप मेरी बात सुन लें।...(व्यवधान) I am not asking. It is his privilege, चाहे वह पर्ची को अवेल करें कि 273 को करें। यह सदस्य की प्रिविलेज है। क्योंकि आपने यह मेंशन किया है कि माननीय सदस्य 273 में बात को कहना चाहते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : 273 में नहीं कहना चाह रहे हैं, 273 के तहत इजाजत चाहते हैं। कहना नहीं चाहते...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : सर, इसका मतलब यह हुआ है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : He wants permission to level allegations against a certain person which I am not diving.

श्री सी. पी. जोशी : सर, मैं यह निवेदन कर रहा हूं आपको, जब आप पर्ची की बात नहीं कर रहे हैं, एक सदस्य ने पहले परमीशन पर्ची की ली है, पर्ची की बात आप कर रहे हैं, आपने ली है, आपने उनकी बात की है।

(13.00 बजे)

इसका मतलब है कि ओरबिट आफ कंसीडरेशन है वह 273 है, नाट पर्ची। 273 के अंदर आप अलाउ कर रहे हैं तो प्रोसीजर को फालो कर लें और पर्ची रैफर ही नहीं करें। दो चीजें नहीं करें। उपाध्यक्ष महोदय इनका प्रिविलेज है, आप अगर इस बात

(श्री सी. पी. जोशी)

को लें तो आप 273 के ओरबिट को कंसीडर करके रिजैक्ट करके फिर पर्ची को अलाउ करें। एक समय में दो चीजों को कैसे अलाउ करेंगे?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो निर्णय किया है। उसको चुनौती दे रहे हैं क्या?

श्री सी. पी. जोशी : I am not. This is my point.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या डिसीजन किया? रिजैक्ट कर दिया? बार-बार उठा रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : हां, मैं मान लूंगा, आप जबर्दस्ती क्यों ले रहे हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : The Hon'ble Chair has rejected it.

श्री सी. पी. जोशी : No. No. I am asking only a point of order.

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं आपसे कह रहा हूं।

श्री सी. पी. जोशी : Leave it.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : निर्णय दे दिया उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता।

श्री सी. पी. जोशी : काहे का निर्णय दे दिया?

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है, जैसा आपने कहा कि दो बातें बिलकुल स्पष्ट हैं। माननीय सदस्य पर्ची पर बोलना चाहते हैं और स्पीकर साहब ने उसकी इजाजत दे दी। सब्सीक्वेंट ईवेन्ट होता है 273 में कि मैं एलीगेशन लगाना चाहता हूं, वह आपने रिजैक्ट कर दिया। अब सवाल यह उठता है, माननीय मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि रीसेंट अकरेंस नहीं है। यह हमारे यहां होता है, पर्ची पर कोई जरूरी नहीं है कि आज ही कोई बात हुई हो। अब ऐसा हमारे यहां प्रचलित है कि महीने भर पहले की बात भी हम कहते हैं, दो महीने पहले की बात भी कहते हैं। इसलिए दोनों बातें अलग-अलग थीं। जो आब्जेक्शनेबल बात थी वह आपने रिजैक्ट कर दी। अब सवाल इतना-सा है कि पर्ची पर बोलने की इजाजत हो। आपने इनको आगाह कर दिया कि पर्ची पर ही बोल सकते हो, 273 का प्रोटेक्शन आपको नहीं दिया जा रहा है। उस पर झगड़ा कहां रह गया, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कोई झगड़ा नहीं है। पर्ची पर बोलेंगे, झगड़ा क्या है?

श्री शिवनाथ सिंह : बोलेंगे, यह हुआ है, पर्ची पर बोलो।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर किरोड़ी लाल।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : जोशीजी के फटकार लगाओ थोड़ी-सी।

श्री सी. पी. जोशी : काहे की लगी है, यह प्रिविलेज थोड़े ही है कि आप लगाये जाएं। किसी को प्रिविलेज वाली बात पर तो कहेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ एलीगेशन पर्ची के माध्यम से मदन दिलावर ने लगाये हैं...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : कल भी लगाये हैं, रोज हो रहा है यह।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं लगा रहे हैं। I have not allowed him.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरे विरुद्ध लगाये गये हैं, एक्सपंज किये हैं कि नहीं?

श्री सी. पी. जोशी : कल भी लगाए।

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज हो गए, आपके बगैर कहे ही कर दिया उसको। आप विराजो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पिछली बार भी इस सदन में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पिछली बार का मुझे मालूम नहीं है, आज का मुझे मालूम है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुझ पर कुछ एलीगेशन लगाये थे और प्रतिपक्ष के नेता महोदय को दिखाये थे।

श्री उपाध्यक्ष : हो गए वह।

श्री शांति धारीवाल : उन्होंने यह कहा था कि इन एलीगेशनों में कोई दम नहीं है, आप भाग जाओ। वे भाग गये।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया। आर्डर प्लीज।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : मैंने नोटिस दिया था, नोटिस देने के बाद ही यहां कहा था।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर किरोड़ी लाल जी।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि जब कोई भूमि घोटाला, किसी प्रकार का घपला ट्रैजरी बैंचेज के लोग करते हैं और उस बात के लिए जब सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है तो +++ उस ढंग से ये खड़े होते हैं इरिटेट होकर ट्रैजरी बैंच के लोग। उपाध्यक्ष महोदय, इनको जनता की चिंता नहीं है। ये तो खजाना नहीं भरना चाहते सरकार का और अपना खजाना भरने में चारों तरफ से लगे हुए हैं। जब-जब इनके खजाना भरने की अनियमितता हम पकड़ते हैं तो ये उन बातों

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. किरोड़ी लाल)

में बहुमत के आधार पर हमको झुकाना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसे ही भूमि घोटाले की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो जिला भीलवाड़ा में हुआ है, जहाजपुर में हुआ है, कोटड़ी पंचायत समिति में हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय आसोप गांव है कोटड़ी पंचायत समिति में, वहां 1500 बीघा जमीन की एक आवंटन समिति बनी। उस आवंटन समिति ने खुद के लिए, खुद के नातेदारों के लिए, खुद के बेटे, भाभी, बहन, जीजा, फूफा, कोई नहीं छोड़ा जिसके लिए उन्होंने 1500 बीघा, करीब तीन करोड़ की जमीन का आवंटन नहीं कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं है इसमें, इसमें एक चीज और प्रकाश में आई जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिवचरणजी माथुर जब मुख्य मंत्री थे तो कुछ बंधुआ मजदूरों को लाकर आसोप गांव में बसाया गया था। वे 16 मजदूर थे, उनको इन्दिरा आवास योजना में मकान दिये गये और वे एक साल बाद उस गांव को छोड़ गये।

श्री हरिसिंह महुवा (मुख्य सचेतक) : आपने ब्रीफ नोट में मेंशन की हैं ये सब बातें? आसन को जब पर्ची देते हैं तो माननीय सदस्य उसका एक ब्रीफ नोट बनाकर देता है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई नहीं देता है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : It is must. It is provided in the rules. Hon'ble Chair has already decided it.

श्री उपाध्यक्ष : कोई नहीं देता है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : केवल उसमें विषय होता है। पर्ची तो इतनी-सी होती है, उसमें क्या होता है? क्या हो गया है उपाध्यक्ष महोदय, इन सत्ता पक्ष के सदस्यों को?

श्री उपाध्यक्ष : चार पर्चियां पड़ी हैं, कोई ब्रीफ नोट नहीं है।

श्री हरिसिंह महुवा : When this Parchi system was introduced, your honour, it was pre-decided that every Member should submit a brief note of what he wants to speak. बिलकुल आसन की ही व्यवस्था है। मैं आसन की व्यवस्था को याद दिलाना चाहता हूं। ऐसे कैसे? यह तो आसन की दी हुई व्यवस्था है।

श्री उपाध्यक्ष : आप उनको बोलने दीजिए।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुख्य सचेतकजी कह रहे हैं, मैंने यह घटना ब्रीफ में दी है। उन 16 बंधुआ मजदूरों को आसोप गांव में बसा दिया गया। इन्दिरा आवास बन गये। सात महीनों बाद

(डा. किरोड़ी लाल)

वे छोड़कर चले गये। उपाध्यक्ष महोदय, वे 16 लोग जिनको इन्होंने 28.6.2000 को भूमि अलाट कर दी, हरियाणा में रह रहे हैं, कोई फरीदाबाद में रह रहा है। उस आसोप गांव में एक भी आदमी नहीं है। उन 16 में से 4 तो भगवान को प्यारे हो गये। मैं आपको बताना चाहता हूं उनके नाम हैं, रामचन्द्र पुत्र मगना बलाई, कैलाश पुत्र प्रताप बलाई, बंशी पुत्र बालूराम बलाई, हुकमा पुत्र भूरा बलाई, रामनाथ पुत्र छोटू बलाई, मदनलाल पुत्र नोला बलाई, रघुनाथ पुत्र टेणी बलाई, शंकर पुत्र किशन बलाई, नाना पुत्र छोगा बलाई, कल्याण पुत्र भवानी बलाई, देवी पुत्र छीतर बलाई, प्रताप पुत्र केशा बलाई, भैंरू पुत्र मोहन बलाई, बीरम पुत्र भैंरू बलाई, रामनाथ पुत्र उदा बलाई, शीतल पुत्र राजू बलाई, ये 16 लोग हैं इनमें से 4 भगवान के प्यारे हो गये हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, इन्होंने जो आबंटन कमेटी बनाई इनके नाम से फर्जी जमीन अलाट कर दी। फर्जी निशानी दस्तखत करके फार्मों पर पटवारी की रिपोर्ट लिखी है। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : अब तक चुप क्यों थे? राज भी था आपका।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : इन्होंने अटरू पंचायत में जिस तरह से जमीनों के घोटाले किये हैं इनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, 5 साल तक तो बीजेपी. का राज रहा, ये चुप क्यों रहे?

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर किरोड़ी लालजी, आप मूल में क्या कहना चाहते हैं, यह कहकर खतम करो।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 5 साल तक तो बी. जे. पी. का राज था, तब क्या स्थिति बनी थी? 5 साल तक क्या किया? शिवचरणजी माथुर मुख्य मंत्री थे तब ये कार्यवाही हुई है, 5 साल तक इनका राज रहा, कार्यवाही करनी चाहिए थी। अब क्या तकलीफ हो रही है? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : 28.6.2000 की घटना है।

श्री सी. पी. जोशी : इतनी बड़ी घटना हुई है, बी. जे. पी. का राज था 5 साल तक, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए थी।

डा. किरोड़ी लाल : आप सुने, मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष : समझो इनको, ये कह रहे हैं कि 28.6.2000 को हुई है यह घटना।

डा. किरोड़ी लाल : मंत्रीजी, सुनें मेरी बात।

श्री राजेन्द्र पारीक : रोजमर्रा का काम है इनका। सारे + + + आपके द्वारा किये हुए हैं, उनको कांग्रेस के माध्यम से यहां रोज बयान करते हैं जो सारे तथ्यहीन हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। अलाटमैंट हुआ है, ये कह रहे हैं कि 28.6.2000 को हुआ है इस साल।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सी. पी. जोशीजी और सीकर से आने वाले माननीय सदस्य बड़े + + + हमारे राज की बात कह रहे हैं। हमारे राज की यह बात नहीं है, जोशीजी, यह आपके राज में 28.6.2000 की बात है। आपके राज में अलाटमैंट हुआ है। इनके राज में अलाटमैंट हुआ तो कैसे हुआ, उपाध्यक्ष महोदय? एक + + + नाम का व्यक्ति है जिसको अलाटमैंट कमेटी का मैम्बर, आपकी सरकार ने नोमिनेट किया। तो + + + ने क्या कबाड़ा किया, उस दिन 28 तारीख को, + + + कबाड़ा क्या किया, गांव वालों को पता नहीं, पंचायत पर चस्पा नहीं, एक मकान में बैठे और शाम तक 1500 बीघा जमीन का अलाटमैंट करके चले गये। गांव वालों को तो दूसरे दिन पता लगा कि इन्होंने किया क्या है। + + +

श्री राजेन्द्र पारीक : यह मामला कहां का है? यह किस जिले का है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कुल मिलाकर बात यही है न कि अलाटमैंट गलत हुआ है? आप यही तो कहना चाहते हैं? जांच हो जाएगी।

श्री किरोड़ी लाल : मैं नाम तो बता दूं।

श्री उपाध्यक्ष : नाम की कहां जरूरत पड़ गई?

डा. किरोड़ी लाल : मैं फैक्ट्स तो रख दूं।

श्री उपाध्यक्ष : नाम आप रख दें।

डा. किरोड़ी लाल : मैं फैक्ट्स तो रख दूं।

श्री उपाध्यक्ष : मूल बात तो यही है, आप यही तो कहना चाहते हैं कि अलाटमैंट गलत हुआ है।

श्री हरिसिंह महुवा : उपाध्यक्ष महोदय, गलत अलाटमैंट हुआ है तो पीड़ित पक्ष को अपील में जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : हो गई न बात।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 10 मिनट में सदन के पटल पर रख दूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री हरिसिंह महुवा : इसका लीगल प्रोसेस है, अगर कोई गलत अलाटमैंट हुआ है तो उसकी अपील हो सकती है।

+ + + नाम/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद : ये रतनलालजी ताम्बी के कहने से बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री हरिसिंह महुवा : अपील में चले जाएंगे। पीड़ित पक्ष को अधिकार दिया हुआ है कि वह अपील में चला जाए। इसकी अपील हो जाएगी, अपील में खण्डित हो जाएगा अलाटमैंट।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल : विधान सभा में अगर यह जानकारी हो तो आपत्ति क्या है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनको खतम करने दो न।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्यों रोक रहे हो बीच-बीच में?

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको बताया + + + उन्होंने अपनी + + +

श्री राजेन्द्र पारीक : इनमें कोई तथ्य नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र पारीक : अलाटमैंट गलत हो जाता है तो सामने वाली पार्टी कोर्ट में जाती है। यह + + + तथ्य रख रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप यह लिस्ट यहां रख दो न।

डा. किरोड़ी लाल : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप खतम करो इसको। अगर आपकी बहुत इच्छा हो रही है तो टेबल पर रख दीजिए इसको।

डा. किरोड़ी लाल : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, आई विल नाट अलाउ।

डा. किरोड़ी लाल : + + + को जमीन अलाट कर दी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह तो पहले ही कह दिया।

डा. किरोड़ी लाल : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह तो पहले ही कह दिया (व्यवधान) आई विल नाट अलाउ। आप कोई नाम देंगे तो अंकित नहीं होगा। अंकित न करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) विराजें।

+ + + नाम/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।
××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : विराजें। (व्यवधान) आप नाम नहीं लेंगे। आप बोलें। (व्यवधान) Without taking anybody's name. आप नाम नहीं लेंगे। आप बोलें, आपको अलाउ किया है। I have not allowed you.

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उनकी इस बात को रिकार्ड कर लिया जाए और आप डाइरेक्शन दे दें, यदि अलाटमैंट गलत हुआ तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : रिकार्ड तो हो गया न।

श्री सी. पी. जोशी : अब बाकी बातों का इनसे क्या मतलब है? बाकी चीजों का इससे क्या मतलब है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हर मामले में मंत्रीजी खड़े हो जाते हैं।

श्री सी. पी. जोशी : बाकी बातों का तो कोई मतलब ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : किस बात का? आप अपनी मनमर्जी से बोलते रहे तो कोई मतलब है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : विराजें। आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नियमों से चलता है सदन।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, नियमों से ही चलाने की कोशिश करते हैं।

श्री सी. पी. जोशी : नियमों से चल रहा है।

श्री राजेन्द्र पारीक : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, इनके तो स्वयं के करोड़ों रुपये के घोटाले हैं तब इनको याद नहीं आया। +++ आप लोगों ने।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : पर्चों पर इस तरह से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको अलाउ करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि +++ और तथ्यहीन बातें करके पूरे सदन को गुमराह करें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आपके खिलाफ तो कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, कितने करोड़ रुपयों की जमीन आपने हड़प ली।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र पारीक : मीणा साहब, इनके स्वयं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, क्या हुआ मामलों का?

+++ नाम/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप भ्रष्टाचार करें और हम बोलें भी नहीं, यह क्या बात हुई ?

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, आपके डाकूमैंट का यह कोई तरीका थोड़े ही होता है ? आप जो भी डाकूमैंट रैफर कर रहे हैं उसको सदन में रखवाइए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या चीज ?

श्री सी. पी. जोशी : जो भी आप डाकूमैंट रैफर कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सदन नियमों से चलता है।

श्री सी. पी. जोशी : किसी भी चीज का कोई भी डाकूमैंट...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या चीज ? (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप कोई भी डाकूमैंट रखते हैं...(व्यवधान) कोई डाकूमैंट रखते हैं...(व्यवधान) यह कोई तरीका थोड़े ही होता है ? कोई भी डाकूमैंट है वह दो यहां पर। क्या तकलीफ है इनको ?

श्री राजेन्द्र पारीक : यह सारा सिस्टम बंद करना पड़ेगा आपको।

श्री सी. पी. जोशी : इसमें तकलीफ थोड़े ही है।

एक माननीय सदस्य : आसन की गरिमा का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। एक मिनट, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री राजेन्द्र पारीक : निवेदन यह करना चाह रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि, यह सदन नियमों से चलता है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र पारीक : पर्ची का सिस्टम भी नियमों से बंधा हुआ है।

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय खराब किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री सी. पी. जोशी : कोर्ट में सबजुडिस मामला है, आप फिर भी अलाउ कर रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जमीनों के मामले में केवल एक ही आदमी के हाथ में नहीं होता है, अपील होती है, अपीलेट अथोरिटी है, रेवेन्यू बोर्ड में होती है, फिर बात क्या है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इनका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो ये अपनी बात कह रहे हैं इसमें कोई माननीय सदस्य अपना एतराज पेश कर रहे हैं और हमारे सम्माननीय जो सामने बैठे हैं ये पीछे से इशारा करते हैं यों, अब सदन में इशारे कर-करके लोगों को खड़ा करके इश्यू उठवाना...

श्री उपाध्यक्ष : इसको तो 50 साल हो गये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह कहां तक मुनासिब है? यह डाइरेक्शन दें ताकि सदन में आर्डर कायम रहे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, यह सिस्टम तो 50 साल हो गये चलते हुए, आज नया थोड़े ही है। आप सभी जानते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके मुख्य सचेतक जी भागकर जाएं वहां दीपेन्द्रसिंह जी के पास, आपके मंत्री कल जाकर उनको रोकें और आप इशारे करने पर पाबंदी लगा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन इशारों से चल रहा है। यह सदन इशारों से चलने लग गया? आपकी आज्ञा से नहीं, इशारों से चलने लग गया। मर्जी आए जो खड़े हो जाएं, मर्जी आए जो बैठ जाएं, मर्जी आए जो कहते हैं सदन के अंदर।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो न।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप जो चाहे करें और दूसरे इशारे भी न करें? हमको दबा दो, चुपचाप बैठा दो।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल जी, प्लीज समाप्त कीजिए इसको। आपको जो कुछ रिकार्ड रखना है आप यहां टेबल पर रख दीजिए। पुट इट आन दी टेबल।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इनको कहें कि जो भी रिकार्ड है वह टेबल पर रख दें।

श्री उपाध्यक्ष : हां रख देंगे, चिन्ता क्यों करते हो।

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : फिर वही बात शुरू कर दी। आई विल नाट अलाउ। मैं बंद कर दूंगा। (व्यवधान) आपका मूल मकसद यह है कि जमीन का अलाटमैंट गलत हुआ है...

डा. किरोड़ी लाल : पूरी तरह से गलत हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय। पूरी तरह से गलत है। आवंटन कमेटी पूरी तरह से दोषी है। आवंटन कमेटी के सदस्य +++ 10 बीघा जमीन अलाट करके 300 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया।

श्री उपाध्यक्ष : इसको एक्सपंज कर दीजिए।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।
+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रतन लाल ताम्बी : यह सही नहीं है, आप देख लीजिए।

डा. किरोड़ी लाल : 300 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है और तीन करोड़ की जमीन का कब्जा कर रखा है, फर्जी अलाटमैंट कर रखा है और फर्जी अलाटमैंट करके 1500 बीघा जमीन पर + + + कब्जा कर रखा है, + + +

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। प्लीज़ सिट डाउन।

डा. किरोड़ी लाल : + + +

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। प्लीज आप विराजें।

डा. किरोड़ी लाल : मैं टेबल पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप रख दीजिए।

डा. किरोड़ी लाल : आपकी इजाजत से मैं इनको सदन की मेज पर रखता हूं।

(डा. किरोड़ी लाल, सदस्य द्वारा कुछ पत्रादि सदन पटल पर रखे गये)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

डा. किरोड़ी लाल : 1500 बीघा जमीन की तीन करोड़ कीमत है, + + + घपला कर रखा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डा. चन्द्रभान, उद्योग मंत्री विभाग की अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

उद्योग विभाग

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या आरएफसी/पीए. 23(5) दिनांक 27 मार्च, 1999 जिसके द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 23 व 48 के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम स्टाफ (संशोधित वेतन श्रृंखला) रेगुलेशन, 1989 की अनुसूची-1 में जो संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह जी, वित्त मंत्री।

वित्त विभाग

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 58 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

1. अधिसूचना संख्या प.4(1)वित्त/कर-अनु/2000-356 दिनांक 12.5.2000 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(1)वित्त/कर-अनु/2000-279 दिनांक 30.3.2000 में संशोधन किया गया है।

2. अधिसूचना संख्या प.4(1)वित्त/कर-अनु/2000-357 दिनांक 15.5.2000 जिसके द्वारा सभी प्रकार के मोटर यानों जिनमें दो पहियां, तीपहिया वाहन और ट्रैक्टर सम्मिलित है को अधिभार से मुक्त किया गया है।

3. अधिसूचना संख्या प.4(1)वित्त/कर-अनु/2000-358 दिनांक 15.5.2000 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(1)वित्त/कर-अनु/2000-302 दिनांक 30.3.2000 में संशोधन किया गया है।

4. अधिसूचना संख्या प.4(1)वित्त/कर-अनु/2000-359 दिनांक 15.5.2000 जिसके द्वारा 1.25 लाख रुपये की लागत वाले स्व. सेठ अचल सिंह की मूर्ति के क्रय-विक्रय को कर से मुक्त किया गया है।

5. अधिसूचना संख्या एफ.10(6)वित्त/कर- अनु/2000 दिनांक 19.6.2000 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.10 (31)वित्त/कर-अनु/87 दिनांक 22 मई, 1997 में संशोधन किया गया है।

6. अधिसूचना संख्या प.4(1)वित्त/कर-अनु/2000-360 दिनांक 19.6.2000 जिसके द्वारा पानी के पम्प सेट एवं अर्थ मूविंग मशीनरी जिनकी क्षमता 10 हार्स पावर से अधिक है पर कर दर 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत, सिल्क और नेफ्था पर 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत एवं 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दर लगाया गया है।

7. अधिसूचना संख्या प.4(1)वित्त/कर-अनु/2000-361 दिनांक 19.6.2000 जिसके द्वारा 10 हार्सपावर तक के पानी के पम्प और आयल इंजन को कर से मुक्त किया गया है।

8. अधिसूचना संख्या प.4(1)वित्त/कर-अनु/2000-362 दिनांक 28.6.2000 जिसके द्वारा भूमि एवं भवन के लिए 1999-2000 से 2002-2003 तक के लिए संदेय कर की दर निर्धारित की गई है।

9. अधिसूचना संख्या प.4(1)वित्त/कर-अनु/2000-363 दिनांक 28.6.2000 जिसके द्वारा भूमि एवं भवन कर की बाजार मूल्य की अवधारणा 1998-99 तक और आगे के लिये तय की गई है।

10. अधिसूचना संख्या प.4(1)वित्त/कर-अनु/2000-364 दिनांक 28.6.2000 जिसके द्वारा भूमि एवं भवन कर स्वनिर्धारण योजना के अन्तर्गत विवरणी प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा 30 जून से बढ़ाकर 15.7.2000 की गई है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

11. अधिसूचना संख्या प4(1)वित्त/कर-अनु/2000-365 दिनांक 28.6.2000 जिसके द्वारा भूमि एवं भवन के लिए अमनेस्टी स्कीम की समय सीमा 30.6.2000 से बढ़ाकर 31.7.2000 की गई है और बाजार मूल्य का सरलीकरण भी किया गया है।

12. अधिसूचना संख्या प4(1)वित्त/कर-अनु/2000-366 दिनांक 30.6.2000 जिसके द्वारा मिनी सीमेन्ट प्लाण्ट की प्रशमन स्कीम की समयावधि 30.6.2000 से बढ़ाकर 31.7.2000 की गई है।

13. अधिसूचना संख्या प4(1)वित्त/कर-अनु/2000-367 दिनांक 30.6.2000 जिसके द्वारा खाण्डसारी चीनी के प्रशमन योजना की अवधि 30.6.2000 से बढ़ाकर 31.3.2000 की गई है।

14. अधिसूचना संख्या प4(1)वित्त/कर-अनु/2000-368 दिनांक 30.6.2000 जिसके द्वारा टैक्सटाइल की प्रशमन योजना की अवधि 30.6.2000 से बढ़ाकर 31.3.2000 कर दी गई है।

15. अधिसूचना संख्या प4(1)वित्त/कर-अनु/2000-369 दिनांक 30.6.2000 जिसके द्वारा चीनी के प्रशमन योजना की अवधि 30.4.2000 से बढ़ाकर 31.7.2000 कर दी गई है।

16. अधिसूचना संख्या प4(1)वित्त/कर-अनु/2000-370 दिनांक 30.6.2000 जिसके द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क के लिए प्रशमन स्कीम की अवधि 30.4.2000 से बढ़ाकर 31.7.2000 कर दी गई है।

17. अधिसूचना संख्या प4(1)वित्त/कर-अनु/2000-371 दिनांक 30.6.2000 जिसके द्वारा धागा एवं मशीन का धागा पर रियायती कर दर की कालावधि 30.6.2000 से बढ़ाकर 31.7.2000 कर दी गई है।

18. अधिसूचना संख्या प4(1)वित्त/कर-अनु/2000-372 दिनांक 1.7.2000 जिसके द्वारा एक शुद्धि पत्र जारी कर "पानी के पम्प" के स्थान पर "पानी के पम्प सेट" कर दिया गया है।

19. अधिसूचना संख्या प.8(14)वित्त/कर-अनु/91 दिनांक 15.7.2000 जिसके द्वारा भूमि एवं भवन के स्वकर निर्धारण योजना की समय सीमा 15.7.2000 से बढ़ाकर 31.7.2000 कर दी गई है।

20. अधिसूचना संख्या प4(1)वित्त/कर-अनु/2000-373 व 374 दिनांक 27.7.2000 जिसके द्वारा 10 अश्व शक्ति के नीचे पानी के पम्प के स्थान पर 10 अश्व शक्ति तक के पानी के पम्प को बिक्री कर का फायदा उपलब्ध कराया गया है।

21. अधिसूचना संख्या प10(5)वित्त/कर-अनु/98-375 दिनांक 27.7.2000 जिसके

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

द्वारा अधिसूचना संख्या प.10(5)वित्त/अनु/98 दिनांक 17.10.2000 में संशोधन किया गया है।

22. अधिसूचना संख्या प4(8)वित्त/कर-अनु/97-376 दिनांक 28.7.2000 जिसके द्वारा राजस्थान मेडिकल रिलिफ सोसाइटी द्वारा बिक्री किये जाने वाली 4 दवाई/माल को दिनांक 1.4.1998 से बिक्री कर से मुक्त किया गया है।

23. अधिसूचना संख्या प4(11) वित्त/कर-अनु/2000-377 दिनांक 28.7.2000 जिसके द्वारा सभी प्रकार के धागे और सिलाई के धागे को दी गई कर रियायतों की अवधि 30.9.2000 तक बढ़ाई गई है।

24. अधिसूचना संख्या प8(23)वित्त/कर-अनु/98-378 व 379 दिनांक 28.7.2000 जिसके द्वारा दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर भूमि एवं भवन कर की स्वकर निर्धारण योजना और एमनेस्टी स्कीम की अवधि 31.7.2000 बढ़ाकर 21.8.2000 और 31.8.2000 की गई है।

25. अधिसूचना संख्या प4(74)वित्त/कर-अनु/96-380 दिनांक 16.8.2000 जिसके द्वारा पी.एच.ई.डी. द्वारा प्रभारित मीटर किराये पर संदेय कर को 1.4.2000 से 31.3.2001 तक कर से मुक्त किया गया है।

26. अधिसूचना संख्या प4(1)वित्त/कर-अनु/2000-381 दिनांक 26.8.2000 जिसके द्वारा "फाइबर ग्लास टेप" को 15.8.2000 तक विक्रय कर से मुक्त किया गया है।

27. अधिसूचना संख्या प4(1)वित्त/कर-अनु/2000-382 दिनांक 16.8.2000 जिसके द्वारा फाइबर ग्लास टेप कर पर की दर 4 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

28. अधिसूचना संख्या प4(20)वित्त/कर-अनु/2000-383 दिनांक 18.8.2000 जिसके द्वारा "कारपेट्स" को प्रवेश कर से मुक्त किया गया है।

29. अधिसूचना संख्या प4(50)वित्त/कर-अनु/99-384 दिनांक 22.8.2000 जिसके द्वारा सभी प्रकार के कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रिंटर्स, सीवीटी, यूपीएस और कम्प्यूटर सोफ्टवेयर उनके पुर्जों और उप साधनों सहित के कर की दर 4 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

30. अधिसूचना संख्या प4(50)वित्त/कर-अनु/99-385 दिनांक 22.8.2000 जिसके द्वारा Information Technology Park के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों को स्टाम्प शुल्क से मुक्त किया गया है।

31. अधिसूचना संख्या प.8(23)वित्त/कर-अनु/99-386 दिनांक 31.8.2000 जिसके द्वारा एमनेस्टी स्कीम की अवधि 31.8.2000 से बढ़ाकर 31.10.2000 की गई है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

32. अधिसूचना संख्या प.10(14)वित्त/कर-अनु/97 दिनांक 8.9.2000 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में फिल्माई गई फिल्म को एक वर्ष की कालावधि के लिए 50 प्रतिशत तक मनोरंजन कर में छूट देने हेतु सशर्त अधिसूचना जारी की गई है।

33. अधिसूचना संख्या प.10(14)वित्त/कर-अनु/97 दिनांक 8.9.2000 जिसके द्वारा 50,000 से कम की जनसंख्या वाले स्थानीय क्षेत्रों पर नया सिनेमा हाल बनाने के लिए भूमि के क्रय से संबंधित लिखितों पर प्रभारी स्टाम्प शुल्क उस भूमि के बाजार मूल्य के 5 प्रतिशत तक कम की जावेगी।

34. अधिसूचना संख्या 2(3)वित्त/कर/91 दिनांक 8.9.2000 जिसके द्वारा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा पेट्रोल पम्प लगाने हेतु बीकानेर में खरीदने वाली भूमि के विलेखों को मुद्रांक कर से मुक्त किया गया है।

35. अधिसूचना संख्या (50) वित्त/कर/99-387 दिनांक 13.9.2000 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या 4(50)वित्त/कर-अनु/99-385 दिनांक 22.8.2000 की शर्त संख्या 3 को प्रतिस्थापित किया गया है।

36. अधिसूचना संख्या 4(50)वित्त/कर-अनु/99-388 दिनांक 13.9.2000 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या 4(68)वित्त/कर-अनु/99-269 दिनांक 24.1.2000 में संशोधन किया गया है।

37. अधिसूचना संख्या 8(9)वित्त/कर-अनु/99 दिनांक 15.9.2000 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या 4(1)वित्त/कर-अनु/2000-328 दिनांक 30.3.2000 में संशोधन किया गया है।

38. अधिसूचना संख्या 2(12) वित्त/कर-अनु/2000 दिनांक 21.9.2000 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज लेखकों की दर बढ़ाई गई है।

39. अधिसूचना संख्या 4(40)वित्त/कर-अनु/98-389 दिनांक 18.9.2000 जिसके द्वारा सिल्क फेब्रिक्स के विक्रय या क्रय को संदेय कर से छूट दी गई है।

40. अधिसूचना संख्या 4(10)वित्त/कर-अनु/98-390-391 दिनांक 19.9.2000 जिसके द्वारा प्लास्टिक का सामान, पी.वी.सी. दाना आदि की कच्ची सामग्री को घोषणा पत्रों की अनिवार्यता से मुक्ति प्रदान की गई है।

41. अधिसूचना संख्या 4(29)वित्त/कर-अनु/97-392 दिनांक 27.9.2000 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या 4(1)वित्त/कर-अनु/2000-279 दिनांक 30.3.2000 में संशोधन किया गया है।

42. अधिसूचना संख्या 4(22)वित्त/कर-अनु/2000-393 दिनांक 27.9.2000 जिसके

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

द्वारा तेल रहित खल के अंतर्राज्यीक विक्रय कर की दर 1 प्रतिशत की गई है।

43. अधिसूचना संख्या 20(1)वित्त/कर-अनु/90-II दिनांक 27.9.2000 जिसके द्वारा अधिसूचना जारी कर अंतर्राज्यीक राष्ट्रीय सम्मेलन 2000 में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को जयुपर में चिन्हित 14 होटलों में रहने पर 23 व 24.10.2000 को विलास कर से छूट प्रदान की गई है।

44. अधिसूचना संख्या 4(8)वित्त/कर-अनु/97-396 दिनांक 27.9.2000 जिसके द्वारा "वेक्सीन" के विक्रय को 27.3.1995 से विक्रय कर में मुक्ति प्रदान की गई है।

45. अधिसूचना संख्या 4(11)वित्त/कर-अनु/2000-397 दिनांक 29.9.2000 जिसके द्वारा धागा एवं सिलाई धागा पर रियायती कर दर की कालावधि 30.9.2000 से बढ़ाकर 31.10.2000 की गई है।

46. अधिसूचना संख्या 4(79)वित्त/कर-अनु/95-398 दिनांक 29.9.2000 जिसके द्वारा निजी अस्पतालों को चिकित्सा उपकरण एवं प्लाण्ट एवं मशीनरी खरीदने पर बिक्री कर में छूट की अवधि 1.4.2000 से बढ़ाकर 31.3.2001 की गई है।

47. अधिसूचना संख्या 4(20)वित्त/कर-अनु/96 पार्ट-399 दिनांक 30.9.2000 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ 4(4)वित्त/कर-अनु/99-143 दिनांक 26.3.2000 में संशोधन किया गया है।

48. अधिसूचना संख्या 4(1)वित्त/कर-अनु/2000-400 दिनांक 30.9.2000 जिसके द्वारा हाईड्रोलिक एक्सकेवेटर को अधिभार के संदेय से मुक्त किया गया है।

49. अधिसूचना संख्या 4(1)वित्त/कर-अनु/2000-401 दिनांक 30.9.2000 जिसके द्वारा हाईड्रोलिक एक्सकेवेटर एवं हैवीअर्थ मूविंग मशीनरी के अन्तर्राज्यीक बिक्री पर कर की दर 2 प्रतिशत की गई है।

50. अधिसूचना संख्या 10(5)वित्त/कर-अनु/98 दिनांक 20.10.2000 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या 10(5)वित्त/कर-अनु/98 दिनांक 17.10.2000 में संशोधन किया गया है।

51. अधिसूचना संख्या 10(10)वित्त/कर-अनु/99 दिनांक 20.10.2000 जिसके द्वारा राजस्थानी फिल्म छैल छबीली छोरी को तीन माह के लिए 50 प्रतिशत मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान की गई है।

52. अधिसूचना संख्या 4(22)वित्त/कर-अनु/2000-402 एवं 403 दिनांक 24.10.2000 जिसके द्वारा तेल रहित खल को बिक्री कर से मुक्त किया गया है।

53. अधिसूचना संख्या 4(53)वित्त/कर-अनु/94-404 दिनांक 25.10.2000 जिसके

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

द्वारा देशी स्वीट मीट, कुल्फी, आइसक्रीम एवं नमकीन को 6 प्रतिशत कर की श्रेणी में रखा गया है चाहे वह किसी भी प्रकार की पैकिंग में हो।

54. अधिसूचना संख्या 4(50)वित्त/कर-अनु/99-405 दिनांक 25.10.2000 जिसके द्वारा वाणिज्यिक भवनों को जो पूर्णतया सूचना प्रोद्योगिक और सोफ्टवेयर से संबंधित कार्य करने के लिए उपयोग में लिये जाते हैं को भूमि एवं भवन कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति के 16 प्रतिवेदन (52 से 67)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जनलेखा समिति 2000-2001 के 16 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं।

1. जनलेखा समिति, 1990-91 के 13वें एवं 14वें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफरिशों पर परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) जनलेखा समिति (सिविल) 2000-2001 का 52वां प्रतिवेदन।

2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1993-94 में समाविष्ट विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित पैरा संख्या 3.9, 6.2, 6.3, 6.5 तथा 6.8 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिदि 2000-2001 का 53वां प्रतिवेदन।

3. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन 1994-95 के पैरा संख्या 3.11 अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 में समाविष्ट ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित पैरा संख्या 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 एवं 6.14 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2000-2001 का 54वां प्रतिवेदन।

4. जनलेखा समिति 1990-91 के छठे एवं सातवें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) जनलेखा समिति (सिविल), 2000-2001 का 55वां प्रतिवेदन।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

5. जनलेखा समिति, 1990-91 के 15वें एवं 18वें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) जनलेखा समिति (सिविल), 2000-2001 का 56वां प्रतिवेदन।

6. जनलेखा समिति, 1997-98 के 112वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) जनलेखा समिति (सिविल), 2000-2001 का 57वां प्रतिवेदन।

7. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1993-94 में समाविष्ट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित पैरा 3.6 अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 का पैरा संख्या 3.4, 3.5 एवं 3.6 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2000-2001 का 58वां प्रतिवेदन।

8. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1996-97 में समाविष्ट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अनुच्छेद 3.8 पैरा 3.9 (परिवार कल्याण विभाग) पैरा संख्या 3.10 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा पैरा संख्या 7.1 आयुर्वेद विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2000-2001 का 59वां प्रतिवेदन।

9. जनलेखा समिति, 1997-98 के 111वें प्रतिवेदन यातायात विभाग (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 60वां प्रतिवेदन।

10. जनलेखा समिति, 1995-96 के 69वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में भू-राजस्व विभाग से संबंधित समाविष्ट सिफारिशों की पालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 61वां प्रतिवेदन।

11. जनलेखा समिति वर्ष 1999-2000 के सातवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में राजस्व विभाग से संबंधित समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 62वां प्रतिवेदन।

12. जनलेखा समिति 1994-95 के 12वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में यातायात विभाग से संबंधित समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 63वां प्रतिवेदन।

13. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 का पैरा संख्या 6.5, 6.6, 6.7,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17 व 6.18 एवं महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 का पैरा संख्या 6.13 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2000-2001 का 64वां प्रतिवेदन।

14. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1993-94 के पैरा संख्या 4.18 एवं 4.20 में समाविष्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2000-2001 का 65वां प्रतिवेदन।

15. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1990-91 के पैरा संख्या 3.3 में समाविष्ट भू-जल विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2000-2001 का 66वां प्रतिवेदन।

16. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1998-99 के पैरा संख्या 3.6 में समाविष्ट वित्त (राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि) विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2000-2001 का 67वां प्रतिवेदन।

याचिकाओं का उपस्थापन

बस्सी की बंद पेयजल योजनाओं को चालू कराने बाबत

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल, सदस्य।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित तीन याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं : —

1. विधान सभा क्षेत्र बस्सी की विभिन्न पेयजल योजनाओं, जो बंद पड़ी हैं को पुनः चालू करने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

ढूंढ नदी पर गरुड़वासी व चाकसू के मध्य पुलिया निर्माण

2. जिला जयपुर स्थित ढूंढ नदी पर ग्राम गरुड़वासी व चाकसू के मध्य रपट या पुलिया निर्माण हेतु 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, एवं

जयपुर से विभिन्न गांवों तक रोडवेज बस का संचालन

3. जयपुर से छारेड़ा (दौसा) वाया जटवाड़ा, हंसमहल, खेड़ला, कानेटी, भटेरी, डिंगारिया, बनियाना, आलदा व पापड़दा तक रोडवेज बस लगाये जाने के संबंध में 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री उपाध्यक्ष : पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक। श्री शांतिकुमार जी धारीवाल।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक सं.-23) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक सं.-23) को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का अध्यादेश संख्या-6) को जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2000

राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2000

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करता हूं।

अनुपूरक अनुदान की मांग

मांग संख्या-34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत की प्रस्तुति

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब सिंह शक्तावत, पुनर्वास मंत्री अनुपूरक अनुदान मांग संख्या-34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत, विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (अकाल सहायता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

राज्यपाल महोदय को रुपये 3,17,18, 78,000/- (तीन अरब सत्रह करोड़ अठारह लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगल जी काबरा।

मांग संख्या-34 पर विचार

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में अनुपूरक अनुदान वर्ष 2000-2001 की मांग संख्या-34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत पर विचार के संबंध में अपनी बात कहने खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, राजस्थान पिछले तीन सालों से निरन्तर प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। इस साल उम्मीद की जा रही थी कि मानसून सामान्य से अच्छा होगा और जो पिछले वर्षों की बिगड़ी हुई परिस्थितियां थीं उनमें सुधार आ सकेगा, सामान्य रूप से पेयजल की आपूर्ति, पशुओं के संरक्षण की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था हम अपने राज्य में कर सकेंगे।किन्तु जो हालात बने

(13.24 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

हैं वे पिछले सालों से भी ज्यादा गंभीर बने हैं। पिछले वर्ष जहां राज्य में 26 जिलों में अकाल था, लगभग साढ़े 23 हजार गांव प्रभावित थे, इस साल नागौर और बारां जिले के अलावा पूरा प्रदेश सामान्य से कम वर्षा से प्रभावित है और बहुत बड़ी आबादी इस अभावग्रस्त स्थिति से गुजर रही है। पूरा प्रदेश इन हालात से चिन्तित है। किस तरह यह समय निकल पाएगा, यह सभी के लिए सोचने और चिन्ता की बात है। पिछले साल भी जब मानसून सामान्य से कम हुआ था तब भी इसी तरह की चिन्ता इस सदन में और सदन के बाहर भी सभी लोगों द्वारा जाहिर की गयी थी। गत साल के पहले साल में भी जब कांग्रेस सरकार ने प्रदेश का शासन संभाला था उस समय भी हालात सामान्य नहीं थे। किन्तु राजस्थान की सरकार ने जनता की समस्याओं को समझा और यह प्रयास किया कि राहत कार्यों को त्वरित गति से चलाया जाए, जनता की कठिनाइयों को दूर किया जाए, अकाल पीड़ित क्षेत्रों में अभावग्रस्त लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, पशुओं के लिए चारे का प्रबंध किया जाए, गांवों, ढाणियों, शहरों, कस्बों और नगरों में पेयजल आपूर्ति का प्रबंध किया जाए। ये सारी व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ की गयीं और यही कारण यह रहा कि दो साल से गंभीर अकाल के हालात के बावजूद हम यह समय सामान्य रूप से निकाल सके पिछले साल राज्य सरकार ने करीब 15 लाख लोगों को विभिन्न

(श्री जुगल काबरा)

क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया और विभिन्न विभागों के द्वारा तीन लाख श्रमिकों को अलग से रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी। सभापति महोदय, इसी तरह से राज्य सरकार ने अपने संसाधनों के अलावा केन्द्रीय आपात कोष से जो धनराशि मिली उसके अलावा नाबार्ड से ऋण लेकर भी यह प्रयास किया कि स्थायी प्रकृति की परिसम्पत्तियां सृजित की जाएं और आधारभूत संरचना विकास के लिए तैयार की जाए। पेयजल की व्यवस्था के लिए पारम्परिक जल स्रोतों को तैयार करवाया गया और कोशिश की गयी कि किसी तरह से आम लोगों को कम से कम तकलीफ हो। चारे की स्थिति पिछले साल गंभीर थी। हमारे अपने प्रदेश में चारे की स्थिति विकट थी इसलिए पड़ौसी राज्यों से चारे के परिवहन की व्यवस्था की गयी। पड़ौसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने अनुरोध किया कि इस संकट की घड़ी के अन्दर आप हमारी मदद कीजिये। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पड़ौसी राज्यों के मुख्य मंत्री महानुभावों को कि उन्होंने हमारी गुहार को सुना और राजस्थान के अन्दर अभाव पीड़ित क्षेत्रों में पशुओं की रक्षा के लिए निःशुल्क चारा भेजने का प्रबंध किया। यह प्रबंध रेलगाड़ियों के माध्यम से, ट्रकों के माध्यम से किया गया। भारत सरकार ने भी रेलगाड़ियां उपलब्ध कराने के लिए सहयोग किया जिसकी वजह से चारे का परिवहन हो सका। राजस्थान सरकार ने जो पिछली व्यवस्थाएं थी चारा परिवहन पर अनुदान देने की, उसके अन्दर बढ़ोतरी की और चारा अनुदान अधिकाधिक देकर यह प्रयास किया कि पशुओं को किसी भी तरह से बचाया जाना चाहिए। जो स्वयंसेवी संगठन चारा परिवहन के लिए आगे आये उन्हें भी राज्य सरकार ने पूरी तरह से सहयोग और संरक्षण दिया और यह कोशिश की कि हम राजस्थान के किसी भी हिस्से में चाहे पशु किसी भी हालात में हैं, उन्हें चारा मुहैया कराने का प्रयास करें। पहले चारा परिवहन का अनुदान 30 रुपये प्रति क्विंटल हुआ करता था उसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर 60 से 80 रुपये प्रति क्विंटल दूरी के हिसाब से किया और राज्य के बाहर से आने वाले चारे के ऊपर 45 रुपये प्रति क्विंटल के बजाय 80 रुपये क्विंटल तक का अनुदान दिया गया ताकि पशुओं को बचाने के लिए व्यवस्था की जा सके।

इतना ही नहीं, इस संवेदनशील सरकार ने पशुओं के संरक्षण के लिए पशु शिविरों की व्यवस्था की और गौशालाओं को अनुदान दिया। जहां बड़े पशुओं के लिए केवल 3 रुपये निर्धारित थे अनुदान के, उसे बढ़ाकर

(श्री जुगल काबरा)

13 रुपये कर दिया और छोटे पशुओं के लिए जो अनुदान डेढ़ रुपये था उसे बढ़ाकर साढ़े 6 रुपये कर दिया। इस सब का तात्पर्य यह रहा कि राज्य सरकार चाहती थी कि राजस्थान प्रदेश की जनता पशुपालन पर निर्भर रहती है, राजस्थान राज्य पशुओं के लिए पूरे देश के अन्दर सबसे आगे रहा है, उनके संरक्षण के लिए उन्हें हर तरह से सहयोग प्रदान किया जाएं। पशुपालक अपने पशुओं को बचाने की कोशिश करें, आम जनता भी पशु शिविरों के माध्यम से लावारिस जो जानवर हैं उनके किसी तरह से रख-रखाव की व्यवस्था करे। सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवी संगठन पशुओं को बचाने के लिए जो काम करना चाहते हैं उन्हें भी राज्य सरकार ने पूरी तरह से सहयोग प्रदान किया।

इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए यह प्रयास किया कि जो अपाहिज लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, कमजोर लोग हैं, जो काम करने की स्थिति में नहीं हैं उन लोगों को राहत पहुंचाई जाए। उसके लिए गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को 180 रुपया एक माह के लिए प्रदान किया गया ताकि वे किसी तरह से अपना गुजारा चला सकें। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में यह व्यवस्था की गयी कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया जाएं। इसके लिए, माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर दो क्विंटल अनाज की व्यवस्था की ताकि कहीं भी कोई कमजोर व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, अपाहित व्यक्ति जो रोजगार का प्रबन्ध नहीं कर सकता, जो कहीं मजदूरी करने नहीं जा सकता, वह किसी कारण से बीमार है, ऐसे व्यक्ति को पंचायत मुख्यालय पर अनाज उपलब्ध करवाया जा सके। इस तरह की व्यवस्था राजस्थान सरकार ने करके यह कोशिश की कि हम इस अकाल की पीड़ा से राजस्थान की जनता को राहत दिलवा सकें।

मान्यवर, जितना बड़ा अकाल पिछले दो सालों में था उसके लिए संसाधनों की बहुत बड़ी आवश्यता थी। जब कहीं भी देश के अन्दर प्राकृतिक आपदा होती है तो राज्य सरकार और केन्द्र सरकार का संयुक्त दायित्व होता है कि वे दोनों अपने देश की जनता की, अपने प्रदेश की जनता की व्यवस्था करें, उनके संरक्षण के लिए प्रबन्ध करें, संसाधन जुटाने में सहयोग प्रदान करें। पिछले वर्ष प्रधान मंत्री सहायता कोष से राहत कार्य के लिए राज्य को 21.68 करोड़ रुपया दिया गया और यह राशि राज्य सरकार द्वारा दवाई, पेयजल तथा पशु संरक्षण के लिए खर्च की गयी। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा कोष से राज्य को करीब 103 करोड़ रुपये की राशि अतिरिक्त प्रदान की गयी।

(श्री जुगल काबरा)

राज्य को जो हमारा अपना हिस्सा है प्राकृतिक आपदा कोष का, उसमें से 155.25 करोड़ की एक किश्त और 51.75 करोड़ की दूसरी किश्त प्राप्त हुई। किन्तु यह धनराशि अपर्याप्त थी। जितना बड़ा अकाल था, जिस तरह की समस्याएं थीं, जिस तरह की पीड़ा थी, जिस तरह का कष्ट था उसको देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा जो सहायता दी गयी वह पूरी तरह से अपर्याप्त थी। जब कभी भी संकट की घड़ी होती है, केन्द्र सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह आगे आकर पीड़ित मानवता की रक्षा के लिए, पीड़ित जनता की सेवा के लिए राज्य सरकारों को सहयोग प्रदान करे। किन्तु मुझे बड़े दुःख के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि भारत सरकार अपने इस कर्तव्य में पूरी तरह से खरी नहीं उतरी और उसके कारण राज्य को अपने हिस्से से, अपने संसाधनों से राहत कार्यों के लिए राशि जुटानी पड़ी जिसका कुप्रभाव यह रहा कि राज्य की योजना में कटौती करनी पड़ी। राज्य के जो विकास के काम थे उनमें कठिनाई आयी और जो कुछ भी विकास के काम की आम जनता अपेक्षा कर रही थी, वे कुछ नहीं हो सके।

पिछला वर्ष हमारे लिए जहां एक तरफ अकाल की विभीषिका का रहा उसके साथ ही साथ पिछली बारिश में अतिवृष्टि से भी हम लोग पीड़ित रहे। बीकानेर क्षेत्र के लूणकरणसर, पूंगल, छत्तरगढ़ आदि गांवों के अन्दर 34 हजार परिवार इस विभीषिका से पीड़ित हुए और आज भी लूणकरणसर इलाके के बहुत बड़े भू-भाग में पानी भरा हुआ है। आम लोगों को इससे तकलीफ हो, रही है। किन्तु वहां भी राज्य सरकार ने तत्परता से जनता को राहत देने के लिए तीन करोड़ से अधिक की सहायता राशि प्रभावित व्यक्तियों को उपलब्ध करवायी और पानी निकालने के लिए कई तरह से प्रबन्ध किये। भारत सरकार से भी अनुरोध किया गया कि कोई तकनीक उपलब्ध कराए जिससे उसके माध्यम से जो जमा हुआ पानी है उसे जमीन के अन्दर नीचे उतारा जा सके। किन्तु जो कोई भी तकनीक राज्य सरकार ने अपनी तरफ से काम में ली, केन्द्रीय सरकार द्वारा भी उसी तकनीक की व्यवस्था की गयी और यह कहा गया कि यह तकनीक ही उपलब्ध तकनीक है जिसके माध्यम से इस पानी को किसी तरह से यहां से निकाला जा सकता है।

मान्यवर, अभी भी हालात उसी तरह के बने हुए हैं। इस साल सामान्य से 29 प्रतिशत कम बारिश हमारे प्रदेश में हुई है। राजस्थान आज के दिन देश का सबसे बड़ा राज्य है। हमारा क्षेत्रफल देश का करीब 10 प्रतिशत है जबकि हमारे जल संसाधनों

(श्री जुगल काबरा)

की स्थिति देश के अन्दर केवल एक प्रतिशत है। इस समय पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था भी एक गम्भीर प्रश्न है जिसके लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे राहत मंत्रीजी और पेयजल आपूर्ति मंत्रीजी को कि उन्होंने समय से पहले इस संकट की स्थिति को समझा और यह प्रयास किया कि हम समय से पहले राहत कार्यों के लिए पुख्ता इंतजाम करें और पेयजल आपूर्ति की स्थिति को सुधारने के लिए पहले से ही योजना बनाकर यह कोशिश करें कि आम लोगों को आने वाली गर्मी के अन्दर तकलीफ नहीं उठानी पड़े। हमारी पेयजल आपूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा पिछले साल भी पूर्वानुमान कर लिया गया था और यही कारण था कि पूरे प्रदेश के अन्दर भयंकर अकाल के बावजूद पेयजल को लेकर कहीं भी कोई दंगा नहीं हुआ, कहीं भी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कहीं भी कोई लाठी नहीं चली, कहीं भी कोई गोली नहीं चली। जबकि, सभापति महोदय, आपको याद होगा कि पूर्व के वर्षों के अन्दर इस प्रदेश में पानी की आपूर्ति को लेकर गोलियां और लाठियां चली हैं, कई लोग पानी मांगते हुए भून दिये गये हैं। किन्तु मैं राज्य सरकार को, मुख्य मंत्रीजी को और उनके सहयोगी मंत्रियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने स्थिति का पूर्व में ही आकलन करके यह प्रयास किया कि हम पेयजल आपूर्ति के लिए सभी जगह पुख्ता इंतजाम करें। रेल से पानी भेजने की आवश्यकता हुई तो राज्य सरकार ने रेलों से पानी मुहैया कराने का प्रयास किया। पूर्व में मद्रास के अन्दर रेल से पानी पहुंचाया गया था। उसके बाद में कांग्रेस के शासन के अन्दर 1988-89 में जोधपुर के अन्दर रेलों के टैंकरों से पानी पहुंचाया गया जबकि पिछले वर्ष...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जुगल काबरा : पिछले साल राज्य सरकार ने रेलों के माध्यम से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की। गांवों और ढाणियों के अन्दर टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गयी। इसलिए अब जो हालात बने हैं उनको देखते हुए अभी से ही हमें योजना बनानी होगी। पशुओं के लिए चारे के प्रबंध की व्यवस्था अभी से पुख्ता करनी होगी। पेयजल आपूर्ति के लिए चाहे शहर हों, कस्बे हों, गांव हों, नगर हों, ढाणियां हों, सभी जगह राज्य सरकार को आम लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए योजना बनानी होगी। मैं आशा करता हूं कि केन्द्र सरकार से भी हम इस सदन के सभी लोग संयुक्त रूप से यह अनुरोध

(श्री जुगल काबरा)

करेंगे कि राज्य की प्राकृतिक आपदा को देखते हुए जिस तरह से राजीव गांधी ने अपने प्रधान मंत्री काल के अन्दर राजस्थान को एक साथ 600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की थी उसी तरह से प्राकृतिक आपदा से मुकाबला करने के लिए राजस्थान को विशेष रूप से प्राकृतिक आपदा कोष के अतिरिक्त और राशि प्रदान करे ताकि राजस्थान राज्य इस अकाल के संकट का मुकाबला कर सके। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, अनुपूरक अनुदान वर्ष 2000-2001 की मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के बारे में मैं मेरे विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

राज्य में तीन वर्षों से अकाल की स्थिति चल रही है और पहले जो अकाल की स्थिति थी इस वर्ष उससे भी बढ़कर अकाल की स्थिति पैदा हो गई है। 2056 में 26 जिलों के 23406 गांव प्रभावित थे, जबकि इस वर्ष राज्य के 30 जिलों के 30585 गांव अभावग्रस्त हैं। पहले तो पूर्वी राजस्थान के अन्दर स्थिति अच्छी रहती थी लेकिन अब उन क्षेत्रों में भी अभाव की स्थिति पैदा हो गई है और उस अभाव की स्थिति पैदा होने पर हमारे सामने यह समस्या आई है। पीने के पानी का संकट है और इसके साथ-साथ पशुओं को बचाने के लिए चारे का प्रबन्ध करना है, वह भी एक भयंकर संकट है। इसके साथ-साथ जो हमारे किसान भाई हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं जो अकाल से प्रभावित हुए हैं, उनको हमें बचाने का कार्य भी करना है। आज हमारे सामने यह भयंकर चुनौती है। राजस्थान सरकार के सामने अभी जो अकाल हुआ है वैसी अकाल की स्थिति 1987-88 में पैदा हुई थी। इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार कितनी भी कोशिश करे, अपने अकेले साधनों से इस अकाल का मुकाबला नहीं कर सकती है। इसीलिए राज्य सरकार ने अभी अपनी योजना में कटौती की और योजना की राशि अकाल राहत कार्यों के लिए खर्च करने का इंतजाम किया है और इंतजाम करने जा रही है। इस संबंध में केन्द्र सरकार से पहले जो सहायता मिलती थी वह भी अपर्याप्त थी और अभी स्थिति यह है कि आपदा कोष के अन्दर राशि बिलकुल नहीं है, जीरो के बराबर है। जो राशि थी वह पहले खर्च कर दी गई। इसलिए स्थिति यह है कि जब तक केन्द्र सरकार से पूरी तरह से मदद नहीं होगी और इसके अन्दर अपने जितने भी, कांग्रेस पार्टी क्या, भारतीय जनता पार्टी क्या, और जितनी भी पार्टियां हैं, अगर सभी का सहयोग नहीं मिलेगा तो यह चुनौती का कार्य ऐसा भयंकर कार्य

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

है, हम अपनी जनता की सेवा करना चाहते हैं, जनता की मदद करना चाहते हैं, वह वास्तव में मदद नहीं कर सकेंगे। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रश्न को राजनीति का प्रश्न बना दिया था। केन्द्र सरकार के मंत्री महोदय हमारे क्षेत्र में आये थे और उनके साथ में लोक सभा के सदस्य भी थे, ये सभी उस समय राजनीति कर रहे थे और यह कह रहे थे कि केन्द्र सरकार की प्रवर्तित योजना है उसमें से आप खर्च करिये। जो केन्द्र सरकार की प्रवर्तित योजना है, उसमें से खर्च तो किया जा सकता है पर वह भी एक नियमों के अनुसार किया जाता है। पंचायती राज अपने ढंग से खर्च करता है, उससे कोई भी अकाल का मुकाबला नहीं हो सकता है। इसलिए हमें यह कोशिश करनी है और केन्द्र सरकार पर अपने को दबाव डालना है कि हमें अधिक से अधिक राशि राष्ट्रीय आपदा कोष में मिले। पहले राशि 102.93 करोड़ रुपये मिली थी जो बहुत ही अपर्याप्त थी परन्तु हमारी राजस्थान सरकार ने पूरी कोशिश की और अपने साधन जुटाये। साधन जुटाकर जो सहयोग दिया वह बहुत ही सराहनीय सहयोग था। मैं तो यह कह सकता हूं, बाड़मेर जिले में मैंने भी संख्या देखी पशु शिविरों की, कि हमारे यहां करीब एक लाख पशुओं की शिविर के अन्दर व्यवस्था करके हमने पशुओं को बचाया है। सारे राजस्थान के अन्दर दो लाख 30 हजार पशु और बाड़मेर जिले में अकेले में इतने पशु शिविर स्थापित करके हमने पशुओं को बचाया है। और संस्थाओं ने एक प्राणी मित्र संस्था है और एक दूसरी गुजरात की संस्था है, वहां पर मदद की और इस प्रकार से हमने पशुओं को बचाया है। अब पशुओं को बचाने का काम बहुत कठिन काम है, बहुत जटिल काम है क्योंकि पहले अकाल था और अभी भी अकाल की स्थिति है। इस अकाल की स्थिति के अन्दर मेरा यह कहना है कि पशुओं को बचाने के लिए राज्य सरकार को भी पूरी तरह से सजग होना पड़ेगा। केन्द्र सरकार के लिए मैं तो यह समझता हूं कि सारे एम.एल.एज. का, सभी पार्टियों का रिप्रेजेन्टेशन किया जाए, लोक सभा के सदस्यों को भी जागरूक किया जाए ताकि वे लोक सभा में भी इस स्थिति को रखें। रखकर हम अधिक से अधिक राशि प्राप्त कर सकें और अधिक से अधिक लोगों को सहयोग दे सकें, यह स्थिति पैदा होनी चाहिए।

अब पीने के पानी के बारे में स्थिति यह है कि जिस प्रकार की मदद दी गई थी वह मदद यह थी कि टैंकरों द्वारा भी पानी पहुंचाया गया, रेलवे द्वारा भी पीने का पानी पहुंचाया गया। मैं मेरे बाड़मेर

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

जिले के लिए कहना चाहता हूं कि पीने के पानी का प्रबन्ध बहुत ही बढ़िया किया गया और कहीं भी पीने के पानी का संकट रहा नहीं। स्थिति यह रही कि जमाने के समय में पीने के पानी का प्रबन्ध किया गया, उससे भी अच्छा प्रबन्ध किया गया और सारे साधन जुटाये गये। सारे साधन जुटाकर पूरी तरह से मुस्तैदी से कार्य किया गया और पीने के पानी का प्रबन्ध अच्छा किया गया। लेकिन पीने के पानी के लिए अब बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है क्योंकि बाड़मेर जिले में ही पीने के पानी की आवश्यकता नहीं है बल्कि सारे राजस्थान के बहुत से जिलों में पीने के पानी का संकट है, वर्षा की कमी के कारण पीने के पानी का संकट बहुत-से स्थानों पर हो गया है। रेलवे से ज्यादा पानी मंगाने की आवश्यकता है, टैंकरों द्वारा इंतजाम करने की आवश्यकता है। टैंकर जो बहुत ही जर्जर स्थिति में है, उन टैंकरों का अच्छी तरह से सुधार करना है और सुधार करके पीने के पानी का प्रबन्ध हमें करना है। इस संबंध में आपात योजना बनाई जानी चाहिए और आपात योजना बनाकर पीने के पानी के संकट का अपने को हल करना चाहिए।

मैं मेरे क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं कि बाड़मेर शहर के अन्दर पीने के पानी की योजना बनी थी 1974-75 में बल्कि उससे भी पहले बनी थी। अब स्थिति यह है कि बाड़मेर शहर में पीने के पानी की स्थिति बहुत ही खराब है और भयंकर संकट है। बाड़मेर शहर की एक योजना प्रस्तुत की गई है चार करोड़ 32 लाख रुपये की, उसके बारे में मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, मंत्री महोदय का ध्यान भी बराबर आकर्षित कर रहा हूं कि वह जल्दी से जल्दी स्वीकृत की जाए ताकि बाड़मेर शहर के पीने के पानी का संकट दूर हो. ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पीने के पानी की योजनाएं सुचारू रूप से चलें, अधिकारी वगैरह अच्छी तरह से काम करें। जेईएन. की कमी है तो उसकी पूर्ति की जाए, एईएन. की कमी है तो पूर्ति की जाए। जिस तरह से भी पीने के पानी के लिए पूरी तरह से व्यवस्था की जा सकती है पीने के पानी के बारे में व्यवस्था की जानी आवश्यक है, सबसे बड़ा संकट दूर हो जाएगा। (व्यवधान) मैं समाप्त कर दूंगा। मैं भी बोला हूं, दूसरे भी माननीय सदस्य बोलेंगे।

चारे का भयंकर संकट पैदा हो गया है। अब की राजस्थान के बहुत-से क्षेत्रों के अन्दर चारा पैदा नहीं हुआ है। हमारे यहां लगातार तीन साल से चारे का संकट मध्य प्रदेश और दूसरे पड़ौसी प्रदेश हैं उनमें भी स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए चारे

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

के संकट का मुकाबला करने के लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे, चारा मंगाना पड़ेगा।

फेमिन रिलीफ वर्क्स के लिए मेरा यह कहना कि जहां 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत लास है, वहां पर तो आपको नवम्बर में ही काम शुरू कर देने चाहिए और जहां 50 से 75 प्रतिशत लास है फसल का, वहां पर हम जनवरी में भी काम शुरू करें तो भी काम चल सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि विधान सभा के सभी सदस्य इस बात के लिए जुट जाएं। यह मानवीय प्रश्न है और मानवीय दृष्टिकोण से कार्य करके राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, सभी के सहयोग से हम इस संकट का मुकाबला कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे विचार इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री सांवर लाल।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में अकाल पड़ते आये हैं, कोई नई बात नहीं है और एक कहावत है कि तीज्यो कुरियों आठवों काक। हर तीसरे वर्ष में तो यहां पहले कुर्रा पड़ता था और आठवें वर्ष में अकाल पड़ता था। अकाल कई प्रकार के होते हैं। एक अकाल तो होता है जिसमें अन्न नहीं होता, उसको हम कहते हैं अन्न काल। दूसरा जल काल जिसमें पीने का संकट हो जाए। तीसरा कहलाता है तृणकाल जिसमें पशुओं के लिए चारे का संकट पैदा हो जाता है और एक कहलाता है त्रिकाल, त्रिकाल का मतलब है जिसमें तीनों तरह का अकाल हो अन्न का अकाल, पानी का अकाल और चारे का संकट। राजस्थान में कई भयंकर अकाल पड़े हैं जिनमें मशहूर अकाल छप्पन का कहलाता है। छप्पन के अकाल का प्रभाव मारवाड़ और अजमेर जिले तक था और उस अकाल में लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए पेड़ों की छालें और छिलके खाकर वह समय गुजारा। कई लोग मर गये।

श्री अमीन खान (शिव) : सांवर लालजी, माफी चाहता हूं। जब से अपने राज्य में मशीनरी से काश्त होना शुरू हुई है उसके बाद में दो चीजें नष्ट हो गई हैं, चाहे जमाना आये तो भी घास नहीं होगी एक तो पाला बोरड़ी का और एक घास। ट्रैक्टर की तबी से जमीन में घास होगी ही नहीं। इसके बार में क्या व्यवस्था हो, यह आप जैसे बुद्धिमान आदमी से सुझाव आने चाहिए।

श्री सांवर लाल : माननीय सभापति महोदय, यह हमारा दुर्भाग्य है कि सन 1949 से लगाकर 99 तक के पचास वर्षों में केवल दस वर्ष ऐसे रहे जिनमें अकाल नहीं पड़ा। जब से राजस्थान में यह सरकार आई है, लगातार अकाल पड़ रहा है और गांवों में तो लोग कहते हैं कि कांग्रेस और काल

(श्री सांवर लाल)

की राशि मिलती है तो अकाल पड़ेगा ही। 80 से 90 तक दस वर्ष कांग्रेस का राज रहा, उसमें आठ वर्ष भयंकर अकाल की स्थिति रही। राज्य में गत बीस वर्षों में अकाल राहत कार्यों पर लगभग 2400 करोड़ रुपये खर्च किये गये। माननीय सभापति महोदय, प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी सरकार होने के नाते सरकार का यह दायित्व बढ़ जाता है कि अगर अकाल पड़ता है तो लोगों के रोजगार के लिए व्यवस्था करे, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करे, मनुष्यों और जानवरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करे। कभी भी सरकार पर अगर कोई आरोप लगता है कि फलां जगह भूख से एक आदमी की मौत हो गई, चार की हो गई, तो लोक कल्याणकारी सरकार होने के नाते सरकार इस बात का पुरजोर शब्दों में खण्डन करती है, उसमें अपनी प्रतिष्ठा समझती है कि भूख से इस राज्य में या हिन्दुस्तान में किसी की मौत नहीं हुई।

अलग-अलग व्यवस्थाएं हुआ करती थीं। टैंथ फाइनेंस कमीशन से पहले राजस्थान सरकार के पास एक टोकन अमाउंट हुआ करता था, अगर अकाल पड़ जाता तो वह खर्च किया जाता। उसके बाद भारत सरकार अध्ययन दल भेजती और उस अध्ययन दल की रिपोर्ट के आधार पर रोजगार के लिए, चारे-पानी की व्यवस्था के लिए कितने फंड की आवश्यकता होती है, वह फंड आवश्यकतानुसार या अपनी सीमा के अन्तर्गत प्रदेशों को उपलब्ध करवाती थी। टैंथ फाइनेंस कमीशन ने एक अलग तरह की व्यवस्था हिन्दुस्तान में की। प्राकृतिक आपदा कोष का प्रत्येक राज्य स्तर पर निर्माण किया गया जिसमें 75 प्रतिशत अंश भारत सरकार का होगा और 25 प्रतिशत अंश राज्य सरकार का होगा। केन्द्रीय स्तर पर भी एक राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा कोष की स्थापना की गई जिसमें बहुत लिमिटेड पैसा है, किसी स्टेट में अगर विशेष परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं तो उसमें से उनके द्वारा अंशदान दिया जाता था। 1995 से लगाकर 2000 तक लगभग 942 करोड़ रुपये का प्राकृतिक आपदा कोष राज्य का था जिसमें 706 करोड़ केन्द्रीय सहायता और लगभग 235 करोड़ राज्य सरकार का अंशदान था। लगातार अकाल पड़ने के कारण राज्य सरकार की इस कोष की स्थिति भी विशेष बढ़िया नहीं रही। बराबर मांग की जाती थी, हमारे समय में बाढ़ भी आई, अकाल भी पड़े, हमने भी भारत सरकार को ज्ञापन दिया, पर भारत सरकार के पास राष्ट्रीय आपदा कोष में बहुत कम राशि होने के कारण लगभग बीस-बीस करोड़ रुपया हमको एक-दो बार मिला।

गत वर्ष बहुत भयंकर अकाल था और लोक कल्याणकारी व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार की वह महती जिम्मेदारी थी कि अगर प्राकृतिक आपदा कोष में पैसा है

(श्री सांवर लाल)

तो उस पैसे का उपयोग जनता को रोजगार देने के लिए, जानवरों के मनुष्यों के चारे-पानी की व्यवस्था के लिए करे। टैंथ फाइनेंस आयोग में यह व्यवस्था थी कि अगर 31 मार्च, 2000 को इस खाते में कोई बचत होगी तो वह राज्य खाते में ट्रांसफर की जाएगी। महोदय, मैं यहां पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी हमदर्दी राजस्थान सरकार को बरतनी चाहिए थी वह हमदर्दी इन्होंने नहीं बरती, इन्होंने राहत कार्य जो खोलने चाहिए थे, नहीं खोले और हमेशा केवल एक ही बात की दुहाई देते रहे कि हमारा खजाना खाली है; हमारे पास पैसा नहीं है, भारत सरकार हमको सहायता नहीं कर रही है। लेकिन मैं यहां पर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 31 मार्च, 2000 को 155.65 करोड़ रुपये प्राकृतिक आपदा कोष के बचाकर राजस्थान की सरकार ने जनता के साथ अन्याय किया है। 31 मार्च तक ये कहते रहे कि हमारे पास पैसा नहीं है। सभापति महोदय, इस फंड का पैसा तो तब बचना चाहिए जब किसी प्रदेश में अकाल नहीं हो, बाढ़ की स्थिति नहीं हो, भूकम्प नहीं आए, लोगों की मांग नहीं आए। इस पर सरकार ने केवल आरोप लगाकर की भारत सरकार पैसा नहीं दे रही है, 155 करोड़ रुपये बचा लिये। सबसे हास्यास्पद स्थिति, सभापति महोदय, यह है, हमारे मुख्य मंत्रीजी इतने विद्वान हैं, वे कहते हैं कि हमें जनता की बहुत चिंता है, वे कहते हैं कि हमने पहली बार राजस्थान में अकाल का सामना करने के लिए 144 करोड़ रुपये नाबार्ड से लिये। मैंने कहा कि + + + अगर जनता की चिंता होती तो 155 करोड़ रुपये जो प्राकृतिक आपदा कोष के थे वे तो लगाते। माननीय सभापति महोदय, लोगों के पालने-पोसने के लिए रोजगार की, चारे-पानी की व्यवस्था समय पर होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। इसका परिणाम यह रहा कि राजस्थान में मारवाड़ी अंचल के अजमेर जिले में कई स्थानों पर जानवर खुले छोड़े जाने लगे, कई जगह जानवर चारे-पानी के अभाव में मर गये। अगर हालत यही रही तो अब के स्थिति और गम्भीर होगी।

अब इलेवन्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है और राजस्थान सरकार इस बार बहुत तैयारी में है, इन्होंने ज्ञापन भी दो हजार करोड़ के लगभग तैयार किया। इस वर्ष लगभग 30585 गांव अभावग्रस्त राजस्थान सरकार ने घोषित किये। अब ज्ञापन देना हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। जैसा कि मैंने निवेदन किया, भारत सरकार के टैंथ फाइनेंस आयोग के बाद में इलेवन्थ

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सांवर लाल)

फाइनेंस कमीशन बन गया, इस इलेवन्थ फाइनेंस कमीशन ने प्रति वर्ष इस प्राकृतिक आपदा कोष से कितना-कितना हिस्सा होगा, यह निर्धारित कर दिया। सभापति महोदय, मैं आपको यह और कहना चाहूंगा कि हमें भारत सरकार का एहसानमंद होना चाहिए, हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा राशि दी गयी है प्राकृतिक आपदा कोष की तो वह राजस्थान को दी गयी है। राजस्थान के बाद में आंध्र प्रदेश का नम्बर है। राजस्थान को पांच वर्षों में कुल 1143 करोड़ राज्य प्राकृतिक आपदा कोष में मिले जिसमें भारत सरकार का और राजस्थान का अंशदान रहेगा। इसके अलावा भारत सरकार में पहले राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा कोष होता था, उसको भी इस इलेवन्थ फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिकमण्डेशन से समाप्त कर दिया।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहायता मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, एक क्लेरिफिकेशन चाहता था, पांच वर्षों में जो आपने अमाउंट बताया उसमें राज्य सरकार का हिस्सा भी है या केवल भारत सरकार का है ?

श्री सांवर लाल : दोनों का। मैंने बताया भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों का हिस्सा है, 75 प्रतिशत भारत सरकार का, 25 प्रतिशत स्टेट गवर्नमैंट का।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : भिनाय से आनेवाले माननीय सदस्य, एक जानकारी और चाहूंगा, जो आपने राजस्थान को सबसे ज्यादा हिस्सा बताया, तो आप उसके साथ-साथ उड़ीसा का बता दें कि उड़ीसा को कितना दिया, राजस्थान को कितना दिया ?

श्री सांवर लाल : आंध्र प्रदेश का है 1094 करोड़। उड़ीसा का बता देता हूं आपको। आपको शंका है कि शायद वहां कोएलिशन गवर्नमैंट है इसलिए वहां पर दबाव होगा। अटल बिहारी वाजपेयी किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं, वहां पर 604 करोड़ दिये गये।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि राजस्थान की जनता को पालने की बेसिक जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है।

(14.00 बजे)

गत वर्ष इन्होंने पूरे राजस्थान में एक भ्रम का माहौल पैदा किया कि भारत सरकार पैसा नहीं देती। मैंने आपको अभी आंकड़े दिये कि इन्होंने प्राकृतिक आपदा का पैसा बचाकर अपनी योजना में ट्रांसफर किया इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा राशि प्राकृतिक आपदा कोष से 103 करोड़ रुपये राजस्थान को मिली है। अकाल से निपटने के लिए प्रधान मंत्रीजी ने सहायता दी है। यह शायद पहली बार हुआ है कि रामसिंहजी का पानी हो चाहे चारे की व्यवस्था हो, रेल के द्वारा भारत सरकार ने व्यवस्था की है। तो

(श्री सांवर लाल)

भारत सरकार ने कोई कमी, माननीय सभापति महोदय, इस संबंध में नहीं रखी। माननीय मंत्री महोदय, मैं इस बार आपको इसलिए सजग करना चाहता हूं कि हालात बड़े विकट हैं। हम आपके साथ हैं। जनता में कोई कांग्रेस और बी.जे.पी. की बात नहीं है। चुनाव के बाद जनता भूल जाती है कि कौन कांग्रेसी है और कौन बी.जे.पी. का है। आज सब लोगों को रोजगार की आवश्यकता है। छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, सबको रोजगार की जरूरत है। आप भी जानते हैं कि जिसकी सौ बीघा जमीन है अगर वह जमीन नष्ट हो गयी तो उसकी हालत क्या होगी। अगर किसी के 50 जानवर हैं तो 50 जानवर वाला कैसे अपना साल निकालेगा। गत वर्ष भी कइयों के गहने बिक गये। बड़ी मुश्किल से वह साल निकला। यह लगातार तीसरा साल है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन एक और करना चाहता हूं कि इस बार आप संवेदनशील रह कर लोगों को जो रोजगार देते हैं वह पर्याप्त संख्या में दीजिये। हर पंचायत में हर गांव में अगर 20-20, 30-30 देंगे तो आपस में लठ बजेंगे। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गत बार आपने एक बहुत बढ़िया आदेश निकाला था कि मेट ग्राम पंचायत लगाएगी। कहीं भी मेट लगेगा तो ग्राम पंचायत के प्रस्ताव से। ग्राम पंचायत से मतलब मेरे खयाल से आपका भी यही है कि इलैक्टेड बाडी आफ ग्राम पंचायत सरपंच नहीं है। यह बहुत बढ़िया आदेश था, पर पता नहीं किस दबाव की वजह से इस आदेश को आपको चेंज करना पड़ा। मेरा तो आपसे अनुरोध है कि अकाल राहत में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपका आदेश चाहे कोई सरपंच कांग्रेस को मानता हो, चाहे बी.जे.पी. को मानता हो, चाहे और पार्टी को मानता हो, ग्राम पंचायत किसी को नहीं मानती, उसमें सारी तरह के वार्ड मैंबर चुनकर आते हैं, यह व्यवस्था आप बहाल कीजिये। दूसरा, जो श्रमिक लगाये जाते हैं उन श्रमिकों में भी आप वही व्यवस्था कीजिये कि पंचायत की रिकमंडेशन से जो गरीब व्यक्ति है वह लगे, उसके बाद में दूसरे का नंबर आए। क्योंकि अगर यह व्यवस्था नहीं करेंगे तो इसमें दुरुपयोग होगा और लोगों में आपस में थोड़ी टैंशनबाजी भी पैदा हो जाती है। इस ओर आपको विशेष ध्यान करने की आवश्यकता है।

इस वर्ष भी आपने ज्ञापन बहुत लम्बा-चौड़ा दिया है लेकिन आप जानते हैं कि जो 11वें वित्त आयोग के तहत व्यवस्था हो गयी है उसमें कितनी राशि मिलेगी। यह आप जानते भी हैं, आप सोच भी सकते हैं इसलिए मुझे आपसे अनुरोध यह करना है आपके पास एक तो रैगुलर फंड आपका हो। सी.आर.एफ. की कितनी राशि मिलेगी वह एडिशनल मिल जाएगी, इसके अलावा आप अपने स्तर पर भी राज्य सरकार के

(श्री सांवर लाल)

स्तर पर भी व्यवस्था कीजिये। अभी पिछले दिनों में पढ़ने को मिला और बड़ा प्रचार-प्रसार हुआ, सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि योजना में कटौती कर दो और अकाल राहत में ट्रांसफर कर दो। मैं समझ नहीं पाया, मंत्री महोदय, आप समझायेंगे कि किस योजना में कटौती कर रहे हैं आप? पीने के पानी में? पीने के पानी का रामसिंहजी का फंड इधर से उधर लेकर के फिर देना चाहते हो आप? सड़क जो बनती है वह सड़क आज ही रोजगार देने के लिए चालू कर दें उसमें कहां आपको आपत्ति आ रही है? उस योजना में कटौती करने की कहां जरूरत है? मैं यह जानकारी करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, कि आपकी योजना कितनी थी? आप उसमें कटौती किसमें कितनी-कितनी कर रहे हैं? क्या आपकी मंशा राजस्थान की जनता की इस संकट में मदद करने की है? अगर है तो आप एडिशनल रिसोर्सेज जनरेट कीजिये। आप बंदरों को कांच दिखाकर अपना ही माथा फोड़ने वाली स्थिति में नहीं हैं। आज आप अगर यह समझ रहे हो कि हमको जानकारी नहीं है, आप इस तरीके से घुमा देंगे कि हम योजना में कटौती करके जनता को पालेंगे तो ऐसे भ्रम में हम पड़ने वाले नहीं हैं। आपकी योजना पी.डब्ल्यू.डी. की है उसको पूरा करिये, उसमें आदमी लगाइये। अगर आपको वास्तव में जनता से हमदर्दी है, आप एडिशनल रिसोर्सेज इस राजस्थान की जनता के लिए स्टेट कोष से कितना लगाते हैं, माननीय मंत्री महोदय, अगर यह आप बता पाएं तो हमको बड़ी तसल्ली होगी।

श्री सभापति : माननीय, समाप्त कीजिये

श्री सांवर लाल : शार्ट में कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय।

माननीय मंत्री महोदय, आपका आदेश भी मेरे पास है, आपसे मैं बहुत हम्बल रिक्वैस्ट करना चाहता हूं मानवीय दृष्टिकोण से भी, वैधानिक दृष्टिकोण से भी। मैं भी इस विभाग का मंत्री रहा हूं, आप भी यहां विराजते थे। चारा अगर वास्तव में आया और गांवों के अन्दर बंटा तो चारा परिवहन की सब्सिडी किस आधार पर रोकी गयी? माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री सम्मेलन में अजमेर गये थे, हजारों किसानों ने आपके सामने मांग रखी थी चारा परिवहन अनुदान की। माननीय मंत्री महोदय, मारवाड़ी में एक कहावत है कि भैंसों की लड़ाई में अगर बकरा बीच में आ जाए तो उसका खोखाल। अब आप जानते हैं लड़ाई किसकी है। एक तो मुख्य मंत्रीजी का आदमी, दूसरा विधान सभा अध्यक्ष का आदमी, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में किसानों को मार दिया। मंत्री महोदय, मेरा आपसे

(श्री सांवर लाल)

निवेदन है कि जो भी जांच की है, आपके आदेश में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि चुंगी चैक पोस्ट कहां पर होगी, बिल्टी कहां पर बनेगी। बिल्टी में मैं मेरे घर पर बैठकर बना सकता हूं, मंत्री महोदय। आपकी व्यवस्था के हिसाब से आपको जांच करनी है कि जो चारा जहां से बताया गया है उस स्थान से आया कि नहीं आया। आपको जांच यह करनी है कि चारा जहां के लिए वितरित बताया गया है वहां चारा बंटा कि नहीं बंटा। जांचकर रहे हैं कि बिल्टी केकड़ी में बन रही हैं। बिल्टी तो मैं भीनमाल में बना लूं। लन्दन का व्यापारी यहां हिन्दुस्तान में माल भेजेगा तो पैसा रोक देंगे क्या आप? इसलिए, मंत्री महोदय, टोटल मैलाफाइड यह कार्यवाही हुई है और अजमेर जिले के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। आज वे लोग रो रहे हैं। कई बहन बेटियों के गहने बिक गये। और अधिकारी अपनी मूछें तानते फिर रहे हैं कि हमने यह कर दिया, हमने यह लीगल पकड़ दिया। अखबारों में छपा रहे हैं कि राजस्थान सरकार के एक करोड़ रुपये की चपत लगते बची। माननीय मंत्री महोदय, जो गलत बिल्टियां हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उसको सजा दीजिये, कोर्ट से उसको गिरफ्तार करवाइये। जो भी कार्यवाही आप कर सकते हैं करिये, पर जो वास्तव में चारा आया है, जो बंटा है, कहीं लिखा नहीं है कि आप केकड़ी में बिल्टी

नहीं बनाएंगे पर वह मूंछ का सवाल आ गया, वहां जाकर चैक कर लिया और कह दिया कि यह हो रहा है।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्य, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न उठाया और इस प्रकार के जो घोटाले हैं अगर इनको रोका जाए तो करोड़ों रुपये दुरुपयोग हो रहे हैं, वे भी मिल सकते हैं। परन्तु मैं चाहूंगा कि आप सारे फैक्ट्स मंत्री जी को दें, निश्चित रूप से वे कोई भी आदमी हो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि असली घोटाला है उसको पकड़ो। असली घोटाले को पकड़ो। घोटाला यह नहीं कि बिल्टी कहां बन रही है, घोटाला यह है कि चारा आया कि नहीं आया और बिल्टियां फर्जी जा रही हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय पूर्व मंत्री जी, आपको मालूम है कि घोटाला आपके क्षेत्र में ही हुआ है, केकड़ी सब डिवीजन में। मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूं, आपको इसलिए कह रहा हूं कि सब डिवीजन केकड़ी में हुआ है सारा घोटाला।

श्री सांवर लाल : कब?

श्री दिग्विजय सिंह : गत वर्ष की बात है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें। माननीय सदस्य।

श्री दिग्विजय सिंह : जिसके लिए आप संकेत दे रहे हैं आप उसकी जांच पूरी कराके दे दें।

श्री सांवर लाल : वह दे दी मैंने और आपको बता रहा हूं कि आप घोटाले की डेफिनेशन समझो। आप बहुत सीनियर आदमी हो, हमारे गृह मंत्री रहे हो। मैं यही निवेदन कर रहा हूं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री सांवर लाल : कि चारा आया। चारा मैं कह रहा हूं कि झालावाड़ से आया, अगर चारा झालावाड़ से आया और गोपालपुरा में बंटा तो पास कर दीजिये। यही मैं निवेदन कर रहा हूं पर यह हुआ नहीं है, जो आप सोच रहे हैं मंत्री महोदय, घोटाला तो आप बताइये कि हमारे राज्य में कभी हुआ ही नहीं। 1988-89 में हुआ था और वह भी उस टाइम नहीं हुआ। मैं घोटाले की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, जो लोग जिनाइन मर रहे हैं, मंत्री महोदय, उनकी वकालत कर रहा हूं। आप भी जानते हैं, आप भी प्रैक्टिकल हैं आप गांव के रहने वाले हैं। आपने बहुत समय देखा है इसलिए मेरा निवेदन है...।

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त कीजिये।

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, मेरा एक निवेदन और है कि अनपेड भुगतान आज वर्षों से पड़ा हुआ है। जैसे कोई मस्टररोल पेमेंट पर गया, वह वहां पर साइट पर नहीं मिला तो जिस डिपार्टमैंट का था उस डिपार्टमैंट को पैसा भेज दिया गया और वह डिपार्टमैंट आज तक पेमेंट नहीं कर रहा है। पी.डब्ल्यू.डी. है, इर्रिगेशन है या दूसरे डिपार्टमैंट हैं, मेरा निवेदन है कि अगर किसी विभाग के पास मस्टररोल में कोई आदमी का अनपेड पेमेंट है तो उस पेमेंट को आप करवाइये।

श्री सभापति : अब विराजिये।

श्री सांवर लाल : एक, माननीय सभापति महोदय, किसानों की बात है। किसान तीसरी बार मर रहा है इसलिए मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय कि एक तो आप रेवेन्यू सस्पैण्ड कीजिये। दूसरा निवेदन यह है कि आप रिकवरी जो बैंक्स की हैं वो पोस्टपोन कीजिये, नहीं तो किसान मारा जाएगा। गत बार भी मैंने माननीय खेतसिंह जी से निवेदन किया था, इन्होंने कहा कि ट्रैक्टर वाला तो लखपति है। मैंने कहा कि लखपति नहीं है, कहीं से एडजैस्टमैंट करके लाता है। वो चलावे कैसे ट्रैक्टर को, बताए, काल पड़ रहा है। हालत बड़ी खराब है, गांव-गांव में ये भागे फिरेंगे। इसलिए चाहे लांग टर्म हो, चाहे शार्ट टर्म हो चाहे मीडियम टर्म हो, सारे लोन को इस बार स्थगित कीजिये तीसरे साल में। हमने तो माफ किया है,

(श्री सांवर लाल)

आप इतनी दया तो कर दो। आपके जाने के बाद फिर समय आ जाएगा तो हम करेंगे।

श्री सभापति : ठीक है, अब विराजिये।

श्री सांवर लाल : एक निवेदन और है, पक्के काम करवाइये। मंत्री महोदय, 10वें वित्त आयोग की सिफारिश में भी है कि राज्य सरकार या विभाग जो भी काम करावें उनकी नेचर इस प्रकार की होनी चाहिए कि जो परमानैंट हों। दूसरा ऐसा है कि अकाल से मुकाबला करने के लिए पक्के एनीकट्स, तालाब के पक्की मोरियां हों तो ज्यादा सिंचाई हो जाए। नहरें पक्की हों। इस प्रकार का काम अगर आप हाथ में लेंगे तो निश्चित रूप से उस पैसे का लाभ जनता को मिलेगा।

श्री सभापति : श्री जीतमल जी।

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : हम ईमानदारी से चारा लाये हैं, जहां घोटाला हुआ है उसको पकड़ो, पूरे जिले में सबको ही रोक दिया।

श्री सांवर लाल : माननीय मंत्री महोदय, इसमें थोड़ा आश्वासन आप दे दें।

श्री नाथूराम : एक पैसा नहीं दिया। जहां घोटाला हुआ है वहां मत दो, जहां घोटाला नहीं हुआ है वहां तो पैसा दो। हमारे किशनगढ़ में कोई घोटाला नहीं है, वहां पर ईमानदारी से चारा लाये हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एक-एक माननीय सदस्य अपनी बात कहो।

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जो दो बिन्दु मैंने बताये हैं उन पर आप जांच करवा लीजिए।

श्री सभापति : करवाएंगे, जरूर करवाएंगे।

श्री नाथूराम : जांच में कोई दोषी है वहां मत दो आप। एक सरपंच ने इस्तीफा दे दिया, वह शिड्यूल्ड कास्ट का सरपंच था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नाथूराम : एक बार गांव वालों ने पैसे मांगे तो कुए में गिर गये। (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री जी बोल रहे हैं, आप विराजिए। (व्यवधान) आपको मौका मिलेगा।

श्री नाथूराम : जो सही लोग हैं उनको तो दिलवाइए। जिन्होंने बेइमानी की है जिसने घोटाला किया है उनको चाहे जेल में ले जाओ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : पैसा देकर कार्यवाही यथाशीघ्र चालू करवाएंगे। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मंत्री जी कुछ कह रहे थे, आपने कुछ कहने नहीं दिया।

श्री सभापति : मैंने तो कह दिया कि मंत्री जी बोल रहे हैं और बोलेंगे, आखिर में बोलेंगे, सब बताएंगे, पूरा जवाब देंगे। मंत्री जी अभी नोट कर रहे हैं। (व्यवधान) जीतमलजी।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : माननीय सभापति जी, सदन में प्राकृतिक आपदा पर चर्चा चल रही है, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो पिछली बार के अकाल और इस बार के अकाल में दिन और रात का फर्क है। पिछली बार अकाल होने के बावजूद भी हम लोगों के पास में थोड़ा बहुत अनाज पक गया था, घास भी पक गई थी और हमें पानी की इतनी किल्लत नहीं थी। यह पूरे प्रदेश का मसला है फिर भी मैं राजस्थान के दक्षिणी भाग की ओर आपका ज्यादा ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि यह अकाल नहीं, महाकाल है। इस सदन में माननीय सदस्यगण अपना मत व्यक्त कर रहे हैं, मैं उनका सम्मान करते हुए माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि अगर इस समय हमने कांग्रेस, बीजेपी., जनता दल या और पार्टियों के नाम पर अकाल का काम चलाया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस क्षेत्र की जनता और पशुधन के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा और उनका समाधान रैलियां और प्रदर्शन भर रह जाएंगे। लोग भूख से तड़प-तड़प कर मरेंगे, जो पशुधन मुंह से बोल नहीं सकता वह भूख से मरेगा, हालात बड़े खराब होंगे। आज से 70 साल पहले छाणिया और छप्पनियां अकाल पड़ा था, हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते हैं। उस जमाने में घास-फूस और बीहड़ जंगल थे, जिनकी छालें उतार-उतार कर हमारे पूर्वजों ने पशुधन को जिंदा रखा। आज हम लोग देख रहे हैं कि प्रदेश भर में जंगल भी समाप्त हो गये हैं। जंगलों के अभाव में हम पशुधन को बचाने में असमर्थ साबित होंगे। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि चुनाव का वक्त आ जाए तब जरूर अपनी पार्टी की हैसियत से सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष में, हम सभी वोटों की राजनीति करें लेकिन इस अकाल के समय में सारे राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठकर हमारी जनता को किस प्रकार से जिंदा रखा जाए, मवेशियों को घास और पानी किस तरह से दिया जाए, इस पर बड़े अच्छे ढंग से चिंतन करना पड़ेगा, आत्म-मंथन करना पड़ेगा।

बांसवाड़ा जिले का वह क्षेत्र जहां गुजरात का इलाका सटा हुआ है, मध्यप्रदेश का इलाका सटा हुआ है, वहां मेरा विधान सभा क्षेत्र है। पिछली बार आपने अकाल का काम खोला इसके लिये मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन अकाल राहत के मद्द को

(श्री जीतमल खांट)

भी काम आपने स्वीकृत कराये या अकाल राहत की आपकी गाइड लाइन के मुताबिक जो भी काम स्वीकृत हुए-चाहे वे सार्वजनिक कुएं थे, चाहे टी.एडी. के निजी कुएं थे, चाहे सड़कें थीं, चाहे एनिकट थे, चाहे सार्वजनिक तालाब थे, सारे के सारे कार्य कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के शिकंजे में रहे। उन्होंने पूछा कि कौनसी ढाणी में कांग्रेस को वोट मिलता है, कौनसे मजरे में कांग्रेस को वोट मिलता है, कौनसे गांव में प्योर कांग्रेस के कार्यकर्ता रहते हैं, उन्हीं को निजी कुआं दिया जाए। वहीं सार्वजनिक तालाब दिया जाए। मंत्री महोदय, हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री सम्माननीय अशोक जी गहलोत के जो नारे हैं संवेदनशीलता, पारदर्शिता, जवाबदेही के, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या यही पारदर्शिता है कि कौन व्यक्ति कांग्रेस का है, कौन जनता दल का है, कौन बी.जे.पी. का है? क्या छोटे-छोटे कामों के लिये भी आपकी यही पारदर्शिता है? क्या यह जवाबदेही सरकार है? क्या यह संवेदनशील सरकार है?

मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अलावा बांसवाड़ा जिले में जो भी कुए टी.एडी. में स्वीकृत हुए थे, आज दिन तक उनका भुगतान नहीं हुआ है। उस इलाके में किसान अपना भुगतान पाने के लिये दर-दर ठोकरें खा रहा है। विकास अधिकारी कह रहे हैं कि कलक्टर इस बात को समझे और कलक्टर कह रहे हैं कि विकास अधिकारी समझे और पूरे जिले के सारे के सारे टी.एडी. के कुओं का भुगतान अब तक ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है।

श्री दयाराम परमार (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : यह भुगतान तो ठेकेदारों को करना था, काश्तकारों को कहां लेना था?

श्री जीतमल खांट : आपने जैसा फरमाया, हम लोगों को मस्टररोल इश्यू यह कहकर आप द्वारा इश्यू नहीं किये गये हैं कि आपको मात्र ब्लास्टिंग करानी है। मस्टररोल जारी किया गया तो काश्तकारों से कहा गया कि इसें श्रम और सामग्री दोनों पेटे टी.एडी. वहन करेगा। श्रम तो अकाल राहत से और सामग्री के पेटे टी.एडी. से पैसा मिलेगा, इस तरीके के किसानों को कहा गया। सैकड़ों किसानों को आपके बी.डी.ओ., जेईएन., एईएन. ने वहां मस्टररोल जारी किये और लोगों ने कुओं का काम करवाया। यह कमी और खामी कहां रही..

श्री दयाराम परमार : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह तो ठीक कह रहे होंगे लेकिन टी.एडी. को तो ब्लास्टिंग करना था, उसको फेमिन के साथ जोड़ कर उसका मैटीरियल निकालने का था। उस कुए में ब्लास्टिंग हो गया है तब तो उसको सेंक्शन

(श्री दयाराम परमार)

किया है। ये हजारों कुएं कह रहे हैं जबकि एक पंचायत समिति में 500 कुएं के हिसाब से सैंक्शन जारी हुई थी और अभी तक आधे से भी कम कुओं में हुआ है, हजारों होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं?

श्री जीतमल खांट : मैं पूरे बांसवाड़ा जिले की बात कर रहा हूं।

श्री दयाराम परमार : मैं पूरे टी.एस.पी. एरिये की बात कर रहा हूं, कहीं फेमिन का भुगतान अगर रह गया है तो अलग है, बाकी टी.ए.डी. को तो ब्लास्टिंग करना था। फेमिन का कोई पेमेंट बाकी है तो वह पंचायत समिति के माध्यम से भेजें, कलक्टर से पेमेन्ट ले लें।

श्री जीतमल खांट : माननीय मंत्री जी, वहां के काश्तकारों को यह बताया गया कि कुओं का ब्लास्टिंग टी.डी.ए. के मद से और जो अंदर का मलबा है वह अकाल राहत से निकलवाने की बात हुई है। जब जाकर लोगों ने बड़े पैमाने पर इस तरह से काम किया और मजदूरों को आज दिन तक भुगतान नहीं हुआ है। अगर आप इसकी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो जिला कलक्टर, बांसवाड़ा से सम्पर्क करें। आखिर इस तरीके का क्यों हुआ, किसके द्वारा इस तरह की गलती हुई, आप मालूम करें, आपको जानकारी मिल जाएगी।

मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए इतना ही कहना चाहूंगा, मंत्री जी कि आपने बागड़ क्षेत्र के हर इलाके को घूम-फिरकर देखा है, लेकिन इस बार के महाकाल की यह प्राकृतिक विपदा जो आपके और हमारे ऊपर आ गिरी है, 3-4 महीने की नहीं है। जब तक दूसरा समय नहीं आ जाएगा तब तक यह 12 महीने का अकाल हम लोगों पर पड़ा है। मैं कहना चाहूंगा कि प्रति परिवार से दो इंसानों को जब तक 12 महीने तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तब तक हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे।

साथ-साथ ही, आपने पिछली बार इसी तरह का एक कार्यक्रम चला दिया कि प्रति पंचायत 70-100 मजदूर के बीच में लोगों ने काम किया। मैं इस माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस बार भी आपने अगर प्रति पंचायत 70 या 100 मजदूरों से काम चलाया तो दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर सम्भाग की जनता जिंदा नहीं रहेगी, मर जाएगी। वहां का पशुधन भी समाप्त हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप ऐसा कार्यक्रम करें, कि जो भी योजना चले, उसमें काम के बदले अनाज हो ताकि हम लोगों को अनाज भी मिलता रहे, साथ-साथ में हम लोगों को काम भी मिलता रहे और पैसा भी मिलता रहे।

सभापति जी, दूसरी बात कहना चाहूंगा कि पिछली बार दो-दो, तीन-तीन पंचायतों के बीच में घास के डिपो खोले गये थे,

(श्री जीतमल खांट)

लेकिन इस बार भी आपने दो या तीन पंचायतों के ऊपर डिपो खोले तो काम चलने वाला नहीं है। आपको प्रत्येक पंचायत पर घास के डिपो खोलने पड़ेंगे। और यह केवल कागजों तक ही सीमित नहीं रहे, वस्तुस्थिति में वहां पर खोले जाएं अन्यथा पशुधन को भी जिंदा रखना हम लोगों के लिये मुश्किल हो जाएगा। मैं इस मौके पर ज्यादा न कहते हुए यही कहूंगा कि आपकी पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह सरकार है, इस समय राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठकर, जनता की जो पीड़ा है उसे अपनी पीड़ा समझकर राजस्थान प्रदेश की जनता को राहत दिलाए। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने अकाल के संबंध में अपने विचार रखे। मैं राज्य सरकार का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि पिछले दोनों साल पारदर्शी, संवेदनशील तरीके से प्रदेश में अकाल का मुकाबला किया गया, युद्ध स्तर पर जागरूक रहकर चारे की व्यवस्था की गयी, अकाल राहत कार्य खोले गये और पानी के लिये भी बहुत ही जागरूक रहकर काम किया गया। अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा कि अकाल के संबंध में निष्पक्षता नहीं बरती गई। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब अकाल के काम चल रहे थे तब, विपक्ष के नेता आदरणीय भैरोंसिंह जी सदन में मौजूद हैं, आपका एक बयान छपा था कि वर्तमान सरकार अकाल के कामों में निष्पक्षता नहीं बरत रही है। आपके बयान के बाद दूसरे ही रोज राजस्थान के राज्यपाल महामहिम जयपुर जिले में दूदू और सांभर के एरिया में बिना किसी को जानकारी दिये गये और अकाल के कार्यों का निरीक्षण किया और जब प्रेस से उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अकाल के काम पूर्ण निष्पक्षता से यहां पर चल रहे हैं। यहां तक कि स्वयं महामहिम राज्यपाल ने तीन-चार कामों पर मस्टररोल अपने हाथ में ली और मजदूरों की हाजिरी अपने सामने की। जहां भी बिना किसी सूचना के गये, सब जगह जितनी मस्टररोल में हाजिरी थी उतने मजदूर मौके पर काम करते हुए मिले। उसके बाद केन्द्रीय कृषि मंत्री सम्माननीय नितीश कुमार जी ने भी जयपुर जिले में अकाल के कामों को देखा, मौके पर गये। उन्होंने भी जब प्रेस से बात की तो अपने बयान में इस बात की संतुष्टि व्यक्त की कि राजस्थान में अकाल के काम बहुत ही युद्ध स्तर पर, बहुत ही संतोषजनक तरीके से चल रहे हैं। हां, यह बात जरूर सही है कि उन्होंने इस बात के लिये भी कहा कि सरकार ने काम देरी से शुरू किये हैं।

(श्री बाबूलाल नागर)

माननीय सभापति महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र लगातार तीसरे साल भीषण अकाल से ग्रसित है। हाल ही चार-पांच रोज पूर्व 30 अक्टूबर को एक दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के मुख पृष्ठ पर भी प्रकाशित हुआ था कि दूदू क्षेत्र में भीषण अकाल है। वहां के लोग पीने के पानी के लिए, रोजगार के लिए क्षेत्र से पलायन करके अन्य जगह पर जा रहे हैं। अकाल राहत मंत्रीजी यहां पर मौजूद हैं और पी.एच.ई.डी. मंत्री भी यहां मौजूद हैं, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अकाल को दो तरीके से देखें। एक तो जहां पर बिजली की कमी है उसकी वजह से अकाल में भारी परेशानी हो रही है, लोगों के जीवन में भारी परेशानी हो रही है। दूसरी ओर जहां ऊसर जमीन है, खारी जमीन है वहां पर बिजली भी अगर लगातार दे दी जाती है तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार को दो तरीके से इसको देखना चाहिये। जहां पर खारी जमीन है, जहां बिना बरसात चारे का एक दाना नहीं होता, अनाज का एक दाना नहीं होता, ऐसे क्षेत्रों में सरकार को जागरूकता से काम करने की आवश्यकता है। मेरा तो आग्रह है कि हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार के हालात हो रहे हैं उनको देखते हुए इस सरकार ने दो साल से पूर्ण संवेदनशीलता बरतते हुए जिस तरह से काम कराये, जिस तरीके से अधिकारी प्रभारी मंत्री एक-एक गांव में गये, इस तरह के कार्य शीघ्र ही शुरू करने की आवश्यकता है।

पशु की भी बहुत ही दयनीय स्थिति है। आज हमारे यहां पशु चारे की वजह से मर गये हैं। थोड़े बहुत बचे हैं उनको खुला छोड़ दिया गया है या बहुत ही कम राशि में जो पशु खरीदता है उसको बेच दिया गया है।

सभापति महोदय, हमारा क्षेत्र जयपुर जिले में है। बात होती है तो बहुत-से लोगों का सोचना होता है कि अकाल तो बाड़मेर और जैसलमेर में पड़ता है। जयपुर जिला राजधानी का जिला है, आस-पास बहुत उद्योग होते हैं, फैक्ट्रियां होती हैं इसलिए अकाल की छाया इस क्षेत्र में शायद इतनी नहीं पड़ती होगी। लेकिन, सभापति महोदय, जब हम वास्तव में देखते हैं तो बहुत बुरे हालात हैं। पिछली बार मैं राज्य सरकार द्वारा बहुत-सी जगह, लगभग 30 पंचायतों में मेरे यहां चारा निःशुल्क वितरित किया गया लेकिन, सभापति महोदय, चारा डिपो हमारे लोग नहीं खोल सके। सरकार ने नियम बना रखा था कि सामाजिक संस्थाएं या पंचायती-

(श्री बाबूलाल नागर)

राज की कोई इकाई, चाहे ग्राम पंचायत हो या पंचायत समिति हो, वह चारा खरीदे। लेकिन हमारी पंचायतों के पास कोई निजी आय नहीं होती है इसलिए चारा खरीदने की स्थिति में नहीं होती है और मैं तो कहना चाहता हूं कि सामाजिक संस्थाओं का भी हमारी तरफ ध्यान कम है, इसकी वजह से एक भी चारा डिपो हमारे यहां नहीं खुल सका था। मेरा आग्रह है कि सरकार स्वयं चारा खरीदे और चारा खरीद कर पशुओं को वितरित करवाए। अगर गरीब और किसान से कुछ उसके बदले में पैसा भी लेना हो, तो सरकार चारे की व्यवस्था करे और जब चारा दे तब गरीब से उसका पैसा ले।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मेरे को समय दिया।

पी.एचईडी. मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं। हमारे बुजुर्गों ने एक बात कही है, हम भी सुनते हैं कि छप्पनिया कोई अकाल पड़ा था जिसमें छाल-पत्ते भी जीवन जीने के लिए लोग खाते थे। सभापति महोदय, आज तो ऐसे हालात हो गये हमारे यहां कि छाल और पत्ते भी खाने के लिए उपलब्ध नहीं है। पीने के पानी के लिए लोग घर छोड़कर दस-दस किलोमीटर और पन्द्रह-पन्द्रह किलोमीटर जा रहे हैं। हालांकि पी.एचईडी. मंत्री महोदय का मैं आभारी हूं कि पिछले दो साल में जितने आपने हैण्डपम्प लगाये हैं उतने हैण्डपम्प तो बीजेपी. के पूरे आठ साल में भी नहीं लगाये गये हैं। लेकिन, सभापति महोदय, पानी का औसत जलस्तर कम है। ये हैण्डपम्प महीने दो महीने काम आये क्योंकि पानी नहीं है। सारे हैण्डपम्प लगाने के बावजूद भी बेकार हो गये। मंत्री महोदय से मैंने आग्रह किया था, पिछली बार सदन में भी आग्रह किया था बीसलपुर से पानी देने का क्योंकि हमारे यहां जमीन में पानी नहीं है। मंत्रीजी ने बीसलपुर से पानी देने की बात की है, मैं आभारी हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सर्वे का काम शुरू करा दिया है। बीसलपुर की एक स्कीम जो सांभर, मालपुरा और फुलेरा क्षेत्र के लिए बनाई है, मैं मंत्रीजी से आग्रह करता हूं कि उस स्कीम को जल्दी क्रियान्वित करें। मंत्री महोदय, पिछली बार आपने 88 गांवों में मेरे यहां टैंकर से पानी पिलाया था, अब तो पूरे के पूरे 219 गांवों में टैंकर की आवश्यकता है। मेहरबानी करके आप ऐसी कोई व्यवस्था करें कि शीघ्र ही टैंकर की व्यवस्था हो,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो हमारे ज्यादातर लोग जो घर से निकल रहे हैं, वे बच सकें। आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में हर दूसरे साल अकाल पड़ता है, अब तक का यह इतिहास रहा है। मगर इस बार लगातार तीन वर्ष से अकाल से राजस्थान गुजरा है और इसको महाकाल की संज्ञा दी जा सकती है। अभी से जो हालात नजर आ रहे हैं वे बहुत दयनीय हैं। राज्य सरकार ने गिरदावरी करवाई और गिरदावरी कराने के बाद लगभग 30 हजार से अधिक गांव अभावग्रस्त स्थिति में चिन्हित किये गये। भीलवाड़ा जिला भी अकाल से इन वर्षों में बराबर गुजरा है। 1780 गांवों में 1770 गांव अभाव की चपेट में इस बार आये हैं। जुलाई में एक साथ बरसात होने के बाद अगस्त और सितम्बर में बरसात छुट्टी कर गई जिससे गम्भीर हालात पैदा हो गये। मैं समझता हूं कि 2056 और पहले 56 का अकाल ये दोनों लगभग एक ही स्थिति की परिभाषा में आ जाते हैं। इस बार राजस्थान की सरकार ने बहुत मुस्तैदी से योजनाबद्ध ढंग से कार्य करने का जो प्रयास किया है उसकी तो सराहना की जा सकती है। पिछले वर्ष भी दो करोड़ 61 लाख से अधिक जनता राजस्थान की प्रभावित हुई थी और तीन करोड़ से अधिक मवेशी राजस्थान की अकाल की चपेट में आये थे। ऐसी स्थिति में सरकार के वित्तीय संसाधनों की कमी के बावजूद जिस सुनियोजित तरीके से काम पिछले वर्ष हुए हैं और उनका भुगतान भी समय पर हुआ है, मैं समझता हूं कि कई वर्षों में इस तरह की व्यवस्था नहीं देखी गई जैसी गत वर्ष थी। इसके लिए तो मैं राज्य सरकार, मुख्य मंत्रीजी और अकाल राहत मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बार भी आप समय रहते अकाल के कार्यों को परिसम्पत्तियों के साथ-साथ उत्पादक कार्यों से जोड़कर हर क्षेत्र की योजना तैयार करें ताकि सीमित साधनों में अधिक लोगों को रोजगार देकर ऐसे काम कर सकें जिससे आने वाले अकाल में हमें पानी की समस्या में एनीकट, तालाब, वगैरह की राहत मिल सके। मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि अकाल राहत को जिस पारदर्शिता के साथ, संवेदनशील आधार पर आपने गत वर्ष संचालित किया, समय पर जो भुगतान गत बार हुआ, वैसी व्यवस्था इस बार भी आप करेंगे। खास तौर से राजस्थान में पशुधन की इस बार विकट समस्या है क्योंकि हमारे पड़ौसी चाहे मध्यप्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तरप्रदेश हो, हरियाणा हो, इन सबकी हालत इस बार काफी गम्भीर है। ऐसी स्थिति में राजस्थान की सरकार और राजस्थान की जनता के लिए यह चुनौती भरा महाकाल होगा। इसमें घास कहां कैसे उपलब्ध हो, पानी कैसे आए? गत वर्ष अपने अच्छे प्रयत्न करके ट्रेनों तक से हमारे जिले में

(श्री रतनलाल ताम्बी)

भी और कई जगह पानी पहुंचाया था लेकिन इस बार अभी से आप गांवों में परम्परागत स्रोत कुए, बावड़ियां और भी जो स्रोत हो सकते हैं उनको निश्चित रूप से गहरा करवाएं, उनका संधारण ठीक तरह से करवाकर पानी की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेंगे, ऐसी मैं आशा करके चल रहा हूं।

मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि कंटिजैंसी प्लान जो ग्रीष्म ऋतु में पानी की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, वह गत वर्ष बना भी था परन्तु आखिर में किन्हीं कारणों से, कहीं पाइप का अकाल रहा, कहीं फण्ड्स का अकाल रहा, वह पूरे तौर से लागू नहीं हो पाया। पानी का स्तर इतना नीचे चला गया है कि हमारे जिले में 70-75 परसेंट हैण्डपम्प आज की तारीख में नाकारा घोषित हो गये हैं और पानी उपलब्ध नहीं है। उनमें कहीं पाइप खराब हैं, कहीं जोड़ने का काम है वह बड़ी मात्रा में करने की आवश्यकता रहेगी। उसके लिए अभी से आप पाइप की व्यवस्था करेंगे तब यह सब व्यवस्था होगी वरना दूर-दूर तक पानी दिखाई नहीं देता है। राजस्थान में दो प्रमुख नदियां हैं, एक चम्बल नदी और एक बनास नदी। चम्बल नदी में थोड़ा बहुत पानी है लेकिन बनास नदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमन्द, सारे जिलों को देखते हुए आप देख लें, सारी बनास सूखी पड़ी है, कहीं पानी नजहर नहीं आता। सारी स्कीम जो हजारों टन अनाज पैदा करती थीं, आज सब बंद हैं। ऐसे गंभीर हालात के बीच में यदि हमने योजनाबद्ध तरीके से सारे कार्यों को हाथ में नहीं लिया तो यह गंभीर चुनौती होगी।

मैं इस अवसर पर निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष राज्य सरकार ने 565 करोड़ के आसपास राशि खर्च की है, लेकिन वह अपर्याप्त है। आवश्यकता थी 1100-1200 करोड़ की। कई लोग अकाल राहत में अपेक्षा रखते थे काम की, आधा पैसा खर्च करने से जिनको आवश्यकता थी उनकी पूर्ति नहीं हो पायी और कई परिवारों को इसमें वंचित रहना पड़ा। इस बार भी राजस्थान सरकार ने अनुमान किया है लगभग साढ़े 1900 करोड़ का। यह इस राजस्थान के महाकाल को देखते हुए बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन संसाधन कैसे जुटें? आज हमारा देश एक संघीय व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से में कोई भी प्राकृतिक आपदा हो तो भारत सरकार को राजनैतिक आधार पर न सोचकर मानवीय दृष्टिकोण से उसके लिए धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

कल बिजली के मामले में काफी चर्चा चली और राजस्थान की जो हालत होती रही है और भारत सरकार की उसमें जो सहयोग की स्थिति है वह निश्चित रूप से काफी विचारणीय है। इस बार राजस्थान की जनता को बचाने के लिए, यहां के

(श्री रतनलाल ताम्बी)

पशुधन को बचाने के लिए प्रतिपक्ष के नेता महोदय इसको बहुत गंभीरता से लेकर, राजनीति से ऊपर, भेदभाव न हो इस बात का प्रयास करके राजस्थान को इस स्थिति से उभारने में अपने प्रभाव का, अपने सम्पर्क का पूरा उपयोग करेंगे, मैं आशा करके चलता हूं।

स्वयंसेवी संगठनों ने, प्रवासी राजस्थानियों ने भी गत बार काफी योगदान दिया था। मैं खास तौर से अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी से सम्पर्क स्थापित कर स्वयंसेवी संस्थायें और प्रवासी राजस्थानी उद्योगपतियों से, कुबेरपतियों से यह व्यवस्था करने की कोशिश की जाए जिसके आधार पर महाकाल का जनता मुकाबला कर सके।

मैं इसके साथ यह अनुरोध करना चाहता हूं कि राजस्थान में ऐसी कई नगरपालिकाएं हैं जिनकी जनसंख्या 20-25 हजार से नीचे-नीचे है। वे एक तरह से ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण प्रकृति जैसी स्थिति की हैं। राहत कार्यों में पिछले वर्ष उन्हें कोई राहत नहीं दे सके, जबकि हमेशा राजस्थान की सरकार ने ऐसी नगरपालिकाओं को जब भी आवश्यकता हुई है वहां भी राहत कार्य खोले हैं। मेरा इस साल भी राज्य सरकार को सुझाव है कि यदि वे ऐसे नगर या गांव नगरपालिका के अन्तर्गत आते हैं जो अभावग्रस्त हैं तो उन्हें वंचित नहीं रखा जाए। तीन-तीन साल से अकाल की मार से वे बहुत पीड़ित हैं इसलिए उनको भी इसमें जोड़ा जाए। सारे अकालग्रस्त क्षेत्रों में घोषणा के साथ राहत कार्य खुलें, लोगों को मजदूरी मिले, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

गत वर्ष नाबार्ड योजना के अन्तर्गत आपने अकाल के साथ 144 करोड़ रुपये प्राप्त करके कुछ काम शुरू किये थे। लेकिन वे अकाल के साथ ही बंद हो गये हैं। वह राशि आपको प्राप्त हुई होगी या प्राप्त होनी है, मैं नहीं जानता पर मेरा यह निवेदन है कि उस राशि के जो काम शुरू किये गये थे, अकाल राहत के कार्य शुरू करने में आपको देर हो सकती है, दूसरे कामों में जब तक आपकी घोषणा नहीं होती है, फिलहाल आपको नाबार्ड योजना के तहत सड़कों के काम शुरू कर देने चाहिए। कई गांवों में लोग अभी से ही रोजगार के लिए घूमने लग गये, पलायन करने लग गये। ऐसी स्थिति में नाबार्ड योजना के अन्तर्गत जो काम आपने हाथ में लिए उनको निश्चित रूप से पूरा करें।

मैं राज्य सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रत्येक क्षेत्र का अकाल का मास्टर प्लान बनाकर एक व्यापक तौर से इन सारे कामों को अभी से योजनाबद्ध ढंग से चलाने का प्रयास करें।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि गत वर्ष प्रशासन ने मुस्तैदी से अकाल राहत कार्यों में फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार रोकने का प्रयास किया है। इसको और कारगर ढंग से लागू किया जाए ताकि अकाल राहत का पैसा वास्तव में जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी रोटी-रोजी के लिए लग सके। पानी के स्रोत हमारे सूख चुके हैं, बहुत हालत खराब है। पेयजल विभाग को इसमें अभी से काफी तैयारी करने की आवश्यकता है। जितनी भी हमारी पेयजल योजनाएं हैं ठप्प-सी हो रही हैं। उनको अभी से ठीक करें। कहीं नलकूप खुदाने हैं, कहीं कुए गहरे करवाने हैं। विभाग नौ दिन में ढाई कोस नहीं चले। माननीय पी.एचईडी. मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने आप जागरूक हैं, जितनी आपकी कर्मठता और सोच है, नीचे तक भी आप वैसी ही व्यवस्था करेंगे तो काम चलेगा। वरना आप तो बहुत जोर से मीटिंग करते हैं, निर्देश भी देते हैं, मगर नीचे क्या होता है? उसकी समीक्षा आप करके देखें कि उनकी उपलब्धि और परिणाम कितना क्या आता है। उसको भी आप देखेंगे, इसकी मैं आशा करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : माननीय सभापतिजी, अकाल को लेकर आज सब चिन्तित हैं। वाकई में प्रदेश के जो हालात बने हैं उनमें चिन्ता स्वाभाविक है। चाहे गांव में बैठा कोई मजदूर हो, किसान हो या हम यहां बैठे हैं, हर व्यक्ति इस समय इस बात की आशा लेकर बैठा है कि ऐसे विकट समय में सरकार क्या करने वाली है। हमने पिछली बार भी अकाल भोगा है, पिछली बार जो काफी कमियां रह गयीं सरकार यह प्रयास करे कि इस बार वह कमी नहीं हो और गांव की जनता की जो उम्मीदें हैं, जो आशाएं हैं उनको सरकार पूरा करे।

मान्यवर, मेरा क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान में आता है और अकाल में सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है। पिछली बार भी पानी की बहुत भारी समस्या थी। मान्यवर, मंत्री महोदय ने कुछ योजनाएं स्वीकृत भी की, काम भी चालू हुए। माननीय जलदाय मंत्रीजी बैठे हुए हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि आपने पाली से जैतपुर वाली योजना स्वीकृत की, राशि आवंटित कर दी। तीस किलोमीटर की लाइन है, बीस किलोमीटर तक पाइप लाइन बिछ गयी, दस किलोमीटर का काम अधूरा है। ऐसे जो अधूरे काम हैं उनको सरकार प्रयास करके एक-दो महीने में पूरा करवा दे ताकि आने वाले समय में पानी का संकट नहीं हो।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

मान्यवर, आपने एक और योजना पास की थी और आपने मुझे हां भी की थी कि जोधपुर से पाली पानी लाया जाएगा। वह योजना अभी तक क्रियान्वित नहीं हुई है। ऐसे विकट समय में इसे यदि और लम्बा किया गया तो समस्या ज़्यादा बढ़ेगी। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आपने जो योजना स्वीकृत कर दी उसे आप जल्दी पास करवा दें और काम चालू करवा दें ताकि हमें राहत मिल सके।

मान्यवर, अकाल के समय जो बड़े गांव हैं वहां तो पाइप लाइन के ज़रिये पानी पहुंच जाएगा लेकिन उससे मात्र मनुष्य पानी पी सकता है। ऐसे कई गांव हैं जहां छोटे-मोटे तालाब हैं। मेरा आग्रह है मंत्री महोदय से कि जवाई बांध में इस बार अच्छा पानी आया है जो पाली के लिए ठीक रहेगा, ऐसे गांव जहां पाइप लाइन नहीं हैं वहां के तालाबों को आप भरवा दें ताकि वहां का पशुधन बच सके।

मान्यवर, अकाल के समय पानी के साथ-साथ चारे की भारी किल्लत रहती है। पिछली बार कुछ डिपो खुले थे लेकिन सरकारी प्रक्रिया इतनी ज्यादा जटिल थी कि जो समाजसेवी संस्थाएं चारा डिपो खोलना चाहती थीं, चाहते हुए भी वे जयादा लम्बा काम नहीं कर सकीं। चारे की गाड़ी आए, उसके बाद समाजसेवी संस्था का कार्यकर्ता पटवारी के पास जाए, तहसीलदार के पास जाए और उसका वैरीफिकेशन करे कि हमारी गाड़ी आ गयी है, आप दर्ज करो और उसके बाद में भुगतान पास हो। कई बार रात को गाड़ी आती है और सुबह चारा लेने वालों की भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे समय में वे बिल्टी मानते नहीं, जो ट्रक आता है उसका चालान मानते नहीं, जो चारा बेचा है वह रिकार्ड मानते नहीं। तो आप प्रक्रिया में थोड़ी-सी शिथिलता लाएं और समाजसेवी संस्थाओं के ऊपर पूरा भरोसा करें। निश्चित रूप से इस चारे की कमी को सरकार पूरा नहीं कर सकती, समाजसेवी संस्थाएं उसमें पूरी मदद कर सकती हैं सरकार की।

मान्यवर, मंत्री महोदय का स्टेटमैंट आया था कि अनुदान सीधा पशुपालकों को दिया जाए, गौशाला को नहीं दिया जाए। ठीक बात है, लेकिन यह सम्भव नहीं है क्योंकि एक-एक क्षेत्र में हजारों की तादाद में पशुपालक हैं। हमारी गौशालाएं जो अच्छा काम कर रही हैं उनके ऊपर पूरा भरोसा रखें और अनुदान की राशि उनको सही तरीके से पहुंचा दें तो निश्चित रूप से वे गौशालाएं अच्छा काम करेंगी। हमारे पाली में पिंजरापोल गौशाला है जिसका पूरे राजस्थान में नाम है। पश्चिमी राजस्थान में बहुत बड़ी गौशाला है गौ-रक्षा समिति जिसने अकाल में बहुत

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

काम किया है। तो जो भी स्वयंसेवी संस्था है उससे आप सहयोग लें तो अच्छे परिणाम आएंगे। यह सम्भव नहीं होता कि सरकार हर काम कर दे। कई बार ये संस्थाएं सरकार से भी बढ़िया काम कर जाती हैं। और पिछले वर्ष मेरे क्षेत्र में ऐसा हुआ कि जो संस्थाएं थीं उन्होंने अच्छा काम किया। केन्द्र सरकार ने पिछले वर्ष चारे में जो अनुदान दिया और चारा परिवहन निःशुल्क कर दिया उससे हमारे क्षेत्र में चार-पांच गाड़ियां आयी थीं। उससे बहुत राहत मिली। इस बार भी परिवहन शुल्क की बात करके केन्द्र सरकार से यह अनुदान जारी रखवाएं।

सबसे बड़ी जो समस्या होती है वह अकाल राहत कार्यों को लेकर होती है। मुझे इस बात का बहुत दुःख है कि पिछले वर्ष अकाल राहत कार्यों में भेदभाव किया गया। पाली जिले में मात्र 40,000 श्रमिक सीमा तय की गयी जबकि पाली जिले से जो छोटे जिले हैं जालौर है, सिरोही है, वहां की श्रमिक संख्या भी पाली से कई गुना ज्यादा थी। उदयपुर और भीलवाड़ा जिले में डेढ़-डेढ़ लाख थी। सभापति महोदय, यह भेदभाव नीति ऐसे अकाल के समय सरकार नहीं करे, ऐसा मेरा सरकार से निवेदन है।

अकाल राहत कार्य जो स्वीकृत किये गये उनमें भी भेदभाव किया गया। गांव वाले जो चाहते थे वे काम स्वीकृत नहीं कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो काम बता दिये, प्रभारी मंत्री ने डाक बंगले में या कमरे में बैठे-बैठे वे काम स्वीकृत कर दिये। कई पंचायतों में यह हुआ कि एक पंचायत में 200-250 श्रमिक लग गये और कई पंचायतें ऐसी हैं जहां 50 श्रमिक भी नहीं लगे। तो यह जो भेदभाव चलता है वह मजदूरों को भुगतना पड़ता है, श्रमिकों को भुगतना पड़ता है। आप राहत कार्य कर रहे हो तो राहत गरीब को मिले, किसान को मिले, मजदूर को मिले, ऐसी व्यवस्था तो आप यहां से करके भेजें।

मुझे इस बात का भी अफसोस है कि मैं माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से जयपुर में कुछ काम स्वीकृत करा कर गया था। मंत्रीजी ने हां भी भर दी, कागज पर लिख दिया लेकिन जिला प्रशासन ने उनके आदेशों की अनदेखी की और जो आदेश वहां के प्रभारी मंत्री ने दिये वे ही काम स्वीकृत किये। इस तरह के हालात इस बार न बनें, ऐसा मेरा अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन है। आप श्रमिक संख्या बढ़ाए, भेदभाव नहीं करें।

मैं जलदाय मंत्रीजी से यह बात और कहूंगा, पिछले वर्ष शहरी क्षेत्र में काफी हैंडपम्प स्वीकृत किये गये थे, ग्रामीण क्षेत्र को एक भी हैण्डपम्प आपने नहीं दिया था, यह कह कर कि यह डार्क जोन है। मान्यवर, पूरे

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

क्षेत्र में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि खारा पानी हो। कई ऐसे इलाके होते हैं वहां मीठा पानी होता है। पाली जिले से और मेरे क्षेत्र से आप पूरी तरह से वाकिफ़ हैं, बिलकुल पड़ौसी हैं मेरा निवेदन है कि इस बार आप गांव में भी पानी की समस्या को देखते हुए हैंडपम्प स्वीकृत करें।

मेरा यही निवेदन है, सभापति महोदय, कि सरकार से इस बार जनता बहुत ज्यादा आस लगा कर बैठी है। सरकार इस हालत में अपनी ओर से मदद करेगी, यही मैं आशा करता हूं। जय हिन्द।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : मुझे आपकी बात का क्लेरिफिकेशन करना है। मैंने कभी यह नहीं कहा था कि गौशालाओं को पैसे नहीं दिये जाएं। मैंने इतना कहा था कि जो गांव में किसान हैं, जिनके पास पशु हैं उनको अनुदान सरकार को देना चाहिए और गौशालाओं के अन्दर जो बहुत भारी भीड़ गायों की हो जाती है और किसान छोड़ देते हैं, उससे गांव के लोगों को, किसानों को, पशु पालकों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन लोगों को भी देना चाहिए, बाकी गौशालाओं को बंद किया जाना चाहिए, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा था। मेरा यही एम था (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अखबार में एक स्टेटमैंट छपा था। (व्यवधान)

श्री सभापति : हो गया न आपका।

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, ऐसा नहीं है। मेरे पास गौशालाओं के लोगों के पत्र आये हैं और उन्होंने आशंका व्यक्त की है। मैंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है। मेरा एक ही मत था कि किसानों को, पशुपालकों को उनकी गायों को चाहे दो रुपये ही दें, लेकिन अगर इस तरह देंगे तो लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और वे गायों को छोड़ेंगे नहीं, वरना गायों का इंतजाम गौशालाओं से होना संभव नहीं है।

श्री ज्ञानचन्द पारख : बहुत अच्छी बात है, मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री सभापति : बात स्पष्ट हो गयी न।

श्री ज्ञानचन्द पारख : पानी के बारे में भी बताए। मेरे क्षेत्र में बहुत खराब स्थिति है, पानी के बारे में आपको पूरी जानकारी है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : पानी का तो हुआ है, और कर देंगे पानी का काम, आप बैठो न। पानी का आप और कर देना, साहब, इनके बाकी रहा है तो।

श्री सभापति : श्री रिछपाल मिर्धा, आप शुरू कीजिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : कौनसा बाकी रहा है, वह और कर देना। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : गांवों का कहा है मैंने, बाकी जवाब देंगे जब बता देंगे।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

मैंने गायों का कहा है, मेरा वो सब्जैक्ट नहीं है।

श्री सभापति : ठीक है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : सभापति महोदय, आज इस सदन में एक गम्भीर विषय राजस्थान की जनता के लिए लगातार तीसरी बार अकाल पड़ा है, उस पर चर्चा हो रही है। कल बिजली पर चर्चा हुई थी।

सभापति महोदय, भी माननीय सदस्य अपने-अपने विचार रख रहे हैं, सरकारी आंकड़ों के आधार पर अभी सदन में माननीय सदस्यों ने कहा कि नागौर जिले में अकाल नहीं है। वैसे तो राजस्थान में 30,000 गांव अकाल की चपेट में हैं परन्तु, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि नागौर जिले में सरकार के पास कौनसा थर्मामीटर था बरसात नापने का? नागौर जिले की नागौर तहसील, खींवसर, मेड़ता, डीडवाना, मूंडवा, लाडनूं, मकराना और डेगाना, इन तहसीलों के 1470 गांवों में से 1200 से अधिक गांव अकाल की स्थिति में हैं। सभापति महोदय, हमारे जिले में सरकार के सामने मुख्य रूप से तीन समस्याएं आएगी। पता नहीं यह सरकार उन समस्याओं से कैसे निपटेगी। पिछले साल अकाल राहत के तहत जो भी कार्य कराये गये, अब के तो, सभापति महोदय, अकाल नहीं त्रिकाल कह दें इसको तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। यह त्रिकाल है और प्रदेश में अब की बार सरकार समय रहते नहीं चेती तो प्रदेश में अराजकता फैल सकती है, लूटखसोट भी मच सकती है।

सभापति महोदय, नागौर जिले के काश्तकारों की यह हालत है कि अकाल पड़ गया तो दो किसान कहने लगे कि पास के जिले में चलें कमा-खाने के लिए। दो-चार कुए ठेके पर ले लेंगे, वहां चलते हैं। गये उस समय, सभापति महोदय, धोतियां उनके पूरी बंधी हुई थीं और कमीज भी पहना हुआ था। दो साल बाद जब वापस आने लगे तो लंगोट रही उनके। धोती भी गयी, कमीज भी गया लंगोट रही। रास्ते में आते हुए कहीं एक जैनियों का सम्मेलन चल रहा था, उसमें उनके महाराज बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अपन भी दर्शन कर लें, अपने को यहां कुछ प्रसाद मिल जाएगा। महाराज अन्दर थे, उनके तन पर कपड़े नहीं थे। वे रखते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि अपने से दो-चार कुए इन्होंने ज्यादा ठेके पर लिये हैं इसलिए इनके बिलकुल ही नहीं हैं। सभापति महोदय, अब के हमारे नागौर जिले के काश्तकारों की यह हालत है।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल जो अकाल राहत के तहत

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

कार्य कराये गये, जो कार्य किये अच्छे किये, उसके लिए तो मैं अकाल राहत मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। कौनसे अच्छे कार्य किये? वह यह किये कि तालाबों की खुदाई हुई, सड़कों के कच्चे कार्य कराये गये और भ्रष्टाचार पर वहां के प्रशासन ने पूर्णतया रोक लगाने की कोशिश की और उसमें प्रशासन 90 प्रतिशत सफल रहा। 10 प्रतिशत तो और भी कई रास्ते निकाल लेते हैं। जैसे, सभापति महोदय, कई जगह मजदूरों की बात थी तो मजदूर नहीं लगा कर ट्रैक्टरों से काम करवाया गया। जो ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं वे लोग कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं।

मैं अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अब की जो गिरदावरी की रिपोर्ट आयी है, अभी भी कुछ जिलों की नहीं आयी है, पिछले साल आपने अप्रेल माह में कार्य शुरू करवाये थे। मेरा निवेदन है कि अब के अकाल राहत कार्य आपको करवाने ही हैं तो आप समय रहते शुरू कराएं और जो कार्य अधूरे हैं उनको पूरा कराया जाए। सरकार के जितने साधन हैं, जितना आप कर सकते हैं उतने कार्य स्वीकृत करके करवाए जाएं।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा, अफसोस की बात है कि आज कोई भी कम्पनी किसी चीज का उत्पादन करती है तो उस पर रेट लिखी होती है, लेकिन काश्तकार जब अपना पैदा किया हुआ अनाज बाजार में लेकर जाता है तो उसको खुली बोली के द्वारा नीलाम किया जाता है। इसका सरकार के पास कोई इलाज नहीं है। सभापति महोदय, रायड़ा आज समर्थन मूल्य के 1150 रुपये के विरोध में 900-950 रुपये, 1000 रुपये तक बिक रहा है जिसकी लागत आती है 1200, 1300 रुपये प्रति क्विंटल। बाजरे का भाव 400 से 425 रुपया। सभापति महोदय, राजस्थान का किसान जो भी अनाज पैदा करता है उसको उसका समर्थन मूल्य पूरा नहीं मिलता और उसका माल नीलाम किया जाता है, बड़े दुःख की बात है। इस विषय में भी सरकार को सोचना चाहिए।

सभापति महोदय, मुख्य रूप से जो समस्या आने वाली है इस सरकार के सामने वह है पेयजल की समस्या। दूसरी पशुओं की है। पेयजल के सम्बन्ध में मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जिले में, है तो पूरे राजस्थान में ही परन्तु नागौर की जो स्थिति है, हर वर्ष 30-35 फीट पानी नीचे जा रहा है।

(15.00 बजे)

मैं आपके माध्यम से जलदाय मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि आप इतिहास में नाम कर दो और इन्दिरा गांधी कैनाल का पानी लिफ्ट करके नागौर में पहुंचा दो तो वहां की जनता आपको वर्षों याद करेगी।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

दूसरी बात अकाल राहत मंत्रीजी, पिछले साल हमारे जिले में चारा बहुत थोड़ी मात्रा में आया। अब जो आप चारे की व्यवस्था करें गायें करीब-करीब लोगों ने सूनी छोड़ दी हैं, वह गौशालाओं में दें। जो गायें सूनी घूम रही हैं उससे उनका जीवन बचाया जा सकता है। बाकी तो अगर आप वहां जाओगे तो आपको हड्डियों का ढेर ही मिलेगा। हड्डियों के ठेके से भले ही सरकार की आय बढ़ सकती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जिले में तीन-चार बड़े मेले लगते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मेला परबतसर का है। नागौर मेड़ता, डेगाना और रैण, इन पशु मेलों में इस सरकार की अनदेखी और तीन साल के बछड़े को राज्य के बाहर नहीं ले जाने से हमारे सब पशु मेले बरबाद हो गये। (व्यवधान) बीजेपी. की नहीं है, वह हाई कोर्ट का फैसला है। इस सदन में तीन-चार दफा मैंने मांग की। मैंने मुख्य मंत्रीजी को भी इस मामले में कहा कि कानून में संशोधन करके बछड़ों को बाहर ले जाने की अनुमति दिलवाए तो नागौर जिले का पशुधन, नागौर का बैल प्रसिद्ध है उस नस्ल को बचाया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने एक नहीं सुनी। आज मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय सभापति महोदय, बहुत गम्भीर विषय है। इस मामले में पहले भी कहा। (व्यवधान) पहले माननीय पशु पालन मंत्रीजी ने कहा था। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिए। ये बहुत गम्भीर है, माननीय सदस्य बहुत गम्भीरता से कह रहे हैं। (व्यवधान) हां, विराजिए।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : हां, गम्भीरता से कह रहा हूं। आप गम्भीरता को कम नहीं कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि हिन्दुस्तान में वहां की नस्ल मशहूर है उसको बचाया जा सकता है। सरकार को कानून में संशोधन का थोड़ा-सा परिश्रम करना है, ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं है।

मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी से मांग करता हूं कि जब भी अकाल राहत कार्य चलाए जाएं उनमें भ्रष्टाचार नहीं हो। जैसे पिछले साल अकाल राहत कार्य चलाये उसी तरह अंकुश लगाकर अकाल राहत कार्य शुरू करवाये जाएं और लोगों को मजदूरी दी जाए। पेयजल की व्यवस्था की जाए और बिजली की आठ घंटे पूरी सप्लाई दी जाए जिससे इस जिले का किसान बच सके, पूरे राजस्थान का किसान बच सके। इस सरकार को वाहवही लूटनी है

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

तो ये कार्य करें। मैं आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करता हूं और आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : माननीय सभापति महोदय, सदन में अकाल पर चर्चा हो रही है और मेरा क्षेत्र जैसलमेर अकाल का घर है, जैसा कहा जाता है। मान्यवर, सबसे पहले गत वर्ष अकाल में मेरे जिले में जो राहत कार्य हुए उनके लिए मैं वर्तमान सरकार को और माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि अकाल राहत और पशु राहत कार्य खोलकर इन्होंने उनको बचाया। 56 और 96 के अकाल के बाद 97 का अकाल इतिहास में लिखा जाएगा कि पश्चिमी राजस्थान और पूरे राजस्थान में जो अकाल की विभीषिका रही, किस तरह वर्तमान सरकार सफलता से उससे जूझी।

मान्यवर, जब अकाल होता है, सरकार की प्रारम्भिक ड्यूटी होती है कि अर्थ तंत्र में ऐसा इनफ्यूस करे जिससे लोगों की क्रिया शक्ति बढ़े और लोग अपना जीवनयापन कर सकें। राजस्थान का विशेष महत्व है। मानव के मुकाबले पशु की गणना यहां पांच गुना है। जहां मानव को बचाना जरूरी है वहां पशु को भी बचाना राज्य का मुख्य कार्य बन जाता है। जहां मानव की बात है, राहत कार्य खुलेंगे, यह सरकार की योजना है। हमने 1925 और 26 का अकाल देखा। हमने भी 1926 में एक एक्सपैरीमैंट किया था पश्चिमी राजस्थान में। राहत कार्यों में जितना पैसा व्यय कर रहे थे, उस समय की, केन्द्र सरकार ने अभिट योजना दी थी कैजुअल रिलीफ की। हर इंसान को साढ़े बारह रुपये ऋण के और सवा छः रुपये अनुदान के देकर जीवन-यापन करने के लिए हमने रखा था। उस समय एक्सपैरीमैंट किया था कि उस योजना के माध्यम से हम मानव मात्र को बचा सकेंगे। मैं माननीय मंत्रीजी से कहता हूं कि थोड़ा विचार करें जब अकाल राहत कार्य खोलते हैं कि क्या परिस्थिति है। मेरे जिले में वर्षा हुई नहीं, सारे के सारे गांव अकालग्रस्त हैं। आप उसको अकालग्रस्त घोषित करेंगे। होता क्या है, हमेशा हम अभावग्रस्त घोषित करते हैं। जो हमारा फेमिन कोड है उसके क्लाजेज को हम इम्प्लीमैंट नहीं कर पाते। मेरा निवेदन है कि अकाल की परिस्थिति ऐसी भयंकर है तो उसको अकालग्रस्त घोषित करें। उसमें राज्य और केन्द्र सरकार दोनों का दायित्व होता है, पूरी मदद करें। अकाल की परिस्थिति में अकाल राहत खोलकर हम मानव को बचाने का प्रयास करेंगे। यदि आप विचार करें तो जो 1926 में हमने बाड़मेर और

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

जैसलमेर जिलों में एक कार्यक्रम किया था, उसी तरह मानव राहत में वह कार्यक्रम करें तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद होगा। उससे हम मानव राहत में सफलता प्राप्त कर सकेंगे।

की जहां चर्चा है, गत वर्ष जहां तालाब खुदवाये, जहां खड़ीन खुदवाये, आई.आर.डी.पी. के काम हैं, नाबार्ड के अधूरे पड़े हैं, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उन कामों को तुरन्त प्रारम्भ किया जाए। कुछ क्लस्टर्स के काम हैं, कुछ जल संरक्षण के काम हैं उनको मिलाकर अभी से हमें कार्यक्रम प्रारम्भ करना चाहिए। हम इन्तजार नहीं करें गिरदावरी की रिपोर्ट का, फण्ड्स इकट्ठे होने का, कि तभी जाकर हम अकाल राहत खोलेंगे। अभी जैसलमेर जिले में दस हजार श्रमिक लगाकर काम शुरू किये जा सकते हैं, गत वर्ष के अधूरे काम पड़े हुए हैं। यह मेरा पहला निवेदन है।

दूसरा, पशुओं के बारे में है। जलदाय मंत्रीजी यहां विराजे हुए हैं, जब योजनाएं बनती हैं 40 लीटर मानव के लिए और 30 लीटर पशुओं के लिए जोड़कर योजनाएं बनाते हैं जबकि हमारे क्षेत्र में पांच गुना पशु हैं। 30 लीटर जोड़ने से हमारी सारी की सारी योजनाएं डिफैक्टिव हैं, गांवों में हमेशा पानी की तकलीफ रहती है। इसलिए मैं माननीय जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि हमारी सारी योजनाओं का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। पशु की गणना के आधार पर ही हम योजनाएं बनाए तभी जाकर हम पेयजल की समस्या से निपट पाएंगे।

गत वर्ष मैंने कोशिश की थी सदन में भी, माननीय राहत मंत्रीजी विराजे हुए हैं उन्होंने मुझे कहा था कि घास चले जाने दीजिए जैसलमेर से। गत वर्ष साइक्लोनिक बारिश हुई थी और जैसलमेर इलाके में घास हुआ था। आज एक बूंद पानी नहीं बरसा है। माननीय सदस्यगण यह समझेंगे कि यह तो आश्चर्य की बात है, परन्तु वस्तुस्थिति है। मैं गांवों में घूमा, अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत जो तालाब खुदवाये आज से सब सूखे पड़े हैं। एक बूंद पानी तालाबों में नहीं आया। ऐसे दृश्य वहां पर हैं। जहां सेवण घास की बैल्ट है उस पूरी बैल्ट में एक बूंद भी पानी नहीं बरसा है। आज घास का बहुत अभाव है। वर्तमान सरकार ने एक गोल्डन ग्रास करके सेवण घास को उगाने की योजना भेजी है कि सेवण घास को पानी देकर उगाया जाए। मान्यवर, सेवण घास को पानी देने से सेवण घास उगती नहीं है, उसका अपना एक नेचर और कल्चर है। सेवण घास अभी होनी चाहिए। सर्दियों में सेवण घास नहीं उगेगी, वापस जनवरी के माह में सेवण अपनी ग्रोथ देगी। जनवरी में यदि पानी मिलता है तो सेवण घास बढ़ेगी। मुझे नहीं लगता कि सेवण घास की गोल्डन ग्रास योजना

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

में सेवण घास पैदा करके हम पशुओं को बचा पाएंगे। यह सबसे बड़ी विडम्बना है। गत वर्ष जो पशु हमारे क्षेत्र में आये और लावारिस पशु करीब 50 हजार की संख्या में आज भी हमारे गांवों में घूम रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत बड़ा बर्डन बन गया है। हमारे पचास हजार पशु वहां खड़े हैं इसके अलावा ऐसे भी पशु हैं जो नाकारा हो चुके हैं जिनको कि गांव वाले छोड़ देते हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है। मैं अकाल मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि तुरन्त पशु निष्क्रमण की योजना बनाए, यदि आप पशुओं को बचाना चाहते हैं। जैसलमेर में पशुओं को बचाया जा सकता है, यह शायद आपका भ्रम है। अभी से हम प्रयास करें कि कौनसा रुख लेकर मध्यप्रदेश में या राजस्थान के किसी क्षेत्र में जहां घास उपलब्ध है, हम पशु निष्क्रमण कराएं। पचास हजार गत वर्ष के आवारा पशु और इस वर्ष के नाकारा पशु जो पशुपालक छोड़ देंगे, यह बहुत बड़ी समस्या है। यह न हो कि दो महीने बाद पशु मरना शुरू हो जाएं और पब्लिसिटी हो कि पशु मर रहे हैं, मर रहे हैं और फिर अपन भागते फिरें कि इन पशुओं का क्या करें। यह गम्भीर विषय है, मेहरबानी करके उसकी ओर विचार करके एक योजना बनाएं कि जो नाकार और आवारा पशु हैं उनको किस तरह से निष्क्रमण करके जैसलमेर से निकाला जाए। यदि नहीं रखना है जैसलमेर में तो वहां उनके चारे का प्रबन्ध अभी से करें। अगले माह से उनको चारा चाहिए। चारा जैसलमेर जिले में है नहीं। गत वर्ष थोड़ा बहुत हुआ था वह हमने निकाल दिया है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि पशु के लिए यहां घास डिपो हर पंचायत में अपन खोलेंगे। मुख्यतः पशु आहार पर हम बहुत जोर दिया करते हैं कि डेढ़-दो किलो पशु आहार देकर के हम पशु को कुछ भी दे दें तो हमारा पशु घूमकर बच सकता है। इतना रेसिस्टेंस पावर है हमारे पशुओं में। पशु आहार अभी से या अगले माह से प्रारम्भ कर दें। जैसा मैंने कहा है कैटल कैम्प की व्यवस्था के बारे में, फेमिन कोड में क्लीयर दिया हुआ है कि फेमिन में पशु कैम्प खोले जाएंगे, उसमें पचास प्रतिशत पशु मालिक पैसा देगा और पचास प्रतिशत राज्य सरकार देगी। अगर पशुपालक के पास पैसा नहीं है तो अपन सारी व्यवस्थाएं करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि पूर्व राज्य सरकार द्वारा तकाबी लोन मिला करता था। आज आप और हम सब बैंकों पर आधारित हो चुके हैं कामर्शियल बैंक्स लोन देती हैं सब विकास के कामों के लिए। राज्य सरकार बैंकों द्वारा तकाबी लोन्स की व्यवस्था करे। जिससे

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

पशुपालक अपने पशुओं के लिए चारा और जो पशु का दाना है वह खरीदकर अपने जीने के लिए कुछ पैसा जुटा सके। तकावी की व्यवस्था कैसे की जाए कैसे ऋण दिया जाए, उस ओर चिन्तन करें।

मान्यवर, मैं अधिक नहीं कहूंगा। मेरे मित्र कहा करते हैं कि अकाल की बात आप किया करते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र में, इतने बड़े भू-भाग अड़तीस हजार वर्ग किलोमीटर में वर्षा होती नहीं है। यह प्रकृति का प्रकोप है, इसे हमें सहन करना पड़ता है। इन्दिरा गांधी नहर जिसके बारे में हम कहा करते थे कि वह स्थायी साधन है, स्थाई समाधान है, वह नहर हमारे आ चुकी। लेकिन कुछ काम छूट गये तो दुर्भाग्य से हमें उस नहर में पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। गत वर्ष करीब बारह हजार नये किसान जो वहां पहुंचे उनको पानी नहीं मिला और आज भी जब पोंग डैम में पानी नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि उन काश्तकारों को पानी देकर हम इस अकाल के अन्दर समाधान दे पाएंगे। इसलिए उस ओर भी माननीय मंत्री महोदय ध्यान दें, विशेषकर जैसलमेर क्षेत्र में जहां इन्दिरा गांधी नहर का जाल बिछा है, वहां पानी पहुंचाएं। जलप्रदाय मन्त्री जी से भी निवेदन है कि जो भी योजनाएं आपने ट्यूबवैल से बना रखी हैं उन्हें नहर से जोड़कर सारी समस्याओं का समाधान करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अमीन खान।

श्री अमीन खान (शिव) : सभापति महोदय, अकाल के विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। अकाल राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के लिए कोई नई बात नहीं है, अकाल के हम लोग तो आदी हैं। मेरी तो सरकार और सब पार्टियों के माननीय साथियों से यही गुजारिश है, अकाल का समाधान करने के लिए हर सरकार कमजोर किसान को बचाने का प्रयास करती है लेकिन इसमें न्याय तब मिलता है जब वास्तव में कमजोर को पैसा मिले। कमजोर को किस तरह से सहायता मिले यह जानते भी सभी हैं लेकिन अकाल डिक्लेयर कराने में भी राजनीति होती है, अकाल दिखाने में भी राजनीति होती है और अकाल के काम का इन्तजाम करने में भी राजनीति होती है। यह अपने को दूर करनी चाहिए। अकाल एक कुदरती आफत है, वास्तव में कुदरत ने जहां आफत भेजी है वहां सबको मिलकर सहायता करने की ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए। तब तो उस गरीब आदमी को सहायता मिलेगी और सरकार के खजाने पर बेकार का बोझ भी नहीं होगा।

हमारा यह विश्वास है कि कुदरत को चैलेंज करना खतरनाक मामला है। यह

(श्री अमीन खान)

हकीकत है। हम दोनों, इधर चौहटन के माननीय सदस्य और मैंने गत वर्ष कल्लाजी को कहा कि आपके यहां सेवण घास छाती के बराबर खड़ी है, असत्य अकाल की बात मत बताओ। इससे सरकार तो भले ही बात करके खुश हो जाएगी कि बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं लेकिन कुदरत नाराज होगी और कुदरत कोई आफत खड़ी कर देगी। हक़ीकत में इनके यहां सेवण वाले एरिये में अकाल इस साल पड़ा। गत साल अकाल नहीं था। हमारे बाड़मेर जिले की मवेशी गत साल जैसलमेर जिले में बची हैं और हजारों नहीं लाखों क्विंटल घास जैसलमेर जिले से ट्रांसपोर्ट करके बाड़मेर के इलाके में आया। वहां अकाल था तो वह घास कहां से आया? मेरे कहने का मतलब यह है कि सच्चाई को छिपाना वहां एक गरीब आदमी को सहायता से वंचित करना है।

खास मुझे जो चिन्ता है, मैं दस वर्ष की उम्र से लेकर बीस वर्ष की उम्र तक पशुओं में ग्वाला रहा हूं और मैंने पशु चराये हैं। पशुओं की तकलीफ जहां तक मेरा दिमाग है, मैं जानता हूं काफी लेकिन मैं मानता हूं कि माननीय सदस्यों को ज्ञान नहीं है कि इन पशुओं की समस्या कैसे मिटाई जाए। आज चाहे बढ़िया से बढ़िया जमाना आए, यह बात सच है कि पशुओं को लोग नहीं रखना चाहते। पशुपालक आज के जमाने में दुःखी हैं, बरबाद हो गये हैं। एक फावड़े गैंती वाले मजदूर के घर में पचास रुपया मिल सकता है, लेकिन ऊंट जितना बड़ा कीमती जानवर और गाय, पुराने जमाने में जिसके घर गाय होती थी उसको भागिया कहते थे, आज जिस घर में ऊंट और गाय जानवर है उसको अभागिया कहते हैं। उसका असली कारण यह है कि मशीनरी का धंधा शुरू हुआ। ऊंट पर खेती का कोई काम नहीं, ऊंट पर कोई पानी लाने का काम नहीं, ऊंट पर कोई चारा-लकड़ी लाने का काम नहीं रहा तो आज ऊंट एक कौड़ी का हो गया। इसी प्रकार गाय का बलद होता था, वह महाराष्ट्र में जाता था, गुजरात में जाता था और उन बलदों की कीमत से उस इलाके के पशुपालक पैसे वाले होते थे। आज बलद की कीमत घट गयी। बलद की कीमत इसलिए घटी है, पहला कारण तो मशीनरी आने से और दूसरा गौवध एक्ट जो बनाया है राज्य सरकार ने उसके बाद में बैल का माइग्रेशन होता नहीं है। न तो पैदल ले जाने देते हैं और न रेल या गाड़ी से जा सकता है। तो आज बलद की एक टके की भी कीमत नहीं है। उन गायों के बलद लोग बेकार छोड़ना चाहते हैं। तीसरी इसमें समस्या और पैदा हो गयी, अभी जैसा कल्ला जी ने कहा कि जैसलमेर में पचास हजार आवारा

(श्री अमीन खान)

पशु हैं। यह बात सच है। नागौर के लोग, जोधपुर के लोग अकाल में ही नहीं, जमाना अच्छा होता है तो भी ट्रकों में पशुओं को डाल-डालकर के पोकरण, और जैसलमेर और हमारे शिव के सीमावर्ती सेवण के इलाके में रात को छोड़कर चले जाते हैं। यह अकाल में ही नहीं जमाने की भी बात है। वह इसलिए छोड़ते हैं कि किसानों को राजस्थान के काफी जिलों में और गांवों में जमीन छूट नहीं है। और जब जमीन नहीं है तो घास चाहे कितनी भी बरसात पड़े, होगा नहीं।

जहां तक घास का सवाल है, ट्रैक्टर की जहां तवी चली है किसान ने जहां तवी से और कल्टी से हल चलाया है सेवण घास खतम हो गया। उसका बीज भी खतम हो गया और बोरड़ी से पाला होता था, चारा होता था ये दोनों चीजें खतम हो गयीं। यह अब जिन्दा करना न तो सरकार के हाथ में है न कुदरत के हाथ में है। यह तो जिन्दा अब उसी हालत में रह सकता है जब जमीन के ऊपर ट्रैक्टर की तवी और कल्टी न चले। अब आधुनिक युग है इसको अपन रोक नहीं सकते। हर आदमी सुविधा चाहता है। ट्रैक्टर चलेगा, इससे ज्यादा चलेगा। तवी चलेगी। तो इस धंधे को कोई रोक नहीं सकते और रोकना भी नहीं चाहिए। जमाना मजदूरी करने का है, जमाना खेती करने का है। पशुओं का जमाना नहीं है। पशुओं के लिए अगर इन्तजाम करना है, सारा मुफ्त में करना है। जितनी भी संस्थाएं या धार्मिक लोग इसको संरक्षण देना चाहते हैं, हमारे पशु चाहे बढ़िया से बढ़िया जमाना आ जाए हम फ्री में देना चाहते हैं। कोई ले जाए, हमें कौड़ी नहीं चाहिए। हम रखना चाहते हैं भैंस, हम रखना चाहते हैं बकरी, हम रखना चाहते हैं भेड़। यह अकाल में कभी भी नहीं मरती है, जिन्दा रहती है। अकाल ज्यों ही आता है हम ट्रक में उनको चढ़ा देते हैं। ट्रक अमृतसर जाता है, बम्बई जाता है, अहमदाबाद जाता है, दिल्ली जाता है, कुछ न कुछ उनके पैसे आते हैं। खाली ट्रक में बाजरी की बोरी ले आते हैं उस बाजरी की बोरी से हमारा गुजारा चलता है। इसलिए सरकार को पशुपालन की चिंता है तो इस गौवध एक्ट के ऊपर विचार करना पड़ेगा कि बैलों को बाकायदा बाहर भेजने की छूट होगी। बैल बिके और गाय बिके। आज आप गाय की कहते हो बाहर जाने की, माननीय कल्लाजी, क्या जैसलमेर, बाड़मेर की गाय को गुजरात के बार्डर से प्रवेश होने देंगे? क्या नागौर से आगे जाने देंगे? क्या मध्य प्रदेश से आगे जाने देंगे? सन् 1969-70 में अकाल पड़ा, राजस्थान सरकार ने पश्चिमी राजस्थान से बाड़मेर, जैसलमेर की गायें मालवा भेजी और रेलों के जरिये उतारी। आज आप

(श्री अमीन खान)

जहां रेलों में गाय उतारो वहां विश्व हिन्दू परिषद का घेराव होगा, वहां साम्प्रदायिक दंगे हो जाएंगे, कानून-व्यवस्था को चैलेंज होगा। इसलिए न तो कोई ट्रक में गाय चढ़ा सकता न बाहर कोई बचा सकता। इन जानवरों के लिए मेरा थोड़ा-सा राहत मंत्रीजी को सुझाव है कि ख्वाहमख्वाह करोड़ों रुपया तबाह नहीं करें। जानवरों को बचाने का जिनको मजहबी शौक है या सेवा का शौक है उनको फ्री सुपुर्द कर दो और अच्छी भैंस, अच्छी दुधारू गाय के लिए आप अलग से इन्तजाम करें। यही बात मैं करूंगा, इस पर गौर किया जाए।

महोदय, हम असत्य बोलने वाले नहीं है। मेरा क्षेत्र कुल 87 ग्राम पंचायतों का क्षेत्र है और गत साल उन 87 ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में 40 पंचायतों में भयंकर अकाल था। इस साल मेरे 87 ग्राम पंचायतों में से 10 पंचायतों में हालत खराब है, बाकी हम आराम से गुजर कर सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको बारबार पानी के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, अकाल के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। इन्दिरा गांधी नहर की जो गडरा रोड शाखा है, जिसका कुदरतन ढ़लान है उसको लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर उस नहर का गडरा रोड तक खर्चा आप बुलडोजर के डीजल का करें और उस बुलडोजर खालों में पानी छोड़ें तो पानी अपने आप जाएगा। उस पानी से रिजल्ट यह मिलेगा कि आपके वहां पेयजल की योजनाओं को पानी मिलेगा और वहां पर सेवण घास भी बढ़िया पैदा होगी। उस तरफ एक टका खर्च नहीं किया जा रहा है, ख्वाहमख्वाह दूसरी जगह मस्टर-रोल हुआ। इसलिए, अकाल राहत मंत्री जी मेरी आपसे बहुत अदब के साथ गुजारिश है कि हमारे उस इलाके के लिए बुलडोजर के ऊपर डीजल के पैसे का खर्चा करें और सरकारी मशीनों से खालों में पानी छोड़ कर गडरा रोड तक पहुंचा दें तो हमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी और आराम मिलेगा। भविष्य के लिए भी सरकार को जो करोड़ों रुपयों का चूना लगता है उससे बचाव होगा। यही प्रार्थना करते हुए, सभापति महोदय, आपने टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रमजान खान।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : सभापति महोदय, अकाल के ऊपर चर्चा चल रही है, मुझे खुशी है कि माननीय अकाल मंत्रीजी और जलदाय मंत्रीजी दोनों यहां विराजमान हैं। कल जब बिजली की चर्चा चल रही थी उसमें रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी, उससे मैं भी सहमत हूं।

(15.25 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

(श्री रमजान खान)

उन्होंने कहा था कि यह संयोग की बात है कि जब-जब कांग्रेस का राज आता है अकाल पड़ता है और जब-जब भैरोंसिंहजी का राज आता है तो खूब जमाना होता है। मैं ही नहीं कह रहा हूं...

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : यह नहीं कहा है। असत्य मत बोलो। यह पवित्र सदन है, पवित्र सदन में असत्य मत बोलो। (व्यवधान) मैंने यह कहा था कि यह संयोग है (व्यवधान)

श्री रमजान खान : मैं यही कह रहा हूं। संयोग की बात मैंने कही है। मैंने संयोग शब्द जोड़ा है और आपकी बात के ऊपर सहमति जाहिर की है। मैंने भी यही कहा है कि संयोग की बात है, जब-जब कांग्रेस का राज आता है अकाल पड़ता है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : बत्ती होती है तो दीया गुल हो जाता है। यह असर वहीं का है।

श्री रमजान खान : आप तो वित्त मंत्रीजी से वित्त की व्यवस्था कराओ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : 53 वर्ष के आजादी के इतिहास में चालीस वर्ष अकाल पड़ा, यह तो आपको जानकारी है।

श्री रामस्वरूप : (व्यवधान) पश्चिमी राजस्थान में तो भगवान ने हमेशा ही मेहरबानी की है, हम पर तो अबकी बार ही की है। पूर्वी राजस्थान पर तो अबकी बार ही अकाल पड़ा है। खूब फायदा है आपको तो पश्चिमी राजस्थान के अकाल से। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूपजी, कृपया बैठिये।

श्री रमजान खान : मैं आपको यह निवेदन कर रहा था कि रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह वे ही नहीं कह रहे हैं, मैं ही नहीं कह रहा हूं, सदन ही नहीं कह रहा है, राजस्थान की पांच करोड़ जनता कह रही है कि जब-जब कांग्रेस का राज आया अकाल पड़ा है और जब-जब शेखावत का राज आया है तब-तब जमाना हुआ है। यह बात पूरी जनता जनार्दन कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि 1991-92 में किसका शासन था, 1992-93 में किसका शासन था, 1993-94 में किसका शासन था, 1995-96 में किसका शासन था और 1997-98 में किसका शासन था। रेगुलर अकाल पड़े हैं। कितने हजार गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं?

श्री रमजान खान : जनता को महसूस नहीं हुआ, मंत्री महोदय। खैर! कोई बात

(श्री रमजान खान)

नहीं, मैं इस बारे में नहीं जाना चाहता। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह भैरोंसिंहजी के राज को अपना राज ही नहीं मानते। उसको अपना राज ही नहीं मानते आप, बात तो यह है असल में।

श्री रमजान खान : मैं असली बात पर आता हूं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अच्छा है आप असली बात पर आ जाओ।

श्री रतन लाल ताम्बी : दिल्ली में राज आने के बाद आस-पास के प्रदेशों में भी अकाल आ गया। गुजरात में देख लें, मध्य प्रदेश में देख लें, उत्तर प्रदेश में देख लें, हरियाणा और पंजाब...

श्री रमजान खान : मैंने तो असली बात कही है, मैंने तो उदाहरण दिया है। मैंने तो माननीय सदस्य के साथ सहमति जाहिर की है, और कुछ नहीं किया।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप तो अपनी बात कहो। माननीय सदस्य क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं, इस बात को छोड़ दीजिए। आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि भैरोंसिंहजी के शासनकाल में 8 में से 6 साल अकाल पड़ा और कितना पैसा खर्च हुआ। यह आंकड़े कहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, आपको तो पूरा मौका मिलेगा बोलने का।

श्री रमजान खान : (व्यवधान) जनता ने इस बात को महसूस किया है।

श्री रतन लाल ताम्बी : आप तो खुद ही अकाल मंत्री थे, आपको मालूम नहीं कि अकाल पड़ा है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : अकाल मंत्रीजी, आपको याद नहीं है, भूल गये क्या? (व्यवधान) इसी हाउस में, अकाल मंत्रीजी, आप भूल गये क्या? (व्यवधान) कपड़े किसके फटे थे? 65 सौ करोड़ रुपये के मुआवजे की बात यहां कही थी और देने के लिए एक पैसा नहीं था। (व्यवधान) मेरे ख्याल में आप जैसा फेल अकाल मंत्री हिन्दुस्तान में नहीं होगा। (व्यवधान) पगड़ी बांधने से काम नहीं चलता। हमारे अकाल मंत्री ने काम दिये हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय राधेश्यामजी।

श्री रामस्वरूप : पोकरण में परीक्षण किसने करवाया था, बताओ? आपने करवाया। आज उसी की मेहरबानी है कि अकाल पड़ रहा है। और कोई कारण नहीं है राजस्थान में अकाल का।

श्री सभापति : विराजिये।

श्री रमजान खान : माननीय सभापति महोदय, इस वर्ष अकाल बहुत भयंकर है। पिछले वर्ष अकाल राहत कार्य हमारे प्रदेश

(श्री रमजान खान)

में अकाल राहत मंत्रीजी ने शुरू करवाये थे, मगर वे कुछ देरी से शुरू हुए जिसकी वजह से कई काम अपूर्ण रह गये। दो साल पहले जो अकाल राहत के कार्य शुरू करवाये, कई काम अभी तक अपूर्ण हैं और पहले वाले अपूर्ण काम भी पूर्ण नहीं हुए। गत वर्ष जो काम अपूर्ण रहे उनके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि अब जब काम शुरू हो तो जितने भी अपूर्ण काम रह गये हैं जिले के अन्दर, प्रदेश के अन्दर उनको पूरा करवाया जाए ताकि करोड़ों रुपया लगी हुई सम्पत्ति का कुछ उपयोग मिल सके, वरना कोई फायदा नहीं है। अपूर्ण काम तो पड़े हुए हैं और हम नये काम शुरू कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है।

मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले अकाल राहत कार्यों में सामग्री राशि आपने 25 प्रतिशत रखी, मंत्री महोदय, इस 25 प्रतिशत सामग्री राशि से कोई भी पक्का कार्य करने की संभावना नहीं थी, चाहे वह पीडब्ल्यूडी. के तहत हो चाहे सिंचाई विभाग के तहत हो चाहे पंचायत समिति के तहत हो। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि 25 प्रतिशत सामग्री राशि के अंदर कोई पक्का काम करवा ले। इस संबंध में मुख्य मंत्री जी का एक परिपत्र सब विधायकों को मिला, सांसदों को मिला और उनमें यह कहा गया कि आपके कोष के पैसे सामग्री के लिये दो, जहां कम पड़ता है। हमने इसके लिये प्रयास किया परन्तु जिला प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और हमारे पैसे का सामग्री के लिये उपयोग नहीं किया। इसके साथ ही मैंने जिला प्रशासन को यह भी कहा और मुख्य मंत्रीजी को भी पत्र लिखा कि नाबार्ड के तहत जो 144 करोड़ रुपये आपको नकद राशि मिल रही है उस 144 करोड़ रुपये को अगर आप सामग्री के अंदर इस्तेमाल करेंगे इन फेमिन के कामों में तो मैं समझता हूं कि बहुत ही उपयोगी और पक्के काम राजस्थान के गांवों के अंदर हो पाएंगे। परन्तु उन 144 करोड़ रुपये से ऐसे काम स्वीकृत किये हैं कि वे अभी भी अपूर्ण हैं। पता ही नहीं लगा कि वे 144 करोड़ रुपये कहां गये और कहां नहीं गये। मंत्री महोदय, इसका अभी तक कोई पता नहीं चला।

सभापति महोदय, पिछले फेमिन के जो पैसे थे वे अधिकतर आपने राजीव गांधी पाठशाला के अंदर खर्च कर दिये। जहां पर एक्चुअल खर्च होना चाहिये था वहां पर वह पैसा खर्च नहीं किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष तो सामग्री की राशि आप बढ़ाए। मुझे इस बात की तो खुशी है कि मुख्य मंत्रीजी ने एक पत्र लिखा सभी विधायकों को कि आपके अपने कोष के अधिकतर पैसे पेयजल

(श्री रमजान खान)

के लिये या जरूरत पड़े वहां पर खर्च हों। हम तैयार हैं। सभी विधायकों से मेरा निवेदन है कि पेयजल के लिये अपने कोष से पैसे देने चाहिये परन्तु आप सामग्री की राशि थोड़ी बढ़ाएं। सामग्री की राशि बढ़ाने से कुछ गांवों के अंदर पक्के काम हो जाएंगे वरना 25 प्रतिशत के अंदर तो कोई भी पक्का काम नहीं होगा। मंत्री महोदय, जितने भी काम पिछले वर्ष हुए हैं वे कच्चे काम ऐसे हुए हैं कि एक ही बरसात में साफ हो गये या आंधी के अंदर उड़ गये। अब उन कामों का कहीं नामो-निशान नहीं है। इतना रुपया लगा, इतने पैसे लगे, उसका उपयोग हमारे को नहीं मिला है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बी.एस.आर. रेट जो आपकी बनायी हुई है कारीगर के लिये, वह बी.एस.आर. रेट बहुत पुरानी है। उसमें कारीगर के लिये 80 रुपये आते हैं जबकि आज कारीगर पक्का काम करने के लिये डेढ़ सौ, दो सौ रुपये के बगैर आता नहीं है। कभी-कभी तो उसके लिये एक फर्जी हाजिरी बेलदार की भरनी पड़ती है और फिर कारीगर लाकर उस काम को कराना पड़ता है। इसलिए इस बी.एस.आर. रेट को भी रिवाइज करवाए। कुए खोदने का काम है उसके अंदर भी पुरानी बी.एस.आर. रेट लगी हुई है। अब पुरानी बी.एस.आर. रेट के अंदर कोई कुछ खोदते नहीं हैं। अगर कहीं कुछ खुदवाते भी हैं, सरपंच या विभाग खुदवाता है तो जो कुओं में ब्लास्टिंग करते हैं उनके ऊपर पुलिस का डंडा इस तरह फिरता है कि ट्रैक्टर वाला भी हिम्मत नहीं कर रहा है कि सार्वजनिक कुओं के अंदर ब्लास्टिंग करे क्योंकि पुलिस उसको पकड़ लेती है कि ब्लास्टिंग कहां से कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत छूट दिलायी जाए। जहां सार्वजनिक कुए हैं वहां पर ब्लारस्टिंग करने के लिये थोड़ी बहुत छूट मिले और बी.एस.आर. रेट के अंदर संशोधन किया जाए।

इसके अलावा पिछले वर्ष पी.डब्ल्यू.डी. के तहत आपने अकाल राहत कार्य में कई सड़कें स्वीकृत कीं। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि डब्ल्यू.बी.एम. रोड जितनी भी आपने स्वीकृत करवायी गिट्टी डालकर रोलर डालकर वह सड़कें बनायीं, आज उन सड़कों की हालत देख लें, उन पर पैदल भी नहीं चल सकते। सभापति महोदय, यह रामनारायण जी बोल रहे हैं।

श्री सभापति : प्लीज, थोड़ा शांत रहें माननीय सदस्य।

श्री रमजान खान : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि गिट्टी डालकर जो रोड बनायी जाती है उस रोड को डामर किया नहीं जाता है, उस रोड को ऐसे ही छोड़ दिया

(श्री रमज़ान खान)

जाता है। बरसात के अंदर वह बरडा तो बह जाता है और गिट्टियां बाहर निकल जाती हैं। उसके बाद उस सड़क के ऊपर कोई पैदल भी नहीं चल सकता है। इसलिए मजबूर होकर सड़क के किनारे चलने के लिये पगडंडियां बनायी जाती है। इसलिए ये जो आप डब्ल्यू.बी.एम. रोड बना रहे हैं पी.डब्ल्यू.डी. के माध्य से, ये नहीं बनाए। आप ग्रेवल रोड बना दीजिये। आप उसके बदले कहीं छोटी-मोटी डामर रोड बनाना चाहते हो तो डामर रोड बना दीजिये। ग्रेवल रोड पर बरड़ा पड़ता है, उसके ऊपर रोलर चल जाता है तो ही वह रोड खराब नहीं होता है। मगर यह गिट्टी डालने वाली रोड तो बहुत ही खराब हो जाती हैं। पी.डब्ल्यू.डी. गिट्टी तुड़वाता है पहाड़ों के ऊपर और बरड़ा खुदवाता है वहां पर। मैं ईमानदारी की बात कहता हूं, मंत्री महोदय, आज भी लाखों रुपयों की तोड़ी हुई गिट्टियां पहाड़ों के अंदर पड़ी हुई है। जब समय मिलता है ठेकेदार लोग उसको उठा-उठाकर ले जाते हैं। इसका न कोई धणी है न कोई धोरी है। इसलिए ऐसे काम नहीं कराए कि पैसे का उपयोग सही ढंग से हमारे को नहीं मिल सके। इसके ऊपर भी थोड़ा मेरा निवेदन है।

मैं इस बात के लिये आपको धन्यवाद दूंगा कि जो डामर की सड़कें थी उनके पैचवर्क करवाने के लिये आपने फेमिन के अंदर कार्य शुरू किये। मगर, मंत्री महोदय, वे कार्य इतनी देरी से शुरू किये गये कि पी.डब्ल्यू.डी. को न तो कोई डामर मिल सकी टाइम पर और न विभाग उसके ऊपर कार्य करवा सका। मुश्किल से 15 या 20 दिन उस पैचवर्क का कार्य हो पाया है। आज सड़कों के लिये लोग-बाग चिल्ला रहे थे कि बहुत ही गड्ढे पड़ गये हैं, कई वर्ष हो गये उनकी मरम्मत नहीं हुई है। इसलिए, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि डामर रोड पर जो गड्ढे पड़ गये हैं इनको भरवाने के लिए सबसे पहले फेमिन के अंदर इनका काम शुरू करवाया जाए। अगर उसके अंदर सामग्री की राशि कम पड़े तो वह विधायक कोष से देने के लिए विधायक तैयार हैं, परन्तु यह चाहते हैं कि उनके इलाके के अंदर सड़कें दुरूस्त हो जाए। उनकी मरम्मत हो जाए तभी वे आदमी के चलने-फिरने के लिये उपयोगी हो सकती हैं। मैं यह चाहता हूं कि आप इसके ऊपर विशेष ध्यान दें।

आज भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य काफी बातें कर रहे थे चारा घोटाले के बारे में यह बात सही है। मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि यह बहुत महत्त्वपूर्ण मसला है। चारा घोटाला हो सकता है हुआ हो, मैं नहीं कहता कि

(श्री रमजान .खान)

हुआ है परन्तु चारा घोटाले में सब लिप्त नहीं है, मंत्री महोदय। कुछ लोगों ने घोटाला किया उसकी सजा अगर आप सैकड़ों आदमियों को देंगे तो यह व्यावहारिक बात नहीं है। इसकी आप व्यावहारिकता से जांच करवाए और जो दोषी व्यक्ति हैं उनको आप कतई पेमेंट नहीं करें। उनको सजा दें, हम इसके लिये तैयार हैं। मगर जिन्होंने कोई दोष ही नहीं किया आज करीब एक करोड़ तीस लाख रुपये पूरे अजमेर जिले में इन लोगों के बकाया हैं। चारा लाने के लिये कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। अब अगर आप वापस कहेंगे कि चारा लाकर बांटो तो ईमानदारी की बात है, अजमेर जिले के लोग तो कोई भी तैयार नहीं हैं। जिन लोगों ने उधार ले-लेकर चारा परिवहन करके चारा बेचा है, मंत्री महोदय, और उनका पेमेन्ट रूक गया, उनकी हालत बहुत खराब है। अभी भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आदमी तो कुए में गिरकर मर गया। ईमानदारी की बात है, अजमेर जिले में हालत बहुत खराब है। इसको आप थोड़ा सीरियस लेकर इसकी वापस जांच करवा लो। जो दोषी व्यक्ति हैं उनको मत दो, मगर जो दोषी व्यक्ति नहीं है उनको आप पेमेंट करें, यह मेरा आपसे विशेष निवेदन है।

मैं आपको एक सुझाव और देना चाहता हूं, मुझे याद है और आपको भी याद दिलाना चाहता हूं कि सन् 1968 में माननीय सुखाड़िया जी ने राजस्थान नहर के ऊपर चारा उगाने की योजना अकाल में शुरू की थी और वहां पर चारा उगाकर करीब-करीब पूरे राजस्थान में बांटा गया था। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरह राजस्थान नहर पर अगर आप चारा उगाने की योजना शुरू करेंगे और राजस्थान के अन्य शहरों में जहां पर चारे की किल्लत है वहां वितरण कराएंगे तो इसका बहुत बड़ा उपयोग मिलेगा और इसका फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से इसमें हम कामयाब भी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।

पेयजल मंत्री महोदय यहां पर विराजमान हैं, तीर्थराज पुष्कर के अंदर पानी की बहुत कमी थी और पवित्र सरोवर के अंदर पानी सूखने की स्थिति आयी। मैंने माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया कि सरोवर के अंदर पानी सूख रहा है, चरणामृत के लिये भी पानी नहीं बचा है और पुष्कर धार्मिक मेला शुरू होने वाला है। माननीय मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस संबंध में आपने बहुत व्यावहारिकता से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तीर्थराज पुष्कर के सरोवर को भरने के लिये साढ़े 18 लाख रुपये लगाकर 5 ट्यूबवैल खुदवाने

(श्री रमजान खान)

की मंजूरी दी। उसमें से 2 ट्यूबवैल खुद भी गये हैं। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि 7 तारीख से मेला शुरू है और इस वक्त पानी की वहां पर बड़ी भारी किल्लत है, तो जो 2 ट्यूबवैल खुद गये हैं उनके अंदर पाइप लाइन डालकर पुष्कर सरोवर में पानी छोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूं कि इससे धार्मिक स्नान के लिये, पूजा-पाठ करने के लिये लोग-बाग आते हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

जहां कम गहराई के हैण्ड पम्प हैं वे तो करीब-करीब सूख गये, कम गहराई के कुए भी सूख गये। इनको दुरुस्त करने के लिए आप कार्यक्रम चलाते हैं। जो भी लोग वहां पर हैण्डपम्प दुरुस्त करने के लिए जाते हैं वे एक ही बात कहते हैं कि हमारे पास सामग्री नहीं है। कोई कहता है कि हमारे पास नट-बोल्ट नहीं हैं तो कोई कहता है कि हमारे पास पाइप नहीं हैं। इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हैण्डपम्प रिपेयर का विशेष अभियान आप चलाएं। जो खुदे हुए हैण्डपम्प हैं उनमें दो-दो, तीन-तीन पाइप और जोड़ दिये जाएं तो सब के सब हैण्डपम्प काम करने लग जाएंगे। मगर इसके लिए सामग्री चाहिए, उन लोगों को पाइप निकालने के लिए औजार चाहिए। उन लोगों के पास औजार नहीं है। हर टीम जो हैण्डपम्प दुरुस्त करने जाती है, उसका यही हाल है। सही उपयोग उन टीमों का नहीं होता है, एक महीने यूं ही फिर-फिराकर वापस आ जाती हैं। इसका कोई कार्यक्रम ढंग से तैयार कर दें तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा रहेगा।

माननीय मंत्री महोदय, एक और बात मुझे आपके ध्यान दिलानी है। आपके प्रभारी मंत्री खेतसिंहजी राठौड़ अजमेर जिले में पधारे, हमारी मीटिंग ली। उन्होंने कहा था कि विधायक जितने भी हैण्डपम्प खुदवाएंगे, उसके बराबर के हैण्डपम्प विभाग खुदवाएगा। हमारे विधायक कोष से किसी ने 20 खुदवाये, किसी ने 25 खुदवाये, किसी ने 26 खुदवाये। मैंने भी 26 हैण्डपम्प खुदवाये, मगर मंत्रीजी का कहे के अनुसार सरकार ने, विभाग ने एक भी हैण्डपम्प हमारे वहां नहीं खोदा। इस तरह अगर विधायकों के साथ धोखाधड़ी करके करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह अच्छा नहीं है। जितने भी हैण्डपम्प का आप वायदा किये हुए हैं, मंत्री महोदय, उनको आप खुदवाएं।

राजस्थान में पिछले अकाल के समय को आपने बहुत अच्छे ढंग से सम्भाला, इसके लिए आपको मुबारकवाद देना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले अकाल के अंदर आप और भी अच्छे ढंग से इसको सम्भालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : जो हैण्डपम्प की बात आप कह रहे हैं, हकीकत में हैण्डपम्प तो खोद दिये जो आपने कहा था लेकिन उसमें कोई पाइप डाली नहीं गई। हैण्डपम्प तो बोर हो गये आपके, पाइप का मामला है। एक तारीख से कल से पाइप पहुंच गये हैं, विधायक कोटे से जो हैण्डपम्प बने हुए हैं उन पर प्राथमिकता के आधार पर 15-20 दिन के अंदर सारी पाइप लाइन लग जाएगी। बाकी सारे हैण्डपम्प खुद गये हैं।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : खेतसिंहजी पधारे थे तो उन्होंने कहा था कि आप 10 हैण्डपम्प खुदवाएंगे एम.एल.ए. कोटे से तो हम 10 हैण्डपम्प सरकारी खाते से और अलग से देंगे। यह अलग वाली बात हो गई।

श्री रामसिंह विश्नोई : प्रभारी मंत्री ने जो कहा है उसकी बाकायदा शत प्रतिशत पालना हुई है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : (संसदीय कार्य मंत्री) : तामील हुई है।

श्री रमजान खान : प्रभारी मंत्रीजी आ गये हैं। प्रभारी मंत्रीजी कह कर गए थे कि जितने हैण्डपम्प आप खोदेंगे, उतने हैण्डपम्प हम खुदवा देंगे। प्रभारी मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं, एक भी हैण्डपम्प आपकी घोषणा के अनुसार आपके विभाग ने नहीं खोदा है। मैं यह चाहता हूं कि जितने हैण्डपम्प विधायकों ने खुदवायें हैं उतने आप और खुदवाएं। अब आप आएंगे तो और नए हैण्डपम्प तो देंगे ही। आप इस चीज में तो सही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसा प्रभारी मंत्री हमको मिला है, दूसरा कोई मंत्री मिल जाता तो बड़ी मुश्किल हो जाती विपक्ष के सदस्यों को तो। यह एक और समस्या है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह गोया कि तारीफ है?

श्री रमजान खान : पिछले तीन महीने की अर्ज कर रहा हूं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़) : एक मिनट। आपको नेक सलाह देता हूं कि आज कार्तिक कृष्ण की षष्ठमी है और पांच दिन के बाद देव उठनी ग्यारस आएगी, उस दिन से विवाह शादियां होनी शुरू हो जाएंगी, शुभ कार्य होने शुरू हो जाएंगे और आपके पुष्कर में स्नान पूजा-अर्चना का जो है वह भी देव उठनी ग्यारस के बाद प्रारम्भ हो जाएगा, आपका मेला भी। इसलिए रामसिंहजी विश्नोई साहब तो चेष्टा करेंगे ही, उन्होंने बोरिंग करवा दिये हैं, कोई पाइपों की कमी हो तो मेहरबानी करके आप विधायक कोटे से करवा लो।

श्री सभापति : विराजिए पंडितजी, आपकी बात हो गई।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : इनको कोई शादी थोड़े ही करवानी है जो देव उठनी ग्यारस की बात बता दी आपने? यह कोई शादी का मामला थोड़े ही है?

श्री रमजान खान : मैं यह समझ रहा था कि आप मंत्री महोदय को सिफारिश करेंगे कि तीर्थराज पुष्कर पूरी दुनिया में हिन्दुओं का बहुत बड़ा तीर्थ और धार्मिक स्थल है इसलिए पाइप ग्यारस के पहले-पहले जुड़वा दें। आपने विधायक कोटे का कह दिया। मैं तो विधायक कोष का सब पैसा पेयजल के लिए देना चाहता हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : ट्यूबवैल के लिए कोई पाइप देने की जरूरत नहीं है। हमने चार-पांच ट्यूबवैल बनवाने की जो घोषणा की है, पांच तो मेले से पहले ही हो जाएंगे। एक फुट पिछले साल से ज्यादा पानी उसमें भरा हुआ है, पानी की कोई कमी नहीं आएगी। आपसे ज्यादा धार्मिक भावना है हमारी।

श्री रमजान खान : वह तो है ही। आप मरेंगे तो आपकी हड्डियां पुष्कर में जाएंगी और मैं मरुंगा तो मेरी हड्डियां किसी कब्रिस्तान में जाएंगी, इसलिए वह तो नैचुरल है। मगर फिर भी मैं वहां का विधायक हूं, वहां का विधायक होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि तीर्थराज पुष्कर की जो भी समस्या हो वह सही ढंग से राजस्थान की विधान सभा में उठाऊं और आपसे वह काम करवाऊं। यह मेरा नैतिक कर्तव्य है।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपकी पुष्कर की जो भावना है, आपने पूरी की। शत प्रतिशत भावना का हमने आदर किया है और सारे काम किये हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : इनकी हड्डियां भी पुष्कर में प्रवाहित करवाने का आदेश फरमाएं।

श्री रमजान खान : उनको जलाया नहीं जाता, उनको दफनाया जाता है। अंत में मैं आपको धन्यवाद देकर सभापति महोदय, अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री बाबूलालजी सिंगारिया।

मोहम्मद माहिर आजाद : [illegible] जो आसन पर थे, सभापति [illegible] कहा था कि दो सदस्य सत्ता पक्ष के [illegible] जो श्री गोवर्द्धनजी कल्ला साहब [illegible] खान साहब बोल लिये [illegible] बोले तो रमजान [illegible] फोर्स की तरफ [illegible]

श्री सभा[illegible]

श्री [illegible]

माननीय [illegible] करना

श्री सभापति [illegible] बाद आपका क्रम आ रहा है।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : मेरा नम्बर नहीं है मान लिया, एक मिनट, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं अकाल राहत के ऊपर जो चर्चा चल रही है_

श्री सभापति : आपका नम्बर आ रहा है, बैठिये।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : नहीं आएगा। मैं एक मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। सभी अपने-अपने क्षेत्र की बात बता रहे हैं, वही स्थिति धौलपुर जिले की भी है लेकिन धौलपुर जिला पथरीला क्षेत्र होते हुए भी वहां अकाल घोषित नहीं किया गया। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपका चांस आएगा। मैं अलाउ करूंगा।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : मेरा निवेदन है कि अगर यह बात असत्य है..

श्री सभापति I,ll not allow at all. कैसे अलाउ करूंगा ? (व्यवधान)

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी बैठे हुए हैं, वे यह कह दें वहां अकाल नहीं है, हम मान लेंगे।

श्री सभापति : वह बात आ जाएगी। वह अलग बात है, आपने बोल दी।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : क्या वहां अकाल नहीं है ?

श्री सभापति : आपका चांस आ रहा है प्लीज।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : ऐसा नहीं होगा, तो सरकारी आंकड़ों के ऊपर यह बात हुई तो वहां की कानून-व्यवस्था पूरे क्षेत्र की बिगड़ जाएगी। मैं बता रहा हूं कि वहां पर कानून-व्यवस्था_(व्यवधान)

श्री सभापति : आपका चांस आ रहा है, आप बोल देना।

एक माननीय सदस्य : वित्त मंत्रीजी ने मना कर दिया कि अकाल नहीं है तो अकाल नहीं है।

श्री सभापति : आपको बोलने का मौका आ रहा है, अभी तो बैठिए।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : आप मेरी मदद करें। अकाल वहां घोषित नहीं, वहां की जनता मर जाएगी।

श्री सभापति : यह हाउस मनमाने तरीके से नहीं चल सकता। हाउस की जो व्यवस्था है उसी के अनुरूप चलेगा। आपका नम्बर आएगा तब बोलना। (व्यवधान)

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि_

श्री सभापति : प्लीज सिट डाउन।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : मंत्रीजी बैठे हुए हैं, वह बता दें।

श्री सभापति : हां, मंत्रीजी बैठे हुए हैं, बोल जाएंगे। आपका टर्न आएगा। जब मर्जी आए कैसे बोलेंगे मंत्रीजी? कृपया व्यवस्था बनाये रखिए।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : सभापति महोदय, अन्याय हो रहा है।

श्री सभापति : धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य, मेरी प्रार्थना सुनिए, आपका चांस आ रहा है। आपका भी आ रहा है, आपका भी आ रहा है। बोलोगे न अभी।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : जहां अकाल नहीं है वहां अकाल घोषित कर रहे हैं।

श्री सभापति : आपका नम्बर आ रहा है उस समय कह देना।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : माननीय शिव से आने वाले सदस्य ने कहा, 10 पंचायतें हैं, मेरे यहां अकाल है वहां अकाल घोषित करवाइए।

श्री सभापति : माननीय कुशवाहजी, आपका नम्बर आ रहा है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : पाये के आदमियों को ऐसा मत डांटो आप।

श्री सभापति : कृपया सहयोग कीजिए।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : जहां अकाल नहीं है वहां अकाल घोषित करवा रहे हैं, माननीय अमीन खानजी ने बताया वहां 78 पंचायतों में से... (व्यवधान) धौलपुर के पूरे क्षेत्र में...(व्यवधान)

श्री सभापति : आपका नम्बर आ रहा है, कह देना आप।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : राजाखेड़ा में नहीं है, सब जगह है, उसको घोषित करवाइये।

श्री सभापति : अभी आपका नम्बर आ रहा है, चांस आ रहा है तब बोलिए।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : इनके पास तो वित्त है, अपने आप कर लेंगे।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, आ रहा है आपका।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोकजी गहलोत की सरकार ने जब राजस्थान में सत्ता सम्भाली तो विरासत में अकाल संवत् 2055 का मिला। उसके अंदर 1145 करोड़ रुपए की योजना केन्द्र सरकार को भेजी। मात्र 123 करोड़ रुपए मिलने के बाद 144 करोड़ रुपए राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कर्ज लेकर संवत् 2055-2056 के अकाल में तमाम साथियों के सहयोग से इस चुनौती का सामना किया। साथ ही साथ पिछले संवत् 2055-2056 में साढ़े सत्रह लाख लोगों को मजदूरी दी और 600 करोड़ रुपए अकाल के अंदर खर्च किये। राजस्थान के अंदर तमाम मंत्रिमण्डल के सदस्यगण अपने जिलों के प्रभारी के रूप में जाकर अकाल से स्वयं रूबरू हुए। वर्तमान में सम्वत् 2056 और

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

2057 का अकाल भी त्रिकाल के रूप में राजस्थान पर मंडरा रहा है। उसके लिए मैं आपके माध्यम से सहायता मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1962 का जो फेमिन कोड बना हुआ है उसके अन्दर तब्दीली करने की वर्तमान समय में आवश्यकता है। उसके अन्दर नये तरीके से अमेंडमेंट करवाया जाए, यह मेरी तरफ से सुझाव है।

साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर जिले के केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के 210 गांवों के अन्दर भयंकर रूप से अकाल की छाया मंडरा रही है। उसकी गिरदावरी रिपोर्ट सरवाड़ तहसील के माध्यम से, केकड़ी तहसील के माध्यम से और भिनाय तहसील के माध्यम से तैयार हो गयी है और समस्त 210 गांवों में अकाल घोषित हो गया है। मैं अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल के अन्दर पंचायत समिति को एजेंसी बनाया जाता है, सिंचाई विभाग के अन्दर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से जो प्रस्ताव मांगे गये हैं उसको भी एजेंसी के रूप में मानकर अकाल से जूझने के लिए जिस प्रकार एजेन्सियों से प्रस्ताव तैयार करवाये हैं उसी तरह से फेमिन कोड में तब्दीली करके पी.एचईडी. को भी अकाल के अन्दर जोड़ा जाए तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक परिसम्पत्तियां, चाहे कच्चे या पक्के काम की हों, स्थायी रूप से बनकर तैयार होंगी।

पेयजल के मामले में अजमेर जिले का पूरा देहाती क्षेत्र फ्लोराइडयुक्त क्षेत्र है केवल अजमेर जिले के इस फ्लोराइडयुक्त क्षेत्र के लिए बीसलपुर योजना का शिलान्यास हुआ था 1985 में और यह बीसलपुर योजना केवल मात्र अजमेर जिले के लिए ही बनकर तैयार हुई थी। उसकी भराव क्षमता 316.5 आर. एल. मीटर तक है लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि अजमेर जिले के 17 गांव जो डूब क्षेत्र में आते हैं उनको आज तक मुआवजा नहीं दिये जाने के कारण मानसून के अन्दर पानी को 316.5 आर. एल. मीटर तक नहीं भरा जाता है और 303-304 मीटर के बाद में उसकी चादर को खोल दिया जाता है। फ्लोराइडयुक्त क्षेत्र के अन्दर जब हम हैण्डपम्प खोदते हैं तो हैण्डपम्प का पानी पीने योग्य नहीं होता है। उससे कूबड़े बनने की शिकायत आती है, दांत पीले हो जाते हैं, मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। अजमेर जिले की भौगोलिक स्थिति अपने आप में अलग है, जहां पानी का अभाव होता है उस जगह तो आप कंटिंजेंसी प्लान बना सकते हैं, लेकिन बीसलपुर के अन्दर तो वर्तमान में 308.80 आर. एल. मीटर पानी भरा हुआ है। अजमेर जिले के अन्दर केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में और बाकी के रूरल

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

क्षेत्र में भी कंटिंजेंसी प्लान के नाम पर हैण्डपम्प, ट्यूबवैल न खोदकर जगह-जगह बीसलपुर पेयजल योजना की पाइप बिछाने का कार्य ही अगर हम करें तो मैं समझता हूं कि इसकी सार्थकता सिद्ध होगी। कंटिंजेंसी प्लान के वर्तमान स्थिति में जो प्रस्ताव बनकर तैयार हुए हैं, आदरणीय मंत्री महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ अधिकारियों की वजह से राजस्थान की कांग्रेस सरकार की बदनामी होती है। उन लोगों ने ठेकेदारों से सांठ-गांठ करके कमीशन की वजह से कंटिंजेंसी प्लान बनाया है जबकि मैं समझता हूं कि पिछली बार भी बीसलपुर के अन्दर 306 आर. एल. मीटर भराव क्षमता थी, उस समय भी कंटिंजेंसी प्लान की आवश्यकता नहीं थी। फ्लोराइडयुक्त क्षेत्र में तो जहां भी आप हैण्डपम्प खोदोगे हर जगह हमेशा खारा पानी ही निकलेगा। उस पानी को पीने की सार्थकता नहीं है इसलिए पिछली बार भी जब फेमिन के अन्दर 144 करोड़ रुपये नाबार्ड से आपने कर्ज के रूप में लेकर अकाल को पाटने की कोशिश की थी, मैंने निवेदन किया था कि केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बीसलपुर का पानी भरा हुआ है, उसके अन्दर आप कंटिंजेंसी प्लान के नाम पर पेयजल की पाइप लाइन बिछा दें। क्योंकि जहां-जहां से भी पाइप लाइन गुजरी हुई है, हर जगह वाटर लोड लिया हुआ है, केवल पेयजल के लिए पाइप लाइन बिछाना ही शेष है। अगर यह पाइप लाइन बिछ जाती है तो राजस्थान के अन्दर केकड़ी विधान सभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र हो जाएगा जहां सम्पूर्ण रूप से बीसलपुर का पानी पहुंच सकता है। कंटिंजेंसी प्लान के अन्दर, ट्यूबवैल और हैण्डपम्प खोदने की कतई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पुनः समीक्षा करके आप आदेश फरमा कर अधिकारियों के माध्यम से कंटिंजेंसी प्लान इस प्रकार से बनवा दें। मैं समझता हूं कि यह ठीक रहेगा।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय सदस्य बार-बार इस बात को कह रहे हैं कि मेरी करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है। इतना क्यों दब रहे हो? हम बैठे हैं यहां बहुजन समाज के, बहुत अच्छी तरह से बोलिये आप। कोई दिक्कत नहीं है।

श्री सभापति : माननीय दायमा साहब, विराजें।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : सभापति महोदय, आदरणीय मंत्रीजी का सम्मान है और आपका सम्मान है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय सभापति महोदय, यह 295 में दे दिया जाए, उसमें पढ़कर सुना दिया जाए।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : वर्तमान में 40 करोड़ की योजना बनी है सरवाड़ से गुलाबपुरा पहुंचाने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस योजना की भी समीक्षा पुनः करवाई जाए क्योंकि सरवाड़ से नाकोड़ा तक यह योजना पहुंचेगी तो रास्ते में जो गांव पड़ेंगे, कोई गांव का आदमी या उस क्षेत्र का वासी इस लाइन को आगे तक नहीं पहुंचने देगा। जिस गांव से यह लाइन गुजर रही है, कोई आदमी यह नहीं चाहेगा कि मेरे गांव को पानी नहीं मिले और यहां से लाइन गुजर जाए। अभी केवल पाइप लाइन बिछ रही है, जिस दिन पाइप लाइन से पानी की टैस्टिंग चलेगी, मैं समझता हूं कि जगह-जगह से यह पाइप लाइन टूटने का अंदेशा रहेगा, कानून व्यवस्था बिगड़ने का अंदेशा रहेगा। मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस योजना की पुनः समीक्षा करवाई जाए। आपके यहां से, फाइनेंस मिनिस्टर साहब के यहां से वापस इस योजना को स्वीकृत कराएं तो मैं समझता हूं कि इस योजना को बनाना सार्थक सिद्ध होगा।

साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कंटिंजेंसी प्लान में पिछली बार भी हमने करोड़ों रुपये, जहां जहां लीकेज होता है उसको ठीक कराने के लिए लगाये। यदि इस योजना के ऊपर पूरी तरह से पूरी मानिटरिंग, पैट्रोलिंग की जाती है तो मैं समझता हूं कि करोड़ रुपये बच सकते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : 10 मिनट हो गये।

श्री सभापति : एक और बोलेंगे उसके बाद में आपका नम्बर आएगा। (व्यवधान

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आपने व्यवस्थ दे दी, ऐसे कैसे चलेगा? (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया सहयोग कीजिये हाउस कोई व्यवस्था और आर्डर से चलत है और जो निर्देश होते हैं उसी के अनुसा चलेगा। (व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू) : आपने व्यवस्थ दे दी कि पहले दो इधर से और फि एक इधर से। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, नहीं, आपका ट आ रहा है पर एक सदस्य बोलेंगे।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : टर्न क आएगा?

श्री सभापति : आ रहा है इनके बाद

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : कब आए टर्न? घंटे भर बाद? (व्यवधान)

श्री सभापति : एक कैंडीडेट और बोलेंगे

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ये पढ़ र हैं, इस पर 295 लगा देते हैं। (व्यवधा

श्री सभापति : कृपया सहयोग कीजिये (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : केकड़ी तहसी के 17 गांव जो डूब क्षेत्र में आये हैं उनक

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

यदि मुआवजा दे दिया जाए तो मैं समझता हूं कि 308.80 आर. एल. मीटर से बढ़कर 316.5 आर. एल. मीटर पानी भर सकता है। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है कि 17 गांव जो डूब क्षेत्र में हैं उनको जल्दी से जल्दी मुआवजा दे दिया जाए ताकि पानी का सदुपयोग किया जा सके।

प्रायोरिटी के हिसाब से जहां 644 गांव फ्लोराइडयुक्त हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता बनती है अजमेर जिले की। अजमेर जिले के समस्त गांवों, मजरों और ढाणियों के अन्दर बीसलपुर की पाइप लाइन बिछाकर उसके अन्दर प्राथमिकता से पानी दिया जाए और उसके बाद बचे हुए पानी को दूसरे जिले को दिया जाए। पिछली बार प्रभारी मंत्रीजी ने आकर सिंचाई के ऊपर रोक लगायी थी, मैं भी पुनः इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बीसलपुर के पानी को पेयजल के काम में लिया जाए, उसको किसी भी प्रकार से सिंचाई के उपयोग में नहीं लिया जाए क्योंकि आने वाली गर्मी में संकट का समय है। ऐसे वक्त में अजमेर जिले के अन्दर चाहे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम पानी भेजेंगे तो भी 308.80 मीटर पानी कम पड़ेगा। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि इस पानी का उपयोग किसी भी प्रकार की सिंचाई नहीं होनी चाहिए, सिंचाई के लिए पूर्णतया पाबंदी लगनी चाहिए। पिछली बार भी प्रभारी मंत्रीजी के आदेश से पाबंदी लगायी गयी थी और पेजयल के अन्दर ही इसका सदुपयोग किया गया था। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब जितनी जल्दी डूब क्षेत्र के 17 गांवों को मुआवजा दे दिया जाए, उनको विस्थापित कर दिया जाए तो इसका सदुपयोग 316.5 मीटर पानी की भराव क्षमता तक हो सकता है जिससे दो जिले आराम से पानी पी सकते हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि इसके अन्दर जल्दी से जल्दी मुआवजा प्रकरण को निपटा दिया जाए।

साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि 20 जुलाई के दिन मानसून में 24 घंटे जबरदस्त बरसात आयी थी और उस बरसात में केकड़ी विधान सभा का जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था। केकड़ी शहर के अन्दर जितनी भी कच्ची बस्तियां हैं उनमें पानी भर गया था। सड़कें बह गयी थीं, डामर और सीमेंटेड सड़कें बहकर आगे चली गयी थीं। उसके अन्दर जबरदस्त रूप से मकान ढह गये थे और आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ है। उसका भी सर्वे करवाकर_

श्री सभापति : बाबूलालजी, विराजिये आप।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उसके अन्दर

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

हमने एक करोड़ रुपये की मांग की है, उसका सर्वे करवाकर बाढ़ सहायता कोष से एक करोड़ रुपया देने का श्रम करें। पूरे

(16.00 बजे)

केकड़ी अंचल के अन्दर, केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर आकस्मिक बरसात के कारण हर तालाब में गूलर लग गये हैं और उसकी किसी भी प्रकार से सुरक्षा नहीं की गयी क्योंकि वर्तमान समय में सिंचाई विभाग के जितने भी तालाब थे उनको पंचायत समिति को सौंप दिया गया। पंचायत समिति के माध्यम से उनके रख रखाव का किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं था उसके कारण वे सारे तालाब क्षतिग्रस्त हो गये, उससे करीब 4 करोड़ की हानि हुई। इसी के साथ-साथ वहां पर बहुत बड़ा पारा डैम था जिसके टूटने से 10 गांव डूब सकते थे, लेकिन सेना के नौजवानों को आज इस सदन के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने 15 हजार कट्टों के माध्यम से रिंग डैम बनाकर उस पारा डैम को टूटने से बचाया और 10 गांवों को डूबने से बचाया। मेरा आपसे...

श्री सभापति : अब आप विराजिये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा...

श्री सभापति : प्लीज ओवर योअर स्टेटमेंट।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : 4 करोड़ रुपये केकड़ी विधान सभा क्षेत्र को प्राकृतिक आपदा कोष से दिलाये जाएं।

श्री सभापति : माननीय बाबूलालजी, बैठिये। श्री मदन लाल वर्मा।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : सभापति महोदय +++ आप कब मुझे बुलवाएंगे?

श्री सभापति : इनके बाद आपका नम्बर आ रहा है। (व्यवधान) आप शुरू कीजिये। जस्ट इनके बाद आपका नम्बर आ रहा है। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मैं दो लाइन बोलना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सहयोग कीजिये। इनके बाद आपका नम्बर है।

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले मेरा नम्बर है। (व्यवधान) +++

श्री सभापति : +++

मोहम्मद माहिर आजाद : और क्या?

श्री सभापति : और जानबूझकर कुछ नहीं कहा, इनके बाद आपका नम्बर आ रहा है। प्लीज सहयोग कीजिये। कृपया विराजिये। उसके बाद आ रहा है पांच मिनट

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सभापति)

में। आप शुरू कीजिये, वर्मा साहब। (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : पूर्वी राजस्थान के साथ अन्याय हो रहा है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर के साथ अन्याय हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : वर्माजी के बाद आपका नम्बर आ रहा है अभी। आप टाइम कंज्यूम कर रहे हो। पांच मिनट में आ रहा है आपका नम्बर।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा नम्बर पहले ले लीजिये।

श्री सभापति : तो आपको पहले ही ले लेंगे क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : आपकी व्यवस्था थी।

श्री सभापति : नहीं, कोई व्यवस्था नहीं थी। मैंने कहा, इनका ओवर होने के बाद आपका नम्बर आएगा। (व्यवधान) कृपया, माहिर आजादजी, सहयोग कीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप मेरे बाद उनका नम्बर ले लीजिये।

श्री सभापति : हां, उनके बाद आपका नम्बर आ रहा है। बिलकुल, इसके बाद आपका नम्बर आ रहा है। (व्यवधान) आप शुरू कीजिये। (व्यवधान) कृपया सहयोग कीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह पूर्वी राजस्थान के साथ अन्याय कर रहे हैं।

श्री सभापति : कृपया सहयोग कीजिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

श्री सभापति : आप नहीं बोलेंगे बाद में क्या? आप बाद में नहीं बोलना चाहते क्या? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : बोलूंगा क्यों नहीं बोलूंगा? उनके बाद बोल रहे हैं ना। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप शुरू कीजिये। (व्यवधान) कृपया इसके बाद आ रहा है आपका नम्बर।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, मेरे बाद इनका नम्बर ले लीजिये।

श्री सभापति : नहीं, ऐसा नहीं होगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने कहा था।

श्री सभापति : मैंने नहीं कहा। इनके बोलने के बाद आपका नम्बर आ रहा है। अभी बुलवा रहा हूं न आपको। इतनी देर में तो वे अपनी बात ही कह देते। कृपया सहयोग कीजिये। माननीय माहिर आजाद

(श्री सभापति)

जी, उनके बोलने के जस्ट बाद आपका नम्बर आ जाएगा, कृपया बैठ जाइये। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद आ रहा है, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : सभापति महोदय + + + । (व्यवधान)

श्री सभापति : आसन व्यवस्था से चलता है, आपके निर्देश से नहीं चलता है। आसन की कोई व्यवस्था होती है, आप बैठिये और सहयोग कीजिये।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय सभापति महोदय, सदन में क्षेत्रवाद की बात नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री सभापति : नम्बर आ रहा है न आपका। कृपया सहयोग कीजिये।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय सभापति महोदय, सदन में क्षेत्रवाद की बात नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया सहयोग कीजिये। आप शुरू कीजिये।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : पूरे राजस्थान की बात करें, क्षेत्रवाद की बात नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आपको कह दिया, नम्बर आ रहा है फिर भी आप टाइम..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने कहा था कि बाबूलालजी के बाद बोल लेना।

श्री सभापति : नहीं, मैंने नहीं कहा।

मोहम्मद माहिर आजाद : फिर आपने कहा इनके बाद बोल लेना, फिर आप कहेंगे मंत्रीजी के बाद बोल लेना।

श्री सभापति : कौनसे मंत्रीजी? (व्यवधान) माहिर आजादजी, इनके बाद आपका नम्बर आ रहा है। कोई बोलता है तो आप बोलना शुरू कर देते हैं। प्लीज को-आपरेट, आ रहा है आपका नम्बर। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, ईश्वर ने तो पूरे राजस्थान को समान माना है, सब जगह अकाल पड़ गया है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : यहां समान की बात करेंगे। (व्यवधान) सभापति महोदय, पूरा राजस्थान एक समान है, कोई पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान नहीं है।

श्री सभापति : कृपया सहयोग कीजिये।

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, ईश्वर ने तो सब को समान माना है।

श्री सभापति : कृपया विराजिये। (व्यवधान) आपका क्या रह गया, रामस्वरूप जी?

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : सभापति महोदय, मुझे भी बता दिया जाए मेरा कौन-सा नम्बर है। परसों से मुझे निर्देश दिये हुए हैं कि आपको अकाल पर चर्चा होगी उस समय बोलने दिया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैंने परसों स्थगन प्रस्ताव दिया था तब आपने यह आदेश फरमाया था कि आपको परसों मौका दिया जाएगा। तो मेरा कौन सा नम्बर है, कम से कम मुझे यह तो बता दीजिये।

श्री सभापति : कृपया आपके नेता महोदय को पूछ लीजिये, कौन सा नम्बर है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : सभापति महोदय, मुझे परसों निर्देश मिले हैं आसन से। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : + + +

श्री सभापति : आपके बोलने का है, बैठिये आप।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मैं परसों से इंतजार में हूं। मेरे साथ, पूर्वी राजस्थान के साथ हमेशा भेदभाव किया जाता है।

श्री सभापति : वर्मा साहब, आप शुरू कीजिये।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप भरतपुर, धौलपुर, अलवर को राजस्थान में समझते ही नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया सहयोग कीजिये। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : + + +

श्री जगत सिंह दायमा : और यहां पूर्वी राजस्थान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

श्री सभापति : वर्माजी, शुरू कीजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बोलने तक नहीं दिया जा रहा है।

श्री सभापति : दायमा साहब, प्लीज।(व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : एक पैसा नहीं दिया जा रहा है पूर्वी राजस्थान को। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपकी सरकार थी तब भी वहीं पैसा जाता था। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप किसका जवाब दे रहे हो? (व्यवधान) आप सहयोग कीजिये, अभी आपका नम्बर आ रहा है। आप शुरू कीजिये। पारीक साहब, बैठिये। प्लीज डोंट इन्टरवीन। शुरू कीजिये वर्माजी।

श्री मदन लाल वर्मा (डीग) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में लगातार तीन वर्षों से अकाल के कारण जो स्थिति बन गयी है, मैं आज सदन के सामने यह बताना चाहता हूं कि झालावाड़ जिला लगातार तीन

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मदन लाल वर्मा)

वर्षों से अकाल की चपेट में नहीं था और वहां पिछले समय काफी बारिश हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य से इस वर्ष झालावाड़ जिला बारिश से वंचित रहा और लगभग 30 प्रतिशत ही वर्षा वहां पर हुई। भौगोलिक परिस्थिति के कारण झालावाड़ जिले में पठार क्षेत्र ज्यादा आता है और पठार क्षेत्र होने के कारण इतनी वर्षा होने के बावजूद भी वहां पर हमारे पास जल संग्रहण का कोई साधन नहीं है। लगातार घटते जल स्तर के कारण कुओं की जो स्थिति वहां पर बनी उस कारण हैण्डपम्प और कुओं में पानी सूख गया और ऐसी परिस्थिति में वहां के किसानों और पशुधन के सामने जल का भारी संकट सामने आने वाला है।

जब पंचायत समिति-डीग में जीरो लेवल के 13 गांव जल संकट में आने वाले थे, मैं पी.एच.ई.डी. मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पिछले वर्ष सरकार की तरफ से उस क्षेत्र में तीन सौ फीट के हैण्डपम्प देकर हमारी मदद की। लेकिन इस वर्ष अभी अक्टूबर, नवम्बर के हालात में तीन सौ फीट के हैण्डपम्प भी सूखने की स्थिति में पहुंच गये। ऐसी परिस्थिति में अकाल की भयंकर विभीषिका जिस प्रकार की बनने वाली है उससे किसान और उस क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि आशंकित हैं। आने वाला समय क्या होगा यह अलग बात है। पिछले वर्ष राजस्थान सरकार ने जिस मुस्तैदी से, ईमानदारी से और अच्छे ढंग से अकाल का मुकाबला किया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को। वर्तमान परिस्थिति से मुकाबले के लिए भी सरकार ने तैयारी की है और योजनाओं में कटौती करने के बाद सरकार ने पेयजल के लिए, पशुधन को बचाने के लिए हर संभव सहायता करने के लिए तत्पर है। मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में लगभग 70 हजार की आबादी वाला भवानीमंडी शहर है, वहां पर पेयजल का कोई साधन नहीं है। सिर्फ सांगड़िया देह से पानी आता था, आज वह देह भी पूरी सूख चुकी है। एक इण्डस्ट्रियल कस्बा है भवानीमंडी शहर, वह आज पेयजल के संकट से जूझ रहा है। पिछले साल माननीय मंत्री जी ने 25 हैण्डपम्प एक ही दिन में बोरिंग करवाये और पानी पिलाया, परन्तु आज वे हैण्डपम्प भी सूख चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में 70 हजार की आबादी वाला यह शहर और 12 हजार की आबादी वाला सुमेला कस्बा पूरी तरह से पेयजल के लिए तरस रहा है। मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों बड़े कस्बों की हालत देखते हुए एक प्लान हमने सरकार को बनाकर दिया है कि किस तरह हमें पेयजल के

(श्री मदन लाल वर्मा)

सुविधा उपलब्ध कराएं ताकि हम हमारे क्षेत्र के नागरिकों और पशुधन को पानी पिला सकें। इन दोनों कस्बों के अलावा डग विधान सभा क्षेत्र में लगभग 50-60 गांव ज्यादा तकलीफ़ के हैं, उनके लिए भी हमने विशेष योजना बनाकर सरकार के सामने भेजी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं पेयजल मंत्रीजी को कि पिछले साल के कम से कम 60 हैण्ड पम्प बोर किये हुए हमारे क्षेत्र में पड़े हैं, जो साल भर से पाइप व सामान के अभाव में चालू नहीं हुए हैं। उनको अविलम्ब इसी माह में अगर चालू करा दें तो थोड़ी-बहुत राहत मिलेगी। जो दोनों बड़े शहर हैं भवानीमण्डी व चौमेला, उनके पेयजल की स्थायी व्यवस्था के लिए हमने योजना बनाकर विभाग के पास भिजवा दी है, हमें राहत के रूप में या मदद के रूप में जैसे भी हो पेयजल के रूप में वह मदद देने का कष्ट करें जिससे उन शहरों में पेयजल की व्यवस्था हो सके।

माननीय सभापति महोदय, उस क्षेत्र की स्थिति के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी बारिश के बाद उस क्षेत्र से हजार दो हजार मजदूर कोटा व अन्य शहरों में मजदूर के रूप में जाकर काम करते हैं। अकाल की स्थिति है, कम बारिश होने के कारण व पठार क्षेत्र होने के कारण पानी पूरा बहकर निकल जाता है, पानी वहां पर इकट्ठा होता नहीं है। ऐसे समय में वहां का मजदूर, वहां का काश्तकार उस क्षेत्र से अन्यत्र मजदूरी करने के लिए जाने की तैयारी कर रहा है। इसलिए अपने पशुधन को बचाने के लिए हमारे को परेशानी हो सकती है। मैं सरकार से और राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि राहत कार्य में आप वहां के पशुधन को बचाने के लिए घास की भी व्यवस्था करें। हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले वर्ष उस क्षेत्र से गेहूं दूसरे क्षेत्रों को भेजा गया। आज हमारे क्षेत्र का खुद का पशुधन तरस रहा है कि हम अपने पशुधन को क्या खिलाएं। सरकार से राहत मंत्रीजी से और पेयजल मंत्रीजी से मेरा आग्रह है कि जो भी प्रोग्राम, जो भी प्लान हमारे क्षेत्र के अधिकारियों के द्वारा आपके पास बनाकर भेजा गया है, राहत कार्य के लिए हमें मदद करें। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय माहिर आज़ाद जी।

मोहम्मद माहिर आज़ाद (नगर) : माननीय सभापति महोदय, आज यह सदन प्राकृतिक आपदा, अकाल और बाढ़ की स्थिति पर चर्चा कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, पिछले अनेक वर्षों से राजस्थान का दुर्भाग्य रहा कि राजस्थान अकाल की चपेट में रहा। पिछले वर्ष सरकार ने अकाल राहत कार्य देरी से शुरू किये जिसके कारण अभावग्रस्त क्षेत्र के लोगों का और पशुओं का पड़ौसी

(मोहम्मद माहिर आजाद)

राज्यों में पलायन भी हुआ। एक तरफ सरकार की यह कमी रही तो दूसरी तरफ पानी के लिए पाइप समय पर मुहैया नहीं होने के कारण पानी का इंतजाम नहीं कर पाये। जो हैण्ड पम्प स्वीकृत थे वे आज तक भी नहीं हो पाये हैं, जिसके लिए माननीय जलदाय मंत्रीजी ने सदन में खेद भी व्यक्त किया था।

लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात के लिए तो माननीय अकाल राहत मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। कुछ कमियां होती हैं तो कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। भले ही आपके देर से अकाल राहत कार्य खोलने से पशुओं को और लोगों को पलायन करना पड़ा; लेकिन आपने पहली बार तीन लाख ऐसे लोगों को जो काम करने की स्थिति में नहीं थे, जिनकी काम करने की क्षमता नहीं थी, उनको 180 रुपये प्रति महीना घर पर बैठे हुए जीवन-यापन के लिए दिया। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पश्चिमी राजस्थान या राजस्थान का वह हिस्सा जिसमें अकाल पड़ता है, वहां के लोगों की जिस तरीके से कोई गलती नहीं है-प्रकृति का प्रकोप है, उनको हर साल इस संकट से जूझना पड़ता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, दौसा और सवाईमाधोपुर ये छह जिले हैं, इन छह जिलों की जनता ने क्या कमी की है, उनका क्या दोष है जो आप उनके साथ सौतेला बर्ताव करते हैं? आज राजनैतिक दृष्टि से जोधपुर से 6-6 मंत्री हो सकते हैं, राजनैतिक दृष्टि से उदयपुर के अंदर कई कैबिनेट मंत्री हों, कोटा जिले से भी दो-दो कैबिनेट मंत्री हों। राजनैतिक दृष्टि से भी आपने पूर्वी राजस्थान को कमजोर कर रखा है और आर्थिक विकास की दृष्टि से भी पूर्वी राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आज ये सीमावर्ती जिले, भरतपुर की सीमा...(व्यवधान) आप सुन लीजिए, आपके समझ की बाहर की बात है, विश्नोईजी। मैं जो बात कह रहा हूं उसको गंभीरता से लीजिए। हम हमारा दुःख-दर्द, तकलीफ उठाकर हमारे यहां का पैसा आपको देते हैं हमको उससे तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जब हमारे यहां की जनता दुःख में हो और आप हमें तो इस चीज को हम पूर्वी राजस्थान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा था कि भरतपुर की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, धौलपुर की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगती है, अलवर की सीमा दिल्ली और हरियाणा से लग रही है, सवाईमाधोपुर की सीमा भी मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों से

(मोहम्मद माहिर आजाद)

लग रही है, वहां के अपराधी यहां आते हैं और अपराध करके चले जाते हैं। सड़कें खराब होने की वजह से और साधनों के अभाव में हमारे यहां की पुलिस और प्रशासन उनको पकड़ नहीं पाते हैं।

आज पीने के पानी का क्या संकट? आज राजस्थान कैनाल से हम पानी का हिस्सा नहीं मांगते, लेकिन यमुना नदी का पानी भरतपुर, धौलपुर और अलवर को कब तक दे दिया जाएगा? आज पूर्वी राजस्थान के इन जिलों के साथ राजस्थान की सरकार जो सौतेला व्यवहार कर रही है, माननीय सभापति महोदय, मैंने पांच महीने पहले माननीय मुख्यमंत्रीजी को एक पत्र लिखा और उस पत्र की एक कापी इन छह जिलों के माननीय विधायकों, सांसदों, जिला प्रमुखों और जिला कलक्टरों को भेजी थी। माननीय सभापति महोदय, आपकी इजाजत से मैं इस पत्र को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मैंने माननीय मुख्यमंत्रीजी को लिखा था—

"माननीय गहलोत साहब, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर। विषय-पूर्वी राजस्थान के साथ विकास कार्यों में और बाढ़ राहत के कार्यों में न्याय करने बाबत। महोदय, भरतपुर, अलवर धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा भी राजस्थान का हिस्सा हैं, मगर उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं कोटा संभाग व प्रदेश के और दूसरे जिलों के लिहाज से ये काफी पिछड़े हुए हैं। पूर्वी राजस्थान के इन जिलों में ऊपर वर्णित जिलों की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यों पर धन भी कम खर्च किया जाता है। श्रीमन्, जहां एक ओर पूर्वी राजस्थान को छोड़कर बाकी राजस्थान पर पिछले वर्षों में लगभग 18 हजार करोड़ रुपये अकाल राहत के कार्यों पर खर्च किये गये हैं। भरतपुर

(16.17 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

रेंज के जिले जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आदि अन्य दूसरे प्रान्तों से जुड़े हुए हैं, उनकी खस्ताहाल सड़कों के कारण स्थानीय निवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। उनमें या तो सड़कें हैं ही नहीं और हैं भी तो ऐसी अवस्था में हैं कि वे न होने के बराबर हैं।

श्रीमन्, हाल ही में नाबार्ड की आर.आई.डी.एफ. स्कीम से 144 करोड़ रुपये का जो ऋण आपके प्रयासों से प्रदेश के अंदर 5 हजार किलोमीटर सड़कें बनाने, 2 हजार स्कूल खोलने और एक हजार पेयजल स्रोतों हेतु मंजूर हुआ है, मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें पूर्वी राजस्थान को अब तक विकास के क्षेत्र में भेदभाव बरतते आ रहे हैं, भरतपुर रेंज के जिले भरतपुर, धौलपुर,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

अलवर, करौली, सवाईमाधोपुर और दौसा को इनके साथ भी आपसे यही आग्रह है कि आपने मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद इन जिलों की जो उपेक्षा हुई है, आप इनके साथ न्याय करेंगे। आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार संभागवार और जिलेवार विधायकों की बैठकें आयोजित की थीं और क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान हेतु संवाद स्थापित किया था, एक शुरूआत की थी, लेकिन जब भरतपुर रेंज का नम्बर आया उससे पहले ही आपकी ये बैठकें रूक गयीं। कृपया भरतपुर रेंज के जिलों और दौसा के विधायकों की शीघ्र बैठक आयोजित कर पूर्वी राजस्थान के इन जिलों के साथ भी आप विकास के मामले में न्याय करने का कष्ट करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 4-5 महीने हो गये यह पत्र लिखे हुए, लेकिन आज तक पूर्वी राजस्थान के विधायकों की बैठक नहीं बुलायी गयी, न हमसे इस बारे में विचार-विमर्श किया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और वनांचल, जो झारखंड बना है, ये राज्य बनने के बाद राजस्थान इस देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया है। या तो समय रहते चेतिए और पूर्वी राजस्थान के साथ न्याय कीजिए नहीं तो इन छह जिलों की जनता को मजबूर होकर पूर्वी राजस्थान को अलग राज्य बनाने की मांग करनी पड़ेगी। और इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान का विखण्डन नहीं हो तो पूर्वी राजस्थान के लोगों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जो अन्याय किया जा रहा है, या तो इस अन्याय को रोकिये और इस सदन में कोई कंक्रीट घोषणा कीजिये, एक पैकेज दीजिये इन छह जिलों के लिए। अगर आप इन जिलों के साथ अब भी न्याय करने के लिए तैयार नहीं हैं तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय,.. (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : – पूर्वी राजस्थान (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य कभी तो झुंझुनूं में चले जाते हैं, कभी सीकर पहुंचते हैं, कभी भरतपुर पहुंचते हैं, तो आप किस-किस क्षेत्र की पैरवी कर रहे हो, यह तो बताओ आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप जरा सुनिये। मैं अपने क्षेत्र का प्रश्न पूछ रहा हूं। यह मेरी काबिलियत है। आप जाकर देखो, यह मेरी काबिलियत है। आप बैठ जाइये, मैं आसन से और मंत्रीजी से बात कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप पश्चिमी राजस्थान के हो या पूर्वी के हो या उत्तर से हो या दक्षिण से हो?

मोहम्मद माहिर आजाद : अभी आपका हाथ यूं है, आप देने वाले नहीं हो।

श्री राजेन्द्र पारीक : पहले माननीय सदस्य यह सुनिश्चित कर लें कि पश्चिम से हैं, उत्तर से हैं, दक्षिण से हैं, किससे हैं? या बिलकुल यूं हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री जगत सिंह दायमा : ये पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये एक मिनट।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट आप विराजिये। 4.30 बजे मुखबन्द का कार्य सूची के अनुसार समय नियत है...

श्री राजेन्द्र पारीक : बेहतर होगा इनका मुख तो आप अभी बन्द कर दो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। सुनिये, सुनिये। मैं बंद थोड़े ही कर रहा हूं, सुनो तो सही पूरी बात।

श्री जगत सिंह दायमा : पूर्वी राजस्थान की बात आते ही आपके 4.30 बज गये?

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरी बात सुनो तो सही।

मोहम्मद माहिर आजाद : 4.30 बजाओ चाहे 12 बजाओ।

श्री उपाध्यक्ष : आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी रहती है, पूरी बात तो सुनने की कृपा करो।

श्री राजेन्द्र पारीक : बेहतर होगा, उपाध्यक्ष महोदय, इनका मुख तो आप अभी बंद कर दो।

श्री जगत सिंह दायमा : तभी तो अकाल का पैसा खा जाते हो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, + + +

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये। आप दोनों ही बराबर के हो।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, बेहतर होगा इनका मुख तो आप अभी बंद कर दो।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपा करो न थोड़ी।

श्री जगत सिंह दायमा : बोलने तो दो, क्या दिक्कत है।

श्री उपाध्यक्ष : करीब 20 माननीय सदस्य और बोलना चाहते हैं इसलिए आप आसन से सहयोग करें। मेरी इच्छा है कि आप सबको बुलाऊं लेकिन आप बोले ही जाओ, रूको नहीं, यह भी रहेगा। आपको कोई समय सीमा में बंधकर बोलना पड़ेगा। [illegible]

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

की ऐसी विषम स्थिति पर कोई भी माननीय सदस्य बोले बगैर यहां से निराश जाए, यह मैं नहीं चाहता हूं। इसलिए अपने-अपने क्षेत्र की बात कहने का मैं आप सबको अवसर देता हूं, लेकिन समय की जो घंटी बजे, कृपा करके आप उसके दो मिनट बाद विराज जाएं अब आप टाइम बढ़ा दो। आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य तो पश्चिम और पूर्वी राजस्थान की बात कर रहे हैं, यह तो इनकी चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए तो अलग से चर्चा कराए। यहां अकाल पर चर्चा हो रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह आपका जरूरी है क्या हर बात में बोलना?

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटा और बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : चलिये, माहिर आजाद जी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय माहिर आजादजी से निवेदन करना चाहता हूं, यह पूर्वी राजस्थान...

श्री उपाध्यक्ष : और बढ़ा देंगे, जल्दी क्या है? अभी दो घंटे का समय बढ़ाया है। (व्यवधान) समय तो बढ़ाने दो। इतनी तो तसल्ली रखो, ऐसी क्या बात है। सदन की सहमति से सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

दो घंटे का समय बढ़ाया गया। अब आप बोलो।

श्री सी. पी. जोशी : मुखबंद का समय भी बढ़ाया जाए। आसन ने मुखबंद का समय कहां बोला? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : यह तो सदन का समय है।

मुखबन्द के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सी. पी. जोशी : मुखबंद का समय भी 4.30 बजे से आगे बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : हां, मुखबंद का समय 6 बजे तक बढ़ाया गया। और बढ़ा देंगे, अभी जल्दी क्या है? आप ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो?

मांग संख्या-34 पर विचार

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो मात्र इतना निवेदन कर रहा था आपके माध्यम से, पूर्वी राजस्थान तो

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मुख्य राजस्थान है। वह मांग करनी है तो पश्चिमी राजस्थान वाले करेंगे, हम काहे को राजस्थान अलग बनाएंगे?

श्री उपाध्यक्ष : क्या हो गया, आप क्या बोल रहे हो? आप विराजिये न। (व्यवधान) यह कहां इश्यू है। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं, पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान की आत्मा पश्चिमी राजस्थान में बसती है, राजस्थान का इतिहास पश्चिमी राजस्थान में है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, विराजिये। आप सुनना नहीं चाहते। आप नहीं चाहते?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का कण-कण का जो इतिहास है पश्चिमी राजस्थान में है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान) पूर्वी राजस्थान के साथ अन्याय हो रहा है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राजस्थान अब भारत का सबसे बड़ा स्टेट बना है, इतना गौरव मिला है। आप लोग गलत कहते हैं यह बात, अखण्ड राजस्थान है।

श्री उपाध्यक्ष : आप लोग चाहते हैं कि डिबेट आगे बढ़ाऊं? आप विराजें, विराजें।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : दूसरा राजस्थान बनेगा, शांति धारीवालजी को लिया जाएगा पश्चिमी राजस्थान में और इनको लिया जाएगा पूर्वी राजस्थान में। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमारे साथ अन्याय हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप क्या चाहते हैं? आप बैठिये, बैठिये। आपको कौन बांट रहा है? ऐसे कहने से बंट रहा है क्या राजस्थान? (व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू) : अगर हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार रहा तो एक दिन टुकड़े हो जाएंगे, शांति धारीवाल जी को भेजेंगे. पश्चिमी राजस्थान और मदन दिलावर को ले जाएंगे पूर्वी राजस्थान। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यशवंत सिंहजी, विराजिये प्लीज। प्लीज। (व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू) : क्योंकि + + + की जरूरत पूर्वी राजस्थान में है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेहरबानी करके को-आपरेट कीजिये। अगर आप इस

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

डिबेट को चलाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको मजाक में डालकर समय बरबाद मत करो। प्लीज विराजिये आप।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, कोई मिनट नहीं है। आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अभी यशवंत सिंहजी ने मदन दिलावर के लिए + + + कहा है, उसको एक्सपंज कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये न। आप इसमें कांहे को बहस में पड़ रहे हो? बात खतम करो। क्यों समय खराब कर रहे हो?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : नहीं, नहीं, + + + कहा है, इसको एक्सपंच करो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, विराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, यह मेरा खुद का कहना नहीं है, पूर्वी राजस्थान की आम जनता अब यह महसूस करने लग गई है कि हमारे साथ पिछले कई सालों से सौतेला व्यवहार होता आ रहा है। चाहे वह बिजली का सवाल हो, चाहे वह पानी का सवाल हो, चाहे वह सड़कों का सवाल हो, चाहे वह विकास के और दूसरे कार्यों का सवाल हो, किसी भी दृष्टि से देखिये, पक्षपात हुआ है। भरतपुर में डी.आई.जी. रेंज हैडक्वार्टर बना दिया, खूब मांग की कि भरतपुर में संभागीय कार्यालय बनाया जाए। लेकिन भरतपुर में संभागीय कार्यालय नहीं बनाया गया। आप छोटी-छोटी दूसरी जगह यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, हमने मांग की भरतपुर में भी विश्वविद्यालय खोला जाए_

श्री उपाध्यक्ष : अकाल पर बोल रहे हैं या यूनिवर्सिटी पर बोल रहे हैं? क्या मतलब है इसका?

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, अकाल पर ही बोल रहा हूं। आप मेरी बात तो सुनें, मैं अकाल पर ही बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आई एम नोट अलाउइंग। आप सब्जैक्ट पर आइये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के साथ बाढ़ भी आती है। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं_

श्री उपाध्यक्ष : अकाल के साथ यूनिवर्सिटी का कोई संबंध नहीं है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : अब की बार तो भरतपुर चले गये, अब

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

की बार कहां जाओगे? क्या बात कर रहे हो आप?

मोहम्मद माहिर आजाद : आप मेरी बात सुनो।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : आपका कोई ठौर-ठिकाना नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सदस्य, यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह अकाल राहत पर बहस हो रही है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप कभी कांग्रेस में, कभी भाजपा में, कभी जनता दल में (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह पूर्वी राजस्थान में अकाल का सवाल है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य माहिर आजाद साहब।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप बीजेपी, जनता दल, कांग्रेस के बाद अब बसपा में आने वाले हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य माहिर आजाद साहब, विराजिये। विराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : इनकी आवाज को आप दबा नहीं सकते, आप इनकी आवाज दबा नहीं सकते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विषयान्तर मत होइये।

मोहम्मद माहिर आजाद : आज अकाल के प्राकृतिक आपदा का पैसा भी, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि...

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : भरतपुर जिले में, धौलपुर जिले में करौली जिले में जो बाढ़ आई और 1995 की बाढ़ में जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई, आज तक उन सड़कों की मरम्मत तक नहीं की गई है। जो कुओं में नहरों में मिट्टी भरी, आज तक उसको निकाला नहीं गया है। ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, आज हम अकाल के पैसे की बात कह रहे हैं, प्राकृतिक आपदा की बात कर रहे हैं। अकाल भी इसमें आता है, बाढ़ भी इसमें आती है। सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य मुझे शिक्षा दे रहे हैं, कल आप भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर आप लोक दल में थे, आज आप कांग्रेस में हो। आज आप कांग्रेस में हो, आप दूसरों को क्या कहना चाहते हो?

श्री उपाध्यक्ष : अकाल पर बोलो आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : अब की बार तो आपका तुक्का लग गया, तुक्का, अगली बार आप जीत नहीं सकोगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप दायमा जी से कह रहे थे कि मुझे मिनिस्टर नहीं बनाया, मुझे बसपा में ले लो। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : मैं 40,000 से जीतकर आया हूं। उसी कांस्टीट्यूएंसी से आता हूं, उसी क्षेत्र से आता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं आपको बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात करो न, काहे को टाइम खराब कर रहे हो?

श्री जगत सिंह दायमा : मैं आपको बी.एस.पी. में नहीं लूंगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि पूर्वी राजस्थान के इन छह जिलों को छोड़कर, दूसरे राजस्थान पर आप 18,000 करोड़ रुपये लगा चुके, हमें उससे एतराज नहीं हैं लेकिन इन छह जिलों में भी राजस्थान के लोग बसते हैं, राजस्थान के किसान बसते हैं, राजस्थान की जनता रहती है। उपाध्यक्ष महोदय, इन छह जिलों के लोगों का भी राजस्थान के बजट पर, राजस्थान के पैसे पर उतना ही हक है जितना और राजस्थान के दूसरे जिलों का है। एक सीमा होती है, उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी चीज की। आदी के जब्ज करने की, आदमी की सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। आज पूर्वी राजस्थान के लोगों की सीमा और धैर्य समाप्त हो चुका है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय राहत मंत्रीजी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इन छह जिलों को आप राजस्थान का अंग मानते हुए इन जिलों के विकास के लिए स्पेशल पैकेज आज देने की घोषणा करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं साथ में यह भी घोषणा करता हूं कि पूर्वी राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा और अलवर जिलों के साथ अगर आज आपने न्याय नहीं किया तो इन जिलों के विधायक हम यहां वैल में धरना देंगे और आपको मजबूर होकर इन बातों को सुनना पड़ेगा। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुचित्रा आर्य। (व्यवधान) आप तो बोल लिये न?

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी नोहर तहसील के अन्दर 210 गांव हैं, इन 210 गांवों के अन्दर भयंकर अकाल है। पिछले साल तो अकाल में हमने बहुत मुश्किल से निकाल लिया टाइम, लेकिन अब की बार मुश्किल से निकलने वाला समय भी नहीं निकलेगा। कुछ तो पिछली बार जानवर बच गये थे, लेकिन अबकी बार आदमी का बचना भी मुश्किल है। मैं अकाल राहत मंत्रीजी से कहना चाहती हूं कि अगर टाइम रहते हुए आपने अकाल राहत कार्य चालू नहीं किये तो वहां से लोग पलायन करने लग जाएंगे। मेरे क्षे

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

से तो आज भी लोग पलायन कर गये, क्योंकि पीने का पानी भी नहीं है। पिछली बार चारा मिल गया था, अब वह चारा भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अभी से काम चालू करिये, नहीं तो वहां की जनता गांव छोड़ कर जाने को तैयार बैठी है।

दूसरी समस्या पीने के पानी की है। हमारी जो नहरें थीं, नहरों का पानी कम कर दिया गया। बिलकुल ही पानी कम है और कुछ हरियाणा चोरी कर लेता है। उससे वहां पैदा तो क्या होगी, पीने के पानी तक की भी किल्लत हो रही है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप इस बात को ध्यान रखें। मेरे कुछ सुझाव हैं कि पशुओं के लिए सरकार को चारे का प्रबंध टाइम पर कर देना चाहिए, अकाल राहत कार्य जल्दी से जल्दी खोले जाएं जिससे लोग बच सकें। तीसरा, काम के बदले अनाज योजना चालू की जाए जिससे गरीब आदमी भूख के कारण मरे नहीं, जनता को बचाया जा सके। साहवा लिफ्ट कैनाल में जो चैनल तैयार हो गये हैं उनको चालू किया जाए, उससे किसानों को पानी दिलाया जाए जिससे वे अकाल के अंदर चारा उगाकर अपने पशुधन को बचा सकें। लिफ्ट कैनाल में लोगों ने खुद मिट्टी निकाल कर उसकी सफाई की है, उसके अंदर अभी तक लोगों को पानी नहीं दिया गया है चैनल बनने के बावजूद भी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि उस लिफ्ट कैनाल का पानी भी जल्दी से जल्दी लोगों को दिलाया जाए और हमारे जो पीने का पानी नहीं आ रहा है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। पंजाब ने हमारा पानी रोक रखा है, हमारे यहां नहरों में पीने का पानी तक नहीं है। छोर से पीछे से चोरी कर लेते हैं, इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। दोनों परेशानियां हमारे एक साथ हो रही हैं अकाल की और पीने के पानी की, इन सब बातों के ऊपर आप ध्यान दीजिये। हमारे दो सौ के दो सौ गांव अकाल की चपेट के अंदर हैं, यह आपसे निवेदन है कि आप काम जल्दी से जल्दी चालू करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन लाल वर्मा।

मोहम्मद माहिर आजाद : बोल लिये वह तो, साहब पहले ही बोल लिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवंत सिंह।

श्री यशवंत सिंह (रामू) (नदबई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे बोलने का टाइम दिया। जब से माननीय गहलोत साहब की सरकार आई है, बिजली, पानी और अकाल का संकट आता जा रहा है।

श्री रामस्वरूप : पहले नहीं था यह संकट? (व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू) : मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं और मेरी हार्दिक तमन्ना है कि अशोकजी की कुर्सी माननीय शक्तावत साहब संभालें और रामस्वरूपजी आपकी कुर्सी संभालें।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : आज इन पर मेहरबान हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहायता मंत्री) : क्या नाराजगी है मेरे से?

श्री यशवंत सिंह (रामू) : जिससे कि समस्या का थोड़ा-बहुत समाधान हो सके। (व्यवधान) भरतपुर को आपने अकाल रहित घोषित कर दिया।

श्री अमीन खान : अभी कोई घोषित नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि 15 तारीख तक गिरदावरी रिपोर्ट सेन्ट्रल गवर्नमैंट को भेज दी जाएगी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह नहीं कहा था। गलत कोट मत कीजिये, माननीय सदस्य महोदय। गिरदावरी का समय होता है 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। राजस्थान सरकार को रिपोर्ट मंगवाई जाएंगी और उस रिपोर्ट के आधार पर संकलन करके आगे की कार्यवाही की जाएगी, ज्ञापन तैयार किया जाएगा। हमारे पास (व्यवधान) एक मिनट सुन लीजिये।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : चलिये, आपकी बात से सहमत हूं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हमारे पास राजस्थान के 32 जिलों की रिपोर्ट आ गई है, चार-पांच जिलों की कुछ डिटेल्स हमारे पास नहीं आई हैं, क्राप का कितना नुकसान हुआ, और किस चीज का हुआ वहां का...

श्री यशवंत सिंह (रामू) : आपकी बात से राजी हूं मैं। आप कह रहे हैं कि 15 से 31 के बीच में आ जानी चाहिए गिरदावरी रिपोर्ट, आज 2 तारीख हो गई।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उस रिपोर्ट के आधार पर हमारा ज्ञापन तैयार है, एक-दो दिन में और जिन जिलों से नहीं आई है उसको मंगाकर उसमें सम्मिलित कर लेंगे। प्रारंभिक रिपोर्ट जो हमें प्राप्त हुई है, कलक्टर से आपकी जिस गिरदावरी की जो रिपोर्ट आई है उसमें आप अभी कयास कैसे लगा रहे हैं कि आपका जिला आया कि नहीं आया, मैं अपनी बात कहूंगा तब देख लीजिये कि कौन-सा जिला आया और कौन-सा नहीं आया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, जब कभी राजस्थान में अकाल की छाया पड़ी है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य राजेन्द्र सिंहजी, विराजें प्लीज। इसे डिबेट मत बनाए, लैट हिम कन्टीन्यू।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : यह पूर्वी राजस्थान की कब खा रहे हो आप, आप तो देखा करो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलें, आप बोलें।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : हमारे भरतपुर में 20 प्रतिशत जमीन पर बाजरा होता है और 80 प्रतिशत खेत हम सावट रखते हैं जिसमें सरसों, गेहूं और चना बोते हैं। आप 20 प्रतिशत गिरदावरी रिपोर्ट पर कह रहे हैं कि वहां अकाल नहीं है। (व्यवधान) मैं, कलक्टर ने जो रिपोर्ट भेजी है उसके आधार पर कह रहा हूं और जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की, एक भी (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप इनको बोलने दीजिये न, क्यों डिस्टर्ब करते हो? आप समय खराब करते हो।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : बगल का प्रदेश गुजरात आज अपनी गिरदावरी रिपोर्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भेज चुका। मैं तो राजस्थान का दुर्भाग्य कहूंगा कि आज तक गिरदावरी रिपोर्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट को नहीं भेजी, यह सहायता कब लोगे आप? मर जाएंगे तब? आज हालत ऐसी है, माननीय सिंचाई मंत्रीजी भरतपुर गये थे–

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एक जानकारी चाहूंगा मैं मेरा ज्ञानवर्द्धन करने के लिए, गुजरात सरकार ने यह रिपोर्ट किस तारीख को भेजी?

श्री यशवंत सिंह (रामू) : 20 तारीख को, 20 अक्टूबर।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 20 अक्टूबर को। वह एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की रिपोर्ट है, फेमिन के लिए कोई रिपोर्ट नहीं है। यह रिपोर्ट तो हम भी भारत सरकार को, एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भेज चुके हैं। वह रिपोर्ट तो हम भी कृषि विभाग के माध्यम से भारत सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भेज चुके हैं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : हमारी तो जीत इसी में है कि आप हमारे जवाब देते जा रहे हो। हममें इतनी क्षमता है कि आपको खड़ा कर रहे हैं, चाहे कैसे भी खड़ा कर रहे हैं। (व्यवधान) मैं भूतपूर्व मुख्यमंत्री भैरोंसिंहजी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भरतपुर में स्वर्गीय यदुनाथ सिंहजी के सपनों को साकार किया और यमुना का पानी भरतपुर में लेकर आये। लेकिन आज हालत यह है कि गुड़गांव नहर पर सिल्ट जमा हुआ है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जबकि राजस्थान गवर्नमेंट उसके सुधार के लिए, मरम्मत के लिए पैसा देती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 98 में विधान सभा के चुनाव हुए, हम चुनकर आये। उसके

(श्री यशवन्त सिंह (रामू)

तुरन्त बाद माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री भरतपुर गये और उन्होंने घोषणा की कि भरतपुर जिले में पानी की समस्या नहीं आने दी जाएगी, जबकि हालत यह है कि मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में 70 गांव फ्लोराइडयुक्त पानी पी रहे हैं। वहां से प्रस्ताव बनवाकर यहां मंगवा लेते हैं और उनको रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। आज तक एक भी प्रस्ताव भरतपुर का इन्होंने पास किया हो तो बता दें। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय गये और एक नाटकीय तरीके से चम्बल का उद्घाटन करके आ गये। उस बात को कितना टाइम हो गया, उस पर आज तक काम चालू नहीं हुआ। यह भरतपुर के साथ, धौलपुर के साथ नाटकीय तरीका कब तक अपनाएंगे आप? भरतपुर की जनता आपको वोट नहीं देती, भरतपुर में कांग्रेसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है पश्चिमी राजस्थान का प्रभाव ज्यादा हो लेकिन थोड़ा-बहुत महत्व तो हमें भी दीजिये। यह पगड़ी वाला, यह आपके लिए लड़-लड़के, रो-रोके_

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्रजी।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : कांग्रेस की वकालत करता है और आप इनकी तरफ रत्ती मात्र ध्यान नहीं देते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र सिंह जी, आप बोलते हो तो चाहते हो कि कोई डिस्टर्ब न करे।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : भरतपुर को आज से छह साल पहले 80 मेगावाट बिजली दी जाती थी और आज आप दे रहे हैं 33 मेगावाट। नदबई में आ रही है 2 मेगावाट। इस फसल के टाइम पर आप 2 मेगावाट बिजली दोगे तो जनता किसान के बेटे कहने वालों के कपड़े उतरवा लेगी। इसका उदाहरण आपने कल भी देख लिया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी अकाल राहत मंत्री जी से यही मांग है कि भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर और दौसा इनको अकालग्रस्त घोषित किया जाए। जब तक आप खड़े होकर वक्तव्य नहीं देंगे तब तक मैं वैल में से नहीं उठूंगा, यह घोषणा कर रहा हूं।

(श्री यशवंत सिंह (रामू) द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन लाल चौहान। माननीय सदस्य, मंत्रीजी जब जवाब देंगे तब आपको संतोष नहीं हो, तो फिर बैठ जाना। जवाब नहीं दें तब बैठ जाना न आप। माननीय सदस्य, विराजिये प्लीज।

श्री अरुण सिंह (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट लूंगा। मैं अकाल राहत मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि भरतपुर जिले की गिरदावरी रिपोर्ट आयी है या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : अभी जवाब देंगे तब दे देंगे, हो गयी न बात वह तो।

श्री अरुण सिंह : और वह नैगेटिव में है या पाजीटिव में है।

श्री उपाध्यक्ष : वह आ जाएगा जवाब। जब मंत्रीजी बोलेंगे तब जवाब में बोल देंगे। आप विराजिये। मोहन लालजी, आप बोलिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (अकाल राहत मंत्री) : जवाब के वक्त आपको बता दूंगा।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-34 प्राकृतिक आपदा व अकाल राहत पर सदन में चर्चा हो रही है, मैं राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्रीजी, अकाल राहत मंत्रीजी और पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले अकाल में जो अकाल राहत कार्य चलाये, नाडी, तालाब खुदाये, उनका काम भी अच्छा हुआ, मजदूरी भी अच्छी मिली। समय पर भुगतान हुआ और ईमानदारी से काम हुआ। कहीं भी गड़बड़ी अकाल राहत में नहीं हुई है। इसके लिए सार्वजनिक तौर से राजस्थान की जनता ने राजस्थान सरकार की प्रशंसा की है, सराहना की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत में जो भी कार्य करवाये गये हैं वे भी ठोस कार्य करवाये गये हैं। मैं अकाल राहत मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

नागौर जिले में 1470 गांव हैं उनमें से 1457 गांवों में अकाल है। कई गांवों में दस आना से 12 आना खराबा है और कई गांवों में 12 आना से 14 आना खराबा है। कुल मिलाकर नागौर जिले में 1457 गांव अकालग्रस्त हैं। नागौर जिला एक बहुत बड़ा जिला है और पशुपालक अधिकतर नागौर जिले में हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अकाल राहत मंत्रीजी को एक सुझाव देना चाहता हूं और जलदाय मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अबकी बार अकाल राहत के अन्तर्गत सबसे पहले सड़कों के कार्य हाथ में लिये जाएं। ग्रेवल सड़कें बनायी जाएं ताकि अनुसूचित जाति के श्रमिकों को अधिक से अधिक मजदूरी मिल सके। पक्के काम कम हाथ में लिये जाएं। पक्के कामों में मजदूरी मिलती नहीं है, मजदूर मिलते नहीं है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि अधिक से अधिक ग्रेवल सड़कें बनायी जाएं। रास्तों पर जो अतिक्रमण हुआ है वह भी हटेगा। आज का जमाना ऐसा है कि जिन गांवों में सड़कें नहीं हैं, बसें नहीं चलती हैं तो वहां पर संबंध भी नहीं करते हैं। इसलिए सड़क बनाने का कार्य और उसमें भी ग्रेवल सड़कें हाथ में ली जाएं, मेरा यह सुझाव है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में नागौर जिले में सड़कें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। जो भी हां पक्ष की तरफ से हमारे एस.सी. वर्ग का व्यक्ति बोलता है

(श्री जगत सिंह दायमा)

वह हाथ जोड़कर निवेदन जरूर करता है। ऐसी क्या बात है?

श्री रामस्वरूप : ये हाथ पर जीतकर आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपा करें न आप लोग।

श्री मोहन लाल चौहान : नागौर जिले में या राजस्थान में डामर की सड़कें जो काफी पुरानी हैं और बरसात के कारण से टूटी हुई हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, उन सड़कों का अकाल राहत के अन्तर्गत पैच वर्क कराया जाए, उनको सही कराया जाए। कई सड़कें ऐसी भी हैं जिनको नयी डामर सड़क में कन्वर्ट किया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कई प्राइमरी स्कूलें हैं, मिडिल स्कूलें हैं जहां चारों तरफ अतिक्रमण होता है। अकाल राहत के अन्तर्गत उन स्कूलों की चारदीवारी का काम हाथ में लिया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नागौर जिले में अधिकतर ओपन वैल हैं, सार्वजनिक कुए हैं, उनको आपने अकाल राहत के अन्तर्गत पिछली बार गहरा कराया था। वर्षा का अभाव है, जलस्तर नीचे चला गया है, मैं जलदाय मंत्रीजी से और अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत के अन्तर्गत सार्वजनिक कुओं को गहरा कराया जाए ताकि जनता को पानी मिल सके। पानी की गम्भीर समस्या है। बरसात बहुत कम हुई है, जलस्तर भी नीचे चला गया है। मैं अकाल राहत मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि नागौर जिले में ओपन वैल ज्यादा हैं। किसानों के पास जो सिंचाई के कुए हैं उनका भी जलस्तर नीचे चला गया है, कई किसानों के कुए सूख गये हैं। किसानों को अनुदान के रूप में 25-30 हजार रुपये देकर उन कुओं को भी गहरा कराया जाए ताकि किसानों के कुओं में पानी आ सके। जो कुंए सूख रहे हैं उनमें भी पानी आ सके। उससे जनता को भी मदद मिलेगी और किसानों को भी मदद मिलेगी। हरिदेव जोशीजी के टाइम में अकाल राहत के अन्तर्गत कुओं को गहरा करवाया गया था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप पानी की तत्काल राहत पहुंचाना चाहते हैं तो अकाल राहत के अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा नये हैण्डपम्प खुदवाये जाएं ताकि जनता को पानी मिल सके। चूंकि बड़ी स्कीमें मंजूर होने में टाइम लगता है इसलिए मैं अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत के अन्तर्गत अधिक से अधिक हैण्डपम्प खुदवाये जाएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि नागौर जिले

(श्री मोहन लाल चौहान)

में चार सौ से अधिक गांव फ्लोराइडयुक्त हैं। जलदाय मंत्रीजी ने पिछले बजट सत्र में घोषणा की थी कि राजस्थान में नागौर जिले में फ्लोराइडयुक्त गांवों को लिफ्ट परियोजना से पानी पहुंचाने के लिए 14 सौ करोड़ रुपये की स्कीम तैयार की गई है। अगर आपने इस स्कीम को जल्दी मंजूर नहीं कराया तो नागौर जिले में पानी का संकट पैदा हो सकता है। जलदाय मंत्रीजी, आप किसानों के चिन्तक हैं, आप हमारे भी चिन्तक हैं, नागौर जिले के फ्लोराइडयुक्त गांवों में लिफ्ट परियोजना से पानी देने के लिए जल्दी स्वीकृति करायी जाए तो नागौर जिला आपका बहुत-बहुत आभारी रहेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत में एक प्रावधान है अग्निपीड़ितों के लिए गांवों में जो अग्निकांड होते हैं उनमें लोगों के मकान जल जाते हैं, सारी अर्जित की हुई सम्पत्ति स्वाहा हो जाती है। उनको आप बहुत ही कम राशि देते हैं। लाखों रुपये की सम्पत्ति जल जाती है उन लोगों को आप हजार पन्द्रह सौ रुपये एक परिवार को देते हैं। झौपड़ा जल जाता है, या मकान जल जाता है, उनके बर्तन जल जाते हैं, उनके बिस्तर जल जाते हैं और उनके जेवरात भी जल जाते हैं, उनको आप हजार-पन्द्रह सौ से ज्यादा सहायता नहीं देते हैं। मैं अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादातर जो अग्निकांड होते हैं वे अग्निकांड गरीबों के होते हैं और गरीबों के मकान जल जाते हैं। उनको आप द्वारा हजार-पन्द्रह सौ रुपये की जो सहायता दी जाती है वह नहीं के बराबर है। किसी भी गरीब का झौपड़ा जल जाता है उसको चद्दरों की पेटी दी जाए, यह मेरा सुझाव है। अकाल राहत मंत्रीजी से मेरा यही निवेदन है कि नागौर जिले में अकाल राहत कार्य खोले जाएं। उसके लिए मैंने जो सुझाव दिये हैं, आप उन पर गौर करेंगे तो मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हफीज मोहम्मद।

श्री हफीज मोहम्मद (माण्डल) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में राजस्थान में अकाल के बारे में एक तरफ तो हम बहुत गम्भीरता से चर्चा कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसमें भी लोग अपनी राजनीति को घुसाना पसंद कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जब से कांग्रेस सरकार आयी है, पिछले दो वर्षों में जो अकाल के काम सफलतापूर्वक अच्छे तरीके से हमारी सरकार ने आर्थिक संकट के बावजूद चलाये, उनके लिए राजस्थान की जनता हमारी सरकार को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकती। हमें मालूम है कि पिछली जाने वाली सरकार राजस्थान को हर क्षेत्र

(श्री हफीज मोहम्मद)

में कमजोर करके, आर्थिक दृष्टि से दिवालियेपन की स्थिति में छोड़कर गयी थी। यहां तक स्थिति थी कि तनख्वाह चुकाने के लिये भी कांग्रेस सरकार के पास पैसे नहीं थे। लेकिन मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्रीजी और हमारे सभी मंत्रीगणों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जहां इतने आर्थिक संकट के बावजूद सफलता के साथ राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के विद्यालयों और विकास को इन्होंने आगे बढ़ाया, वहीं अकाल से जूझती हुई राजस्थान की पीड़ित जनता को राहत पहुंचाने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी। पिछले साल का मुझे अनुभव है, भीलवाड़ा जिले में बहुत भयंकर अकाल था, हम जब-जब भी मुख्यमंत्रीजी से, अकाल राहत मंत्रीजी से और हमारे जलदाय मंत्रीजी से मिले, मुझे कहते हुए खुशी है कि इन्होंने हमारी जनता की तकलीफ को समझा और तत्काल उसको दूर करने के लिये आदेश दिये। यही कारण है कि राजस्थान के 18 जिलों में जो अकाल था उनमें करीब 18 लाख मजदूरों को काम देकर इन्होंने बहुत बड़ी राहत पहुंचाई। जहां एक तरफ अकाल राहत के काम आम लोगों की राहत के लिये दिये, वहीं मुझे कहते हुए खुशी है कि राजस्थान सरकार ने प्रति गाय 13 रुपये की आर्थिक सहायता देकर और बछड़ों को साढ़े छह रुपये की सहायता देकर हमारे पशुधन को बचाने के लिये भी बहुत बड़ा प्रयत्न किया।

हमारे जो विरोधी पक्ष के भाई हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता इतने बड़े अकाल से पीड़ित है और आपकी सरकार आज दिल्ली में बैठी हुई है, आप राजस्थान की सरकार के बारे में इतनी बातें करते हैं, हमारी कमियां-खामियां निकालने की बातें कहते हैं लेकिन अगर आप अपना प्रभाव हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी पर दें और वे हमको अकाल से बचने के लिये अधिक से अधिक आर्थिक मदद दें तो हमें लगेगा कि आप राजनीति से ऊपर उठकर राजस्थान की पीड़ित जनता के बारे में सोचते हैं। लेकिन जितने भी विपक्ष के मेरे भाई यहां बोले उन्होंने इफ और बट कहकर राजस्थान की सरकार के बारे में कोई न कोई शिकायतें पेश कीं। लेकिन आप इस बात को भूल जाते हैं कि मात्र दो साल पहले राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार आई है, इससे पहले 8 साल तक आपने दो टर्म में राजस्थान की सरकार में काम किया है। अभी मेरे साथी कह रहे थे कि सड़कें टूटी हुई हैं, चार-चार फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं, नहरें सिल्ट हो गई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर यह दोष किसका है? जब आप सरकार में थे अकाल पड़े, आपने अकाल

(श्री हफीज मोहम्मद)

राहत के काम चालू नहीं किये। अकाल राहत के काम आपने चलाये भी तो मैं कह सकता हूं कि आपने इतना भेदभाव, बेइमानी और भ्रष्टाचार आपके राज में किया कि आप अपने कार्यकर्ताओं को बुला-बुला कर मस्टररोल देते थे और यह निर्देश देते थे कि राजस्थान में आपकी पार्टी के लोगों को ही आप काम पर लगाएंगे। आपने गरीब, मजदूर और पिछड़ी जाति के भाइयों की मदद करने के लिये कभी भी नहीं सोचा। लेकिन आज मैं कह सकता हूं.(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप मेरी बात सुनिए। मैं खरी बात कहता हूं, आपको कड़वी लग रही होगी। चूंकि आप उस भ्रष्टाचार में लिप्त थे.(व्यवधान) माननीय सदस्य, आपको अपनी कमजोरी सुनने की हिम्मत रखनी चाहिये। अपनी बातें आपने गलत बोल कर कहीं तब भी सुनीं, अब मेरी सच बात को भी आप सुनिए। इतनी ताकत तो आप में होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कहो, उत्तेजित मत होइये।

श्री हफीज मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार जिस तरह से राजस्थान को घाटे में छोड़कर गई, राजस्थान के विकास को अवरुद्ध कर गई, सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों की दुर्दशा कर गई, मुझे कहते हुए खुशी है और मैं सदन के मार्फत हमारे मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले अकाल में साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये खर्च कर अकाल पीड़ित जनता को आपने राहत पहुंचाई। इस साल साढ़े सात सौ करोड़ रुपया अकाल के माध्यम से खर्च करके आपने न केवल राजस्थान के आदमियों को बल्कि पशुधन को भी बचाया। हम कह सकते हैं कि गांवों में जहां-जहां पीने के पानी की कमी थी, 54 साल की आजादी में पहली बार गांव और ढाणी में हमने टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचा कर गरीब की प्यास बुझाई, जो वह सोच भी नहीं सकता था। आज आप राजस्थान के गांवों में जाइये, कांग्रेस की सरकार को लोग धन्यवाद देते हैं कि पानी नहीं था तो टैंकरों से पानी पहुंचाया। हरियाणा से घास आया, पंजाब से घास आया। हमने काम करने में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनिए।

श्री हफीज मोहम्मद : मुझे कहते हुए खुशी है कि मेरे अपने इलाके में 300 नये और पुराने कुओं को खोदकर गहरा किया गया जिनमें पानी आया और आज लोग इस बात के लिये राज्य सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। हमने हैण्डपम्प, ट्यूबवैल लगाये। आपको जब-जब भी सच बात सुनने को मिलती है आपको तकलीफ होती है। जब आपके विकास की बात आती है, जब

(श्री हफीज मोहम्मद)

सरकार की तरफ से कोई काम होता है तो आप उसमें कोई न कोई मीन-मेख लगाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रताप सिंह जी, सुनने की कोशिश करो। आप बोलते हैं तब भी सुनते हैं न। तकलीफ क्यों हो रही है आपको?

श्री हफीज मोहम्मद : आप यह क्यों नहीं कहते कि सरकार को दिवालिया हम छोड़ कर गये थे? पैसा कहां छोड़ कर गये थे कि हम अकाल पर खर्च करें? आज भारत सरकार भी हमारे साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार कर रही है। दूसरे राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर कितनी सहायता मिल रही है। आज राजस्थान में भयंकर अकाल है, हमारा पशुधन आज भूख से मर रहा है, यह कांग्रेस की नहीं यह तो ऊपर वाले की हमारे पर प्राकृतिक आपदा है। लेकिन इसके बाद भी मैं आप से कह सकता हूं, कभी भी राजस्थान की सरकार और मुख्य मंत्रीजी ने यह नहीं कहा कि पैसा नहीं है इसलिए लोग भूखे मरेंगे, हम क्या करें। पैसा नहीं है, पशु भूखे मरेंगे तो हम क्या करें। बल्कि कहा कि कुछ भी करना पड़े, हम राजस्थान के गरीब आदमी को भूख और प्यास से नहीं मरने देंगे, राजस्थान के पशु को नहीं मरने देंगे। आज इस मौके पर हम आशा लगाये हुए बैठे हैं, राजस्थान की जनता आशा लगा कर बैठी है। पिछले साल के मुकाबले इस साल भयंकर अकाल है। पिछले साल 18 जिलों में अकाल था, इस साल 22 जिलों में अकाल है। लेकिन राजस्थान की जनता जानती है कि कांग्रेस की सरकार है जो अच्छी सरकार चलाना जानती है और इसके अनुभव वाले मुख्य मंत्री और मंत्री राजस्थान की पीड़ित जनता को मदद देने में कोई कोर-कसर नहीं रखेंगे।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस साल भयंकर अकाल है। दो साल के अकाल में किसानों की कमर टूट गई है। उसके पास जो कुछ भी धन या बचत थी वह उसने अपने पशु को खिला दी है। मैं ही नहीं सदन के सभी सम्माननीय सदस्य आपसे यह उम्मीद करते हैं, अपील करते हैं कि आप मेहरबानी कर के अकाल राहत के कामों को जल्दी चलाने की कृपा करें ताकि हम गरीब, मजदूर और बेसहारा लोगों को बचाने में मददगार साबित हो सकें। मुझे सच बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज राजस्थान का पशुधन बहुत संकट में है। लोग पशुओं को छोड़ रहे हैं, उसके पीछे कारण यह है कि आज घास नहीं है, पानी नहीं है।

(श्री हफीज मोहम्मद)

राजस्थान का किसान और मजदूर यह जानता है कि अनाज की कमी पड़ेगी तो दुनिया के किसी भी कोने से अनाज लाकर गरीब का पेट भर सकते हैं, लेकिन घास लाना बहुत कठिन काम है। राजस्थान के पड़ौसी राज्य गुजरात और मध्य प्रदेश जहां से हम जल्दी से घास लाया करते थे, दुर्भाग्य से इस बार वहां भी अकाल है। मंत्री महोदय, अभी से पंजाब और हरियाणा में जहां भी खरीफ की खल और जवार की कड़बी मिलती हो, आप मेहरबानी करके उनसे खरीदने की बात करें क्योंकि रबी की फसल आने में अभी देर है। रबी की फसल के आने से पहले भूसा मिलना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए आप अपनी टोली भेजिए, आप अपने अधिकारियों को भेजिए और देश के जिस राज्य में भी घास उपलब्ध हो वहां से घास खरीदकर राजस्थान के पशुधन को बचाने के लिये घास मंगाने की व्यवस्था कीजिए। हमें पूरा भरोसा है कि आप कभी भी इस मामले में पीछे नहीं रहेंगे।

अगर आपने पिछले साल इतनी बड़ी तादाद में सब्सिडी नहीं दी होती तो आज हमारा पशुधन मर जाता। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने तीन रुपये किलो में घास ली और सवा रुपये किलो में गरीब, किसान और पशुपालक को घास दी। मेरा निवेदन है कि आज के अकाल में और पहले के अकाल में बहुत फर्क है, इसलिए आप बड़े पैमाने पर व्यवस्था कीजिए। मेरे कुछ साथी कह रहे थे कि मेरे यहां अकाल क्यों नहीं पड़ा। मैं कहता हूं आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके यहां अकाल नहीं पड़ा। लेकिन इसमें आप राजनीति क्यों लाना चाहते हैं? अकाल पड़ना नहीं पड़ना यह कांग्रेस और शासन के हाथ में नहीं है। यह तो भगवान के हाथ में है, कुदरत के हाथ में है। अकाल का सीधा सीधा सर्वे वहां की गिरदावरी पर होता है। अगर आप के यहां की गिरदावरी इस बात को साबित करती है कि आपके यहां 50 परसेंट से अधिक खराबा है तो आपका जिला भी अकाल में आ जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा अकाल आप ले लीजिए, आपका सुकाल हमको दे दीजिए। हम तो इसमें और खुश होंगे। हम अकाल नहीं चाहते हैं। अकाल कोई भी नहीं चाहता है लेकिन जब परेशानी होती है,

(17.00 बजे)

भगवान रूठ जाते हैं तो मजबूरी में अकाल में रहना पड़ता है। इसलिये मेरे भाई सभी राजनेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके राजस्थान में आये हुए इस भारी संकट में मिल-बैठकर बिना राजनीतिक भेदभाव, बिना कांग्रेस और सरकार

(श्री हफीज मोहम्मद)

को गाली दिए आप हमारा सहयोग करें। दिल्ली चलना पड़े हमारे साथ चलिये, प्रधानमंत्री जी को कहना पड़े आप हमारे लिये कहिये। हमारे लिये नहीं राजस्थान की जनता के लिए। इसमें कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी का सवाल नहीं है। अगर बी.जे.पी. का भाई मजदूर भूखा करता है, तो हमारा भाई है। पार्टी बाद में हैं, पहले वह राजस्थानी है, हमारा भाई है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप मेहरबानी करके संकीर्ण भावना को छोड़िये। राजस्थान की जनता पर विपदा आती है, राजस्थान की जनता पर तकलीफ आती है तो आप और हम सब पार्टी से ऊपर उठकर राजस्थान की गरीब जनता को बचाने के लिये, हमारे पशुधन को बचाने के लिये मिल-बैठकर काम करें, मुख्य मंत्री जी और सरकार को सहयोग दें। जब-जब भी कोई संकट की बात आती है और कोई परेशानी की बात आती है तो आप समझने की कोशिश नहीं करते, आप धमकियां देते हो कि हम आंदोलन करेंगे, तोड़-फोड़ करेंगे। आखिर आप तोड़-फोड़ किसकी करेंगे ? राजस्थान आपका है, राजस्थान सरकार की प्रोपर्टी आपकी है। क्या आप इन सबको तोड़ने के बाद अपने आपको गौरान्वित अनुभव करेंगे ? इसलिये माननीय सदस्य महानुभावों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान के कल्याण के लिए, लोगों की जिंदगी को मौत से बचाने के लिए, राजस्थान के पशुधन को बचाने के लिए विचार हम कर रहे हैं तो इसमें राजनीतिक और लुकाछिपी की बातें करने की आवश्यकता नहीं है।

मैं माननीय अकाल राहत मंत्री जी से और पेयजल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके लिये यह साल बहुत संकट का है, जिस तरह से धैर्य से आपने दो साल निकाले हैं आशा है उससे ज्यादा एक्टिव रहकर आप हमारी और हमारी जनता की मदद करेंगे। राजस्थान सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं। राजस्थान की जनता आपका साथ देगी, इसी बात को कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कमला बृजलाल।

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : माननीय उपाध्यक्ष। महोदय, आज सदन में अकाल राहत के ऊपर विचार-विमर्श कर रहे हैं। यह जो चर्चा चल रही है यह बहुत महत्त्वपूर्ण चर्चा है अकाल की। पूरे राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ है। दुर्भाग्य है ईश्वर ने हमें साथ नहीं दिया, बरसात बहुत कम हुई है, न के बराबर हुई है। लगातार तीन साल से अकाल चल रहा है, लेकिन इस साल का जो अकाल है वह पिछले सालों से ज्यादा भयंकर अकाल

(श्रीमती कमला बृजलाल)

है। मैं ऐसे क्षेत्र से विधायक हूं जो डांग क्षेत्र है। यहां दो तहसीलें हैं, एक सपोटरा और एक मण्डरायल। सपोटरा में तो फिर भी कुछ सिंचित क्षेत्र हैं, लेकिन अब के बरसात नहीं होने से काली सिंध बांध नहीं भरने से वहां भी पानी बिलकुल नहीं छोड़ा जा रहा है। मैं अकाल राहत मंत्रीजी से गुजारिश करूंगी कि ज्यादा नहीं तो कम से कम एक बार पानी छोड़ने की जरूर कोशिश करें जिससे किसान चना पैदा कर सकें। अगर ऐसा आपने किया तो यह किसानों के लिए सही रहेगा। अब और क्या बोलें, अकाल तो अकाल है।

दूसरी पीने के पानी की परेशानी इतनी ज्यादा है कि कुओं में जल-स्तर बहुत नीचे चला गया। बरसात नहीं होने से लगातार तीन साल अकाल पड़ने से जल स्तर नीचे चला गया और कुएं 60-60, 70-70, 80-80 फीट नीचे पहुंच गए। आज ही हालत यह है तो आने वाले समय में तो पता नहीं क्या होगा। इस समय आप जाकर देखें, महिलाएं चार बजे ही पानी के लिए चार-चार किलोमीटर जाती हैं और हैण्डपम्पों में से आधी-एक बाल्टी बड़ी मुश्किल से निकाल पाती हैं। उसको भी छान-छानकर पीने के लिए काम में लिया जाता है। मैं पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मेरे यहां सपोटरा में दो साल के अंदर पांच ट्यूबवैल सैंक्शन किये हैं। उसमें से तीन बन गये हैं, दो भी बनने बाकी हैं और एक बने नहीं बने बराबर है। महमूदपुर में बोरिंग हुई लेकिन साल भर से उसको बंद करके रखा हुआ है जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। वहां और कोई पीने के पानी का साधन नहीं है।

पूरे डांग क्षेत्र की 60 पंचायतों में से 51 पंचायतें मेरे यहां डांग में हैं। वहां पथरीला इलाका है, पैदावार बहुत कम होती है। बरसात होती है तो पशुधन वहां का मुख्य साधन है। बरसात ही नहीं होगी तो पशु क्या पालेंगे, क्या खिलाएंगे। जो थोड़ी बहुत हल्की-सी बरसात हुई थी उसको भी पश्चिमी राजस्थान की भेड़ों ने बिलकुल खतम कर दिया। चारे की, पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सपोटरा क्षेत्र से चम्बल जा रही है। मेरे ही मण्डरायल क्षेत्र से चम्बल जा रही है और आगे चलकर धौलपुर पहुंचती है। लेकिन धौलपुर और भरतपुर के मंत्री होने के नाते वहां पर चम्बल से लिफ्ट योजना बनाई गई और सपोटरा को बिलकुल छोड़ दिया गया। मंत्री महोदय, पिछली विधान सभा में भी मैंने आपसे गुजारिश की थी, इस बार भी आपसे गुजारिश कर रही हूं, उस चम्बल क्षेत्र के लोग बहते हुए पानी को देखते रहते हैं लेकिन वे प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि इस पानी का कुछ सदुपयोग करें ताकि वहां के लोगों को पानी मिल

(श्रीमती कमला बृजलाल)

सके। पीने के लिये पानी काम आ सके और सिंचाई के लिए भी काम आ सके जिससे पथरीली जमीन में लोग थोड़ा कुछ पैदा कर सकें।

हैण्डपम्प काफी तादाद में बने हैं, हमारी सरकार ने काफी हैण्डपम्प लगाये हैं लेकिन जल स्तर पीछे जाने से उनका पानी सूख गया। हैण्डपम्प के हत्थे हाथ में आ गये और पाइप नीचे रह गये। मंत्री महोदय, डांग में हैण्डपम्प खराब होने के बाद ठीक करने में बड़ी परेशानी होती है। लोग कहते हैं इस इंच का प्राना नहीं है, यह सामान नहीं है हमारे पास, इस सामान को उपलब्ध करवाया जाए। उन्हीं हैण्डपम्पों में पाइप और नीचे डाले जाएं जिससे जो खर्चा हुआ है उसका दुरुपयोग नहीं हो, सदुपयोग हो सके।

इसी के साथ डांग में चारे की सबसे ज्यादा कमी है। वहां का मुख्य धन्धा पशुपालन है, तो चारे की अतिशीघ्र व्यवस्था की जाए। वैसे हमारे मुख्य मंत्रीजी, अकाल राहत मंत्रीजी और पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने पिछले सालों में बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ में अकाल का सामना किया। लेकिन इस साल सबसे ज्यादा अकाल है। मैं विपक्ष में बैठे मेरे भाइयों से गुजारिश करूंगी कि यही राजस्थान है, यही राजस्थान की जनता है जिसने दिल्ली में 16 सांसद बैठाए, उनका फर्ज है कि अपने दिल और दिमाग को विस्तृत करें और राजनीति से बाहर निकलें। पूरे राजस्थान की जनता अकाल से घिरी हुई है, यह बी.जे.पी. और कांग्रेस का मानस छोड़ें। जनता ने 16 बनाए हैं, अगर आप साथ नहीं देंगे तो जनता आगे चलकर आप लोगों से पूछेगी। मैं प्रधानमंत्री से और विपक्ष के नेता महोदय से यह गुजारिश करती हूं कि इसमें राजनीति को न लावें और राजस्थान अकाल में घिरा हुआ है उसमें पूरा-पूरा साथ दें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदा, अकाल और बाढ़ तीनों पर आज चर्चा है। वर्ष 2000-2001 की अनुपूरक अनुदान की मांगों में सबसे बड़ी मांग-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के हैड में 309 करोड़ और कुछ लाख रुपये आप इस सदन से मंजूर करवाना चाहते हैं। उस मंजूरी में कोई दिक्कत नहीं है। आपने राजस्थान सरकार की तरफ से भारत सरकार को मैमोरेण्डम प्रस्तुत किया था, मैं आपका ध्यान उस मैमोरेण्डम की तरफ आकर्षित कर रहा हूं जो आपने गत वर्ष दिया था। उस मैमोरेण्डम में नवम्बर, 99 से लगाकर जून, 2000 तक आपने सर्वप्रथम दो लाख आदमियों को रोजगार देने की बात कही थी। दिसम्बर में तीन लाख जनवरी

(श्री मानिक चन्द सुराना)

में चार लाख, फिर फरवरी में 4 लाख, मार्च में पांच लाख अप्रेल में आठ लाख, मई में दस और जून में 11, मैं माननीय मंत्री का ही ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि फरवरी तक कुछ भी विशेष अकाल के हैड में, रोजगार देने के हैड में नहीं हो पाया था। न नवम्बर में दो लाख लोगों को रोजगार दिया गया, न दिसम्बर में, न जनवरी में, न फरवरी में। फरवरी में कुछ हजार आदमियों को रोजगार दिया होगा सारे राजस्थान में। असल काम शुरू हुआ है आपका मार्च में, मार्च, अप्रेल, मई और जून। माननीय मंत्रीजी, मई के महीने तक बीकानेर जिले में मात्र तीस हजार लोगों को काम था। काफी अनुनय-विनय और प्रतिवेदन आप तक पहुंचाने के बाद में आपने मई के अन्त में चालीस हजार लोगों को काम देना मई के हफ्ते पहले मंजूर किया। सीलिंग तय कर दी। और उसके बाद में आपने घोषणा की कि राजस्थान भर में साढ़े 17 लाख लोगों को काम दिया जाएगा। मई तक 7.88 लाख लोगों को काम दिया गया था। आपने साढ़े 17 लाख कहा तो हमें बहुत खुशी हुई, हमने देखा कि 26 जिलों में अकाल है, शायद 1/26 हिस्सा हमको भी मिलेगा। वह 1/26 हिस्सा तो नहीं मिला पर कुल मिलाकर चालीस से बढ़ाकर 52 हजार लोगों को काम मई में मिला। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार 26 जिलों में अकाल था और इस बार 30 जिलों में है। और आपने अभी घोषणा की है कि दो लाख लोगों को नवम्बर में रोजगार दिया जाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब दो लाख से काम नहीं चलेगा। यह महाकाल है सारा सदन इस बात पर सहमत है कि यह महाकाल है। 56 में अकाल पड़ा। सौ साल पहले पड़ा छप्पनवां, फिर गत वर्ष का 56वां और अब सम्वत् 2057 में भी अकाल है। 30 हजार गांवों में अकाल कह ही चुके हैं। तीस हजार गांवों में अकाल है, तीस जिलों में अकाल है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार को आप कोई भी मैमोरेण्डम दें पर गत वर्ष आपने जो आखिरी घोषणा की थी साढ़े 17 लाख की, उससे इस अकाल में काम नहीं चलेगा, तीस लाख लोगों को काम निश्चित रूप से इस सरकार को देना होगा। पहले दिन नहीं, पहले दिन दस लाख को और फिर हर महीने दो-दो, तीन-तीन लाख बढ़ा कर जब तक आप नहीं देंगे तब तक राजस्थान में अकाल का काम आपने शुरू कर दिया है यह महसूस नहीं होगा। आपने दो लाख लोगों को ही काम दिया और बीकानेर जिले में पांच हजार-सात हजार अलाट किये। हमारे यहां पर सात तहसीलें हैं, सात में एक

(श्री मानिक चन्द सुराना)

खाजूवाला को छोड़ दीजिए, छह तहसीलों में करीब-करीब अकाल है। छह तहसीलों में पांच हजार, छह हजार को बांटेंगे तो हजार-हजार लोग और उसमें भी 150-150 गांव तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस संख्या को आप शुरू से कुछ सही तरीके से देखें।

मैं मुख्य रूप से आपका दूसरा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि आपके इस मैमोरेण्डम में जो भी आपने संख्या दी है दो लाख से ग्यारह लाख की उसका टोटल कम्पोनेंट वेजेज का 51 करोड़ 700 रुपया बनता है और मैटीरियल कम्पोनेंट भी 51 करोड़ 700 रुपया बनता है। आपने 44 रुपये पर डे मिनिमम वेज देने के हिसाब से यह आकलन किया है। बाद में काफी आगे जाकर आपने वह मिनिमम वेज 60 रुपये घोषित किया है। पर, माननीय अकाल राहत मंत्रीजी, इस बात से आप परिचित हैं कि वास्तविक मजदूरी बीकानेर जिले में छह रुपये से लेकर 59 रुपये तक दी गई है। 60 परसेंट अकाल राहत कार्यों में मजदूरी 20 रुपये के नीचे है, आप सारा रिकार्ड मंगाकर देखें। आपने 51 करोड़ रुपये खर्च करने का मानस बनाया, 44 रुपये पर डे के हिसाब से, लेकिन 60 परसेंट लोगों को 20 रुपये के नीचे ही रोजगार पर रख दिया। आपने घोषणा की थी सरकार की तरफ से कि 30 रुपये से कम मजदूरी कोई कलक्टर नहीं देगा, मैं माननीय, आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीख को घोषणा की आपको मालूम है, क्या उस घोषणा का पालन कलक्टरों ने किया? कलेक्टरों ने कह दिया कि भाई घोषणा हो गई, हम तो उससे चलेंगे। माप-तौल करके हमको तो काम कराना है टास्क बेसिस पर। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, फेमिन रिलीफ कैम्पों पर आपको तो जाने का अवसर मिला है खूब, क्या जो सौ आदमी काम करते हैं, कोई टास्क बेसिस पर काम हो सकता है क्या? चार-चार, पांच-पांच का एक ग्रुप बना देते हैं और उस ग्रुप में कोई चार घंटे रहता है, कोई आठ घंटे रहता है, कोई दस घंटे रहता है। किसी तरीके से उसका कोई बंटवारा नहीं होता। सारे गांव को एक ही राशि दी जाती है वही टास्क बेसिस, मौके पर नीचे कोई टास्क बेसिस नहीं है। इसलिए इसकी न्यूनतम राशि 30 रुपये की जो आपने घोषणा की है उसका निश्चित रूप से पालन कराएं। राज्य सरकार ने जो पहले घोषणा की थी उसकी क्रियान्विति कराने की भी मांग मैं आपसे करता हूं कि जिन लोगों को छह रुपये से 20 रुपये दिये गये हैं उनको भी रिकार्ड मंगाकर आपकी घोषणा की तारीख से कम से कम 30 रुपये दिलाने का काम करें।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

माननीय मंत्रीजी, मैंने आज इन अनुपूरक मांगों को बहुत गौर से देखा, इन मांगों में एक हैड है, 'अन्य विशेष राहत कार्य' और उसमें रुपये रखे हैं दो करोड़ 68 लाख। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान की जो बात उठती है यह इसीलिए उठ रही है कि सरकार के काम में पारदर्शिता जितनी आप कहते हैं उतनी नहीं है। जो 726 करोड़ रुपये का खर्चा पिछले साल अकाल में किया है, क्यों न आप जिलेवार ब्यौरा अकाल राहत विभाग की तरफ से प्रकाशित करके माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराएं? पता चले कि 26 जिलों में कितना रुपया आपने कहां खर्च किया। यह बीकानेर का रिकार्ड मेरे पास है कि बीकानेर में आठ करोड़ 26 लाख रुपये कुल खर्च हुआ। मैं सब्जैक्ट टू करेक्शन चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी, क्योंकि यह रिपोर्ट 15 जून तक की मेरे पास है। आप इसको देखें, आपने यदि 700 करोड़ रुपये खर्च किया है। हम बार-बार आपको कहते रहे कि आप रोजगार की संख्या बढ़ाएं, आप जिन गांवों में पानी दे रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ाएं, अकाल में कुओं को गहरा कराने का काम करें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं, माननीय सदस्य, आपको करेक्ट करना चाहता हूं। सी.आर.एफ. में 26 करोड़ 90 लाख रुपये खर्च किये और आर.आई.डी.एफ.-6 में दो करोड़ 56 लाख खर्च किये हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : दो करोड़ 56 लाख किसमें किये हैं, साहब?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आर.आई.डी.एफ.-6 में।

श्री मानिक चन्द सुराना : अच्छा, आर.आई.डी.एफ. में 2 करोड़ 56 लाख खर्च किये हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : और सी.आर.एफ. में हमने खर्च किया, मैंने आपको जैसा अभी निवेदन किया है, 26 करोड़ 90 लाख।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं माननीय मंत्रीजी से इसीलिए कह रहा हूं कि आप इसका पूरा रिकार्ड प्रकाशित करें ताकि इसकी जानकारी हो। यह रिकार्ड, माननीय मंत्रीजी, इसलिए भी आवश्यक है, जहां-जहां सड़कों का कार्य हुआ है उस लिस्ट को आप पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर महोदय को भेजें, यदि कोई लिंकिंग हो सकती है। जहां आपने ग्रेवल का काम करा दिया और वहां कोई ब्लैक रोड बन सकती है, पिचिंग हो सकती है तो निश्चित रूप से उन कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

माननीय मंत्रीजी, एक आइटम इसमें है घर की मरम्मत, पुनर्निर्माण के लिए।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

लूणकरणसर क्षेत्र की चारों तहसीलों—लूणकरणसर, बीकानेर, पूगल और छत्तरगढ़ में 32 हजार मकान इस भयंकर बारिश में गिरे हैं और उन 32 हजार मकानों का सर्वे आपके कलक्टर ने करवाया है। कलक्टर के सर्वे के बाद में 80-90 परसेंट क्षति वाले मकानों को, माननीय मंत्री महोदय, 500 रुपये का अनुदान मिला है, अनुग्रह राशि। अनुग्रह राशि कहिए, कृपा राशि कहिए, 500 रुपये। इन्होंने जहां मान लिया कि आंशिक गिर गये हैं, चार कमरों में से तीन कमरे गिरे, चार कच्चे आसरे थे उसमें तीन गिर गये तो कह दिया कि आंशिक है, 1500 रुपये का हकदार नहीं है, 500 का हकदार है।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : जब हमारे यहां हुआ तो माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब हमारे वहां आये थे, सांचौर के अन्दर, 500 रुपये भी आपने उसमें नहीं दिये थे, पूरा का पूरा मकान गिर गया था।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप बोले नहीं न उस वक्त। आप बोले नहीं होंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : यह बिलकुल गलत कह रहे हैं। कोई मकान ऐसा नहीं था जो गिर गया हो और पैसा नहीं मिला हो। आप जो फर्जी बता रहे थे उसमें पैसा नहीं दे सकते थे।

श्री हीरालाल विश्नोई : आप स्वयं आये थे, 500 रुपये दिये थे। आंकड़ा कहां का फर्जी था, साहब? अब आप फर्जी बता दो। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस समय तूफान में जितना काम हुआ वह कर दिया था। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : और आप बता रहे हैं वह सब सही है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुरानी बातों में नहीं जाना चाहता हूं। मैं किसी पुराने विवाद में नहीं पड़ सकता।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, मैं सदस्य नहीं था उस वक्त। मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं।

माननीय, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि उन गिरे हुए मकानों में 50 परसेंट लोगों को रुपया मिला है। कलक्टर के सर्वे में जहां कच्चे मकान को 1500 मिलना था, कलक्टर ने रिसर्वे करवाया और 14 हजार मकान ऐसे आये हैं कि जो पूरे गिरे हैं और उनको आंशिक का पैसा चुकाया गया है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि ये बड़े पुराने नियम हैं। कच्चे मकान को 1500 और पक्के मकान को 3,500 और कच्चे आंशिक गिरा तो 500 और

ो मानिक चन्द सुराना)

क्का आंशिक गिरे तो एक हजार। माननीय त्रीजी, उन नियमों को मंगाकर फाड़कर फैंक और नये नियम बनाएं। पांच सौ रुपये कच्चे मकान का मलवा भी नहीं उठ किता। आप पांच सौ रुपये देकर उस गरीब ा मजाक क्यों उड़ा रहे हो। मैं निवेदन र रहा हूं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर, बोलने दो नको।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपको कोई रेशानी है कि कच्चे मकान की मैं पैरवी र रहा हूं?

श्री उपाध्यक्ष : आप इधर बोलें।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय मंत्रीजी, यह तीन करोड़ रुपया जो आपने बंटवाया है वहीं बंटा है। मेरे क्षेत्र में बंटा है, तीन करोड़ बंटा है। आपकी जो एड आयी है उसका उपयोग नहीं हुआ है। और भी कहीं हुआ होगा छोटा-मोटा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पन्द्रह हजार मकान अभी बाकी हैं, और मकानों का सर्वे हो चुका है। कलक्टर ने पांच अधिकारी लगाकर सर्वे करवाया है। चाहे ग्राम पंचायत का सरपंच था या मास्टर था या जो भी उनको मिला उप तहसीलदार मिला, नायब तसहीलदार मिला, उनसे सर्वे करवाया है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि जो दूसरों को राहत दी है, वह राहत इनको जो सर्वे करा चुके, यह दो तरीके, दो मापदण्ड मत अख्तियार करिये और जो लोग बच गये हैं उनको भी आप रुपया दिलाइये। इतना ही नहीं, माननीय मंत्रीजी...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं एक ही पाइंट पर बोल रहा हूं गिरे हुए मकानों पर। अभी अकाल है और अकाल में अभी आपने कहा कि हमने तो 40 करोड़ रुपया खर्च किया है। माननीय मंत्रीजी, ये 32 हजार लोग जिनके मकान गिरे हैं, साढ़े आठ हजार लोगों को ग्रामीण विकास ने कहा है कि हम उनको इंदिरा आवास प्रदान करवाएंगे। अभी तक उसका रुपया नहीं मिला। मैं वित्त मंत्रीजी का भी ध्यान आकर्षित करता हूं, माननीय मंत्रीजी, 7 अगस्त तक यह विभाग शायद आपके ही पास था और मैंने आपको एक प्रतिवेदन 5-6 अगस्त को दिया था।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह विभाग मेरे पास तो नहीं है लेकिन जो आंकड़े मेरे पास हैं, मैं बताता हूं। इंदिरा आवास योजना के तहत 2038 लोगों को लाभान्वित किया गया है। इसी तरह से इंदिरा आवास योजना में कच्चे मकानों के लिए 2865 लोगों को लाभान्वित किया गया है। ऋण व अनुदान योजना के तहत 3500 लोगों को किया गया है। इस तरह से कुल 8403 लोगों को लाभन्वित किया गया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं भी वही पत्र पढ़ रहा था, माननीय, जो आपने पढ़ा है। 8403 मकानों में अभी तक वित्त विभाग की तरफ से 2038 मकानों का पैसा गया है और बाकी पैसा अभी तक नहीं गया है। 15 नवम्बर तक यदि इंदिरा आवास का पैसा नीचे नहीं पहुंचता है तो वह पैसा इस वित्तीय वर्ष में उपयोग किया हुआ नहीं माना जाएगा। मैं निवेदन करूंगा कि यह पैसा आप तत्काल भिजवाने का काम करें। जो कच्चा मकान पचास हजार या लाख रुपये की कीमत का गिरा है, सौ साल में एक बार हादसा हुआ है, आप यदि एक मकान के चार हजार रुपये देते हैं तो बारह हजार रुपया भारत सरकार से आएगा और यदि आप पांच हजार रुपया देते हैं तो भारत सरकार से पन्द्रह हजार रुपया आएगा। मेरा निवेदन है कि आपने जहां 8400 लोगों के लिए व्यवस्था की है तो आप बचे हुए 26 हजार लोगों के लिए भी व्यवस्था करें। 26 हजार लोगों के लिए 4000 रुपये देने में मात्र 10-11 करोड़ रुपये खर्च होंगे। भारत सरकार से 33 करोड़ रुपये आपको और मिलेंगे और 44 करोड़ का काम उस पूरे क्षेत्र में हो जाएगा। अन्यथा तीन साल तो खेती खतम हो गयी और बारानी खेती में कुछ होना नहीं। सिंचित क्षेत्र भी बर्बाद हो रहा है। सिंचित क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर के रिकार्ड को देखें मैंने अभी हिसाब लगाया है, 570 क्यूसेक केवल पीने का पानी इंदिरा नहर में जा रहा है लोगों को पीने की आवश्यकता के लिए। मैं यह तथ्य आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि आप अकाल राहत का काम अभी करेंगे. सात-आठ सौ करोड़ का. जितने भी जल-भडारण के काम हम कर सकते हैं, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे पूर्वी राजस्थान हो, चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, जल-भंडारण के कामों को राज्य सरकार के निर्देश से सर्वाधिक प्राथमिकता देने की जरूरत है। आज यदि हम सिर्फ नहरों पर निर्भर रहे अभी माननीय विधायिका कह रही थीं कि सिंचित क्षेत्रों में चम्बल की नदी बह रही है लेकिन उसके किनारे जो लोग बैठे हैं वे प्यासे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल के हैड से जहां इस तरीके से पानी उपलब्ध हो सकता है वहां पीने का पानी निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

अनूपगढ़ शाखा और पूरे बीकानेर जिले की दृष्टि से अर्ज कर रहा हूं, सूरतगढ़ के पास जो 14 डिप्रेशंस हैं इन डिप्रेशंस का पानी चार करोड़ रुपयों से अनूपगढ़ शाखा में डाला जा सकता है। चार करोड़ रुपये मात्र से। अभी आप साढ़े सात-आठ सौ करोड़ रुपया खर्च करेंगे, लेकिन पूरे सिंचित क्षेत्र में जो संकट है उस संकट से उबारा जा सकता है। सिंचित क्षेत्र में यदि राज्य सरकार ने, मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कर रहा हूं, आपने यदि एक महीने की बारियां रखीं तो न तो पीने का पानी उपलब्ध होगा, न चारा पैदा हो सकेगा क्योंकि चारे को 15 दिन से पानी चाहिए। उन बारियों के माध्यम से भी सिंचित क्षेत्र में अकाल की स्थिति पैदा नहीं हो जाए, इसलिए मैंने उनसे मांग की है कि 15 दिन की बारियां बनाने का किसी प्रकार से काम करें। उससे कोई फाइनेंशियल वर्डन सरकार का नहीं बढ़ता है। इसलिए आप कृपा करके इंदिरा आवास की व्यवस्था करके जिन लोगों के मकान पड़ चुके पचास हजार लाख रुपये के, उनको इंदिरा आवास इन अकाल राहत कार्यों और प्राकृतिक आपदाओं, इस ग्रामीण विकास कार्यों से उपलब्ध कराएं।

नागौर जिले से आने वाले मोहनलाल जी ने अग्नि से जो मकान जल रहे हैं, उनके लिए जो बात की है, उन सारे नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। किसी का मकान अग्नि से जल गया है और यदि वाकई उसकी सम्पत्ति समाप्त हो गयी है_

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगत सिंह दायमा।

श्री मानिक चन्द सुराना : तो उनको भी 15 हजार रुपये का अनुदान आपको दिलाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आज विशेष समय दिया है इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बस हो गया धन्यवाद। आप पूरा करिये, अंत में दे देना धन्यवाद।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो पूरा राजस्थान हमारा है और राजस्थान के किसी भी कोने में व्यक्ति प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है उसके बारे में निश्चित रूप से हमें सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, कुछ करना चाहिए। पर उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हर वर्ष जो वार्षिक योजना आप बनाते हैं उस वार्षिक योजना को कांग्रेस के राज में घटाया जा रहा है। अब की बार 600 करोड़ रुपये के लगभग योजना को कम कर दिया। आपके मार्फत सरकार को कहना चाहता हूं कि जो भी इस योजना में कमी होती है उसका असर पूर्वी राजस्थान पर पड़ता है। किसी भी मद में सरकार अपना पैसा पूर्वी राजस्थान के बजाय दूसरी जगह खर्च करती है और पूर्वी राजस्थान की तरफ उनका ध्यान बिलकुल भी नहीं है। जो वार्षिक योजना में से कटता है उसका पूरा का पूरा असर पूर्वी राजस्थान पर होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब आप देख लीजिए, राजस्थान में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं तो अलवर जिले में हैं, भिवाड़ी में हैं। कोटा में भी हैं। परन्तु भिवाड़ी इण्डिया के मैप पर है, औद्योगिक क्षेत्र है। परन्तु आज हालत क्या हो रही है? दो तिहाई औद्योगिक क्षेत्र

(श्री जगत सिंह दायमा)

आज बरबाद हो गया है। वह बरबाद क्यों हुआ? वह बिजली न मिलने के कारण बरबाद हुआ है। (व्यवधान) भारत सरकार की नीति को कोई नहीं जानता, राजस्थान की नीति को जानते हैं। राजस्थान की धरती के ऊपर जब आप किसी फैक्टरी को लगवाते हैं तो गरीब किसान की आप सस्ते में जमीन ले लेते हैं। गरीब किसान की बिजली ले लेते हैं, गरीब किसान की सारी सुविधा ले लेते हैं। उसके बाद में सारा का सारा वह एरिया अगर चौपट हो जाता है तो इसमें किसको दोष देंगे? आप देख लीजिए, बिजली हमारे अलवर जिले में तो आती नहीं। 1998 में 105 मेगावाट बिजली अलवर को मिलती थी...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिजली पर कल बहस हो गयी, आज तो अकाल पर है।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं बात वही कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आज तो अकाल पर है, बिजली की तो कल निपट गये।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं वही बोल रहा हूं। आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। आज अलवर को सिर्फ 58 मेगावाट बिजली मिल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय आप अलवर के लिए सोचते हैं कि अलवर जिले में, भरतपुर जिले में, दौसा जिले में, करौली जिले में और सवाईमाधोपुर जिले में अकाल की स्थिति नहीं है, लेकिन अकाल की स्थिति तो आप पैदा करने जा रहे हैं। हमारे वहां पानी का स्तर आज बहुत नीचे हो गया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज जो पानी का डिस्चार्ज वहां हो रहा है उसको चार्ज करने की क्या योजना है? मैं यह पूछना चाहता हूं सरकार से, ठीक है अलवर भरतपुर, करौली और सवाईमाधोपुर की जलवायु अच्छी है तो जलवायु के कारण यहां थोड़ी बहुत पैदा हो जाती है परन्तु विकास के नाम पर आप पूर्वी राजस्थान को आखिर क्या देना चाहते हैं? अकाल की बात करते हैं, वहां ऐसे अधिकारी बैठा रखे हैं आपने कि वे आपके मुताबिक वहां पर लिख कर देते हैं इतनी गिरदावरी है और उसमें यह-यह अनाज है, यहां ठीक है, यहां ठीक है। हमारे 6 जिले अभी भी इस तरह नहीं आते लेकिन आपके अधिकारी ऐसे हैं कि न होते हुए भी उसमें इन्द्राज कर देते हैं कि यहां पर इतना है, यह है। और सारे राजस्थान का पैसा यहां के अकाल पर खर्च करते हैं।

मुझे खुशी है कि आज माननीय प्रद्युम्न सिंहजी धौलपुर जिले से रिप्रजेंट करते हैं,

श्री जगत सिंह दायमा)

यहां पर आये हुए हैं। मैं माननीय प्रद्युम्न सिंहजी से पूछना चाहता हूं कि क्या हाल है धौलपुर का? कितने दिन हो गये उसको जिला बने हुए? क्या हाल है करौली का? कितने दिन हो गये उसको जिला बने हुए? क्या हाल है दौसा का? कितने दिन हो गये जिला बने हुए? अगर आप मंत्री नहीं होते तो आपके बच्चे आगरा में पढ़ते, धौलपुर में नहीं पढ़ते आपके बच्चे। आज वहां पर सड़कों का हाल देखो। हम सड़कों की बात करते हैं तो सरकार मौन रहती है, हंसती है हमारे पर। धौलपुर में क्या हाल है सड़कों का? मैं भी जाता हूं, क्या बहुत अच्छा हाल है? आज तक आपने क्यों नहीं सोचा कि इस बात को कि कोई विद्युत परियोजना धौलपुर में हो? माननीय भैरोंसिंहजी ने शुरू की थी, क्या हुआ उस परियोजना का? क्या हुआ वहां पर? प्रभावित हो रहा है ताजमहल। ताजमहल प्रभावित हो रहा है और मर रहा है हमारा पूर्वी राजस्थान का आदमी। क्यों आज तक आपने अलवर, भरतपुर, धौलपुर में ऐसी विद्युत योजना नहीं बनायी? कभी ध्यान नहीं आता और फिर कहते हैं कि आप हट कर बात कर रहे हो। इसलिए कह रहा हूं कि मोहन लाल सुखाड़िया थे उन्होंने उदयपुर को झीलों की नगरी बना दिया। सारा राजस्थान का विकास का पैसा उठा कर झीलों की नगरी बना दिया, सारा का सारा उदयपुर में लगा दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ये झीलें कहां से बनीं वहां? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह सारा समस्या का समाधान नहीं होगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इतिहास के तथ्य को गुमराह करने की कोशिश मत करो, वह झील तो पहले से बनी हुई थी। सुखाड़ियाजी थे कि नहीं थे, झील पहले बनी हुई थी।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं जितनी मेरी बुद्धि है और जितना मेरा ज्ञान है उतनी बात करूंगा। (व्यवधान) मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आज यहां पर हैं नहीं...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उदयसागर पहले था, जयसमंद पहले से थे, राजसमंद पहले से था, फतेहसागर पहले था। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : गुलाब सिंहजी, चलो मान लिया झीलों की नगरी पहले से है। लेकिन एग्रीकल्चर स्कोप है वह अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर में है फिर आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर क्यों ले गये?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इसलिए ले गये कि एक नयी टैक्निक की आवश्यता है, छोटे-छोटे होल्डिंग के लोग हैं वे आत्मनिर्भर

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

किस तरह से बन सकते हैं और वहां क्या पैटर्न एडाप्ट किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंहजी, विराजें।

श्री जगमाल सिंह यादव : जो एग्रीकल्चर में सबसे आगे है वहां क्यों नहीं सोचा आपने? यही तो अन्याय है।

श्री उपाध्यक्ष : जगमाल सिंहजी, को-आपरेट कीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय जगत सिंहजी दायमा के मुख्य मंत्री बने बिना समाधान नहीं है और यह तब संभव होगा जब पूर्वी राजस्थान अलग से बनेगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : पारीक साहब, यह बनेगा। झारखंड पर भी लोग ऐसे ही हंसते थे। उत्तरी बिहार जो शेष है वह भूखा मरेगा। यही एक दिन राजस्थान का हाल होना है। यही होगा एक दिन।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : भगवान के नाम पर ऐसी कल्पना मत करो।

श्री जगत सिंह दायमा : खड़े हो जाओ, होगी कि नहीं होगी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कल्पना करने के लिए आप मजबूर कर रहे हो। पूर्वी राजस्थान को पैसा नहीं दे रहे हो, पूर्वी राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हो इसलिए कल्पना करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यह कल्पना इसलिए करनी पड़ रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं समाप्त करूं?

मोहम्मद माहिर आजाद : मजबूरी में उठाता है आदमी यह कदम। आप करा रहे हो यह।

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजादजी, आज क्या चाहते हो? क्यों नहीं बोलने देना चाहते हो उनको? आप बोलना चाहो तो बीच में क्यों बोलते हो? बोल लेना न आप क्यों समय खराब कर रहे हो आप?

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, राहत मंत्रीजी ने इन्टरवीन किय तो उनको रोको।

श्री उपाध्यक्ष : आप इन्टरवीन मत कीजिये प्लीज।

श्री जगमाल सिंह यादव : तो उनके रोको।

श्री उपाध्यक्ष : उनको नहीं, आप रुकिये

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरे व रोकोगे?

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप रुकिये। आ नहीं बोलेंगे तो वे भी नहीं बोलेंगे।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोद आज मैं धन्यवाद देता, परन्तु आज हम बीच में नहीं हैं, माननीय स्वर्गीय हो गये

(श्री जगत सिंह दायमा)

अब हरिदेवजी जोशी नहीं हैं परन्तु उन्होंने ध्यान दिया। ऐसे क्षेत्र पर ध्यान दिया जहां पर बहुत ज्यादा अशिक्षा है, जहां पर एस. टी. के लोग रहते हैं, जहां पर गरीब लोग रहते हैं, जहां पर कोई किसी तरह का विकास नहीं हुआ। उन्होंने ध्यान दिया और ध्यान देकर किसी भी तरीके से वहां पर माही डैम बनवाया। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी 50 साल में काम किये, आज तक उस क्षेत्र के अन्दर अशिक्षा बरकरार है और आज भी वहां भूखे मरने की नौबत है। लिफ्ट योजना वहां बनायी परन्तु पानी खेतों में वहां पर बहता है, सड़कों में वह रहा है। वहां पर अशिक्षा है, रात को वे लोग पानी का ध्यान नहीं देते। ताड़ी पीकर पड़ जाते हैं और पानी पूरा का पूरा खराब पड़ा रहता है। वहां पर माही डैम बनाया, परन्तु जिन जिलों में अच्छी पैदा हो सकती है आज वहां पर कोई डैम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, अलवर जैसा जिला, भरतपुर जैसा जिला (व्यवधान) एक मिनट सुनिये। अलवर जैसे जिले में आप इंडस्ट्री लगा रहे हो, कौनसी इंडस्ट्री ? दारू खींचने की। दारू की फैक्टरी लगा रहे हो आप।

श्री हीरालाल विश्नोई : किसने लगायी ?

श्री उपाध्यक्ष : हीरालालजी, प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : आप लगा रहे हो या किसी ने और ने लगायी ? उपाध्यक्ष महोदय, आज बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य करण सिंहजी साहब ने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि ऐसी अच्छी जमीनें जहां तीन-तीन पैदा एक साल में देती हैं वहां पर आप इंडस्ट्रियल एरिया लगाना चाहते हैं। जिस जमीन पर वहां किसान तीन-तीन पैदा लेता है वहां पर आप दारू की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा अन्याय मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। फैक्ट्री को बंद कराने के लिए 6-6 महीने तक किसान लोग धरना देते हैं और माननीय अशोक गहलोतजी और हमारे विपक्ष के नेता की नींद नहीं खुली। 6-6 महीने तक धरना दिया लोगों ने कि यह फैक्ट्री बंद होनी चाहिए परन्तु ऐसी फैक्ट्री को आप बंद नहीं करेंगे। कितना पानी खींचती है वो ? कितना पानी खराब करती है ? परन्तु ऐसी फैक्ट्री आप पूर्वी राजस्थान में लगा कर हमारे इस क्षेत्र को खराब करना चाहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

दो मिनट और लूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, क्या हुआ यमुना नहर का, क्या हुआ गुड़गांव नहर का ? गुड़गांव नहर से हम सोच रहे थे कि पूर्वी राजस्थान को पानी मिलेगा। अगर अकाल राहत के तहत कोई काम होता तो उसकी छंटाई भी हो जाती परन्तु वहां

(श्री जगत सिंह दायमा)

आज गुड़गांव नहर बेकार पड़ी है। यमुना नहर का पानी अगर आ जाता तो आज भरतपुर में कम से कम यह हालत नहीं होती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि धौलपुर, करौली, दौसा ये जो जिले आपने बनाये हैं, उनकी हालत क्या है? आज भी वहां पर पैदल आदमी तो जा सकता है परन्तु आपने कोई योजना नहीं बनायी कि उनको ठीक तरीके से बसाया जाए। करौली में आप साइकिल लेकर नहीं जा सकते, जगह-जगह गंदगियों का ढेर है। मैं सब-कुछ बात इसलिए कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि अकाल में पूरा पश्चिमी राजस्थान सारा पैसा ले जाता है और विकास के लिए हमारे पूर्वी राजस्थान को कुछ भी नहीं मिलता। उपाध्यक्ष महोदय, विवेकानन्दजी ने कहा था, क्या कहा था? यह कि अगर पहले कोई काम आप करोगे तो लोग हंसेंगे, फिर दूसरी सीढ़ी आएगी तो आपकी आलोचना करेंगे और जब तीसरी सीढ़ी आएगी तो उसको स्वीकार करेंगे। मैं समय रहते सरकार को चेता देना चाहता हूं कि अगर छः जिलों के साथ आपने सौतेला व्यवहार किया तो इस आन्दोलन को हम शुरू करेंगे और आतंकवाद फैलेगा। आप कश्मीर को नहीं रोक पा रहे हैं, आप असम को नहीं रोक पा रहे हैं। यहां पर बेरोजगार भूखा, मर रहा है, इण्डस्ट्रीज बन्द हो गयी हैं, किसान के पास जमीन रही नहीं और जो थोड़ी बहुत रही है उसको आप इण्डस्ट्रीज को देकर खराब करना चाहते हैं। आज वहां का नौजवान आतंकित है। लूट-मार, आतंकवाद वहां पर फैलेगा इसलिए समय रहते कहना चाहता हूं कि आप इसकी तरफ भी ध्यान दें। यह बात कहकर मैं एक बात की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया बस। श्री जयदेव प्रसादजी।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसी का घर जल जाता है तो 500 रुपये देकर कलक्टर राज़ी कर देता है, लेकिन अगर किसी का खलिहान जल जाता है तो? कभी सोचा है आपने? मैं सारे राजस्थान की बात कर रहा हूं इस बारे में तो।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी बात।

श्री जगत सिंह दायमा : एक सवाल और है साहब, महत्त्वपूर्ण सवाल है। राज्य में आये साल अकाल होता है, उसके तहत पिछली बार जो कार्य किये गये थे उनका क्या किया आपने? कितना पैसा आपने अकाल में लगाया? पानी में कितना खर्चा किया। पानी में जो खर्च किया वे सोर्सेज आज चालू हैं या नहीं हैं? आप आयी

(श्री जगत सिंह दायमा)

साल लेते हो, पिछली साल पैसा लगा और उससे पहले पैसा लगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए। (व्यवधान) फिर वे बोलेंगे।

श्री जगत सिंह दायमा : हम अकाल का स्थाई समाधान चाहते हैं। पानी के लिए अलवर में कितनी योजनाएं बनायीं आपने?

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि भरतपुर में पौने दो सौ करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं और अलवर के अन्दर जो योनजाएं मंजूर हुई उनका काम पूरा हो चुका है। पौने दो सौ करोड़ मेरे आने के बाद इस सरकार ने भरतपुर-धौलपुर में खर्च किए हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। (व्यवधान) अब तो मैं अकाल की बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयदेव प्रसादजी। हो गया। (व्यवधान) विराजिए। अकाल हो गया। जयदेव प्रसादजी, आप शुरू करो।

श्री जगत सिंह दायमा : अब तो अकाल की पूछ रहा हूं। आये बार अकाल पर इतना पैसा खर्च होता है, कहां जाता है वह पैसा? आपकी योजनाएं ज्यों की त्यों पड़ी रहती हैं, कब आप ध्यान देंगे? आपके पास में पाइप नहीं है, आप क्या काम करोगे? मेरे क्षेत्र में पांच साल से कोई योजना नहीं है, कोई ट्यूबवैल नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आगे बोलो।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अग्रतः सन्तु, गांवों में सन्तु पृष्ठतः। गांवों में हृदय सन्तु, गवामध्ये विसाम्यहम्।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं समय रहते ध्यान दिलाना चाहता हूं कि या तो आप पूर्वी राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार करना छोड़ दें नहीं तो हम आन्दोलन करेंगे। चाहे हम उत्तर प्रदेश के साथ मिलें, चाहे हरियाणा के साथ मिलें। यह बिगुल बज चुका है। आज आप हंस रहे हैं, कल आप इस बात को स्वीकार करेंगे, अगर समय रहते आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो। धन्यवाद।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के माननीय सदस्यों ने संभावित अभावग्रस्त स्थिति पर अपने विचार प्रकट किये और सरकार को अमूल्य सुझाव दिये। गत अकाल में यह संभावना थी कि हम अकाल की स्थिति को कैसे निपटाएंगे, कैसे पार लगाएंगे, लेकिन मैं अकाल राहत मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप बहुत ही संजीदगी से अकाल राहत कार्यों को अंजाम दिया। अपवाद को छोड़कर सभी जगह।

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

विशेष रूप से मेरे क्षेत्र की चर्चा करना चाहूंगा कि सभी इच्छुक व्यक्तियों को काम पर जाने का अवसर प्रदान किया गया। एक-दो जगह को छोड़कर मजदूरों को अच्छी मजदूरी मिली। इस बार जो संभावित अभाव के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है उससके कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। राज और समाज दोनों मिलकर इस प्रकृति प्रदत्त स्थिति में समन्वित रूप से कार्य करेंगे तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकाल मंत्रीजी को (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपा करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : घबराहट तो इस बात की है कि आप जैसे व्यक्ति असत्य बोलने लग गये। चूरू के अन्दर जिला परिषद् की बैठक में आपने कहा था कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र रतनगढ़ में छह रुपये से लेकर दस रुपये तक मजदूरी का भुगतान हुआ है और अब आप कह रहे हैं कि ठीक स्थिति है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्यों इसको लम्बा कर रहे हैं? आप बोलेंगे न अभी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : साहब, वे सच्चे आदमी थे इसलिए बोला हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब फिर ये जवाब देंगे।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य की यह प्रवृत्ति बन गयी है कि कोई भी वक्ता बोले तो उसमें कोई न कोई व्यवधान उपस्थित करें। और यदि सांयकाल का समय हो...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पंडितजी, सायंकाल के समय तो आपसे भी खतरा है और इनसे भी खतरा है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : और सायंकाल के बाद यदि रात्रिकाल हो जाए तो भगवान ही मालिक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पंडितजी, लगता है कि रात्रिकाल में अपन कई बार मिले हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : विधायक महोदय, कृपा करके मेरे से खाता मत खुलवाओ और जिन-जिन लोगों ने खाता खोला है उसके परिणाम देखो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह चन्दनमलजी से पूछ लो।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मैं आपसे सादर विनम्र निवेदन करता हूं न मालूम क्यों, आपके प्रति मेरा थोड़ा स्नेह है, आप मेरे नजदीकी हो और मेरे शुभ चिन्तक भी हो। आपने जो फरमाया इस विषय में मैं पहले ही कह चुका हूं कि अपवाद को छोड़कर।

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

अपवाद शब्द मैंने लगाया है इसीलिए कि मैं जानता हूं कि आप व्यवधान उपस्थित करोगे। लेकिन यह निर्विवाद सत्य है कि माननीय गुलाब सिंहजी शक्तावत साहब ने मेरे क्षेत्र के इच्छुक मजदूरों को मजदूरी देने का भरसक प्रयत्न किया है, इसलिए मैं इनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

अकाल अभी घोषित नहीं हुआ और होगा भी नहीं। अभावग्रस्त होगा। अभावग्रस्त स्थिति घोषित की जाएगी। अभाव का मतलब है कमी, सम्भावित कमी क्या क्या हो सकती है। चारे की कमी हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है, रोजगार की कमी हो सकती है। ये जो सारी परिस्थितियां सामने आएंगी उसके लिए आप लोगों ने बहुत अमूल्य सुझाव पेश किये हैं।

पानी के विषय में मेरा दक्षिणी भू-भाग खारा है, बिरावणां है। उस क्षेत्र के बारे में जब जब भी जलदाय मंत्रीजी को बहुत सम्मान के साथ में मैंने निवेदन किया है, मुझे यह बात कहते हुए खुशी है कि उस पर उन्होंने बहुत सजगता के साथ सक्रिय कदम उठाया है। इसलिए मेरी दृष्टि में यह साधुवाद के पात्र हैं। यह आप लोगों ने भी देखा है, प्रत्यक्ष है कि आज अभाव की स्थिति पर जब चर्चा हो रही है तो अकाल राहत मंत्रीजी और जलप्रदाय मंत्री जी दोनों आपके सामने उपस्थित हैं। आपकी सारी बातों को सुन रहे हैं और बिना किसी डर और भय के जो आवश्यक बात आप कह रहे हैं उसका समय-समय पर उत्तर भी दे रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं। जो कुछ उनको करना है उसको नोट कर रहे हैं और जो आप कह रहे हैं उसमें कोई गलतफहमी है उसका निवारण भी कर रहे हैं। भ्रान्ति का निवारण कर रहे हैं। तो मैं अकाल राहत मंत्री सम्माननीय गुलाबसिंह जी साहब, आपसे कुछ निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तक क्या किया है ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : अभी तक इनका जवाब दिया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब तक क्या कर रहे थे ?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : निवेदन यह है कि जो कुछ पड़ना था वह तो पड़ गया, अब आप धीरे-धीरे उन कामों को पूरा कीजिए। पिछली अभावग्रस्त स्थिति में अधूरे रह गये थे उन अधूरे कामों को सर्वप्रथम प्राथमिकता दीजिए पूरा करने के लिए तो उसमें आपका बजट भी कम लगेगा अभी आप थोड़ा धीरे चलना, हार्स पावर के हिसाब से मत दौड़ना। आगे आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत विषम परिस्थिति का होगा जब गरमियों के दिन आएंगे। (व्यवधान)

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

आपका काम तो कम हो जाएगा और माननीय रामसिंह जी का काम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन चूरू से पधारने वाले माननीय विधायक जी को कोई समस्या नहीं होगी, आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा। अकाल राहत के सम्बन्ध में मेरी कोई सहायता की जरूरत हो तो मेरी सेवाएं आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : कोई मन्तर वन्तर, जाप-जूप करवाना हो तो।

सदन की कार्यवाही

मुखबंद के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष : मुखबन्द का समय दोनों मंत्रियों के जवाब तक बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या-34 पर विचार

बोलिये, पण्डित जी।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : समय बढ़ाया है। ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आदत है-

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात नहीं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मेरा इतिहास है, आप जानते हैं कि घंटी होने के बाद मैं नहीं बोलता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह घंटी आपके लिए नहीं बजी।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : बस हो गया तो हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम जैन।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा हो रही है। सम्पूर्ण राजस्थान लगातार तीन वर्ष से अकाल की चपेट में है। मेरा विधान सभा क्षेत्र बेगूं भी इससे अछूता नहीं है। विधान सभा क्षेत्र बेगूं गत वर्ष भी भयंकर अकाल की चपेट में था मगर अधिकारियों की अनदेखी की वजह से, गलत जिन्सवारी की वजह से गत वर्ष बेगूं विधान सभा क्षेत्र अकाल में नहीं आया। इस वर्ष सबसे भयंकर स्थिति है। बहुत कम वर्षा हुई, नदियां सूख गयीं, कुओं का जलस्तर इतना नीचे चला गया कि आज ट्यूबवैल 650 फीट नीचे खोदने पर भी पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। एक समय था जब बेगूं विधान सभा क्षेत्र से पूरे राजस्थान को चारा सप्लाई होता था लेकिन विगत वर्षों में वर्षा की कमी एवं मारवाड़ से आयी भेड़ों की वजह से उस क्षेत्र का सम्पूर्ण चारा नष्ट हो गया और पूरा जंगल भी उन्होंने साफ कर दिया। आज स्थिति यह है कि बेगूं विधान सभा क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। मेरा निवेदन है मंत्रीजी से कि गत वर्ष दुबारा जिन्सवारी के बाद भी मेरे क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित

(श्री घनश्याम जैन)

नहीं किया गया, इस वर्ष चूंकि अस्सी से नब्बे प्रतिशत तक फसलें खराब हुई हैं अतः शीघ्र ही अकालग्रस्त घोषित कर वहां अकालराहत कार्य प्रारम्भ करवाये जाएं।

मैं माननीय विश्नोई साहब का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने रावतभाटा की जलप्रदाय योजना के लिए वित्तीय संकट होने के बावजूद भी पैसा दिया है। रावतभाटा में पाइप लाइन डल चुकी है लेकिन ओवर हैड टैंक और फिल्टर प्लांट लगने में बहुत देरी हो रही है। मैंने कई बार निवेदन किया लेकिन लगातार किसी न किसी व्यवधान की वजह से यह कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। बेगूं के लिए आपने एक छोटी-सी योजना स्वीकृत की है, मैं सोचता हूं उसको जल्दी क्रियान्वित किया जा सकेगा। बेगूं विधान सभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां चारों ओर पहाड़ और जंगल ही जंगल है। 462 गांवों में से 125 गांव माडा क्षेत्र में हैं और कुछ गांव ऐसे हैं कि राणा प्रताप सागर के डूब विस्थापित लोग वहां रहते हैं। उन लोगों की स्थिति ऐसी है कि न वहां सड़कों की सुविधा है, न पानी की सुविधा है, न यातायात की सुविधा है और न उनके लिए रोटी-रोजी का ही साधन है। गत वर्ष वित्तीय संकट होने के बावजूद हमारे मुख्य मंत्रीजी, अकाल राहत मंत्रीजी और विश्नोई साहब ने मिलकर सम्पूर्ण राजस्थान में अकाल राहत के कार्य शुरू किये। हमने हमेशा सुना है कि अकाल राहत के कामों में हर जगह गड़बड़ियां हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में अभी अभी जो चर्चा हो रही थी कि कम से कम छह-सात साल तक अकाल पड़ा। चित्तौड़ जिले का इतिहास उठा कर देखें आप, जितनी बेइमानी और फर्जी मस्टररोल इनके समय में भरे हुए हैं आज तक के इतिहास में मैं सोचता हूं ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। गत वर्ष जितने भी कार्य हुए उन पर कई बार इंस्पैक्शन हुए।

(18.00 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

कभी कलक्टर, कभी प्रभारी मंत्री और कभी अधिकारियों ने मिलकर अकाल राहत कार्यों का निरीक्षण किया समय पर। पन्द्रह दिन के बाद बल्कि केवल सात दिन के बाद ही उनको मजदूरी मिली और वह भी पर्याप्त मात्रा में चालीस-पैंतालीस और पचास रुपये के करीब का हर व्यक्ति को चित्तौड़ जिले में रोजगार मिला है।

इस वर्ष भी स्थिति बड़ी भयानक है हालांकि यह बात भी सही है कि वित्तीय संकट है और भारत सरकार का जिस तरह सम्पूर्ण सहयोग पूर्व में भी नहीं रहा, हमें उम्मीद है कि इस बार भी नहीं रहेगा। मेरा निवेदन है इस मौके पर कि अकाल राहत के काम जल्दी शुरू

(श्री घनश्याम जैन)

करवाने पड़ेंगे। मेरा निवेदन है कि जिसमें कम पैसा लगे, कम मजदूरी लगे, जिस तरह से एनीकट हैं, छोटी-छोटी नाडियां हैं जिनके बनने में मजदूरी भी कम लगेगी और पैसा भी कम लगेगा ऐसे कार्यों को जल्दी हाथ में लें। कुछ दिनों के बाद ग्रेवल सड़कें हों ऐसे काम हाथ में लें ताकि लोगों को रोजी-रोटी मिल सके। मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही एनीकट्स और नाडियों के काम हाथ में लिये जाएंगे। हमारे कई बांध ऐसे हैं सिल्ट हो चुके हैं, मेरा निवेदन है अकाल राहत मंत्रीजी से कि ज्यादा से ज्यादा मजदूर उस जगह लगाए ताकि जो मलबा उसमें भर चुका है उसको हम खाली करा सकें। बेगूं विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 50-60 गांवों की स्थिति थी जहां टैंकरों से पानी की सप्लाई होती थी। ऐसे गांवों के लिए मास्टर प्लान बनाकर शीघ्र ही ऐसी व्यवस्था करें ताकि ऐसी नौबत फिर नहीं आवे। मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही इसकी व्यवस्था की जाएगी। मेरे क्षेत्र में जहां-जहां टैंकर्स से पानी सप्लाई हुआ, खातीछेड़ा की बाड़िया, महूरी, भैंरूजीकामाल, बागपुरा, रावरदा, चंदाखेड़ी, तरापीपली, लक्ष्मीपुरा, खेरपुरा, खरीपापुर, बरकुंडी, कलाबरकुंडी खुर्ज, निमूदा, उरतला, पठनोई, जिलोता, मनयाखेड़ी, राजपुरा, जवाहरनगर, आगरा ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी की भयंकर असुविधा है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां हार्ड राक्स हैं वहां हैण्ड पम्प भी सक्सैस नहीं हुए हैं। मेरा निवेदन है कि बड़ी रिंगस को वहां भेज कर शीघ्र हैण्डपम्प की व्यवस्था करावें ताकि लोगों को पानी मिल सके। इसके अलावा जहां ग्रेवल सड़क है वहां गिट्टी सड़क बने, जहां गिट्टी है वहां डामर रोड बने तो मैं समझता हूं कि अकाल राहत के कार्यों में जितना पैसा लगा उसका सदुपयोग हो। भयंकर अकाल है इसलिए मेरा निवेदन है माननीय मुख्य मंत्रीजी से और अकाल राहत मंत्रीजी से कि सहकारिता के लोन की रिकवरी को रोका जाए, लगान माफ किया जाए।

मैं इस मौके पर ऊर्जा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल उन्होंने सूखे कुओं के मिनिमम चार्ज को खतम करके जो छह महीने में पुनः कनेक्शन लेने की बात थी उसको 9 महीने किया। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे चित्तौड़ जिले की तरफ से।

इसके अलावा एक निवेदन विश्नोई साहब से करूंगा कि चम्बल से राणा प्रताप सागर से रामगंज मंडी को पानी दिया जा रहा है। बहुत बड़ी पाइप लाइन के द्वारा राणाप्रताप सागर के रामगंजमंडी को पानी दिया जा रहा है। मैंने बीच में जब प्रश्न पूछा था तो केवल तीन गांवों खातीखेड़ा, एकलिंगपुरा और मनयाखेड़ा को ही उस

(श्री घनश्याम जैन)

लाइन से पानी देने की बात कही थी। मेरा निवेदन है कि राणाप्रताप सागर रावतभाटा में है और कुण्डाल क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां अभूतपर्वू पानी का संकट है, वहां कम से कम 70-80 गांव हैं, उनको पाइप लाइन से अगर हम जोड़ कर पानी देने की व्यवस्था करेंगे तो मैं समझता हूं पूरा कुण्डाल क्षेत्र आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देगा। इस बार भयंकर अकाल की स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं हो कि जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है मेरा वहां के लोग रोजी-रोटी के लिए बार-बार घूमें। मुझे उम्मीद है कि इस बार अच्छी व्यवस्था जल्दी व्यवस्था करके पूरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों को रोजी-रोटी मिले, ऐसी व्यवस्था करेंगे। जयहिन्द, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : सम्माननीय सभापति महोदय, आज प्राकृतिक आपदा के बारे में चर्चा हो रही है, मैं भी इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। डूंगरपुर में लगातार चार साल से अकाल है, जबकि दूसरी जगह दो और तीन साल से है। छप्पनिया जो अकाल था उसमें कहते थे कि लोग छाल और पत्तियां खाकर जिन्दा रहे थे, लेकिन यह साल उसका बाप है। क्योंकि छप्पन में बड़े-बूढ़े बात करते हैं कि कुओं में पानी था, आज पानी नहीं है, इसलिए यह भयंकर है। अकाल के बारे में हमारे विपक्षी साथियों ने बताया कि कांग्रेस का और अकाल का जोड़ा है। लेकिन मेरी मान्यता यह है कि इन्होंने अपने कार्यकाल में पोकरण में जो परीक्षण किया यह उसका परिणाम है। पानी गर्मी से आता है, उड़ता है और समय पर आता है लेकिन उस परीक्षण से जो परिचक्र था वह बिगड़ गया और रेगिस्तान में जहां पानी नहीं गिरता था वहां भी पानी गिर गया तो मेरा मानना यह है कि उसका कारण वही है कि परीक्षण किया है।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अकाल राहत के अन्तर्गत गत साल जो काम किये, बहुत महत्त्वपूर्ण किये हैं। मैं अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि गत साल के अधूरे काम को ही लिया जाए। अधूरे काम को पूर्ण करेंगे तो उस कार्य की उपयोगिता होगी, यह मेरा मानना है।

अकाल राहत के कार्यों के बारे में डूंगरपुर के हिसाब से मैं निवेदन करता हूं कि नवम्बर से ही चालू कराये जाएं, ऐसी स्थिति है। यहां गत साल रिकार्ड काम हुए, मजदूरी ठीक मिली थी और जो भी काम किये वे सारे सराहनीय हैं। अकाल राहत में सड़कें, तालाब, एनीकट, जंगलात के अन्दर एनीकट ऐसे कामों को लिया जाए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। अकाल राहत में

(श्री नाथूराम अहारी)

काम के बदले अनाज की व्यवस्था की जाए। हर पंचायत हैडक्वार्टर पर दो बोरी अनाज रखने का नियम है उसको बदल कर पांच क्विंटल के करीब रखा जाए यह मेरा मानना है इसके अलावा हर परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को मजदूरी दिलवाई जाए और पेमेंट हर 15 दिन में किया जाए जैसे गत साल किया था। इसके अलावा अकाल राहत में हर कुंएं को मंजूर किया जाए। जिन कुओं में पानी है उनको नहीं, ऐसे कुएं लिये जाए कि हैण्ड पम्प खराब हो जाता है तो उन कुओं से जनता और पशुओं को जिन्दा रखा जा सके। मेरी यह भी मांग है कि कुओं में अकाल राहत के मजदूर लगाये जाए पांच से सात तक। इसके साथ कुएं मंजूर करने के लिए गैर खातेदारी और खातेदारी का मापदंड नहीं होना चाहिए। कुएं में भले ही खातेदारी है, उसको मंजूर करके जितना भी पैसा लगे उतना पैसा लगाकर उन कुओं को गहरा करवाया जाए। गांवों में कुए खूब ज्यादा मंजूर किये जाते थे, लेकिन मेरी मान्यता है कि आबादी के अनुसार पांच से सात कुएं मंजूर किये जाए। लिमिट में मंजूर किये जाए और और ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाए, यह मेरी मांग है।

हैण्डपम्प के बारे में जलदाय मंत्री यहां विराजे हुए हैं, जितने पुराने हैण्डपम्प हैं इन सबके पाइप सड़ गये हैं, सारे पाइपों को तुरन्त बदलने की जरूरत है। अगर पैसे का अभाव है तो किसी भी तरह से कहीं से भी लाकर पुराने को देख लिया जाए कब से लगे हैं गत साल पाइप की व्यवस्था नहीं के बराबर थी। गांवों में हैण्डपम्प नहीं है उन गांवों में हैण्डपम्प ज्यादा से ज्यादा लगाए जाए। एम. पी., एम. एल. ए., के पैसे से जो हैण्ड पम्प मंजूर होते हैं उनके टेंडर देकर प्राइवेट से खुदवाये जाए। प्राइवेट हैण्डपम्प 20 हजार में तैयार होता है वही नाप वही गहराई पर और जलदाय विभाग से जो खोदे जाते हैं उसके 35-36 हजार रुपये लिये जाते हैं। मेरी मांग है कि जल्दी से जल्दी इस काम को किया जाए ताकि इस आपदा से निपटा जा सके। एम. पी., एम. एल. ए. को जो पैसा मिलता है वह जून और जुलाई तक स्वीकृत होता है, मेरी यह मांग है कि आप इस पैसे को अप्रेल में ही स्वीकृत करवाएं ताकि अकाल की विपदा को दूर किया जा सके।

अकाल राहत में जितने भी काम हों उन कामों की निगरानी जैसी गत साल हुई थी उसी तरह रखी जाए और लोगों को राजनीति के हिसाब से नहीं लगाया जाए। इन्होंने बांसवाड़ा के बारे में जो बात कही है, मेरा मानना यह है कि मस्टररोल में जो काम कराये हैं वह पैसा तो मिल गया होगा। लेकिन इनका कहना है कि पैसा

(श्री नाथूराम अहारी)

नहीं मिला है तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इस बारे में भी ध्यान देकर काम कराए।

इसके अलावा बड़े शहरों में बांध और तालाबों से जो पानी दिया जाता है, आज तक का अनुभव है कि इससे ग्रामीण जनता को बहुत ही परेशानी आती है और वे तालाब आदि सारे के सारे खाली कर दिये जाते हैं जिससे ग्रामीण एरिया पूरा का पूरा सूख जाता है, जल स्तर नीचे चला जाता है। मैं जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि जितनी भी बड़ी सिटीज हैं उनके लिये कोई अलग योजना बनाकर व्यवस्था की जाए 6, बड़े बांधों से पानी नहीं लिया जाए जिससे कि गांवों में जो परेशानी आती है वह नहीं हो।

घास के बारे में व्यवस्था बिलकुल नहीं है। गत साल तो मध्य प्रदेश, गुजरात और पास के जिलों से मंगाई गयी थी लेकिन इस साल मध्य प्रदेश और वहां भी नहीं मिलनी है। मेरी मांग है कि नजदीक प्रान्तों में जहां भी घास मिल सके वहां से घास की व्यवस्था की जाए और उस घास पर अनुदान दिया जाए। आपने टाइम दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : सभापति महोदय, राजस्थान का यह दुर्भाग्य है कि 53 वर्ष में से 41 वर्ष हमको अकाल पर यहां चर्चा करनी पड़ी। हम हर वर्ष इसी प्रकार से चर्चा करते हैं लेकिन कभी भी यह मन नहीं बनाया कि इस अकाल का स्थायी हल करने के लिये राजस्थान की कोई 10-20 साल की ऐसी योजना बनाए जिससे राजस्थान को इस संकट से मुक्ति मिल सके। हम सब जब आग लगती है तो तुरन्त कुआं खोदते हैं और कुछ दिन तक पानी पीकर अपने आपको शान्त कर लेते हैं। लेकिन समस्या घूमकर वहीं की वहीं आती है। हम जितना प्रयास करते हैं अगले वर्ष प्रयास उतना ही निष्फल हो जाता है। हो सकता है कि कुछ हमको ऐसे काम भी करने पड़े लेकिन पानी हमको कैसे ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो सके, इसके बारे में कोई मास्टर प्लान हम अगर बना सकते हैं तो हमें निश्चित रूप से बनाना चाहिये।

दुर्भाग्य यह है कि हमेशा हमने जल के साथ भी बेइमानी की। हमारी जितनी बस्तियां बसी हैं वे किसी न किसी नदी, नाले के किनारे बसाई हमारे पूर्वजों ने वे इसीलिए बसाई थीं कि हम लोगों को अपने जीवन की आवश्यक सामग्री पानी के रूप में वहां उपलब्ध हो जाए। लेकिन हमने उन सब नदियों पर अपने स्वार्थ के लिये

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बांध बांधकर नीचे वालों को भूखों मारने का काम कर दिया। एक जगह तो बहुत तर हो गयी लेकिन उसके नीचे का सारा का सारा पानी का बैल्ट हमने समाप्त कर दिया। मेरी यह मान्यता है कि आप इस राजस्थान को पानी के संकट से बचाने के लिये बड़ी योजनाएं बंद करिये और छोटी योजनाएं बनाकर पानी को रोकने का प्रयास करिये। उसमें भी चाहे जहां एनीकट मत लगाए। जितने भी नदी-नाले हैं जिनमें थोड़ा बहुत भी पानी बहता है उन नदी-नालों को एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा इस तरह बैल्ट में बांधे कि आपको केवल एक बांध लगाने में उसके दोनों किनारे मिल जाएंगे और थोड़ा-सा पानी रोकने का बन जाए। अगर हर नाले में हम 10-10, 20-20 किलोमीटर पर 10 एनीकट भी लगा दें तो निश्चित रूप से पानी की भराव क्षमता के कारण से हमारे कुएं चार्ज हो जाएंगे। लेकिन हम एक ही डैम 50 करोड़ का बनाने के लिए 20 साल तक उसके पीछे लग जाते हैं। वहां तो केवल उतना ही बनाएं। समुद्र में जितना पानी जाता हो, अगर उसको रोकने में हम समर्थ नहीं हैं वहां उस पानी को रोका जाए तो कुछ समझ में आ सकता है। लेकिन हमने पानी के साथ सबसे ज्यादा बेईमानी की और आज भी हमारा मन नहीं है राजनीतिक दृष्टि से। आप ट्यूबवैल खोदने पर किसी न किसी प्रकार का कोई कानून बनायें। मर्जी आए जहां खोदकर एक को भूखे मारकर दूसरे को पिलाना, दूसरा भूखा मरता है फिर तीसरे को पिलाना, सारा किसान कर्ज से बर्बाद हो रहा है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो किसान को एक दिन जहर खाना पड़ेगा। उसने एक लाख रुपया लिया और ट्यूबवैल लगाया, उसके पड़ौसी ने एक ट्यूबवैल और लगा दिया, उसके कारण से उसका पानी उसमें गया और वह बरबाद होकर खड़ा हो गया। वह जितना भी पैसा लेकर आया उसका कोई चुकारा नहीं हुआ।

दूसरा, हम लोगों ने कोशिश की है कि सबके घर में हैण्डपम्प, टूटियां लगनी चाहिये। हमने सारी जमीन को छेद डाला। हमने इस बात को नहीं सोचा कि पहले गांव में ऊपर एक बावड़ी से, एक कुएं से गांव के लोग पानी पी सकते थे तो क्या हम किसी एक सोर्स के आधार पर उस बस्ती को पानी नहीं पिला सकते। एक-एक गांव में 15-15, 20-20 हैण्डपम्प अगर हम हैण्डपम्पों की सूची निकालें तो वह लगभग 75 हजार से ऊपर जाएगी। एक लाख हैण्डपम्प हमने खोद दिये हैं। लेकिन एक लाख हैण्डपम्प खोदने के बाद भी हमेशा शिकायत करते रहते हैं। मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि कृपा करके अबकी बार इन हैण्डपम्पों

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

को तो आप रोकिये। एक गांव में एक सोर्स। अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा सोर्स नहीं है तो एक ट्यूबवैल लगाकर कनेक्शन देकर आप वहां कोई छोटी-मोटी टंकी बना दीजिये ताकि कम से कम वह परमानेंट हो जाए। दस कदम चलेंगे गांव में तो कोई बहुत तकलीफ हो जाएगी? 100 कदम से पानी लेकर आ जाएगा। तो कोई आसमान नहीं टपकेगा। लेकिन हम हरेक को घर के बाहर ही पानी पिलाने का मानस बनाकर पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और उसके कारण से किसान बरबाद हो गया है। जिस किसान के मां-बाप ने वर्षों तक कुएं से खेती की और अपनी तीन-तीन पीढ़ियां निकाल दीं और जो जागीरदार कहलाता था, आज उसकी स्थिति यह है कि आपके इन हैण्डपम्पों ने और ट्यूबवैलों ने उसको कम से कम उदयपुर डिवीज़न में तो बरबाद कर दिया। पहले के जितने भी ओपन वैल थे उनको जाकर देखें तो सबमें खाखला भरा है। उस तरह से आज हमारे सारे के सारे कुएं और बावड़ी हैं। हमने प्रकृति के सारे सिस्टम को बिगाड़ने का काम किया उसके कारण से हम सबसे ज्यादा संकट में फंस गये। इसलिए आप निश्चित रूप से योजना को इस रूप में बनाए कि पानी को किसी प्रकार से रोकने का काम हो।

एक बात आप बार-बार यहां कहते हैं, पिछले साल भी आपने राग अलापा कि केन्द्र मदद नहीं करता है, केन्द्र मदद नहीं करता है। मेरी समझ में नहीं आता, हम कभी सच बोलेंगे भी? हम सब लोग अपनी-अपनी राजनीति की गणित से गुणा-भाग लगा-लगाकर वातावरण को इतना जहरीला बना देते हैं कि हम जिनसे मदद लेना चाहते हैं उनके ऊपर पत्थर फेंका करते हैं। कभी किसी तर्क के आधार पर तो बात करें। अगर हमें कोई आवश्यकता है तो हम उस हिसाब से बात करें। मैं आपको आंकड़ों से बताता हूं कि वास्तव में हमको क्या तो मिलना था और क्या नहीं मिला, क्या चीज हमने कर दी। मैं आपको बताता हूं कि 1995 से लेकर 2000 तक आपदा कोष के तहत 1995 में 126 करोड़ रुपये तो केन्द्र से मिलने थे और 42 करोड़ राज्य सरकार को मिलाने थे। दोनों मिलाकर 168 करोड़ उसके बाद 1996-97 में 134 और 44 कुल 178 करोड़, 1997-98 में 141 और 47 कुल 181 करोड़, 1998-99 में 148 और 49 कुल 198 करोड़ और उसके बाद 155 और 51 कुल 207 करोड़ केन्द्र का और हमारा मिलाकर यह जो शेयर बनता है यह 942 करोड़ रुपये बनता है। 942 करोड़ रुपये आपको मिले। जो आपको अपना शेयर मिलाना था उसको तो आप गिनते नहीं हैं और उसके कारण से आप उसकी गिनती लगाते हैं। उसके बाद 102 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिये एडवांस में, 20 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री सहायता कोष से दिये।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सारे मिलाकर 1064 करोड़ रुपये इस पेटे प्राप्त हुए। अब आपने खर्चा कितना किया? पहली साल 1995-96 में 45, इसके बाद 203, फिर उसके बाद 5 करोड़, उसके बाद 187 करोड़ और अबकी बार आपने 565 करोड़ रुपए खर्च किए। यह सारा जोड़े तो 1007 करोड़ रुपयें खर्च हुए। इस जोड़ के आधार पर आपके पास 56 करोड़ रुपये इस फण्ड के तहत आज भी बकाया हैं। फिर हम बेकार की बातें करके क्यों जहरीला वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं? यह तर्क-वितर्क तो हम जिन्दगी भर करते रहेंगे, पर किसी सच्चाई के आधार पर समस्या का हल करने के लिए भी हमारा कुछ उत्तरदायित्व है या नहीं? हम आपको गाली दें, आप हमको गाली देकर हमारा समय बर्बाद करें और जनता को उसमें कुछ मिल नहीं पाता है। कभी उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं कि हम समस्या का क्या समाधान चाहते हैं।

आपके अकाल राहत कार्य चलेंगे, अकाल राहत कार्यों में निश्चित रूप से एक परिवार से एक व्यक्ति जिसको रोजी-रोटी के लिए मजदूरी चाहिए, उसको आपको देनी पड़ेगी। अबकी बार का अकाल 30,500 गांवों में है, लगातार तीसरे साल का अकाल है और तीसरे साल के लगातार अकाल में उसके पास खाने को एक दाना नहीं है। विशेषकर उदयपुर डिवीजन के बारे में जो कुछ भी मैं जानता हूं उसके बारे में कह रहा हूं कि खाने का दाना नहीं है उसके घर में। अगर आप जाएंगे दो महीने बाद तो पांच किलो आटा और पांच किलो राशन नहीं मिलेगा घर में। अगर उसको आपने काम नहीं दिया तो वह ऐसे ही नहीं मरेगा, आपको लूटेगा, रास्ते पर मारेगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि उसको जेल में ठूंसने का इंतजाम करना है तो आपकी मर्जी, बाकी ऐसा नहीं हो सकता कि वह गरीब आदमी शाम को घर जाए और उसके बेटे भूखे सोये रहे, रोयें और उसके कारण से उसकी आत्मा में आग नहीं लगे। ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको निश्चित रूप से हर परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार निश्चित रूप से देना पड़ेगा। इसमें किसी की जाति-बिरादरी नहीं आती है, किसी की पार्टी नहीं आती है। यह लोकतंत्र है, कभी आप जीतेंगे तो कभी हम जीतेंगे। परमानेंट ठेका किसी का नहीं है, किसी की बपौती नहीं है। लेकिन उस गरीब आदमी को जिसको रोटी चाहिए उसको आपको रोटी देनी ही पड़ेगी। यह आपका हमारा सबका धर्म है, अगर हमने उसका पालन नहीं किया तो हम उसके साथ कोई न्याय नहीं करेंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन बातों पर गहराई से सोचें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अबकी बार जैसी चारे की व्यवस्था आपने की है, जिस प्रकार से चारा डिपो की आवश्यकता थी उसके हिसाब से चारा डिपो आपने नहीं खोले। खोल भी दिए तो वहां तीन साढ़े तीन रुपए में चारा मिले तो क्या कोई गरीब आदमी अपने जानवर को साढ़े तीन रुपए का चारा खिला सकेगा? मेरे उस क्षेत्र में शायद 20 प्रतिशत लोग ऐसे होंगे जो साढ़े तीन रुपए किलो का भूसा खरीदकर अपने जानवर को खिलाएंगे। वह खिला ही नहीं सकता। उसकी जेब सारी टटोल कर निकालें तो पांच सौ रुपए नहीं मिलेंगे उसके घर में पूरे, वह कहां से अपने जानवरों को खिलाएगा? इसलिए आप इस तरीके से कैटल कैम्प लगाएं कि कम से कम खर्च पर ज्यादा से ज्यादा काम हो। बेईमान लोग इस अकाल में से भी अपना पेट भरने का धंधा करते हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं, निकृष्टता की भी पराकाष्ठा है। एक तरफ आदमी मदद करता है और दूसरी तरफ अपने बच्चों के लिए यह जघन्य अपराध करता है। उसके बाद भी हम उसकी समस्या का समाधान नहीं करते। क्यों नहीं हम कैटल कैम्प लगाएं? अगर वह शाम को अपने जानवर ले जाना चाहे तो ले जाए। उस गांव में 500 जानवर होंगे, एक बाड़े में हमारे चारा डालने से अगर खा जाएंगे तो वे भी जिंदा रहेंगे और हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी। हम बिना बात खोल-खोल के लोगों को लूटने का अवसर देते हैं। पता नहीं इस मुल्क का क्या होगा। क्या दुर्भाग्य है। आदमी कैसी निकृष्टता की ओर जा रहा है कि संकट के समय में भी वह अपने स्वार्थ निकालने की कोशिश करता है। कृपा करके आप इसको इस रूप में बनाइए। जहां आदमी को मजदूरी चाहिए, वहां उसको खाने का अनाज भी चाहिए। आपने उदयपुर डिवीजन क्षेत्र में अनाज की व्यवस्था नहीं की तो बिलकुल उसकी हालत बिगड़ जाएगी। अनाज उसको कैसे उपलब्ध हो कम से कम रेट पर, इसकी व्यवस्था करने के लिए हमको अभी से योजना बनानी चाहिए।

जिस प्रकार से पिछली बार हुआ, एक दूसरे पर पत्थर फैंकते-फैंकते ठेठ फरवरी-मार्च में आ गए, आपने हमको गाली दी, हमने आपको गाली दी, भगवान के लिए कम से कम अबकी बार फरवरी और मार्च आने का इन्तजार मत करना। आपने अगर सोच कर काम किया तो मैं सोचता हूं कि कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ जाएंगी। अबकी बार जो हालत दिख रही है उसमें लगता है कि पशुओं की तो छोड़िए, आदमी को पीने के पानी के लिए मोहताज होना पड़ेगा। आप चाहे जितने किलोमीटर चले

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जाएं, जितनी भी छोटी-मोटी नाड़ियां थीं, जितने भी नाले थे, बिलकुल सूख गए। पत्थरों की तरह पड़े हैं, कहीं एक बूंद दिखाई नहीं देती है। जानवरों को पानी कहां से मिलेगा? जानवर पानी कहां से प्राप्त करेंगे? इस बारे में निश्चित रूप से हमें कहीं तो विचार जरूर करना चाहिए कि हम इनको किस तरह से बचा सकेंगे और किस तरह से इस काम को अब हम करेंगे?

हमारा आज जो स्वभाव बन गया है, पता नहीं क्या दुर्भाग्य है इस देश के लोकतंत्र का? मिल-बैठकर जनता की समस्या को हल करने के लिए चिंतन करें। हम सब लोग अकाल राहत कार्य इसलिए करवाना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में सड़क बन जाए। यह सब बंद करिए सड़क और बाकी चीजें। केवल पानी को रोकने के लिए सारा का सारा पैसा एनीकटों पर लगाइये। पुराने जितने भी तालाब थे उन तालाबों में पानी आने के सारे के सारे सोर्स बंद हो गए। कई लोगों ने मकान बना लिए उन नालों में जिन नालों में से होकर उस गांव के तालाब या छोटी-सी नाड़ी में पानी जाता था। वे सारे रास्ते रोक दिए। हमारे बाप दादाओं में इतनी अक्ल थी कि कोई ऐसा सोर्स जरूर बनाया जिसके कारण से आदमी भी जिंदा रहता है। कृपा करके पैसों को फालतू खर्च करने के बनिस्पत आप जितने भी हमारे पुराने ट्रेडिशनल तालाब हैं, वे चाहे छोटे होंगे, उनमें पानी आने की आवक बनाइए कि इनमें पानी कहां से आएगा। इनको बारिश से भरने की कोशिश करिए। एकाध साल तकलीफ बढ़ेगी लेकिन कम से कम उस गांव में पानी की समस्या का परमानेंट हल हम निकाल लेंगे। कम पैसे में काम होगा। लेकिन सबके मन में लगता है कि मेरे यहां अकाल राहत कार्य नहीं खुलेंगे तो मेरे यहां सड़क कैसे बनेगी। इसलिए सड़क पर गिट्टी डालें, गिट्टी पर सड़क डालें कुछ पता लगा, कुछ नहीं। इस सारे पैसे को आप केवल पानी को रोकने के तरीके बनाने पर लगाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को मजदूरी मिलेगी और प्रत्येक गांव की पीने के पानी की समस्या का हल होगा। चाहे 200 घर हों, चाहे 50 घर हों, गांव में ट्रेडिशनल सोर्स तैयार कर दें, वहां के कुएं, बावड़ी तैयार कर दें ताकि गांव के लोग उससे पानी पी सकें। कहीं-कहीं आपको लगता है कि गांव में आपके पास सोर्स नहीं है और प्राइवेट आदमी का कोई कुआ है तो आप भी कुए को खोदेंगे और पैसा खराब करेंगे उससे अच्छा है कि आप उससे कांट्रेक्ट करें। अभी भी लोगों के मन में इतनी मानवता बची है कि अगर पीने के पानी के लिए उसके कुए का उपयोग करेंगे तो शायद कोई न नहीं करेगा, कोई पैसा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं लेगा। केवल हमको मोटर लगाकर गांव के लोगों को पानी पिलाने की व्यवस्था करनी होगी। मैं सोचता हूं कि हमारा बहुत अधिक पैसा लगता है। जलदाय मंत्रीजी से बहुत आग्रह करता हूं, मेरी बात हो सकती हैं कि बाकी लोगों को नहीं जंचे लेकिन मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि अंधा-धुंध ट्यूबवैल और अंधाधुंध हैण्डपम्प ठोक कर पैसा बरबाद करके केवल कुछ कमाने वाले लोगों का पेट भर दें। उसके कारण से बाकी कुछ मिलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से पुराने सोर्स ही सही है, पुराने सोर्स के आधार पर ही हम अपने पानी को बचा पाएंगे, लोगों को जिंदा रख पाएंगे।

हमको राजस्थान का कोई मास्टर प्लान बनाना चाहिए। इसमें हमको 20 वर्ष लगे पूर्ति करने में, कोई चिंता की बात नहीं है, हम स्टैप बाई स्टैप करेंगे। इन 41 सालों के पैसे का हिसाब लगाएं तो हम दस हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा इस अकाल का मुकाबला करने में खर्च कर चुके हैं। राजस्थान में मुश्किल से 200 नदी-नाले होंगे, इन 200 छोटे-छोटे नदी-नालों पर दस-दस, बीस-बीस लाख का एनीकट बनाकर पानी बांध दिया जाए तो हमको न कोई एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, न और कुछ करना पड़ेगा। हमने केवल एक बड़ा बांध बनाकर वहां के लोगों को तो सरसब्ज कर दिया जो पानी को मर्जी चाहे जैसे वेस्ट करे। उसका खेत कहीं भरा है और सड़क कहीं भरी है। ऐसा दुरुपयोग जो कर रहे हैं इस पानी का, उसका हम सदुपयोग करेंगे, यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय नन्दलालजी पूनिया।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज अकाल के सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा हो रही है जैसा कि माननीय कटारियाजी ने बताया, 56 साल में 41 साल अकाल के हुए हैं। कांग्रेस वाले बी.जे.पी. को दोष देते हैं और बी.जे.पी. वाले कांग्रेस को दोष दे देते हैं, लेकिन इस अकाल के स्थायी समाधान के लिए किसी भी सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। यदि समय से पहले इस बारे में सोच लिया होता तो अरबों-खरबों रुपए हमें अकाल में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इधर यमुनाजी का पानी उधर राजस्थान कैनाल का पानी लाकर इन जिलों को नहर के द्वारा दे दिया जाता तो इसका एक स्थायी समाधान हो सकता था। लेकिन नहीं किया गया। मेरा तो यह सुझाव है कि समय रहते सोच लिया जाए। चूंकि हर तीसरे साल अकाल पड़ता है और अबकी बार तो लगातार तीसरी साल अकाल पड़ रहा है, इस बारे में जरूर सोचना चाहिए।

(श्री नन्दलाल पूनिया)

मैं कुछ मेरे सुझाव हैं उनको पेश कर रहा हूं। हमारे क्षेत्र में सिद्धमुख नहर परियोजना बनी थी लेकिन 14-15 गांवों को उससे वंचित रख दिया गया। यदि नहर परियोजना के इन गांवों में अकाल राहत के तहत कार्य शुरू करवा दिये जाएं तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी मांग भी पूरी हो जाएगी और सरकार का जो रोजगार देने का कार्यक्रम है वह भी पूरा जो जाएगा। आज वह काश्तकार की एक महती योजना है, इससे बड़ी काश्तकार के लिए कोई योजना नहीं हो सकती, यदि उस योजना को अकाल राहत कार्य के तहत आप शुरू करा देते हो तो मैं समझता हूं राज्य सरकार की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी।

दूसरा, हमारे क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति अलग-अलग है, एक क्षेत्र में मीठा पानी है, एक में खारा पानी है। माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1987 में फैमिन के तहत जहां मीठा पानी है वहां कृषि कुओं के लिए और जहां खारा पानी है वहां कुण्डों के लिए यह व्यवस्था थी कि मैटीरियल कंपोनेंट तो काश्तकार खुद का जिसके यहां कुआ खुदेगा या कुण्ड खुदेगा और लेबर कंपोनेंट अकाल राहत कार्य के तहत दिया जाता था। पिछले साल भी अकाल पड़ा, मुख्य सचिव महोदय राजगढ़ पधारे थे। मैंने इस संबंध में उनसे निवेदन किया था कि यदि इस संबंध में आप कोई आदेश पारित करें और जिला कलक्टर को निर्देशित करें तो पानी की समस्या का समाधान भी हो सकता है और अनाज की समस्या का समाधान भी हो सकता है। मैं माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में आप निर्देशित करें, क्योंकि 1987 में करीब साढ़े तीन हजार कुण्ड बने थे और करीब 1500 कुओं का निर्माण हुआ था। उसमें काश्तकार को जो लेबर कंपोनेंट दिया जाता था वह अकाल राहत कार्य के तहत दिया जाता था। मस्टररोल भी भरा जाता था, मजदूरों को मजदूरी भी मिलती थी, लेकिन स्थायी कार्यों का उस समय निर्माण हुआ था।

अकाल राहत कार्यों के लिए काफी लोगों ने अपने सुझाव दिये हैं, मेरा भी एक सुझाव है। हर गांव में सांड और झोटे होते हैं, फसल अच्छी होती है तब तो लोग उसे चारा और पानी मुहैया करा देते हैं, लेकिन अकाल के समय उनकी सुधबुध लेने वाला कोई नहीं होता है। 1987 में अकाल राहत-मद से उनको चारे का अनुदान दिया जाता था, इस प्रकार की व्यवस्था राज्य सरकार इस समय भी करे तो सांड और झोटे की लावारिस होकर मरने की नौबत नहीं आए।

मेरा दूसरा निवेदन है कि फेमिन कोड बहुत पुराना हो गया है उसमें आंशिक संशोधन

(श्री नन्दलाल पूनिया)

किया जाए। सी और डी ग्रेड की छोटी म्यूनिसिपैलिटी ग्राम पंचायत के बराबर होती हैं। अभी मुख्य सचिव आये तो मैंने उनसे कहा कि राजगढ़ शहर में भी कुछ अकाल राहत कार्य शुरू किए जाएं। तो उन्होंने कहा कि फेमिन कोड में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि म्यूनिसिपल एरिया में भी राहत कार्य शुरू कर सकें। क्या वहां गरीब नहीं बसते? क्या वहां रोजगार की सुविधा जो वे चाहते हैं उनको सबको मिल रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। वहां भी गरीब लोग हैं, वहां भी रोजगार की जरूरत है। इसलिए इसमें आंशिक संशोधन करके जो सी व डी ग्रेड के छोटे कस्बे हैं उनमें भी रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराएं।

(18.35 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मेरे क्षेत्र में दूसरी बड़ी भयंकर समस्या और है। माननीय जलदाय मंत्री यहां बैठे हैं, अकाल के समय चारे की तो समस्या है ही, चारे की समस्या के लिए तो पिछली बार अच्छी तरह से प्रबंध किया गया था, रोजगार का प्रबंध किया गया, लेकिन पानी की समस्या है। पिछली साल से आज तक नहीं हुआ। हरियाणा हमसे लगता हुआ है, आज हर गांव वाला एक-एक काश्तकार, एक-एक व्यक्ति चार-चार टैंकर पानी के मंगा चुका है। एक टैंकर के 400 रुपये लगते हैं, इस प्रकार 1600 रुपये दो महीनों में वह खर्च कर चुका है। आगे आने वाली स्थिति क्या होगी? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस भयंकर स्थिति को आप सोचिए, विचारिए। कल मैंने एक प्रश्न रखा था, मेरे पास आपके थ्रू . जवाब आया, आपके विभाग के अधिकारियों ने कितना असत्य जवाब दिया है इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। वे लोग हरियाणा से पानी लाते हैं और आप जवाब देते हो कि पानी योजना से जा रहा है। आप मेरे साथ चलिए, जलदाय मंत्री महोदय या आप किसी को भेज दीजिए, अगर उन गांवों में पानी आता है तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। हरियाणा से पानी लाते हैं और आपका विभाग यह कहता है कि हम पानी दे रहे हैं। (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, मैं हकीकत बता रहा हूं। मुझे दुःख होता है। गांवों में जहां आपकी रीजनल स्कीम चालू है, लोकल सोर्स भी चालू हैं, लेकिन पानी किसी में नहीं पहुंचता है। आज कुछ गांवों में मीठा पानी है, हमने विभाग के अधिकारियों से कहा कि इनमें लोकल सोर्स डवलप करके गांव वालों को पानी दे सकते हो तो दो। लेकिन आपके अधिकारी तो निकम्मे हैं, कोई सुनता ही नहीं। वे पब्लिक को परेशान करने की सोचते हैं। मुझे और कहीं से आशा नहीं दिख

(श्री नन्दलाल पूनिया)

रही है, एक आप ही हाउस में अपने विभाग के ईमानदार ओर कर्मठ कार्यकर्ता हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को सुधारिए, नहीं तो लोग मर जाएंगे और वो सारे आपके जिम्मे लगेंगे कि तिसाया मरता मरग्या। मैं यही सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, हाथ जोड़ लिये न आपने। हो गया समाप्त, और क्या? डा.करण सिंह।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में संभावित महाकाल की चर्चा के समय पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान की विषमताओं की बात उभरकर आना और विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा इस मुद्दे को इस रूप में उठाना निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है और सोच का विषय है। यहां सदन में बैठे हुए सभी सम्मानित वरिष्ठ सदस्यों का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा कि आज से पहले यह बात यहां इस सदन में नहीं उठी। इसके पीछे कारण है, राजस्थान में पिछले 44 साल में या 50 साल में बार-बार अकाल पश्चिमी राजस्थान में पड़ते रहे, वे अकाल के अभ्यस्त होते रहे और पूर्वी राजस्थान के लोग सहृदयता से उस अकाल में जो कुछ उनकी संभावित मदद थी वह करते रहे। लेकिन आज दुर्भाग्य ऐसा है कि पूर्वी राजस्थान में अलवर में, भरतपुर में, धौलपुर में भी अकाल की छाया है। इसलिए इस टोटे के समय पर, कमी के समय पर इस तरह की भावनाएं उभरकर आई हैं। आपको मालूम है कि इस बार अलवर जिले में 30-40 प्रतिशत कम बरसात हुई, धौलपुर में 50 प्रतिशत औसत से कम बरसात हुई, भरतपुर में लगभग 40 प्रतिशत से कम बरसात हुई, लोग समय पर अपनी खेती नहीं कर सके। खरीफ की फसल में मात्र 20 या 25 प्रतिशत बुवाई इस उम्मीद में की कि रबी के समय में अपनी फसल बोएंगे। वह भी बरसात समय पर नहीं हुई। खरीफ की फसल में खाने लायक थोड़ा-बहुत बाजरा लेकर आये हैं। बिजली की कमी को देखते हुए आज अकाल सब जगह व्याप्त है। इसलिए माननीय सदस्यों का ध्यान जाता है कि अकाल के अन्दर दूसरे क्षेत्रों में सड़कें बन रही हैं, कुएं बन रहे है, ट्यूबवैल बन रहे हैं, पम्प बन रहे हैं, पूरे काम किये जा रहे हैं और इन जिलों में पिछले सालों में विकास के काम भी नहीं हो सके हैं। इस बात को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। जिन क्षेत्रों में अकाल है उन क्षेत्रों के लिए तो जो कुछ संभावित खर्चा करना है वह करना ही है। लेकिन जहां अकाल की छाया सामने है उपाध्यक्ष जी, बाजरा जो कुछ हो गया उसके भाव तो आपको मालूम हैं, चन्द्रभान जी ने जिस तरह से बिजली देने का वायदा

(डा. करण सिंह यादव)

किया है कल अगर थोड़ी-सी उससे कुछ सरसों हो गयी तो उस सरसों का भाव भी आपको मालूम है कि दो हजार रुपये क्विंटल की सरसों आज 990 और एक हजार रुपये में बिक रही है। धन्यवाद हमारी केन्द्र की सरकार को। अगर किसान ने कुछ पैदा कर लिया तो उसके अन्दर अपनी मेहनत का, अपने डीजल का, अपने यूरिया का, अपनी खाद का, अपने पूरे परिवार की कमाई का पैसा वह नहीं निकाल पाएगा। इसलिए इन क्षेत्रों को भी आप मानकर चलिये कि अकाल है, पूरे राजस्थान में अकाल है।(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : भाव की किसकी मेहरबानी है?

डा. करण सिंह यादव : भाव की मेहरबानी मैं बता रहा हूं न कि हमारी केन्द्र में बैठी हुई सरकार किसानों के बारे में कितनी बड़ी सोच रखती है। दो हजार रुपये क्विंटल वाले बाजरे का हजार रुपये या 990 रुपये क्विंटल का भाव कभी किसान ने सोचा नहीं था। इतना पामोलीन बाहर से आयात कर लिया बड़े व्यापारियों को देने के लिए कि किसान तो आज मरा हुआ है। उसको न गेहूं का भाव मिलने वाला है। कहीं चार अनाज के दाने किसी ने पैदा कर लिये वहां भी अकाल है, और बाकी के एरिया में तो जो अकाल है सो अकाल है ही।

माननीय वित्त मंत्रीजी, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले समय में आपको इन बातों की गणना करनी पड़ेगी कि आप जो पैसा प्लान का साल भर में लगाते हैं उस प्लान की साइज में कटौती होने के बाद कितना पैसा अकाल के दूसरे क्षेत्रों में लग जाता है और कितना पैसा अलवर, भरतपुर, धौलपुर और दौसा में लग रहा है। ये असमानता की बातें है। विकास के कार्यक्रमों में सब को साथ लेकर चलना पड़ेगा तभी जाकर हम इस प्रदेश को एक रख सकेंगे। जो भावनाएं आज खड़ी हुई हैं इनको हमको साधारणतया न लेकर बहुत गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा। आपके पास में, माननीय अकाल मंत्रीजी, जिस गिरदावरी की रिपोर्ट आने वाली है, आप उस वक्त दिखाइये। लेकिन हम तो जहां इलाके में जन प्रतिनिधि जाते हैं वहां एक ही बात हमको सुननी पड़ती है—बहरोड़ चले जाओ, खैरथल चले जाओ, मालपुरा चले जाओ, राजगढ़ चले जाओ, चाहे थानागाजी चले जाओ, कि अकाल, अकाल, अकाल। जिस तरह की अकाल की बात बाड़मेर और जैसलमेर में की जाती रही है वही अकाल की बात आज बहरोड़ और बानसूर में की जाती है। इसलिए जब भी आप निर्णय लें, जब भी आप सहायता राशि का आवंटन करें, जब भी आप कामों का आवंटन करें उस क्षेत्र की आवश्यकताओं को भी ध्यान

(डा. करण सिंह यादव)

में रखें। इन्हीं शब्दों के साथ में आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अकाल सहायता मंत्री जी। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर, विराजिये, प्लीज।

श्री हीरालाल विश्नोई : हमको भी बोलना है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हमको भी बोलना है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अकाल सहायता मंत्री जी। विराजिये। (व्यवधान) अब बहुत हो गया, विराजिये। (व्यवधान)

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : सर, उदयपुर पूरा रह गया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, आज मेरी बात मान लें। (व्यवधान) अब कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह पूर्वी राजस्थान की बात ही करते थे, हम पश्चिमी राजस्थान वाले कहां आएंगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या पाइंट आफ आर्डर हुआ? (व्यवधान) आप विराजें प्लीज, दो मिनट आप, दो मिनट वह और दो मिनट वह। (व्यवधान) आप विराजिये। शुरू कीजिये, माननीय मंत्रीजी।

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमि राजस्थान में बाड़मेर जालौर, सिरोही में हर वर्ष अकाल पड़ता आया है।

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : सर, पूरा दक्षिणी राजस्थान रह गया, बांसवाड़ा को तो थोड़ा समय दें। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : और इस तरह का दोहरा व्यवहार करते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, शुरू करो, माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) बैठ जाइये, आज मान जाइये हमारी बात। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की (व्यवधान) है, हम अपने-अपने क्षेत्र की बात करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, कर दी, बहुत हो गयी क्षेत्र की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पाइंटेड बात कह देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी सारी बात हो गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, कोई भाषण की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जलदाय मंत्रीजी से दो बात पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह क्वेश्चन में पूछ लेना।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, अभी दो आप करोगे, दो वह करेंगे, फिर वह करेंगे, इसका कोई एंड ही नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : स्टेटमैंट के बाद पूछ लेना, जलदाय मंत्री जी जवाब दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें प्लीज। माननीय मंत्री जी, आप शुरू कीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप क्या चाहते हैं? आप हमारी जबान को इस तरह से बन्द करेंगे तो कैसे काम चलेगा?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज। आपका तो नाम ही नहीं है, आप थोड़े ही बोल रहे हो।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फरमा रहे हैं कि दो वह बोलेंगे, दो वह बोलेंगे और 10 मिनट लग जाएंगे। 10 मिनट में आसमान नीचे गिर रहा है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, आर्डर। आर्डर, आप विराजिये प्लीज।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां के 474 गांव अकाल से पीड़ित हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : और हम बोलेंगे नहीं तो मालूम क्या पड़ेगा सरकार को?

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम ही नहीं है, किस पर बोलो आप? आपका इन्होंने नाम ही नहीं दिया, किस पर बोलो आप? विराजिये।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : वह गुनाह मेरा थोड़े ही है, मैंने तो कह दिया है चीफ व्हिप को।

श्री रमेश चन्द्र पंड्या : साहब, हमारा नाम तो है बांसवाड़ा का।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : यह कोई तरीका थोड़े ही हुआ ?

श्री राजेन्द्र पारीक : लोग सुबह 11 बजे आते हैं और दो घंटे में ही बोलकर अपने काम निपटा कर घर चले जाते हैं और हम यहां बैठे रहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप शुरू करो, माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : यह क्या तरीका हुआ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप शुरू कीजिये, ये यहीं रुक जाएंगे।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : यह तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझसे भी कहा था कि आपको बोलने दूंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप हमें समय देते हैं नहीं, हम यहां किस लिए आते हैं? हम जन प्रतिनिधि हैं।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : जालौर, सिरोही दोनों जिलों के एक भी विधायक को मौका नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : हम चुनकर आते हैं, अपनी बात कहने के लिए यहां पर आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इनके बोलने के बाद कोई बात रह जाए तो आप पूछ लेना, विराजिये।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी आदेश दिया था आपने। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अकाल की जितनी विभीषिका राजस्थान के दूसरे जिलों में है उतनी की उतनी विभीषिका सीकर जिले में भी है।

श्री उपाध्यक्ष : इनके बोलने के बाद कुछ रह जाए तो पूछने का मौका दिया जाएगा, विराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : हम अपनी बात नहीं कहेंगे तो करेंगे क्या?

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : हमारा इलाका भयंकर परिस्थिति में है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, व्यर्थ के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। (व्यवधान) वहां के हालात खराब है, हम अपनी बा[त] यहां पर नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे, उपाध्या[क्ष] महोदय? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप तो खुद ध्या[न] दीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं, ऐसा है, माननी[य] उपाध्यक्ष महोदय (व्यवधान) यदि मेरी जुबा[न] बन्द करवाना चाहते हैं तो मैं आखिरी व्यक्ति होऊंगा जो इस तरह की (व्यवधान) यह क[्या] बात हुई? हम अपनी बात नहीं करें? [...] के पार्टी के डिसिप्लिन में बंधे हुए हैं

श्री [illegible] सिंह [illegible] : सदन का सम[य] बरबाद मत करो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह हमारे जि[...] पर कुठाराघात है, नाकाबिले बर्दाश्त है

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : उपाध्[यक्ष] महोदय, आपने मुझे भी आश्वासन दि[या] था। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आपने मु[झे] भी आश्वस्त किया था। (व्यवधान) उपाध्[यक्ष] महोदय, हमें आपका संरक्षण चाहिए (व्यवधान) हमारे जिलों में भी पानी की भयंक[र] समस्या है।

श्री उपाध्यक्ष : इनके बाद में कोई ब[ात] रह जाए तो आपको पूछने का मौका देंगे।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : और अ[...] आप हमें बोलने का अवसर नहीं देंगे.

श्री उपाध्यक्ष : आपको कह दिया न

श्री राजेन्द्र पारीक : मेरे क्षेत्र का अकाल समाप्त नहीं होगा, अकाल तो आप लोगों के पूरे सदन की पूरी भावना से गिर गया। हम अपने क्षेत्र की बात कहने के लिए यहां पर आते हैं, जन प्रतिनिधि हैं, सुबह से सांयकाल तक यहां बैठे रहते हैं और लोग क्लब की तरह से यहां एंजाय करते हैं, दो घंटे बैठकर घरों को चले जाते हैं। (व्यवधान) सिर्फ आधे घंटे की बात है।

एक माननीय सदस्य : मेरे यहां पानी के लिए 4 करोड़ रुपये सैंक्शन हैं मगर मंत्री महोदय लगा नहीं रहे हैं। (व्यवधान) केन्द्र सरकार के पांचवें वित्त आयोग में 4 करोड़ सैंक्शन हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (अकाल सहायता मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : ऐसे कैसे बैठ जाऊं, साहब, मैं? आपने मुझे 3-4 बार यह कहा है कि आपको समय दिया जाएगा और आपने समय नहीं दिया।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3 अरब 18 लाख..(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आश्वासन दिया था कि आपको बोलने दिया जाएगा, क्या हुआ उस आश्वासन का?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी खुद की व्यवस्था थी।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : उस आश्वासन का क्या हुआ ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : खुद ने व्यवस्था दी थी इसलिए आश्वस्त हैं, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कह दिया न, आप सुन तो रहे नहीं हो। आप विराजिये, सुनिये। मैंने कह दिया न, मंत्रीजी के...

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझसे तीन बार कहा था कि समय दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कह दिया, मंत्रीजी के जवाब के बाद कोई बात रह जाएगी तो आपको पूछने का मौका दिया जाएगा।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : आपने व्यवस्था दी थी।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : अकाल हमारे यहां है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : क्या सरकार की तरह आपके भी झूठे वायदे हैं?

श्री हीरालाल विश्नोई : पानी की समस्या हमारे यहां भी है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने कहा था कि जवाब दिया जाएगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में जो अनुपूरक अनुदान की मांग इस सदन में प्रस्तुत की गयी है उस पर माननीय सदस्यों ने...

श्री राजेन्द्र पारीक : बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। (व्यवधान) अपनी बात कहेंगे, एक बार नहीं हजार बार कहेंगे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : कम्पाउण्डर और नर्सों के बारे में जो बेरोजगार आये थे, आपने ही कहा था। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं माननीय सदस्यों को इस बात के लिए बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बुलवा देंगे, आप विराजें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कि पिछले वर्ष में राजस्थान ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, कोई बात नहीं। आपकी बात मानते हैं, आज हमारी बात मान लें। विराजिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कौन-सा मंच है जहां पर हम अपनी बात कहें? कौन-सा मंच है, उपाध्यक्ष महोदय? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आसन में बैठे हुए विधायकों का आदर होना चाहिए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। आपने जो आधा घंटा बरबाद कर दिया, यदि इस सदन में बैठे रहे पांच विधायक अपनी बात और कह लेते तो आपके इस सदन की गरिमा नहीं घटती बल्कि सदन की गरिमा बढ़ती। पांच विधायक पांच-पांच मिनट बोल लेते तो क्या फर्क पड़ जाता?

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, जो विधायक पहली बार चुनकर आये हैं उनको आपका संरक्षण मिलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : वही बात मैंने यहां कही है। मैं बजाय इस अनर्गल बात करने के अपने क्षेत्र की समस्याओं की चर्चा करता। कौन-सा फर्क पड़ जाता? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हमारे तो बोलने का ही अकाल पड़ गया। हमें तो बोलने का अवसर ही नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा प्रारम्भ में निवेदन किया था विगत वर्ष राजस्थान के 26 जिलों में लगभग 23406 गांवों में अभाव...

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : धौलपुर है या नहीं है इसमें?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं पिछले वर्ष की बात कर रहा हूं, मैं इस वर्ष की

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

बात नहीं कर रहा हूं। अनुपूरक अनुदान की मांग जिसके सम्बन्ध में मैं आपके समक्ष आया हूं, उस वर्ष की बात को आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस वर्ष की सम्भावित अभावग्रस्त की बात पर मैं बाद में आऊंगा।

पिछले वर्ष राजस्थान के 26 जिलों के 23406 गांवों में अभाव हुआ। राजस्थान सरकार ने आप सब के सहयोग से, जनता के सहयोग से इस विपदा का मुकाबला...

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल का एक सिम्बल बन गया है। अकाल पड़ने का मतलब मात्र इतना-सा रह गया कि मेरे क्षेत्र में सड़कें बन जाएंगी। जितने भी माननीय विधायकों ने कहा है वे अपनी बात केवल इसलिए कहते रहे कि उनके क्षेत्र में कुछ विकास की बात हो जाए। क्या हम विकास के लिए नहीं आये हैं? हम अपने क्षेत्र की बात नहीं करेंगे? हमें अपने क्षेत्र में सड़क नहीं चाहिए? हमें अपने क्षेत्र में पानी की समस्या का निदान नहीं चाहिए? क्या नहीं चाहिए हमें? हम यहां पर किसी की मेहरबानियों के मोहताज नहीं हैं, हम अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने क्षेत्र की जनता की बात और उसकी पीड़ा को यहां पर उजागर नहीं करेंगे तो वह जगह बता दीजिये जहां पर हमें अपनी बात कहनी है। हम किसी रिंग मास्टर के कोड़े के आगे बैठने वाले नहीं हैं। माननीय विधायकों को यह बात इसलिए कहनी पड़ती है कि हम जन प्रतिनिधि हैं। जो लोग इस हाउस को क्लब की तरह से एंजाय करते हैं, यहां पर आते हैं और केवल अपने बोलने का इंतजार करते हैं। अपनी बात को समाप्त किया और अपने घरों में बैठकर एंजाय करते हैं। हम सुबह 11 बजे यहां पर भूखे-प्यासे आते हैं, पूरा समय इस सदन की गरिमा बढ़ाते हैं, पूरे समय सदन में बैठकर इस सदन के माननीय सदस्यों के विचार सुनते हैं। किसलिये? केवल इसलिए कि इस सदन में बैठना हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन कर्तव्य के साथ-साथ हमारा यह अधिकार भी है कि हम अपने क्षेत्र की बात जितनी मजबूती से कह सकते हैं उतनी मजबूती से कहें। आसन के प्रति मेरा कोई असम्मान नहीं है, आसन के प्रति मेरा पूरा सम्मान है। लेकिन आसन का सम्मान रखते हुए यदि मेरे...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। समय बढ़ा दें। विराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : ... अधिकारों पर कहीं चोट होगी, मेरे अधिकारों को कहीं चुनौती दी जाएगी तो मैं किसी भी बड़े से बड़े संघर्ष के लिए कृत संकल्प हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपका तो हरिसिंह जी ने बोलने में नाम ही नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आप रुको न।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह महुवा (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आप की कार्य सूची समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आज की कार्य सूची समाप्त होने तक समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया। माननीय मंत्रीजी

मांग संख्या-34 पर विचार

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जैसा कि मैंने प्रारम्भ में अपनी बात कहनी शुरू की थी, पिछले वर्ष राजस्थान के 26 जिलों के 23406 गांवों में अभाव की स्थिति पैदा हो गयी। आप सब के सहयोग से, भारत सरकार से मिलने वाली अनुदान की राशि से, प्रधान मंत्री कोष से मिलने वाली राशि से इस भंयकर विकट स्थिति का सामना करने में हम सब सफल हुए। उसके लिए मैं आप सब को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। केवल सरकार के भरोसे इस कठिन परिस्थिति का मुकाबला करना सम्भव नहीं था, यदि आप सभी माननीय सदस्यों का सहयोग नहीं मिलता। सभी इस दिशा में आगे नहीं बढ़ते तब तक हम इस कठिनाई को पार नहीं कर पाते। उसमें आपने जिस प्रकार का सहयोग दिया, भारत सरकार ने जो दिया, प्रधान मंत्री ने अपने फण्ड से दिया, उस सबके लिए मैं अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। यह तीसरा वर्ष है कि जब राजस्थान में अकाल की भयंकर समस्या पैदा हुई है। इस संकट के मुकाबला के लिए भी मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं। केवल सरकार के बलबूते पर नहीं, आपके सहयोग के आधार पर, भारत सरकार से मिलने वाले अनुदान के आधार से इस विपत्ति को कैसे पार किया जा सकता है उसके लिए हम सरकार की ओर से भरसक प्रयत्न करेंगे। राहत कार्यों में किसी प्रकार की राजनीति को बाधक नहीं बनने दिया जाएगा, यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं।

राहत कार्यों के सम्बन्ध में पहली बार इस सदन में भ्रष्टाचार का नाम नहीं लिया गया है।

एक माननीय सदस्य : लिया है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं लिया। किसी ने लिया तो गलत लिया जिसका राहत कार्यों से कोई संम्बन्ध नहीं था। कोई कहता हो तो रिकार्ड पर मुझे दे दे, मैं उसकी जांच कराने को तैयार हूं। लेकिन

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

मैं कहना चाहता हूं कि यह पहला वर्ष था जिसमें राजस्थान में भ्रष्टाचार की शिकायतें न तो आयीं और न भ्रष्टाचार पनपा है। सरकार ने ऐसी व्यवस्था की, ऐसे मजबूत काम हाथ में लिये और निरीक्षण का ऐसा तरीका अपनाया जिससे भ्रष्टाचार नहीं हो सका। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसमें जन प्रतिनिधियों का भी सहयोग मिला। किसी भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए उन्होंने किसी तरह की कोई सिफारिश नहीं की, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

साथियों, राहत कार्य हमने देर से शुरू किये। मैं इस विवेचन में नहीं पड़ना चाहता कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कब घोषणा की, कब काम शुरू किये और कितने लोगों को लगाया। इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हालांकि मेरे पास आंकड़े हैं। हमने जब भी परिस्थिति पैदा हो गयी, राहत कार्य शुरू किये। लोगों को राहत देने के लिए जो जो आवश्यकता महसूस की, जो भूमिहीन मजदूर थे, शिड्यूल्ड कास्ट के लोग थे, शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग थे और छोटी जोत के किसान थे, ऐसे लोगों को हमने राहत देने का काम प्रारम्भ किया। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमने चाहे दो लाख से शुरू किया लेकिन जून के अंत में 15.16 लाख लोगों को राहत के तहत और दो लाख 98 हजार हमने योजनागत कार्यों को प्रारम्भ करके कुल 18.14 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया। 18 लाख 14 हजार श्रमिकों को हमने रोजगार उपलब्ध कराया। यह राजस्थान में 1986-87 के बाद पहला अवसर था कि इतने लोगों को रोजगार दिया गया। अकाल बहुत पड़े हैं, मैंने पहले कहा था कि मैं आंकड़ों के जंजाल में नहीं जाना चाहता, मैं तो आप सब के सहयोग से आने वाले अकाल का मुकाबला करना चाहता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने जो अपने ज्ञापन में दिया था उसके अगेंस्ट में कितने मैन-डेज काम चलाया, यह बता दें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वे करीब-करीब पूरे हो गये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं हुए। मेरी चुनौती है आपको कि 11 करोड़ मैन-डेज आपको देने थे और आपने केवल तीन करोड़ मैन-डेज ही काम दिया।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपको मालूम है कि हमने पांच लाख की सीमा पर और छह लाख की सीमा पर पैसा बन्द कर दिया था, उसको बढ़ाकर 12 लाख, 14 लाख और 15 लाख लोगों को ले जाकर दिया था और वह मैन-डेज पूरे किये हैं।

साथियों, आप सब को अच्छी तरह से पता है कि दक्षिणी राजस्थान की पूरी इकोनोमी

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

पशुधन पर निर्भर करती है। पशुधन को बचाने के लिए सरकार ने हर सम्भव प्रयत्न किये। पहले हम पशुओं को बचाने के लिए जो अनुदान देते थे वह तीन रुपया प्रति पशु और डेढ़ रुपया छोटे पशु को देते थे। राज्य सरकार ने इसको बढ़ाकर 10 रुपया किया। पहले 6 रुपया और 3 रुपया किया, फिर 10 रुपया और 5 रुपया किया और फिर 13 रुपया और 6 रुपया करके ज्यों-ज्यों भाव बढ़ते जा रहे हैं, हमने इसकी दर बढ़ाकर राहत पहुंचाने का काम किया है।

(19.00 बजे)

पशु शिविर को जो अनुदान हम देते थे और पशु आहार के लिए हम अनुदान देते थे, उस ढाई रुपये के अनुदान को बढ़ाकर हमने पांच रुपये का अनुदान देना शुरू किया जिससे पशुधन को पोषाहार मिल सके और वे अपनी स्थिति को ठीक तरह से मेन्टेन कर सकें।

यही नहीं, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, हमने जो अकाल राहत कार्य चालू किये है उनमें हमारे मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी इस सदन में कि मजदूरी का भुगतान इस पखवाड़े का अगले पखवाड़े की समाप्ति तक कर दिया जाएगा।

एक माननीय सदस्य : अभी तक बाकी है।

अनेक माननीय सदस्य : कोई बाकी नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कोई बाकी नहीं। आप मुझे आंकड़े दीजिये, मैं तैयार हूं। मैं वैल प्रिपेयर्ड हूं, आप मुझे आंकड़े दे दीजिये। आज कोई भी बकाया नहीं है केवल झगड़ों को छोड़कर कोई पैसा किसी का बकाया नहीं है। किसी माननीय सदस्य के पास अगर ऐसा सबूत हो, कि इस फेमिन का पैसा बकाया है, पुराने फेमिन का बकाया हो सकता है, जैसा किसी माननीय सदस्य ने कहा...

श्री जीतमल खांट : कुओं का पैसा बकाया है, कुओं का। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ... इस तरह कोई वाहवाही लेने की बात नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आज मैं किसी बात को छेड़ना नहीं चाहता, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो दृढ़ संकल्प व्यक्त किया, उस दृढ़ संकल्प के आधार पर भुगतान 15 दिन के मस्टररोल का अगले 15 दिनों में कर दिया गया यह इतिहास में पहली बार हुआ है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री।

श्री जीतमल खांट : मंत्रीजी, बांसवाड़ा में कोई झगड़ा नहीं था फिर भी वहां बकाया है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अब आप विराज जाओ।

श्री सांवर लाल : आप क्या बात कर रहे हो, रिलीफ विभाग का पैसा तो हर बार ऐसे ही पेमेंट होता आया है। कोई नया इतिहास बना लिया है तो बता दो हमें।

श्री केसाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, 15-15 दिन के, 10-10 दिन के तो लोगों ने लिये ही नहीं हैं पैसे अपनी मजदूरी के। आपके पास पैसा आया है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनको सुन लीजिये तो क्या हुआ? आप बोले तो उन्होंने सुना, आप सुनो उनको। सुनने की क्षमता रखो थोड़ी बहुत।

श्री केसाराम चौधरी : नहीं, पैसा जमा है आपके पास। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ... और कोई बात रह जाएगी तो आप पूछ लेना, इसको समाप्त तो होने दो। उनका फ्लो बंद हो जाता है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरे ख्याल से यह सदन चलते हुए आज चौथा दिन हो गया है, इधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों चाहे उधर बैठने वाले सदस्य हों, किसी भी माननीय सदस्य ने यह शिकायत नहीं की कि मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ। केवल एक सदस्य जो भिनाय से आते हैं मेरे ख्याल से, उन्होंने एक बात का जिक्र किया था। मैं भूतपूर्व अकाल राहत मंत्रीजी कह दूं, उन्होंने केवल एक बात का जिक्र किया था मुझसे कि अजमेर में चारे के अनुदान का मामला रुका हुआ है। हो सकता है कुछ लोगों ने घोटाला किया हो लेकिन जिन्होंने घोटाला नहीं किया हो, उनकी जांच करके, पुनः जांच करके उसके चारे का अनुदान दिलाया जाना चाहिए, यह बात उन्होंने मुझे कही थी।

श्री रमजान खान : नहीं, मंत्री महोदय, मैंने आपसे कहा था कि सामग्री का पैसा अजमेर जिले का बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रमजान खान : ... और आपकी पार्टी के विधायकों से पूछ लो आप कि सामग्री का पैसा आज भी बाकी है गत अकाल का। मैंने यह जिक्र आपको किया था।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह तो आप आज कह रहे हैं, बहस के दौरान मामला उठाया, लेकिन उसके पहले कोई कहने वाले सदस्य थे तो भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य थे। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं, अगर वास्तव में कोई गलती नहीं पाई गई है, चरागाह से लाना बताया गया और चारा वितरित किया गया, ये तथ्य सही प्रमाणित किये जाएं तो चारे का अनुदान

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

निश्चित रूप से भुगतान किया जाएगा, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी।

किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इसी तरह का जिक्र किया था, उनको भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी मंशा चारे के अनुदान को रोकने की नहीं है। कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने जो कमियां पाई, उस कमी के आधार पर कुछ दिक्कतें पैदा हो गई। उन दिक्कतों को कैसे दूर किया जा सकता है, माननीय सांवर लाल जी, आप मुझसे चर्चा करें और चर्चा करके अपन दोनों मिलकर रास्ता निकालें। हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री सांवर लाल : अजमेर जिले के किसान आपको बहुत बधाई देते हैं। मैं तो दुआ दे रहा हूं मंत्रीजी को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मंत्री रहे हो, थोड़ा आप तो ध्यान रखो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो बधाई दे रहे हैं, वह तो दुआ दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, दुआ दे रहे हैं तो बाद में दे देना, अभी तो बोलने दो। आप बार-बार बीच में बोलोगे तो उनका फ्लो बंद होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात से नाराज हो गये कि ये इनको दुआ दे रहे हैं। नहीं, फ्लो नहीं टूटता है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस बात से नाराज नहीं हूं। कोई बोलता है तो उनका फ्लो बंद हो जाता है। आप बार-बार डिस्टर्ब करते हो तो आखिर वह बोलते हैं तो उनके विचार टूटते हैं। आप भी कभी बोले, कभी कोई डिस्टर्ब करे तो आपका भी माइंड डाइवर्ट हो जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, ये बोले क्या, इन्होंने तो दुआ दी है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, एक साथ दे देना दुआ। दुआ देनी है तो बाद में दे देना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप भी विरोध कर रहे हैं इन दुआओं का। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यही नहीं, राजस्थान सरकार ने अनुभव किया कि कुछ ऐसे लोग जो अपाहिज हैं, जो काम पर नहीं जा सकते हैं, उनका भरण-पोषण कैसे हो सकता है। हमने प्रति माह 180 रुपये देने का फैसला किया, 180 रुपये देकर लोगों को हमने लाभान्वित किया है। इसके तहत 84390 व्यक्तियों को हमने राशि दी है। (व्यवधान) आपने कहा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

हमने राहत कार्यों पर कुल 565.95 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। हमारा सी. आर.

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

एफ. का पैसा था, उस पैसे के अलावा 317 करोड़ 18 लाख 78 हजार रुपया राजस्थान सरकार ने अपने बजट से खर्च किया है। उसके लिए सप्लीमेंट्री डिमांड के जरिये मैं आपके पास आया हूं। इस राशि को स्वीकृत करके राज्यपाल को यह अधिकार दिया जाए कि कंसोलिटेड फण्ड से इस राशि का भरण पोषण करें।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां सवाल खड़ा हुआ कि आने वाले वर्ष में कितने गांव अभावग्रस्त घोषित होंगे, राज्य सरकार की उसमें क्या योजनाएं हैं। पूर्वी राजस्थान के लोगों की चिंता भी इसमें जताई गई है। अभी तक जो प्रजेंट गिरदावरी की रिपोर्ट प्राप्त हुई है वह 31 जिलों की रिपोर्ट मेरे पास है, धौलपुर जिले को छोड़कर। कहीं कम कहीं ज्यादा, 30585 गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने की रिपोर्ट हमारे पास आई है। गत वर्ष तो 23,000 थे, इस बार बढ़कर फिगर्स आये हैं 30583। कुछ लोग कहते हैं, कुछ माननीय सदस्य कहते हैं, कुछ जनता कहती है, कुछ जन प्रतिनिधि कहते हैं, हो सकता है कहीं न कहीं गिरदावरी में कमी रह गई हो। उनके प्रतिवेदनों पर विचार करके मैं राजस्व मंत्रीजी से चर्चा करके उनकी दुविधा का निराकरण करने का प्रयत्न पूरी तरह से करूंगा।

मैं पूर्वी राजस्थान से आने वाले माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि यह प्रश्न जुड़ा हुआ है रिलीफ से। कोई आदमी रिलीफ पर काम नहीं करना चाहता। लेकिन जब मजबूरी हो जाती है, उसके आर्थिक साधन टूट जाते हैं तब वह अपेक्षा करता है आपसे, सबसे, राजस्थान के निवासियों से, भारत के निवासियों से कि इस विपदा के समय में वे हमारे साथ हाथ बढ़ाएं। अगर दुष्काल पड़ता है तो उसमें राज्य सरकार का दोष नहीं है, प्रकृति का सहयोग हमारे साथ नहीं रहा। मेरे पास इतिहास है कि राजस्थान में निर्माण के बाद 1950-51 से लेकर 1989-90 तक शायद ही कुछ ऐसा वर्ष रहा हो, जो अच्छा कहा जा सकता हो। कभी 1000 गांव में डिक्लेयर हुआ है लेकिन फेमिन डिक्लेयर हुआ है। कभी 3000 गांव डिक्लेयर हुए हैं लेकिन डिक्लेयर हुए हैं। राजस्थान का यह दुर्भाग्य रहा है। कोई भी व्यक्ति मजदूरी करने मजबूरी में जाता है, इसलिए आप इस भावना से ऊपर उठकर विचार करें, मानवता की दृष्टि से विचार करें और उस दृष्टि से सोचें कि जो लोग आज पीड़ित हैं, वे चाहे पश्चिमी राजस्थान के हों, चाहे दक्षिणी राजस्थान के हों और चाहे पूर्वी राजस्थान के हों, हम सबका दायित्व है कि उनकी सहायता के लिए आगे आएं। अलवर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, इन जिलों की चिंता आपने जताई है.(व्यवधान) दौसा तो पिछले वर्ष भी अकाल में था, जयपुर में भी पिछले वर्ष अकाल घोषित किया गया था। लेकिन

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

जो जिले वंचित रह गये थे उन जिलों के खास तौर से मैंने रैनफाल के आंकड़े देखे हैं, उन आंकड़ों के आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि धौलपुर में वर्षा 60 प्रतिशत कम है। इसी तरह से भरतपुर में भी वर्षा का औसत करीब करीब 34 प्रतिशत कम हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद : चालीस प्रतिशत।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 34 प्रतिशत, मेरे पास आंकड़े हैं। आप करैक्ट कर दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास आफिशियल आंकड़े हैं वह मैं आपको बता रहा हूं।

. इसी तरह करौली का जिक्र किया, करौली में भी औसत वर्षा से करीब-करीब 12 प्रतिशत कम है। सवाई माधोपुर में 23 प्रतिशत कम है। राजस्थान के अन्य जिलों में जो प्रतिशत हमारे सामने है उसको देखते हुए यह लगता है कि शायद वर्षा की वजह से बुवाई हो गई। लेकिन बुवाई कितने क्षेतफल में हुई, बाजरा कितने क्षेत्रफल में हुआ? भरतपुर में और इधर तो बाढ़ आ जाए तो इनन्डेशन से फसल पैदा होती है, दुर्भाग्य से बाढ़ भी नहीं आई। मैं आप सब को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बार खरीफ में बोया हुआ रकबा कुल रकबे का कितना प्रतिशत होगा उसकी जांच करके, उसकी जानकारी करके रबी में बोने वाले रकबे को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र को भी राहत देने की पूरी कोशिश मैं अपनी ओर से करूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : और क्या चाहिए आपको, कह दिया न सब कुछ? सब कह दिया उन्होंने, विराजें।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : जहां तक आंकड़ों का प्रश्न है, मैं लगातार तीन सत्रों में यह क्वेश्चन कर चुका हूं कि क्या धौलपुर के बाड़ी क्षेत्र से पशु और आदमी पलायन करते हैं पीने के पानी की वजह से? तीनों बार यह उत्तर आया कि ऐसी कोई शिकायत नहीं है और न ही कोई पलायन करते हैं। जबकि यह सौ प्रतिशत असत्य है। रिपोर्ट भी तो कुछ हद तक असत्य हो सकती है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : चारे की संभावित कमी को देखते हुए और पशु धन को बचाने के लिए पिछली बार पड़ौसी राज्य मध्य प्रदेश से काफी चारा और खाखला उपलब्ध हुआ था। लेकिन अभी तक जो समाचार है उसके हिसाब से उनका वह हिस्सा जो राजस्थान से लगा हुआ है, वहां भी अकाल है, अभाव है, हमें वहां से चारा मिलने की उम्मीद नहीं है। हमने यू.पी. से, हरियाणा से और पंजाब की सरकार से अनुरोध किया है, जो हमारा डेफिएक्ट है इस साल

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

का उसके अनुसार मांग हमने तीनों राज्यों को भेजी है कि वे हमें इस काम में सहयोग करें। शीघ्र ही हम एक दल इन राज्यों में भेजकर चारा उपलब्धि का पता लगाकर चारे को राज्य में मँगाने की व्यवस्था करेंगे ताकि पशुधन को निश्चित रूप से बचाया जा सके। पिछले वर्ष की तरह कैटल कैम्प्स चालू रखे जाएंगे, ट्रांसपोर्ट, सब्सिडी दी जाएगी ताकि पशु को कम कीमत पर चारा उपलब्ध हो सके। हमारी यह नीयत है ताकि राजस्थान का पशुधन बच सके। जो खास तौर से वैस्टर्न राजस्थान के पशु हैं, जहां की इकोनोमी इस बात पर निर्भर करती है, इसलिए हमने चारे की व्यवस्था का पूरा जायजा लिया है कि कितने लाख टन चारा हमारे पास कम होगा, उसकी व्यवस्था हम कहां से करेंगे। उसके लिए व्यवस्था करने का निश्चय किया है और टीम भेजने का निश्चय किया है कि इन राज्यों में जाएं और जाकर चारे का पता लगाए।

इसी तरह से मैं माननीय विधायकों से अनुरोध करना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी ने भी आपको एक पत्र लिखा कि इस बार राजस्थान में पानी का संकट ज्यादा है इसलिए माननीय विधायक अपने कोष से पीने के पानी की स्कीम में अगर अनुशंसा करें तो पीने के पानी का संकट आपकी मदद से भी कम होने की सम्भावना है। वैसे तो मंत्रीजी जब बोलेंगे तो सारी स्थिति का जिक्र आपके सामने करेंगे लेकिन हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं। मुख्य मंत्रीजी ने भारत सरकार के प्रधान मंत्रीजी को जो वर्तमान स्थिति है उसके संबंध में अवगत कराया है। मुख्य मंत्रीजी ने रेल मंत्रीजी को भी निवेदन किया है कि पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, चारा ट्रांसपोर्ट करने के लिए पिछले वर्ष की तरह हमें ट्रेन उपलब्ध कराई जाए। उसके लिए भी हम प्रयत्नशील हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : एम. एल. ए. ट्रांसपोर्ट में पैसे दे सकता है क्या?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह एम. एल. ए. फंड की जो पालिसी है उसको देखना पड़ेगा।

इसी तरह पिछली बार पैट्रोल और डीजल के पैसों का भी भरण-पोषण किया गया था। हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि पिछले साल से इस साल की स्थिति ज्यादा खराब है इसलिए पैट्रोल और डीजल की जो कास्ट है उसको वापस पुनर्भरण करें, मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार इस संबंध में निश्चित रूप से सहयोग करेगी, पैट्रोलियम मंत्रालय सहयोग करेगा, रेल मंत्रालय सहयोग करेगा। उसके आधार पर हम पानी और चारा परिवहन कर सकेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। पिछले वर्ष में इण्डियन

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

आयल कम्पनी और कई अन्य संस्थाओं ने पीने के पानी के टैंकर्स हमको उपलब्ध कराये। हम उन सब संस्थाओं से अनुरोध कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल अकाल ज्यादा भयंकर है। इण्डियन आयल कम्पनी हो चाहे कोई दूसरी कम्पनी हो, चाहे चम्बल फर्टिलाइजर कम्पनी हो, कई कम्पनियां आगे आई और उन्होंने हमें सहयोग दिया। इस बार मैं जितने भी ट्रस्ट हैं-चाहे वह सांवलियाजी का ट्रस्ट है, चाहे नाथद्वारा का ट्रस्ट है, चाहे कोई और ट्रस्ट है, इन सब ट्रस्टों से अनुरोध करूंगा कि पशुधन और पीने के पानी के लिए वे आगे आए और राजस्थान सरकार का सहयोग करें। इसी तरह से राजस्थान के प्रवासी लोग चाहे कलकत्ता में हैं, चाहे मुम्बई में हैं, चाहे बैंगलोर में हैं, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि पीने के पानी के लिए और चारे की व्यवस्था के लिए वे आगे आएं और इस काम को आगे बढ़ाएं। यह हम अनुरोध कर रहे हैं और करने जा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करूंगा। आपने प्रवासी राजस्थानियों के बारे में काफी चर्चा कर ली और आप उनसे बड़ी उम्मीद रखते हैं कि वे आपकी मदद करेंगे। आसाम में बैठे हुए लोगों को भून दिया गया जिसमें रतनगढ़ और शेखावाटी के कम से कम दस-बारह लोग थे, इस पूरे सदन में यदि आपकी तरफ से एक छोटा-सा मैसेज जाता और भारत सरकार से इस बात पर चर्चा की जाती कि इस तरह से यदि राजस्थानियों पर अत्याचार किया गया तो यह नाकाबिले बर्दाश्त होगा, तो बहुत अच्छा रहता। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, जब इस घटना की जानकारी माननीय मुख्य मंत्रीजी को मिली, मुख्य मंत्रीजी ने वहां के मुख्य मंत्री महंत से बातचीत की और उनसे अनुरोध किया कि नरसंहार बंद किया जाए और भविष्य में हमारे राजस्थानियों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। भारत सरकार को भी कहा है। हम चिंतित हैं आपकी तरह से कि राजस्थान के लोग जहां भी हैं सुरक्षित रहें। यह हमारा दृष्टिकोण है और उसमें हम किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे।

कामों के बारे में माननीय सदस्यों के सुझाव थे कि जो काम पिछली बार शुरू किये गये थे और जो अधूरे पड़े रहे गये उनको प्राथमिकता दी जाए। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर पिछले अधूरे कामों को फेमिन राहत के तहत या आर. आई.

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

डी एफ-6 जिसका कर्जा हमने नाबार्ड से लिया 144 करोड़ का—उसमें करीब 54 करोड़ हम खर्च कर चुके हैं, अभी भी हमारे पास पैसा बचा है, हमने नाबार्ड को स्कीम भेज दी है, उस रुपये के मिलने के आधार पर पांच हजार किलोमीटर सड़क का, दो हजार स्कूल भवन का और एक हजार वाटर हार्वेस्टिंग का कार्यक्रम हाथ में लिया गया। जो भी काम अधूरे हैं उनको इस योजना के तहत हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने आर. आई. डी. एफ. में जो सड़कें बनाई हैं, खास तौर से जो डब्लू. बी. एम. सड़कें हैं उन पर डामरीकरण आप करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, इस बारे में आप जरूर आश्वस्त करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है?

श्री उपाध्यक्ष : क्या हो गया इनको? रोक नहीं सकते उनको?

मोहम्मद माहिर आजाद : यह सत्ता पक्ष के लोग ही (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या हो गया आपको? (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सीकर से आने वाले माननीय सदस्य, नीति कोई एक व्यक्ति की तो बनेगी नहीं, नीति तो पूरे राजस्थान के लिए बनेगी। चाहे ग्रेवल सड़क हो, चाहे डब्लू. एम. सड़क हो और चाहे डब्लू. एम. को बिटुमिन करने का सवाल हो, निश्चित रूप से इस नीति के आधार पर आगे बढ़ने का काम करेंगे।

बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आदिवासी अंचल में भुखमरी ज्यादा बढ़ जाएगी तो कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी। कटारियाजी, आप और हम दोनों मिलकर उस क्षेत्र में चलेंगे और लोगों का आह्वान करेंगे कि ऐसा रास्ता न अपनाएं जिससे कि कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो। मैं आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत हो, चाहे किसी अन्य योजना के तहत हो, जहां काम की पहले आवश्यकता होगी वहां पहले काम खोलकर लोगों को रोजगार दिया जाएगा ताकि इस तरह की स्थिति राज्य में पैदा न हो जाए।

मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पानी को जितना रोक सकें, सतही जलस्तर ऊपर बढ़ा सकें, इसके जितने ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम हम ले सकें उन प्रोग्राम्स को इस फेमिन के तहत लेने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

जितनी भी योजनाएं हमारी हैं उनके साथ फेमिन को डवटेल करके उन योजनाओं को पूरा करने का हम अपनी ओर से पूरा-प्रयत्न करेंगे।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य, आपकी चिंता है वहां बाढ़ से पानी भर गया उसको निकालने के बारे में। लोगों के मकान गिर गये, कुछ को सहायता हमने दी है और कुछ बाकी बचे हुए लोगों के बारे में आपने अपनी बात कही है। मैं इस सारी समस्या का आपके साथ बैठकर, विचार-विमर्श करके उसका निदान करने का पूरा-पूरा प्रयत्न करूंगा। आपने यह भी कहा कि अगर 30 लाख रुपये खर्च किये जाएं तो वह पानी निकाल कर के नहर में डाला जा सकता है। अगर आप टैक्निकली फिजिबल मानते हैं और ऐसी रिपोर्ट आप दे सकते हैं, मैं इंजीनियरों को भेजकर जो आपने सुझाव दिया है उस सुझाव को क्रियान्वित कर सकता हूं। अगर केवल 30 लाख रुपये का मामला है तो मैं निश्चित रूप से वित्त मंत्रीजी से अनुरोध करके 30 लाख रुपये का प्रबंध करने की कोशिश करूंगा ताकि जमीन से पानी हट सके और वह जमीन खराब नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : सब तरफ से आपको धन्यवाद मिल गया, अब क्या है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अमूल्य सुझाव दिये। जिनका मैं जिक्र नहीं कर सका उनको भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैंने सब नोट किये हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय श्री हीरासिंह जी।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अकाल में जो श्रमिक लगाते हो उनके नियोजन के लिए क्या व्यवस्था है? कम मजदूर लगाते हो, गरीब मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती है और गांवों में बड़ी अशांति का वातावरण बनता है, उसके लिए क्या व्यवस्था करना चाहते हैं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, एस.सी.एस.टी. भूमिहीन, लैंडलैस लेबर्स हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर काम पर लगाया जाएगा। मेट के बारे में एक सवाल आपने उठाया, मेट भी राजनीतिक आधार पर नहीं लगाया जाएगा। मेट भी एस.सी., एस.टी. और महिला पढ़ी-लिखी है तो उसको प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाएगा। उसमें राजनीतिक आधार नहीं होगा। सबको काम देने की दृष्टि से हम मेट लगाने की व्यवस्था करेंगे, मैं यह विश्वास दिलाना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

मोहम्मद माहिर आजाद : जो निराश्रित, विकलांग और बुजुर्ग आदमी हैं उनको आप 180 रुपये देते हैं, इसको 300 रुपये कर दीजिये। 10 रुपये रोज तो दें कम से कम।

श्री जीतमल खांट : (व्यवधान)... मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले के काश्तकारों का भुगतान बकाया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने कहा था बाद में। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय नेता महोदय, एक मिनट। जलदाय मंत्रीजी जवाब दे दें। एक मिनट रुकिये। उसके बाद जो भी प्रश्न पूछने हैं मैंने कहा है, उसके लिए मैं आपको अवसर दूंगा, आप निश्चिंत रहिये। विराजिये आप प्लीज। जलदाय मंत्रीजी।

श्री जीतमल खांट : (व्यवधान)... हमें आप + + + यह हमारी वाजिब मांग है इसलिए माननीयमंत्री जी से हम कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि आज अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत पानी की समस्या के बारे में भी अपने सुझाव सदन में प्रस्तुत किये। आज 26 माननीय सदस्यों ने पानी की किल्लत के बारे में, आने वाली समस्या के समाधान के बारे में काफी चिन्ता व्यक्त की है। आपने जो सुझाव दिये हैं मैं उन सुझावों के आधार पर प्रयास करूंगा कि आने वाली कठिन घड़ी में इस समस्या का समाधान सही ढंग से किया जा सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शक्तावत साहब ने प्रदेश में करीब 26 जिलों में अकाल की स्थिति का वर्णन किया है, लेकिन मेरे तो 32 में से 32 जिलों में पानी का अकाल है। यह बात सही है कि मैं इस अकाल को महाकाल की कैटेगरी में नहीं मानता और न कोई ऐसा अकाल है जिसका कोई समाधान नहीं हो सकता। मैं इसको बहुत बड़ा हौवा बनाकर माननीय सदस्यों के सामने या जनता के सामने भय पैदा करूं, इस तरह की न तो कोई प्रदेश में स्थिति है और न कोई स्थिति बनने की सम्भावना है।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय लगातार 3 वर्षों से बरसात कम होने के कारण, बार-बार अकाल पड़ने के कारण यहां के आम नागरिक

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

की माली हालत के ऊपर भारी असर पड़ा है। किसान की फसल चौपट हो जाने के कारण एक साल, दो साल और तीसरे साल जब अकाल पड़ा है तो उसकी पूरी कमर टूट चुकी है। चारा, पानी, बिजली की प्रदेश में भयंकर स्थिति के कारण आज ऐसी स्थिति बन गयी है कि किसान के सामने कोई चारा नहीं है। वह क्या करे और क्या न करे, ऐसी स्थिति आज प्रदेश की बनी हुई है। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि प्रदेश में जो बरसात हुई है, हमारे लिए कुछ खुशी की बात भी है कि जवाई बांध में जहां पिछले साल 6 फीट आया था वहां पर इस बार 42 फीट पानी आया है। बीसलपुर बांध जहां से अजमेर, जयपुर, टौंक, और बहुत बड़े गांवों को लाभ पहुंचता है, वह भी करीब-करीब पूरा बांध भरा है। रायपुर का बांध है, चम्बल के जितने बांध हैं इन काफी बांधों में पानी भराव क्षमता से चाहे कम आया हो लेकिन वह पानी हमारे पीने लायक रहा है। हमारे विभाग का प्रयास रहा है कि उस पानी में से थोड़ा बहुत पानी हम किसानों को भी दें। हमारा संकट तो है ही, लेकिन हमारे प्रदेश के किसान जो तीन साल से अकाल से पीड़ित हैं, उनको कुछ राहत मिल सके। ऐसी स्थिति में हमारे मुख्य मंत्रीजी से मैंने वार्ता की, काश्तकार मिले, मुख्य मंत्रीजी ने जवाई बांध से 800 एमसीएफटी. पानी देने की घोषणा की। रायपुर के अन्दर हमारे विधायक सौ-दो सौ किसान साथियों के साथ आये, मैंने उनसे कहा है कि हम उतना ही पानी लेंगे जितनी हमारी पानी की आवश्यकता है। इसके साथ ही बीसलपुर बांध में जो पूरा पानी आ गया था भराव क्षमता के अनुरूप, मैंने कमला जी से कहा है कि अगर किसान को खेती में कोई फायदा मिलता हो तो आप जरूर उसको इस बांध से पानी दें। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम सर्प की तरह कुंडली मारकर बंधों के ऊपर बैठना नहीं चाहते, हम हमारी पीड़ा को दूसरों के ऊपर थोपना नहीं चाहते और जहां तक हो सकता है हमने प्रयास किये हैं कि हमारे किसानों को भी कुछ राहत मिले। हमारी वजह से उनको परेशानी नहीं हो, ऐसा हमारा प्रयास रहा है और मुझे विश्वास है कि हमारे किसान राहत महसूस करेंगे।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय सदस्यों ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान की जो बात कही है, मैं आपको बता देना चाहता हूं 1100 करोड़ रुपये की योजना जयपुर शहर की, जयपुर जिले की और टोंक जिले की करीब 1500 करोड़ रुपये की योजना एक साल पहले स्वीकृत हुई थी जो पूर्वी राजस्थान

(श्री रामसिंह विश्नोई)

में आता है। 162 और 75 करोड़ रुपये की योजना धौलपुर और भरतपुर की मंजूर हुई है जो पूर्वी राजस्थान में आता है। दौसा के अन्दर मंजूर हुई है, सवाईमाधोपुर में मंजूर हुई है। अलवर में 10 करोड़ रुपये की, 4 करोड़ रुपये की योजना मंजूर हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि करीब 1500 करोड़ रुपये की योजनाएं मैंने और विभाग ने पूर्वी राजस्थान जहां के माननीय सदस्य कुछ नाराज हो रहे हैं, वहां पर मंजूर की हैं और केवल मात्र पांच सौ करोड़ रुपये की योजना शेष बीकानेर और जोधपुर संभाग में मंजूर हुई है।

मुझे यह कहते हुए भी बहुत खेद है कि इस बार बरसात की जो स्थिति है उसमें सबसे ज्यादा भयंकर स्थिति अगर कोई है या होने की सम्भावना है तो उदयपुर सम्भाग की रहेगी। पानी के जितने स्रोत हैं उदयपुर शहर में, आज पूरे के पूरे स्रोत खाली पड़े हैं। चाहे उदयपुर हो, चाहे चित्तौड़ हो, चाहे निम्बाहेड़ा हो, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे बेगूं हो, वहां की स्थिति काफी अच्छी स्थिति नहीं है और काफी मशक्कत के बाद वहां पर स्थिति कंट्रोल में आ सकेगी। भीलवाड़ा में हमीरगढ़ से योजना स्वीकृत हो चुकी है, चिकलावास की, राजसमन्द की योजना स्वीकृत हो चुकी है और उदयपुर के अन्दर भी हमने योजना मंजूर की है। वहां पर ट्यूबवैल खोदे जा रहे हैं, हैण्डपम्प खोदे जा रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरे उदयपुर सम्भाग में होली के पहले-पहले ऐसा महसूस नहीं होने दूंगा कि आपके यहां पर किसी तरह की कोई कमी है।

डूंगरपुर, बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्यों ने और जयपुर और राजस्थान के काफी माननीय सदस्यों ने हैण्डपम्प, ट्यूबवैल और पाइप लाइन के बारे में जिक्र किया है। यह बात सही है कि पिछले कुछ माह से हमारी कमी के कारण या टेण्डर देने की जो प्रक्रिया है या जिस तरह की कम्पनियां हमको टेण्डर सप्लाई कर रही थीं उनकी अनियमितताओं के कारण घटिया किस्म के पाइप हमको सप्लाई हो रहे थे, इनको बंद करने के कारण हमें कुछ समय लग गया। वापस अच्छी कम्पनियों को, अच्छी आई.एस.आई. मार्क की कम्पनियों को, अच्छे पाइप प्रोडक्ट करने वाली जो कम्पनियां हैं उनको आहूत करने में कुछ समय लगा इसलिए आपको कुछ देरी हुई। माननीय सदस्यों ने, एम.पीज. साहब ने बहुत बड़ी राशि जो हमारे विभाग को दी है, हम उनका काम नहीं कर सके इसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं-

श्री जगत सिंह दायमा : अलवर में चार महीने से एक फीट भी पाइप नहीं आया।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो पैसे दिये हैं, मैंने हमारे विभाग के सैक्रेटरी, मुख्य अभियंता और हमारे संभाग के जितने भी अतिरिक्त मुख्य अभियंता है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स हैं, उनको हिदायत दी है कि सबसे पहले विधायकों और एम.पीज. के कोटे का उपयोग किया जाए। उनके द्वारा दिये गये जो भी काम हैं, हैण्डपम्प हैं, ट्यूबवैल हैं या पाइप लाइन हैं या जो भी उन्होंने अपने कोटे में से स्वीकृतियां दी हैं, कम से कम दिसम्बर तक उस पैसे का उपयोग किया जाना चाहिए, इस बात की मैंने हिदायत दी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दिसम्बर के पहले-पहले जितने भी पैसे हमारे माननीय सदस्यों के दिये हुए हैं, उन सबका सही उपयोग हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ हमारी स्कीम्स हैं, मैंने प्रयास किये हैं राजस्थान के 32 जिलों में योजनाएं, ट्यूबवैल स्वीकृत करने के। जो माननीय सदस्य यह कहते हैं कि हमारे यहां परियोजनाएं मंजूर नहीं हुई हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं हो या कोई रुचि नहीं रखता हो केवल बोलने के लिये रुचि रखता हो, वह एक अलग मामला है। जिस किसी माननीय सदस्य ने हमारे से सम्पर्क किया है या हमारे विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर किसी स्कीम में कोई डिफैक्ट नहीं है, कम्प्लीट है तो उसकी सारी स्कीमें मंजूर होती हैं। हमारे यहां बोलने वाले या नहीं बोलने वाले का ज्यादा जिक्र नहीं होता है। उस क्षेत्र में उसकी कमी कैसी है, उसकी मांग कैसी है, जनता को तकलीफ कितनी है और पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है, उसके आधार पर सारी योजनाएं बनायी जाती हैं, केवल खुश करने के लिये योजनाएं नहीं बनायी जातीं। मैं इस बात का भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां पर योजनाएं स्वीकृत होती हैं उन स्वीकृत योजनाओं में हमारा प्रयास रहता है कि वे समय पर पूरी हों। चूरू से आने वाले मेरे मित्र साथी श्री राजेन्द्र राठौड़ जी ने कहा कि जो जयपुर की योजना है इस पर आपने कितने पैसे खर्च कर दिये, 12 महीने हो गये। मैं आपको बताता हूं, मार्च 2000 तक केवल एक हजार रुपये का प्रावधान रखा हुआ है और मैंने 15-17 करोड़ रुपये रेलवे विभाग को देने का तय किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय जब इन्होंने जिक्र कर दिया...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए, आपको पूछने का मौका दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय रिकार्ड पर ठीक बात जाए। मेरा नम्र निवेदन है...

श्री उपाध्यक्ष : आपको जब कह दिया कि आपको पूछने का मौका दूंगा फिर क्या बात है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह मित्रता निभा रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे हमारे पूरे प्रदेश में 40 हजार गांव है, 50-60 हजार ढाणियां हैं और करीब 222 शहर है, सारे जुड़े हुए हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो योजनाएं जुड़ी हुई हैं या जो गांव जुड़े हुए हैं या जो योजना बनी हुई है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारी योजनाओं का पानी गांव के लास्ट किनारे तक नहीं पहुंचता है, मैं मानता हूं और माननीय सदस्य भी जानते हैं क्योंकि कुछ तो आबादी बढ़ गई, कुछ लोगों ने नाजायज कनेक्शन ले लिये। कुछ भी किया है लेकिन पानी नहीं पहुंचता है। हमने प्रयास किया है कि उस योजना में सुधार करने का। कई पानी के नये स्रोत जगे हैं। ये सारी बातें माननीय सदस्य अगर हमारे अधिकारियों के साथ बैठकर सही ढंग से बात करते हैं, अपने विचार और सुझाव देते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी इलाके के लोग किसी भी गांव और शहर की योजना से महरूम नहीं रह सकते। अभी अभी सौ गांवों की योजना जर्मन स्कीम के तहत शुरू हो चुकी है, राठौड़ साहब को मालूम है और वह करीब-करीब पूर्ण हो चुकी है, चाहे कैसे भी हुई हो। चूरू और बिसाऊ की 168 गांवों की योजना है जिसमें आपके चूरू के गांव, जयदेव जी के गांव आते हैं। हम इसे जल्दी पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें 168 गांव चूरू और झुन्झुनूं के आएंगे, इससे वहां राहत मिलेगी। तीसरा फेज जब बनेगा तो चूरू जिले के सौ-डेढ़ सौ गांव और जुड़ जाएंगे। इस प्रकार चूरू के करीब पांच-छह सौ गांवों की योजना हमारे दिमाग में है, हमारे विभाग के विचाराधीन है और आने वाले दो-तीन साल में वह कम्प्लीट हो जाएगी। यह आप वाला काम दो साल में हो जाएगा। हमने जो भी योजना बनायी है, हमने सारी तारीखे तय की हुई हैं। हम राजेन्द्र जी की तरह कोई टप्पा नहीं मारते हैं, हम वही काम कहते हैं जो काम हम कर सकते हैं।

भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य जो हमारे पूर्व मंत्री हैं, मैं इनका बहुत आदर करता हूं। इन्होंने कहा है कि बीच में गांव हैं, हालांकि गुलाबपुरा और विजय नगर के लिये एक इमरजेंसी स्कीम हमने बनायी थी। वहां पर बरसात के दिनों में भी पानी की कमी रहती है और ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। हमने वहां के लिये इमरजेंसी स्कीम बनायी है और होली से पहले-पहले उन

(श्री रामसिंह विश्नोई)

दोनों शहरों को और कम से कम 3-4 गांवों को और आप कहेंगे तो 20-25 गांवों को उस योजना से जोड़ दिया जाएगा। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ढाई-तीन हजार करोड़ की जो योजना हमने स्वीकृत की है, ये जो 153 माननीय सदस्य हैं ये पांच साल के लिये चुने गये हैं, हमने आज तक जो योजनाएं मंजूर की हैं वे सारी योजनाएं हमारे कार्यकाल में पूरी हो जाएगी, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं।

नागौर, डेगाना और बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्यों को मैं कहना चाहूंगा कि ये दोनों बहुत बड़ी योजनाएं हैं और इनमें कम से कम ढाई हजार करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। यह योजना जब हमारे कंट्रोल में हो जाएगी, जब हमारा इस पर पूरा काम करने का कंट्रोल हो जाएगा उसके बाद हम इसको स्वीकृत करेंगे। बार-बार अकाल पड़ने के कारण राज्य सरकार की स्थिति ठीक नहीं है। जितना हिस्सा राज्य सरकार को हमारे को उपलब्ध कराना चाहिये उसकी कमी के कारण हम इस योजना को ले नहीं पाये हैं। यदि ये अकाल नहीं पड़ते, प्रद्युम्न सिंह जी की स्थिति अच्छी होती तो मेरे खयाल से हमारे को यह योजना स्वीकृत करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होती। फिर भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारे वित्त मंत्रीजी का बहुत आभारी हूं कि इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इन्होंने हमेशा हमारे विभाग को तरजीह दी है। मुख्य मंत्रीजी ने 12.10.2000 से दो महीने पहले हमारे विभाग के अधिकारियों की और हम तीन-चार मंत्रियों की इमरजेंसी बैठक बुलाकर पूरे प्रदेश में पानी की स्थिति से किस प्रकार निपटा जाए, इस पर विचार किया। माननीय सदस्यों की राय ली गई, अधिकारियों से राय ली गई। अलग-अलग मंत्रियों ने भी अपने विचार रखे।

210 करोड़ का कन्टिंजेंसी प्लान और इमरजेंसी योजना बनाई गई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरे प्रदेश में कहीं पर भी किसी भी तरह की स्थिति हो, न तो पाइप की कमी रहेगी। जहां भी आप चाहेंगे, कटारिया साहब ने कहा है कि मैं हैण्डपम्प और ट्यूबवैल के पक्ष मं नहीं हूं, मैं खुद इस पक्ष मं नहीं हूं लेकिन टैम्परेरी रिलीफ आदमी को देने के लिए इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। कटारिया साहब, हमने जो भी योजना 2500 करोड़ रुपये की बनाई, एक भी ट्यूबवैल से नहीं बनाई है, सब सतही पानी से बरसात के पानी से बनाई है। हमारी सरकार ने जनता को पहले ही विश्वास दिलाया था कि हम सबसे पहले पानी को प्राथमिकता देंगे। जितनी योजनाएं बनाई हैं सब सतही

(श्री रामसिंह विश्नोई)

पानी की योजनाएं बनाई हैं। लेकिन टैम्परेरी रिलीफ देने के लिये हैण्डपम्प और ट्यूबवैल अति आवश्यक हैं इसलिये इनका सहारा लिया गया है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई जरिया नहीं था। कुछ राहत देने के लिए इमरजेंसी स्कीम के अंदर हैण्डपम्प बनाए भी जाएंगे, हैण्डपम्प रिपेयर भी किए जाएंगे। योजनाओं को नया रूप दिया जाएगा। जहां पुराने कुएं हैं, खेतसिंह साहब हमें कह रहे हैं अभी, यह बहुत चिंतित हैं कि पुराने जो स्रोत हैं पारम्परिक कुएं हैं, बावड़ियां, तालाब, नाडी जोहड़ हैं इनको लिया जाए। आपको मैं बता दूं कि मैंने मुख्य मंत्री जी और राहत मंत्री जी को इससे पहले भी निवेदन किया था, बहुत खुशी की बात है और मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि बहुत भारी संख्या में नाड़ियों की खुदाई का कार्य इस राज्य सरकार ने किया। करीब 5000 कुएं, बावड़ियां तैयार हुई है। इस बार ऐसी स्थिति पैदा हुई है, इसके अन्दर जितने भी प्राचीन कुएं, बावड़ियां हैं और जो लोग दिलचस्पी रखते हैं-सरपंच चुने हुए प्रतिनिधि और गांव के लोग, मैं सोर पुराने स्रोतों को ठीक करने का विश्वास दिलाता हूं। नाडियों और तालाबों की देखरेख इनका रख-रखाव जब तक अपने तरीके से जनता, ग्रामवासी और नागरिक नहीं करेंगे, पानी का समाधान होने की कोई उम्मीद नहीं है। सरकार, के विभाग के भरोसे रहेंगे तो लोग प्यासे रहेंगे तकलीफ रहेगी। इसका इलाज केवल यही है कि सब तरीके के हमारे जो स्रोत हैं, वापस नये सिरे से, सही तरीके से उनका इस्तेमाल करें।

मैं इस विश्वास का हूं कि गांवों के अंदर, शहरों के अंदर टांकों का कुण्डों का निर्माण भी किया जाना चाहिये। जब तक यह नहीं होगा तब तक जो आने वाला समय है, यह मैं नहीं कहता कि आगे प्रलय हो जाएगा या पानी खतम हो जाएगा, कुदरत का मालूम नहीं पड़ता है। जब 56 में अकाल पड़ सकता है 100 साल पहले और कभी भयंकर बरसात हो सकती है तो प्रकृति की जानकारी तो कोई नहीं रखता है। लेकिन फिर भी अपना फर्ज बनता है कि जो भी हमारे पास साधन हैं या जो ऊपर का पानी है, बरसात का पानी है उसका ज्यादा से ज्यादा जिस तरीके से भी उपयोग किया जा सके, उपयोग किया जाना चाहिये ताकि तकलीफ के अंदर, अकाल के अंदर, आपातकाल के अंदर वह हमारे काम आ सके।

मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं, आप लोगों ने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिए। मैं सभी 200 सदस्यों का आभारी हूं। विधायक चाहे वह किसी पार्टी को बिलांग करता हो, मैं सबसे पहले चुने हुए प्रतिनिधि का सम्मान करता हूं। मेरे जितने भी अधिकारी

(श्री रामसिंह विश्नोई)

हैं, मैंने सारे अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं कि चाहे गलत काम भी वह कराते हैं तो तकलीफ वह पाएंगे लेकिन बात आपको माननी पड़ेगी। मैं यह नहीं कहता कि उनकी सारी बातें सही हों। लेकिन चाहे सही हो या गलत, किस करण से वह अपना काम कैसे कराता है, वह उसकी मर्जी की बात है। आप उसको सलाह दे सकते हैं सुझाव दे सकते हैं, बात उस माननीय सदस्य की माननी पड़ेगी, ये डायरेक्शन मैंने मेरे समस्त अधिकारियों को दे रखे हैं।

श्री रामस्वरूप : अब तो तारीफ कर दो। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : हमारे जो चुने हुए विधायक हैं मैं उनका सम्मान करता हूं। माननीय सदस्य काफी आदमियों का ट्रांसफर कराने में भी रुचि लेते हैं, हालांकि मैं ट्रांसफर माइंडेड आदमी नहीं हूं, लेकिन चाहे बी.जे.पी. का भी आदमी हो और वह चाहता है कि मेरा यह आदमी सहयोग नहीं करता है, मैं उस आदमी का काम करता हूं। हम कभी भी इस मामले में राजनीति नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी वजह से हमारे क्षेत्र के लोगों को परेशानी नहीं हो। यह हमारा हमेशा इरादा रहा है।

हमारे पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य रमजान भाई हैं, इन्होंने सदैव पुष्कर की चिंता की है। पिछले दो वर्षों से हमारे के.एल. मीणा साहब भी वहां गए, मैं भी वहां गया और हमारे जितने भी माननीय विधायक हैं उन सबने सलाह दी, आपने भी तरजीह दी, तवज्जोह दी और हमने वहां पर पानी की व्यवस्था की। हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है लेकिन हमारा धर्म क्षेत्र है, हमारा फर्ज बनता है। आपका कार्य क्षेत्र है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपने मुझे बार-बार सुझाव दिये। मैंने भी प्रयास किये कि पुष्कर की मर्यादा है, धार्मिक महत्व है उसको बनाए रखें। पानी का स्तर नीचे नहीं हो पाए, उसके लिए मैंने प्रयास किये। आपने पांच ट्यूबवैल के लिए कहा, मैंने पांच ट्यूबवैल खोदने के आदेश दिए। मेरे ख्याल से बिजली के भी ट्यूब हो गए होंगे। पानी नहीं होता है तो किराये के कुएं लेकर भी हम प्रयास करेंगे कि आपकी जो सारी मांग है उसकी पूर्ति की जा सके। (व्यवधान)

हमारा टयूरिस्ट पाइंट माउण्ट आबू है वहां पर नक्की झील के अन्दर उसकी भराव क्षमता के मुताबिक पानी रहना चाहिये। उदयपुर में पिछोला झील है इसमें ज्यादा पानी कैसे आ सके, टयूरिस्ट कैसे प्रभावित हो सकें, कैसे आ सकें, यह चिंता भी हमको हमेशा बनी रहती है। कहने का तात्पर्य यह है किस प्रकार हम दूसरे विभागों को, मंत्रियों को सहयोग कर सकें, साथियों को

(श्री रामसिंह विश्नोई)

सहयोग कर सकें, यह प्रयास हमारा हमेशा रहता है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य केवल बोलने के लिए नहीं बोले कुछ काम करने के लिए बोले सुझाव देने के लिए बोलें। आपको पूरा सहयोग देंगे। मंत्री ने ऐसा नहीं किया, फलां ने ऐसा नहीं किया, मैं यह नहीं कहता कि नहीं बोलना चाहिये लेकिन छह महीने पहले बोलना चाहिए, आज नहीं। जो 5-6 महीने शेष रहते हैं उस समय आप खुली हमारी भर्त्सना करें। आज तो काम कराना है कोई तरीके से, येन केन प्रकारेण। विशेषकर हमारे शेखावत साहब जो 50 साल से राजस्थान की राजनीति में हैं, आपने बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं, आपको सहयोग करना चाहिए। आप टांग खिंचाई करते हो बात-बात के ऊपर, यह बात अच्छी नहीं है। आप जैसे नेता प्रदेश को बहुत कम मिलते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो बोला ही नहीं।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप बोले ही नहीं। मेरे लिए तो नहीं बोलते, लेकिन जहां आपको बोलना चाहिये वहां पर नहीं बोलते और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां पर बोलते हो, यह बात अच्छी नहीं है। राजस्थान में तीन साल से जहां अकाल पड़ता है, मवेशी और इंसान की वहां पर क्या स्थिति बनी है, वहां आपको सहयोग करना चाहिए। जितना सहयोग प्रदेश को मिलना चाहिए इसके अंदर करना चाहिए। आगे जाकर क्या स्थिति बनेगी? हमेशा तव्वजो देनी चाहिए।

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं इन विषम परिस्थितियों के अन्दर, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि होऊं या हमारा सैक्रेटरी या हमारे अधिकारी हों, सब आप लोगों के लिए कटिबद्ध हैं। आप जो भी काम कहेंगे, सारे काम आपकी इच्छाओं के अनुसार होंगे। मुझे विश्वास है कि आप सारे काम जनहित में कराएंगे। इसी आशा के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। माननीय जलदाय मंत्रीजी, आपने भाषण बहुत अच्छा दिया। अच्छा दिया। (व्यवधान) भाषण नहीं दे रहा।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्वेश्चन करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने यह कहा कि बोलने के लिए नहीं बोलना चाहिए, काम करना चाहिए। अब मैं आपका भाषण जो इसी सदन में आपने 27.4.2000 को दिया, वह पढ़कर सुनाऊं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज आप जो बोले, आपने जिन योजनाओं का जिक्र किया, आपने अपने भाषण में जिक्र किया था और अन्त में यह कहा था कि (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस प्रकार 2000 करोड़ रुपये की योजनाएं मंजूर हो चुकी हैं। तीन महीने पहले हमने स्वीकृति दे दी है, एक महीने में काम प्रारम्भ कर देंगे। परन्तु आज तक आपने वहां टेण्डर भी नहीं किया। मैं यह निवेदन कर रहा हूं, आप कहें तो मैं एक-एक शब्द बोलूं? (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : आप विराजो। मैं आपको बता देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि मैंने यह बात कही थी लेकिन मैंने इसलिए कही थी कि पहले जो योजनाएं हमारे प्रदेश के अन्दर बनती थीं वे टुकड़ों के अन्दर स्वीकृत होती थीं। छोटे-छोटे ठेकेदार पचास सौ ठेकेदार हैं, वे ठेका ले लेते थे एक योजना में। पूरे विश्व के अन्दर और हिन्दुस्तान के अन्दर अब यह करीब-करीब प्रक्रिया बन गयी है कि जहां तक हो सके एक अच्छी कम्पनी को, अच्छी फर्म को इस प्रकार की जो नालेज रखती हो, अच्छी जिसकी साख हो, कैपेसिटी हो, उसको दिया जाना चाहिए। इसलिए यह मामला कैबिनेट में गया, फर सी. एम. के पास गया, फिर फाइनैंस के अन्दर गया। (व्यवधान) नहीं, सुनिये आप बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप यह बता दो कि आपने काम प्रारम्भ किया क्या? आज नौ महीने हो गये आपने काम प्रारम्भ नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं किया। वह तो कह दिया उन्होंने कि नहीं किया। माननीय सदस्य, वे एमी कर गये कि नहीं किया। कहा उन्होंने, कारण बता रहे हैं नहीं किया जिसका। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच दिन पहले 25 तारीख को और 28 तारीख को टेण्डर आहूत हो गये हैं। पूरे हिन्दुस्तान को ठेकेदार कोई भी ठेका ले सकता है, ये टेण्डर आहूत हो गये हैं। आप कहें तो मैं पढ़कर सुना दूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं भी आपकी बात पढ़कर सुनाऊं, इस पवित्र सदन में आपने कहा था कि...(व्यवधान)... हमने स्वीकृति दे दी है।

श्री उपाध्यक्ष : स्वीकार कर लिया उन्होंने। (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और एक महीने में काम चालू कर देंगे। आपने इसी पवित्र सदन के अन्दर कहा था कि तीन दिन के अन्दर-अन्दर सारे हैण्डपम्प सुधार देंगे। मंत्रीजी, कुछ तो दया करो। राजस्थान में भयंकर अकाल है, कुछ तो दया करो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्रजी राठौड़, जब उन्होंने बात स्वीकार कर ली तो फिर क्या बचा है? आर्डर-आर्डर।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है। माननीय जलदाय मंत्रीजी, आप जोधपुर से बालोतरा के सब डिवीजन के 118 गांव जोड़ने जा रहे हैं, उसका काम तक प्रारम्भ हो जाएगा, नम्बर एक? भोण्डु से नयातला की जो चार करोड़ की स्कीम है, बी.जे.पी. के राज में स्वीकृत हुई, वित्तीय स्वीकृति हुई थी, चार ट्यूबवैल खुद गये, उसके बाद में नल लगाने का काम नहीं हुआ, इसके क्या कारण हैं? दो बातें हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपके ट्यूबवैल की तो मेरे को जानकारी नहीं है। जैसा आपने बताया कि ट्यूबवैल आपने कितने में खुदाये, मेरे को जानकारी नहीं है। लेकिन आपके जो गांव की बात कह रहे हैं, न तो आपने मुझे कोई प्रस्ताव दिया, न आपने कोई मुझे सुझाव दिया, न आपने कभी बात रखी। यह तो हम चाहते हैं कि आपके बालोतरा और समधड़ी के गांव जो लूणी इलाके से पेयजल से जुड़े हुए हैं और बाड़मेर से जो इस तरफ आये हुए हैं, पानी का ढलान आपकी तरफ है उन गांवों को जोड़ें। यह हमारे दिमाग की उपज है, आपका इसमें कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री अमराराम चौधरी : मेरा निवेदन है कि आपने यह बात कह दी और सर्वे करा दिया तो वह कब तक कर देंगे, बात यही है। इन गांवों को कब तक जोड़ देंगे?

श्री रामसिंह विश्नोई : आपने सुना नहीं है, जब आप दूसरों से बातें कर रहे थे। मैंने कहा कि हमारे कार्यकाल में तीन साल के अन्दर आपके गांव जोड़ने की चेष्टा की जाएगी चुनावों से पहले।

श्री अमराराम चौधरी : छह महीने में तो नहीं है न?

श्री रामसिंह विश्नोई : ताकि आप वापास एम.एल.ए. बनें नहीं और हमारा आदमी जीते। (व्यवधान)

श्री राजेंद्र राठौड़ : मंत्रीजी, आप स्पष्ट बताएं कि आपकी वित्तीय समिति जो बनी हुई है...(व्यवधान)...

मांग संख्या-34 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,17,18,78,000/- (तीन अरब सत्रह करोड़ अठारह लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गई।

शेष अनुपूरक अनुदान मांगे मुखबंद से मैं प्रस्तुत कर रहा हूं स्वीकृति के लिए।

मुखबन्द

अनुपूरक अनुदान की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या-7 निर्वाचन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-7 निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,77,73,000/- (दो करोड़ सतहत्तर लाख तिहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-15 पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-15 पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-18 जन-सम्पर्क

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-18 जन-सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 75,25,000/- (पचहत्तर लाख पच्चीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,85,08,000/- (छह करोड़ पिचासी लाख आठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16,42,73,000/- (सोलह करोड़ बियालीस लाख तिहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-27 पेयजल

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-27 पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 51,25,00,000/- (इक्यावन करोड़ पच्चीस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री उपाध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000/- (चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,000/- (आठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-37 कृषि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-37 कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,00,07,000/- (पच्चीस करोड़ सात हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,54,000/- (ग्यारह लाख चौवन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(20.00 बजे)

मांग संख्या-46 सिंचाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-46 सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,33,90,000/- (आठ करोड़ तैंतीस लाख नब्बे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-48 विद्युत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-48 विद्युत के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय

(श्री उपाध्यक्ष)

को रुपये 8,000/- (आठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-49 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-49 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-50 ग्रामीण रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-50 ग्रामीण रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

अतिरेक अनुदान वर्ष 1992-93 की मांगों का पारण

मांग संख्या-4 जिला प्रशासन

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-4 जिला प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 78,78,011/- (अठहत्तर लाख अठहत्तर हजार ग्यारह) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-6 न्यास प्रशासन

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-6 न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 75,57,779/- (पिचहत्तर लाख सत्तावन हजार सात सौ उनयासी) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-16 पुलिस

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-16 पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,75,420/- (तीन लाख पिचहत्तर हजार चार सौ बीस) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,02,88,464/- (एक करोड़ दो लाख अठासी हजार चार सौ चौसठ) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-20 आवास

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-20 आवास के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 82,79,302/- (बयासी लाख उनयासी हजार तीन सौ दो) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल के संबंध में 31 मार्च, 1993 को प्राप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,60,63,445/- (चार करोड़ साठ लाख तिरेसठ हजार चार सौ पैंतालीस) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-24 शिक्षा कला एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-24 शिक्षा कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,78,77,286/- (आठ करोड़ अठहत्तर लाख सतत्तर हजार दो सौ छियासी) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,40,47,718/- (तेरह करोड़ चालीस लाख सैंतालीस हजार सात सौ अठारह) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-27 पेयजल योजना

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-27 पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 44,72,62,383/- (चव्वालीस करोड़ बहत्तर लाख बासठ हजार तीन सौ तिरासी) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-46 सिंचाई

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-46 सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 33,60,50,481/- (तैंतीस करोड़ साठ लाख पचास हजार चार सौ इक्यासी) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी

मांग संख्या-48 विद्युत

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-48 विद्युत के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 42,87,00,000/- (बियालीस करोड़ सतासी लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-50 ग्रामीण रोजगार

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-50 ग्रामीण रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,87,43,097/- (छह करोड़ सतासी लाख तैंतालीस हजार सत्तानवे) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2000

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2000 का पुरः स्थापन उस पर विचार एवं पारण। प्रभारी मंत्री, श्री प्रद्युम्न सिंहजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2000 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2000 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2000 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ।

विधेयक पर विचार

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2000 को विचारार्थ लिया जाए?

श्री उपाध्यक्ष : कोई बोलना चाहते हैं?

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : माननीय उपाध्यक्षजी, बांसवाड़ा जिले के साढ़े पांच सौ आदिवासी किसानों का मसला है, पिछले साल जो राहत कार्य चले उनमें कुओं का कार्य अब तक नहीं हुआ है, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें पहले, माननीय सदस्य।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2000 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक, विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित करें। कोई बोलना चाहते हैं?

विधेयक का पारण

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2000 को पारित किया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह इस पर थोड़े ही बोल रहे हैं, यूं ही बुला रहे हो।

श्री जीतमल खांट : माननीय उपाध्यक्षजी, प्रतिपक्ष के नेता बैठे हुए हैं और हमारे मेवाड़ के लाड़ले नेता बैठे हुए हैं, बांसवाड़ा के साढ़े पांच सौ आदिवासी किसानों का मामला अधरझूल में पड़ा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2000 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2000 पारित किया गया। (व्यवधान) एक आप सब तो भूल गये शायद। आपने एक प्रश्न उठाया था नर्सेज के संबंध में और मैंने यह कहा था कि मंत्रीजी इसका स्पष्टीकरण देंगे। आप सब तो भूल गये लेकिन मैंने मंत्रीजी से (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : ध्यान है इसीलिए बैठे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अभी और न, साहब। अभी एक्सेस ग्रांट और है। एक्सेस ग्रांट का एप्रोप्रिएशन और है। विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2000।

श्री उपाध्यक्ष : प्रद्युम्न सिंहजी, राजस्थान विनियोग (संख्या-5) का प्रस्ताव करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2000 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2000 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनिये आप। इस तरह से आप गाड़ी मत चलाएं स्पीड से, पहले रखें बाकायदा। रखा नहीं इन्होंने।

श्री प्रद्युम्न सिंह : रख दिया, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं रखा है। मैं कह रहा हूं न, नहीं रखा है।

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2000

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2000 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, अब बोलिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न पहले इन्होंने।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2000 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरः स्थापित भी करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2000 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2000 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2000 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2000 को विचारार्थ लिया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2000 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2000 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2000 को पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2000 पारित किया गया। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी।

स्पष्टीकरण

नर्सेज के पदों के लिए कौंसलिंग

श्री राजेन्द्र चौधरी (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया था, उसमें खण्ड दो में यह पूछा गया था—"राज्य में कम्पाउंडर्स, नर्सेज एवं ए.एन.एम. के जिलेवार कितने ट्रेनिंग सेंटर हैं एवं उनकी कितनी क्षमता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।"

इसका उत्तर दिया गया था—"राज्य में नर्सेज के 15 प्रशिक्षण हैं। इन प्रशिक्षण केन्द्रों तथा कितनी-कितनी सीटें निर्धारित हैं, एनेक्सचर-"ए" पर प्रस्तुत हैं एवं ए.एन.एम. के राज्य में 27 प्रशिक्षण केन्द्र हैं जिनका विवरण एनेक्सचर-"बी" पर प्रस्तुत है।"

इसका जो खण्ड तीन है वह इसी के रैफरेंस में आया है। उसमें पूछा गया-"क्या सरकार ने वर्तमान में नर्सेज हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये हैं? यदि हां तो उनके साक्षात्कार कब तक लेने का विचार है?"

खण्ड दो के अन्दर ट्रेनिंग सेंटर के सम्बन्ध में बात थी, उसी का उत्तर हमने दिया "जी हां। नर्सेज हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं जिनका साक्षात्कार दिनांक दो नवम्बर को लिया जाएगा।" आज की तारीख में इसमें कन्फ्यूजन यह हो गया कि हमने जो कौंसलिंग की है 940 सीटों के लिए, वह की है आज के लिए। यह समझ गये कि जो ट्रेंड आलरेडी हैं उनको नौकरी देने के लिए बुलाया गया है। यह नहीं था। यह इसका स्पष्टीकरण है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 3 नवम्बर, 2000 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.14 बजे शुक्रवार, 3 नवम्बर, 2000 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-59 की सूची)

कार्यालय नगर परिषद श्री गंगानगर

सर्वेक्षण सूची 15.08.1998 तक अतिक्रमण

बस्ती का नाम .... शिवकालोनी वार्ड नं. 16 श्री गंगानगर

1. कमला/श्याम सुन्दर
2. देवीलाल/जुगल किशोर
3. राज कुमार/किशोरी लाल
4. पृथ्वी राज/कालाराम
5. हरप्रित सिंह/तिर्थ सिंह
6. धर्मवीर/किशोरी लाल
7. लीला देवी/गोपाल
8. अमर जीत शर्मा/रामस्वरूप
9. नीलम देवी/रतन लाल
10. हरिचन्द/सांई दास
11. अजय कुमार/दुर्गा दास
12. भीम चन्द/तोताराम
13. लक्ष्मण शर्मा/ओम प्रकाश शर्मा
14. बाबू लाल/रामपाल
15. रमेश कुमार/मोहन लाल
16. राजरानी/मुरली
17. विमला देवी/छोटे लाल
18. रानी देवी/ईश्वर लाल
19. महेन्द्र कौर/हरदेव सिंह
20. विमला देवी/नारायण दास
21. पप्पू/जस्साराम
22. रागेश/देसराज
23. सुरजाराम/
24. मदन लाल/हरजीराम
25. सुख राम/हरजीराम
26. कमला देवी/बद्री प्रसाद
27. बाबूलाल/चुन्नी लाल
28. रामचन्द/निरसराम
29. गंगा राम/मोतीराम
30. श्याम लाल/पनिपाराम
31. राम कुमार/भूराराम
32. प्रदीप दास/अनूपदास
33. पानवती देवी/नारायणदास
34. महेन्द्र मण्डल/महेत मण्डल
35. राम ईकबाल/अनूप दास
36. कुलदीप/अनूप दास

37. महर्षी दास/तुलाय दास
38. सकल दीप/अनूप दास
39. आनन्द सिंह/गोपाल सिंह
40. रामबृज/जोगेन्द्र दास
41. राम प्रसन्न/भिरगू
42. रामचन्द्र/रामवतार
43. महंत दास/जदद्दू दास
44. संत दास/जदू दास
45. अजीत कुमार/सोहन लाल
46. शिवनी/निजामुदीन
47. शिब्बू पासवान/संतोष पासवान
48. कृष्णा देवी/रामेश्वर
49. सरती देवी/बनवारी लाल
50. रवि कान्त/आमी नागपाल
51. रामचन्द्र/बिजली पासव
52. ठाकुर दास/बाबूलाल
53. रामप्रकाश/बुदन पासवान
54. कैलाश/विन्देश्वर
55. मोहम्मद हमीद/हमदि
56. महबुब/बब्बन
57. राजू/जस्साराम
58. बाबूलाल/मांगूराम
59. गरीब दास/शंकरजी
60. कमला देवी/चिमन लाल
61. रूप चन्द/सविलराम
62. राज रानी/जगदीश
63. शंकर लाल/चन्दूराम
64. नूरइल्लाही/अब्बूल मजीद
65. परिखाना/लखदाता हजरत सैयद अहमद लालावाला

ह.

आयुक्त,

नगर परिषद, श्रीगंगानगर

कार्यालय नगर परिषद श्री गंगानगर

सर्वेक्षण सूची 15.08.1998 तक अतिक्रमण

बस्ती का नाम करनपुर रोड, वार्ड नं. 17 श्री गंगानगर

1. चेनाराम/ईश्वरराम
2. सरवल/सुगनाराम
3. वोर्डसिंह/
4. झामन सिंह/वीरूसिंह
5. लियाकत अली/मोहम्मद अनवर
6. शोभाराम/त्रिलोकाराम
7. फूलाराम/सुरजाराम
8. भैरसिंह/लाल चन्द
9. मैना देवी/सुरजाराम
10. शान्ती देवी/दानाराम
11. प्रभुदयाल/नागरराम
12. मगतराम/धर्माराम
13. धर्माराम/श्री चन्द
14. शुभाष/अचुराम
15. मूलचन्द/धर्माराम
16. भगवानी देवी/धड़सीराम
17. कमल जीत/दिदार सिंह
18. दिवान चंद/ईश्वर दास
19. मोतीराम/बुधराम
20. भागचंद/ढोलाराम
21. बाबूलाल/लाल चन्द
22. बेवा विमला/इन्द्र चंद
23. किरन देवी/बजरंग लाल
24. मुरली धर/तीर्थराम
25. पूरनराम/गंगाराम
26. लाल चन्द/पाबूराम
27. गुरदीप सिंह/जागर सिंह
28. पूरन चन्द/टाकन दास
29. गिरधारी लाल/तीर्थराम
30. जगदीश चन्द/चोथूराम
31. शान्ती देवी/शंकर लाल
32. रणजीत सिंह/झामन सिंह
33. मंगतराम/सुरजाराम
34. ओम प्रकाश/लाल चन्द
35. भंवर लाल/पुरखाराम
36. छगन लाल/दीपाराम
37. कृपाल सिंह/करतार सिंह
38. निहाल सिंह/करतार सिंह
39. खुशहाल सिंह/करतार सिंह
40. भागीरथ/श्याम लाल

41. शंकर लाल/धर्मराम
42. जवाहर लाल/बनवारी लाल
43. किशोर लाल/श्याम लाल
44. गुरदीप सिंह/मखन सिंह
45. बुधराग भाट/त्रिलोकाराम
46. हंसराज/सरवन सिंह
47. गुरप्रीत कोर/जंगीर सिंह
48. रूकमनी/धर्माराम
49. कोशला देवी/सीताराम
50. वलवीर सिंह/मखन सिंह
51. दलीप सिंह/मखन सिंह
52. जगराज सिंह/नागर सिंह
53. दीनाराम/भूराराम
54. शान्ती देवी/भूराराम
55. बन्टी/गिरधारी
56. ईश्वर दास/भीरकराम
57. उत्तमाराम/नैनूराम
58. देवाराम/सांवलराम
59. धनराज/सावलाराम
60. ओम प्रकाश/सावलाराम
61. रावताराम/केवलराम
62. रतन लाल/केवलाराम
63. मांगीलाल/वीर भान
64. दूलाराम/भभूताराम
65. केवल सिंह/मखन सिंह
66. निर्मला देवी/रतन लाल
67. जगीर कौन/सरदार सिंह
68. हेमराम/दुभान सिंह
69. हुकम सिंह/लक्ष्मण सिंह
70. कर्मसिंह/देवा सिंह
71. हंसराज, पूरन चन्द/होन्दाराम
72. सोहन लाल/घूड़ाराम
73. तुलसीराम/शालूराम
74. बलदेव राज/माल मुकंद
75. मदन लाल/लखपतराम
76. सुखादेवी/अश्य चन्द
77. खेम चन्द/किशन लाल
78. शिवलाल/ईश्वरराम
79. रामकली/रामखिलाड़ी
80. जमन लाल/रूपाराम
81. सोहन लाल/वीर भान
82. ओम प्रकाश/वीर भान
83. बकतू देवी/द्वारका दास
84. हरवंश चिरजी लाल/कश्मीरी लाल
85. पेमा देवी/बुद्धराम
86. सोहन लाल/जानराम

87. नैवाराम, लेखराम/फूसाराम
88. जियाराम/रामचन्द
89. लेखराम/लिछाराम
90. मोहनी देवी/किशन लाल
91. कस्तूरी देवी/हेमराज
92. भीखराम/चेतराम
93. किशोरी सिंह/कुडीया सिंह
94. परमजीत कौर/हिम्मत सिंह
95. प्रीतम सिंह/सांवल सिंह
96. शेर सिंह/श्याम सिंह
97. गुणवन्त कौर/सीतल सिंह
98. नवल सिंह/मखन सिंह
99. रणजीत/चेतराम
100. ईश्वर दास/तारा चन्द
101. करतार सिंह/हरि सिंह
102. नन्द कौर/जीत सिंह
103. नोखा सिंह/आनंद सिंह
104. शीशपाल/मोहन लाल
105. मोहन लाल/बुधराम
106. बनवारी लाल/मेघाराम
107. भगवानाराम/चन्दू राम
108. डूंगरराम/मोडू राम
109. श्रीमती शोम देवी/कबीलाराम
110. सन्ता राम/किशनाराम
111. सुमेर सिंह/बाला सिंह
112. चेतराम/मोहन लाल
113. सन्तोष देवी/सतपाल सिंह
114. केसरी सिंह/मोहन सिंह
115. किशन सिंह/जगूराम
116. रूपाराम/जगूराम
117. दुर्गा देवी/नारायण सिंह
118. दलीप सिंह/सन्तोख सिंह
119. चेलाराम/टेआराम
120. सोमा देवी सोनी/गोपाल सिंह सोनी
121. शिशपाल/मेघाराम
122. शिवदयाल/मेघाराम
123. जगदीश/मोहन लाल
124. मोहन लाल/पेमाराम
125. बीरबल/रामचन्द
126. दाखा देवी/चन्दूराम
127. रूकमनी देवी/खेमाराम
128. प्रहलाद/जोगाराम
129. बाबू लाल/जोगाराम
130. चैना देवी/किशन लाल
131. सुल्तानाराम/खीयाराम
132. कन्हैया लाल/गोलकराम

133. ओम प्रकाश/गोलकराम

134. सुन्दर सिंह/रामसिंह

135. बलवीर सिंह/निहां सिंह

136. शान्ती देवी/मोहन लाल

137. केशव देव/तिलक सिंह

138. रमेश चन्द/डकवर सिंह

139. मोहन लाल/सुन्दर दास

140. राजकुमार/शिवदयाल

141. बलदेव सिंह/

142. रतन लाल/हिम्मतराम

143. मीरा देवी/ओम प्रकाश

144. लाल देवी/आत्माराम

145. विधा देवी/सहीराम

146. धनाराम/खलूराम

147. विधा देवी/दरबारी लाल

148. करतार सिंह/जोराराम

149. बरजी देवी/सुभाष चंद

150. जसवीर सिंह/रणजीत सिंह

151. बलदेव सिंह/हुकम सिंह

152. गुरदीप सिंह/रणजीत सिंह

153. इन्द्राज अमर लाल/शिवपाल

154. बलवन्त सिंह/अमर सिंह

155. रामकुमार/छोगाराम

156. शिशपाल

उमराव सिंह

छगन सिंह

श्याम सिंह

भंवर सिंह/सोहन लाल

157. सूरजीत कौर/रणजीत सिंह

158. चौधरी लाल/सुन्दर दास

159. नंदलाल/मोहन दास

160. प्यारेलाल/छोटेलाल

161. सोनी देवी/अशोक कुमार

162. नोबत सिंह/गिरधारी लाल

163. वीरबलराम पूनिया/सूरजाराम

164. बृजलाल/बलराम

165. कृष्ण लाल/नानकराम

166. ख्यालीराम/पतराम

167. देवी लाल, राजेन्द्र कुमार/सहीराम

168. इन्द्र सिंह/पिरमा सिंह

169. हेतराम/थानाराम

170. थानाराम/गोधूराम

171. ताराचन्द/पतराम

172. हंसराज/शेराराम कुमार

173. शिवनारायण/रामुजी

174. जगदीश कुमार/उदाराम कुम्हार

175. सावत्री देवी/गंगाराम
176. मनजीत सिंह/भगवान सिंह
177. गोपाल सिंह/सुन्दर सिंह
178. सेवासिंह/सुन्दर सिंह
179. सुरजीत कौर/निरंजन सिंह
180. किशोर सिंह/सुन्दर सिंह
181. हरनाम सिंह/सुन्दर सिंह
182. बूटासिंह/बलवन्त सिंह
183. सुखदेव सिंह/बलवन्त सिंह
184. सजीदा बानो/मंजूर खान
185. हरि शंकर, विजय सिंह/गोपी चंद
186. उदय सिंह/गोपाल सिंह
187. सरदारा सिंह/खुशिया सिंह
188. देवराज/साधुराम
189. सहीराम/पतराम
190. करतार सिंह/पूरन सिंह
191. नीलम देवी (विधवा)/लाभचंद
192. तारासिंह/हुसन सिंह
193. नोरा देवी/बीरबलराम
194. सूरजाराम/गोधुराम
195. गलकीत सिंह/नाजर सिंह
196. जगीर कौर/निरायण सिंह
197. महावीर प्रसाद/मोटाराम
198. राजेन्द्र पाल/मोहन लाल
199. सुरेन्द्र पाल, संजीव कुमार/ नन्दलाल
200. कुलविन्द्र सिंह/मोती सिंह
201. जसपाल सिंह/मोती सिंह
202. शान्तनु/इन्द्रजीत सिंह
203. राहुल देव/रामकुमार
204. जानकी देवी/बलराम
205. विमला देवी/चन्द्रभान
206. हिराखाचोपदार/भिसरूखां
207. रामकुमार/नहपुराम
208. नत्थुराम/गणपतराम
209. इन्द्रजीत सिंह/नन्दराम
210. करनैल सिंह/बुधसिंह
211. किशनलाल/मोहनलाल भाट
212. इन्द्रसिंह/छुल्लासिंह
213. ओमप्रकाश/हरजीराम
214. भगवानदास/नन्दलाल
215. ओमप्रकाश/रूधनाथ

ह.

आयुक्त,

नगरपरिषद श्री गंगानगर

परिशिष्ट-2

(समय भाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

जिला सीकर एवं झुंझुनूं में बकाया बजरी रायल्टी की वसूली

62. **श्री मोहन लाल मोदी** (नीमकाथाना) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुन्झुनूं एवं सीकर के राजस्व ग्राम मावता, जहाज मणकसास, हरिपुरा आदि क्षेत्र के बजरी अधिशुल्क वसूली का ठेका वर्ष 1999 से 2001 तक किस व्यक्ति को कितनी राशि का दिया गया?

(2) उक्त ठेकेदार ने रायल्टी तथा बढ़ी हुई दर से परिमिट टैक्स की राशि कितने समय की कितनी वसूल की है? क्या उक्त राशि विभाग में जमा करवाई गई है? क्या उक्त ठेकेदार का ठेका संविदा निरस्त कर दिया गया? यदि हां, तो किस तारीख को एवं उस रोज कितनी बकाया थी और आज तक उक्त बकाया राशि विभाग द्वारा क्यों वसूल नहीं की गई?

(3) क्या उक्त ठेकेदार ने विभाग को धोखा देकर झूठा हैशियत प्रमाण-पत्र बनाकर पेश किया? क्या उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई? यदि हां, तो मूल शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें। उक्त शिकायत पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई?

(4) उक्त प्रकरण में कौन-कौन अधिकारी फर्जी हैशियत प्रमाण-पत्र देने में लिप्त हैं और उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी? उक्त बकाया वसूल करने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं? अब उक्त बकाया सरकार कब तक वसूल कर लेगी?

उत्तर

(1) जिला झुन्झुनूं एवं सीकर के राजस्व ग्राम मावता, जहाज, पंचलगी, अड़वाना, पापड़ा, हुकमसिंह, मणकवास, बागोली आदि क्षेत्र खनिज बजरी पर अधिशुल्क एवं परमिट फीस संग्रह करने का ठेका दिनांक 12.9.1999 से 11.9.2001 तक के लिए श्री बाबूलाल गुप्ता पुत्र श्री रामप्रसाद गुप्ता निवासी कोटपूतली के पक्ष में वार्षिक राशि 1.61 करोड़ रुपये पर दिया गया था। शासन द्वारा परमिट फीस में बढ़ोतरी कर दिये जाने के कारण इस ठेके की राशि दिनांक 1.1.2000 से, 1,87,83,332/- रुपये प्रतिवर्ष निश्चित की गई।

(2) ठेकेदार द्वारा ठेके की रायल्टी एवं परमिट फीस की राशि संविदा दिनांक 12.9.1999 से तथा बढ़ी हुई परमिट फीस दिनांक 1.1.2000 से वसूल की गई। वसूल की गई राशि के संबंध में ठेकेदार द्वारा जानकारी नहीं दी गयी है। ठेकेदार द्वारा ठेका किश्त अवधि 12.9.1999 से 11.1.2000

(राज्य मंत्री, खनिज)

तक पुरानी दर से रुपया 53,66,664/- जमा कराये। ठेकेदार का ठेका दिनांक 6.4.2000 को बकाया किश्त जमा नहीं कराने पर प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये खण्डित किया गया। ठेका खण्डित तिथि को ठेकेदार के विरुद्ध रुपये 45,96,644/- बकाया थे। बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां, ठेकेदार के विरुद्ध ठेका राशि बकाया होने से वसूली की कार्यवाही के वक्त यह जानकारी तहसीलदार, नीमकाथाना से प्राप्त हुई कि श्री बाबूलाल गुप्ता के नाम कोई चल/अचल सम्पत्ति नीमकाथाना में नहीं है। इसी दौरान श्री मोहनलाल मोदी, माननीय राजस्थान विधानसभा सदस्य से एक शिकायत दिनांक 9.5.2000 प्राप्त हुई जिसकी छाया प्रति संलग्न है। इस प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा गलत हैसियत प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुये उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना एवं अन्य सम्बन्धित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है।

(4) इस प्रकरण में हैसियत प्रमाण पत्र देने में उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/पटवारी, नीमकाथाना संबंधित है। इन अधिकारियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग को विचारार्थ प्रकरण प्रस्तुत किया है। बकाया वसूली की कार्यवाही भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत जमानतियों से भी की जा रही है।

श्रीमान खनिज राज्य मंत्री

राजस्थान सरकार

जयपुर।

विषय : श्री बाबूलाल गुप्ता पुत्र श्री रामप्रसाद गुप्ता निवासी वार्ड नं. 15 नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा 20 लाख की हैसियत का मिथ्या प्रमाण-पत्र प्राप्त कर बजरी ठेका प्राप्त कर विभाग को धोखा देने संबंध में विभाग द्वारा मुकदमा दर्ज कराकर दंडित कराने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि ग्राम मावता, जह्वाज, उठवाना, पंचलंगी, पापड़ा, हुक्मसिंह, छाजूसिंह, मनकसास, मण्डावरा, बागोली, सराय, हरीपुरा आदि में एक बजरी का ठेका दिनांक 12.09.99 से 11.09.2001 तक 1,87,83,332.00 रुपये वार्षिक राशि पर बाबूलाल पुत्र रामप्रसाद गुप्ता बासंडी मोहल्ला, कोटपुतली के नाम से छोड़ा गया था। इस ठेके को प्राप्त करने के लिये श्री बाबूलाल ने अपने आप को नीमकाथाना वार्ड नं. 15 का निवासी बताते हुए अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण देकर 20 लाख की राशि का हैसियत प्रमाण-पत्र उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना से प्राप्त किया जो पूर्णतया पूर्ण तरीके से मिथ्या विवरण देकर प्राप्त किया।

इस ठेकेदार ने एक जनवरी, 2000 से अप्रेल 2000 तक महावारी ठेका राशि 45,96,258.00 रुपये जमा नहीं कराई उसका ठेका अब निरस्थ कर दिया गया हैं। खनिज-अभियंता, सीकर द्वारा उक्त बकाया राशि का कुर्की वारन्ट तैयार कर ठेकेदार द्वारा बताई गई सम्पत्ति को कुर्क करने मौके पर पहुंचे तो ज्ञात हुआ कि ठेकेदार द्वारा हैसियत प्रमाण-पत्र में अंकित कोई आय सम्पत्ति मौके पर मौजूद नहीं पाई गई व मिथ्या हैसियत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर विभाग को जानबूझ कर बदनीयती से धोखा दिया गया।

बाबूलाल ने दिनांक 27.8.1999 को हैसियत प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये एक आवेदन पत्र तहसीलदार नीमकाथाना के समक्ष सत्यनारायण यादव एडवोकेट की कलम से लिखवाकर पेश किया जिसमें एक भूखण्ड 231 वर्ग गज जिसमें 8 कमरे, रसोई, बरामदा इत्यादि निर्माणशुदा हैं तथा दो अन्य भूखण्ड 500-500 वर्ग गज का प्रत्येक

वार्ड नं. 15 कालेज के सामने स्थित हैं। 231 वर्ग गज के भूखण्ड को श्रीमती सुप्यार कंवर धर्मपत्नी सवाई सिंह से दिनांक 25.7.1998 को क्रय करना तथा भूमि रूपान्तरण जमा कराने बाबत लिखा है और इस आधार पर 25 लाख रुपये की हैसियत प्रमाण-पत्र चाहा। अपने समर्थन में शपथ पत्र भी दिनांक 29.8.1999 का दिया। इस पर तहसीलदार ने पटवारी से रिपोर्ट मांगी। आवेदन के साथ सुप्यार कंवर द्वारा एक इकरारनामा पेश किया जिसमें 70,000.00 रुपये में विक्रय करना बताया तथा सम्पत्ति का कोई विवरण स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है व नहीं यह दस्तावेज रजिस्टर्ड हैं।

यह कि सत्यनारायण यादव एडवोकेट एक इकरारनामा खसरा नं. 776/2 में दो भूखण्ड 500-500 वर्ग गज प्रत्येक विक्रय करने का इकरारनामा प्रस्तुत किया इसमें भी भूखण्डों की सीमा व विवरण दर्ज नहीं किये गये नहीं यह दस्तावेज रजिस्टर्ड हैं।

इन दस्तावेजों के आधार पर सम्बन्धित राजस्व अधिकारी द्वारा बिना गंभीर जांच किये सरकार को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से सत्यनारायण यादव एडवोकेट व बाबूलाल गुप्ता ठेकेदार जो नीमकाथाना का निवासी नहीं है षड़यन्त्र कर मिथ्या हैसियत प्रमाण-पत्र पेश कर कपटपूर्ण तरीके से ठेका प्राप्त किया इससे ठेकेदार के जिम्मे 45,96,258.00 रुपयों की बकाया राशि वसूल नहीं हो पा रही है।

श्री बाबूलाल गुप्ता व सत्यनारायण एडवोकेट ने सरकार को नाजायज रूप से हानि पहुंचाने व स्वयं नाजायज लाभ प्राप्त करने के लिये मिथ्या व कूट रचित दस्तावेज पेशकर गलत हैसियत प्रमाण-पत्र प्राप्त किया इसके संबंध में उक्त व्यक्तियों के खिलाफ फौजदारी प्रकरण सम्बन्धित विभाग द्वारा थाने में दर्ज कराया जाना जनहित में आवश्यक है जिससे वास्तविक अनुसंधान होकर अपराधियों को दंड मिल सके। धन्यवाद।

आपका

(मोहनलाल मोदी)

कैश कलेक्शन कार्य हेतु अग्रिम जमा राशि

63. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) एवं **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि विद्युत विभाग कैश कलेक्शन का कार्य ठेके पर कराया एवम् करवा रहा है? यदि हां, तो किस-किस जगह पर यह कार्य हुआ व हो रहा है? उक्त ठेकेदारों से रोकड़ में कितनी सुरक्षा राशि ली गई व नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एफ.डी.आर. के रूप में कितनी राशि के लिये है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि दो दिन की राशि पर्सनल गारन्टी की भी स्वीकार की गई है?

उत्तर

(1) जी, हां। विद्युत बिलों की राशि जमा करने का कार्य कई स्थानों पर ठेके पर करवाया गया है तथा अभी भी करवाया जा रहा है। इसके लिये ठेकेदारों से रोकड़ में, बैंक गारन्टी, बीमा कंपनी फिडलिटी बोन्ड तथा एफ.डी.आर. के रूप में सुरक्षा राशि ली गई है। जिन स्थानों पर ठेके पर कार्य हुआ है/हो रहा है तथा ली गई सुरक्षा राशि का निगमवार विवरण परिशिष्ट-"अ" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां। उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसा जोधपुर नगर वृत के मामले में किया गया था क्योंकि उस समय प्रचलित व्यवस्था के तहत ऐसा प्रावधान था। कालान्तर में व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए पर्सनल गारंटी के रूप में प्रतिभूति को विलोपित कर बैंक गारंटी/बीमा कम्पनी के फिडीलिटी कवर के रूप में प्रतिभूति लिया जाना ही विहित किया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यथा समय देय भुगतान

64. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या राज्य बीमा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य सेवा से सेवा निवृत्त होने तथा राज्य सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर राज्य कर्मचारी तथा उनके आश्रितों को मिलने वाली पेन्शन/बीमा राशि/ग्रेच्युटी आदि के रूप में मिलने वाली राशि के सम्बन्ध में राज्य के विभिन्न जिलों में कितने मामले विचाराधीन है? उक्त में से एक साल की अवधि से ज्यादा समय के कितने मामले विचाराधीन हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार के नियमों/सरक्यूलरों तथा दिशा निर्देशों में इस प्रकार के प्रावधान

(श्री शिवनाथ सिंह)

किये जा चुके हैं कि राज्य सेवा से निवृत्त होने वाले कर्मचारी को यह सब सुविधा में सेवा निवृत्त होने के दिन मिल जानी चाहिए? यदि हां, तो इनका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है?

उत्तर

(1) राज्य सेवा से सेवानिवृत्त एवं राज्य सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर कर्मचारियों एवं आश्रितों को मिलने वाली पेंशन/ग्रेच्यूटी के विभिन्न विभागों/कार्यालयों से प्राप्त प्रकरणों में दिनांक 30.9.2000 तक कुल 3739 प्रकरण विचाराधीन थे जिनमें से पेंशन विभाग में 1503 प्रकरण निस्तारित होने शेष थे तथा 2236 प्रकरणों को विभिन्न विभागों को आक्षेप पूर्ति हेतु लौटा दिया गया था। उक्त प्रकरणों में से एक साल की अवधि से ज्यादा तथा एक साल की अवधि से कम के विचाराधीन प्रकरणों की जिलेवार सूची संलग्न है।

इसी प्रकार राज्य बीमा में स्वत्व भुगतान के 3565 मामले विचाराधीन हैं। इनमें से 3063 मामलों में दावेदारों से दावा प्रपत्र पूर्ण होकर प्राप्त नहीं हुये हैं। शेष 502 मामलों में 418 बीमा पालिसी परिपक्व होने तथा 84 मामले मृत्यु दावे के बकाया है तथा प्रक्रिया में हैं। एक वर्ष से अधिक के 1205 मामले बकाया है। सूची संलग्न है।

(2) जी, हां। राज्य सरकार के नियम एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के दिन सेवानिवृत्त के लाभों (पेंशन/ग्रेच्यूटी) का भुगतान की अधिकृति जारी करने का प्रावधान है। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियमों के नियम 84(4) के अनुसार विभागों द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का पेंशन प्रकरण सेवानिवृत्ति से 6 माह पूर्व पेंशन विभाग को भिजवाने का प्रावधान है किन्तु प्रायः यह देखने में आया है कि कुछ पेंशन प्रकरण सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशन विभाग को नहीं भिजवाये जाते हैं जिसके कारण सेवानिवृत्ति के दिन पेंशन परिलाभों की अधिकृतियां जारी नहीं हो पाती हैं।

बीमा परिपक्वता स्वत्व में परिपक्वता तिथि से तीन माह पूर्व क्लेम फार्म भुगतान हेतु बीमा विभाग को प्रावधान है। समय पर प्राप्त स्वत्व का भुगतान कर दिया जाता है, किन्तु जिनके स्वत्व प्रपत्र अपूर्ण होते हैं या दावेदार या मनोनीत विभाग को प्रस्तुत नहीं करता उनके भुगतान में विलम्ब होना स्वाभाविक है।

क.सं.	जिले का नाम	पेंशन विभाग के पास विचाराधीन प्रकरणों की संख्या			संबंधित विभागों के पास विचाराधीन प्रकरणों की संख्या आपेक्ष पश्चात पेंशन विभाग द्वारा लौटाए			कुल विचाराधीन प्रकरण
		सेवानिवृति दिनांक से 1 वर्ष से कम अवधि से विचाराधीन	सेवानिवृति दिनांक से एक वर्ष से अधिक अवधि से विचाराधीन	कुल पेंशन प्रकरण	सेवानिवृति दिनांक से 1 वर्ष से कम अवधि से विचाराधीन	सेवानिंवृति दिनांक से एक वर्ष से अधिक अवधि से विचाराधीन	कुल पेंशन प्रकरण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अजमेर	110	–	110	190	–	190	300
2.	नागौर	78	–	78	66	–	66	144
3.	भीलवाड़ा	93	–	93	91	–	91	184
4.	टौंक	32	–	32	108	–	108	140
5.	कोटा	25	10	35	79	20	99	134
6.	बूंदी	13	–	13	30	5	35	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	बारां	17	1	18	39	5	44	62
8.	झालावाड़	15	–	15	21	7	28	43
9.	सवाईमाधोपुर	20	1	21	20	7	27	48
10.	करौली	7	1	8	14	4	18	26
11.	उदयपुर	83	–	83	72	–	72	155
12.	राजसमंद	35	–	35	28	–	28	63
13.	चित्तौड़गढ़	57	–	57	51	–	51	108
14.	बांसवाड़ा	39	–	39	41	–	41	80
15.	डूंगरपुर	24	–	24	17	–	17	41
16.	जयुपर	54	8	62	86	90	176	238
17.	अलवर	11	2	13	32	29	61	74
18.	भरतपुर	16	6	22	15	22	37	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	धौलपुर	2	3	5	7	7	14	19
20.	दौसा	2	–	2	10	8	18	20
21.	झुंझुनूं	5	1	6	16	5	21	27
22.	सीकर	1	1	2	11	10	21	23
23.	जोधपुर	68	–	68	140	75	215	283
24.	पाली	40	–	40	94	47	141	181
25.	जालौर	13	–	13	38	24	62	75
26.	सिरोही	10	–	10	48	25	73	83
27.	बाड़मेर	25	–	25	62	32	94	119
28.	जैसलमेर	12	–	12	69	22	91	103
29.	बीकानेर	184	–	184	104	10	114	298
30.	गंगानगर	159	–	159	89	4	93	252
31.	हनुमानगढ़	96	–	96	33	2	35	131
32.	चूरू	123	–	123	47	8	55	178
	योग	1469	34	1503	1768	468	2236	3739

नोट—पेंशन विभाग में प्रकरण प्राप्ति की दिनांक से दो या तीन माह से अधिक समय विचाराधीन नहीं रहता है।

DISTRICT WISE STATE INSURANCE PENDING CASES AS ON 30.9.2000

	DISTRICT	NO. OF INSURANCE CLAINM PENDING			REASONFOR PENDENCY		NO. OF CASES PENDING FOR A PERIOD MORE THAN 1 YEAR. (CLAIM FORMS NOT RECEIVED AND OTHER REASONS)
		RETIREMENT & SURR CASES	DEATH CASES	TOTAL	CLAIM FORM NOT RECD.	IN PROCESS	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SIKAR	211	0	211	211	0	104
2.	JHUNJHUNU	69	2	71	69	2	24
3.	SECTT.	165	14	179	60	119	36
4.	JAIPUR (R)	41	0	41	41	6	0
5.	JAIPUR CITY	484	1	485	479	0	95
6.	ALWAR	308	0	308	308	0	164
7.	BHARATPUR	242	0	242	242	19	139

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	DAUSA	61	2	63	44	19	14
9.	DHOLPUR	47	2	49	47	2	29
10.	KARAULI	5	0	5	5	0	1
11.	AJMER	168	25	193	145	48	53
12.	BEAWAR	0	0	0	0	0	0
13.	BHILWARA	10	0	10	9	1	0
14.	NAGAUR	0	0	0	0	0	0
15.	TONK	59	1	60	58	2	33
16.	BIKANER	118	6	124	96	28	18
17.	CHURU	136	0	136	132	4	46
18.	GANGANAGAR	48	9	57	30	27	14
19.	HANUMANGARH	45	2	47	37	10	12
20.	JODHPUR CITY	132	2	134	116	18	29

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	JODHPUR (R)	20	0	20	17	3	8
22.	PALI	98	1	99	98	1	34
23.	BARMER	9	0	9	8	1	1
24.	JAISALMER	22	0	22	21	1	4
25.	JALORE	20	1	21	16	5	1
26.	SIROHI	41	0	41	28	13	0
27.	KOTA	336	0	336	331	5	143
28.	BUNDI	43	1	44	35	9	18
29.	BARAN	76	9	85	52	33	29
30.	JHALAWAR	62	0	62	59	3	24
31.	SAWAI-MADHOPUR	26	1	27	24	3	12
32.	RAJSAMAND	7	0	7	7	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	DUNGARPUR	13	0	13	13	0	6
34.	CHITTORGARH	52	0	52	52	0	6
35.	PRATAPGARH	7	0	7	6	1	3
36.	BANSWARA	30	1	31	27	4	9
37.	UDAIPUR	270	4	274	140	134	93
	TOTAL	3481	84	3565	3063	502	1205

अकाल राहत कार्यों पर व्यय

65. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1999-2000 में अकाल राहत कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई? उक्त में से कितनी राशि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की व्यय की गई एवं कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर व्यय की गई?

(2) अकाल राहत कार्यों के लिए केन्द्र द्वारा कितनी सहायता दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 में अकाल राहत कार्यों पर कुल 565.94 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं, इसमें केन्द्र सहायता के रूप में 279.86 करोड़ रुपये व्यय हुए है तथा राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर 286.08 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। इसके अलावा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पेयजल परिवहन पर डीजल/पैट्रोल पर व्यय की गई राशि 1.19 करोड़ रुपये का पुनर्भरण किया गया है।

(2) अकाल राहत कार्यों के लिए केन्द्र द्वारा प्राकृतिक आपदा कोष में 155.25 करोड़ रुपये व राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा कोष में 102.93 करोड़ रुपये सहायता के रूप में दिये गये तथा प्रधान मंत्री सहायता कोष से 20.00 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

जिला अलवर में बिना प्रदूषण ट्रीटमेंट प्लांट वाले उद्योग

66. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्य किशनगढ़-अलवर स्टेट हाइवे नं. 25 पर ग्राम किथूर के पास कोई सरसों के भूसे का उपयोग करने वाली फैक्ट्री है? यदि हां, तो क्या इससे प्रदूषण पैदा होता है?

(2) क्या अप्रेल, 2000 में सरकार ने यह स्वीकार किया गया था कि यह उद्योग प्रदूषण फैलाता है? यदि हां, तो उक्त उद्योग के विरुद्ध क्या कार्यवाही अमल में लाई गई?

(3) प्रदूषण विभाग अलवर तथा भिवाड़ी ने अब तक किस-किस उद्योग के विरुद्ध कब-कब कितने-कितने प्रकरण दर्ज किये हैं तथा उन प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अलवर जिले में कितने उद्योगों द्वारा ट्रीटमेन्ट प्लांट लगाये हुए हैं तथा कितनों द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाये हैं? बिना ट्रीटमेंट प्लांट चलने वाले प्लांटों को चलाने की परमीशन किस अधिकारी द्वारा दी गई? क्या कानूनन बिना ट्रीटमेंट प्लांट के उद्योगों को नहीं चलाया जा सकता?

उत्तर

(1) जी, हां। किशनगढ़-अलवर स्थित हाईवे पर मैसर्स अलवर फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड इकाई द्वारा सरसों के भूसे का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की इकाई के लिए प्रदूषण सम्बन्धी ऐसे कोई मानक प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है जिनके आधार पर प्रदूषण होने या नहीं होने की पुष्टि की जा सकें।

(2) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा उक्त इकाई को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 "अ" के अन्तर्गत मण्डल से सम्मत्ति लेने एवं भूसे से निकलने वाले कणों की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था करने के बारे में दिनांक 21.12.1999 को नोटिस जारी किया गया था लेकिन प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अन्तर्गत इस प्रकार की इकाई के लिए प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी कोई मानक निर्धारित नहीं होने के कारण उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई।

उक्त उद्योग द्वारा भूसे के कणों से अपदूषण (Neusance) फैलाता है अतः जिला कलक्टर, अलवर को उद्योग के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 133 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु लिख दिया है।

(3) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किए जाने वाले अलवर तथा भिवाड़ी क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन स्थित उद्योगों के विरुद्ध सक्षम न्यायालयों में दर्ज करवाए गए प्रकरणों की सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(4) अलवर जिले में चिन्हित कुल 471 उद्योगों में से :—

1. अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले (लाल श्रेणी) सभी 116 उद्योगों द्वारा ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगा रखे हैं।

2. कम प्रदूषण फैलाने वाले (नारंगी श्रेणी) चिन्हित कुल 307 उद्योगों में से 190 उद्योगों द्वारा ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाए हुए हैं तथा 52 उद्योगों द्वारा आंशिक प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की हुई है तथा शेष 64 उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था स्थापित की हुई नहीं है।

3. नगण्य प्रदूषण (अन्य श्रेणी) चिन्हित कुल 48 उद्योगों में से 16 ने ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित कर रखें हैं और 23 उद्योगों ने आंशिक रूप से व्यवस्था कर रखी है एवं शेष 9 उद्योगों द्वारा कोई व्यवस्था की हुई नहीं है।

वर्तमान में बिना ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाए हुए किसी भी उद्योग को मण्डल द्वारा सम्मत्ति जारी नहीं की गई है। प्रदूषण सम्बन्धी निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बिना ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाए नहीं चलाया जा सकता है।

परिशिष्ट-"अ"

राज. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधि. 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधि. 1981 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने वाले अलवर तथा भिवाड़ी क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन स्थित उद्योगों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में दर्ज करवाये गये प्रकरणों की सूची

क्र.सं.	उद्योग का नाम	कार्यवाही
1	2	3
1.	मै. अग्रवाल पेपर एंड बोर्ड, म. ओ. अलवर	जल अधिनियम के तहत मुकदमा लंबित
2.	मै. विकास वूलन मिल्स, "	–तदैव–
3.	मै. रेणू एक्सट्रेक्शन्स, प्रा. लि. "	–तदैव–
4.	मै. उत्तम सोलवेन्ट एक्सट्रेक्शन्स प्रा. लि., म.ओ. अलवर	–तदैव–
5.	मै. राठी मिनी स्टोल्स लि.,	–तदैव–
6.	मै. पिग ब्रीडिंग फार्म, अलवर	–तदैव–
7.	मै. एक्स एल ओ यूनाइटेड कल्च लि., एम. आई. ए., अलवर	–तदैव–
8.	मै. के सी जी आयल एक्सट्रेक्सन्स,	–तदैव–
9.	मै. राशि केमिकल्स,	–तदैव–
10.	मै. सत्यसुवन पेपर मिल्स लि., खेरली	–तदैव–
11.	मै. कोन्टीनेन्टल पैट्रोलियम लि., बहरोड	–तदैव–
12.	मै. ओबेराय स्टोन क्रसर, उमरेण	वायु अधिनियम के तहत मुकदमा लंबित
13.	मै. भारीतय स्टोन क्रसर, उमरेण	–तदैव–
14.	मै. इंडिया स्टोन क्रसर, उमरेण	–तदैव–
15.	मै. गोंयल स्टोन क्रसर, उमरेण	–तदैव–
16.	मै. शक्ति मिनरल्स, एम.आई.ए., अलवर	–तदैव–

1	2	3
57.	मै. बक्शी स्टील्स, अलवर भिवाड़ी	—तदैव—
58.	मै. नोर्दर्न कास्टिंग, भिवाड़ी	—तदैव—
59.	मै. भदवार कंस्ट्रक्शन प्रा.लि., भिवाड़ी	—तदैव—
60.	मै. मेकवैल निटवीयर, अलवर	—तदैव—
61.	मै. सफायर इण्डिया, अलवर	—तदैव—
62.	मै. मित्तल स्टील्स, धौलपुर	—तदैव—
63.	मै. गोयल मार्बल उद्योग, राजगढ़	—तदैव—
64.	मै. सिंघल बिल्डर्स, भरतपुर	—तदैव—

परिशिष्ट-"ब"

मण्डल की बिना सम्मति एवं बिना उपचार संयंत्र के कार्यरत नारंगी श्रेणी के उद्योग एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.सं.	उद्योग का नाम	टिप्पणी
1	2	3
1.	मै. इन्दु स्टोन क्रसर, सायड़ी	वायु अधिनियम के तहत कार्यवाही
2.	मै. गोयल स्टोन क्रसर, सायड़ी	—तदैव—
3.	मै. भारतीय स्टोन क्रसर, सायड़ी	—तदैव—
4.	मै. किसान ब्रिक्स, विकानी	—तदैव—
5.	मै. शुभम ब्रिक्स, अलवर	—तदैव—
6.	मै. अशोका ब्रिक्स, किशनगढ़	—तदैव—
7.	मै. गुलाटी ब्रिक्स, बहादरपुर	—तदैव—
8.	मै. सिंघल ब्रिक्स, तराई	—तदैव—
9.	मै. किरन ब्रिक्स, कठूमर	वायु अधिनियम के तहत नोटिस जारी
10.	मै. अग्रवाल स्टोन क्रसर, खैरथल	—तदैव—
11.	मै. सिंघ ब्रिक्स, खैरथल	—तदैव—
12.	मै. रागा ईंट उद्योग, कठूमर	वायु अधिनियम के तहत कार्यवाही
13.	मै. गांधी ईंट उद्योग, कठूमर	—तदैव—
14.	मै. अमित स्टोन क्रसर, खैरथल	—तदैव—
15.	मै. बालाजी स्टोन क्रसर, खैरथल	धारा 31(ए) के तहत आदेश जारी
16.	मै. जय शिव शंकर स्टोन क्रसर, खैरथल	—तदैव—

1	2	3
17.	मै. रोहतक स्टोन क्रसर, खैरथल	–तदैव–
18.	मै. दीपक ब्रिक्स, खैरथल	वायु अधिनियम के तहत कार्यवाही
19.	मै. एवन ब्रिक्स, खैरथल	–तदैव–
20.	मै. श्री गोरधननाथ मिनरल्स, राजगढ़	–तदैव–
21.	मै. हस्ती एग्रो मिन कैम, राजगढ़	वायु अधिनियम के तहत नोटि जारी
22.	मै. पंजाब ब्रिक्स, दादर	वायु अधिनियम के तहत कार्यवाही
23.	मै. दलीप सिंह भट्ठा कं. कोटवलिया	–तदैव–
24.	मै. राजस्थान एग्रोवेस्ट प्रा. लि. कठूमर	–तदैव–
25.	मै. अम्बे ब्रिक्स, गुसाखेड़ा	–तदैव–
26.	मै. माता ब्रिक्स, खैरथल	–तदैव–
27.	मै. कमल ब्रिक्स, खैरथल	–तदैव–
28.	मै. भगवती मिनरल इंडस्ट्री, राजगढ़	धारा 31 ए के तहत आदेश जारी
29.	मै. ए सी एम मिनरल्स, राजगढ़	वायु अधिनियम के तहत कार्यवाही
30.	मै. शिव मिनरल्स, मालाखेडा	उद्योग को नोटिस जारी
31.	मै. अनिल एंड कम्पनी, तिजारा रोड	–तदैव–
32.	मै. रवि ब्रिक्स,	–तदैव–
33.	मै. नवज्योति मेटल कास्टिंग्स, अलवर	–तदैव–
34.	मै. संजय ब्रिक्स, खैरथल	वायु अधिनियम के तहत कार्यवाही

1	2	3
35.	मै. भगवती ब्रिक्स, किशनगढ़	—तदैव—
36.	मै. दीपक प्लाइवुड प्रा. लि., राजगढ़	नोटिस जारी
37.	मै. भारत ब्रिक्स, बहाला	—तदैव—
38.	मै. कनक ब्रिक्स एंड लाइम एण्ड नहाला	—तदैव—
39.	मै. मंगला ब्रिक्स, बहाला	—तदैव—
40.	मै. अलवर ब्रिक्स इंड., बहाला	उद्योग की सम्मति निरस्त
41.	मै. मोहन ब्रिक्स, बहाला	वायु अधिनियम के तहत कार्यवाही
42.	मै. बी. एम. एन्टरप्राइजेज, राज.	—तदैव—
43.	मै. ज्योति ब्रिक्स, खैरथल	उद्योग को नोटिस जारी
44.	मै. थानागाजी मिनरल्स, हिरी	धारा 31 ए के तहत आदेश जारी
45.	मै. शर्मा मार्बल, एम. आई. ए.	धारा 31 ए के तहत कारण बताओ नोटिस
46.	मै. क्वालिटी मिनरल्स, एम.आई.ए.	कानूनी कार्यवाही हेतु कारण बताओ नोटिस
47.	मै. ए. एस. केमिकल्स, एम.आई.ए.	धारा 31 ए के तहत कारणा बताओ नोटिस जारी
48.	मै. बालाजी ब्रिक्स, बहरोड	वायु अधिनियम के तहत नोटिस
49.	मै. सुमन ब्रिक्स, बहरोड	धारा 31 ए के तहत निर्देश जारी
50.	मै. ओम ब्रिक्स, विजयपुरा	वायु अधिनियम के तहत कार्यवाही
51.	मै. शिव ब्रिक्स, बहरोड	वायु अधिनियम के तहत नोटिस जारी
52.	मै. यादव इण्डस्ट्रीज, विजयपुरा	—तदैव—
53.	मै. हजारी ब्रिक्स, विजयपुरा	—तदैव—
54.	मै. जगदीश ब्रिक्स, उद्योग गुगलकोटा	—तदैव—

1	2	3
55.	मै. विनोद ब्रिक्स, जापूवास	—तदैव—
56.	मै. राम कंवर ब्रिक्स, गांजरीकला	वायु अधि. के तहत कानूनी कार्यवाही हेतु नोटिस
57.	मै. चौधरी विकास ब्रिक्स, नागत रूथ	—तदैव—
58.	मै. भगवती एन्टरप्राइजेज, जग्गूवांस	—तदैव—
59.	मै. बजरंग ब्रिक्स, जग्गूवास	धारा 31 ए के तहत कारण बताओ नोटिस
60.	मै. चौधरी इण्डस्ट्रीज, नबतारूंथ	वायु अधिनियम के तहत नोटिस
61.	मै. कृष्ण ब्रिक्स, "	—तदैव—
62.	मै. राव ब्रिक्स, दहमी	—तदैव—
63.	मै. होटल लैक पैलेस, सिलीसेड	धारा 31 ए के तहत निर्देशों हेतु कारण बताओ नोटिस
64.	मै. राजस्थान मोटल, बहरोड	जल अधिनियम के तहत नोटिस जारी
	अन्य श्रेणी के कार्यरत उद्योग जिनमें प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं है	
65.	मै. विजय इण्डस्ट्रीज, खैरथल	कानूनी कार्यवाही हेतु उपयोग को लिखा गया
66.	मै. सिंघानिया आयल मिल, खैरथल	नोटिस जारी
67.	मै. शिव शक्ति इण्डस्ट्रीज, खैरथल	—तदैव—
68.	मै. विकास आयल मिल, खैरथल	—तदैव—
69.	मै. जय वैश्नव आयल मिल, खैरथल	—तदैव—
70.	मै. मुकेश आयल मिल, खैरथल	—तदैव—
71.	मै. आर. ए. महावर एंड कं.	—तदैव—
72.	मै. गजानन आयल मिल, खैरथल	—तदैव—
73.	मै. मोर्डन ग्रेनाइट इण्डिया, अलवर	कानूनी कार्यवाही हेतु उद्योग को लिखा गया

सहकारी संस्थाओं के चुनाव

67. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य स्तरीय व जिला स्तर की सहकारी संस्थाओं में प्रशासक लगे हुए हैं? यदि हां, तो कौन-कौन किस-किस संस्था में कब-कब से? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि चुनाव नहीं होने के कारण सरकार ने प्रशासक नियुक्त किये हैं? यदि हां, तो प्रशासकों के स्थान पर गैर सरकारी सदस्यों की समितियों का गठन कब तक करना चाहिए था वो क्यों नहीं किया गया?

(3) क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि प्रशासक नियुक्त करने के कारण इन बड़ी सहकारी संस्थाओं की स्वायत्ता समाप्त हो गई है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) जिन संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त हैं, उनकी सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) अधिकांश संस्थाओं में चुनाव नहीं हो पाने के कारण राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 36(1-ख) के अन्तर्गत प्रशासक नियुक्त किये गये हैं। उक्त धारा 36(1-ख) के अन्तर्गत नियुक्त प्रशासक के स्थान पर गैर सरकारी सदस्यों की समितियां गठित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) प्रशासकों की नियुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ही की गई है।

परिशिष्ट-"अ"

राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाओं में नियुक्त प्रशासकों की सूची

क्र.सं.	नाम संस्था	प्रशासक नियुक्ति दिनांक	वर्तमान में नियुक्त प्रशासक
1	2	3	4
1.	रा.रा.सह. बैंक लि., जयपुर	15.4.1996	प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता
2.	रा.रा.सहक्र. विक्रय संघ लि., जयपुर	13.6.1995	पंजीयक, सहकारी समितियां
3.	रा.रा.सह. उपभोक्ता संघ लि., जयपुर	13.6.1995	अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम)
4.	राज. रा. सहकारी संघ लि., जयपुर	10.4.1998	श्री रामनिवास मिर्धा, भू.पू. केन्द्रीय मंत्री
5.	रा.रा. सहकारी आवासन संघ लि., जयपुर	12.4.1985	उप शासन सचिव, सहकारिता
6.	रा.रा. सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर	22.11.1997	अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम)
7.	रा.रा. अनु. जाति सह. निगम लि.	27.9.1999	शासन सचिव, समाज कल्याण विभाग
8.	रा.रा. सह. भूमि विकास बैंक लि., जयपुर	12.5.2000	प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता
9.	रा. वन श्रमिक सहकारी संघ लि., जयपुर	14.6.1999	क्षेत्रीय अंकेक्षक, रा.रा.स.भू.वि. बैंक
10.	रा.रा. सह. भेड़ व ऊन फैडरेशन लि., जयपुर	4.4.1991	निदेशक, पशु पालन विभाग

नोट—राज. रा. सहकारी बैंक लि., जयपुर एवं राज. रा. सह. आवासन संघ लि., जयपुर में अधिनियम की धारा 36(1) के तहत प्रशासक नियुक्त किया गया है।

जिला स्तरीय सहकारी संस्थाओं में नियुक्त प्रशासकों की सूची

क्र.सं.	नाम संस्था	प्रशासक नियुक्ति दिनांक	वर्तमान में नियुक्त प्रशासक
1	2	3	4
1.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., जयपुर	31.1.1996	जिला कलक्टर, जयपुर
2.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., सीकर	31.1.1996	जिला कलक्टर, सीकर
3.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुन्झुनूं	31.1.1996	जिला कलक्टर, झुन्झुनूं
4.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., अजमेर	31.1.1996	जिला कलक्टर, अजमेर
5.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., टोंक	31.1.1996	जिला कलक्टर, टोंक
6.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., भीलवाड़ा	11.7.1994	जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
7.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., नागौर	31.1.1996	जिला कलक्टर, नागौर
8.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., बीकानेर	31.1.1996	जिला कलक्टर, बीकानेर
9.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्रीगंगानगर	31.1.1996	जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर
10.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., चूरू	31.1.1996	जिला कलक्टर, चूरू
11.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., उदयपुर	31.1.1996	जिला कलक्टर, उदयपुर
12.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., बांसवाड़ा	31.1.1996	जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
13.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., डूंगरपुर	31.1.1996	जिला कलक्टर, डूंगरपुर
14.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., चित्तौड़गढ़	31.1.1996	जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़
15.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., अलवर	31.1.1996	जिला कलक्टर, अलवर
16.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., सवाईमाधोपुर	31.1.1996	जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर
17.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., जोधपुर	15.12.1994	जिला कलक्टर, जोधपुर

1	2	3	4
18.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., जैसलमेर	31.1.1996	जिला कलक्टर, जैसलमेर
19.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., सिरोही	31.1.1996	जिला कलक्टर, सिरोही
20.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., बाड़मेर	31.1.1996	जिला कलक्टर, बाड़मेर
21.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., बून्दी	31.1.1996	जिला कलक्टर, बून्दी
22.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., जालौर	31.1.1996	जिला कलक्टर, जालौर
23.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झालावाड़	31.1.1996	जिला कलक्टर, झालावाड़
24.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., भरतपुर	15.1.1991	जिला कलक्टर, भरतपुर
25.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., कोटा	31.1.1996	जिला कलक्टर, कोटा
26.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., पाली	31.1.1996	संभागीय आयुक्त, जोधपुर

नोट—केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., जोधपुर एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., भीलवाड़ा में धारा 36(1) के तहत प्रशासक नियुक्त किया गया है।

क्र.सं.	नाम संस्था			प्रशासक नियुक्ति दिनांक	वर्तमान में नियुक्त प्रशासक
1	2			3	4
1.	उदयपुर सहकारी उप. होलसेल भंडार लि.			2.9.1998	संयुक्त रजिस्ट्रार, उदयपुर खण्ड
2.	अजमेर	"	"	"	" " अजमेर खण्ड
3.	कोटा	"	"	"	" " कोटा खण्ड
4.	बांसवाड़ा	"	"	"	प्रबन्ध संचालक, सी सी बी, बांसवाड़ा
5.	डूंगरपुर	"	"	"	सचिव, भू. बैंक, डूंगरपुर
6.	राजसमन्द	"	"	"	सहायक रजिस्ट्रार, राजसमन्द
7.	चित्तौड़गढ़	"	"	"	प्रबन्ध संचालक, सी सी बी, चित्तौड़गढ़
8.	भीलवाड़ा	"	"	"	" भीलवाड़ा
9.	सीकर	"	"	"	सहायक रजिस्ट्रार, सीकर
10.	सिरोही	"	"	"	सहायक रजिस्ट्रार, सिरोही
11.	झुन्झुनूं	"	"	"	प्रबन्ध संचालक, सी सी बी, झुन्झुनूं
12.	श्रीगंगानगर	"	"	"	आयुक्त म्युनिसिपल कौंसिल, श्रीगंगानगर
13.	बाड़मेर	"	"	"	सहायक रजिस्ट्रार, बाड़मेर

1	2	3	4
14.	जालौर सहकारी उप. होलसेल भंडार लि.	2.9.1998	प्रबन्ध संचालक, सी सी बी, जालौर
15.	झालावाड़ " "	"	सहायक रजिस्ट्रार, झालावाड़
16.	हनुमानगढ़ " "	"	सहायक रजिस्ट्रार, हनुमानगढ़
17.	नागौर " "	"	प्रबन्ध संचालक, सी सी बी, नागौर
18.	बारां " "	"	सहायक रजिस्ट्रार, बारां
19.	भरतपुर " "	23.9.1998	प्रबन्ध संचालक, सी सी बी, भरतपुर
20.	बीकानेर " "	7.10.1998	संयुक्त रजिस्ट्रार, बीकानेर
21.	अलवर " "	24.10.1998	सचिव, भूमि विकास बैंक, अलवर
22.	धौलपुर " "	2.4.1999	सहायक रजिस्ट्रार, धौलपुर
23.	चूरू " "	21.10.1991	सचिव, भूमि विकास बैंक, चूरू
24.	जैसलमेर " "	22.9.1999	सहायक रजिस्ट्रार, जैसलमेर
25.	पाली " "	28.10.1995	प्रबन्ध संचालक, सी. सी. बी., पाली
26.	जोधपुर " "	11.8.2000	संयुक्त रजिस्ट्रार, जोधपुर
27.	बी. एन. के. सह. उप. होल. भंडार, ब्यावर	2.9.1998	संयुक्त रजिस्ट्रार, अजमेर

1	2	3	4
28.	राज. विश्वविद्यालय स. उप. हा. भंडार, जयपुर	20.8.1998	विशेष लेखा परीक्षक, जयपुर
29.	जयपुर महिला होल. सह. उप. भंडार, जयपुर	26.6.1998	संयुक्त रजिस्ट्रार, जयपुर खण्ड

नोट—राज. विश्वविद्यालय सह. उप. हो. भंडार लि., जयपुर एवं जयपुर महिला होलसेल सहकारी उपभोक्ता भंडार लि., जयपुर में धारा 36(1) के तहत प्रशासक नियुक्त किया गया है।

1.	कोटा जिला दुग्ध उत्पा. स. संघ लि., कोटा			
	कोटा " "		15.6.1994	जिला कलक्टर, कोटा
2.	भरतपुर "	भरतपुर	"	जिला कलक्टर, भरतपुर
3.	चूरू "	सरदारशहर	"	जिला कलक्टर, चूरू
4.	झुन्झुनूं "	सीकर	"	जिला कलक्टर, सीकर
5.	बांसवाड़ा "	बांसवाड़ा	"	जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

ग्राम बौड़ामली व चारवाड़ा (डूंगरपुर) में प्रस्तावित छात्रावास

68. **श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी)** : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार जिला डूंगपुर के ग्राम बौड़ामली व चारवाड़ा में छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जिला डूंगरपुर के नाम बौड़ामली एवं चारवाड़ा में आश्रम छात्रावास खोलने का फिलहाल सरकार का कोई विचार नहीं है। ग्राम पंचायत बौड़ामली से 12 किमी. की दूरी पर सीमलवाड़ा में वर्तमान में 100-100 छात्रों की क्षमता के दो छात्रावास संचालित होने से अभी बौड़ामली में आश्रम छात्रावास खोलने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में सहायक अभियन्ता कार्यालय

69. **श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में नया सहायक अभियन्ता का कार्यालय खोल दिया है? यदि हां, तो कब? क्या उक्त कार्यालय वर्तमान में चालू अवस्था में है? यदि हां, तो उसके तहत अब तक कितने-कितने कार्य किये जा चुके हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त कार्यालय के माध्यम से इस वर्ष में और नई सड़कें बनाने एवं पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। परियोजना उपखण्ड टोडाभीम का नाम परिवर्तित कर उपखण्ड टोडाभीम का कार्यालय राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प1(24) सानि/99 दिनांक 5.7.2000 द्वारा खोल दिया गया है, जो कि दिनांक 6.9.2000 से कार्यरत है। परिवर्तित उपखण्ड टोडाभीम के तहत निम्न भवन व सड़क कार्य चालू हैं :—

1. निर्माण कार्य पुलिस थाना टोडाभीम
2. निर्माण कार्य पुलिस आवास गृह (सात नं.) टोडाभीम
3. टोडाभीम-बालघाट नांगल सड़क किमी. 1, 2 की चौड़ाई का कार्य
4. सम्पर्क सड़क पीलवा किमी. 0/0 से 1/200
5. सम्पर्क सड़क कुढावल 0/0 से 6/0
6. सम्पर्क सड़क सिंघानिया 0/0 से 5/0

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

7. सम्पर्क सड़क सुजानपुरा 0/0 से 2/0

8. सम्पर्क सड़क बाड़ा राजपुर 0/0 से 2/0

9. सम्पर्क सड़क बड़ा गांव 0/0 से 2/0

10. सम्पर्क सड़क दलपुरा 0/0 से 5/0

11. लालसर-नादौती-गुढ़ाचन्द्रजी सड़क 0/0 से 3/0

(2) वर्ष 2000-2001 में उक्त कार्यालय के कार्यक्षेत्र में नई सड़कें बनाना प्रस्तावित नहीं है। परन्तु पुरानी सड़कों की साधारण मरम्मत के अलावा गैर योजना मद में निम्न तीन सड़कों के विशेष मरम्मत कार्य (नवीनीकरण) स्वीकृत किये गये हैं : —

(1) गंगापुर-नादौती गुढ़ाचन्द्रजी सड़क किमी. 13, राशि रुपये 2.00 लाख

(2) टोडाभीम-गजीपुर सड़क किमी. 1 व 2 राशि रुपये 4.00 लाख

(3) गुढ़ाचन्द्रजी-लालसर गढमोरा नादौती सड़क किमी. 30 व 31 राशि रुपये 4.00 लाख

उक्त कार्यों को पूर्ण करना एवं साधारण मरम्मत कार्य राज्य के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

नगरपालिका सोजत (पाली) में विकसित आवासीय कालोनियां

70. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

नगरपालिका सोजत पाली में दिल्ली दरवाजा, दिल्ली दरवाजा स्कीम विस्तार, शास्त्री नगर, राज्य कर्मचारी कालोनी, नगरपालिका कर्मचारी कालोनी व गाडोलिया लुहार कालोनी योजना कब बनी इसमें किस-किस माप के कितने भू-खण्ड थे और इन्हें कब किस-किस व्यक्ति को किन-किन शर्तों पर दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नगरपालिका सोजत (पाली) में दिल्ली दरवाजा, दिल्ली दरवाजा स्कीम विस्तार, शास्त्री नगर, राज्य कर्मचारी कालोनी, नगरपालिका कर्मचारी व गाडिया लुहार कालोनी योजना क्रमशः वर्ष 75-76, 83, 83-84, 75-76, 83-84 एवं 79-80 में बनी। इसमें माप, भूखण्ड संख्या, एवं शर्तों पर दिये गये व्यक्तियों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बाड़मेर में गैस दोहन हेतु प्रस्तावित कार्य योजना

71. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(1) क्या यह सही है कि गैस अथोरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (गैल) ने बाड़मेर जिले में लिग्नाइट आधारित कोल बेड मिथेन (सी. बी. एम.) गैस दोहन के लिये आस्ट्रेलिया की एक कम्पनी के साथ मिलकर कार्य योजना तैयार की है? यदि हां, तो कब विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बाड़मेर में धरातल पर और जमीन के नीचे कितने टन लिग्नाइट के भण्डार उपलब्ध हैं?

(3) क्या सरकार इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में कर विधुत संयंत्र स्थापित करने के लिये कदम उठायेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) बाड़मेर जिले में धरातल पर कोई लिग्नाइट भण्डार नहीं मिले हैं एवं जमीन के नीचे लगभग 1612 मिलियन टन लिग्नाइट के भण्डारों का आकलन किया गया है।

(3) जी, हां। जालिपा व कपुरडी लिग्नाइट के भण्डारों पर आधारित 2 × 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन की योजना है। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु मैसर्स बेस्ट पावर लि., जयपुर को प्रायोजक नियुक्त किया गया है।

कनिष्ठ/अधिशासी अभियन्ताओं के रिक्त पद

72. **श्री श्रवण कुमार** (पिलानी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में कितने पद कनिष्ठ अधिशासी अभियन्ताओं के रिक्त हैं? क्या सरकार इनको भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार राज्य में नई भर्ती कर हैल्पर और मैकेनिक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कर्मियों के अभाव में विद्युत मण्डल में भारी अव्यवस्था फैल रही है, जिससे किसानों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है? क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान हेतु नई भर्ती कर उक्त कर्मियों को लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, जयपुर विद्युत वितरण निगम, अजमेर विद्युत वितरण निगम व जोधपुर वितरण निगम में वर्तमान में 374 कनिष्ठ अभियन्ता व 55 अधिशासी अभियन्ताओं के पद रिक्त हैं। राजस्थान पावर सैक्टर रिफार्म अन्तरण स्कीम 2000 के अन्तर्गत प्राप्त विकल्प पत्रों के निस्तारण तथा अंतरण स्कीम को अंतिम रूप दिये

(ऊर्जा मंत्री)

जाने के बाद कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद भरने एवं अधिशासी अभियन्ताओं के पद पर पदोन्नतियां की जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) जी, नहीं। विद्युत कम्पनियां नई भर्ती कर, हैल्पर और मैकेनिक लगाने का विचार नहीं रखती हैं क्योंकि इन विद्युत कम्पनियों में, तकनीकी श्रेणी में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध है।

(3) जी, नहीं। यह सही नहीं है कि कर्मियों के अभाव में विद्युत कम्पनियों में कोई अव्यवस्था फैल रही है और उससे किसानों को कोई असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि प्रश्न संख्या-2 के उत्तर में कहा गया है किविद्युत कम्पनियों में तकनीकी संवर्ग में कर्मचारियों का कोई अभाव नहीं है, इसलिए उनमें नयी भर्ती की कोई आवश्यकता नहीं है।

बयाना उपखण्ड (भरतपुर) में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों द्वारा दर्ज प्रकरण

73. **श्री निर्भय लाल** (रूपवास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) गत दो वर्षों में बयाना उपखण्ड में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार के कितने प्रकरण दर्ज हुए और उनमें से कितनों में अन्तिम रिपोर्ट दी गई व कितनों में चालान पेश हुए?

(2) उक्त उप खण्ड में कितने डकेती के मुकदमें दर्ज हुए और उनमें से कितनों में अन्तिम रिपोर्ट दी गई व कितनों में चालान पेश किये तथा कितनों में माल बरामद हुआ?

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में भरतपुर जिले के बयाना उपखण्ड में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार के वर्ष 1998 से सितम्बर, 2000 तक कुल 382 अभियोग विभिन्न थानों पर पंजीबद्ध हुए हैं, जिनमें से 202 अभियोगों में एफ. एफ. आर. (अंतिम रिपोर्ट), 144 अभियोगों में चालान एवं 36 अभियोग अन्वेषणाधीन हैं। थानेवार, वर्षवार दर्ज़ अभियोगों की सूची परिशिष्ट-"क" संलग्न है।

(2) उक्त उपखण्ड में उक्त अवधि में विभिन्न थानों पर डकैती के कुल 10 अभियोग पंजीबद्ध हुए हैं जिनमें से 3 अभियोगों में एफ. आर., 6 अभियोगों में चालान एवं एक अभियोग अनुसंधानाधीन है। उक्त अभियोगों में से तीन अभियोगों में कुल 3,12,000/- रुपये का माल बरामद किया गया है। शेष माल बरामद करने के प्रयास जारी है। थानेवार, वर्षवार दर्ज अभियोगों की सूची परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-"क"

गत वर्ष 1998, 1999 एवं 2000 माह सितम्बर, तक अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचारों के दर्ज अपराधों का विवरण

क्र.सं.	थाना	वर्ष	दर्ज अभियोग	एफआर (अदमवकू)	एफआर (अदमसबूत)	एफआर (अदमपता)	चालान	जैर तफतीश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	गढीबाजना	1998	10	6	–	–	4	–	10
		1999	14	8	–	–	6	–	14
		2000	9	6	–	–	2	1	9
	योग		33	20	–	–	12	1	33
2.	बयाना	1998	24	8	–	–	16	–	24
		1999	41	22	–	–	18	1	41
		2000	45	23	–	–	10	12	45
	योग		110	53	–	–	44	13	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	उच्चैन	1998	8	4	—	—	4	—	8
		1999	18	13	—	—	5	—	18
		2000	15	7	—	—	1	7	15
	योग		41	24	—	—	10	7	41
4.	रूपवास	1998	12	6	—	—	6	—	12
		1999	38	15	—	—	23	—	38
		2000	33	16	—	—	10	7	33
	योग		83	37	—	—	39	7	83
5.	हलैना	1998	9	7	—	—	2	—	9
		1999	9	6	—	—	3	—	9
		2000	8	4	—	—	2	2	8
	योग		26	17	—	—	7	2	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	भुसावर	1998	21	11	—	—	9	1	21
		1999	12	7	—	—	5	—	12
		2000	19	13	—	—	3	3	19
	योग		52	31	—	—	17	4	52
7.	वैर	1998	12	8	—	—	4	—	12
		1999	10	5	—	—	5	—	10
		2000	15	7	—	—	6	2	15
	योग		37	20	—	—	15	2	37
	कुल योग		382	202	—	—	144	36	382

परिशिष्ट-"ख"

वर्ष 1998 से माह सितम्बर, 2000 तक बयाना उपखण्ड के अन्तर्गत आने वाले थानो में दर्ज डकैती के अभियोग मय निस्तारण जिला भरतपुर

वर्ष 1998

क्र.सं.	नाम थाना	दर्ज अपराध	एफआर अदमवकू	एफआर अदमसबूत	एफआर अदमपता	जैर तफतीश	चालान	चौरी गया माल	बरामद माल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	बयाना	2	—	—	—	—	2	32910	12000
2.	भुसावर	2	—	—	—	—	2	80000	
3.	गढीबाजना	1	—	—	—	—	1	300000	300000
4.	हलैना	1	—	—	1	—	—	500000	—
5.	योग	6	—	—	1	—	5	912910	312000

वर्ष 1999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	गढ़ीबाजना	1	—	1	—	—	—	1,10,000	—
	योग	1	—	1	—	—	—	1,10,000	
				1 जनवरी, 2000 से माह सितम्बर, 2000 तक					
1.	वैर	1	—	—	—	1	—	500000	—
1.	भुसावर	1	1	—	—	—	—	200000	—
1.	गढ़ीबाजना	1	—	—	—	—	1	—	—
	योग	3	1	—	—	1	1	700000	

प्रश्न संख्या-74

(स्थगित)

नगरपालिका क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) में प्रस्तावित बस स्टेण्ड

75. **श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) :** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) का वर्तमान बस स्टेण्ड छोटा है?

(2) क्या सरकार आसीन्द में बस स्टेण्ड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं। वर्तमान में आसीन्द में आर्थिक स्थिति के कारण बस स्टेण्ड बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

ग्राम सेवा सहकारी समिति हिरणी ढाणी (नागौर) द्वारा अनियमितता

76. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? क्या ग्राम सेवा सहकारी समितियों का अलग से उद्देश्य के लिये जैसे सदस्य बनाने सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराने, अकृषिसाख, असाख व्यवसाय इत्यादि के लिये अलग-अलग सम्पूर्ण जिला तहसील, पंचायत समिति तक कार्य क्षेत्र रखा जा सकता है एवं पंजीयन किया जा सकता है?

(2) जिला नागौर की हिरणी ढाणी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. हिरणी ढाणी ग्राम पंचायत खैरवा के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र क्या हैं? क्या उक्त समिति में सरकार की निती एवं अधिनियम/नियमों के विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त समिति द्वारा उप विधियों, सरकार एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों के विपरीत कार्य किया गया है? यदि हां, तो सरकार उक्त समिति के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

(4) क्या यह सही है कि हिरणी ढाणी ग्राम सेवा सहकारी समिति के आडिट में गबन, दुरुपयोग, सहकारी अधिनियम, नियमों, उप विधियों के विपरीत अवैधानिक कार्य करने संबंधी प्रकरण प्रकाश में आये हैं? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन का मुख्य उद्देश्य उनके कार्यक्षेत्र के कृषकों कमजोर वर्ग के लोगों,

(सहकारिता मंत्री)

लघु एवं सीमान्त कृषकों, ग्रामीण दस्तकारों एवं कृषि श्रमिकों को सहायता एवं आर्थिक उन्नति, उन्हें ऋण एवं अन्य सेवाएं उपलब्ध कराकर एवं नियोजन, उत्पादन एवं आय में अभिवृद्धि की सुविधा देकर तथा उपभोक्ता सामग्री के वितरण की सेवा व्यवस्था उपलब्ध कराना है। कोई भी पंचायत समिति/तहसील ऐसी नहीं है जिसें दो से कम ग्राम सेवा सहकारी समिति हो।

(2) हिरणी ढाणी, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., जिला नागौर के उद्देश्य प्रश्न के बिन्दु संख्या एक के उत्तर के अनुसार है एवं कार्य क्षेत्र ग्राम पंचायत खैरवा तक सीमित है, लेकिन असाख व्यवसाय हेतु तहसील क्षेत्र डेगाना तक रखा गया है।

समिति के आवेदन पर सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, नागौर द्वारा समिति के कार्य क्षेत्र में संशोधन नहीं करने पर न्यायालय अतिरिक्त पंजीयक, सहकारी समितियां, जोधपुर द्वारा अपील संख्या 41/96 के निर्णय दिनांक 30.5.1996 को दृष्टिगत रखते हुए समिति के कार्यक्षेत्र में सहायक पंजीयक, सह समितियां, नागौर द्वारा आदेश दिनांक 22.11.1996 के द्वारा संशोधन कर समिति का कार्यक्षेत्र ग्राम पंचायत खैरवा तक सीमित रखते हुए असाख व्यवसाय हेतु तहसील क्षेत्र डेगाना तक रखा गया है।

(3) जी, हां। सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, नागौर द्वारा समिति के कार्यक्षेत्र बाबत किये गये उक्त संशोधन में विभागीय निर्देशों का उल्लंघन होने के कारण संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अजमेर खण्ड, अजमेर ने दिनांक 12.8.1998 को हिरणी ढाणी ग्राम सेवा सहकारी समिति का कार्य क्षेत्र पूर्व अनुसार ग्राम पंचायत खैरवा तक सीमित करने के निर्देश दिये। उक्त आदेशों की अनुपालना में सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, नागौर ने अपने पत्र क्रमांक 2415 दिनांक 20.8.1998 के द्वारा हिरणी ढाणी ग्राम सेवा सहकारी समिति को अपना कार्यक्षेत्र ग्राम पंचायत खैरवा तक ही सीमित रखने हेतु निर्देश दिये गये हैं, जिसकी अनुपालना समिति ने नहीं की है। अतः सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, नागौर को समिति का कार्यक्षेत्र ग्राम पंचायत खैरवा तक ही सीमित करने के लिए समिति के पंजीकृत उपनियम संख्या-2 में संशोधन के लिए अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये जा रहे हैं।

(4) जी, हां। प्रकाश में आये ऐसे प्रकरणों व उन पर की जा रही नियमानुसार कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-"क"

हिरणी ढाणी, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. की आडिट में गबन/दुरुपयोग तथा सहकारी अधिनियम, नियमों, उपविधियों के विपरीत कार्य करने सम्बन्धी प्रकाश में आये प्रकरणों का तथा उनमें की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.सं.	आडिट वर्ष	प्रकरण का विवरण	की गई कार्यवाही
1	2	3	4
1.	1987-89	चनणाराम, व्यवस्थापक द्वारा 100386.21 रुपये का गबन/दुरुपयोग।	संयुक्त पंजीयक, सह. समितियां जोधपुर एवं अजमेर द्वारा धारा 74 के तहत निर्णय दिनांक 31.03.1990 व 28.03.1994 जारी किये जा चुके हैं एवं कुर्की वारण्ट जारी किया जा चुका है। आरोपी की मृत्यु हो चुकी है।
2.	1989-90	चनणाराम, व्यवस्थापक द्वारा 56229.30 रुपये की राशि का गबन/दुरुपयोग	सहा. रजिस्ट्रार, सह. समितियां नागौर द्वारा धारा 74 में निर्णय दिनांक 31.3.1994 जारी किये जा चुके हैं। कुर्की वारण्ट जारी किये जा चुके हैं।
3.	1989-90	किशन सिंह, व्यवस्थापक द्वारा 14255 रुपये का गबन/दुरुपयोग।	सहा. रजिस्ट्रार, सह. समितियां, नागौर द्वारा धारा 74 में निर्णय दिनांक 25.2.1993 जारी कर आरोप मुक्त किया।
4.	1994-95	किशन सिंह, व्यवस्थापक द्वारा 5690 रुपये की राशि का गबन/दुरुपयोग।	सहा. रजिस्ट्रार, सह. समितियां, नागौर द्वारा धारा 74 में निर्णय दिनांक 4.7.1998 के द्वारा राशि वसूल होने के कारण ड्राप किया।
5.	1997-98	किशन सिंह, व्यवस्थापक द्वारा 67955 रुपये का गबन/दुरुपयोग।	उक्त प्रकरण धारा 74 में संयुक्त रजिस्ट्रार, सह. समितियां, अजमेर खण्ड अजमेर के यहां विचाराधीन हैं।
6.	1998-2000	किशन सिंह, व्यवस्थापक द्वारा 66192.82 रुपये की राशि का गबन/दुरुपयोग।	उक्त प्रकरण धारा 74 की स्क्रीनिंग कमेटी में दि. 3.11.2000 को रखा जाना प्रस्तावित है।

1	2	3	4
7.	1998-2000	संचालक मण्डल की बैठक दि. 15.08.1998 अमानतें एक ही नाम से जमा करने व उस पर 24% की दर से ब्याज मंजूरी बाबत पारित संकल्प।	पारित प्रस्ताव संस्था के तहत व उद्देश्यों के प्रतिकूल (आयकर प्रावधान के विपरीत), नियम विरुद्ध होने के कारण निरीक्षक आडिट ने प्रस्ताव को अधिनियम की धारा 32 के तहत अपखण्डन हेतु सहायक रजिस्ट्रार, सह. समितियां, नागौर को लिखा है।
8.	1998-2000	आम सभा की बैठक दि. 4.4.1998 में नई मोटरसाइकल की खरीद/ पुरानी की नीलामी बाबत. पारित संकल्प।	पारित प्रस्ताव मितव्यता के दृष्टिकोण एवं समिति हित में मोटर साइकल खरीदना सुसंगत नहीं, पुरानी मौजूद है। अतः निरीक्षक आडिट ने अधिनियम की धारा 32 के तहत अपखण्डन हेतु सहायक रजि., सहकारी समितियां, नागौर को लिखा है।
9.	1998-2000	संचालक मण्डल की बैठक दि. 28.7.1999 में मोटर साइकल क्रय बाबत पारित संकल्प।	पारित प्रस्ताव मितव्यता के दृष्टिकोण एवं समिति हित में मोटर साइकल खरीदना सुसंगत नहीं, पुरानी मौजूद है। अतः निरीक्षक आडिट ने अधिनियम की धारा 32 के तहत अपखण्डन हेतु सहा. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, नागौर को लिखा है।
10.	1998-2000	आमसभा की बैठक दिनांक 4.4.1998 में तीन (3) सहा. व्यवस्थापकों की स्वीकृति व च. श्रे. कर्म. का वेतन 1050/- रु. प्रतिमाह की स्वीकृति बाबत पारित संकल्प।	पारित प्रस्ताव में समिति की आर्थिक स्थिति एवं कारोबार को देखते हुए अधिक कर्मचारी है। अतः निरीक्षक आडिट ने अधिनियम की धारा 32 के तहत सहा. रजि., सहकारी समितियां, नागौर को अपखण्डन हेतु लिखा है।

प्रश्न संख्या-77

(स्थगित)

पंचायत समिति डीग (भरतपुर) की क्षतिग्रस्त सड़कें

78. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सरकार ने वर्ष 1996 में पंचायत समिति डीग (भरतपुर) की बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार ने सम्पर्क सड़कों की मरम्मत का कार्य पूर्ण कराया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) गत दो वर्षों में सरकार द्वारा उक्त सड़कों की मरम्मत के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा उसमें से कितनी व्यय की जा चुकी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) पंचातय समिति डीग की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए वर्ष 2000-2001 के बजट में कितनी राशि स्वीकृत की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1996 में पंचायत समिति डीग में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनः निर्माण/मरम्मत कार्य कराया गया था।

(2) जी, हां। सहायता विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों के लिये जारी स्वीकृतियों के अनुसार सम्पर्क सड़कों की मरम्मत का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

(3) पंचायत समिति डीग की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिये वर्ष 1998-99, 1999-2000 में प्राप्त स्वीकृति एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट-"अ" संलग्न है।

(4) पंचायत समिति डीग की क्षतिग्रस्त सड़कों के लिये वर्ष 2000-2001 के बजट मद 3054 में नवीनीकरण हेतु डीग सीकरी सड़क के लिये रुपये 4.00 लाख स्वीकृत हुये। इसके अतिरिक्त साधारण मरम्मत हेतु 6.00 लाख रुपये एवं 10.00 लाख रुपये गत वर्ष के शेष कार्यों को पूरा करने हेतु प्राप्त हुये हैं।

परिशिष्ट-"अ"

वर्ष 1996 में आई बाढ़ से हुई क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु सहायता विभाग से प्राप्त स्वीकृति व व्यय का विवरण

वर्ष 1998-99 की स्वीकृति व व्यय विवरण मय कार्य का नाम

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति राशि (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)
1.	भरतपुर डीग अलवर रोड	15.00	15.11
2.	भरतपुर डीग अलवर रोड	6.00	7.03
3.	डीग कामां नन्दगांव रोड	20.00	23.66
4.	डीग गोवर्धन सड़क	8.00	8.65
5.	डीग सीकरी सड़क	7.00	7.28
6.	पान्हौरी जनूथर सड़क	5.00	5.07
7.	सैंत कोरेर सड़क	5.00	2.19
8.	डीग सहारई सड़क	10.00	10.65
9.	डीग निगोही सड़क	4.00	3.68
10.	सामई खेडा वाया बरौली चौथ	5.00	5.03
11.	सामई खेडा पूंछरी सड़क	4.00	4.09
12.	पहुंच मार्ग मालपुरा सड़क	3.00	2.81
13.	पूंछरी परिक्रमा मार्ग सड़क	7.50	7.08
	योग	99.50	102.33

वर्ष 1999-2000 में मद (5054) में स्वीकृत कार्य व व्यय विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति राशि (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)
1.	20 एमएम, पीएमसी. वाई पेवर इन किमी. 39,40 डीग कामां सड़क	7.00	3.90
2.	20 एमएम, पीएमसी. वाई पेवर इन किमी. 3/500 से 4/0 सम्पर्क सड़क मालपुरा	1.00	—
3.	20 एमएम. पीएमसी. इन किमी. 1 व 2 सम्पर्क सड़क पान्हौरी से जनूथर	1.00	1.00
4.	स्ट्रेथनिंग व 20 एमएम. पीएमसी. वाई पेवर इन किमी. 36, 37, 43, 44, 47 डीक कामां नंदगांव सड़क	30.00	24.10
	योग	39.00	29.00
	वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 का कुल योग :	138.50	131.33

नगरपालिका/नगर परिषदों में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नति में अनियमितता

79. **श्री घरोसी लाल (हिण्डौन)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका/नगर परिषदों में गत 15-20 वर्षों से सेवारत कनिष्ठ अभियन्ताओं की विभागीय पदोन्नति समिति राज्य सरकार द्वारा बैठाकर उन्हें नियमित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2000 में मात्र 5-6 वर्ष की सेवा करने वाले कनिष्ठ अभियन्ता को विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर नियमित किया गया है? यदि हां, तो किसे व किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति व संबंधित के समस्त अभिलेख की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इसमें लिप्त अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? उक्त बिन्दु दो पर अंकित कनिष्ठ अभियन्ता का नियमितीकरण यदि अवैधानिक पाया जाता है तो क्या सरकार उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। किसी भी कनिष्ठ अभियंता का नियमितीकरण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा नहीं किया जाता है, केवल विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के बारे में अभिशंषा की जाती है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न के भाग सं. 1 व 2 में दिये गये उत्तर के पश्चात् किसी भी अधिकारी/कर्मचारी एवं कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

खनिज क्षेत्र भैंरू का बाडिया मोड़ (पाली) की ग्रेवल सड़क का डामरीकरण

80. **श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)** : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अधीक्षण अभियन्ता (प्लान) ने अपने पत्र संख्या प.14 (खान ग्रुप-1)/96 दिनांक 12.5.2000 को खनिज बाहुल्य क्षेत्र भैंरू का बाडिया मोड़ की ग्रेवल सड़क को डामरीकृत करने का अनुमानित निर्माण व्यय अठारह लाख रुपये बताया है? यदि हां, तो खनिज विभाग द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क पर भारी वाहनों के आवागमन से

(श्री हीरासिंह चौहान)

झाला की चौकी से कानूजा के बीच 8 कि.मी. सड़क खराब हो गई है? क्या सरकार उक्त सड़क को बी.ओ.टी. स्कीम में टोल रोड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) भैरू का नाका, बर, कापा, कानूजा की उक्त खानों से सरकार को प्रतिवर्ष कितनी आय प्राप्त हो रही है? वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक की सूची सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं। झाला की चौकी से कानूजा की 8 किमी. सड़क विभागीय उपागमन सड़क नहीं है। यह सड़क क्षतिग्रस्त है। इस सड़क को बी.ओ.टी. स्कीम में टोल रोड बनाने का कोई प्रस्ताव खान विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

(3) भैरू का नाका, बर, कापा, कानूजा की खानों से वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक प्रतिवर्ष रायल्टी के रूप में राजस्व प्राप्ति निम्नानुसार है :

वर्ष	राजस्व आय
1997-98	39,80,000
1998-99	52,51,400
1999-2000	66,69,000

झालावाड़ व कोटा वृत्त को विद्युत आपूर्ति

81. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ व कोटा वृत्त जयपुर विद्युत वितरण निगम (पूर्व आर. एस. ई. बी.) में अगस्त, सितम्बर, व अक्टूबर, 2000 को कितनी-कितनी मेगावाट बिजली का आवंटन किया गया? उक्त वृतों में यदि लगातार आठ घन्टे थ्री फेस व 24 घन्टे सिंगल फेस बिजली उपलब्ध करायी जाती है तो कुल कितनी मेगावाट बिजली की आवश्यकता पड़ती है?

(2) उक्त महीनों में प्राप्त बिजली के आधार पर सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को एक साथ कितने-कितने घन्टे बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है?

(3) उक्त अवधि में सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को कितने घन्टे बिजली उपलब्ध करवाई गई?

(4) क्या उपलब्ध बिजली के आधार पर सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को एक साथ बिजली उपलब्ध करवाई गई? यदि हां, तो बिजली की उपलब्धता व मांग में कितना अन्तर रहा?

(5) उक्त सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को तीन, चार, पांच, छह व सात घन्टे बिजली उपलब्ध कराई जाती तो कितनी बिजली की आवयकता होती?

उत्तर

(1) झालावाड़ व कोटा वृत में माह अगस्त से अक्टूबर, 2000 तक औसतन क्रमशः 46 व 155 मेगावाट बिजली का आवंटन किया गया जिसका माहवार विवरण निम्न प्रकार है :

माह	आवंटन (मेगावाट में)	
	कोटा	झालावाड़
अगस्त	153	41
सितम्बर	156	48
अक्टूबर	157	50

उक्त उपलब्धता के अनुसार जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपयोग के लिए 5 से 7 घंटे थ्री फेज व अपवादों को छोड़कर 3-4 घंटे विद्युत आपूर्ति की गई है। उक्त वृतों के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार 8 घंटे थ्री फेज व 24 घंटे सिंगल फेज सप्लाई उपलब्ध करवाने के लिए निम्नांकित विद्युत आवंटन की आवश्यकता होती है :

माह	आवंटन (मेगावाट में)	
	कोटा	झालावाड़
अगस्त	198	53
सितम्बर	202	62
अक्टूबर	204	65

(2) उक्त महीनों में उपरोक्त आवंटन के अनुसार जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपयोग के लिए 5 से 7 घंटे थ्री फेज व अपवादों को छोड़कर 3 से 4 घंटे सिंगल फेज तथा शहरी क्षेत्रों में 22 से 23 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा सकती है।

(3) उक्त महीनों में उपरोक्त आवंटन के अनुसार जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपयोग के लिए 5 से 7 घंटे थ्री फेज व अपवादों को छोड़कर 3 से 4 घंटे सिंगल फेज तथा शहरी क्षेत्रों में 22 से 23 घंटे विद्युत आपूर्ति करवाई गई।

(4) कृषि के अतिरिक्त अन्य सभी उपभोक्ताओं को एक साथ बिजली उपलब्ध करवाये जाने की कोशिश की जाती है परन्तु ग्रिड में व्यवधान आने एवं अन्य तकनीकी कारणों से कई बार बीच में व्यवधान आ जाता है फिर भी कृषि क्षेत्र को विभिन्न ब्लाक में 5 से 7 घंटे विद्युत सप्लाई की जाती है। उद्योगों को पीक आवर्स के अलावा नियमित रूप से सप्लाई दी जाती रही है। विद्युत की मांग एवं उपलब्धता में लगभग पीक आवर्स में 30 प्रतिशत व अन्य आवर्स में 10 प्रतिशत की कमी रहती है।

(5) उक्त सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को 3, 4, 5, 6 व 7 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के लिए निम्नांकित विद्युत आवंटन की आवश्यकता होती है :

(ऊर्जा मंत्री)

कोटा वृत्त	विद्युत आवंटन (घंटों में) (मेगावाट)				
माह	3	4	5	6	7
अगस्त	123	138	153	168	183
सितम्बर	126	141	156	171	186
अक्टूबर	127	142	157	172	187
झालावाड़ वृत्त					
अगस्त	47	50	53	56	59
सितम्बर	42	45	48	51	54
अक्टूबर	44	47	50	53	56

प्राणी मित्र सेवा संस्थान, जोधपुर को अकाल सहायता हेतु प्राप्त राशि

82. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) एवं डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि प्राणी मित्र सेवा संस्थान जोधपुर नामक ट्रस्ट के लिए मा. मुख्य मंत्रीजी ने मुम्बई में उद्योगपतियों की बैठक बुलाकर अकाल सहायता हेतु राशि जमा कराने के लिए आग्रह किया था? यदि हां, तो इस आह्वान के बाद उक्त ट्रस्ट में कितनी राशि जमा हुई तथा उसे अकाल हेतु या अन्य सामाजिक सेवा के कार्य में कहां-कहां व्यय की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त संस्थान ने पूर्व में मारवाड़ अकाल सहायता समिति गठित कर अकाल राहत में योगदान दिया था? यदि हां, तो उसके द्वारा क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माननीय मुख्य मंत्रीजी जब-जब भी चेन्नई, मुम्बई, बैंगलोर इत्यादि जगह गये हैं, वहां पर उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से व्यक्तिगत रूप में या समितियां बनाकर अकाल पीड़ित जनता और पशुधन की मदद के लिये आगे आने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों को अपने गांवों के विकास में भी भागीदार बनने के लिये हमेशा प्रेरित किया है। इस तरह के आह्वान से कोई संस्था

(अकाल राहत मंत्री)

अथवा व्यक्ति कितनी धनराशि जनकल्याण के लिए जमा/खर्च करता है इसकी जानकारी कहीं से भी राज्य सरकार को प्रेषित नहीं की जाती है।

(2) मारवाड़ अकाल सहायता समिति ने संवत् 2042 व 2044 की भीषण अभाव अवधि के दौरान जिले में चारा डिपो एवं पशु शिविर संचालित किये थे।

विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध राशि का तहसील सपोटरा में उपयोग

83. श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य को विश्व बैंक से दी गई राशि से कहां-कहां क्या-क्या कितनी-कितनी राशि के कार्य करवाये गये?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सपोटरा की तहसील सपोटरा के ग्राम करणपुर व केलादेवी को भी राशि आवंटित की गई थी? यदि हां, तो कितनी?

(3) क्या सरकार ने उक्त आवंटित राशि से कोई कार्य करवाये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी एवं ग्लोबल एनवायरमेन्ट फण्ड (जी.ई.एफ.) की सहायता से रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्र में इंडिया ईको डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया जा रहा है। किए गए विकास कार्यों की सूची परिशिष्ट-"ए" के अनुसार संलग्न है। इस योजना के अन्तर्गत विकास कार्यों पर माह सितम्बर, 2000 तक उ.व.सं. (कोर) बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर द्वारा रु. 14797902 एवं उ.व.सं. (बफर) बाघ परियोजना, करौली द्वारा रु. 23436484, कुल योग रु. 38234386 विकास कार्यों पर व्यय किये गये हैं।

(2) जी, नहीं। इस बाघ परियोजना के अन्तर्गत तहसील सपोटरा के ग्राम करणपुर व केलादेवी को राशि आवंटित नहीं की गई है।

(3) उक्त ग्रामों को राशि का आवंटन नहीं किये जाने के कारण कार्य करवाये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

परिशिष्ट-"ए"

विश्व बैंक एवं जी. ई. एफ. की सहायता से इण्डिया ईको डवलपमेंट प्रोजेक्ट अन्तर्गत कराये गये आवंटित राशि एवं व्यय का विवरण

वन मण्डल : रणथम्भौर बाघ परियोजना (कोर) सवाईमाधोपुर

क्र.स.	स्थान का नाम	कार्य का नाम	आवंटित राशि	व्यय राशि
1	2	3	4	5
टेबल नम्बर 107 के अन्तर्गत कार्य				
1.	रेंज कुण्डेरा	सर्वे एवं डिमर्केशन	0.50	44671.00
2.	रेंज खण्डार	सर्वे एवं डिमर्केशन	2.00	35252.00
3.	रेंज सवाईमाधोपुर प्रादेशिक	"	2.00	102458.00
4.	रेंज बाघ परियोजना प्रादेशिक	"	2.10	49918.00
5.	कैम्पस	हैण्डक्वाटर बिल्डींग	11.06	1473479.00
6.	कुण्डेरा	कुण्डेरा गार्ड क्वार्टर 2 इकाई	4.00	453633.00
7.	खण्डार	खण्डार	4.00	408587.00
8.	रेंज प्रादेशिक सवाईमाधोपुर	स.माधोपुर	4.00	430798.00
9.	धुन्दर झलदरी	गार्ड क्वाटर	3.71	172476.00
10.	सुलतानपुर	"	2.00	189352.00
11.	राजबाग (कुण्डाल)	"	1.75	157013.00
12.	रामसिंहपुरा	"	1.95	73483.00
13.	आगा घाटी	"	1.75	140859.00
14.	कुण्डेरा	वनपाल क्वार्टर	3.00	275115.00

1	2	3	4	5
15.	फलोदी	वनपाल क्वार्टर	3.00	328383.00
16.	टोडरा	"	3.00	191194.00
17.	राजबाग	"	3.00	272757.00
18.	तलावडा	"	3.00	199715.00
19.	फिरोजपुर	तलाई निर्माण फिरोजपुर	2.00	132517.00
20.	रण	रण तलाई निर्माण	2.00	144672.00
21.	तूती का नाला	तूती का नाला	8.00	364764.00
22.	सोनकच्छ	सोनकच्छ तलाई	1.90	165240.00
23.	चिरौली	चिरौली तलाई	2.40	225030.00
24.	मिश्र दर्रा	एनीकट मिझरा	8.25	383294.00
25.	अमरेश्वर	अमरेश्वर एनीकट	5.28	242654.00
26.	खण्डार	जूलीफिलोरा एरोडोकेशन	12.00	807778.00
27.	प्रादेशिक स. माधोपुर	खाई फैन्सिग	11.36	38665.00
28.	झूमर बावड़ी	मिलवी पश्चमी प्लान्टेशन	10.75	280370.00
29.	झूमर बावडी	चैनलीग फैन्सिग झूमरबावड़ी तिवाना जोड इम्प्रेमेन्ट बाघ परि. क्षेत्र में	14.50	1025765.00
टेबल नम्बर 207 के अन्तर्गत				
30.	भदलाव	पुराना तालाब ऐनीकट निर्माण	4.50	715976.00

1	2	3	4	5
31.	भिड	स्कूली बाउण्ड्री वाल	0.35	25374.00
32.	माधोसिंहपुरा	एप्रोच रोड खरन्जा	3.99	296878.00
33.	रामसिंहपुरा	एप्रोच रोड खरन्ज रामसिंहपुरा	4.47	323968.00
34.	खिलचीपुरा	तलाई निर्माण कार्य खिलचीपुर	3.97	260891.00
35.	खट्टुपुरा	एनीकट निर्माण कार्य खट्टुपुरा	3.57	268803.00
36.	बहरापण्डा खुर्द	लोकल नाला एनीकट बहरापडा	4.98	371067.00
37.	बहरापण्डा खुर्द	एनीकट बिनाकडा बहरापडा	9.99	999000.00
38.	तलावड़ा	बाउण्ड्रीवाल बैरवा बस्ती	4.98	369786.00
39.	मईकला	तलाई निर्माण मई कला	1.40	96141.00
40.	इरावदा	काजवा निर्माण इरावदा	3.46	161006.00
41.	रावरा	सामुदायिक भवन मंदीर रावरा	0.44	36474.00
42.	हिन्दवाड	तलाई निर्माण कार्य हिन्दवाड	0.20	17845.00
43.	कालीभाट	पुरानी तलाई खुदाई कारलीभाट	1.49	112022.00
44.	बोदल	बाउण्ड्री वाल बोदल	4.90	349422.00
45.	भदलाव	तलाई निर्माण	0.75	74250.00
46.	भदलाव	कुआ निर्माण भदलाव	0.50	49789.00
47.	बस्सी	तलाई निर्माण बस्सी	1.60	151235.00
48.	उलियाना	प्रेत बाबा की तलाई निर्माण	2.25	222379.00
49.	हिन्दवाड़	तलाई निर्माण हिन्दवाड	1.47	164848.00
50.	कालीघाट	मरम्मत बावडी कार्य कालीभाट	0.48	4321.00
51.	तलावड़ा	पराव की तलाई निर्माण तलावडा	1.50	150000.00

1	2	3	4	5
52.	मईकला	डिजल इन्जन पम्पसैट		
		सार्वजनिक कुआ	0.265	34288.00
53.	बहरावड़ा खुर्द	सिमेंट कंकरी रोड	3.26	328194.00
54.	भदलाव	भदलाव तलाई निर्माण	0.27	27988.00
55.	भदलाव	ऐनीकट भदलाव मरम्मत	1.00	137361.00
56.	भदलाव	सामुदायिक वृक्षारोपण	0.40	23070.00
57.	उलियाना	स्कुल बाउण्ड्रीवाल उलियाना	0.60	71531.00
58.	कैलाशपुरा	कम्यूनीटी हाल कैलाशपुरी	0.77	81026.00

परिशिष्ट-"ए"

विश्व बैंक एवं जी. ई. एफ. की सहायता से इण्डिया इको डवलपमेंट परियोजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों, आवंटित राशि एवं व्यय का विवरण

वन मंडल रणथम्भौर बाघ परियोजना (बफर) करौली

(1) विभागीय स्तर पर कराये गये कार्य

क्र.स.	स्थान का नाम	कार्य का नाम	आवंटित राशि (लाख रू. में)	व्यय राशि
1	2	3	4	5
1.	करौली	कार्यालय भवन	8.40 लाख	839560
2.	करौली	गार्ड क्वाटर 3 नग	3.72 लाख	387246
3.	करौली	वनपाल क्वार्टर	1.93 लाख	176184
4.	करौली	सब फील्ड स्टेशन	5.10 लाख	481479
5.	करौली	वायरलैस टावर	2.50 लाख	248478
6.	मण्डरायल	गार्ड क्वार्टर 3 नग	3.72 लाख	130169
7.	मण्डरायल	वनपाल क्वार्टर	1.93 लाख	190742
8.	मण्डरायल	रैंज आफिस कार्यालय	6.00 लाख	553238
9.	मण्डरायल	वायरलैस टावर	2.43	235953
10.	घण्टेश्वर	गार्ड क्वार्टर	2.25	199435
11.	घण्टेश्वर	फायर बाच टावर	2.00	199963
12.	घण्टेश्वर	कोर बिडिंग सैन्टर	9.00	691473
13.	नरौली	गार्ड क्वार्टर	2.25	136447
14.	गढी गांव	गार्ड क्वार्टर	2.25	190151

1	2	3	4	5
15.	राहिर	गार्ड क्वार्टर	2.25	145354
16.	रामापुरा	गार्ड क्वार्टर	2.25	074524
17.	रामापुरा	फायर वाच टावर	2.00	199884
18.	भाडीला	गार्ड क्वार्टर	2.25	223934
19.	चिरमिल	गार्ड क्वार्टर	2.25	117640
20.	कानरदा	गार्ड क्वार्टर	2.25	048555
21.	डांगरा पाटोल	गार्ड क्वार्टर	2.25	029662
22.	वालेर	गार्ड क्वार्टर	4.96	118092
23.	वालेर	गार्ड क्वार्टर	2.25	083497
24.	वालेर	वायरलैस टावर	2.41	199766
25.	करणपुर	गार्ड क्वार्टर	6.20	299065
26.	करणपुर	वनपाल क्वार्टर	1.93	129789
27.	करणपुर	रैंज आफिस कम निवास	6.00	415424
28.	करणपुर	वायरलैस टावर	2.50	100620
29.	अलवत की	वनपाल क्वार्टर	3.25	283744
30.	नैनिया की	वनपाल क्वार्टर	3.25	257869
31.	नैनिया की	फायर वाच टावर	2.00	183171
32.	आशाकी	फायर वाच टावर	2.00	053933
33.	कसैड	वनपाल क्वार्टर	3.25	285213
34.	दयारामपुरा	फयर वाच टावर		

1	2	3	4	5
35.	रोथई	वनपाल क्वार्टर	2.00 लाख	198942
36.	मतोरिया की	वनपाल क्वार्टर	2.00 लाख	149617
37.	कैरीऊमर	एनीकट	5.00 "	308919
38.	कैलादेवी	तलाई	4.00 "	381536
39.	पोडिक्या	तलाई	4.00 "	397502
40.	उठगिरी	तलाई	4.00 "	055311
41.	ओड की ताल से श्यामपुर	रोड मरम्मत	1.25 "	089340
42.	पाटोर से कसेड	रोड मरम्मत	1.25 "	065677
43.	दयारामपुरा से कूरत की से नीदर	रोड मरम्मत	3.10 "	289120
44.	आशाकी से घण्टेश्वर	रोड मरम्मत	5.00 "	394946
45.	महाराजपुरा से उटगिरी		5.00 "	487287

(2) पारिस्थितिक के विकास समिति ई.डी.सी. के माध्यम से कराये गये कार्य—

(1)	बीच का पुरा	क्लोजर	2.00	201333
		एनीकट	3.50	352628
		गोवर गैस	0.15	014122
		तलाई निर्माण	0.50	050004
		पुरानी तलाई की मरम्मत	0.50	049974

1	2	3	4	5
		तलाई निर्माण रैंजवाली	1.06	105364
(2)	घेर का पुरा	तलाई निर्माण	0.75	076333
		क्लोजर	2.00	171330
		तलाई निर्माण	2.00	198567
		सड़क मरम्मत	0.05	05000
		पुरानी तलाई	0.50	049978
		मरम्मत		
		तलाई निर्माण	0.86	085188
		भोलाजी		
(3)	वनीर्जरा	तलाई निर्माण	1.50	151333
		भोमिया जी		
		तलाई निर्माण	2.00	200000
		काला खेत		
		तलाई निर्माण	2.00	198244
		गोंधारेवाली		
		तलाई निर्माण	1.564	152359
(4)	कसेड	तलाई निर्माण खी	3.00	299303
		तलाई निर्माण रोड	1.50	149741
		क्लोजर	5.00	252053
		तलाई निर्माण	1.50	149966
		पानी की टांका	0.732	072237

1	2	3	4	5
		चैक डेम एवं स्पीलवे	0.62	061589
(5)	खिजूरा	तलाई निर्माण	2.00	172220
		क्लोजर	2.20	149513
		पानी का टांका	0.756	75600
(6)	मरमदा	तलाई निर्माण	2.00	200021
		क्लोजर	2.50	149982
		पुराने एनीकट की मरम्मत	0.50	49947
		तलाई निर्माण	1.00	61404
		रोडी पथ एवं खंरजा	1.152	115200
		स्कूली बच्चो का ड्रेश वितरण	1.95	19500
(7)	रायवेली	तलाई निर्माण	1.00	100000
		क्लोजर	2.50	149982
		रोडी पथ एवं रपट निर्माण	0.50	54000
(8)	गढी का गांव	तलाई निर्माण	2.00	173740
		क्लोजर (ए)	2.50	199498
		क्लोजर (बी)	2.25	219294
		पुराने क्लोजर की मरम्मत	0.50	49980
		पानी का टांका निर्माण	1.57	—
(9)	मौरोची	तलाई निर्माण	2.50	171863
		क्लोजर	2.50	149537
		रोडी पथ एवं खरंजा निर्माण	1.026	102600

1	2	3	4	5
(10)	लखरू की	तलाई निर्माण	3.00	219989
		क्लोजर	2.00	200000
		पुराने क्लोजर की मरम्मत	0.50	49980
		पानी का टांका स्कूल पर	1.08	108000
		लखरू की स्कूल भवन मरम्मत	0.30	30000
(11)	कल्याणपुरा	तलाई निर्माण	3.30	200166
		क्लोजर	2.50	149834
		पुरानी तलाई की मरम्मत	1.314	131400
(12)	चौडिक्या कला	तलाई निर्माण	1.50	148016
		क्लोजर	2.50	191437
		रोडी पथ एवं खरंजा निर्माण	1.098	109800
		पानी का टैंक एवं प्लेट फार्म	0.305	30500
(13)	महाराजपुरा	तलाई निर्माण	1.50	148016
		क्लोजर	2.50	191437
		कम्युनिटी हाल	1.098	45278
		तलाई निर्माण	0.305	30202
(14)	निभेरा	क्लोजर (अ)	2.50	241584
		क्लोजर (ब)	2.50	249659
		तलाई निर्माण	2.50	181302
		तलाई निर्माण	1.65	16007
		कम्युनिटी हाल	1.157	19385

1	2	3	4	5
(15)	दयारामपुरा	तलाई निर्माण घाटी	2.00	191364
		तलाई निर्माण भैरू जी	2.00	190794
		क्लोजर	4.00	241999
		टांका निर्माण	1.02	110863
		तलाई निर्माण नवला वाली	2.00	191982
		तलाई निर्माण छोटी वाली	1.168	100503
		स्कूल में पानी का टांका	0.714	71382
		गोबर गैस प्लांट	0.166	16143
(16)	चिरमिल	तलाई निर्माण	2.00	199663
		क्लोजर	2.40	840
		तलाई निर्माण	1.495	149497
(17)	चचेरी	तलाई निर्माण (i)	1.80	179536
		तलाई निर्माण (ii)	1.80	178893
		क्लोजर	2.25	274796
		कम्युनिटी हाल	1.602	71987
		तलाई निर्माण	0.445	43326
(18)	बालेर (पश्चिम)	कंकाली माता मंदिर जीर्ण द्वारा	0.50	40747
		तलाई निर्माण गोपाल घाटी	2.10	149952
		तलाई निर्माण भौरोजी	3.25	278426
		तलाई निर्माण नाथ जी	0.65	36700
		रोड पिचिंग माताजी की घाटी	2.00	221978

1	2	3	4	5
		भू-संरक्षण कार्य	1.00	99847
		तलाई निर्माण ईसरदा घाटी	0.95	73044
		तलाई निर्माण सांगरना	1.40	160321
		वाकेश्वर मंदिर जीर्ण द्वारा	0.65	54258
		तलाई निर्माण वालाजी इसरदा	1.80	174148
		बीलेश्वर मंदिर जीर्ण द्वारा	0.30	19675
(19)	बालेर (पूर्व)	तलाई निर्माण हीरामल	3.50	343036
		क्लोजर हीरामल	2.50	229920
		भू-संरक्षण डाग	0.70	37236
		प्याऊ निर्माण मंदिर		
		ककला माता का मंदिर जीर्णद्वार	1.00	96340
		भू-संरक्षण भैरूनाथ	0.80	71489
		एनीकट भैरूजी	0.70	1100
		भू एवं जल संरक्षण बालेर	1.00	40515
		प्याऊ निर्माण बस स्टेण्ड बालेर	0.40	13090
(20)	वालोली	भाट का मंदिर जीर्णद्वार	0.70	50166
		प्राथमिक शाला भवन मरम्मत	0.15	14525
		गोपाल जी मंदिर जीर्णोद्वारा	0.70	—
		वैरवा भवन वाजोली मरम्मत	0.21	20313
		एनीकट निर्माण भाट	3.00	2625
		तलाई निर्माण पुरानी	1.50	71372

राजगढ़ (चूरू) में बस स्टेण्ड का निर्माण

84. **श्री नन्द लाल पूनिया (सादुलपुर) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार राजस्थान राज्य परिवहन निगम राजगढ़ (चूरू) में परिवहन निगम का बस स्टेण्ड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी, नहीं। वर्तमान में निगम की आर्थिक स्थिति दयनीय है।

जिला चित्तौड़गढ़ माडा क्षेत्रों हेतु प्रस्तावित योजनाएं

85. **श्री घनश्याम जैन (बेगूं) :** क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला चित्तौड़गढ़ की तहसीलों में माडा के अन्तर्गत कितने गांव है व बिखरी हुई आबादी कहां-कहां है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने उक्त श्रेणी के गांवों के व्यक्तियों के लिए अलग से बजट में कोई प्रावधान किया है? यदि हां, तो उक्त जिलें में गत 5 वर्षों में किन-किन तहसीलों में कितनी-कितनी राशि किन-किन तहसीलों में कितनी-कितनी राशि किन-किन मदों में आवंटित की गई।

(3) वर्ष 2000-2001 में तहसील बेगूं व रावतभाटा के माडा क्षेत्र के लिए क्या-क्या कार्यक्रम हाथ में लिए है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले की तहसीलों में कुल 341 ग्राम माडा क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। तहसीलवार विवरण निम्नानुसार है—

1. बड़ी सादड़ी	72
2. छोटी सादड़ी	79
3. बेगूं	149
4. चित्तौड़गढ़	41
	341

माडा ग्रामों की सूची परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है। अनुसूचित क्षेत्र (प्रतापगढ़ व अरनोद तहसील) तथा माडा ग्रामों को छोड़कर जिले के शेष ग्राम जहां जनजाति व्यक्ति निवास करते हैं, बिखरी आबादी में आते हैं।

(2) जी, हां। माडा एवं बिखरी जनजाति आबादी के व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु बजट में अलग से प्रावधान किया गया है। राशि का प्रावधान तहसीलवार न करके जिलेवार किया जाता हे। गत पांच वर्षों में चित्तौड़गढ़ जिले के माडा एवं बिखरी जनजाति आबादी क्षेत्र में आवंटित राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(3) बेगूं तथा रावत भाटा के माडा क्षेत्रों के लिए वर्ष 2000-2001 में निम्नांकित कार्य हाथ में लिये गये हैं—

	तहसील	
कार्यक्रम का नाम	बेगूं	रावतभाटा
1. ब्लास्टिंग द्वारा कुएं गहरे कराना	20	20
2. डीजल पम्पसैट वितरण	12	6
3. कन्या छात्रावास, रावतभाटा का निर्माण कार्य चल रहा है		

ग्राम पंचायत खनोड़ा व नेवरी (पचपदरा) हेतु डामरीकृत सड़क

86. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सरकार की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय को डामरीकृत सड़क से जोड़ने की योजना है? यदि हां, तो पचपदरा तहसील में कितने पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत मुख्यालय खनोड़ा और नेवरी (तहसील पचपदरा) को डामरीकृत सड़क से जोड़ने का कार्य सर्वप्रथम कब प्रारम्भ किया गया?

(3) क्या उक्त दोनों पंचायत मुख्यालयों को डामरीकृत सड़क से जोड़ दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) अब उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जाएंगे?

उत्तर

(1) जी, हां। पचपदरा तहसील में कुल 54 पंचायत मुख्यालय हैं जिनमें से 42 पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से जोड़ा जा चुका है। विवरण सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) पंचायत मुख्यालय खानोडा और नेवरी (तहसील पचपदरा को डामर सड़क से जोड़ने की स्वीकृति) नाबार्ड योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुई। जिनके कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। खानोडा पंचायत मुख्यालय को जोड़ने का कार्य दिनांक 24.10.98 एवं नेवरी पंचायत मुख्यालय को जोड़ने का कार्य दिनांक 15.11.99 को प्रारम्भ हो चुके हैं।

(3) जी, नहीं। बजट उपलब्ध न होने के कारण कार्य नहीं किया गया।

(4) उक्त दोनों कार्यों को पूर्ण करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

परिशिष्ट-"अ"

पचपदरा तहसील में डामर से जुड़े पंचायत मुख्यालय की सूची

क्र.सं.	नाम डामर से जुड़े पंचायत मुख्यालय	जनगणना वर्ष 1991
1	2	3
1.	जसोल	8969
2.	पचपदरा	7048
3.	आसोतरा	4808
4.	असाडा	4795
5.	पाटोदी	4717
6.	चिलानाड़ी	3970
7.	पारलू	3850
8.	किटनोद	3293
9.	थोब	3171
10.	बिसूजा	2891
11.	टापरा	2872
12.	कनाना	2832
13.	कोरना	2832
14.	सराना	2817
15.	कल्याणपुर	2793
16.	जागासा	2644
17.	बडनावा जागीर	2601
18.	बलाऊ जागी	2601
19.	बगबास	2263

1	2	3
20.	मांजीवाला	2240
21.	सरबड़ी	2075
22.	खरर	1918
23.	गंगावास	1891
24.	मंडाली	1670
25.	कूड़ी	1565
26.	कालूड़ी	1384
27.	सिमरकिया	1311
28.	चांदसेरा	1281
29.	सिणली जागीर	1269
30.	डोलीकरवला	1248
31.	कालेवा	1200
32.	ढंडी सांखला	1034
33.	तिलवाडा	969
34.	असरवाचौहान	759
35.	साभरा	734
36.	सिलेनाड़ी साभंवरा	734
37.	गोतर स्टेशन	635
38.	इकढानी	532
39.	थूम्बली	527
40.	गोपडी	434
41.	मूल की दगली	326
42.	दूधवा	253

नगरपालिका क्षेत्र देवगढ़ (राजसमंद) में अतिक्रमण

87. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने नगरपालिका क्षेत्र की सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाने हेतु समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किए है? यदि हां, तो क्या-क्या और कब-कब? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राजसमन्द जिले की देवगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में कथित बजरंग दल ने एक-डेढ़ वर्ष पूर्व अतिक्रमण किया है? क्या उक्त के सम्बन्ध में शिकायत लिखित एवं मौखिक रूप से क्षेत्रीय विधायक ने कलेक्टर राजसमन्द व अन्य अधिकारियों को की थी?

(3) उक्त शिकायत के बावजूद अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया?

(4) अतिक्रमण नहीं हटाने के लिये क्या सरकार जांच कराके दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(1) जी, हां। आदेशों की प्रति संलग्न है।

(2) जी, हां। यह सही है कि बजरंग दल से सम्बन्धित कुछ व्यक्तियों द्वारा नगरपालिका देवगढ़ की भूमि पर अतिक्रमण किया था जिसके सम्बन्ध में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की धारा 203 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक महोदय, द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई।

(3) प्रकरण जिला कलेक्टर राजसमंद के न्यायालय में विचाराधीन था। अब निर्णय की प्रति नगरपालिका को दिनांक 28.10.2000 को प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार शीघ्र ही कार्यवाही की जावेगी।

(4) भाग संख्या-3 में इसका उत्तर निहित है।

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग

संख्या : भूमि/एफ(7)(ड)स्थानि/95/1211/1423 जयपुर, दिनांक : 9.5.1995

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

आयुक्त/अधिशासी अधिकारी,

नगर निगम/परिषद पालिकाएं,

विषय : निगम/परिषद/पालिका कर्मचारियों द्वारा अतिक्रमण निरोध कार्यवाही के अन्तर्गत तोड़े जाने की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

एडिशनल डायरेक्ट जनरल आफ पुलिस (इन्टैलीजैंस) राजस्थान सरकार, उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन गृह विभाग को प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रतिवदेन के आधार पर समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाओं को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में किसी भी मसुदाय के धार्मिक स्थलों के आस-पास व धार्मिक स्थल पर किये गये अतिक्रमण, अनाधिकृत निर्माण आदि को तोड़े जाने से पूर्व जिला प्रशासन व स्थानीय पुलिस से सम्पर्क किया जाकर उनका पूर्ण सहयोग लिया जावे तथा जिला प्रशासन व स्थानीय पुलिस को उक्त अतिक्रमण व अनाधिकृत निर्माण तोड़ने के बाबत ध्यान में लाया जावे तथा अन्य सम्बन्धित पक्षों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं करने से कभी-कभी विभिन्न समुदायों के मध्य आपसी तनाव उत्पन्न हो जाता है व विशेषकर इन संभावनाओं के बीच की कृत्य से एक वर्ग के लोगों की भावनाऐं आहत हो सकती है।

ह.

(अजय सिंह)

उप शासन सचिव

दिनांक : 2-5-95

राजस्थान सरकार

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राज. जयपुर

संख्या : प. 7(ड) सामान्य)डीएलबी/95/3214-3395 दिनांक : 28.9.1995

आयुक्त/अधिशासी अधिकारी,

नगर निगम/परिषद/पालिका,

समस्त राजस्थान।

विषय : निजी भूमियों के अलावा अन्य भूमियों पर अनाधिकृत कब्जे एवं निर्माण को रोका जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान द्वारा समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान को प्रेषित अ. शा. पत्रांक निस/शास/नविआ/95 जिसमें राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर, 1991 को जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 नगर विकास न्यास अधिनियम, 1959 एवं नगर पालिका अधिनियम, 1959 में संशोधन कर के सशक्त अधिकार दिये गये हैं, जिसमें निजी भूमियों के अलावा अन्य भूमियों पर अनाधिकृत कब्जे एवं निर्माण को रोके जाने के अधिकार दिये गये हैं।

अतः माननीय मुख्य सचिव महोदय के अ.शा. पत्र को छाया प्रति संलग्न भेज कर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त अधिनियमों में किये गये संशोधन की प्रति सम्बन्धित जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त के कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त की जाये। अधिनियम में बताए गए निर्देशों के क्रम में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। इस प्रकार की जा रही कार्यवाही की प्रगति विवरण प्रारम्भ में दिसम्बर-95 तक हर 15 दिन में तत्पश्चात् माह में एक बार निदेशालय को प्रति देते हुए जिला कलक्टर को भेजी जाये। 13 सितम्बर, 1995 तक की गई कार्यवाही से एक सप्ताह में अवगत करावें।

ह.

दिनांक 28/5/95

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक : भूमि/एफ 7(ड) (डीएलबी/98/3091-3273) जयपुर, दिनांक 18.12.1998

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
आयुक्त/अधिशासी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकाएं,
समस्त राजस्थान।

आदेश

राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि नगर निगमों/परिषदों/पालिकाओं में दिन प्रतिदिन अतिक्रमण बढ़ रहे हैं, जिन पर नगर निगम/परिषद/पालिका द्वारा कोई प्रभावशाली कार्यवाही नहीं की जाती है। अतः इस विषय में निर्देश दिये जाते हैं कि निगम/परिषद/पालिका को स्वयं की भूमि एवं निर्मित सम्पत्ति आदि पर अतिक्रमण को रोकने हेतु नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही तत्काल अमल में लाई जावें। इसके लिये चुंगी समाप्त होने से अधिशेष कर्मचारी-नाकागार्ड, सब नाकेदार, नाकेदार व राजस्व निरीक्षक को ऐसे महत्त्वपूर्ण स्थलों पर जहां अतिक्रमण की संभावना है तथा कच्ची बस्तियों पर अतिक्रमण बावत निगरानी व रिपोर्ट करने हेतु नामजद नियुक्त किया जावे। किस कर्मचारी को किस स्थान पर नियुक्त किया इस बाबत पूर्ण सूची उप निदेशक (क्षेत्रीय) को एक सप्ताह में प्रेषित की जावें। एवं उसकी प्रति विभाग को भेजे। अतिक्रमण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नगर पालिका द्वारा तत्काल प्रभावी कार्यवाही प्रारम्भ करनी होगी। भविष्य में इन क्षेत्रों में अतिक्रमण होने पर उस क्षेत्र में नियुक्त संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी की इसकी जिम्मेदारी होगी।

उप शासन सचिव

दिनांक : 18.12.1998

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग जयपुर

क्रमांक : एफ 1 ( ) चुनाव/डीएलबी/99/7778 दिनांक : 6.8.1999

परिपत्र

निर्वाचन आयोग के द्वारा लोक सभा चुनावों की विधिवत घोषणा की जा चुकी है तथा राजस्थान राज्य में दिनांक 5.9.1999 एवं 11.9.1999 को चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावों के समय में प्रशासन की व्यवस्था के कारण लोग अतिक्रमण/अवैध निर्माण करते हैं, इसलिये इसमें त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता महसूस की गयी है। अतः कृपया यह सुनिश्चित करें कि सरकारी/नगर निगम/परिषद/पालिका की भूमि पर अतिक्रमण/बिना स्वीकृति के निर्माण का नहीं हो। यदि कोई व्यक्ति सरकारी/नगरपालिका की भूमि पर अतिक्रमण करता है तो उसे तत्काल नियमानुसार हटाकर इसकी सूचना सम्बन्धित जिला कलक्टर को देवें। यदि निर्माण कार्य बिना इजाजत करता है तो उसे भी तुरन्त रुकवायें।

ह.

निदेशक एवं

उप शासन सचिव

दि. 5.8.1999

जिला जैसलमेर के सोनू लाइम स्टोन का उपयोग

88. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला जैसलमेर के सोनू लाइम स्टोन खानों में पड़ा सात करोड़ राशि के खनिज का क्या उपयोग करने की योजना है?

(2) क्या सोनू लाइम स्टोन खानों पर कार्यरत आर. एस. एम. एम. तथा आर. एस. एम. डी. सी. को एकीकरण की योजना है?

(3) क्या यह सही है कि उत्पादन लागत अधिक होने से स्टील मिल्स अन्य स्रोत से लाइम स्टोन मंगा रही है जिससे इन खानों के बन्द होने का खतरा है?

(4) सोनू लाइम स्टोन खानों पर कितने श्रमिक तथा कितनी गाड़ी में सोनू से जैसलमेर रेल्वे स्टेशन तक ढुलाई करनी पड़ती है? क्या यह सही है कि प्रोजेक्ट बन्द होने से हजारों श्रमिक बेकार होंगे?

(5) क्या खनिज विभाग लाइम स्टोन का मूल्य निर्धारण कर तथा खनिज कार्य में कुशलता लाकर प्रोजेक्ट को सुचारू रखने का विचार रखता है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) खानों में पड़े सीमेन्ट ग्रेड लाइमस्टोन को भविष्य में लगने वाले सीमेन्ट उद्योग के लिये सुरक्षित रखा गया है।

(2) आर.एस.एम.डी.सी. एवं आर. एस. एम.एम. के आमेलन की दिशा में कदम उठाते हुये एक ही अध्यक्ष बनाया गया है तथा एक ही निदेशक मण्डल बनाने पर विचार किया जा रहा है।

(3) जी नहीं। उत्पादन लागत अधिक नहीं है, पर रेल भाड़ा अधिक होने के कारण आयातीत लाइमस्टोन सस्ता पड़ता है, जिसका असर इन खानों से उत्पादित खनिज की बिक्री पर पड़ता है, परन्तु इन खानों के बन्द करने की कोई योजना नहीं है।

(4) सोनू लाइमस्टोन खानों पर करीबन 800 श्रमिक व 200 गाड़ियों से जैसलमेर रेल्वे स्टेशन तक खनिज लाइमस्टोन की ढुलाई की जाती है। इस प्रोजेक्ट को बन्द करने की कोई योजना नहीं होने से श्रमिकों के बेकार होने का प्रश्न नहीं उठता।

(5) जी, नहीं। उक्त क्षेत्र में खननपट्टे उपरोक्त दोनों निगमों को स्वीकृत किये हुए है और उनके द्वारा कुशलता पूर्वक खनन कार्य किया जा रहा है।

धौलपुर थर्मल पावर प्लान्ट के खातेदारों को मुआवजा

89. श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में बिजली उत्पादन कम होने के कारण बिजली की कटौती की जा रही है?

(2) क्या सरकार बिजली उत्पादन के लिये पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं की क्रियान्विति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो धौलपुर थर्मल पावर प्लान्ट के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

(3) धौलपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिये कितनी भूमि अवाप्त की गई है तथा इस भूमि के मुआवजा के रूप में कितनी राशि किन-किन खातेदारों को दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य में बिजली का उत्पादन कम होने के कारण विद्युत कटौती किया जाना अवश्यम्भावी हो जाता है। विद्युत का उत्पादन कम होने पर भी आवश्यक सेवाओं की विद्युत आपूर्ति में कोई कटौती नहीं करके इन सेवाओं को आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। राज्य के उत्पादन स्रोतों से कम विद्युत उत्पादन होने पर अन्य स्रोतों से विद्युत प्राप्त करके या क्रय करके विद्युत आपूर्ति यथासंभव सुनिश्चित बनाये रखने के प्रयास किये जाते हैं।

(2) जी, हां। धौलपुर थर्मल पावर प्लांट के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम प्रयासरत हैं।

मैं. आर. पी. जी. धौलपुर पावर कंपनी व पूर्वकालिक रा. रा. विद्युत मंडल के साथ 788.5 मे. वा. क्षमता का विद्युत गृह स्थापित करने के लिए विद्युत क्रय समझौते पर दिनांक 29.8.1996 को हस्ताक्षर हुए थे। फर्म द्वारा इसे संशोधित कर 702.7 मे. वा. क्षमता के लिए तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्राप्त की गई। कंपनी ने अक्टूबर 1999 में संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिस पर राज्य सरकार ने निम्न निर्णय लिये :—

1. स्थाई दर को प्रभावित करने वाले किसी भी मुद्दे पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. एस्क्रो कवर पारी-पासू आधारित होगा।
3. नेफ्था के स्थान पर प्रारम्भ से ही गैस प्रयुक्त की जाए।

उक्त निर्णय से दि. 26.6.2000 को कम्पनी को अवगत करा दिया गया जिसका कम्पनी से जवाब अपेक्षित है एवं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम इस दिशा में प्रयासरत है।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) मै. आर. पी. जी. धौलपुर पावर कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड ने अपने पत्र दि. 4.4.1997 द्वारा सूचित किया है कि उसने 552 बीघा 15 बिस्वा भूमि को अवाप्त कर लिया है। इसमें से 108 बीघा 15 बिस्वा भूमि (जो निजी भूमि थी) का मुआवजा रुपये 54,82,925/- मात्र खातेदारों को चुका दिया गया है। इन खातेदारों की सूची परिशिष्ट-"अ" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला जैसलमेर का फर्जी नियुक्ति प्रकरण

90. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : राज्य अन्वेषण ब्यूरो मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में फर्जी नियुक्ति देकर स्थानान्तरण के माध्यम से विभिन्न जिलों में सेवाएं नियमित करने के संबंध में शिक्षा विभाग ने राज्य अन्वेषण ब्यूरो को प्रकरण दिया था? यदि हां, तो कब? उक्त प्रकरण में विभाग द्वारा किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों/व्यक्तियों को दोषी माना था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य अन्वेषण ब्यूरो ने उक्त प्रकरण की जांच कब प्रारम्भ की तथा जांच कार्य कब पूरा किया और उन्होंने उनमें से किन-किन व्यक्तियों को दोष मुक्त कर दिया तथा दोष मुक्त करने के क्या कारण रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य अन्वेषण ब्यूरो ने उक्त प्रकरण में शामिल सभी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो अब तक क्यों नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। जैसलमेर जिले में फर्जी नियुक्ति देकर स्थानान्तरण के माध्यम से विभिन्न जिलों में सेवाएं नियमित करने के संबंध में शिक्षा निदेशक, बीकानेर के माध्यम से भ्रनि. ब्यूरो में प्रथम दृष्ट्या अभियोग सं. 26 से 30/97 दिनांक 31.1.1997 को पंजिबद्ध किये गये हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है : —

1. अपराध सं. 26/97 अन्तर्गत धारा 420, 468, 471, 120 बी भादस व 13(1)डी(2) पी.सी. एक्ट विरुद्ध श्री राम किशोर तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर, श्री हरिशंकर व्यास तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी दौसा, डा. अब्दुल रजाक संयुक्त निदेशक, प्राथमिक निदेशालय,

(राज्य अन्वेषण ब्यूरो मंत्री)

बीकानेर, श्री अशोक कुमार शर्मा व श्री विनोद कुमार।

2. अपराध सं. 27/97 अन्तर्गत धारा 420, 468, 471, 120 बी भादस व 13(1)डी(2) पी. सी. एक्ट विरुद्ध श्री रामकिशोर तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी जैसलमेर, श्री मोहम्मद सलीम तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा. शि) जयपुर, श्री सवाई सिंह उप निदेशक तत्कालीन (पुरुष) शिक्षा, जयपुर व सुश्री जाहिर बेगम व अन्य।

3. अपराध सं. 28/97 अन्तर्गत धारा 420, 468, 471, 120 बी भादस व 13(1)डी(2) पीसी एक्ट विरुद्ध श्री रामकिशोर खंगार तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर व श्री मुरारी लाल शर्मा पुस्तकालय अध्यक्ष।

4. अपराध सं. 29/97 अन्तर्गत धारा 420, 468, 471, 120 बी भादस व 13(1)डी(2) पीसी एक्ट विरुद्ध श्री रामकिशोर खंगार तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) जैसलमेर, श्री त्रिलोक चन्द मीणा, प्रयोग शाला सहायक।

5. अभियोग सं. 30/97 धारा 420, 468, 471, 120 बी भादस व 13(1)डी(2) पीसी एक्ट विरुद्ध श्री रामकिशोर खंगार जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) जैसलमेर, श्री हरिशंकर व्यास जिला शिक्षा अधिकारी दौसा, डा. अब्दुल रजाक संयुक्त निदेशक, प्रा. निदेशालय बीकानेर श्रीमती विजय लक्ष्मी विस्सा।

(2) 1. भ्र. नि. ब्यूरो द्वारा उक्त प्रकरण की जांच दि. 31.1.1997 से प्रारम्भ की है तथा जांच पूर्ण कर दोषी पाये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध निर्णय (पूर्ण की) तिथि निम्न है : —

अपराध सं.	पूर्ण करने की तिथि
26/97	19.7.1999
27/97	17.7.1999
28/97	17.7.1999
29/97	17.7.1999
30/97	14.5.1999

2. अपराध सं. 26 व 30/97 में श्री हरिशंकर व्यास तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी दौसा व डा. अब्दुल रजाक, संयुक्त निदेशक, प्राथमिक निदेशालय बीकानेर व अपराध सं. 27/97 में श्री मोहम्मद सलीम, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा. शि) जयपुर, श्री सवाई सिंह उप निदेशक तत्कालीन (पुरुष) शिक्षा जयपुर के विरुद्ध अन्वेषण से आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये हैं।

(3) (अ) अपराध सं. 29/97 से संबंधित न्यायालय में दिनांक 29.10.1999 को चालान पेश किया जा चुका है।

(ब) अपराध सं. 26,27,28 व 30/97 में विधि विज्ञान प्रयोग शाला से परीक्षण

(राज्य अन्वेषण ब्यूरो मंत्री)
रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, मूल अभिलेख शीघ्र प्राप्त करके संबंधित न्यायालय में चालान पेश करने की कार्यवाही की जावेगी।

शेरगढ़ (बारां) की वन भूमि पर अतिक्रमण

91. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) :** क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.: —

क्या यह सही है कि जिला बारां की तहसील छीपाबड़ोद के ब्लाक अमलावदा रेंज शेरगढ़ की भूमि पर कुछ व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है? यदि हां, तो कब से?

उत्तर

जिला बारां की तहसील छीपाबड़ोद के ब्लाक अमलावदा रेंज शेरगढ़ की भूमि पर वर्तमान में 18 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमणों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-"क" के अनुसार संलग्न है।

परिशिष्ट-"क"

जिला बारां की तहसील छीपाबड़ोद के ब्लाक अमलावदा रेंज शेरगढ़ की वन भूमि पर अतिक्रमणों का वर्षवार विवरण

क.सं.	वर्ष	अतिक्रमणों की संख्या
1.	1977-78	3
2.	1978-79	3
3.	1987-88	1
4.	1997-98	2
5.	1999-2000	4
6.	2000-2001	5
	योग	18

जिला अलवा के पंचायत मुख्यालयों हेतु निगम बस सेवा

92. श्री जौहरी लाल (राजगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार राजगढ़ (अलवर) में आगार स्थापित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार राजगढ़ से माचाढी, टहला, डेरा, किलपूर होती हुई पिरागपुरा पंचायत मुख्यालय, राजगढ़ से पाडा, बैरेर, कानेटी, बहड़को कलां होती परवैणी पंचायत मुख्यालय, राजगढ़ से पाटन, बिलेटा पंचायत मुख्यालय, राजगढ़ से राजपुर छोटा, थिलोवडी पंचायत मुख्यालय तथा राजगढ़ से श्री चन्दपुरा, कुण्डला होती हुई देवती खैडली, वीरपुर, बिगोत पंचायत मुख्यालय तक पथ परिवहन निगम की बस चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, नहीं। अलवर जिले में पूर्व से ही निगम के तीन आगार स्थापित है। इसके अतिरिक्त निगम की वित्तीय स्थिति व उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए एक और आगार खोला जाना उचित नहीं है।

(2) जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र दानपुर के छात्रावासों में छात्रों की संख्या में वृद्धि

93. श्री भाणजी भाई (दानपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में अब तक कितने छात्रावास किस-कस श्रेणी के हैं?

(2) उक्त क्षेत्र के छात्रावासों में कितने बालक/बालिकाओं के रहने की व्यवस्था है? क्या सरकार उक्त क्षेत्र के छात्रावासों में बालक/बालिकाओं के रहने की संख्या में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष में कितने नए छात्रावास खोले गए? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक खोले गए? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक खोले जावेंगे?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में 4 राजकीय एवं एक अनुदानित छात्रावास विभाग द्वारा तथा 8 बालक आश्रम छात्रावास जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

(समाज कल्याण मंत्री)

नाम छात्रावास		स्वीकृत छात्र सं.	प्रतिशत छात्रों की सं.
1.	दानपुर	60	60
2.	छींछ	25	25
3.	बदरेल	25	25
4.	तलवाड़ा	25	25
5.	करजी अनुदानित गांधी सेवाश्रम परतानुर	25	25
		160	160

जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रम छात्रावास

नाम आश्रम छात्रावास		स्वीकृत छात्र सं.	प्रवेशित छात्र सं.
1.	छोटी सरवन	100	100
2.	घोड़ी तेजपुर	50	50
3.	तलवाड़ा	25	25
4.	अम्बापुरा	50	49
5.	कलिंगरा	100	100
6.	खेड़ा बडलीपाड़ा	25	25
7.	बड़ौदिया	25	25
8.	मही डेम	25	25
		475	472

(2) समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत 5 छात्रावासों में 160 छात्रों के रहने की तथा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित 8 आश्रम छात्रावासों में 475 छात्रों के रहने की व्यवस्था है। छात्रावास में छात्रों के रहने की संख्या में वृद्धि राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(3) इस वित्तीय वर्ष में कोई नये छात्रावास नहीं खोले गये हैं। नये छात्रावास खोला जाना राज्य सरकार की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

जिला कोटा में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

94. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि जिला कोटा के ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं ? क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत/नवीनीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

कोटा जिले की ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। वर्ष 2000-2001 में साधारण मरम्मत के लिए सामग्री मद में 115.00 लाख रुपये एवं नवीनीकरण हेतु 61.00 लाख रुपये का प्रावधान है। कार्यों को पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-133 की सूची)

विभाग के अधीन नगरपालिका सेवा में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) यांत्रिक के स्वीकृत पद एवं उन पर कार्यरत अभियन्ताओं का विवरण

क्र.सं.	नाम नगर निगम/ परिषद पालिका	स्वीकृत पदों की संख्या	पद स्थापित अभियन्ता का नाम	वर्तमान पद पर कार्यरत होने की तिथि
1	2	3	4	5
1.	जयपुर	3	1. श्री एस. के. गोयल	मई 1992 के
			2. श्री सी. एस. शर्मा	सितम्बर 1991 से
			3. श्री एन. मेघवानी	जुलाई 1994 से
2.	कोटा	1	1. श्री गिर्राज सिंह हाड़ा	मई 1992 से
3.	जोधपुर	2	1. श्री सुमनेश कुमार माथुर	जून 1996 से
			2. श्री प्रदीप नेथानी	मई 1999 से
4.	बीकानेर	1	1. श्री सुभाष मोगा, XEn. UIT बीकानेर को अति. कार्यभार	जून 2000 से
5.	भीलवाड़ा	1	1. श्री आर. के. पालीवाल (प्रतिनियुक्ति पर)	मई 1999 से

1	2	3	4	5
6.	उदयपुर	1	1. श्री बी. एल. जैन (प्रतिनियुक्ति पर)	अगस्त 1998 से
7.	पाली	1	1. श्री कमल किशोर शर्मा	मई 1999 से
8.	अजमेर	1	1. श्री जीत सिंह	जून 1997 से
9.	भरतपुर	1	रिक्त	
10.	श्रीगंगानगर	1	1. श्री हरिराम वर्मा	अप्रेल 1999 से
11.	चित्तौड़गढ़	1	फिलहाल पद नहीं भरने का निर्णय है। (केप्ट इन अलेयेन्स)	
12.	बाड़मेर	1		
13.	कोटा	1. पद यान्त्रिक	1. श्री मोहन लाल चोकनीवाल	सितम्बर 2000
14.	जयपुर	1 पद यान्त्रिक	रिक्त	
15.	जोधपुर	1 पद यान्त्रिक	रिक्त	

सहायक अभियन्ता (सिविल) के स्वीकृत पदों की सूची

क्र.सं.	नगर परिषद/पालिका का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	उदयपुर	एक
2.	बूंदी	एक
3.	चूरू	एक
4.	दौसा	एक
5.	धौलपुर	एक
6.	झुन्झुनूं	एक
7.	डूंगरपुर	एक
8.	करौली	एक
9.	झालावाड़	एक
10.	प्रतापगढ़	एक
11.	सुजानगढ़	एक
12.	मेड़ता सिटी	एक
13.	हिण्डौन	एक
14.	अन्ता	एक
15.	मकराना	एक
16.	सरदारशहर	एक
17.	आबूरोड	एक
18.	कोटपूतली	एक
19.	पुष्कर	एक
	कुल योग	19

विभिन्न नगर निगमों/परिषदों/पालिकाओं में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं/अभियांत्रिकी अधीनस्थों की सूची

क्र.सं.	नाम नगर निगम परिषद/पालिका	नाम कनिष्ठ अभियन्ता/अभि-अधीनस्थ
1	2	3
1.	अजमेर	श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा
		कृष्ण सिंह
		राजेन्द्र आहूजा
		नाहर सिंह
		ओम प्रकाश शाहू
		प्रवीन सिंह
		अनिल व्यास
2.	ब्यावर	दिनेश चन्द्र
3.	किशनगढ़	श्रवण कुमार
4.	केकड़ी	रामकरण शर्मा
5.	विजयनगर	रवि कुमार
6.	अलवर	हेमराम दुआ
		जगमोहन गौड़
		मनोज कुमार
		रघुवर दयाल
7.	खेरली	शिवदेव सिंह
8.	खेरथल	ओ. पी. मदान
9.	बाड़मेर	संदीप माथुर

1	2	3
10.	बालोतरा	हंसराम मीणा
		आलोक माथुर
		सुधाकर व्यास
11.	बांसवाड़ा	प्रभुलाल भाम्बोर
		मधुश्याम चौबीसा
12.	बीकानेर	बृजगोपाल व्यास
		उमंग राजवंशी
13.	भीलवाड़ा	प्रदीप कुमार
		अखेराम बाड़ोदिया
		पवन कुमार
		सतीश कुमार
		राजेश बोड़ा
14.	शाहपुरा (भी)	ललित मोहन
15.	गुलाबपुरा	सुरेश चन्द्र जैन
16.	भरतपुर	विनोद कुमार
		विनीत कुमार
		राजीव कुमार
		दिनेश शर्मा
		बहादुर सिंह
17.	ब्याना	बलदेव स्वरूप
18.	डीग	प्रदम सिंह
19.	नदबई	विशेष कुमार

1	2	3
20.	बारां	नरेन्द्र कुमार
		राजेन्द्र दाधीच
21.	अन्ता	बृजेश पुरोहित
22.	बून्दी	अरूणेश (निलम्बित)
23.	लाखेरी	शंकरलाल रोहलाना
24.	चित्तौड़गढ़	राजेन्द्र स्वामी
25.	प्रतापगढ़	दुर्गाप्रसाद
26.	निम्बाहेड़ा	सुनील व्यास
27.	छोटी सादड़ी	सुधीर पुरोहित
28.	चूरू	श्रीमती पूर्णिमा यादव
		श्री महेन्द्र सिंह
29.	श्री डूंगरगढ़	श्रीमती सुरेन्द्र
30.	राजगढ़	नजीर मोहम्मद
31.	धौलपुर	राजकुमार सिंघल
32.	बाड़ी	बृजमोहन सिंघल
33.	दौसा	हेमराज मीणा
34.	बांदीकुई	नितिन शर्मा
35.	श्रीगंगानगर	देबूराम कल्ला
		तेज सिंह
36.	श्री करणपुर	जगदीश प्रसाद
37.	सूरतगढ़	जगदीश प्रसाद लावा
38.	पदमपुर	हेमाराम ढाका

1	2	3
39.	अनूपगढ़	चरण सिंह लोढ़ी
40.	हनुमानगढ़	करमचन्द्र अरोड़ा
		सुभाष बंसल
		महावीर गोदाला
41.	भादरा	पवन बंसल
42.	जयपुर	महेश गुप्ता
		रामवतार शर्मा
		गोविन्द नारायण
		मनोज कुमार
		रतन सिंह
		शेरसिंह चौधरी
		चरण सिंह.
		देश बन्धु
		संदीप नागपाल
		सुश्री मेधा गुप्ता
		धर्मचन्द सोनी
		राजेश मीणा
		नेमीचन्द पवार
		तरूण सिंहा
		महेश शर्मा
		नन्दलाल शर्मा
		दिनेश चन्द गुप्ता

1	2	3
		रामचन्द्र सैनी
		संदीप शर्मा
43.	सांभर	एस. के. झा
44.	चाकसू	ओम प्रकाश शर्मा
45.	कोटपूतली	जगदीश पलसानियां
46.	चौमूं	लालचन्द
47.	जैसलमेर	राजीव कश्यब
48.	जालौर	विनय बोहरा
49.	झालावाड़	संजय विजय
50.	भवानी मंडी	प्रकाश शर्मा
51.	नवलगढ़	राम प्रसाद मीणा
52.	जोधपुर	मनमोहन माथुर
		ओम प्रकाश बोहरा
		विनोद व्यास
		कु. सुनीता बोहरा
		भरत कुमार टेपण
		राहुल गुप्ता
		संदीप माथुर
		सुधीर माथुर
		रमेश जोशी
		अनील पुरोहित
		संजय पुरोहित
		संदीप माथुर

1	2	3
53.	बिलाड़ा	ओम प्रकाश व्यास
54.	कोटा	के. जार्ज
		प्रशान्त भारद्वाज
		सुभाष अग्रवाल
		किशनलाल खींची
		राजेन्द्र शर्मा
		मोहन लाल खटवालिया
		मोतीलाल चौधरी
		कु. रुपम तिवाड़ी
		महेन्द्र सिंह
		अमित जोशी
55.	रामगंज मंडी	राकेश शर्मा
56.	रावत भाटा	मनोज चौबे
57.	नागौर	रतीराम
58.	लाडनूं	ओम प्रकाश डीडवाल
59.	मेड़ता सिटी	सुरेश व्यास
60.	मकराना	कमलेश व्यास
61.	परबतसर	जुगल किशोर जैन
62.	पाली	प्रदीप गोयल
		सुखराम चौधरी
		ओम प्रकाश चौहान
		कमलेश व्यास
		दीपक गुप्ता

1	2	3
63.	सोजत सिटी	अचलाराम सौलंकी
64.	सुमेरपुर	राधा किशन जाट
65.	रामसमंद	गोपाल कृष्ण पी. आर.
		प्रवीन कुमार
66.	नाथद्वारा	शांतिलाल आमेटा
67.	सवाई माधोपुर	श्री अमर सिंह मीणा
		श्री राजेन्द्र कुमार मीणा
68.	गंगापुर सिटी	सतीश गुप्ता
69.	हिण्डौन सिटी	अमृत सिंह जाटव
70.	सीकर	किशन लाल मीणा
		मदन मोहन महावर
71.	लक्ष्मणगढ़	जगन्नाथ बैरवा
72.	श्रीमाधोपुर	मधुसूदन गैना
73.	आबूपर्वत	सुखदेव पटेल (निलम्बित)
		राकेश माथुर
74.	टोंक	एम. के. पकजन
75.	देवली	महेश कुमार मीणा
76.	उदयपुर	यशवन्त सिंह
		हरीश त्रिवेदी
		मोहम्मद अय्यूब खान
		श्रवण कुमार
		मुकेश वद पुजारी
		मनीष अरोड़ा
		श्रीमती शशि बाला
		महेन्द्र कुमार समदानी

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-137 की सूची)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सूची-अ

क्र.सं.	योजना का नाम	सड़क निर्माण/डामरीकरण की वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	श्री गोपाल नगर	कार्य प्रगति पर है
2.	शक्ति नगर	" "
3.	पुष्पांजलि कालोनी	" "
4.	नेमी नगर	" "
5.	हनुमान नगर "डी" ब्लाक	" "
6.	लव-कुश नगर प्रथम व द्वितीय	" "
7.	जनकपुरी प्रथम व द्वितीय	" "
8.	विद्युत नगर "ए"	" "
9.	महादेव नगर	" "
10.	महेश नगर विस्तार	" "
11.	रूप नगर-प्रथम	" "
12.	गंगा विहार	" "
13.	मान नगर ए व बी	पूर्ण हो चुका है
14.	वीर विहार	" "
15.	महात्मा गांधी नगर	" "

1	2	3
16.	टीचर्स कालोनी	पूर्ण हो चुका है
17.	विजय नगर	डामरीकरण का कार्य शेष है
18.	स्कीम नं. 2 (शिल्प कालोनी)	प्रगति पर है
19.	स्कीम नं. 1 (पटेल नगर)	" "
20.	विद्याधर नगर सेक्टर नं. 7	" "
21.	अम्बाबाड़ी	" "
22.	हाथी बाबू का बाग	" "
23.	सेन कालोनी	" "
24.	भट्टा बस्ती	" "
25.	बन्धा बस्ती	" "
26.	हसनपुरा	" "
27.	अमृतपुरी	" "
28.	निर्माण मार्ग	" "
29.	रामनगरिया	" "
30.	महल विस्तार	" "
31.	पालड़ी मीणा	" "
32.	चित्रकूट	" "
33.	गोविन्दपुरा कालवाड़	" "

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सूची-"ब"

क्र.सं.	योजना का नाम	सड़क निर्माण/डामरीकरण की वर्तमान स्थिति
1.	श्याम नगर "ई" ब्लाक	पूर्ण
2.	माननगर "ए" व "बी"	पूर्ण
3.	10 "बी"	पूर्ण
4.	वीर विहार	पूर्ण
5.	विश्वेसरिया नगर	पूर्ण
6.	महात्मा गांधी नगर	पूर्ण
7.	लक्ष्मण कालोनी	पूर्ण
8.	टीचर्स कालोनी	पूर्ण
9.	विवेक विहार	पूर्ण

परिशिष्ट-"अ"

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-146 का विवरण)

क्र.सं.	गांव/शहर का नाम जहां चौकी स्थापित है।	नाम थाना	स्वीकृत नफरी				भवनों की स्थिति का विवरण
			उ.नि.	सउनि.	मुआ.	कानि.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चौकी बी.डी. के अस्पताल झुंझुनूं	कोतवाली	1	3	—	3	चौकी हेतु भवन नहीं है। भूमि अस्पताल परिसर में आवंटन की कार्यवाही जारी है।
2.	चौकी न्यू कालोनी (रोडवेज बस स्टैण्ड) झुंझुनूं	कोतवाली	—	1	—	6	चौकी के लिए सरकारी भवन नहीं है।
3.	चौकी कस्बा झुन्झुनूं	कोतवाली	—	1	—	6	चौकी पुरानी तहसील भवन में चल रही है।
4.	चौकी बगड़	बगड़	—	—	1	4	चौकी हेतु सरकारी भवन नहीं है।
5.	चौकी कस्बा बिसाऊ	बिसाऊ	—	—	1	4	सरकारी थाना भवन में चल रही है चौकी हेतु भवन उपलब्ध नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	चौकी कस्बा मुकुन्दगढ़	नवलगढ़	—	1	1	4	सरकारी भवन उपलब्ध है।
7.	चौकी कस्बा नवलगढ़	नवलगढ़	—	—	1	4	धर्मशाला भवन में चल रही है, सरकारी भवन नहीं है।
8.	चौकी भोड़की	गुढ़ा	—	—	1	4	सरकारी भवन उपलब्ध है।
9.	चौकी पंचलंगी	उदयपुरवाटी	—	—	1	4	चौकी धर्मशाला भवन में चल रही है। भूमि आवंटित कराई जा चुकी है।
10.	चौकी रेलवे स्टेशन चिड़ावा	चिड़ावा	—	1	—	8	रेलवे स्टेशन परिसर में उपलब्ध भवन में चल रही है।
11.	चौकी सुलताना	चिड़ावा	—	—	1	4	सरकारी भवन उपलब्ध है।
12.	चौकी मण्डेला	पिलानी	—	—	1	4	सरकारी भवन उपलब्ध है।
13.	चौकी कस्बा पिलानी	पिलानी	—	1	—	6	सरकरी भवन नहीं है।
14.	चौकी बबाई	खेतड़ी	—	—	1	4	सरकारी भवन उपलब्ध है।
15.	चौकी बसई	खेतड़ी	—	—	1	4	सरकारी भवन उपलब्ध है।

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-147 की प्रति)

प्रतिलिपि : अन्तिम प्रतिवेदन संख्या 64/95 दिनांक 23/5/1995 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 137/94 दिनांक 20/7/1994 थाना वैशाली नगर जयपुर शहर (दक्षिण) जयपुर।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य : महोदय वाक्यात मुकदमा हाजा इस प्रकार से है कि दिनांक 20.7.1994 को श्री दौलत राम खत्री प्लाट नं. 40 कृष्णा नगर, इमलीवाला फाटक जयपुर की एक टाइप शुदा रिपोर्ट जरिये डाक श्रीमान एस.पी. साहब के कार्यालय से इस आशय की प्राप्त हुई कि प्रार्थी ने गुलाबी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर से दिनांक 15.4.1981 को गृह निर्माण योजना मोतीनगर में प्लाट नं. 213-ए, माप 253 वर्ग गज आवंटित किया गया, जिसका आवंटित पत्र गुलाबी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. रामगंज जयपुर-3 के अध्यक्ष श्री लियाकत अली एवं मंत्री मो. यूसुफ के हस्ताक्षरों के अधीन जारी किया गया, लेकिन इस समिति के वास्तविक कर्ता श्री अयूब खान है, लेकिन मंत्री व अध्यक्ष के हस्ताक्षर जो इनके रिश्तेदार है, लियाकत अली एवं मो. यूसुफ के है। गुलाबी नगर गृह निर्माण सहकारीता समिति लि. ने प्रार्थी को 12000/-रु. में दिया है। लेकिन गुलाबी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर ने छः रुपये वर्गगज के हिसाब से 1518/- रुपये की रसीद दी है। जिसका उल्लेख आवंटन पत्र में है। लेकिन भौतिक रूप से कब्जा नहीं दिया गया था एवं यह भी नहीं बताया गया कि यह प्लाट विवादित है। प्लाट नं. 213-ए, मोतीनगर क्वीन्स रोड़ को प्रार्थी ने बी. डी. माथुर एडवोकेट के जरिये खरीदा था। प्रार्थी जब दिनांक 4.1.1984 गुरुवार को मोती नगर अपने प्लाट पर गया तो वहां पर बाहर गुण्डे बैठे थे, तो उनसे पूछने पर गाली गलौच तथा प्लाट पर नाजायज कब्जा करना चाहते हैं। मेरा, प्लाट श्रीमती विमला चौधरी पत्नी स्व. मोतीलाल चौधरी नि. क्वीन्स रोड़ खातीपुरा मोड़ जयपुर ने श्रीमती प्रेमलता अरोड़ा पत्नी श्री आल प्रकाश अरोड़ा नि. भिवानी खेड़ा जिला भिवानी को बेच दिया, इस तरह बारह और प्लाट को मेरे प्लाट के साथ एक ब्लाक बनाकर प्रेमलता को बेच दिया, कुछ दिन पहले मुझे मालुम हुआ है कि श्रीमती प्रेमलता अरोड़ा ने मेरा व बारह अन्य प्लाटों का ब्लाक किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है। वर्तमान समय में केवल चौकीदार ब्लाक पर तैनात कर रखा है, पूछने पर मालिक का नाम नहीं बता सकता है। प्रार्थी जयपुर के सहकारिता विभाग में भी इस सम्बन्ध में शिकायत की। दिनांक 9.4.1990 को की थी, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई है। प्रार्थी ने 4.1.1984

को श्रीमती विमला चौधरी एवं अजय कुमार चौधरी के विरुद्ध रिपोर्ट पुलिस स्टेशन सोडाला में की थी, कोई कार्यवाही नहीं हुयी है। आदि रिपोर्ट पर मु.नं. 137/94 धारा 420, 406, 120 बी. ता. हि. में कायम कर तफतीश अमल में लाई गई। दौराने तफतीश मुस्तगिस मुकदमा श्री दौलत राम खत्री के बयान लिये गये, भंवर लाल थानाधिकारी द्वारा तफतीश की गई। मुकदमा सम्बन्धी दस्तावेज मुस्तगिस पक्ष व समिति से हासिल किये गये। अब तक की तफतीश हासला, बयानात गवाहान, प्राप्त शुदा दस्तावेजों के आधार पर पाया गया कि श्रीमती विमला चौधरी अपनी जमीन खसरा नं. 122 रकबा नं. 120 बीघा बीड खातीपुरा में से 52 बीघा बेचने का इकरार नामा दिनांक 20.11.1979 से गुलाबी नगर गृह निर्माण सहकारिता समिति से किया था। तथा इस जमीन में से 25 बीघा जमीन दिनांक 20.9.1979 को माधव गृह निर्माण सहकारी समिति से किया था। व इसके पश्चात 50 बीघा का इसी समिति से दिनांक 15.7.1979 को किया है। गुलाबी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति से उक्त जमीन का एग्रीमेन्ट करने के पश्चात भू-खण्ड आवंटित करना शुरू कर दिया, मगर एग्रीमेन्ट के मुताबिक समिति ने विमला चौधरी को रकम नहीं दी, इस पर सन 1981 में विमला चौधरी का गुलाबी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति के बीच विवाद हो गया तथा विमला चौधरी ने जितनी रकम समिति से आई थी, उतनी ज़मीन पर गुलाबी नगर समिति के सदस्यों को कब्जा दे दिया, इस पर गुलाबी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति ने यह मानते हुये कि विमला चौधरी के एग्रीमेन्ट के मुताबिक पूरी रकम दे दी गई है, मगर फिर भी विमला चौधरी कब्जा नहीं दे रही है। सन् 1981 में एक वाद आदेश निम्न व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत स्थाई निषेधाज्ञा हेतु श्रीमती विमला चौधरी के खिलाफ जिला न्यायालय जयपुर शहर, जयुपर में कर दिया, जो अभी भी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। तथा एक वाद उक्त ज़मीन की रजिस्ट्री करने बाबत न्यायालय जि. जयपुर नगर न्यायालय, जयपुर में कर दिया, जो अभी भी न्यायालय एडीजे. नं. 1 जयपुर नगर, जयपुर में विचाराधीन है। इस प्रकार श्रीमती विमला चौधरी का गुलाबी नगर के बीच मुकदमा हाजा से सम्बन्धित भूखण्ड की जमीन के बाबत सिविल वाद न्यायालय एडीजे. नं. 1 व उच्च न्यायालय राज. जयपुर में विचाराधीन है। जब तक इन वादों का निर्णय सम्बन्धित न्यायालयों से नहीं हो जाता जब तक मुकदमा हाजा में कोई निर्णय लेना न्यायोचित नहीं है। क्योंकि वादों का निर्णय होने में काफी समय लगेगा। तब तक मुकदमें को पैण्डिग रखना बेसुध है। होसला तफतीश से जुर्म धारा 420, 406, 120 बी, ता. हि. में घटित होना नहीं पाया जाता है।

अतः मुकदमा हाजा में एफ. आर. नं. 64/95 दिनांक 23.5.1995 बलिगे अदम वकू सिविल नेचर में श्रीमान् एस.पी. साहब से आदेश प्राप्त कर एफ.आर. दी जाकर वास्ते मन्जूरी श्रीमान एसीजेएम. नं. 4 जयपुर शहर की सेवा में प्रेषित है।

18. प्रसंग के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया ... हां/नहीं ... दिनांक ...

(प्राप्ति की सूचना लगावे)

19. प्रेषित करने का समय ... पूर्वान्ह/अपरान्ह

दिनांक ... एस.डी.

निरीक्षक,

पुलिस थाना वैशाली नगर (खातीपुरा)

जयपुर शहर

अग्रेषित भारसाधक पदाधिकारी द्वारा/ओफिसर इन्चार्ज द्वारा

एस.डी.

निरीक्षक

पुलिस थाना वैशालीनगर (खातीपुरा)

जयपुर शहर

नाम ....

पद ....

नम्बर, यदि कोई हो तो ....

ह.

एस. एच. ओ.

पुलिस थाना, वैशाली नगर,

जयपुर शहर

अन्तिम परिणाम/

आरोप पत्र प्रस्तुत

करने वाले अनुसंधान

अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम—हरेन्द्र सिंह, सी. आई.

पद. थानाधिकारी, थाना-वैशालीनगर

जयपुर

नम्बर, यदि कोई हो तो ....

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-154 की सूची)

जैसलमेर जिले में वन विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	नाम पद	कार्य लोकसेवकों की संख्या
1	2	3
	I-नियमित पद	
1.	उप वन संरक्षक	4
2.	सहायक वन संरक्षक	4
3.	क्षेत्रीय-ग्रेड-I	15
4.	क्षेत्रीय ग्रेड-II	4
5.	वनपाल	56
6.	सहायक वनपाल	16
7.	वनरक्षक	185
8.	ट्रैक्टर गार्ड	9
9.	कनिष्ठ लेखाकार	4
10.	कार्यालय सहायक	3
11.	वरिष्ठ लिपिक	9
12.	कनिष्ठ लिपिक	22
13.	वाहन चालक	11
14.	चौकीदार	3
15.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	8
16.	अमीन	1

1	2	3
17.	क्लीनर	1
18.	हैल्पर	1
	योग	356
II. कार्य प्रभारित कर्मचारी		
1.	मुंशी	1
2.	वाहन चालक	9
3.	हैल्पर (खल्लासी)	5
4.	माली	13
5.	पम्प अटैन्डैट	51
6.	पशुरक्षक	65
7.	चौकीदार	150
8.	बेलदार/कुली	1139
9.	हैड : माली	6
10.	दैनिक वेतनभोगी	4
	योग	1443
	महायोग	1799

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-155 की सूची)

1995-96 से 1999-2000 तक कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र में करवाये गये वृक्षारोपण कार्य एवं उनके सृजन पर व्यय की सूची

क्र.सं.	नाम वृक्षारोपण/कलोजर	क्षेत्रफल	वर्ष	वृक्षारोपण कार्य पर कुल व्यय (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	वृक्षा. ढाणी	50 है.	1995-96	4.851
2.	वृक्षा. वांस्या हेड़ी बी	50 है.	1995-96	3.460
3.	वृक्षा. आमली "डी"	50 है.	1995-96	3.100
4.	वृक्षा. किशोरसागर "के"	50 है.	1995-96	3.030
5.	वृक्षा. हनुमतखेड़ा "ए"	50 है.	1995-96	6.860
6.	वृक्षा. हनुमतखेड़ा "बी"	50 है.	1995-96	7.800
7.	वृक्षा. मोईकलां	50 है.	1995-96	7.410
8.	वृक्षा. गांदलियाहेड़ी	50 है.	1995-96	7.570
9.	वृक्षा. डोबड़ा "बी"	50 है.	1995-96	7.690
10.	वृक्षा. काल्याकुई	50 है.	1995-96	7.050
11.	वृक्षा. नयागांव	50 है.	1995-96	7.740
12.	वृक्षा. विनोदकलां	50 है.	1995-96	7.850
13.	वृक्षा. मकड़ावद	50 है.	1996-97	5.200
14.	वृक्षा. डाबरी "डी"	50 है.	1996-97	4.642
15.	वृक्षा. किशोरसागर "एच"	50 है.	1996-97	3.555

1	2	3	4	5
16.	वृक्षा. बांस्याहेड़ी "सी"	50 है.	1996-97	4.890
17.	वृक्षा. बांस्याहेड़ी "डी"	50 है.	1996-97	4.890
18.	वृक्षा. पीतामपुरा	50 है.	1996-97	4.916
19.	वृक्षा. काल्याकुई (दरा)	50 है.	1996-97	4.772
20.	वृक्षा. गोरुखुर्द "सी"	50 है.	1996-97	4.765
21.	वृक्षा. गोरुखुर्द "बी"	50 है.	1996-97	6.571
22.	वृक्षा. काल्याकुई "डी"	50 है.	1996-97	6.575
23.	वृक्षा. दूधियाखेड़ी	20 है.	1996-97	2.769
24.	वृक्षा. गोपालपुरा	20 है.	1996-97	2.717
25.	वृक्षा. लोडाहेड़ा	20 है.	1996-97	2.772
26.	वृक्षा. विशनपुरा	20 है.	1996-97	2.770
27.	वृक्षा. तरकस्या	20 है.	1996-97	2.865
28.	वृक्षा. काल्याकुई (कनवास)	50 है.	1996-97	4.260
29.	वृक्षा. आवां	13 है.	1996-97	0.450
30.	वृक्षा. रोडसाइड कनवास-धूलेट	12 किमी	1996-97	0.580
31.	वृक्षा. रोडसाइड सांगोद-राजगढ़	15 किमी	1996-97	0.640
32.	वृक्षा. रोडसाइड कनवास-कैथून	30 किमी	1996-97	1.310
33.	वृक्षा. रोडसाइड ब्यावर-मोईकलां	05 किमी	1996-97	0.250
34.	वृक्षा. उम्मेडामहादेव "ए"	50 है.	1996-97	5.530
35.	वृक्षा. उम्मेडामहादेव "बी"	50 है.	1996-97	5.560
36.	वृक्षा. किशोरसागर "एन"	50 है.	1996-97	5.510
37.	वृक्षा. किशोरसागर "एम"	50 है.	1996-97	5.520

1	2	3	4	5
38.	वृक्षा. सीमलिया "बी"	50 है.	1996-97	5.590
39.	वृक्षा. आगली (ई)	50 है.	1996-97	5.520
40.	वृक्षा. नयागांव "सी"	50 है.	1996-97	5.540
41.	वृक्षा. आमली "एफ"	50 है.	1997-98	3.849
42.	वृक्षा. काल्याकुई "बी"	50 है.	1997-98	3.326
43.	वृक्षा. बरखेड़ा "ए"	50 है.	1997-98	3.298
44.	वृक्षा. पीतामपुरा "बी"	50 है.	1997-98	3.300
45.	वृक्षा. सलारपीर "बी"	50 है.	1997-98	3.311
46.	वृक्षा. ऊण्डामहादेव "सी"	50 है.	1997-98	3.300
47.	वृक्षा. मोरुकलां "ए"	50 है.	1997-98	3.315
48.	वृक्षा. लटूरी "ए"	50 है.	1997-98	3.331
49.	वृक्षा. डाबरी "ई"	50 है.	1997-98	3.305
50.	वृक्षा. बांस्याहेड़ी "एफ"	50 है.	1997-98	3.305
51.	वृक्षा. कोहड़िया महादेव-II	50 है.	1997-98	3.298
52.	वृक्षा. काल्याकुई "जी"	50 है.	1997-98	3.264
53.	वृक्षा. नयागांव "डी"	50 है.	1997-98	4.835
54.	वृक्षा. बांस्याहेडी "ई"	50 है.	1997-98	4.829
५५.	वृक्षा. काल्याकुई "ई"	50 है.	1997-98	4.837
56.	वृक्षा. सावनभादो "सी"	50 है.	1997-98	4.835
57.	वृक्षा. किशोरसागर "ओ"	50 है.	1997-98	6.679
58.	वृक्षा. गोरुखुर्द "डी"	50 है.	1997-98	6.659
59.	वृक्षा. काल्याकुई "एफ"	50 है.	1997-98	6.689

1	2	3	4	5
60.	वृक्षा. टोल्या	15 है.	1997-98	2.109
61.	वृक्षा. टोस्या	15 है.	1997-98	2.113
62.	वृक्षा. सलोनियां	20 है.	1997-98	2.808
63.	वृक्षा. सारणिया महादेव "ए"	50 है.	1997-98	4.210
64.	वृक्षा. सारणिया महादेव "बी"	50 है.	1997-98	3.670
65.	वृक्षा. सारणिया महादेव "सी"	50 है.	1997-98	3.160
66.	वृक्षा. बपावर "ए"	50 है.	1997-98	3.900
67.	वृक्षा. बपावर "बी"	50 है.	1997-98	4.010
68.	वृक्षा. बपावर "सी"	50 है.	1997-98	4.860
69.	वृक्षा. किशोरसागर-I	50 है.	1997-98	3.740
70.	वृक्षा. किशोरसागर-II	50 है.	1997-98	3.760
71.	वृक्षा. किशोरसागर-III	50 है.	1997-98	3.820
72.	वृक्षा. किशोरसागर-IV	50 है.	1997-98	3.840
73.	वृक्षा. कालापुरा "ए"	50 है.	1997-98	4.000
74.	वृक्षा. नालोदी "बी"	50 है.	1997-98	4.300
75.	वृक्षा. टीपणिया महादेव "ए"	50 है.	1997-98	3.940
76.	वृक्षा. टीपणिया महादवे "बी"	50 है.	1997-98	3.780
77.	वृक्षा. नालोदी "सी"	50 है.	1997-98	3.320
78.	वृक्षा. नालोदी-"डी"	50 है.	1997-98	3.180
79.	वृक्षा. बरखेड़ा "बी"	50 है.	1997-98	3.780
80.	वृक्षा. बरखेड़ा "सी"	50 है.	1997-98	3.400
81.	वृक्षा. बांस्याहेड़ी "जी"	50 है.	1997-98	3.940

1	2	3	4	5
82.	वृक्षा. बांस्याहेड़ी "एच"	50 है.	1997-98	3.470
83.	वृक्षा. बांस्याहेड़ी "आई"	50 है.	1998-99	4.008
84.	वृक्षा. किशोरपुरा	50 है.	1998-99	7.870
85.	वृक्षा. गोरुकलां "बी"	50 है.	1998-99	4.201
86.	वृक्षा. कोहडिया महादेव	50 है.	1998-99	5.657
87.	वृक्षा. आमली-I	20 है.	1998-99	3.074
88.	वृक्षा. आमली-II	20 है.	1998-99	3.213
89.	वृक्षा. आमली-III	20 है.	1998-99	3.213
90.	वृक्षा. ढाणी जालिमपुरा	20 है.	1998-99	1.773
91.	वृक्षा. मोईकलां	20 है.	1998-99	1.795
92.	वृक्षा. माधोपुर	20 है.	1998-99	1.701
93.	वृक्षा. काल्याकुई "एच"	50 है.	1999-2000	5.718
94.	वृक्षा. किशोरपुरा	50 है.	1999-2000	4.124
95.	वृक्षा. कनवास "जी"	20 है.	1999-2000	2.417
96.	वृक्षा. दांता	20 है.	1998-99	1.592

नोट—उपरोक्त वृक्षारोपण कार्यों पर किये गये व्यय में पत्थर की दीवार, खाई फेंसिग, खड्डे एवं ट्रेंच खुदाई, पौध तैयारी व पौधारोपण सहित समस्त खर्चे सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-156 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र बेगूं की तहसील बेगूं व रावतभाटा में वर्ष 1999-2000 में करवाये गये वृक्षारोपण, ख़ोदे गये ख़ड्डे, लगाये गये पौधों तथा जीवित पौधों का विवरण

क्र.सं.	नाम वृक्षारोपण	तहसील	ख़ोदे गये ख़ड्डे	लगाये गये पौधे	पौधों का जीवित प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	जोगणिया माता	बेगूं	35,000	35,000	69%
2.	करून्दा	बेगूं	35,000	35,000	71%
3.	बान्दरमूथा	रावतभाटा	35,000	35,000	65%
4.	अमरथूला	बेगूं	35,000	35,000	80%
5.	नाहरगढ़	बेगूं	35,000	35,000	82%
6.	अनुपपुरा	बेगूं	35,000	35,000	85%
7.	कुन्दालखेडा प्रथम	बेगूं	10,000	10,000	85%
8.	डबका द्वितीय	बेगूं	10,000	10,000	86%
9.	डाकनियों का डूडा प्रथम	बेगूं	10,000	10,000	80%
10.	झीझा का ढेर-ए	बेगूं	10,000	10,000	70%
11.	माडाकुई	रावतभाटा	10,000	10,000	80%
12.	अम्बानाला	रावतभाटा	10,000	10,000	70%

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-158 का प्रपत्र)

प्रपत्र "अ"

अंता-सांगोद सड़क पर वर्ष 1995-96 से सितम्बर, 2000 तक साधारण मरम्मत पर किये गये व्यय का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	मरम्मत/रख-रखाव पर किया गया व्यय (लाखों में)
1.	1995-96	1.19
2.	1996-97	4.08
3.	1997-98	3.07
4.	1998-99	0.33
5.	1999-2000	6.91
6.	2000-2001	0.77
	(30.9.2000 तक)	16.35

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-161 का विवरण)

परिशिष्ट-"क"

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति (लाखों में)	भौतिक लक्ष्य (किमी. में)	माह 9/2000 तक व्यय (लाखों में)	भौतिक प्रगति (किमी. में)
1	2	3	4	5	6
1.	सम्पर्क सड़क नगवाड़ा जोब नं. 57/5054/एमएनपी/1996-97	21.00	4.00 डामर	21.00	4 किमी. डामर। कार्य पूर्ण
2.	कुकनवाली इण्डाली जोब नं. 343/नाबार्ड/1997-98	27.56	3.50 डामर	20.36	3.5 किमी. डामर/ कार्य पूर्ण
3.	कुचामन चितावा से शिव जोब नं. 334/नाबार्ड/1997-98	38.86	5.70 डालर	12.63	2.5 किमी. डामर व 3 किमी. मेटल/ कार्य प्रगति में
4.	कुचामन से डगरपुरा जोब नं. 345/बानार्ड/1997-98	23.00	4.00 डालर	9.55	4.0 किमी. मेटल/ कार्य प्रगति में
5.	सम्पर्क सड़क पदमपुरा जोब नं. 346/नाबार्ड/1997-98	50.16	7.00 डामर	33.65	6.0 किमी. डामर/ कार्य प्रगति में

1	2	3	4	5	6
6.	कुचामन राजलिया जोब नं. 347/नाबार्ड/ 1997-98	26.08	5.00 डामर	12.72	1.0 किमी. डामर 4.0 किमी. मेटल/ कार्य प्रगति में
7.	लाम्बा-जिलोट जोब नं. 369/नाबार्ड/ 1997-98	39.75	5.00 डामर व खरंजा	24.01	4.760 किमी. डामर/कार्य प्रगति में
	योग	**226.41**	**34.20**	**133.92**	**21.760 किमी. डामर 11.0 किमी. मेटल**

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-162 की सूची)

परिशिष्ट-"अ"

तहसील राजगढ़ (चूरू) में वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हुये गांवों की सूची

(अ) पंचायत मुख्यालय

क्र.सं.	ग्राम का नाम	वर्ष 1991 के आधार पर जनसंख्या
1	2	3
1.	ढिगारला	2599
2.	भगेला	1956
3.	बेवड	1436
4.	ख्याली	1350
5.	ढाणी मौजी	1282
6.	ढंढाल-लेखू	708
7.	विजयपुरा	535
(ब)	अन्य गांव	
1.	हांसियावास	1923
2.	मानपुरा	1625
3.	कांथरान	1600
4.	चुबकिया ताल	1523
5.	डींगली	1502
6.	सरदारपुरा	1421
7.	गागडवास	1415

1	2	3
8.	बास कांजण	1389
9.	मिठी	1280
10.	भामासी	1242
11.	लीलकी	1126
12.	नरवासी	1105
13.	गुगलवा	1068
14.	सदाऊ	1034
15.	किरतान	1004
16.	दन्देऊ मोहन सिंह	993
17.	मलवास	988
18.	अमरपुरा	972
19.	जणाऊ खारी	972
20.	मिठडी पट्टा ददरेवा	937
21.	जणाऊ मिठी	901
22.	लुटाना मगनी	865
23.	चुबकिया गढ़	847
24.	गगौर	842
25.	बास किरतान	840
26.	बास गोविन्द सिंह	835
27.	इन्दासर	834
28.	राऊ टिबा	832
29.	गोठया छोटी	811

1	2	3
30.	दयावत	807
31.	देवीपुरा	794
32.	भमरीड	792
33.	बीसलान	779
34.	मिठडी केसरी सिंह	741
35.	बास रडसाना	728
36.	चलाना बास	718
37.	कालौडी	678
38.	लम्बोर छोटी	659
39.	दांतली	654
40.	बिरमी पट्टा	610
41.	बास भमबरोड	575
42.	राजपुरीया	573
43.	ढाणी खुडानी	573
44.	धौलिया	567
45.	मिठडी बलवन्त सिंह	559
46.	सांखण तूमली	557
47.	जयपुरिया खालसा	555
48.	भटोड	554
49.	खैमाणा	544
50.	दन्देऊ सुल्तान सिंह	526
51.	रबूडी	523

1	2	3
52.	बांगडवा	512
53.	भंभाडा	511
54.	जादूवास	508
55.	कानावासी	499
56.	श्योपुरा	497
57.	बास मामराज	494
58.	लूदी बाबर	466
59.	जीरामका बास	461
60.	नयावास	456
61.	मालानाबास	433
62.	कलाल कोटडा	412
63.	लूटाना पूरन	410
64.	ढंढाल शेरा	404
65.	पाबासी	392
66.	खारिया	390
67.	राडताल	380
68.	जोधावास	380
69.	केरलीबास	374
70.	ढंढाल चेता	356
71.	मधाऊ	347
72.	किशनपुरिया	346
73.	खैरू छोटी	335

1	2	3
74.	बास सेऊवा	328
75.	मूंदी बडी	325
76.	बासमूंदी	324
77.	बैरासर बुधु	324
78.	दन्देऊ रामसिंह	310
79.	धागडा	308
80.	ढाणी जीवनसर	283
81.	कसूमी	274
82.	रामसरा टिब्बा	268
83.	लुटाना सदासुख	233
84.	झूंगली	219
85.	डाबली ढाणी	214
86.	ढंढाल खेता	214
87.	चारवाला	189
88.	लुटाना अमीचन्द	187
89.	जयपुरिया पट्टा	181
90.	लुटाना राजू	179
91.	ढाणी खींवा	165
92.	लूदी खूबा	158
93.	सरदारपुरा	154
94.	बास चनानी	153
95.	राजगढ़ ग्रामीण	20
96.	बीड राजगढ़	गैर आबादी
97.	करौली	गैर आबादी
98.	भाटावास	गैर आबादी

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-166 का विवरण)

परिशिष्ट-"अ"

जिला नागौर में वर्तमान में कार्यरत 220 एवं 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन के स्वीकृत भार का विवरण

क्र.सं.	ग्रिड सब-स्टेशन का नाम	वर्तमान स्थापित ट्रांसफार्मर क्षमता (एम. वी. ए.) 220/132 के.वी.	132/33 के.वी.	132/11 के.वी.	वर्ष 2000-01 के दौरान प्रस्तावित क्षमता वृद्धि (एम.वी.ए.)
1	2	3	4	5	6
(अ)	220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन				
1.	नागौर	2×100	1×20 2×10/12.5	2×6.3/8	+1×20/25 –1×10/12.5
2.	मेड़ता सिटी	1×50	—	—	
(ब)	132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन				
1.	भैरूंदा	—	1×20/25 1×16/20	—	
2.	चितावा	—	1×10/12.5	—	+1×10/12.5

1	2	3	4	5	6
3.	डीडवाना	—	2×20/25	—	
4.	खिंवसर	—	1×20/25	—	+1×20/25
5.	कुचामन	—	3×10/12.5	2×6	
6.	कुचेरा	—	3×10/12.5	1×10/12.5	+1×20/25
					−1×10/12.5
7.	मकराना	—	1×20/25	1×10/12.5	
			2×10/12.5	1×7.5	
8.	मेड़ता सिटी	—	4×10/12.5	1×6	+1×20/25
		—			1×10/12.5
9.	नावां	—	1×20/25	—	
10.	गोटन	—	1×10/12.5	1×6.5/8	
				1×6	
11.	लांबा जाटान	—	1×20/25	—	

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-168 की सूची)

अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर परिशिष्ठ-अ

तहसील भीम व देवगढ़ के ऊर्जा से वंचित राजस्व गांवों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	तहसील	विद्युतीकरण दिनांक
1	2	3	4
1.	सदामोज का बाड़िया	भीम	10/88
2.	जैतपुरा	भीम	2/90
3.	खेताखेड़ा	भीम	2/90
4.	जसवंतपुरा	भीम	1/93
5.	बारला चोडा	भीम	3/85
6.	आटोलिया	भीम	3/66 पूर्व में बरार राजस्व गांव के
7.	बिच्छुदड़ा	भीम	3/66 अधिनस्थ में।
8.	उदयपुरा	भीम	11/93
9.	अंटाली	भीम	3/90
10.	डबजार	भीम	3/94
11.	बासावारी	भीम	3/94
12.	नेडी	भीम	9/66 पूर्व में भीम राजस्व गांव के अधिनस्थ।
13.	घोलेला	भीम	3/66 पूर्व में बरार राजस्व गांव के अधिनस्थ
14.	बाडिया	देवगढ़	1/94
15.	वाखाली का खेड़ा	देवगढ़	2/84
16.	सुरजी का खेड़ा	देवगढ़	2/98
17.	देवगढ़ बोड	देवगढ़	2/94
18.	रतना गुढ़ा	देवगढ़	3/98
19.	खीमा गुढ़ा	देवगढ़	पंचायत समिति-भीम
20.	पीथा गुढ़ा	देवगढ़	पंचायत समिति-भीम

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-171 की प्रति)

परिशिष्ट-"अ"

RAJASTHAN STATE ELECTY. BOARD

No. RSEB/By.CE(RE, GLD)/XE-SBC/D.235   Dated : 11.5.2K

The Zonal Chief Engineer (AZ/Zone)

Rajasthan State Electy. Board,

AJMER

Sub : I. T. Less scheme for atleast five village per sub-division.

Ref : Discussion held in the Sn. Officers conference on dated 8th, 9th May, 2K.

Please refer the above subject. It was discused and decided in the Sr. Officers meeting that each sub-division under your control will prepare a scheme for five village in each sub-division having maximum number of 100KVA/63 KVA transformer in that sub-division. It is, therefore requested that proper instructions may please be conveyed to all the field staff to get patwari Revenue maps for five village in each sub-division and than to mark the existing 11kv and L.T. network in that locality indicating each well and sub stations of 11/4 KV. Afther getting this marked the Asstt. Engineer has to prepare a L. T. loss scheme by marking preposed 11kv lines including conversion of L. T. to 11kv line and indicating the removal of existing L. T. lines thereof. The total expenditure and the required material after removal including 100 kv and 63kv transformer be shown in the map itself. The concerned executive Engineer will ensure that this work is to be done at the earliest and execution is to be done after getting the same approved from the circle supdg. Engineer. The progress of the work has to

be intimated to this office fortnightly so that proper monitoring of the scheme is done in this office. As desired by the henblo Member (D) the close mgnitoring of the propose and scheme is to be done at the circle level, falling which circle supdtg. Engineer will required to explain this lapse. This exiperimental work in just the begening of the implementaion of the E. T. Scheme and in turn complete rural sector is to be convered by providing L.T. loss scheme through out Rajasthan.

(S.. K. Shnot)

By Chief Engineer (RE./OLD)

Copy submitted to the Member (D). RSEB, Jaipur for his kind information. This is in reference to the discussions held in the Sr. Officers conference held on 8th & 9th May, 12K.

Chief Engineer (RE./OLD)

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-176 की सूची) अनुसूची "क"

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के उन कृषि उपभोक्ताओं की सूची जिनको एस. पी. लाइन चार्ज जमा कराने हेतु नोटिस दिए गए हैं

क्र.सं.	खाता संख्या	उपभोक्ता का नाम	ग्राम	नोटिस की दिनांक
1.	1802/223	श्री भरोसी लाल पुत्र श्री ओमप्रकाश	गदावरा	19/9/2000
2.	2405/259	श्री भगवत कुन्दन परसादी पुत्र श्री रती	गढ़ीपनखेड़ा	13/9/2000
3.	1702/126	श्री अनुप पुत्र श्री गला	लागनाखुर्द	7/10/2000
4.	2203/73	श्री रघुवीर टूण्डा पुत्र श्री दलगीजी	पट्टी नारायणपुर	4/2/2000
5.	1202/099	श्री रेवती प्रसाद शर्मा पुत्र श्री रतनलाल	बाजनांकलां	18/7/2000
6.	1702/132	श्री करण, अनुप पुत्र श्री सूजा	बालनांखुर्द	30/9/2000
7.	1801/087	श्री महादेव प्रसाद पुत्र श्री तोताराम,	बरगमा	28/7/2000
8.	1801/188	श्री गिर्राज पुत्र श्री चौथी जाट	बरगमा	13/9/2000
9.	2472/121	श्री गुगर मल मदन लाल बाबू	झारेड़ा	19/7/2000

ह.

अधीक्षण अभियन्ता

सवाईमाधोपुर

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या-177 का विवरण)

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि., चूरू

परिशिष्ट-"क"

तहसील-राजगढ़ (चूरू) में अब तक विद्युतीकृत की गई हरिजन बस्तियों का विवरण

क्र.सं.	गांव का नाम	हरिजन बस्ती का नाम	विद्युतीकरण की दिनांक
1	2	3	4
1.	सांखू	हरिजन मौहल्ला	27.2.1979
2.	चान्दनोखी	हरिजन मौहल्ला	30.3.1980
3.	"	हरिजन मौहल्ला डब्ल्यू.एन. 9	30.3.1980
4.	रामपुरा	चमार बस्ती	21.6.1981
5.	रामपुरा	हरिजन बस्ती	21.6.1981
6.	धिरपाली बड़ी	मौहल्ला चमारान	31.3.1983
7.	नीमा	मौहल्ला हरिजन	19.10.1985
8.	हमीरवास	वार्ड नम्बर-2	30.11.1985
9.	हमीरवास	वार्ड नम्बर-3	30.11.1985
10.	हमीरवास	वार्ड नम्बर-4	30.11.1985
11.	हमीरवास	वार्ड नम्बर-5	30.11.1985
12.	नीमा	चमार मौहल्ला	30.10.1986
13.	सांखू	चमार मौहल्ला वार्ड नं.-2	20.11.1986
14.	सांखू	" " -3	20.11.1986
15.	सांखू	" " -4	20.11.1986

1	2	3	4
16.	नवां	हरिजन मौहल्ला वार्ड नं.-4	30.11.1965
17.	नवां	" " -5	30.11.1965
18.	हमीरवास	" " -1	31.3.1989
19.	लम्बोर (छपियान)	चमारों का मौहल्ला	31.3.1985
20.	सरदारपुरा	रैगरबस्ती चमार	31.3.1988
21.	दास तालसिंह	हरिजन मौहल्ला	20.7.1987
22.	बांगड़वा	चमारान मौहल्ला	31.1.1990
23.	सांखू	" "	31.1.1990
24.	कानावासी	" "	31.1.1990
25.	खरिया	" "	31.1.1990
26.	कान्धरान	" "	30.11.1991
27.	हरपालू पतराम	" "	30.11.1991
28.	नवा	" "	30.3.1996
29.	हरपालू रामसुख	" "	31.3.1997
30.	भोजान	हरिजन बस्ती	31.3.1999
31.	राधाबड़ी	हरिजन बस्ती	31.3.1999
32.	सादुलपुर	वार्ड नं.-23	15.2.1972
33.	सादुलपुर	" " -4	28.3.1969
34.	सादुलपुर	" " -3	27.2.1971
35.	सादुलपुर	" " -13	31.3.1972
36.	सादुलपुर	" " -10	19.2.1972
37.	सादुलपुर	" " -6	13.11.1974

1	2	3	4
38.	सादुलपुर	वार्ड नं. 5	9.12.1977
39.	सादुलपुर	" 7	9.12.1977
40.	सादुलपुर	" 8	9.12.1977
41.	सादुलपुर	वार्ड नं.-1	9.12.1977
42.	सादुलपुर	रैगर बस्ती	9.12.1977
43.	पहाडसर	डंवरा कालोनी	15.1.1983
44.	भागेला	हरिजन बस्ती	20.1.1983
45.	भागेला	चमार बस्ती	25.1.1983
46.	सादुलपुर	नायक मौहल्ला	31.3.1983
47.	किशनपुरा	हरिजन बस्ती किशनपुरा	31.3.1989
48.	चांदपुरा छोटा	हरिजन बस्ती	31.3.1989
49.	न्यांगली छोटी	हरिजन बस्ती	21.10.1984
50.	गयासीसर	हरिजन बस्ती	28.10.1984
51.	इंडासर	हरिजन बस्ती	31.3.1987
52.	रामसरा ताल	हरिजन बस्ती	26.2.1993
53.	दाम का खेड़ी	हरिजन बस्ती	31.3.1994
54.	टुंडा खेड़ी	हरिजन बस्ती	21.2.1993
55.	किशनपुरा	हरिजन बस्ती	30.3.1996
56.	ढिंढाल	हरिजन बस्ती	31.3.1997

प्रा. स. अधीक्षण अभियन्ता (पवस)

जोधपुर डिस्काम, चूरू

परिशिष्ट-"ख"

अनुसूचित जाति की बस्तियों के विद्युतीकरण के मापदण्ड

अनुसूचित जाति की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की बस्तियों के विद्युतीकरण के मापदण्ड निम्न प्रकार हैं

1. ग्रामीण क्षेत्रों में

* ऐसी बस्ती/मौहल्ले, जिसमें परिवारों की न्यूनतम संख्या-20 हो।
* ऐसी उक्त बस्ती/मौहल्लों में 75 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति की हो।
* ऐसी बस्ती/मौहल्लों में यदि दो या दो से अधिक अनुसूचित जाति की विभिन्न उपजातियां आस-पास (शामिल) रहती हों, तो वह एक ही बस्ती/मौहल्ला माना जावेगा।

2. शहरी क्षेत्रों में

* शहरी क्षेत्रों में हरिजन बस्ती/मौहल्लों के लिये उपरोक्त परिभाषा ही लागू होगी; किन्तु उसमें परिवारों की संख्या न्यूनतम 50 अनिवार्य होगी।

3. विशेष

* गांवों को विद्युतीकृत करने हेतु वितरण ट्रान्सफारमर हरिजन बस्ती/मौहल्लों के समीपवर्ती क्षेत्र में होना वांच्छित है।
* गांव के सरपंच द्वारा आवेदन करने एवं समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बस्तियों का विद्युतीकरण किया जाता है।

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या-180 का विवरण)

परिशिष्ट-'क'

RAJASTHAN RAJYA SAHAKARI BHOOMI VIKAS BANK LTD., JAIPUR

The position of overdues as on 30.6.2000 at pldb's level

(Rs. In Lacs)

S.No.	Name of Pldb	Overdues As on 30.6.2000
1	2	3
1.	AJMER	518.72
2.	BHILWARA	1009.21
3.	KEKRI	220.58
4.	NAGAUR	602.03
5.	TONK	579.95
6.	ALWAR	468.49
7.	BHARTPUR	795.39
8:	DHOLPUR	207.71
9.	HINDAUN	335.63
10.	SAWAIMADHOPUR	691.78
11.	BIKANER	473.32
12.	CHURU	483.08
13.	HANUMANGARH	243.82

1	2	3
14.	RAISINGHNAGAR	170.58
15.	SRIGANGANAGAR	214.69
16.	JAIPUR	452.15
17.	JHUNJHUNU	1004.43
18.	SIKAR	708.01
19.	BALOTRA	334.92
20.	BILARA	101.95
21.	JODHPUR	170.33
22.	JALORE	644.98
23.	PALI	439.92
24.	SIROHI	626.16
25.	BARAN	564.44
26.	BUNDI	742.32
27.	JHALAWAR	645.95
28.	KOTA	502.00
29.	BANSWARA	662.47
30.	CHITTORGARH	361.00
31.	DOONGARPUR	316.23
32.	PRATAPGARH	179.06
33.	UDAIPUR	757.21
34.	JAISALMER CCB	128.03
35.	DAUSA	228.59
36.	RAJSAMAND	76.61
	TOTAL	16661.74

परिशिष्ट-(ख)

RAJASTHAN RAJYA SAHAKARI BHOOMI VIKAS BANK LTD., JAIPUR

The position of overdues recovery at PLDB's level during 97-98, 98-99 & 99-2000

(Rs. In Lacs)

No.	Name of PLDB	1997-98 Demand	1997-98 Recovery	1998-99 Demand	1998-99 Recovery	1999-2000 Demand	1999-2000 Recovery
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ajmer	113.85	37.69	233.76	30.89	343.65	33.77
2.	Bhilwara	247.64	82.89	298.98	74.73	703.66	170.89
3.	Kekri	77.92	39.14	105.39	40.87	161.05	55.83
4.	Nagaur	281.65	112.27	314.71	104.78	357.08	48.13
5.	Tonk	259.13	73.95	352.39	100.77	443.51	116.30
6.	Alwar	171.52	74.98	300.03	158.96	324.05	126.15
7.	Bhartpur	248.07	62.73	369.28	120.04	507.78	151.27
8.	Dholpur	83.88	34.85	115.25	50.36	150.75	61.53
9.	Hindaun*	142.18	58.2	200.45	66.16	213.05	73.84
10.	Sawai-madhopur	231.11	103.61	320.33	132.60	426.90	132.43
11.	Bikaner	115	43.4	193.45	83.77	266.38	86.98
12.	Churu	184.76	61.32	21.32	72.40	273.07	36.28
13.	Hanuman-garh	31.18	16.5	72.69	35.84	115.64	61.80
14.	Raisingh-nagar	11.79	9.04	12.30	8.26	80.39	57.21

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Sriganga-nagar	28.91	15.55	61.19	31.09	131.11	61.01
16.	Jaipur	407.24	127.99	422.23	136.36	323.99	77.66
17.	Jhunjhunu	551.93	249.48	610.78	361.76	439.84	175.35
18.	Sikar	237.28	129.44	303.26	189.36	337.91	108.98
19.	Balotra	81.44	39.19	123.50	65.66	174.57	61.15
20.	Bilara	9.57	6.66	12.89	8.55	46.15	19.51
21.	Jodhpur	29.75	22.7	40.75	19.13	53.21	20.25
22.	Jalore	625.78	308.02	534.89	248.29	553.92	237.899
23.	Pali	127.77	43.93	216.58	50.02	291.68	53.98
24.	Sirohi	108.64	76.04	204.32	108.59	277.31	76.01
25.	Baran	167.61	50.84	348.05	109.46	384.19	113.46
26.	Bundi*	169.39	26.33	325.71	75.22	509.09	76.31
27.	Jhalawar	257.06	131.22	450.70	134.60	577.82	199.15
28.	Kota	161.51	86.39	265.59	134.60	331.10	171.54
29.	Banswara	158.16	31.83	336.60	53.95	450.74	55.69
30.	Chittorgarh	114.16	76.48	134.85	60.40	220.53	108.67
31.	Doongarpur	112.82	13.86	171.49	29.36	211.06	28.65
32.	Pratapgarh	166.68	28.24	182.96	52.70	169.88	64.43
33.	Udaipur	304.52	94.78	397.77	95.97	499.83	70.87
34.	Jaisalmer ccb	41.06	22.6	53.25	35.70	96.71	45.80
35.	Dausa					171.75	27.96
36.	Rajsamand					52.73	24.20
	Total	6040.96	2392.14	8304.69	3083.78	10672.08	3091.03

परिशिष्ट-"ग"

RAJASTHAN RAJYA SAHAKARI BHOOMI VIKAS BANK LTD., JAIPUR.

STATEMENT SHOWING THE MONTHLY TARGET FOR OVERDUE RECOVERY FOR THE YEAR, 2000-2001

S. No.	Name of pldbs	Balance O. D. 30.6.2000	Monthly recovery target of overdue demand							Rs. In Lacs
			July/Aug 2000	Sep. 00	Oct. 00	Nov. 00	Dec. 00	Jan. 01	Feb. 01	Mar. 01
			5%	10%	20%	20%	15%	10%	10%	10%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ajmer	515.71	25.79	51.57	103.14	103.14	77.36	51.57	51.57	51.57
2.	Bhilwara	982.31	49.12	98.23	196.46	196.46	147.35	98.23	98.23	98.23
3.	Kekri	308.09	15.40	30.81	61.62	61.62	46.21	30.81	30.81	30.81
4.	Nagaur	601.10	20.06	60.11	120.22	120.22	90.17	60.11	60.11	60.11
5.	Tonk	569.05	25.45	56.91	113.81	113.81	85.36	56.91	56.91	56.91
6.	Alwar	443.28	22.16	44.33	88.66	88.66	66.49	44.33	44.33	44.33
7.	Bhratpur	675.90	33.80	67.59	135.18	135.18	101.39	67.59	67.59	67.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Dholpur	173.16	8.66	17.32	34.63	34.63	25.97	17.32	17.32	17.32
9.	Hindaun	333.56	16.68	33.36	66.71	66.71	50.03	33.36	33.36	33.36
10.	Swaimadhopur	582.38	29.12	58.24	116.48	116.48	87.36	58.24	58.24	58.24
11.	Bikaner	484.78	24.24	48.48	96.96	96.96	72.72	48.48	48.48	48.48
12.	Churu	547.82	27.39	54.78	109.56	109.56	82.17	54.78	54.78	54.78
13.	Hanumangarh	207.58	10.38	20.76	41.52	41.52	31.14	20.76	20.76	20.76
14.	Raisingh Nagar	150.22	7.51	15.02	30.04	30.04	22.53	15.02	15.02	15.02
15.	Sri Gangangar	207.93	10.40	20.79	41.59	41.59	31.19	20.79	20.79	20.79
16.	Dausa	246.88	12.34	24.69	49.38	49.38	37.03	24.69	24.69	24.69
17.	Jaipur	464.39	23.22	46.44	92.88	92.88	69.66	46.44	46.44	46.44
18.	Jhunjhunu	1049.15	52.46	104.92	209.83	209.83	157.37	104.92	104.92	104.92
19.	Sikar	666.46	33.32	66.65	133.29	133.29	88.97	66.65	66.65	66.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Balotra	359.85	17.99	35.99	71.97	71.97	53.98	35.99	35.99	35.99
21.	Bilara	219.98	11.00	22.00	44.00	44.00	33.00	22.00	22.00	22.00
22.	Jaisalmer CCB	140.11	7.01	14.01	28.02	28.02	21.02	14.01	14.01	14.01
23.	Jalore	819.39	40.97	81.94	163.88	163.88	122.91	81.94	81.94	81.94
24.	Jodhpur	264.49	13.22	26.45	52.90	52.90	39.67	26.45	26.45	26.45
25.	Pali	448.20	22.41	44.82	89.64	89.64	67.23	44.82	44.82	44.82
26.	Sirohi	724.70	36.24	72.47	144.94	144.94	108.71	72.47	72.47	72.47
27.	Baran	516.74	25.84	51.67	103.35	103.35	77.51	51.67	51.67	51.67
28.	Bundi	724.76	36.24	72.48	144.95	144.95	108.71	72.48	72.48	72.48
29.	Jhalawar	626.82	31.34	62.68	125.36	125.36	94.02	62.68	62.68	62.68
30.	Kota	774.93	23.75	47.49	94.99	94.99	71.24	47.49	47.49	47.49
31.	Banswara	644.26	32.21	64.43	128.85	128.85	96.64	64.43	64.43	64.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Chittorgarh	373.79	18.69	37.38	74.76	74.76	56.07	37.38	37.38	37.38
33.	Doongarpur	340.70	17.04	34.07	68.14	68.14	51.11	34.07	34.07	34.07
34.	Pratapgarh	170.55	8.53	17.06	34.11	34.11	25.58	17.06	17.06	17.06
35.	Rajsamand	117.88	5.89	11.79	23.58	23.58	17.68	11.79	11.79	11.79
36.	Udaipur	710.77	35.54	71.08	142.15	142.15	106.62	71.08	71.08	71.08
	Total	**16887.67**	**844.43**	**1688.87**	**3377.73**	**3377.73**	**2533.30**	**1688.87**	**1688.87**	**1688.87**

परिशिष्ट-19

(अतारांकित प्रश्न संख्या-188 का विवरण)

परिशिष्ट-"अ"

मैसर्स सी. एफ. सी. एल. एवं डी. सी. एम, कोटा का निरीक्षण एवं नमूना एकत्रीकरण की तिथियां

मैसर्स सी. एफ. सी. एल. गडेपान की निरीक्षण तिथियां

23.3.1999, 8.4.1999, 3-4.11.1999, 18.1.2000, 28.2.2000, 3.3.2000, 6.3.2000, 20.4.2000, एवं 12.9.2000

मैसर्स सी. एफ. सी. एल. (गडेपान) के नमूना एकत्रीकरण की तिथियां

12.1.1999, 8.4.1999, 24.5.1999, 15.6.1999, 7.7.1999, 27.7.1999, 5.8.1999, 3-4.11.1999 8.12.1999, 18.1.2000, 28.2.2000, 6.3.2000, 31.3.2000, 20.4.2000, 12.9.2000

डी. सी. एम, कोटा की निरीक्षण तिथियां

22.2.1999, 22.3.1999, 6.4.1999, 5-9.4.2000, 2.8.2000, 13.10.1999, 8.12.1999, 6.1.2000, 5.4.2000,

डी. सी. एम, कोटा के नमूना एकत्रिकरण की तिथियां

5.4.1999, 8.4.1999, 26.3.1999, 7.4.1999, 23.6.1999, 25.10.1999, 4.9.1999, 6.1.2000, 5.4.2000, 24.5.2000, 26.5.2000, 1.6.2000

ह.

सदस्य-सचिव

परिशिष्ट-20

(अतारांकित प्रश्न संख्या-191 का विवरण)

परिशिष्ट-1

जिला-पाली के ग्रामीण अंचलों में संचालित निगम बसों का मार्गवार विवरण

क्र.सं.	मार्ग का नाम	
1	2	
1.	पाली मारवाड़ जंक्शन	वाया गोललीमडा, इन्द्रानगर, मठ, शिवपुरा, बोडर, जाडन, खारडी
2.	सोजतसिटी-देसूरी	वाया सीयाट, सोजतरोड, सवराड, माण्डा बोपारी, सिरियारी, डिगोरायाऊ, फुलाद, करमाल चौराया, जोजावर, जोडकिया, पानोता, नयागांव, मखरतलाव, बागोल, गांधी, गुढ़ा, आसकरण, सुमेर एवं लापी
3.	पाली-पीपाड़ वाया	गोलनिमखडा, मठ, जाडन, रनियाबेरा, बागावास, नागाबेरी, सोजत, सरदारपुरा, खेखारामोड, मण्डला, बोलयलमोड, रन्दिया, अटपडा, बरना, दिवानप्याऊ, भटटा नं.-2 बिलाडा, पिचियाक, झुरलीमोड, बीरावास, बगड, खेजडला, रूणकिया, चिरढाणी, पीपाड
4.	बालोतरा-पाली	वाया होटलू, जानियाना, सराणा, कनाना, पारलू, खेठन्तरी, सिलोर, समदडी, करमावास, तरकटी, मजल, बरवा, पुखतारी, गेलावास, खुटाणी, माण्डावास, जैतपुर, सुकरलाई, मुलियावास, रूपावा, मण्डिया,
5.	पाली-जैतारण	वाया गोललिमडा, मठ, जाडन, रनियाबेरा, बागावा, नागाबेरी, सोजत, सरदारपुरा, खोखरा, साडिया, चण्डावल, बासिया,

1	2	
		पीपलिया, झूंठा, रायपुर, बर, बिराटिया, समोकी, निम्बाज, खिनावडी, जैतारण
6.	पाली-मोकलसर-नागोडा	वाया मण्डिया, गिरादडा, रूपावास, भावरी, राणा, कुलयाणा, नोखा, भाद्राजून, गोविन्दला, रामा, भेरला, मोतीश्री, नीलकण्ठ, गोलिया, खण्डप, डाबली, राखी, मोकलसर, माण्डी, सिवाना, कुसीप, थापन, मुठली, आसोतरा, असाडापचदा, बालोतरा, जसोल, नाकोडा
7.	पाली-बगड़ी	वाया गोललमडा, मठ, जाडन, रनियाबेरा, बागावास, नागाबेरी, सोजतसिटी, सियाट, सोजतरोड, पाचूण्डाकला, बगडीनगर

परिशिष्ट-2

पाली आगार में अनुबन्धित बसों का विवरण

क्र.सं.	अनुबन्धित वाहन	बस मालिक का नाम व पता	अनुबन्ध की अवधि
1	2	3	4
1.	आरजे 14पी 8348	श्रीमती सुशीला देवी पत्नी गोपाल लाल यादव, संजयनगर झोटवाड़ा रोड, जयपुर	1.10.1998 से 30.9.2001
2.	आरजे 4पी 361	शंरकलाल खत्री, आजाद चौक, बाड़मेर	1 उपरोक्तानुसार
3.	आरजे 19पी 5554	अमराराम द्वारा मो. रमजान, राजीव गांधी कालोनी, जोधपुर	3.11.1998 से 31.10.00
4.	आरजे 4पी 371	स्वरूप सिंह, सरकारी अस्पताल के सामने, बाड़मेर .	1.11.1998 से 31.10.00
5.	आरजे 22पी 789	मोहन लाल, रामलीला मैदान के पास, पाली	1.1.2000 से 31.12.00
6.	आरजे 19पी 6520	सरदार खान, मसूरिया के पास पाल रोड, जोधपुर	1.1.2000 से 21.12.00
7.	आरजे 1पी 1168	राजेन्द्र यादव, मोतीनगर, अजमेर रोड, ब्यावर	1.1.2000 से 31.12.00
8.	आरजे 22पी 230	मांगसिंह, गांव सोमेसर जिला-पाली	1.2.2000 से 31.1.2001
9.	आरजे 19पी 5556	कालूखा, दल्लेखान की चक्की के पास, जोधपुर	13.4.200 से 30.4.2001

1	2	3	4
10.	आरजे 4पी 311	श्रीमती मिर्जा पत्नी देवीसिंह, राडियो की गली, बाडमेर	1.6.1998 से 31.5.2001
11.	आरजे 19पी 6856	श्री अमराराम, राजीव गांधी कालोनी, जोधपुर	1.6.2000 से 31.5.01
12.	आरजे 19पी 6857	श्री प्रेम सोलंकी, सिवांजी गेट के पास, जोधपुर	1.6.2000 से 31.5.2001
13.	आरजे 22पी	नरपत सिंह, मु.पो.-मरमधारी जिला-जोधपुर	1.7.2000 से 30.6.2001
14.	आरजे 22पी 657	गिरधारी सिंह, ग्राम-पुनायता, जिला-पाली	1.7.1998 से 30.6.2001
15.	आरजे 22पी 254	इन्द्रचन्द अरोड़ा, गांव-कटारिया, जिला-पाली	1.7.1998 से 30.6.2001
16.	आरजे 19पी 5232	धीरेन्द्र सिंह द्वारा तजूमल अली, मगरा पुंजला, जोधपुर	1.8.1998 से 31.7.2001
17.	आरजे 14 पी 236	विनोद कुमार यादव, डी-13, अग्रसेन कालोनी, जयपुर	1.8.2000 से 31.7.2001
18.	आरजे 14पी 8235	राजेन्द्र यादव, ए-235, नेहरू नगर, जयपुर	1.9.1998 से 31.8.2001

परिशिष्ट-3

पाली आगार में संचालित अनुबन्धित बसों का मार्गवार विवरण

क्र.सं.	वाहन संख्या	मार्ग का नाम जिस पर संचालित
1.	आरजे 14पी 8348	पाली-जयपुर-पाली
2.	आरजे 4पी 361	पाली-बाड़मेर-पाली-अजमेर-पाली
3.	आरजे 19पी 5554	पाली-जोधपुर-पीपाड़-पाली
4.	आरजे 4पी 371	पाली-बाड़मेर-पाली-अजमेर-पाली
5.	आरजे 22पी 789	पाली-किशनगढ़-पाली
6.	आरजे 19पी 6520	जोधपुर-सिरोही-पीपाड-पाली
7.	आरजे 1पी 1168	पाली-रायपुर-ब्यावर-पाली
8.	आरजे 22पी 230	जोधपुर-देसूरी-पीपाड़-पाली
9.	आरजे 19पी 5556	जोधपुर-सिरोही-पीपाड़-पाली
10.	आरजे 4पी 31	पाली-बाड़मेर-पाली
11.	आरजे 19पी 6856	पाली-जोधपुर-पीपाड़-जयपुर-पाली
12.	आरजे 19पी 6857	पाली-रामदेवरा-पाली
13.	आरजे 22पी 848	जयपुर-रेवदर-जयपुर
14.	आरजे 22पी 657	जयपुर-रेवदर-जयपुर
15.	आरजे 22पी 254	पाली-आबूरोड-पाली
16.	आरजे 19पी 5232	पाली-जयपुर-पाली
17.	आरजे 14पी 236	पाली-जयपुर-पाली
18.	आरजे 14पी 8235	पाली-जयपुर-पाली

परिशिष्ट-21

(अतारांकित प्रश्न संख्या-193 का विवरण)

परिशिष्ट-"अ"

विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के अन्तर्गत नवम्बर, 1998 के अगस्त, 2000 तक बनाई सम्पर्क सड़कों का विवरण

क्र.सं.	कृषि मंडी का नाम	कार्य का नाम	कार्य की भौतिक प्रगति	कार्य पूर्ण होने की तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीगंगानगर (अनाज)	1. सम्पर्क सड़क बाइपास रोड से 6 एल.एन.बी.	कार्य प्रगति पर है।	2001	—
		2. सम्पर्क सड़क बाइपास रोड से चक महाराज का	कार्य प्रगति पर है।	2001	—
		3. सम्पर्क सड़क रिको से 17 एम.एल.	कार्य प्रगति पर है।	2001	—
		4. सम्पर्क सड़क हिन्दुमल कोट रोड से तीन पुलि से नेशनल हाइवे-15	कार्य शुरू होना है।	2001	सड़क एलाइनमेन्ट नहरी क्षेत्र में

1	2	3	4	5	6
		5. सम्पर्क सड़क नेतेवाला से 5 एम. एल.	कार्य शुरू होना है।	2001	होने तथा पेड़ होने के कारण सिंचाई विभाग एवं वन विभाग को स्वीकृति हेतु निवेदन किया गया है। स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिये जावेंगे।
2.	श्रीगंगानगर	1. सम्पर्क सड़क लाधूवाला रोड से ठाकरावाली	कार्य प्रगति पर है।	2001	कार्य पूर्ण करने की तिथि 2001 है।
	(फल सब्जी)	2. सम्पर्क सड़क एल.एन.पी. से 1 एल.एन.पी.	कार्य शुरू होना है।	2001	अनुबन्ध अनुसार कार्य किया
		3. सम्पर्क सड़क कीकर चक रोड से 22 एल.एन.पी.	कार्य शुरू होना है।	2001	जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-"ब"

श्रीगंगानगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) एवं (फल सब्जी व लकड़ी) श्रीगंगानगर में कार्यरत कर्मचारियों एवं रिक्त पदों का विवरण

मण्डी समिति	पद का नाम	सृजित पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	कार्यरत कर्मचारी का नाम	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7
गंगानगर (अ)	सचिव	1	1	—	श्री विनोद कुमार पाण्डे	
	स. सचिव	1	1	—	श्री केदारनाथ	
	पर्यवेक्षक	3	3	—	1. श्री ओमप्रकाश काठपाल 2. श्री जगदीश राय गोयल 3. श्री वेद प्रकाश मोगा	
	वरिष्ठ लिपिक	3	2	1	1. श्री बनवारी लाल सीवर 2. श्री मक्खन सिंह	
	अति. सचिव	1	—	1	—	
	स. लेखाधिकारी	1	—	1	—	
	कनिष्ठ लिपिक	16	16	—	1. श्री जगमोहन सिंह 2. श्री देशराज लूणा 3. श्री रमन लाल 4. श्री सत्य प्रकाश 5. श्री राजेन्द्रपाल छोडा 6. श्री महिपाल सिंह नेगी 7. श्री सुखराम अरोड़ा	

1	2	3	4	5	6	7
					8. श्री गौरी शंकर	
					9. श्री महेन्द्र गुप्ता	
					10. श्री राजकुमार खन्ना	
					11. श्री बनवारी लाल मीणा	
					12. श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल	
					13. श्रीमती सुदेश रानी	
					14. श्री साहब राम	
					15. श्री मदन लाल लाम्बा	
					16. श्री बनवारी लाल	
	वाहन चालक	2	2	–	1. श्री सतपाल सिंह	
					2. श्री केवल कृष्ण	
	इलेक्ट्रिशियन	1	1	–	1. श्री दलीप कुमार	
	जमादार	1	1	–	1. श्री मान सिंह	
	च. श्रे. क.	6	5	1	1. श्री वेद प्रकाश खण्डा	
					2. श्री नथूराम	
					3. श्री जोगिन्द्र पाल	
					4. श्री सुरेश कुमार मीणा	
					5. श्री जय गोपाल	
	चौकीदार	8	7	1	1. श्री बल्ब बहादुर	
					2. श्री कोजभान	
					3. श्री राजाराम	
					4. श्री देव बहादुर	

1	2	3	4	5	6	7
					5. श्री जंग बहादुर	
					6. श्री केदार नाथ	
					7. श्री ब्रह्म सिंह	
	जलवाहक	3	3	—	1. श्री राम बहादुर	
					2. श्री राज धीरज	
					3. श्री कैलाश मीणा	
	सफाई कर्ता	8	8	—	1. श्री दीवान चन्द	
					2. श्री विनोद कुमार	
					3. श्री ताराचन्द	
					4. श्री राज कुमार	
					5. श्री जगदीश राय	
					6. श्री नथूराम	
					7. श्री बुधराम	
					8. श्री राम कुमार	
	बागवान	1	—	1	—	
	पम्प ड्राइवर	1	—	1	—	
गंगानगर						
(फल सब्जी)	सचिव	1	1	—	श्री नरेन्द्रपाल सिंह	
	पर्यवेक्षक	1	1	—	श्री नक्षत्र सिंह बराड	
	वरिष्ठ लिपिक	1	1	—	श्री बल्कोर सिंह	
	कनिष्ठ लिपिक	8	8	—	1. श्री मनोहर लाल	
					2. श्री सहिराम	

1	2	3	4	5	6	7
					3. श्री हेमराम	
					4. श्री उमराव सिंह	
					5. श्री भादर राम	
					6. श्री धर्मपाल सिंह	
					7. श्री हरिश भाटिया	
					8. श्री चन्द्र	
	च. श्रे. क.	3	3	—	1. श्री जगदीश नारायण	
					2. श्री नारायण सिंह	
					3. श्रीमती उर्मिला देवी	
	सफाई कर्ता	2	—	2	—	

परिशिष्ट-22

(अतारांकित प्रश्न संख्या-194 की सूचना)

परिशिष्ट-"अ"

जैसलमेर जिले की विभिन्न मण्डियों में आवंटित होने वाली निर्मित दुकानों/प्रस्तावित दुकानों के भू-खण्डों की किस्म का विवरण

क्र.सं.	दुकान/भू-खण्ड की किस्म	निर्मित दुकान/भू-खण्ड	मुख्य मंडी जैसलमेर	मोहनगढ़	नाचना	रामगढ़	विशेष विवरण
1.	अनुज्ञापत्रधारियों के लिये विज्ञप्त कृषि जिन्सों के व्यवसाय हेतु	(अ) निर्मित दुकान	13	—	—	—	(अ) 12 दुकानें आवंटित।
		(ब) दुकानों के भू-खण्ड	05	74	60	96	(ब) आवंटन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2.	गैर अनुज्ञापत्रधारियों के लिए गैर विज्ञप्त कृषि जिन्सों के व्यवसाय (खाद, बीज, पशु आहार, बारदाना, कृषि साहित्य आदि के लिये)	(अ) निर्मित दुकान 04	—	—	—		(अ) आवंटन शुल्क पर निलामी से इस वित्तीय वर्ष में आवंटन किया जावेगा।
		(ब) दुकानों के भू-खण्ड	—	38	39	60	(ब) निलामी से आवंटन इस वित्तीय वर्ष में किया जावेगा।

परिशिष्ट-22

(अतारांकित प्रश्न संख्या-194 की सूचना)

परिशिष्ट-"अ"

जैसलमेर जिले की विभिन्न मण्डियों में आवंटित होने वाली निर्मित दुकानों/प्रस्तावित दुकानों के भू-खण्डों की किस्म का विवरण

क्र.सं.	दुकान/भू-खण्ड की किस्म	निर्मित दुकान/भू-खण्ड	मुख्य मंडी जैसलमेर	मोहनगढ़	नाचना	रामगढ़	विशेष विवरण
1.	अनुज्ञापत्रधारियों के लिये विज्ञप्त कृषि जिन्सों के व्यवसाय हेतु	(अ) निर्मित दुकान	13	—	—	—	(अ) 12 दुकानें आवंटित।
		(ब) दुकानों के भू-खण्ड	05	74	60	96	(ब) आवंटन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2.	गैर अनुज्ञापत्रधारियों के लिए गैर विज्ञप्त कृषि जिन्सों के व्यवसाय (खाद, बीज, पशु आहार, बारदाना, कृषि साहित्य आदि के लिये)	(अ) निर्मित दुकान 04	—	—	—		(अ) आवंटन शुल्क पर निलामी से इस वित्तीय वर्ष में आवंटन किया जावेगा।
		(ब) दुकानों के भू-खण्ड	—	38	39	60	(ब) निलामी से आवंटन इस वित्तीय वर्ष में किया जावेगा।